सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

५९

(१६ सितम्बरसे १५ दिसम्बर, १९३४)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

भूमिका

प्रस्तुत खण्डमे १६ सितम्बरसे १५ दिसम्बर, १९३४ तककी सामग्री दी गई है। सितम्बर १९३२ मे गाधीजीने जो उपवास रखा था, उसके साथ ही घटनाओकी जो शृखला प्रारम्भ हुई थी, उसकी पराकाष्ठा इसी अवधिमे हुई जब गाधीजीने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके सक्रिय नेतत्वसे अवकाश ग्रहण कर लिया और ग्रामीण जनताके "आर्थिक, नैतिक और स्वच्छता सफाईकी दृष्टिसे उत्थान" (प० ३२४) हेतु काय करनेके लिए उन्होने काग्रेसके तत्वावधानमे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघकी स्थापना की। यो तो काग्रेसके सक्रिय नेतत्वसे हटनेके गाधीजीके इरादेकी घोषणा १७ सितम्बर को जारी किये गये प्रेस-वक्तव्यमे कर दी गई थी, परन्तु इस विषयमे अतिम निणय काय-समिति और ससदीय बोडके कुछ सदस्याके सुझावपर अक्टूबरमे होनेवाले काग्रेसके आगामी अधिवेशनकी समाप्तितक के लिए स्थगित कर दिया गया था। गाधीजीने इसी प्रेस वक्तव्यमे काग्रेसके सविधानमे ऐसे अनेक सशोधनोकी घोपणा भी की थी जिन्हे वे अधिवेशनमे प्रस्तावित करनेका इरादा रखते थे। उन्होने सोचा कि इस मध्यवर्ती अवधिमे इन सशोधनोके सम्बन्धमे काग्रेसजनोकी जो प्रतिक्रियाएँ होगी, उनसे वे अपनी इस धारणाकी सत्यता या असत्यता भी परख सकेगे कि "मै काग्रेसके स्वाभाविक विकासमे सहायक न होकर बाधक हो गया हूँ", "कि काग्रेस मेरे व्यक्तित्त्व द्वारा प्रशासित एक सगठन रह गया है, और यह कि इसमे अन्य लोगोके स्वतन्त्र रूपसे विचार करनेकी कोई गुजाइश नही है" (पृ० ४)। चूकि प्रस्तावित सशोधनपर अनुकूल प्रतिक्रिया नही हुई इसलिए १५ अक्टूबरको जारी किये गये एक दूसरे वक्तव्य (प० १८५-९५) मे गाधीजीने अपने अतिम निणयकी घोषणा कर दी कि वे २३ अक्टूबरसे शुरू हो रहे अधिवेशनकी समाप्तिके तुरन्त बाद ही काग्रेससे अलग हो जायेगे। गाधीजीने इस बातपर जोर दिया कि उन्होने जो-कुछ किया है, वह विरक्तिकी भावनाके वशीभूत होकर नही किया है (प० २७८)। उन्होने विषय-समितिको बताया कि मै "पराजित महसूस नही कर रहा हूँ"। "मै आपके आशीर्वादके साथ ऐसे साधनोका पता लगानेके लिए अधिक बडी शक्तिकी तलाशमे जा रहा हूँ जिससे कि मेरे अन्दर जो विश्वास है, वह विश्वास मै आपको दे सकू" (पृ० २४३)।

१७ सितम्बरके वक्तव्यमे गाधीजीने अपने "और अनेक काग्रेसियोके दृष्टिकोणमे महत्वपूण भेद" (पृ० ४) की विशद चर्चा करते हुए कहा कि इसका सम्बन्ध स्वराज के अर्थ और उसे प्राप्त करनेके साधनो, दोनोसे है। उस मतभेदकी जड राजनीतिके सम्बन्धमे गाधीजी और उन काग्रेसियोकी कल्पनामें जो मौलिक भेद था, उसीमें थी।

कांग्रेसजनोंका प्रबल बहुमत देशके लिए महज राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका इच्छुक था। इसके विपरीत गांधीजीके लिए राजनीतिका अर्थ महज राजनीतिक उत्थान ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण 'नागरिक शास्त्र" था, जिसमें मानवताका "सामाजिक, नैतिक, आर्थिक" उत्थान भी सन्निहित था। वे चाहते थे कि 'राजनीतिको उसके बुनियादी अर्थमें फिरसे प्रतिष्ठित किया जाये' और इसीलिए कांग्रेसके कार्यक्रममें "उत्तरोत्तर सामाजिक, नैतिक और आर्थिक पहलूपर" (पृ० २८/२) विशेष ध्यान दिया जाता रहा था। इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन हिन्दू मुस्लिम एकताका प्रोत्सा-हन, पूर्ण मद्य-निषेध, हाथ कताई और खादी तथा "ग्रामोद्योगोंके पुनरुत्थानके अर्थमें [illegible] प्रतिष्ठान स्वदेशी' और सात लाख गांवोंकी सामान्य पुनर्व्यवस्था, सभी शामिल थे। गांधीजीने कहा कि यह कार्यक्रम "किसी भी व्यक्तिकी देश भक्तिकी भावनाको सन्तुष्ट करनेके लिए पर्याप्त है' (पृ० ९)। उन्होंने इस विस्तृत कार्यक्रमको "सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेकी पूर्व शर्त' के रूपमें अपनानेपर कभी जोर नहीं दिया क्योंकि जैसाकि उन्होंने स्पष्ट किया "मैं इस दलीलसे अभिभूत हो गया था कि राष्ट्र इन चीजोंको सविनय अवज्ञाके दौरान अपने आप ग्रहण कर लेगा।' उनकी यह आशा पूरी नहीं हो सकी (पृ० २८/८)। जिस हाथ कताई और खादीको गांधीजीने कार्यक्रमका महत्वपूर्ण अंग माना, उसकी ओर भी कांग्रेसजनोंने कोई उत्साह नहीं दिखाया था। गांधीजीके लिए चरखा "मानवीय गौरव और समानताका प्रतीक" और "राष्ट्र-का दूसरा फेफड़ा" था। ठीक उसी तरह कांग्रेसके संविधानमें खादी विषयक धारा "कांग्रेस और उन लाखों लोगोंके बीचके सजीव सम्बन्ध [illegible]" की प्रतीक थी जिनका कि वह [illegible] प्रतिनिधित्व करनेका प्रयत्न करती आई है।' परन्तु "कांग्रेसके बौद्धिक वर्गमें हाथ कताई लगभग समाप्त" हो गई थी और "कांग्रेसके अच्छे-खासे बहुमतका खादीमें जीवन्त विश्वास नहीं" रह गया था (पृ० ५)।

ठीक इसी तरह साधनोंके सम्बन्धमें भी गांधीजी और कांग्रेसजनोंके बीच एक मौलिक भेद था। गांधीजीका विश्वास था कि "साधन और साध्य समानार्थी शब्द हैं और इसलिए जहां साधन विभिन्न और परस्पर विरोधी होंगे वहां साध्य भी भिन्न और परस्पर विरोधी होगा"। दूसरी तरफ कांग्रेसियोंका विश्वास यह था कि "साध्य से साधनोंका औचित्य सिद्ध हो जाता है, फिर चाहे वे कैसे भी क्यों न हों" (पृ० ९)। अहिंसाके प्रति दृष्टिकोणमें यही भेद परिलक्षित होता था। जैसाकि गांधीजीने कहा "लगातार १८ वर्ष तक आजमानेके बावजूद यह अभी भी अधिकांश कांग्रेसियोंके लिए महज एक नीति है, जबकि मेरे लिए यह एक मूलभूत सिद्धान्त है" (पृ० ७)। एक सिद्धान्तके रूपमें अहिंसामें आस्थाका जो अभाव कांग्रेसियोंमें है उसीकी वजहसे सविनय-अवज्ञा आन्दोलनका कोई भी असर सरकार या आतंकवादियों पर नहीं हुआ है। गांधीजीने कहा "यदि हममें अहिंसाकी पूरी भावना होती तो वह स्वयं ही सबको दिखती" (पृ० ७-८)।

अपने सितम्बर, १९३२ के उपवासके बाद गाधीजीने राजनीतिक क्षेत्रमे जो कदम उठाये, उसे काग्रेसजन दष्टिकोणकी इन भिन्नताओकी वजहसे समझ नही सके। जहा गाधीजीके लिए अस्पश्यता विरोधी आन्दोलन "एक अत्यन्त धार्मिक और नैतिक विषय" था, वही अनेक काग्रेसियोने कहा कि उन्होने जिस समय और जिस ढगसे अस्पृश्यताके सवालको उठाया, उससे सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें बाधा पहुँची, और इसलिए उनका "वैसा करना एक गम्भीर भूल थी" (प० ६)। इसी प्रकार जब गाधीजीने पहले जुलाई १९३३ (खण्ड ५५)मे सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन और फिर अप्रैल १९३४ (खण्ड ५७)मे व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किया तो अनेक काग्रेसियोने इसे नापसन्द किया। पुन जब उन्होने काग्रेसमे ससदीय दलके गठनका समर्थन किया तो इससे उनके कई बेहतरीन साथियोको कष्ट हुआ था (पृ० ५६)। गाधीजीने पाया कि "इस विषयपर हाल ही मे जितने प्रस्ताव पास किये गये है हालाकि साथी काग्रेसियोने उन सबके पक्षमे मत दिया है, फिर भी उन्हे समझा सकनेका काम मेरे लिए उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है" और इसमे गाधीजीको उतनी ही मनोव्यथा हुई थी जितनी स्वय काग्रेसियोको। उन्होने कहा कि "जिसे हम अपना सामान्य लक्ष्य मानते है, उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हुए यदि हम अपना विकास करना है तो हमे इस मनोव्यथाके बोझसे मुक्त हो जाना चाहिए" (प० ७)। गाधीजी जन्मजात "लोकतन्त्रवादी" होनेका दावा करते थे और इसलिए उन-जैसे लोकतन्त्रवादी व्यक्तिके लिए "यह एक अपमानजनक रहस्योदघाटन" था कि कई लोगोको उनका "विरोध करनेकी हिम्मत नही हुई है"। इसी प्रकार समाजवादियोके कार्यक्रम पर मूलभूत मतभेद होते हुए भी उन्होने कहा कि "हालाँकि मै नैतिक दबावके द्वारा उनके विचारोको फैलनेसे रोक सकता हूँ", लेकिन मै वैसा नही करूँगा।" मै उन विचारोकी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमें कोई हस्तक्षेप नही कर सकता, फिर चाहे उनमे से कुछ विचार मुझे कितने ही नापसन्द क्यो न हो" (पृ० ६)।

इसके बजाय कि वे काग्रेसमे रहते हुए ही अपने सिद्धान्तोके लिए लडे, उन्होने "मार्गसे हटनेका सिद्धान्त" अपनाया, क्योकि यह "अहिसासे मेल खाता है" (पृ० ६१)। एक बार इससे पहले भी उन्होने ऐसा ही किया था जबकि १९२५ मे उन्होने काग्रेसका नियन्त्रण मोतीलाल नेहरू और इनके नेतृत्वमे चलनेवाली स्वराज्य पार्टीको सौप दिया था (खण्ड २८)। काग्रेससे बाहर रहते हुए ही वे "पूर्णरूपेण अनासक्त" होकर तथा अपने ढगसे "कार्य करनेके लिए बिलकुल स्वतन्त्र" रहकर यह सिद्ध करनेका अपना प्रयत्न जारी रख सकते थे कि "अहिसा अच्छी चीजो, जिनमे स्वतन्त्रता भी शामिल है, को प्राप्त करनेका साधन" है। केवल अहिसाके ही द्वारा वे सत्यकी खोज कर सकते थे, जो उनके जीवनका चरम लक्ष्य था। उन्होने

कहा कि वास्तवमे "सत्य ही मेरा ईश्वर" है और सत्यके रूपमे ईश्वरकी खोजमे ही भारत तथा पूरी दुनियाकी स्वतन्त्रता निहित है।

सितम्बर, १९३२ मे अस्पृश्यताके विरुद्ध जो अभियान शुरू हुआ, वह इसी सत्यकी खोजका ही अग था (पृ० ४४)। इस खोजको वे "इहलोक अथवा परलोककी किसी भी चीजको प्राप्त करनेके लोभसे" (पृ० ८) बन्द नही कर सकते थे। और अभी-अभी जो हरिजन-यात्रा उन्होने समाप्त की थी, उससे उन्हे जान पडा था कि "अस्पृश्यताके विरुद्ध अभियानका" अर्थ "जो लोग अस्पृश्य माने जाते है, उनकी प्रथाके अनुसार मान्य की हुई अस्पृश्यताको दूर करनेकी अपेक्षा" कही अधिक व्यापक है। शहरवालेकी दृष्टिमे गाँव अस्पृश्य हो गये थे (पृ० ४४१)। "गाँवोकी तबाहीके परिणामस्वरूप विकसित होनेवाले" शहर "करोडो मूक लोगोकी कगालीके लिए अपनी जिम्मेदारीसे बच " (पृ० १९०) नही सकते थे। शहरवाले अवश्य ही "गाँवोका जो देय है उसे वे गाँवोको दे" (पृ० ८३५)। अपने "ऐच्छिक और अनैच्छिक आलस्य के कारण ये लोग विदेशी और देशी शोषणकर्ताओके शिकार " बने और फिर "शोषणकर्ता चाहे विदेशी हो और चाहे शहरोके लोग हो " उन्हे कोई अन्तर नही पडता था। क्योकि दोनो ही हालतमे गाधीजीके विचारसे "उन्हे कोई स्वराज्य नही मिलेगा" (पृ० ८३८)। इसलिए गाधीजीने महसूस किया कि "शहरके लोगोने गाँववालोसे जिस चीजको क्रूरता और अविचारपूर्वक छीन लिया है, उस चीजको ईमानदारीके साथ उन्हे लौटा देनेके लिए सच्चा प्रयत्न करनेवाले एक सगठनकी कितनी जबदस्त आवश्यकता है" (पृ० ३७७)। इसलिए काग्रेसके वार्षिक अधिवेशनके अवसर पर उन्होने आग्रह करके अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघकी स्थापना "काग्रेसकी प्रवृत्तियोके एक अगके रूपमें" (पृ० २३३) कराई। और इसके बाद उन्होने अपनी अदभुत सगठनात्मक शक्ति सघके पीछे लगा दी ताकि वह अपना कार्यारम्भ कर सके तथा उसके माध्यमसे करोडो लोगोके बीच स्वराज्यकी नई परिकल्पनाका प्रचार हो सके। इस समयके बादसे आर्थिक और नैतिक रूपसे पुनरुज्जीवित ग्रामीण भारतकी कल्पना (जिसकी कुछ प्रारम्भिक अभिव्यक्ति उन्होने "हिन्द स्वराज्य" मे की थी) की ओर गाधीजीका अधिकसे-अधिक ध्यान और शक्ति लगी रही। वे अपने जीवनके अन्तिम दिनतक भी इस कल्पनाको साकार करनेके लिए प्रयत्नशील बने रहे।

गाधीजी यह अच्छी तरहसे जानते थे कि "आजकल केन्द्रीकरण और अत्यन्त विकसित ढगका मशीनीकरण करनेकी जो हवा चल रही है, उसके सम्मुख गाँवोके पुनरुद्धारका काम कोई आसान नही है" (पृ० ४०९)। जिन लोगोका गाधीजीसे गहरा सम्बन्ध था, उनमें से भी कुछ लोगोको उनका विश्वास ग्राह्य नही था। ऐसे लोगोमें वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री भी एक थे। जब गाधीजीने उन्हे लिखा कि 'मैं जो अनेक प्रवृत्तियाँ चलाता हूँ, उनमें कही-न-कही" (पृ० ३८५) आपका सहयोग चाहता हूँ तब उन्होने उत्तर देते हुए लिखा कि " आप आधुनिक सभ्यताके

विरुद्ध कभी न खत्म होनेवाला और अव्यावहारिक युद्ध चला रहे हैं यदि सम्भव हो तो आप सदियोसे चली आ रही इस आधुनिक सभ्यताका रुख मोड देना चाहेगे" (पृ० ३८५)। तत्कालीन मसूर रियासतके दीवान और प्रसिद्ध इजीनियर एम० विश्वेश्वरय्या, जो यन्त्रीकरणके कट्टर समथक थे, को एक पत्रमे गाधीजीने लिखा "हमारी जनसख्या बहुत ज्यादा है और हमारे पास अवकाशका समय भी बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थितिमे मानवशक्तिको व्यथ गँवाते हुए यन्त्र शक्तिका उपयोग करना हमारे लिए आत्म-घातक सिद्ध होगा" (पृ० ४१२)। इस प्रकार गहरी दष्टिका परिचय देते हुए गाधीजीने भारत-जैसे अधिक जनसख्यावाले देशके आर्थिक विकाससे सम्बन्धित चर्चामे सबसे मुख्य प्रश्न यह उठाया कि भारतके लिए श्रम प्रधान योजना ठीक है अथवा पजी-प्रधान विकास-योजना। स्वय श्रम प्रधान योजनाके पक्षपाती होते हुए भी गाधीजी मताग्रही नही थे। उन्होने भारी उद्योगोको नितान्त अनावश्यक नही माना। विश्वेश्वरय्याको लिख एक अन्य पत्रमे उन्होने स्वीकार किया कि "बिना शक्ति चालित यन्त्रोके भारी उद्योगोका सगठन नही किया जा सकता। मै मशीनोके ऐसे उपयोगके खिलाफ नही हूँ" (पृ० ४६२)। काग्रेस-अधिवेशनमे विषय समितिकी बैठकमे उन्होने इस बातको सक्षेपम यो रखा "हमे यन्त्रोकी जरूरत है। लेकिन हमे इनका गुलाम नही बनना चाहिए, बल्कि उन्हे हमारा गुलाम होना चाहिए। "हमारा गुलाम अर्थात गरीबोका, धनिकोका नही" (प० २३८)।

आर्थिक समस्याकी जडमे एक नैतिक प्रश्न समाया हुआ था और वह नैतिक प्रश्न यह था कि व्यक्ति और उसकी आर्थिक गतिविधिमे परस्पर क्या सम्बन्ध है। सारे रूढिगत आर्थिक सिद्धान्त "स्वाथकामी मनुष्य" को आधार मानकर गढे गये हैं, परन्तु गाधीजी इससे सहमत नही थे। कुछ खादी कायकर्त्ताओसे बातचीत करते हुए उन्होने कहा कि "हमारी खादी सस्थाओका उद्देश्य तो जनताका प्रेय नही, उसका श्रेय साधन है" अर्थात महज आर्थिक सुख प्रदान करना ही नही अपितु उसका नैतिक कल्याण भी करना है। उन्होने कहा कि "खादीके अथशास्त्रकी आधार-शिला मनुष्य स्वभावमे निहित परमाथकी भावना" ही है और यह तथ्य स्वीकार किया कि कतये "जड मशीन नही है, मनुष्य है"। "वह उनके शुद्ध परिश्रमसे पवित्र हुआ सूत है, इसलिए वह हमें प्रिय लगना चाहिए। यन्त्रके मालमे यह व्यक्तित्वका तत्व नही होता, इसलिए इस तरहका आध्यात्मिक सन्तोष वह नही दे सकता" (पृ० २१६-७)। गाधीजीने प्राचीन भारतकी वण-व्यवस्थाके आदर्शोकी व्याख्या एक ऐसे समाजके रूपमे की जो श्रेयकी प्राप्तिके लिए सतत प्रयत्नशील हो। गाधीजीने दावा किया कि "इस धमके मुताबिक अगर दुनिया चले तो सब जगह सन्तोष फैले, झूठी होड मिटे। ईर्ष्या दूर हो, कोई भूखो न मरे, जन्म-मरण बराबर रहे और बीमारियाँ जाती रहे" (पृ० ६७)। गाधीजीके अनुसार चारो वर्णोमे से जो शूद्र इस धमपर चलता है और "सिफ धम समझकर सेवा करता है वह हजार नमस्कारके

लायक है और सबसे ऊँचा है" (पृ० ६९)। गाधीजीने दावा किया कि इस व्यवस्था का इच्छापूर्वक और कर्त्तव्य मानकर अपनाना ही "सच्चा साम्यवाद" है। "यह बराबरीका 'धर्म' है" (पृ० ७०) और इसके बिना कोई और बराबरी सम्भव नही है। उनका कहना है कि "इस व्यवस्थामे जिसके पास जायदाद होगी, उसका वह सारी जनताके लिए रक्षक होगा" (पृ० ६९)। इसके बाद गाधीजीने भारतके आर्थिक पुनर्निर्माणके विषयपर जो भी कुछ लिखा या कहा, उसमे उन्होने न्यास पद्धति की चर्चा बार बार की। मनुष्यके स्वभाव और नैतिक उत्थानकी उसकी शक्तिमे गाधीजीका जो विश्वास था, उसीपर यह योजना सिद्धान्त आधारित था। निर्मल कुमार बोससे गाधीजीने कहा कि न्यासी पद एक कानूनी कल्पना हो सकती है परन्तु "यदि लोग उसपर बराबर विचार करे और उसके अनुरूप आचरण करनेकी कोशिश करे तो धरतीपर जीवनका नियमन आज प्रेमके द्वारा जितना-कुछ होता है, उससे कही ज्यादा प्रेमसे होगा" (पृ० ३२९)। निर्मलकुमार बोसके अनुसार जहाँ समाजवादियोका विश्वास था कि "मनुष्य इच्छाके मुकाबले आदतके भरोसे रहते है', वहा गाधीजी यह मानते थे कि "यद्यपि मनुष्य अपनी आदतके अनुसार रहता है" तथापि "उसके लिए अपनी इच्छाके अनुसार रहना बेहतर है" और यह कि "मनुष्य अपनी इच्छा-शक्तिको इस हदतक विकसित करनेमे समर्थ है कि शोषण कमसे कम हो सके।" राज्यके हाथोमे शक्ति केन्द्रित होनेसे मनुष्यकी नैतिक शक्ति समाप्त हो जायेगी। गाधीजीने कहा "मै राज्यकी बढती हुई शक्तिका भयके साथ देखता हूँ, क्योकि वह प्रत्यक्षत शोषणको कम करते हुए भी व्यक्तिगत प्रयत्नको नष्ट करके मानव जातिका ज्यादासे ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। यह व्यक्तिगत प्रयत्न ही मानव जातिके प्रयत्नोकी प्रगतिकी जड या बुनियाद है" (पृ० ३४० ?)। राज्यके प्रभुत्वका गाधीजी "हिंसाके आधारपर" भी विरोध करते थे। उनका यह तर्क था कि "यदि राज्य पूँजीवादको हिंसात्मक तरीकेसे दबाता है तो वह स्वय हिंसाके चगुलमे फँस जायेगा व्यक्तिके पास आत्मा होती है, लेकिन चूकि राज्य एक आत्माहीन यन्त्र है इसलिए उसे हिंसासे उस कभी मुक्त नही किया जा सकता जिसपर कि उसका अस्तित्व ही निर्भर करता है" (पृ० ३३९)।

वास्तवमे सत्य और अहिंसाकी शक्तिमे गाधीजीका अडिग विश्वास ही उनके इस विश्वासका आधार था कि मनुष्यका नैतिक विकास सम्भव है। जैसाकि उन्होने निर्मलकुमार बोससे कहा था, "सत्यकी प्रत्येक अभिव्यक्तिमे प्रसारके बीज होते है, उसी तरह जिस प्रकार सूर्यमे प्रकाश" (पृ० ३४२)। सत्यको छोडकर अहिंसा ससार की सबसे ज्यादा सक्रिय शक्ति" (पृ० ४५) है। उन्होने एक पत्र-लेखकको उत्तर देते हुए बताया कि "सत्य सदैव सुन्दर होता है।" यह सम्पूर्ण कला है। "सत्यसे रहित कला कोई कला नही है, और सत्य-रहित सौन्दर्य शुद्ध कुरूपता है" (पृ० ३५०)। मानवीय सम्बन्धोंमें भी गाधीजीने सत्यको अन्य सभी चीजोसे अधिक महत्व-

पूण माना। एक आश्रमवासीको लिखते हुए वे कहते है "व्यभिचार आदि पापकी अपेक्षा म असत्यको अविक भयकर पाप मानता हूँ"। (प० ६२)। उन्होने वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको लिखा, "मेरे लिए आपके सहयोगकी उतनी कीमत नही है जितनी आपकी सचाईकी" (प० ३८५)। अपने जीवनमे सचाईमे उन्होने जो गहरी दिलचस्पी रखी, उससे उनके विचारो और धारणाओम स्वाभाविक विकास होता रहा, भले ही उनमे बनावटी सामजस्य न दिखाई पडता हो। 'वण व्यवस्था' की प्रस्तावनामे वे कहते है "मुझे आगे पीछेका सम्बन्ध अटूट रखनेका लालच नही है। सचाईको नजरके सामने रखकर आज जो कुछ मैं मानता हूँ, वही कह देना ठीक है। मेरा दावा जिस वक्त जो सच मालूम हो, उसीके मुताबिक, जहाँ तक हो सके, अमल करनका है" (प० ६५)। अहिसामे गाधीजीके विश्वासकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति तब हुइ जब उन्होने मन्दिर प्रवेश विधेयक को विधान सभामे उसके प्रस्तुतकत्ता द्वारा ही वापस लिये जानेपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विधेयकको वापस ले लेनसे सनातनी लोग बहुत प्रसन्न थे। सुधारकाका सलाह देते हुए गाधीजीने कहा "हमे उनके हषका बुरा नही मानना चाहिए। कलतक हम लोग भी उतने ही खुश थे जितने खुश वे आज है।" ए० ई० रचित 'इन्टरप्रेटस' से प्रेम और घणा दानाकी "चमत्कारी परिवतन कर देनेकी शक्ति" से सम्बन्धित एक अश उद्धत करते हुए उन्होने कहा "प्रेम ही एकमात्र चीज है जो सनातनियाका बदल सकती है।" और उन्होने आगे कहा कि "हमे यह भी समझ लेना चाहिए कि सनातनियोकी विजयमे उनकी पराजय निहित है" (प० १७४)। गुजरातके एक गावमे "धमान्ध हिन्दुओ" ने हरिजनोके साथ जो क्रूर व्यवहार किया था उसपर टिप्पणी करते हुए गाधीजीने प्रश्न उठाया कि आखिर हम "ऐसे अन्ध विश्वासको कैसे जीते? लगता है कि अहिसा हार रही है, प्रेम सूखा जा रहा है।" फिर भी उन्होने पाठकाको स्मरण दिलाया कि "चारो तरफ अन्धकार हो और तब भी अहिसाकी किरण चमकती रहे, तभी उसे अहिसा कहना चाहिए। हिंसाका निवारण अहिसासे और घृणाका निवारण प्रेमसे और असत्यका निवारण सत्यसे उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार सूयकी धूपसे शीतका निवारण निश्चित है" (प० ७२)।

राजनीतिक क्षेत्रमे भी गाधीजी ऐसे ही धैयसे काम ले रहे थे। उनके सुझाव पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया था और काग्रेसने "अहिसाकी भावनाको प्रोत्साहन देनेके खयाल से" यह निश्चय किया कि "मनुष्यके लिए जिस हदतक सम्भव है" उस हदतक वह 'दमनकारी कानूनोकी अधीनता स्वीकार करेगी" (पृ० ४६३)। गाधीजीने निश्चय कर लिया था कि उन्हे "इस प्रकारके उत्तेजनोको सहन करना होगा "। यह उन्हे "इस समय सविनय प्रतिरोधका सबसे अच्छा तरीका " (पृ० २९४) लगा। फिर भी गाधीजीने अपने एक अग्रेज मित्रसे कहा कि "मेरी सहन शक्तिकी जैसी कडी परीक्षा हो रही है, वह मेरी

क्षमतासे परे है" (पृ० ४६४)। यद्यपि उन्होंने वाइसरायको आश्वासन दिया था कि सीमा-प्रान्त जानेके पीछे उनका मात्र यही "उद्देश्य है कि मैं वहाँके लोगोंमे जाकर रहना चाहता हूँ, उनका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ तथा यह जानना चाहता हूँ कि खान साहब अब्दुल गफ्फार खाके अहिंसाके सिद्धान्तको उनके अनुयायियोने किस हदतक ग्रहण किया है" (प० ३७०), फिर भी सरकारने उन्हे वहा (सीमा प्रान्त) जानेकी इजाजत नही दी। "जिस हदतक मानवके लिए सम्भव है, उस हदतक" उन्होंने "सत्ताकी सविनय अवज्ञा करनेके हर अवसरको" टालनेका प्रयास किया। उन्होंने कहा कि "यदि अनुमति न देनेका कारण यह होगा कि सरकारको मेरी मशामे सन्देह है, तो मैं उस सन्देहको दूर करनेकी कोशिश करूँगा" (पृ० ४७१)। सरकार द्वारा अपमानित किये जानेपर भी गाधीजीने सयम बनाये रखनेकी भरसक कोशिश की। इससे उनकी अहिंसाको एक नई शक्ति मिलती सी जान पडी। जब कुछ वर्षोंके ही दरम्यान उन्हे साम्प्रदायिक दगका विषपान करना पडा, उस समय उनकी अहिंसा बिलकुल अलौकिक प्रमाणित हुई।

प्रस्तुत खण्डमे जो अनेक पत्र हैं उनमेसे कुछ हरिलालको लिखे गये हैं और एक रामदासको। इनसे गाधीजीके अन्दर जो पिताका हृदय था वह दिखाई पडता है। बीस वर्षोंसे भी अधिक अवधितक उनसे अलग-अलग रहनेके बाद हरिलाल उनके पास लौट आये थे और ऐसा जान पडता था कि वह नये सिरेसे जिन्दगी शुरू करना चाहते हैं। इससे गाधीजीको बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने हरिलालको लिखा कि "तू जैसा लिखता है, यदि ऐसा ही परिवर्तन तुझमे हो गया है तो मैं तेरे भूतकालको एकदम भूल जानेको तैयार हू" (प० २८)। एक दूसरे पत्रमें उन्होंने लिखा कि " यदि वह बात बराबर कायम रहे तो मेरे जीवनका दु खद प्रसग ही समाप्त हो जाये और इस उत्तरावस्थामे मुझे बहुत सन्तोष हो।" गाधीजीने स्वीकार किया कि "मेरे प्राण तुझमे बसे हुए हैं। पिताका मोह तो गीता-माताके भक्तका भी नही छोडता, अथवा हो सकता है 'गीता' का धर्म ही यही कहता हो कि मैं तेरी इतनी चिन्ता करूँ।" लेकिन पहलेके ही समान गाधीजीने धर्मको मोहका स्नेह और प्यारके बन्धनके उपर ही रखा। हरिलालसे उन्होंने कहा कि "धर्म को बीचमें रखकर मुझसे जितनी मन्द बन सके, उतनी मदद मैं करना चाहता हूँ" (पृ० १९९ २००)। वे इस समस्याको लेकर इतने अधिक चिन्तित थे कि एक दिन वे २ ३० बजे भोरमे उठ गये और जैसाकि उन्होंने हरिलालको बताया, "मैं तेरे प्रति अपने धर्मके बारेमे विचार करने लगा।" उन्होंने कहा कि "तेरे और मेरे बीचमें अब यह निश्चय हो जाना चाहिए कि तूने मुझे जो कहा हो, यदि तू उसका भग करे अथवा यह बात सिद्ध हो जाये कि तूने मुझे धोखा दिया है तो मैं कम-से-कम सात दिनोका उपवास करूँगा" (पृ० ११६)। रामदासको लिखे एक पत्रमे उन्होंने बताया कि बौद्धिक पवित्रताके लिए वे जो प्रयास करते रहे हैं, उसमें कस्तूरबा

और पुत्रोके प्रति उनके प्यारने किस प्रकार उनकी रक्षा की है। उन्होने कहा कि "मै जानता हूँ कि मैंने तुम भाइयोको अपनी आत्मिक सम्पद् देनेमे कभी सकोच नही किया है। किसी औरकी खातिर न सही, लेकिन मैंने तुम लोगोकी खातिर पवित्र रहनेका प्रयत्न किया।" गाधीजीने जिन "नये प्रयोगो"की शुरुआत की थी उनकी वजहसे पुत्रोको उच्च शिक्षा देनेमे जो "अनिवाय" कमी रह गई थी उसका जिक्र करते हुए उन्होने स्वीकार किया कि " तुम्हारे मनमे जिस हदतक उसका असन्ताष रहा, उस हदतक मुझे दु ख हुआ। यदि तुझे और अ य भाइयोको यह कमी महसूस न हो तो पिताके रूपमे मै अपने आपको कृताथ मानूगा" (प० १५३)।

अपने साथी-कायकर्त्ताओसे उनके सावजनिक तथा निजी जीवनमे जैसे आचरणकी गाधीजी कडी अपेक्षा रखते थ, उसके अनक उदाहरण इस खण्डमे मिलगे। इस सिद्धा-तका अनुसरण करते हुए कि "भूल साबित हो जाये तो उसे सुधारना ही चाहिए" (पृ० ४४६), उन्होने काका कालेलकरको गुजरात विद्यापीठके यासी पदसे इस कारण इस्तीफा दे देनेका सुझाव दिया था, क्याकि उन्हान अ य दूसरे यासियासे बिना पूछे ही अहमदाबादके जिलाधीशको पत्रमे लिखा था कि विद्यापीठके यासी विद्यापीठके पुस्तकालयकी पुस्तके अहमदाबाद नगरपालिकाको दानमे दे देना चाहते हैं। कालेलकरके इस्तीफेकी वजहसे अनेक साथी-कायकत्ताआके बीच भयकर गलतफहमी फैल गई थी और यह भी कहा जाने लगा था कि यह इसलिए हुआ है क्याकि वल्लभभाई उनके विराधी थे। काकासाहबने ता गुजरात छोड देनेकी भी सोच ली थी। लेकिन गाधीजी को लगा कि "चूकि काकाके गुजरात छोडनेकी बातसे सरदारका नाम जुड गया है और इसके लिए उनकी नि दा भी हुई है, अत काकाके कत्तव्यकी दृष्टिसे यह और भी आवश्यक हो गया है कि वे गुजरात न छाडे" (प० ६४)। उन्हे यह सुनकर भी बहुत दु ख हुआ था कि जमनालाल बजाज एक कपडा मिल खरीदनेकी सोच रहे है और ऐसा न करनेके लिए उन्होने तुर त उनको एक पत्र लिखा। उन्होने कहा "यदि तुम्हे परोपकाराथ ज्यादा पैसा चाहिए तो हम ऐसे परोपकारके बिना ही काम चलायेगे" (पृ० ९०)। उन्होने अपने एक दूसरे पत्रमे लिखा कि उन्हे यह देखकर बहुत खुशी हुई है कि श्रीमती बजाज और बच्चे "इस बाघके डरसे" व्याकुल हो गये थे। यह सुनकर भी वे खुश थे कि जमनालाल "मिलकी झझटसे अच्छे बचे" (पृ० १३८)। एक दूसरे साथी-कायकत्ताको उन्होने लिखा "आप जानते है कि हिसाब रखनेके सभी मामलोमे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, इसपर मेरा विशेष आग्रह है" (पृ० ४९)। उन्होने एस० गणेशनको सुझाव दिया कि "एक न्यासीको अपने न्यासके मामलेमें कजूसीसे काम लेना चाहिए" (पृ० ३३५)। अखबार में छपी "एक सूचना"की "जिसमे खादीकी प्रशसा" की गई थी, इसलिए आलो-चना करते हुए कि उसमें खादीके पक्षको "बहुत भोडे और अपूण ढगसे" प्रस्तुत

किया गया था, गाधीजीने कहा " सत्यकी अपर्याप्त समझके कारण यथा तथ्यताका अभाव ही इस गलतीका कारण है" (प० १३४ और १३६)। प्रेमाबहनको यह सुझाव देते हुए कि व अपने काय क्षेत्रका विस्तार न बढाये तथा उसकी जड गहरी जमने दे, गाधीजीने उलाहना दिया कि जिस तरह हम मुल्कमे घासके बीज बोकर उसपर ही गुजर करते है, इसी तरह सेवाके क्षेत्रमे भी हम "घाससे सन्तुष्ट रहते है।" उन्होने सुझाया कि यदि हम थोडे-से लोग भी ऐसी भूल करनेसे बच जायेंगे "तो जो फलवाले पेड उगेगे, उनकी छाया मिलगी और उनके फल पीढी दर-पीढी खाये जायगे" (प० १३९)।

गाधीजी इस आदशको मानते थे कि यदि "स्त्री और पुरुष विकारवश हुए बिना कभी साथ नही रह सकते तो उनका ब्रह्मचय, ब्रह्मचय नही कहा जा सकता।" इसके आधारपर उन्होने इस बातमे कोई बुराई नही देखी कि पुरुष स्त्रियोकी सस्थाओका चलानम मदद दे। "कुछ पुरुष तो ऐसे होने भी चाहिए जिनमे स्त्रियोचित गुणाका समावेश भी हो" (पृ० ६०)। गाधीजीन एक अन्य पत्र लेखकका अपने उत्तरमे बताया कि लडक और लडकियोका परस्पर सम्पकमे आना "हमारे प्रयोगक अन्तगत" की ही बात है, और यह इस सत्यपर आधारित है कि "आत्मा ही आत्माका मित्र और शत्रु है।" जन सेवाके क्षेत्रमे स्त्रिया और पुरुषाके पारस्परिक सम्पकम आनकी स्वतन्त्रताका यह प्रयाग, गाधीजी सत्यकी जो खोज कर रहे थे, उसी का एक अग था। उन्हे विश्वास था कि यदि "सत्यकी आराधनामे हम थके नही तो सब कुशल ही है" (प० ६२)। इस खोजमे जो कठिनाइया थी, उनसे वे भली-भाँति परिचित थ। एक दूसरे सन्दभमे उन्होने कहा कि "ईश्वर या सत्यकी खोजका यह अभियान असख्य हिमालय-अभियानोसे कही ज्यादा कठिन है", और इसी कारण "कही ज्यादा दिलचस्प है' (प० ४७)।

श्री अरविन्दके एक अनुयायीको लिखते हुए गाधीजीने कहा कि श्री अरविन्द और हमारे माग अलग अलग प्रतीत होते है परन्तु वास्तवमे ऐसे है नही। उन्होने पूछा "वृत्तकी परिधिसे उसक केन्द्रबिन्दुकी ओर जानेवाली कितनी सारी रेखाए होती है?" (पृ० ७९)। उनके इस प्रश्नम ही शका और शकाका समाधान, दोनो सन्निहित है।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित सस्थाओ, व्यक्तियो, पुस्तकोके प्रकाशको तथा पत्र-पत्रिकाओके आभारा है

सस्थाएँ साबरमता आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास और सग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रथालय अहमदाबाद, गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्ली, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, नई दिल्ली, ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सग्रहालय नई दिल्ली, नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली, कर्नाटक सरकार, बगलोर, महाराष्ट सरकार, बम्बईका गह-विभाग और विश्वभारती पुस्तकालय, शातिनिकेतन।

व्यक्ति श्रीमती अमत कौर, श्री आनन्दस्वरूप गुप्त, श्री ए० के० सेन, कलकत्ता, श्रीमती एफ० मेरी बार, श्री एम० आर० ममानी, नई दिल्ली श्रीमती एस० अम्बुजम्माल, श्री क० मा० मुशी, श्री कान्ति गाधी, श्रीमता गगाबहन वद्य, बोचासण, श्री घनश्यामदास बिडला, कलकत्ता, श्री चन्द त्यागी, श्री जी० एन० कानिटकर, श्री डाह्याभाई मनोरदास पटेल, धालका, श्रीमती नर्मदा खम्भाता, बम्बई, श्री नारणदास गाधी राजकोट, श्री नारायण जेठालाल सम्पत, बम्बई, श्री नारायण देसाई, वाराणसी, श्री पुरुषोत्तम गगाधर पानसे, वर्धा, श्री प्रभुदास गाधी, अलमाडा, श्रीमती प्रेमाबहन कटक, सासवाड, श्री भगवानजी पुरुषोत्तम पण्डया, श्रीमती मनुबहन मशरूवाला, अकोला, श्री महेश पट्टणी भावनगर, श्रीमती मीराबहन, गाडेन, आस्ट्रिया, श्रीमती श्री राजेन्द्रप्रसाद, श्री रावजीभाई नाथाभाई पटेल, श्रीमती लक्ष्मीबहन खरे, अहमदाबाद श्रीमती लीलावती आसर, बम्बई, श्रीमती लीलावती मुन्शी, बम्बई, श्रीमती वसुमती पण्डित, श्री वालजी गोविन्दजी देसाई, बडौदा, श्री वेणीलाल गाधी, नासिक, श्रीमती शान्ता पटेल अहमदाबाद, श्री शान्तिकुमार मोरारजी, श्री शिवभाई पटेल, बोचासण, श्री सुरेशसिह और श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर।

पुस्तकें 'इसिडेंटस आफ गाधीजीज लाइफ', (ए) बच आफ ओल्ड लेटस', 'टू सर्वेन्टस ऑफ गॉड', 'दिल्ली का राजनैतिक इतिहास', 'पाचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद', 'बापुना पत्रो—६ ग० स्व० गगाबहेनने', 'बापुना पत्रो—९ श्री नारणदास गाधीने', भाग—२, 'बापुना पत्रो—२ सरदार वल्लभभाईने', 'बापुना बाने पत्रो', 'बापुनी प्रसादी', 'बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वष', 'माई डियर चाइल्ड', 'रेमिनिसेंसेज ऑफ गाधीजी' तथा 'लेटर्स आफ श्रीनिवास शास्त्री'।

पत्र-पत्रिकाएँ 'गुजराती', 'बॉम्बे क्रानिकल', 'हरिजन', 'हरिजनबन्धु', 'हितवाद,' 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा 'हिन्दू'।

अनुसन्धान एव सन्दभ सम्बन्धी सुविधाओके लिए सूचना एव प्रसारण मन्त्रालयका अनुसन्धान और सन्दभ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र है। प्रलेखोकी फोटो-नकल तैयार करनेमे मदद देनेके लिए हम सूचना एव प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके भी आभारी है।

पाठकोको सूचना

हिदीकी जो सामग्री हमे गाधीजीके स्वाक्षरोमें मिली है, उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किंतु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमे हिज्जोकी स्पष्ट भूल सुधार दी गई है।

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है, किंतु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमे प्राप्त हो सके है, उनका हमने मूलसे मिलान और सशोधन करनेके बाद उपयोग किया है। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमें सशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमे दिये गये अश सम्पादकीय है। गाधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अश मूल रूपमे उद्धृत किया है, वह हाशिया छोडकर गहरी स्याहीमे छापा गया है। लेकिन यदि ऐसा कोई अश उन्होने अनूदित करके दिया है तो उसका हिंदी अनुवाद हाशिया छोडकर साधारण टाइपमे छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजीके कहे हुए नही है, बिना हाशिया छोडे गहरी स्याहीमे छापे गये है। भाषणो और भेटकी रिपोर्टोके उन अशोमे जो गाधीजीके नही है, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही कही कुछ छोड भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन तिथि दायें कोनेमे ऊपर दे दी गई है, जहाँ वह उपलब्ध नही है, वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोमे दी गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमे केवल मास या वर्षका उल्लेख है, उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। शीर्षकके अतमे साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गाधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ आधार पर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है, वहाँ उनकी प्रकाशन तिथिके अनुसार दिये गये है।

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०' सकेत साबरमती सग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध कागज-पत्रोका, 'एम० एम० यू०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालयकी मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा तैयार कराई गई रीलोका, 'एस० जी०', गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध सेवाग्राम सामग्री की फोटो नकलोका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गाधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गाधी) द्वारा सगृहीत पत्रोका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध परिशिष्ट दिया गया है। अन्तमें साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

१ पत्र दुनीचन्दको

वर्धा
१६ सितम्बर, १९३४

प्रिय लाला दुनीचन्द,

आप गलत आदमीके पास आये है। क्या आपको मालूम है कि मै ससदीय बोर्ड[1] की बैठकोमे बहुत कम भाग लेता हू? उम्मीदवारोके चयनमे मेरा कोई हाथ नही होता। मै मालवीयजीके दलकी[2] समस्याका समाधान करनेके कायमे व्यस्त रहा हूँ। आपने मौलाना अबुल कलाम आजादको विस्तारपूवक लिखकर ठीक ही किया है। उन्हे इस प्रश्नपर विचार करने दे। चुनावका यह मामला बिलकुल मेरे बसके बाहर है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

लाला दुनीचन्द, बी० ए०
कृपा निवास
अम्बाला सिटी

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२ पत्र : शान्ता पटेलको

१६ सितम्बर, १९३४

चि० शान्ता[3],

मै तेरा पत्र इसके साथ लौटा रहा हूँ, परन्तु तू इसे किसलिए वापस चाहती है, यह मै नही समझ पाया। मैने तो अपनी सारी दलीले मगनभाईको समझानेके लिए दी है, इसलिए उन्हे फिरसे लिखकर व्यर्थ समय खोना नही चाहता। तुझे

१ ससदीय बोर्डकी स्थापना मई १९३४ में डॉ० मु० अ० अन्सारीकी अध्यक्षतामें विधान-सभाके चुनावोंकी व्यवस्था करनेके लिए की गई थी।

२ मदनमोहन मालवीय तथा एम० एस० अणेने साम्प्रदायिक निर्णयके विरुद्ध आन्दोलन चलानेकी दृष्टिसे पृथक् दलकी स्थापना कर ली थी।

३ शकरभाई पटेलकी पुत्री।

मेरे आशीर्वाद तो मिलेंगे ही। क्या इतना पर्याप्त नहीं है?" लक्ष्मीदासभाई को सारी बातसे अवगत कर दिया है न?

आजकल तेरा क्या अध्ययन चल रहा है? बा आजकल वहीं पर है, यह तो तू जानती है न? रामदास अस्वस्थ है, यह भी जानती ही होगी।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती शान्ताबहन शंकरभाई पटेल
जेम्स बिल्डिंग, एलिस ब्रिज
अहमदाबाद[2]

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०७१) से। सी० डब्ल्यू० २२ से भी; सौजन्य : शान्ता पटेल

३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

[१६ सितम्बर, १९३८][3]

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। काका वाला किस्सा तो दुःखदायक बन गया है। लेकिन तुम्हें तो उसे हँसीमें उड़ा देना चाहिए। अन्तमें सब कुछ शान्त हो जायेगा। मेरा खयाल है कि उसके पीछे कोई मलिनता नहीं है। मैं इसे शान्त करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस प्रयत्नमें सफल होऊँगा। इस सबके पीछे गलतफहमीके अलावा और कोई बात नहीं है। काकाको मैं इस तरह नहीं जाने दूँगा। मैंने मावलंकरको जो पत्र लिखा है[4] उसकी एक प्रति मैंने तुम्हें भेजी है।

काका तो यहाँ आनेके दूसरे दिनसे ही बुखारमें पड़े हुए हैं। बुखार अभीतक उतरा नहीं है। आज शामको १०१ से ऊपर था। १०२ तक जाता है। और कुछ तो दिखाई नहीं देता, सिर्फ सर्दी और थोड़ी खाँसी है। टाइफाइडका खतरा जरूर है। काकाको पत्र लिखना।

जोन्स[5] ठीक है लेकिन [illegible] अभी बीमार तो है। उसे भी दो पंक्तियाँ लिखना। डॉ० खानसाहब[6] उसकी जाँच करते हैं।

१. शान्ता पटेलने अपनी पसन्दके किसी लड़केसे विवाह करनेकी अनुमति चाही थी जो उनकी जातिका नहीं था।

२. पता महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे लिया गया है।

३. महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

४. देखिए खण्ड ५८, पृ० ४७८।

५. स्टेनले जोन्स, एक मिशनरी।

६. अब्दुल गफ्फार खाँके बड़े भाई।

कल दोनो भाई अकोला गये। अब वहासे उन्हे लोग खीचकर खामगाव ले गये है। पहले वे आज वापस आनेवाले थे, लेकिन अब कल आयेगे।

लाला शामलालका पत्र मै तुम्हे पढनेके लिए भेज रहा हूँ। दुनीचदके बारेमे कुछ जल्दबाजी की गई जान पडती है।[1] उनका एक और तार आया है।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
८९, वाडन रोड
बम्बई

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३२

४ पत्र कृ० को

१६ सितम्बर, १९३४

चि० कृ०[2],

दे०[3] की कथा करुण है। मे०[4] ने हम लोगोको बडा धोखा दिया है। दे० ठीक फस गई थी। उसका दोष तो है ही। मे० यहासे आखरमे भागा। ऐसा ही कहा जाये। जानेके पहले मुझको मिला भी नही। झूठ भी बहुत बोला। साबरमतीमे भी विषयासक्त रहा था। यह सब भेदकी बात है। दे० भोली सादी लडकी प्रतीत होती है जैसे मलबारकी लडकीया हुआ करती है। उसको यहा रखनेमे कुछ खतरासा लगता है। उसके पतिको खबर तो देनी चाहीये। लेकिन तुमारी सलाह बिना कुछ करना नहिं चाहता हूँ, यदि यहा आनेकी आवश्यकता है तो आ जाना। कुछ गभराहटकी आवश्यकता नही है। दे० को अच्छी तरहसे रखी जाती है। मै अब करीब रोज मिलता हू, दे० का खत इसके साथ है।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

५ वक्तव्य समाचारपत्रोको

१७ सितम्बर, १९३४

यह अफवाह कि मै काग्रेससे सारा सम्बन्ध तोड लेनेका विचार कर रहा हूँ, सच थी। तथापि, पिछले सप्ताह वर्धामे कार्य समिति और ससदीय बोर्डकी जो बैठके हुई थी, उनमे भाग लेनेके लिए आनेवाले अनेक मित्रोने इस सम्बन्धमे अपने विचार प्रस्तुत किये, जिनको ध्यानमे रखते हुए मै उनसे इस बातपर सहमत हो गया कि यदि मै काग्रेसको छोडना ही चाहता हूँ तो मेरे लिए काग्रेसके आगामी अधिवेशनके बाद ऐसा करना बेहतर होगा। पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त और श्री रफी अहमद किदवईने मेरे काग्रेसमे बने रहनेके लिए एक बीचका रास्ता सुझाया था कि मै काग्रेसमे तो रहूँ, लेकिन उसके सक्रिय प्रशासनमे कोई भाग न लू। लेकिन सरदार वल्लभभाई और मौलाना अबुल कलाम आजादने जोरदार शब्दोमे इसका विरोध किया। सरदार वल्लभभाई मुझसे इस बातपर सहमत है कि मेरे काग्रेससे अलग होनेका समय आ गया है, लेकिन अन्य लोग इस बातको माननेको तैयार नही है।

पक्ष-विपक्षपर पूरी तरहसे विचार करके मैने आखिरी कदमको कमसे-कम तबतक उठा रखनेका सुरक्षित और विवेकपूर्ण मार्ग अपनाया था जबतक अक्टूबर मे होनेवाली काग्रेस अधिवेशनकी बैठक खत्म नही हो जाती।

काग्रेससे अलग होनेकी बातको स्थगित करनेका आग्रह करनेके पीछे यह प्रेरणा भी काम कर रही थी कि इस तरह मै अपनी इस धारणाके सही अथवा गलत होनेकी जाँच कर सकूगा कि काग्रेसके बौद्धिक लोगोका एक बहुत बडा वर्ग मेरे तरीको और विचारोसे तथा उनपर आधारित मेरे कार्यक्रमसे ऊब गया है, यह कि मै काग्रेसके स्वाभाविक विकासमे सहायक न होकर बाधक हो गया हूँ, यह कि काग्रेस देशका सबसे ज्यादा लोकतान्त्रिक और प्रातिनिधिक सगठन न रहकर मेरे व्यक्तित्व द्वारा प्रशासित एक सगठन रह गया है और यह कि इसमे अन्य लोगोके स्वतन्त्र रूपसे विचार करनेकी कोई गुजाइश नही है।

यदि मुझे अपनी इस धारणाकी सचाईकी अथवा अन्य प्रकारसे जाँच करनी है तो मुझे जनताके सम्मुख उस कारणको पेश करना होगा जिसपर मेरी यह धारणा आधारित है और उसपर मेरे सुझाव आधारित है। काग्रेसी लोग यदि चाहे तो उनपर अपना वोट दे सकते है और इस तरह स्पष्ट रूपसे अपनी राय अभिव्यक्त कर सकते है। मै इसे जितने सक्षेपमे हो सके, उतने सक्षेपमे कहनेका प्रयत्न करूँगा।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे और अनेक काग्रेसियोके दृष्टिकोणमें महत्त्वपूर्ण भेद है। और यह भेद दिन-ब-दिन बढता जाता है।

वक्तव्य समाचारपत्रोको

मै जिस दिशाकी ओर अग्रसर हो रहा जान पडता हूँ, वह उस दिशासे ठीक विपरीत हे जिसकी ओर बौद्धिक वगके काग्रेसियोमे से अनेक काग्रेसी उत्साह-पूवक और प्रसन्नताके साथ जाना चाहेगे, बशर्ते कि मेरे प्रति उनकी अभूतपूव निष्ठा उनके आडे नही आती। बोद्धिक वगके काग्रेसियोने काग्रेसके सम्मुख रखी मेरी नीतियोका विरोव करने और अपनी असहमति प्रकट करनेके बावजूद जिस वफादारी और आस्थाका परिचय दिया है, उससे अधिक वफादारी और आस्थाकी अपेक्षा अन्य कोई नेता नही कर सकता। लेकिन मेरे लिए उनकी इस वफादारी और आस्थाका ओर ज्यादा फायदा उठाना उनपर अनुचित प्रभाव डालना होगा।

काग्रेसके बौद्धिक वगमे और मुझमे जो मूलभूत भेद ह, उसकी ओरसे उनकी वह वफादारी मेरी आखे बन्द नही कर सकती।

मुझे उन्हे बता देना चाहिए कि मै चरखे और खादीको सबसे आगे रखता हूँ। काग्रेसके बौद्धिक वगमे हाथ-कताई लगभग खत्म हो गई हे। उनमे से ज्यादातर लोगोका इसमे कोई विश्वास नही हे। तथापि, अगर मै उनको समझा सक तो मै चवन्निया सदस्यताके स्थानपर दैनिक हाथ कताई-सदस्यताको रखना चाहूँगा। मुझे यह बात समझ लेनी चाहिए कि खादी विषयक धाराको खादीके प्रति गहरे विश्वासके कारण नही रखा गया था वरन् मेरे प्रति व्यक्तिगत निष्ठाके कारण उसे पास किया गया था। मुझे स्वीकार करना होगा कि इस तकके पीछे पर्याप्त बल है।

तथापि, मेरी यह धारणा दिन-प्रतिदिन दढ होती जाती है कि यदि भारतको मेहनत मजदूरी करनेवाले लाखो लोगोके सन्दभमे और विशुद्ध अहिसाके द्वारा पूण स्वाधीनता प्राप्त करनी है, तो चरखा और खादी चन्द शिक्षित लोगोके लिए भी उतने ही स्वाभाविक होने चाहिए जितने कि आशिक रूपसे बेरोजगार और अधभूखे लाखो लोगोके लिए होने चाहिए, जोकि अपने हाथोको उस कामके लिए, जिसके लिए कि विधाताने उन्हे मनुष्यको दिया है, उपयोग नही करनेके कारण करीब करीब भार-रूप पशु बन गये है। अतएव चरखा सच्चे अर्थोंमे मानवीय गौरव और समानताका प्रतीक है। चरखा खेतीकी परिचारिका है। यह राष्ट्रका दूसरा फेफडा है। तथापि, केवल थोडे से काग्रेसियोको चरखेकी राष्ट्र व्यापक शक्तिमे जीवन्त विश्वास है।

काग्रेसके सविधानसे खादी विषयक धाराको हटानेका मतलब होगा कि काग्रेस और उन लाखो लोगोके बीचके सजीव सम्बन्धको खत्म करना जिनका कि वह प्रारम्भ से ही प्रतिनिधित्व करनेका प्रयत्न करती आई है, और यदि यह धारा बनी रहती है तो इसे सही ढगसे लागू करना होगा। लेकिन यदि काग्रेसके अच्छे खासे बहुमतको खादीमे जीवन्त विश्वास नही है तो ऐसा करना असम्भव है।

अब ससदीय बोडको ही ले। असहयोगका जनक होनेके बावजूद मुझे इस बातका पक्का यकीन हो गया है कि देशकी मौजूदा परिस्थितियोको देखते हुए और सविनय प्रतिरोधकी किसी सामान्य योजनाके अभावमे काग्रेसमे ससदीय दलका होना काग्रेस द्वारा रखे गये किसी भी कायक्रमका एक आवश्यक अग है, लेकिन इस

मुद्देको लेकर हममें परस्पर तीव्र मतभेद है। पटनामें हुई अ० भा० कां० क० की बैठकमें[1] मैंने इस कार्यक्रमकी जिन जोरदार शब्दोंमें वकालत की उससे हमारे कई बेहतरीन साथियोंको कष्ट हुआ, लेकिन अपने विश्वासके अनुसार राय करनेमें उन्हें संकोच हुआ।

समझदारी या अनुभवमें अपनेसे बड़े माने जानेवालोंके विचारोंका खयाल करके खुद अपने विचारोंको दबा देना एक हदतक अच्छी बात है और किसी संगठनके स्वस्थ विकासमें यह वांछनीय है। लेकिन अगर किसीको रोज-बरोज ऐसा ही करना पड़े तो यह अत्यन्त पीड़ादायक हो जाता है।

हालाँकि मैंने कभी ऐसे बुरे परिणामकी इच्छा नहीं की है तथापि, मैं अपनेसे और जनतासे इस दुःखद तथ्यको नहीं छिपा सकता कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। कई लोगोंको मेरा विरोध करनेकी हिम्मत नहीं हुई है। मुझ-जैसे लोकतन्त्रवादी व्यक्तिके लिए यह एक अपमानजनक रहस्योद्घाटन है। गरीबसे गरीब लोगोंके साथ पूर्ण एकाकार करनेवाले और उनके-जैसा जीवन बितानेकी उत्कट इच्छा रखनेवाले तथा उस स्तरतक पहुँचनेके लिए सतत प्रयत्न करनेवाले व्यक्तिको यदि यह दावा करनेका अधिकार प्राप्त है तो मैं यह दावा करता हूँ।

मैंने समाजवादी दलकी स्थापनाका स्वागत किया है।[2] उसमें अनेक प्रतिष्ठित और आत्मत्यागी कार्यकर्ता हैं। इसके बावजूद उनकी अधिकृत पुस्तकमें छपे कार्यक्रम पर मेरा उनसे मूलभूत भेद है। और हालाँकि मैं नैतिक दबावके द्वारा उनके साहित्यमें प्रतिपादित विचारोंको फैलनेसे रोक सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उन विचारोंकी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, फिर चाहे उनमें से कुछ विचार मुझे कितने ही नापसन्द क्यों न हों।

यदि वे कांग्रेसमें प्रबल हो जाते हैं, जैसाकि वे हो भी सकते हैं, तो मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता। मेरे लिए सक्रिय विरोधीके रूपमें कांग्रेसमें रहना विचारातीत है। हालाँकि जनसेवाकी लम्बी अवधिके दौरान मेरा अनेक संस्थाओंसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है तथापि मैंने ऐसी स्थितिको कभी स्वीकार नहीं किया है।

इसके अलावा रियासतोंके सम्बन्धमें कुछ लोगोंने जिस नीतिके अपनाये जानेकी वकालत की है, वह मेरे द्वारा सुझाई गई नीतिसे सर्वथा भिन्न है। इस प्रश्नपर मैंने घंटों विचार किया है, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोणको नहीं बदल सका हूँ।

अस्पृश्यताके सम्बन्धमें भी मेरा काम करनेका तरीका यदि अधिकांश कांग्रेसियोंसे नहीं तो अनेकसे सम्भवतः भिन्न है। मेरे लिए यह एक अत्यन्त धार्मिक और नैतिक विषय है। अनेक लोगोंका यह विचार है कि मैंने जिस समय और जिस ढंगसे सविनय अवज्ञा आन्दोलनको भंग किया, वैसा करना एक गम्भीर भूल थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि मैं कोई और तरीका अपनाता तो अपने प्रति झूठा ठहरता।

१ देखिए खण्ड ५८, पृ० ९१२।

२ कांग्रेस समाजवादी दलकी स्थापना मई, १९३४ में की गई थी।

और सबसे अतमे अहिंसाको ले। लगातार १४ वषतक आजमाये जानेके बावजूद यह अभी भी अधिकाश कांग्रेसियोके लिए महज एक नीति है, जबकि मेरे लिए यह एक मूलभूत सिद्धात है। और यदि काग्रेसजन अभी भी अहिसाको एक सिद्धातके रूपमे स्वीकार नही करते तो इसमे उनका कोई दोष नही है। मैने उसे निश्चय ही गलत ढगसे पेश किया होगा ओर उसपर गलत ढगमे अमल किया होगा, जिसके कारण मुझे इसमे असफलता मिली। लेकिन मुझे इसका कोई एहसास नही है कि मने इसे कब गलत ढगसे पेश किया ओर कब गलत ढगसे उसपर अमल किया। लेकिन इस तथ्यसे कि अहिसा अभी भी काग्रेसियाके जीवनका अखण्ड भाग नही बन पाई है, केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है।

और यदि अहिसाको लेकर अनिश्चयकी स्थिति है तो सविनय अवज्ञाके बारेमे तो और भी होगी। इस सिद्धातका २७ वर्षोतक अध्ययन और इसपर अमल करनेके बावजूद मै इसके बारेमे सब कुछ जाननेका दावा नही कर सकता, और चूकि मनुष्यके जीवनमे सविनय अवज्ञाके अवसर बार-बार नही आते इसलिए इस विषयपर खोज करनेका क्षेत्र भी अनिवायत सीमित हे ओर होना भी चाहिए। यह बात तभी आ सकती है जब मनुष्य अपनी इच्छासे सत्ताके आदेशाका पालन कर, फिर चाहे वह माता-पिता हो, अध्यापक हो, बडे बूढे हो अथवा धार्मिक और सामाजिक अधिकारी हो। और इसमे आश्चयकी कोई बात नही कि सविनय अवज्ञाके एकमात्र विशेषज्ञके रूपमे, फिर चाहे मै कितना ही अपूण क्यो न होऊँ, म इस निष्कषपर पहुँचा कि कुछ समयके लिए इसे मुझतक ही सीमित रहना चाहिए। सविनय अवज्ञा आदोलनको भग करना इसलिए भी जरूरी था जिससे कि भूलाको और उपद्रवाको कम किया जा सके तथा उसमे छिपी सम्भावनाओका पता लगाया जा सके। लेकिन यहा भी काग्रेसियोका दोष न होनेके बावजूद इस विषयपर हाल ही म जितने प्रस्ताव[1] पास किये गये है, हालाकि साथी काग्रेसियोने उन सबके पक्षमे मत दिया है, फिर भी उन्हे समझा सकनेका काम मेरे लिए उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है।

इन प्रस्तावोको बुद्धिपूवक सही माने बिना जब इनपर मत दिये जा रहे थे, उस समय उनके प्रति विरोधकी जो भावना मौजद थी, उसके स्मरण-मात्रसे मेरे मनको उतनी ही व्यथा होती है जो उन्हे हुई थी। जिसे हम अपना सामान्य लक्ष्य मानते है, उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हुए यदि हमे अपना विकास करना है तो हमे इस मनोव्यथाके बोझसे मुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए हम सबके लिए जरूरी है कि हम अपने विश्वासके अनुसार साहसपूवक और स्वतन्त्र मनसे काम करे।

मैने अपने पटनाके वक्तव्यमे[2] सविनय अवज्ञा आदोलनको स्थगित करनेकी सिफारिश करते हुए दो स्पष्ट परिणामोको प्राप्त करनेके लिए लोगोका ध्यान सविनय अवज्ञा आदोलनकी ओर खीचा है। यदि हममे अहिसाकी पूरी भावना होती तो

१ और २ देखिए खण्ड ५८।

वह स्वयं ही सबको दिखती और सरकारके ध्यानमें यह बात आये बिना नहीं रहती कि हमारे द्वारा की गई अथवा हमपर आरोपित किसी भी 'शरारत' के कारण उसे वे अध्यादेश जारी करनेकी जरूरत न थी। उन अध्यादेशोंका उद्देश्य बेशक किसी भी तरह हमारे उत्साहको भंग करना था तथापि, यदि हम यह मानें कि सविनय प्रतिरोधी निर्दोष थे तो ऐसा मानना गलत होगा। यदि हम पूरी तरहसे अहिंसक होते तो हमारी अहिंसा स्वयं लक्षित होती।

और न ही हम आतंकवादियोंको यह बता सके कि उन्हें हिंसामें जितना विश्वास है, उससे कहीं अधिक हमें अहिंसामें विश्वास है। इसके विपरीत हममें से कई लोगोंने उन्हें यह एहसास कराया कि हमारे सीनोंमें भी हिंसाकी उतनी ही भावना है जितनी उनमें है। केवल हमें हिंसापूर्ण कार्यवाहियोंमें विश्वास नहीं है।

आतंकवादियोंका यह तर्क ठीक ही था कि यदि दोनोंमें हिंसाकी भावना सामान्य है तो हिंसा करने अथवा न करनेकी नीति तो विवादग्रस्त विषय है। मैं पहले ही जो बात कह चुका हूँ, उसे मुझे यहां फिर दुहरानेकी कोई जरूरत नहीं है और वह यह कि देशने अहिंसाकी दिशामें निःसन्देह लम्बे-लम्बे डग भरे हैं और कई लोगोंने अत्यधिक साहस और आत्मत्यागका परिचय दिया है। मैं जो कहना चाहता हूँ, वह सिर्फ यह कि मनसा, वाचा, कर्मणा हमारी अहिंसा विशुद्ध अहिंसा नहीं रही है।

अब मेरा यह परम कर्त्तव्य है कि ऐसे तरीके और उपाय खोज निकालूँ जिनके द्वारा मैं सरकार और आतंकवादियोंको सही वस्तु प्राप्त करनेके साधन रूपमें, जिसमें सच्चे अर्थोंमें स्वाधीनता भी शामिल है, अहिंसाके प्रभावको दिखा सकूं।

इस प्रयोगके लिए, जिसके लिए मेरा जीवन समर्पित है, मुझे पूरी तरहसे अलग रहनेकी और कार्य करनेकी स्वतन्त्रताकी जरूरत है। मेरे लिए सत्याग्रह, सविनय प्रतिरोध जिसका महज एक हिस्सा है, जीवनका सामान्य नियम है। 'सत्य' ही मेरा ईश्वर है। मैं उसकी खोज केवल अहिंसा द्वारा ही कर सकता हूँ, किसी अन्य तरीकेसे नहीं, और सत्यकी इस खोजमें मेरे देशकी और संसारकी स्वाधीनता भी शामिल है। मैं अपनी इस खोजको इहलोक अथवा परलोककी किसी भी चीजको प्राप्त करनेके लोभसे बन्द नहीं कर सकता।

सत्यकी इस खोजके कारण मैंने राजनीतिक जीवनमें प्रवेश किया। और जब मैं यह कहता हूँ कि इसके द्वारा ही हमें पूर्ण स्वाधीनता तथा अन्य अनेक चीजें प्राप्त होंगी जो सत्यका ही हिस्सा हो सकती हैं, यदि शिक्षित कांग्रेसी लोग इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकते और अपने दिलोंमें उतार नहीं सकते तो जाहिर है कि मुझे इस विश्वासके साथ अकेले ही काम करना चाहिए कि आज जो बात मैं अपने देशवासियोंको नहीं समझा सकता, वह उन्हें खुद ही समझमें आ जायेगी अथवा यदि ईश्वरने चाहा तो उसके द्वारा मेरे मेरे मुँहसे निकले किन्हीं शब्दोंसे अथवा उसकी प्रेरणासे किये गये मेरे किसी सही कामसे वह उनकी समझमें आ जायेगी।

इतने महत्त्वपूर्ण मामलोंमें यन्त्रवत मत देना अथवा आधे मनसे अपनी सहमति व्यक्त करना यदि उद्देश्यके लिए घातक नहीं तो सर्वथा अपर्याप्त अवश्य होगा।

मैने सामान्य उद्देश्यका जिक्र किया है, लेकिन मुझे इस बातपर सन्देह होने लगा है कि क्या सारे काग्रेसी स्वाधीनताका वही अर्थ करते है जो मै करता हूँ। ‘कम्पलीट इडिपेडेस’ शब्दका जो अग्रेजी अर्थ है, मै उसी अर्थमे भारतके लिए पूर्ण स्वाधीनता चाहता हूँ। मेरी दृष्टिमे पूर्ण स्वराज्यका अर्थ ‘कम्पलीट इडिपेडेस’ से अत्यन्त व्यापक है, लेकिन मै जो चीज चाहता हूँ, वह पूर्ण स्वराज्यमे भी ध्वनित नही होती। किसी एक शब्द अथवा शब्दपदसे ऐसा अर्थ नही निकलता जिसे हम सब समझ सके। इसलिए मैने कई अवसरोपर स्वराज्यकी कई परिभाषाएँ दी है। और मै यह मानता हूँ कि वे सब सही है, एक दूसरेके प्रतिकूल नही। इन सबको एक साथ रखनेपर भी ये सब अत्यन्त अपूर्ण है, लेकिन मै इस मुद्देपर और अधिक कुछ नही कहना चाहता।

मैने स्वराज्यकी पूर्ण परिभाषा कह देनेके बारेमे यदि अपनी असमर्थता की नही तो दिक्कत की जो चर्चा की है उसपर से मुझे एक और गम्भीर मुद्दा याद आ गया जिसे लेकर काग्रेसियो और मुझमे मतभेद है।

मैने १९०८ से हमेशा यह कहा है कि साधन और साध्य समानार्थी शब्द है और इसलिए जहा साधन विभिन्न और परस्पर विरोधी होगे वहा साध्य भी भिन्न और परस्पर विरोधी होगा। हमारा बस तो बराबर साधनपर ही रहता है, साध्य पर कभी नही, लेकिन अगर हम एक से साधनोका एक से ही अर्थमे प्रयोग करे तो फिर साध्य क्या है, उसकी चिन्ता करनेकी हमे जरूरत नही रहती। यह स्वीकार करना होगा कि कई काग्रेसी इस स्पष्ट सत्यको मेरे सामने स्वीकार नही करते। उनका विश्वास है कि साध्यसे साधनोका औचित्य सिद्ध हो जाता है, फिर चाहे वे कैसे भी क्यो न हो।

कुल मिलाकर इन्ही मतभेदोके कारण वर्तमान काग्रेस-कार्यक्रम विफल हो गया है, क्योकि जिन लोगोने इसपर विश्वास किये बिना जबानी सहमति व्यक्त की, वे स्वभावत उसे व्यवहारमे नही ला सके और फिर भी मेरे पास देशको देनेके लिए काग्रेस कार्यक्रमके अलावा और कोई कार्यक्रम नही है। ग्रामोद्योगोके पुनरुत्थान तथा सात लाख गावोके सामान्य पुनर्गठनके अर्थमे अस्पृश्यता, हिन्दू-मुस्लिम एकता, पूर्ण मद्य-निषेध, खादीके साथ हाथ-कताई और शत प्रतिशत स्वदेशी किसी भी व्यक्ति की देशभक्तिकी भावनाको सन्तुष्ट करनेके लिए पर्याप्त है।

व्यक्तिगत रूपसे मै दुनियाकी निगाहोसे दूर किसी भारतीय गावमे, यदि वह सीमावर्ती गाव हो तो बेहतर, जाकर रहना चाहूँगा। यदि खुदाई खिदमतगार सचमुच अहिंसक है तो अहिंसाकी भावनाका प्रसार करने और हिन्दू-मुस्लिम एकताको बढानेमे वे सबसे प्रमुख भाग अदा करेंगे, क्योकि यदि वे मनसा, वाचा, कर्मणा अहिसक है और हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रेमी है तो हम बेशक उनके द्वारा उन दो चीजोको पूरा होते हुए देखेंगे जिनकी इस भूमिपर हमे सबसे ज्यादा जरूरत है। तब अफगानी आतक भी, जिसका हमे इतना ज्यादा भय है, भूतकालकी चीज हो जायेगा।

इसलिए मुझे इस दावेकी सत्यताकी जाँच करनेकी तीव्र उत्कठा हो रही है कि उन्होने अहिसाकी भावनाको हृदयगम कर लिया है, तथा हिन्दुओ और मुसलमानो और

अन्य लोगोंकी दिली एकतामें उनका दृढ़ विश्वास है। इसके साथ ही मैं निजी तौर पर उन्हें चरखेका सन्देश भी सुनाना चाहूँगा। ऐसे और इस तरहके अन्य तरीकोंसे मैं अपने ढंगसे कांग्रेसकी सेवा करना चाहूँगा, फिर भले ही मैं कांग्रेसमें रहूँ अथवा कांग्रेससे बाहर रहूँ।

हम लोगोंमें जो भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है उसकी चर्चा मैंने सबसे अन्तमें रखी है। मैं सार्वजनिक रूपसे उसके बारेमें पहले ही बहुत कुछ कह चुका हूँ। और जो मैंने कहा है उस सबके बावजूद मेरी रायमें कांग्रेस अभी देशकी अत्यन्त शक्तिशाली और प्रातिनिधिक संगठन है। उसका इतिहास अनवरत सेवाओं और आत्मत्यागसे भरा हुआ है। प्रारम्भसे ही इसने जितने तूफानोंका सामना किया है, उतने तूफानोंका सामना किसी अन्य संस्थाने नहीं किया है। इसने जिस आत्मत्यागका परिचय दिया है उसपर से कोई भी देश गर्वका अनुभव करेगा। आज इसमें निर्दोष चरित्रके निष्ठावान स्त्री तथा पुरुष सबसे ज्यादा हैं। यदि इसे छोड़ना ही पड़ा तो इसे छोड़ते हुए मुझे निश्चय ही दुःख होगा और मैं ऐसा तभी करूँगा जब मुझे इस बातका सन्तोष हो जायेगा कि मैं कांग्रेसमें रहनेकी बनिस्बत कांग्रेससे बाहर रहकर कांग्रेसकी अर्थात् देशकी अधिक सेवा कर सकूँगा।

मैंने ऊपर जो विचार व्यक्त किये हैं उनको ध्यानमें रखते हुए मैंने विषय-समितिके सम्मुख कुछ प्रस्ताव रखे हैं, और मैं उपयुक्त सभी मुद्दोंपर कांग्रेसकी भावनाको जान लेना चाहूँगा।

मैं जो पहला संशोधन पेश करना चाहूँगा, वह यह है कि 'उचित और शान्तिपूर्ण' के स्थानपर, "सत्यपूर्ण और अहिंसक" शब्द रखे जायें। मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मैंने अत्यन्त निर्दोष भावसे "उचित और शान्तिपूर्ण" शब्दोंके स्थानपर जिन दो विशेषणोंका प्रयोग किया उनका जैसा विरोध हुआ, उसको देखते हुए मेरा ऐसा करना जरूरी था। हमारे उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए यदि कांग्रेसी लोग सत्य और अहिंसाकी आवश्यकतामें विश्वास रखते हैं तो उन्हें इन सुस्पष्ट विशेषणोंको स्वीकार करनेमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

दूसरा संशोधन जो मैं रखना चाहूँगा, वह यह कि चवन्नी सदस्यताके स्थानपर प्रत्येक सदस्य अथवा सदस्याको हर महीने २,००० तार (प्रत्येक तार चार फुटके बराबर हो) अपने हाथसे कातकर कांग्रेस डिपोमें भेजने चाहिए। यह सूत अच्छा बँटा हुआ, एक सार और १५ अंक होना चाहिए। किसी सदस्यके गरीब साबित होनेपर यदि उसे आवश्यक मात्राका सूत कातनेके लिए कपास दे दी जाती है तो फिर उसके पक्षमें अथवा विरोधमें कुछ कहनेकी जरूरत नहीं रह जाती। यदि हम कांग्रेसका विकास सबसे कम वेतन पानेवाले मजदूरका प्रतिनिधित्व करनेवाली और सच्चे अर्थोंमें लोकतान्त्रिक संस्थाके रूपमें करना चाहते हैं तो हमारे लिए बेहतर यह होगा कि हम सरल श्रम-सदस्यताके सिद्धान्तको स्वीकार कर लें।

इस बातपर सब लोग सहमत हैं कि हाथ-कताईमें सबसे कम मजदूरी मिलती है, फिर भी यह सबसे अधिक प्रतिष्ठानजनक धन्धा है। यह वयस्क मताधिकारके

अत्यन्त निकट है ओर यह लगभग प्रत्येक ऐसे व्यक्तिके बसकी बात है जो देशके लिए प्रतिदिन आधा घटा मजदूरी करनेके लिए तयार हो। क्या बौद्धिक वगसे और धनवानसे यह अपेक्षा करना बहुत अधिक होगा कि वे श्रमसे होनेवाले लाभकी ओर ध्यान दिये बिना श्रमके गौरवको पहचाने? क्या शिक्षाके समान श्रम भी अपना पुरस्कार आप नही हे? यदि हम जनताके सच्चे सेवक है तो हम उसकी खातिर चरखा कातनेमे गवका अनुभव करेगे।

स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद अली जो बात अनेक मचोसे कहा करते थे, उस बातको मै यहा फिर दोहराना चाहूँगा। वे कहा करते थे कि जिस तरह तलवार पशु बलका प्रतीक हे उसी तरह चरखा अथवा तकली अहिसा, सेवा और विनम्रताका प्रतीक है। जब चरखेको राष्टीय झण्डेके एक भागके रूपमे स्वीकार किया गया तब उसमे यह बात अवश्य निहित थी कि हर घरमे चरखेकी गूज सुनाई देगी। यदि काग्रेसी लोग चरखेके सन्देशमे विश्वास नही करते तो हमे चरखेको राष्ट्रीय झण्डे परसे ओर खद्दरको काग्रेसके सविधानसे हटाना होगा। यह बात असह्य है कि खद्दर सम्बन्धी धाराके पालनमे निलज्जतापूवक छल कपटसे काम लिया जाये।

तीसरा सशोधन मै यह पेश करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति काग्रेसके किसी भी चुनावमे वोट देनेका अधिकारी नही होगा जिसका नाम लगातार छ महीने तक काग्रेसके रजिस्टरपर न रहा हो और जिसने उस अरसेके दौरान आदतन खद्दर न पहना हो। खद्दर सम्बन्धी धाराके लागू करनेमे हमे काफी दिक्कतका सामना करना पडा है। काग्रेस अध्यक्ष और विभिन्न समितियोके प्रधानोको ज्यादा अधिकार देकर इस स्थितिको दूर किया जा सकता है। वे लोग इस बातका निणय कर सकते है कि क्या मतदाता विशेष सविधानके अथमे आदतन खद्दरधारी व्यक्ति है अथवा नही, लेकिन उनके इस निणयके विरुद्ध मतदाता विशेषको अपील करनेका अधिकार होगा। तथापि, किसी भी नियमको बनाते समय कितनी ही सावधानीसे क्यो न काम लिया गया हो, उसमे चाहे कितने ही कडेसे-कडे शब्दोका प्रयोग क्यो न किया गया हो, लेकिन जबतक काफी बडी सख्यामे लोग स्वेच्छासे उस नियमका पालन नही करते तबतक उसके सन्तोषजनक परिणाम नही हो सकते।

अनुभवसे मालूम हुआ है कि केवल ६,००० प्रतिनिधि होनेके बावजूद काग्रेस एक सहज चलाने योग्य सगठन नही है। व्यवहारमे काग्रेसके ६,००० प्रतिनिधियोने कभी भी काग्रेसकी किसी भी सभामे एक साथ भाग नही लिया है और काग्रेसके इस रजिस्टरमे कही भी सच्चे अर्थोमे कोई प्रातिनिधिक सूची नही है, इसलिए इस प्रतिनिधि-मण्डलके वास्तविक होनेका दावा नही किया जा सकता।

इसलिए मै एक सशोधन रखना चाहूँगा जिसके द्वारा ६,००० प्रतिनिधियोकी इस सख्याको घटाकर केवल १,००० कर दिया जायेगा, प्रति एक हजार मतदाताओके पीछे एक प्रतिनिधि। प्रतिनिधियोकी पूरी सख्या होनेका अथ होगा दस लाख मत दाता होना और ३१ करोडकी आबादीवाले इस देशमे इतने मतदाताओकी अपेक्षा करना अधिक न होगा। इस सशोधनके द्वारा सख्याके विचारसे भले ही काग्रेसको नुकसान हो, लेकिन तात्विक दष्टिसे उसे लाभ होगा।

कांग्रेसके अधिवेशनोंमें दर्शकोंके लिए समुचित प्रबन्ध करके उसके प्रदर्शनवाले भागको अक्षुण्ण रखा जायेगा। लेकिन स्वागत समितिको बेशुमार प्रतिनिधियोंके रहनेकी व्यवस्था करनेकी चिन्तामें, जो सर्वथा अनावश्यक है, मुक्त रखा जायेगा। हमें इस तथ्यको समझ लेना चाहिए कि आज जो प्रतिष्ठा है, उसका जो लोकतान्त्रिक स्वरूप है और लोगोंपर उसका जो प्रभाव है सो इस कारण नहीं कि उसके वार्षिक उत्सवोंमें उपस्थित प्रतिनिधियों और दर्शकोंकी संख्या कितनी ज्यादा थी, बल्कि इसलिए कि उसने लोगोंकी कितनी ज्यादा सेवा की है और लगातार करती चली आ रही है।

पश्चिमी लोकतन्त्रको, यदि वह अभीतक विफल नहीं हो चुका है तो, कसौटी पर कसा जा रहा है। क्या भारत लोकतन्त्रकी अपनी स्पष्ट योग्यताके प्रदर्शनके द्वारा लोकतन्त्रके सच्चे सिद्धान्तका विकास करनेका श्रेय प्राप्त नहीं कर सकता? भ्रष्टाचार और दम्भ लोकतन्त्रके अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए जैसेकि वे आज असंदिग्ध रूपसे हैं, और न ही लोगोंकी संख्या लोकतन्त्रकी खरी कसौटी होनी चाहिए।

बहुत थोड़े से लोग भी यदि जनताकी भावनाओं, आशाओं और महत्वाकांक्षाओंका सही प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह भी सच्चा लोकतन्त्र ही है। मेरी धारणा यह है कि लोकतन्त्रका विकास जोर-जबरदस्ती करके नहीं किया जा सकता। लोकतन्त्रकी भावनाको बाहरसे नहीं लादा जा सकता, यह तो हृदयसे स्फूर्त होनी चाहिए।

यहाँ मैंने केवल उन प्रस्तावोंका जिक्र किया है जो मैं संविधानमें पेश करना चाहूँगा। अन्य प्रस्ताव भी पेश किये जायेंगे जिनमें उन मुद्दोंकी स्पष्ट रूपसे व्याख्या की जायेगी जिनके बारेमें मैंने उपर्युक्त अनुच्छेदोंमें लिखा है। यहाँ उनकी चर्चा करके अपने इस वक्तव्यको बोझिल नहीं बनाना चाहिए।

मुझे भय है कि मैंने जो प्रस्ताव रखे हैं वे कांग्रेस अधिवेशनमें भाग लेनेके लिए आनेवाले कांग्रेसियोंकी एक बहुत बड़ी संख्याको मान्य नहीं होंगे। फिर भी, अगर कांग्रेसकी नीतियोंका नियमन मुझे करना है तो मैं उन संशोधनोंको और मेरे इस वक्तव्यकी भावनाके अनुरूप प्रस्तावको शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्यतक पहुँचानेके लिए अत्यन्त आवश्यक मानता हूँ।

कोई भी स्वयंसेवी संस्था अपने उद्देश्यमें तबतक सफल नहीं हो सकती जबतक उसके सदस्य पूरे हृदयके साथ उसकी नीतियों और प्रस्तावोंपर अमल नहीं करते। और कोई भी नेता तबतक विजयी नहीं हो सकता जबतक लोग बिना किसी द्वेषभावके वफादारीके साथ और बुद्धिपूर्वक उनका अनुकरण नहीं करते और यह बात उस नेताके बारेमें पूर्णतया सच है जिसके पास सत्य और अहिंसाके अलावा और कोई साधन नहीं है।

इन सब बातोंका यह निष्कर्ष निकलता है कि मैंने उपरोक्त अनुच्छेदोंमें जिस कार्यक्रमकी एक रूपरेखा देनेका प्रयत्न किया है, उसके सारभूत अंशोंको लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए कांग्रेसियोंको चाहिए कि वे अनासक्त भावसे

इसके गुण-दोषोकी जाच करे। उन्हे चाहिए कि वे मुझे अपने दिलोसे निकाल बाहर करे और अपनी बुद्धिके अनुरूप काय करे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-९-१९३४

६ पत्र तान युन-शानको

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके दो पत्र मिले। मै आपके ४ सितम्बरके पत्रका इससे पहले उत्तर नही दे सका। मै चीनमे आपके प्रेमके मिशनकी सफलताकी कामना करता हूँ। मुझे इस बारेमे तनिक भी सन्देह नही है कि पारस्परिक सौहाद स्थापित करनेकी दिशामे व्यक्तिगत रूपसे किये गये सारे प्रयत्न अ तत फलदायी होगे। आप निश्चय ही जब चाहे तब मेरे साथ पत्र व्यवहार करेगे, और मै जितनी जल्दी सम्भव होगा उतनी जल्दी उत्तर देनेकी कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप भारत लौट सकेगे और अपना काम जारी रख सकेगे। और जब आप भारत लौटेगे उस समय यदि मै मुक्त रहा और एक स्थानपर रहा तो आप निश्चय ही मेरे साथ रहेगे। मुझे आपकी पुस्तक मिल गई है और मुझे यह कहते हुए दु ख होता है कि आपकी उक्त पुस्तक मेरे लिए अत्यन्त दुर्बोध है।

प्रोफसर तान युन शान
शान्तिनिकेतन

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

७ पत्र महेश चरण मोवारको

१७ सितम्बर, १९३८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मेरे कथनकी सत्यताका पहेलियो द्वारा, जिन्हे सन्तापजनक ढगसे सुलझाया नही जा सकता, प्रमाणित नही किया जा सकता। उसका प्रमाण तो इस बातसे ही देखा जा सकता है कि विधनाकी इस असहाय सृष्टिमे केवल प्रभुकी इच्छा ही सर्वोपरि है, मेरे मन कुछ और है विधनाके कुछ और। हमारी अच्छी से-अच्छी योजनाएँ पलक झपकते ही धरी रह जाती हैं।

हृदयसे आपका,

श्री महेश चरण मोवार, बी० ए०, एल एल० बी०
वकील, मैनपुरी (यू० पी०)

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

८ पत्र एल० जी० खरेको

१७ सितम्बर, १९३८

प्रिय खरे,

यदि आप ग्रामोद्योगोकी भरोसे लायक निर्देशिका तैयार करनेमे सफल हो जाते हैं और उसकी कीमत एक आना रखते हैं तो ऐसा करके आप शत प्रतिशत स्वदेशी के उद्देश्यकी सहायता करेगे और जो स्वदेशीकी सेवा करना चाहते हैं उनके लिए वरदान रूप सिद्ध होगे। आप एक आकुल आवश्यकताकी पूर्ति करेगे।

श्री एल० जी० खरे
सम्पादक 'स्वदेशी'
अखिल भारतीय स्वदेशी सघ
स्वदेशी मार्केट, बम्बई—२

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

९ पत्र सतीशचन्द्र दासगुप्तको

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय सतीशबाबू

मै आपको दारुल अमनसे मिला एक पत्र भेज रहा हूँ। इस पत्रके साथ मेरे उत्तरकी एक प्रति[1] भी सलग्न हे। क्या आपको इस सस्थाके बारेमे काई जानकारी हे?

मैंने आपकी स्याहीसे लिखना शुरू कर दिया हे। मुझे यह सतोष देती जान पडती हे, लेकिन मुझे इसका ओर अनुभव प्राप्त करना होगा। तथापि, महादेव इसकी बहुत सूक्ष्म जाच कर रहे है।

आशा है, अब आपको सतकौडी बाबूसे किताबे और कागजात मिल गये होगे।

सलग्न १

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त
कलकत्ता

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारलाल

१० एक पत्र

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र[2],

मुझे आपके पुत्रका एक करुणाजनक पत्र मिला है और उसने मुझे बताया है कि जबतक स्वराज्य नही मिल जाता, तबतक आप भारत आनेके लिए तैयार नही है। कोई नही जानता कि स्वराज्य क्या है। यदि यह वतमान शासकोसे सत्ता छीनना मात्र है तो कमसे-कम मै ऐसा स्वराज्य पाकर सतुष्ट नही होऊँगा। लेकिन जब काग्रेसने १९२० के सविधानको[3] और उसके बलसे निर्धारित नीतिको स्वीकार किया तब एक अर्थमे स्वराज्यकी स्थापना हो गई थी। इसलिए मै जरूर यह आशा करता हूँ कि अपनी पत्नी और पुत्रकी खातिर आप जितनी जल्दी हो सकेगा

१ उपलब्ध नहीं है।
२ विद्या प्रकाशके पिता, देखिए अगला शीषक।
३ देखिए खण्ड १९, पृ० १९४ २०२।

उतनी जल्दी भारत आयेंगे और स्वराज्यकी योजनाके अनुरूप उनके प्रति अपना कर्त्तव्य निभायेंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

११. पत्र : विद्या प्रकाशको

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

मुझे आपका २५ तारीखका पत्र मिला। मुझे आपके पिछले पत्रकी अच्छी तरह से याद है। लेकिन मेरा यह खयाल था कि मैंने आपके पत्रका उत्तर दे दिया है और उस पत्रके साथ आपके पिताके लिए भी एक पत्र लिखा है। बहुत सम्भव है कि मेरे तूफानी दौरे[1] के दौरान लिखे गये पत्रोंकी तरह यह पत्र भी इधर-उधर हो गया है। यह रहा आपके पिताको लिखा पत्र।[2] आप यह पत्र उन्हें भेज देना। मैं माने लेता हूँ कि आप पत्रको गोपनीय रखेंगे।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्री विद्या प्रकाश
लाठ बिल्डिंग्स
ऋषिनगर, लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. हरिजन-यात्रा जो ७ नवम्बर, १९३३ को आरम्भ होकर २ अगस्त, १९३४ को समाप्त हुई थी।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

१२ पत्र लालचन्द नवलरायको

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। विभिन्न प्रातोसे हरिजन-कोषके लिए जो धन एकत्र किया जाता है, उसका हम इस तरहसे खच करते हैं विभिन्न प्रात मजूरीके लिए केन्द्रीय बोड[1] के पास अपनी योजनाएँ भेजते हैं और जब आवश्यक समझा जाता है तब केन्द्रीय बोड इन योजनाओको मेरे पास भेजता है। इसलिए आपको अपने प्रस्तावके ठोस होनेके बारेमे प्रातीय बोडको विश्वास दिलाना होगा और आपको बोडको यह भी दिखाना होगा कि स्थानीय बोडके पास जितना ान है, उतनेमे से आपकी योजनाको क्रियान्वित किया जा सकता है और इससे उनके कार्योमे विघ्न भी नही पडेगा।

हृदयसे आपका,

श्री लालचन्द नवलराय, एम० एल० ए०
एडवोकेट, लरकाना (सिन्ध)

अग्रेजी प्रतिमे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१३ पत्र एफ० मेरी बारको

१७ सितम्बर, १९३४

चि० मेरी[1],

तुम्हारा पत्र मिला। राजभोजने अपने पत्रमे 'ब्राह्मण' शब्दका इस्तेमाल गैर-हरिजन हिन्दुओके लिए किया है। बोडमे विशुद्ध रूपसे ब्राह्मण सदस्य नही है, इसमे गैर-ब्राह्मण भी है। तथापि, तुम्हे याद रखना चाहिए कि बोडमे केवल कायकर्त्ताजन है और ऐसे लोग नही है जो ख्याति अथवा सस्ते किस्मके यशके भूखे हो। सुननेमे यह बात जरूर अजीब लगेगी, लेकिन यदि यह सच है कि अस्पश्यताके विरुद्ध हमारी इस लडाईकी प्रगतिमे ब्राह्मण लोग बाधा रूप हैं तो यह भी सच है कि त्यागकी भावना

आज भी सबसे ज्यादा ब्राह्मणोमे ही पाई जाती है। लेकिन कोई भी स्थानिक संस्था पूर्णतया ब्राह्मणोकी नही है।

तुम्हारी दूसरी आपत्तिके सम्बन्धमे, तुम्हे यह जानकर खुशी होगी कि ऐसा एक भी हरिजन बोर्ड नही है जिसमे कमसे-कम एक भी हरिजन न हो और कुछ संस्थाओमे तो बहुत सारे हरिजन है। भारतमे सैकडो हरिजन बोर्ड है जो केन्द्रीय बोर्डसे सम्बद्ध है। इसका मुझे कोई श्रेय नही है। यदि मैं इसमे कुछ कर सकता तो मैं इन सारे बोर्डोको केवल गैर-हरिजनोतक ही सीमित रखता। "पश्चात्ताप करनेवाले लोगो" के स्थान पर 'कर्जदार' शब्द पढो।[1] आज हरिजनोका स्थान ऋण-दाताओका है। क्या तुमने कभी कर्जदारोके किसी ऐसे बोर्डके बारेमे सुना है जिसमे एक-आध ऋणदाता भी हो? केवल कर्जदार लोग ही जानते है कि उन्हे अपने कर्त्तव्यका कैसे पालन करना है। कर्जदार जो भुगतान करेगे उसके लिए प्रमाणपत्र देनेका निर्णय ऋणदाता ही करेगे। लेकिन वे कर्जदारोकी बैठकोको लेकर तनिक भी परेशान नही होगे। वे अपनी बैठकोका आयोजन करेगे, उनके अपने सलाहकार होगे आदि आदि। मैंने हरिजनोसे कहा है कि वे अपने सलाहकार बोर्ड बनाये जिनका प्रतिरोध नही किया जा सकेगा। और यदि उनमे संगठन और एकता हुई तो वे चाहे जो काम करवा सकते है। और यदि तुम हर हफ्तेके 'हरिजन' को ध्यानपूर्वक पढ रही हो तो मैने जो कहा है, उसका अर्थ निस्सन्देह तुम्हारी समझमे आ जायेगा। धन-वितरणके रूपमे आश्चर्यजनक काम किया गया है। हरिजन बोर्ड ऐसी संस्थाएँ है जिनका उद्देश्य बिना कोई शोरगुल किये तेजीके साथ अपना काम करना है। वे कोई बहस मुबाहसा करनेवाली संस्थाएँ नही है। उनके रूपको बदलना उन्हे समय तथा शक्तिका अपव्यय करने तथा केवल बहस मुबाहसा करनेवाली संस्थाओमे बदलना होगा, जबकि मैं इन संस्थाओको पूर्णत हरिजनोकी भलाईके लिए बनाये रखना चाहता हूँ। और तब, केवल तब ही 'तुम' और 'हम' की भावना नही होगी, बल्कि सभीमे केवल 'हम' की भावना पैदा हो सकेगी।

तुमने अपने पत्रमे प्रार्थना सम्बन्धी अपने सुझावको फिर दोहराया है। मुझे यह सुझाव उचित नही जान पडता। इस दिशामे हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सके है कि हमारे यहाँ प्रार्थनामे मुस्लिम कलमे अथवा भजन और ईसाई भजन भी है। तुम्हे कदाचित् मालूम हो कि हर शुक्रवारको हमारे यहा "लीड काइण्डली लाइट" के अनुवादका पाठ होता है और हर गुरुवारको अत्यन्त प्रसिद्ध मुस्लिम भजन गाया जाता है। 'आश्रम भजनावली'[2] मे कुछ भजन मुस्लिम सूत्रोसे लिये गये है और तुम्हे उसमें ईसाई भजनोका भी एक संग्रह देखनेको मिलेगा। लेकिन इन्हे रोजकी प्रार्थनामे शामिल करना न केवल पाखण्डपूर्ण ही होगा, बल्कि इन भजनोको पूर्णत यन्त्रवत बनाना होगा। लेकिन यदि विभिन्न आश्रमोमे हमारे यहाँ मुसलमानो और ईसाइयोकी ज्यादा संख्या होती है तो स्थिति भिन्न होगी। और यदि हमारे यहाँ कोई ऐसा आश्रम

१ देखिए खण्ड ५८, "पत्र पी० एन० राजभोजको", ३१-८-१९३४।

२ देखिए खण्ड ४४।

हो जिसमे रहनेवाले लोग मुख्यत मुसलमान अथवा ईसाई हो तो स्वाभाविक है कि वहाँ आम तौरपर केवल ईसाई-धर्म अथवा इस्लाम धर्मकी प्रार्थना होती हो। मैं तुम्हे जो बात बतानेकी कोशिश कर रहा हूँ, वह यह है कि आश्रम कोई ब्रह्म-ज्ञान सम्बन्धी सस्थाएँ नही है, बल्कि वे ऐसी सस्थाएँ है जहाँ सब धर्मोंके प्रति समान रूपसे आदर भाव है। इसलिए मै चाहूँगा कि जिन आश्रमोमे मुख्यत हिन्दू लोग रहते हो उनमे गैर हिन्दुओके दिलोमे हिन्दू धर्मके प्रति समान रूपसे आदर भाव हो। आश्रमके लोग समानता और आन्तरिक विकासके आदर्शको ईमानदारीके साथ प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहे है, फिर चाहे वे इसमे सदा असफल होते रहे।

सप्रेम,

बापू

कुमारी मेरी बार
खेडी सावलीगढ
जिला बैतूल

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० ६०२९) से। सी० डब्ल्यू० ३३५८ से भी, सौजन्य एफ० मेरी बार

१४ पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको

१७ सितम्बर, १९३४

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्र मिल गये थे। एन्ड्रयूजके साथ विस्तृत चर्चा हुई है। सोराबजी[1] वाला मामला तो चलता ही रहेगा, परन्तु एजेटपर कोई आक्षेप न हो तो अच्छा। उसे व्यक्तिगत पत्र लिखे जाये, यह अधिक ठीक होगा। उसपर आक्षेप करनेसे तो केवल अपना गुस्सा ही निकालना हुआ, इससे अधिक कोई मतलब हल नही होगा, ऐसा मुझे यहाँ बैठे-बैठे लगा है। एन्ड्रयूजको तेरा सारा काम ठीक लगा है। केवल एजेटपर जो तेरा आक्षेप है वह नही जँचा। श्लेसिन[2] को भी नही जँचा।

तू कान्तिको[3] भेजनेकी बात लिखती है, लेकिन वह नही आयेगा। उसे तो बहुत अभ्यास करना है।

मेरा ख्याल है कि रामदासको पर्मिटकी जरूरत पडेगी। तुझे शक है कि पैदायशी कोलोनियल लोगोका हक भी छीन लिया गया है। रामदासका अभी तो सब-कुछ

१ पारसी रुस्तमजीके पुत्र।
२ सो जा श्लेसिन।
३ हरिलाल गाधीके पुत्र।

अनिर्णीत ही है, अभी तो वह श्री कार्ड साबरमती गया है। वहाँ उसे जोरका बुखार हो आया था। लेकिन फिर उतर गया है। वह रानु[1] का साथ लेकर गया है। क्योंकि वहां उसे अच्छा सत्संग मिल गया है इसलिए वह प्रसन्न है। कांति तो ठेठ त्रावणकोर चला गया है। वहांपर हरिजन सेवा करता हुआ अपना अध्ययन भी जारी रखेगा।

मेरी योजनाएं भी अधरमें लटक रही हैं। अभी तो निकट भविष्यमें कांग्रेससे अलग नहीं हो सकूंगा। देखें, अक्टूबरमें क्या होता है। उसके बाद मेरा कर्तव्य मुझे कहां ले जायेगा, यह नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार मेरा सब कुछ अनिश्चित ही समझो। परन्तु इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है। जिसने अपना सब कुछ कृष्णार्पण कर दिया है उसके लिए तो अनिश्चितताम ही निश्चितता है। ऐसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ। इसीलिए मुझे चिन्ता तो कभी व्याप्त नहीं होती। जहाँ जीनेकी ही प्रतिक्षण अनिश्चितता हो वहाँ और अनिश्चितताओंकी और क्या चिन्ता हो सकती है?

जालभाई[2] मिल गये। उसके सेठका तो सब कुछ बर्बाद हुआ जान पड़ता है। यह कैसे हो गया?

अभी किशोरलालभाई[3] और गोमतीबहन[4] तो यहीं है, वसुमतीबहन तो हैं ही।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मेरी दृष्टिस सीता[5] को जो शिक्षा दी जाती है, वह ठीक है, पर यदि उसे यहां भेज दो तो व्यवस्था तो कर ही दूंगा।

बापू

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ८८२६) से।

१५. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

१७ सितम्बर, १९३४

चि० शान्तिकुमार,

तुम्हारा पत्र मिला। आशा है, तुम रोगसे बिलकुल मुक्त हो गये होगे।

सारी चीज तुमने बहुत अच्छी तरह हल कर ली।

गाड़ी अपनी स्वाभाविक गतिसे चले, यही ठीक है। अब तो यही कहा जायेगा न कि जमाना मोटरका नहीं, हवाई जहाजका है? लेकिन यह भाग-दौड़ क्षणिक है।

१. नारणदास गांधीके पुत्र।
२. जाल खम्भाता।
३ और ४. किशोरलाल मशरूवाला और उनकी पत्नी।
५. मणिलाल गांधीकी पुत्री।

हमारे पाव तो जबतक मनुष्य-जातिका अस्तित्व हे तबतक रहेगे ही। इनकी गतिसे जिन्हे सतोष हे, उन्हे ही जीता समझना।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत शान्तिकुमार नरोत्तम मोरारजी
सुदामा हाउस
बलार्ड एस्टेट
बम्बई

गुजरातीकी फोटो नकल (सी० डब्ल्यू० ४७२४) से, सौजन्य शान्तिकुमार मोरारजी

१६ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

१७ सितम्बर, १९३४

चि० ब्रजकिसन,

तुमारा खत मिला है। दामोदरदाससे मिलने पर क्या होता है देखा जायगा। तबतक मेरा वहेम तो कायम ही रहेगा। न दामोदरदास को न्याय मिलता है न सतोकादिको[1]। अब तुमारे पर आ पडी है। तुमने ही दामोदरदासको नहिं समजा है ऐसा वह कहते हैं। लेकिन तुमारे बारेमे मैं निश्चित हू। तुमारे बारेमे मेरा डर और किसमका है। पैसेका अबतक ख्याल तक नहि आया है। एक तरफसे त्याग किया है लेकिन मन तो धनवान हे, परिग्रही है। जो चीज मनसे नहिं बनती है वह शरीरसे की गई तो भी उसकी कोई किम्मत नहि है।

तुमारा शरीर वहा तो अच्छा रहना चाहिये। प्रभा[2] पटना गई है। शायद शुक्रवारको वापिस आवे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० २४२४) से।

१ सतोक, मगनलाल गाधीकी विधवा पत्नी।
२ प्रभावती, जयप्रकाश नारायणकी पत्नी।

१७ पत्र हीरालाल शर्माको

१७ सितम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा हिंदी खत आज मिला। इग्रेजी कल मिलना चाहिये। मैं तो तुमारे सब खत बराबर पढ लेता हू।

रामदास ही यदि तुमसे मुक्ति चाहता है तब तो मुझे कहना नहि होगा। तब तुमारे यहा आ जाना है। मै कुछ समझ नहि सकता हू, क्या हो रहा है। बा क्या करती है, कहती है। सुरेन्द्र वहा है यह बहुत अच्छी बात है। कैसे भी हो तुमारे अपनी शान्ति नहि खोना। तुमने रामदासके लिये जो कष्ट उठाया है सो मेरे ध्यानके बाहर कभी नहि रहा है। और अतमे तुमारा मेरे पास आना कुछ रामदासके लिये नहि हुआ है। यह तो नैसर्गिक उपायाके कारण ही है। इस लिये इस बारेमे जो कुछ है वह ता करनेका बाकी है ही। जब मिलेगे तब बाते करेगे।

तुमारा खत वापिस करता हूँ, जमनालालजीका नहि। उसे फाड डालता हू।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

जमनालालजीका खत भी भेजता हूँ। शायद यही तुम्हारी फाइल कापी है।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ९७ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

१८ पत्र एस० अम्बुजम्मालको

१७ सितम्बर, १९३४

चि० अम्बुजम[1],

तुमारा खत मिला है। मैंने एक या दो खत तो अवश्य लिखे है। मेरा खत एक भी न मिले ऐसे तो नहि होना चाहिये।

शर्माके व्याधिके बारेमें गोमतीने कुछ नहि लिखा है लेकिन सत्य नारायणका काकाके पर खत था उससे पता चला था। अब तो बिलकुल ठीक हो गया होगा।

रामायणके बारेमे तुमने लिखा है सो यथार्थ है।

१ श्रीनिवास अय्यगारकी पुत्री।

यहि वर्धामें थोडे दिनके लिये भी आ सकती है तो अच्छा ही होगा।

काग्रेसमे तो ठीक हे। उस वखत तो मैं किसीके सामने भी नहि देख सकता हू। रामदास ठीक हे। आज कल तो बाके साथ साबरमतीमे ही रहेगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो नकल (सी० डब्ल्यू० (९५९७) से, सौजन्य एस० अम्बुजम्माल

१९ पत्र बनारसीदास चतुर्वेदीको

१८ सितम्बर, १९३४

भाई बनारसीदास,

कोई और चीज ढुढ रहा था वह मिली और तुमारा २१ जुलाईका पत्र भी देखनेमे आया। यह पत्र तो यात्रामे ही मिल सकता था। मने पढ भी लिया था। उत्तर देनेके लिये खास जगह रखा तो उत्तर ही रह गया।

उमेद है कि अभी भी उत्तर समयके बाहर नहि हो गया है। जब दिल चाहे आ जाइये जितने दिन ठहरना हे ठेरीये। तुमारा विरोध मुझे प्रिय लगता है। यह तुमको आनेसे रोकनेका कभी कारण नहि हो सकता था न हो सकता है।

आनेका दिन बता देना। मतलब मैं यह समझता हू कि मेरे निकट रहना है, मेरा समय ज्यादा नहि लेना है। समय तो मेरे पास कम ही रहता है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० २५१५) से।

२० पत्र पुरुषोत्तम ग० पानसेको

१८ सितम्बर, १९३४

चि० भाउ,

रेटीया बारस[1] नाम मुझे प्रिय है। घर-घर यदि यह इस युगका सुदशन चक्र चले तो कम से कम प्रयत्नसे कगालियत और बेकारीको हम दूर कर सकते है। यह बात तब ही बन सकेगी जब प्रत्येक देहाती कातेगे और उसी सूत से जो खादी बने उसीके कपडे पहनेगे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६७५३) से। सी० डब्ल्य० ४४९६ से भी, सौजन्य पुरुषोत्तम गगाधर पानसे

१ गुजराती तिथिके अनुसार गाधीजीका ज मदिन कताई दिवसके रूपमें मनाया जाता था।

२१ पत्र राजेन्द्रप्रसादको

१८ सितम्बर, १९३४

भाई राजेन्द्रप्रसाद,

तुमारे तारका उत्तर महादेवके माफत भेज दिया सो प्रभावतीने दिया होगा। बाद मे तुमारा खत भी मिला। पहले खतका उत्तर मने किसी के माफत भेजा अथवा रह गया। कुछ स्मरण नही रहा है। आजकल कामकी भीड काफी रहती है। आराम की दरकार भी रहती है। अबदुल गफार खाको प्रमुख पद इस वखत देना कुछ उचित प्रतीत नही होता है। वे अच्छे है, देश प्रेम उनमे है, सच्चे है, त्यागी है। लेकिन काग्रेसका अनुभव बहुत कम है। और इस वखतका अधिवेशन बडी जिम्मेदारीका है। तुम, राजगोपालाचारी और जेरामदासके सिवा और कोई मेरी नजरमे नही है जो सत्य और अहिसाके पुजारी है। और उनको लोग पसद करे ऐसे है। लेकिन आज इन दोनोमे से किसीका चुनाव अब नही हो सकता इसलिए तुमारा नाम ही रह जाता है। और भूकम्पके कामके कारण और कोई चारा ही नही है। कौटुबिक व्याधि हे। आर्थिक प्रश्न है। लेकिन तुमारे लिये कुटब कहा है? अथवा कुटुब लोगका अेक अश होनेके कारण जितनी सेवा सम्भव है उतनी ही हो सकती हे। आर्थिक प्रश्न करीब करीब हल हो गया हे। जमनालालजी अब भी मुबईमे है। लेकिन इसकी कुछ चिता नही है।

जितनी जलदी यहाँ आ सकते है आ जाओ। कुछ अधिक दिन रह सकते है तो अधिक समय लेकर आना। जितने दिन मिले सो काफी मान लूगा। तारीख ठीक नियत होगी तो मै सरदारको भी बुलानेकी कोशिश करूगा। मुबई तो हरगीज, २० अक्तूबरके पहले जा ही नही सकते हो। खान भाई इस अरसेमे यही होगे। और किसीकी हाजरीकी आवश्यकता होगी तो उनको भी बुला लेगे।

मेरा निवेदन[1] अखबारोमे देखा होगा। प्रभावती जयप्रकाशका समबध स्पष्ट होनेकी आवश्यकता रहती है। वर्धामे सेवा करनेका प्रबध हो चुका है। लेकिन जयप्रकाशका तार मेरे पर आनेसे भेज दी है। तुमसे और बजकिशोर बाबू[2] से बात करनेका मैंने प्रभासे कहा तो है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी प्रति (सी० डब्ल्यु० ९७३२) से सौजन्य राजेन्द्रप्रसाद

१ १७ सितम्बरका।
२ प्रभावतीके पिता।

२२ पत्र शामलालको

१९ सितम्बर, १९३४

प्रिय लाला शामलाल,

आपका पत्र मिला। मुझे खुशी है कि आपके सामने ऐसा सुन्दर भविष्य है। ऐसे समयमे मैं आपको अवकाश ग्रहणके लिए कहूँगा, इसका सवाल ही पैदा नही होता। यह बात तो केवल उन्ही स्थानोपर लागू होती है जहा सफलताका कोई अवसर दिखाई नही देता। बहरहाल ये चीजे मेरे द्वारा नियमित नही होती हैं। इनका नियमन तो ससदीय बोर्ड करता है। इसलिए आप यह न समझे कि मैं आपसे एकाएक अवकाश ग्रहण करनेके लिए कहूँगा। बापूजी अणेके साथ मेरी आगामी बातचीतको लेकर भी आप परेशान न हो।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

लाला शामलाल
एड्वोकेट, रोहतक (पजाब)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स सौजन्य प्यारेलाल

२३ पत्र एमा हारकरको

१९ सितम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

आपका मर्मस्पर्शी पत्र मिला। यदि पियरे सेरेसोल[2] अपने पूरे दल सहित यूरोप से यहा आते है तो मैं निश्चय ही यह चाहूँगा कि आप भी उनके साथ आये। अन्यथा मुझे आपका कही और जानेका विचार पसन्द नही है क्योकि आपसे गरीबीका जीवन व्यतीत करनेकी अपेक्षा करना एक क्रूर बात है और यदि मैं आपको ऐसे स्थानमे रखता हूँ, जहा बजाये इसके कि आप लोगोका ध्यान रखे, लोगोको ही आपका अधिक ध्यान रखना पडे, तो यह उन लोगोके प्रति अन्याय करना होगा। आप नही जानती कि बिहार अथवा उडीसाके गावोमे अथवा बाढग्रस्त क्षेत्रोके किसी भी इलाकेमे

१ देखिए "गाधी अणे वक्तव्य", २०-९-१९३४।
२ एक स्विट्जरलैंड अधिवासी जिन्होने इंटरनेशनल सर्विस का स्थापना की थी।

राहत कार्यमें किन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। और शहरोंमें तो कोई मददकी जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरा तो यह विचार है कि अगर सेरेस्लोल नहीं आते तो आपको कराचीमें रहकर ही कुछ सेवाकार्य करना चाहिए। बेशक, इसमें जमशेद मेहता आसानीसे आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीमती एमा हारकर
४७, कार्लटन होटल
कराची

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२४. पत्र : माटिल्डा बी० कैलनको

१९ सितम्बर, १९३४

प्रिय मैटी,

मैं आज श्यामजीभाईके साथ तुम्हारे बारेमें बातचीत कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारे बारेमें कुछ-न-कुछ जरूर किया जायेगा। लेकिन उनका एक सवाल है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ईसाई होते हुए भी क्या तुम हरिजन लड़के और लड़कियोंका भार उठाना चाहोगी और उनके दिलोंमें हिन्दू-धर्मके प्रति सम्मानभाव जाग्रत कर सकोगी और उन्हें हिन्दू धर्मके सिद्धान्तोंकी शिक्षा दोगी तथा उन्हें बताओगी कि ये सिद्धान्त उतने ही अच्छे हैं जितने कि ईसाई धर्मके। मैंने उनसे निःसंकोच भावसे यह कहा है कि तुम बहुत उदार हो और यह कि तुम्हारी कल्पनाके ईसाई-धर्ममें अन्य सभी महान धर्मोंका समावेश है। क्या मैंने ठीक नहीं कहा? हालांकि मैंने तुम्हें लम्बे अरसेसे पत्र नहीं लिखा है, मेरा खयाल है कि तुम यह महसूस करोगी कि मैं तुम्हारे बारेमें निष्क्रिय नहीं हूँ।

सप्रेम,

बापू

श्री एम० बी० कैलन
नेत्तूर, तेल्लीचेरी
उत्तरी मलाबार

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२५ पत्र पद्माको

१९ सितम्बर, १९३४

चि० पद्मा[१],

तेरा पत्र मिल गया। ऐसे रगीन कागज मैने तेरे लिए ही इकटठे किये है। तेरे जैसी ही दूसरी लडकी दुर्गा[२] है उसके लिए भी ऐसे कागज एकत्र किया करता हूँ। मुझे स्मरण नही होता कि मैने तेरे एक भी पत्रका जवाब न दिया हो।

तुझे यह जानकर आश्चय होगा कि आजकल तो यहा की लडकियोके साथ भी बातचीतका अवसर शायद ही बन पडता है और तेरे जैसी दूर बैठी हुई लडकी कमसे कम पत्र तो पा जाती है। यहा वाली तो बिचारी पत्र भी नही पा सकती। क्या अब भी तुझे उनसे ईर्ष्या होती है?

यदि तेरा मगनचरखा बिगड गया है तो तू उसे सुधरवा क्यो नही लेती? क्या बिगडा है? पूनिया वहा क्यो नही तैयार हो सकती?

प्राथना भी नियमित रूपसे होनी ही चाहिए।

यदि हमारे खेतोमे ढोर आते हो तो उनके मालिकोको सूचित करना चाहिए और जो नुकसान हो गया हो, उसकी भरपाईके लिए उनसे विनयपूवक कहा जाना चाहिए। वे यदि न माने और पशु फिर भी आये तो उन्हे काजी हाउसमे अवश्य ही बन्द करवा देना चाहिए। यदि ऐसा करनेमे हिसाका दोष लगता हो तो हमे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका यदि कोई अथ निकालना चाहे तो यो निकाले, "उसका अपना कुछ है ही नही" अत अपने स्वाथके लिए किसीके ढोरोको काजी हाउसमे बन्द करवानेकी उसे आवश्यकता भी नही है।

जो पत्र व्यक्तिगत हो, उनपर 'व्यक्तिगत' शब्द लिख दिया जाये तो फिर उन्हे कोई नही पढेगा। लेकिन हम लोगोके पास गोपनीय हो ही क्या सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१४९) से। सी० डब्ल्यू० ३५०५ से भी, सौजन्य प्रभुदास गाधी

१ सीतला सहायकी पुत्री।

२ नेपालके दलबहादुर गिरि और कृष्णमैयादेवीकी पुत्री।

२६ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको

१९ सितम्बर, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

सूरजबहनके सम्बन्धमे आपका पत्र मिला। यह सारी दुखद घटना ही घटी। लेकिन यह दुख भी विस्मत हो सकेगा, ऐसी मै आशा करता हूँ। मै भाई चित्तलिया[1] को लिखता हूँ कि सूरजबहन अपना प्रसूति-गह उनके मकानमे ले जाये और वही सेवा-मन्दिर खोले। ऐसा हो चुकनेपर गोकुलभाईको चावी सौप दे।

जो पैसा गायब हुआ माना जाता है, उसके सम्बन्धमे समझ पाया।

साथका पत्र लक्ष्मीको दे दे।[2] देवदास तो आपपर अच्छा खासा बोझ डाल कर गया है।

बापू

गुजरातीकी फोटो नकल (एस० एन० २२७५७) से।

२७ पत्र हरिलाल गाधीको

१९ सितम्बर, १९३४

चि० हरिलाल,

तेरा पत्र मिला। तू जैसा लिखता है, यदि ऐसा ही परिवतन तुझमे हो गया है तो मेरी आशा सफल हुई, ऐसा मै मानता हूँ और मै तेरे भूतकालको एकदम भल जानेको तैयार हूँ।

[3] विवाहके सम्बन्धमे समझा। तझे यदि कोई साथी ही चाहिए और यदि वह पत्नी ही होनी चाहिए तो यदि तू किसी योग्य विधवाकी तलाश कर ले तो इसमे मै बिलकुल दोष नही मानूगा। एक साठ वषकी विधवाने लगभग इसी उम्रके पुरुषसे शादी की थी। मै उसे जानता था। ऐसा करनेमे उसका हेतु

१ करसनदास चित्तलिया।

२ देखिए "पत्र लक्ष्मी गाधीको", १९९१९३४।

३ मूलमें छूटा हुआ है।

केवल सहवासका ही था, लेकिन इस समय तो ऐसा विचार करनेकी कदाचित आवश्यकता ही नही है।

हरिलाल गाधी
पोरबन्दर

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

२८ पत्र आनन्दशकर बा० ध्रुवको[1]

१९ सितम्बर, १९३४

भाईश्री,

ईश्वरने आपको और मुझे भयसे उबार लिया है। [2] की सिफारिश मैने ही आपसे की थी। आठ नौ वषतक हम उसे साधु पुरुष मानते रहे। साधारण रूपसे वह किसीसे बातचीत नही करता था, लेकिन वह तो एक विषयासक्त और कपटी मनुष्य सिद्ध हुआ। उसने एकाएक ही आसन छोड दिया है। मै तो कदाचित ही किसी की सिफारिश करता हूँ। जैसा मनुष्य भी ऐसा खोटा निकले तो फिर किसकी सिफारिश की जाये?

मोहनदासके वन्देमातरम्

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ (१८६९ १९४२), सस्कृत और गुजरातीके विद्वान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रो० वाइस चासलर।

२ नाम नही दिया गया है।

२९ पत्र बलवन्तराय प्रमोदराय ठाकुरको

१९ सितम्बर, १९३४

भाई बलुभाई,

यदि कानन ही आड़े आता होगा तो जो नुक्ताचीनी होगी, उसे हम सहन करेंगे। मेरा आशय तो यही है कि ट्रस्टीको ऐसा दान[1] करनेका अधिकार था। यदि उस जमानेका विचार किया जाये तो इस दानसे विद्यापीठको हानि नही बल्कि लाभ ही माना जा सकता है और ऐसा दान करनेका अधिकार ट्रस्ट मात्रके आदश मे निहित होता है, पर यह तो साधारण मनुष्यका अभिप्राय हुआ। सच्ची बात तो वही होगी जो एक कुशल वकील कहेगा।

बहीखाते निकालकर देनेकी बातपर भी मैंने किसीके समक्ष खेदका प्रश्न नही उठाया। प्रश्न केवल इतना ही था, और सो आज भी है कि जो-कुछ अनुचित हो, वह न किया जाये। कही भूल होती हो तो उसे सुधार लिया जाये, इसके अलावा मेरे लिखनेके पीछे कोई हेतु नही था। इसलिए इस बातको मनसे निकाल देना।

पुस्तकोकी नोंद करनेमे अथवा जीवनजीकी तरफसे उनकी यादी मिलनेमे विलम्ब होता हो तो मुझे लिखना। जबतक (पुस्तकालय) भवन तैयार नही हो जाता तबतक पुस्तकोका उपयोग किया जा सके, क्या ऐसी कोई व्यवस्था हम नही कर सकते?

बलुभाई
खाडिया
अहमदाबाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ आश्रम तथा विद्यापीठकी पुस्तकोका, जो अहमदाबादकी माणेकलाल जेठालाल म्युनिसिपल लायब्रेरीको दे दी गई थी, देखिए खण्ड ५६ पृ० १५६।

३० पत्र नारणदास गाधीको

१९ सितम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

इसके साथ हरिलालके पत्रकी एक नकल है, इसे पढना और उसपर विचार करना। मुझे यह पत्र अच्छा लगता हे। हरिलालमे यदि इतनी तब्दीली हो गई हो तो यह बडी बात मानी जायेगी। अब तुम विचार करके देखना। क्या उमे खादीका या हरिजनका काम दिया जा सकता है? उसे अपने पास बुला लो अथवा तुम स्वय पोरबन्दरका एक चक्कर लगाओ, जाच करके तुम्हे जो दिखे सो लिखो। हरिलालको मैंने पत्र दिया है कि वह तुम्हे लिखे। खादीका काम तो रामजीभाईसे मिलकर ही सौपा जा सकता है और हरिजनका काम जीवनलाल या नानालालको पूछकर। पर किसीपर दबाव तो न ही डाला जाये। मुझे तो इस समय कोई स्वतन्त्र प्रयोग करना अधिक अच्छा लगेगा, लेकिन इस सबका विचार तुम ही कर लेना।

उसकी आखो और दातोके सम्बन्धमे क्या करना आवश्यक है? क्या वहा कोई है, जो उसकी जाच कर सकता है? यदि ऐसा न हो तो अहमदाबादमे इनका इलाज किया जा सकता है। वहा तो आख और दात दोनोके इलाजकी सुविधा है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

पत्रोमे मेरा जो निवेदन प्रकाशित हुआ है, उसे पढकर यदि कुछ कहने योग्य हो तो कहना।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो-९ श्री नारणदास गाधीने, भाग २, प० १७१२। सी० डब्ल्यू० ८४से भी, सौजन्य नारणदास गाधी

३१ पत्र लक्ष्मी गाधीको

१९ सितम्बर, १९३४

चि० लक्ष्मी,

देवदासने तो तुमको छोड ही दी, लेकिन ठक्कर बापा जसे रक्षक मिले है। इसलिये वियोग दुख बहुत नहि लगता होगा।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी से, सौजन्य नारायण देसाई

३२ पत्र प्रेमाबहन कटकको

२० सितम्बर, १९३४

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। आज भी सुबहकी प्राथनासे पहले यह पत्र लिख रहा हूँ। यह तुझपर मेहरबानी करनेके लिए नही, परन्तु इतना ही बतानेके लिए है कि अब नियमानुसार प्रातकाल तीन बजे उठकर मै काममे लग जाता हूँ। दिनमे पत्र लिखनेकी फुरसत कम मिलती है। मुझे कोई जगाता नही और अलाम भी नही है। ज्यादातर यो ही उठ जाता हूँ। यहा[1] तो सोनेके लिए छत है। आसपास अम्तुस्सलाम, वसुमती, अमला[2], बा हो तब बा, ओम, और प्रभावती सोती है।

तू अपना काम बढाती जा रही दीखती है। थोडा परन्तु खूब पक्का काम करनेकी मेरी सिफारिश है। गावोके काममे अधीरता काम नही देती। 'हरिजन' या 'हरिजनबन्धु' या दोनो नियमपूवक पढना। उनमे इस समय दूसरे विषयोकी चर्चा होती है।

रामदासकी देखभाल करनेके लिए बा के साबरमती जानेकी बात लिख चुका हूँ न?

'गीताई'[3] की प्रति चाहिए तो भेजू। मेरे वक्तव्य परसे जो विचार आये, वे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६०) से। सी० डब्ल्यू० ६७९९ से भी, सौजन्य प्रेमाबहन कटक

१ तब गाधीजो मगनवाडीमें रहते थे।

२ जमन महिला मार्गरेट स्पीगल।

३ विनोबा कृत **गीता** का समश्लोकी मराठी अनुवाद।

३३ पत्र वामन जी० जोशीको

२० सितम्बर, १९३४

प्रिय वामनराव[१],

आपका पत्र मिला।

तकमे उतरे बिना मै आपके प्रश्नोके उत्तर देता हूँ।

१ जब कोई व्यक्ति आदतन खादीके बने वस्त्र पहनता है तो उसे इसका आदी कहा जायेगा। इसलिए यदि वह किसी उचित कारणसे किन्ही अवसरोपर खादी नही पहन सकता तो उसके बारेमे यह नही कहा जा सकता कि अब वह खादीका आदी नही रहा।

२ लेकिन यदि कोई व्यक्ति काग्रेसके समारोहोमे खादीके वस्त्र पहनकर नही आता तो उसे खादीके वस्त्रोका आदी नही कहा जायेगा।

३ आदतन खादीके वस्त्र पहननेसे हमारा अभिप्राय सिरसे लेकर परतक हाथकी कती और बुनी हुई खादीके वस्त्र पहनना है।

४ जब अध्यक्षका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है अथवा जब काग्रेसकी बैठकके अध्यक्षको स्वय यह मालूम हो कि अमुक मतदाता अथवा उम्मीदवार उक्त बैठकमे खादी नही पहने है तो व्यक्तिके प्रतिवाद करनेके बावजूद अध्यक्ष यह निणय देगा कि वह व्यक्ति खादी पहननेका आदी नही है।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ वामन गोपाल जोशी उर्फ वीर वामनराव मराठी नाटककार तथा बरार प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष।

३४ पत्र के० श्रीनिवासनको

२० सितम्बर, १९३४

प्रिय श्रीनिवासन[१],

महादेवको लिखा आपका ८ तारीखका पत्र मिलनेके बादसे मेरी फाइलमे पडा हुआ हे। मुझे यह कहते हुए दुख होता हे कि आपका तक मुझे नही जँचता। यदि सूचना गोपनीय रही हो तो केवल इतना कहनेसे सम्पादक आलोचनासे मुक्त नही हो जाता कि उसे सूचना अत्यत विश्वस्त सूत्रोसे मिली हे, विशेष रूपसे तब जबकि सम्पादक उस उद्देश्यके पक्षमे हो जिसके बारेमे यह सूचना हो। रगास्वामी[२] को काय ममितिके सदस्यो द्वारा विचार किये जानेवाले कई अत्यत महत्त्वपूण विषयोकी जानकारी होती थी। मुझे याद नही पडता कि उहोने कभी किसी बातको प्रकाशित करके और यह कहकर कि सूचना बिलकुल विश्वसनीय है, जबकि वह निश्चय ही विश्वसनीय हाती थी, इस विश्वासका अनुचित लाभ उठाया हो। सालीवती[३] को भी, जिहाने गम्भीर भूल की थी, रगास्वामीके समयमे मै अक्सर सूचनाएँ देता रहता था इसलिए वह बिलकुल विश्वसनीय हुआ करती थी। लेकिन जब उहे यह मालूम हो जाता था कि मै अमुक सूचनाको प्रकाशित नही होने देना चाहता तो वे इस नियमका पालन करते थे।

यदि मेरे लिए यह दुविधा की बात होती तो मुझे महादेवको आपको पत्र लिखनेके लिए नही कहना चाहिए था। वैसे ऐसी कोई बात थी नही। लेकिन आपके सूचनाको प्रकाशित करनेकी बातसे, उस सूचनाको जो अत्यत गोपनीय थी और वह ठीक भी नही थी, निश्चय ही सावजनिक उद्देश्यको क्षति पहुची हे। यदि आपने यह खतरनाक वक्तव्य[४] प्रकाशित न किया होता कि मेरे काग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेके विचारके मूलमे मालवीयजीके दलकी स्थापना है, तो मैने आपकी घोषणाकी ओर कोई ध्यान ही न दिया होता।[५]

मेरी कितनी इच्छा हे कि मै आपको इस बातका यकीन दिला सकता कि ऐसा करके आपने आचरणका अत्यत खतरनाक सिद्धात पेश किया है। आप कहते है कि, "इस हालतमे हमे एकमात्र चिता इस बातकी थी कि सूचना प्रामाणिक

१ हिन्दू के सम्पादक।
२ ए० रंगास्वामी अय्यगार, हिन्दू के भूतपूर्व सम्पादक।
३ एस० सालीवती, हिन्दू के सवाददाता।
४ देखिए खण्ड ५३, पृ० ८७ और १११२।
५ देखिए खण्ड ५८, पृ० ४२८९।

है अथवा नही"। मान लीजिए कि सरदारने काग्रेसकी ओर से कोई बडा कदम उठानेकी बात सोची हो जिसके समयसे पहले ही प्रकाशित होनेसे उसके उद्देश्यको हानि पहुँचती हो। और यह भी मान लीजिए कि 'हिदू' का एक बहुत चतुर सवाददाता लोगोके दिलोकी बात को पढ लेता हो और उसने सरदारके मनकी बात जान ली हो। समाचार प्रामाणिक तो अवश्य होगा। यदि आप अपनेको काग्रेसका शत्रु न मानते हो तो क्या आप उक्त प्रामाणिक सूचनाको प्रकाशित करनेकी अपनी कारवाईको न्यायोचित ठहरा सकते है? अपने बचावमे आप यह न कहिएगा कि आपने जो सूचना प्रकाशित की उससे ऐसे अनथकी कोई सम्भावना नही थी। मै तो आपको यह दिखानेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपने जो रुख अपनाया है वह कितना अयुक्तिपूण है। आप अपने बचावमे यह नही कह सकते कि आपने जो सूचना प्रकाशित की उसमे अधिक नुकसान नही हुआ। इसलिए आप कृपया इस विचारको अपने मनसे निकाल दे कि आपने मेरे प्रति कोई अपराध किया है। यह दुर्भाग्यकी बात है कि मै आपकी स्थितिको ठीक ठीक समझ नही सका हूँ। मेरा खयाल है कि आपके इस व्यवहारका बिलकुल समथन नही किया जा सकता बशर्ते कि आपका दष्टिकोण यह हो कि एक पत्रकार होनेके नाते आपको राष्ट्रसे कुछ लेना देना नही है, और आपका एकमात्र उद्देश्य समाचारोको इकट्ठा करना है—चाहे वे किसी तरह से ही क्यो न प्राप्त किये जाये और उससे चाहे किसीका नुकसान क्यो न होता हो, लेकिन जबतक यह समाचार पूणतया अथवा अशत प्रामाणिक है तबतक उसे प्रकाशित करनेमे कोई हज नही।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री के० श्रीनिवासन
मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३५ पत्र सन्तदास मघारामको

२० सितम्बर, १९३४

प्रिय सन्तदास,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे तुम्हारा तार भी मिला था। आत्माराम यदि यहा आता है और वह भी मीराबहनके साथ आता है तो उसकी बीमारी वरदान सिद्ध होगी। इसमे कोई सन्देह नही कि मीराबहनकी सगतिसे उसे बहुत लाभ होगा।

हा, प्राथनामे बहुत शक्ति है। हम इसे महसूस नही कर पाते, क्योकि हम इसे इन्द्रियो द्वारा नही देखते।

तुम्हारा,
बापू

श्री सन्तदास मघाराम
एडवोकेट, हैदराबाद (सिन्ध)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३६ पत्र अब्बास तैयबजीको

२० सितम्बर, १९३४

प्रिय भाई,

तुम्हारे पत्रसे जानमे जान आई। लेकिन इसके साथ ही मुझे एक नई बात भी मालूम हुई। तुम सब मक्कार हो और रेहाना तो तुम सबसे बडी मक्कार है। मै नही जानता था कि वह जो इतने लम्बे लम्बे पत्र लिख रही है सो केवल बहाना हे और मजाकके तौरपर लिख रही है, और एक भुरर न रहकर, तुम जो एक श्वेत दाढीवाले नौजवान हो, मुझे एक गम्भीर पत्र लिखते हो मानो सारा बगला आसुओसे आप्लावित हो उठा हो। अगली बार जब कभी वह मुझे लम्बी शिकायत लिखकर भेजेगी तब मै उससे अच्छी तरह निपट लगा। उसने अपने पत्रोमे तुम्हारी शरारतोके बारेमे जो लिखा है यदि उसे उतना ही लिखना होता तो जो पत्र उसने मुझे लिखा वह न लिख पाती। किसीकी पुत्री जब रहस्यवादी कवयित्री

हो जाती है तब ऐसा ही होता है। उम्मीद है, अखबारोंको दिये गये मेरे वक्तव्य[1] ने तुम्हें दिन भर व्यस्त रखा होगा। रेहानाका पत्र[2] इसके साथ नत्थी है।

तुम सबको सप्रेम,

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५९०) से।

३७. पत्र : अमृत कौरको

२० सितम्बर, १९३४

प्रिय बहन[3],

आपने दीनबन्धु सी० एफ० एन्ड्रयूज की मार्फत जो सुस्वादु सेब और किशमिश भेजे हैं उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर
शिमला वेस्ट

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५११) से, सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० ६३२० से भी।

३८. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

२० सितम्बर, १९३४

बा,

तेरी चिट्ठी कल मिली थी। अगर तू कानो[4]को रखना चाहती है तो फिर मैं उसे यहां बुलाकर क्या करूँगा? तू जरूर उसे वहीं रख ले। मैं तो तेरी और रामदासकी जिम्मेदारी कम करना चाहता था। सरिता[5] यहाँ है इसलिए नीमु[6] कानोकी देखरेख करनेके लिए उत्सुक थी। लगता है, रामदास का हाल इस समय

१. देखिए 'वक्तव्य : समाचारपत्रोंको', १७-९-१९३४।
२. पत्र उपलब्ध नहीं है।
३. साधन-सूत्रमें यहाँ 'महोदय' दिया गया है जो स्पष्टतः भूल है।
४ से ६. क्रमशः रामदास गांधीके पुत्र, सास और पत्नी।

तो ठीक ही है। वह खानेमे उतावली बिलकुल न करे। तेरे पास मच्छरदानी तो होगी ही। दिन किस तरह व्यतीत होते है? मै जो अखबारमे लिखता हूँ, वह किसीसे सुन लिया कर। सुमित्राकी[1] आखके लिए नीमु रोज अस्पताल जाती है। अमलाबहनको शातिनिकेतनमे नौकरी मिल गई है, इसलिए अब दो-चार दिनोमे वह वहा चली ही जायेगी। वहा वह शातिपूर्वक रहे तो सब ठीक हो जाये। कमला नेहरू बहुत बीमार है, उसे किसीसे पत्र लिखवा देना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २७

३९ पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

२० सितम्बर, १९३४

भाई परीक्षितलाल,

तुम्हारा पत्र मिला।

हरिजन जिस आश्रममे रहते हो और वहा उनसे कोई दोष बन पडे तब क्या किया जाये? इस प्रश्नका ऐसा उत्तर दिया जाना, जो हमेशा लागू किया जा सके, कठिन है। इसका निर्णय तो तुम्हीको करना होगा, या नरहरिके आ जानेपर वह करेगा। एक ओर तो क्षमावृत्तिका निर्वाह किया जाये और दूसरी ओर आश्रमकी रक्षा की जाये इनके बीचसे कोई मार्ग निकालना तो उस घटनापर अवलम्बित होगा जो घटित होगी। अनुभवके आधारपर जैसा कुछ तुम्हे सूझे, निर्भय होकर वही करना।

ऐसा कोई नियम न तो किसी सवर्ण हिंदूपर लागू हो सकता है और न आश्रममे रहनेवाले किसी जवाबदार हरिजनपर ही। और मेरा यह दृढ मत है कि आश्रमके सचालकोको तो क्षमा किया ही नही जा सकता। इन सचालकोमे यदि अनीतिका प्रवेश हो जाये तो हरिजन सस्थाएँ नष्ट हो जाये।

तुम्हारी जैसी अपेक्षा है वैसा सतोषप्रदायक उत्तर तो मै नही दे पा रहा हूँ। इसीमे से जो मार्गदर्शन मिल सके, ले लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०४०) से।

१ रामदास गांधीकी पुत्री।

४० पत्र प्रभाशकर पट्टणीको

२० सितम्बर, १९३४

सुज्ञ भाईश्री,

साथका काड पढ लीजिएगा। क्या इसमे किसी सत्यकी गुजाइश है?

आशा है, कुमार साहब[१] को आराम होगा।

बापूके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ५९३७) से। सी० डब्ल्यू० ३२५५ से भी, सौजन्य महेश पी० पट्टणी

४१ पत्र वल्लभभाई पटेलको

२० सितम्बर, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला।

इसके साथ मेरे द्वारा तैयार किये गये जवाबका मसौदा है। इसमे कोई फेरबदल करना चाहो तो कर लेना।

यह कैसा अधेर है कि बोडकी ओरसे ऐसा जवाब दिया जाये जिससे दुनीचन्दकी फजीहत होनेकी सम्भावना हो![२] यह ठीक ही है कि तुम जाच कर रहे हो।

× × ×[३]

मैने नरहरिके सम्बन्धमे तुम्हारे उदगार पढ। तुम्हारा सन्ताप ठीक है। परन्तु इस सबकी तहमे जानबूझकर कुछ किया गया हो, ऐसा नही है केवल गलतफहमी है। वह कुछ समय बाद दूर हो जायेगी, क्योकि मेरा दढ विश्वास हे कि किसीके मनमे कही कोई मलिनता नही है। मैने तो निश्चय किया है कि यदि काका समझ सके तो इस वैमनस्यको मिटानेकी खातिर भी उन्हे अभी गुजरात नही छोडना

१ भावनगरके।

२ देखिए पत्र वल्लभभाई पटेलको’ १६ ९ १९३४।

३ साधन सूत्रमें यहाँ कुछ छूटा हुआ है।

चाहिए। गुजरातमें बैठकर भले ही वे सारे हिंदुस्तानका शिक्षा-विभाग चलायें या कुछ भी करें।

तुम्हारे निकलनेकी बात ही नहीं है। और यदि मेरा मत तुम्हारे गले उतरा हो, तो अभी तो विद्यापीठकी व्यवस्था करनेका अर्थ इतना ही है कि जैसा निर्णय हो उसके अनुसार अलग अलग आदमियोंको रुपये देते रहें। विद्यापीठ तो जंगम रहेगा। सब अपना नियत काम करते रहेंगे। शिक्षाके बारेमें जो भी निर्णय होंगे, वे काका ही करेंगे अथवा जो शिक्षक-मंडल होगा, वह करेगा। मेरी राय यह है कि जो जहां जम जाये, उसे वहां स्वतन्त्र रूपसे अपनी जिम्मेदारी सँभालनी होगी। यदि कोई अपनी पसंदके आदमीसे कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो मित्रभावसे पूछ सकता है, ऐसी मेरी कल्पना है। इसपर मैंने काका, किशोरलाल और नरहरिके साथ खूब चर्चा की है। यदि तुम्हें यह बात पसंद आये, तो एक पत्र लिखकर इसका अमल कर डालो। बस, सारी समस्या हल हो जायेगी। वेतनके बारेमें काका और नरहरिने कुछ निर्णय तो किया है। उसमें मैंने दखल नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस झगड़ेका बोझ अपने दिमाग परसे बिलकुल उतार दो।

उम्मीद है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा। राजेंद्रबाबू को २३ तारीखके आसपास आ जाना चाहिए। उस समय तो तुम मौजूद रहोगे ही न?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३३४

४२ पत्र हीरालाल शर्माको

२० सितम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा तार मिला था। तारका अमल मिलते ही किया और द्रौपदी[1] को कल तार भेज दीया। यदि रामदास तुमको छोडने पर राजी हो गया है तो शीघ्र वर्धा आ जाओ और मेरे पास दो तीन दिन अथवा कम रहकर अब तो खुर्जा ही चले जाओ। द्रौपदीके खतका मेरे पर असर यह हुआ है कि तुमारे उससे अलग रहना पाप है। देवी[2] की देखभाल करना तुमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि उसकी रक्षा तुमारे से हो ही न सके तो तुमारे उसकी दिल्लीमें छोडना शायद उचित होगा। मेरी

१ हीरालाल शर्माकी पत्नी।
२ हीरालाल शर्माका पुत्र।

दष्टिमे तो यह तुमारा पतनकी निशानी होगी। लेकिन तुमारा धम नियत करनेवाला मै कौन? अतमे तो तुमारा हृदय कहे वही तुमारा धम हो सकता है।

और तो क्या लिखु?

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वष, प० ९८ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

४३ गाधी-अणे वक्तव्य[1]

२० सितम्बर, १९३४

पारस्परिक बातचीतके बाद हम इस निष्कषपर पहुँचे है कि ससदीय बोड और राष्ट्रवादी पार्टी[2] को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जहा दो उम्मीदवारोमे स्पष्टत ऐसा लगे कि एक उम्मीदवारके जीतनेकी सम्भावना बहुत ज्यादा है वहा दूसरे उम्मीदवारको अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। चूकि हमार पास पर्याप्त सामग्री नही है, इसलिए जिन उम्मीदवारोके नाम हमारे सामने थे उनकी सफलताकी सम्भावनाओको लेकर किसी प्रकारकी सिफारिश करना हमारे लिए सम्भव नही था। हममे से किसीको भी किसी निश्चयतक पहुँचनेका अधिकार प्राप्त नही था। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त था कि हम इस सिद्धातकी घोषणा कर सके। हमे यह भी बता देना चाहिए कि इस कायके लिए हमे दोनो पार्टियोमे से किसीने भी नियुक्त नही किया और हम विशुद्ध रूपसे मित्र और साथी कायकर्त्ताकी हैसियतसे मिले है। हमारा उद्देश्य घरेलू कलहको टालनेके उपायोको ढूढ निकालना था।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २१ ९-१९३४

१ असेम्बलीके चुनावोके लिए ससदीय बोड और राष्ट्रवादी पार्टीके उम्मीदवारोके बारेमें बातचीत करनेके बाद गाधीजी और एम० एस० अणेने यह सयुक्त वक्तव्य जारी किया था।

२ मदनमोहन मालवीय और एम० एस० अणे द्वारा सस्थापित।

४४ भेट एक हरिजन कार्यकर्त्ताको[1]

[२१ सितम्बर, १९३४ से पूव]

[गाधीजी] तो तुम गढीमे उथल-पुथल मचा देना चाहते थे?

[अकरते[1]] बेशक, म ऐसा ही करना चाहता था। लेकिन उपदेशक अस्पश्यता निवारणके सिद्धातको माननेवाला है और मने मत्रीसे कहा था कि उसे ऐसे मदिरमे कीतन करना चाहिए जो हरिजनोके लिए खुला हो।

तुम स्वय उपदेशकके पास नही गये?

जी नही।

लेकिन उपदेशकके मनमे हरिजनोके प्रति कोई पूवग्रह नही था, क्योकि तुम स्वय कहते हो कि वह हरिजनोके क्वाटरोमे गया ओर वहा उसने कीतन किया।

यह सच है। उसके मनमे [हरिजनोके प्रति] कोई पूवग्रह नही था, लेकिन उसे मत्रीकी बात नही माननी चाहिए थी।

तुम जानते हो कि मदिर हरिजनोके लिए खुला नही था और ऐसा करके तुमने अपने आपको इस आरोपका भागी बनाया कि तुम कीतनके बहाने मदिरमे जाना चाहते थे?

लेकिन महात्माजी, वह मन्दिरसे बाहर आकर कीतन कर सकता था।

लेकिन वह हरिजनोके क्वाटरोमे गया तो था। गया था न?

जी हाँ। लेकिन जो पर्चे बाटे गये थे उनमे केवल हिन्दुओको ही बुलाया गया था।

जो तुम कहते हो ठीक हे। लेकिन ये पर्चे उपदेशकने तो नही बाटे थे ओर फिर हमारी वतमान सुप्तावस्थामे 'सब का अथ हे तथाकथित हिदू लोग' और इसमे हरिजन शामिल नही है।

नहीं। महात्माजी, इस बारेमे हिदूसभाके मत्रीको ज्यादा मालूम होना चाहिए।

अच्छा, अच्छा, कानूनी नुक्तेको लेकर झगडा करनेकी जरूरत नही। विरोध व्यक्त करनेकी जरूरत नही। विरोध व्यक्त करनेके लिए कोई सभा नही की जानी

१ यह भेंट **हरिजन** में "गलत रास्ता' शीपकके अतगत प्रकाशित हुई थी। मध्यप्रातम मोरसीकी हिदूसभाने अपने एक धर्मोपदेशकके माध्यमसे एक कीतनका आयोजन किया था और पर्चे बाँटे थे जिसमें हिन्दुओको आमत्रित किया गया था। कीर्तन एक मन्दिरमें हुआ था जिसमें एक हरिजन कायकर्ता अकरते और अन्य हरिजनोको जाने नही दिया गया। धर्मोपदेशकने भी हरिजनोकी खातिर मदिरके बाहर कीतन करनेसे इनकार कर दिया, लेकिन उसने कीर्तनके बाद हरिजन क्वाटरोमें जानेकी बात और उनके लिए विशेष रूपसे कीतन करनेकी बात कही। अकरतेने बादमें एक विरोधसभा की और उसमें धर्मोपदेशकके विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पास किया। इसके बाद अकरतेने गाधीजीसे पथप्रदशन करनेके लिए कहा।

चाहिए थी। सबसे पहले तो तुम्हे उपदेशकके पास जाना चाहिए था। तुम उससे विनम्रतापूर्वक कह सकते थे कि वह हिंदुओकी सभामे अस्पश्यता-निवारणके विषय पर बोले अथवा अपने कीर्तनके दौरान हिंदुओसे अपील करे कि वे धार्मिक कार्यमे हरिजनोको भाग लेने दे, जिसका कि उन्हे पूरा पूरा अधिकार है। तुम अन्य हिंदुओसे कीर्तनका पूर्ण बहिष्कार करनेके लिए कह सकते हो। अभी भी यदि तुममे पर्याप्त शक्ति है, तो तुम मन्दिरके न्यासियोके नाम नोटिस जारी कर सकते हो और उसमे उनसे कारण पूछ सकते हो कि उन्होने हरिजनोको मन्दिरके आगनमे आनेसे और इस तरह धार्मिक उपदेश सुननेसे क्यो रोका। यह एक अच्छा परीक्षात्मक मामला होगा जबकि मन्दिरमे प्रवेश करना तो कानूनमे निषिद्ध हो सकता है, किन्तु मन्दिरके आगनमे प्रवेश करना निषिद्ध नही हो सकता। लेकिन तुमने विरोधसभा और जो अन्य कार्य किये, वह कदाचित तुम्हारी ओरसे अत्यधिक उत्साहका प्रदर्शन था। हमारा काम करनेका तरीका विशुद्ध अहिंसा है और केवल अहिंसा ही सफल होगी। हिंसा असफल होकर रहेगी।

महात्माजी, मैने जो किया उसका मुझे दुःख है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मै उस समय गुस्सेमे था। यदि आप चाहे तो मै इस आशयका एक सार्वजनिक वक्तव्य दे सकता हूँ।

इसकी कोई जरूरत नही। पश्चात्ताप व्यक्त करनेकी अपेक्षा तुम्हारा सुसयमित व्यवहार अधिक प्रभावकारी होगा।

हालाकि मलकापुर और मोरसी गावोमे हैजा तेजीसे खत्म हो रहा है[1], ऐसे अन्य अनेक गाव है जहा यह फैल गया है, अथवा जहा इसके फैलनेकी सम्भावना है। एहतियातके लिए आप कौनसे उपाय सुझायेगे? क्या हम ऐसे सकटके समयमे पुलिसकी सहायता ले सकते है?

अवश्य, जैसे चिकित्सा सहायता ली जाती है, वैसे पुलिसकी सहायता भी ली जा सकती है। पीनेके पानीको उबाला जाना चाहिए और उसमे थोडा-सा पोटशियम परमैंगनेट डालना चाहिए। उन लोगोसे इसके अलावा और कोई पानी न पीनेके लिए कहना चाहिए।

लेकिन वे लोग अज्ञानी है, वे किसीकी नही सुनते। और हम उन गरीब लोगोसे, जब वे खेतोमें काम करने जाते है, उबाला हुआ पानी पीनेकी अपेक्षा कैसे कर सकते है।

अब, एक सक्रिय कार्यकर्त्ताको ऐसी बात करना शोभा नही देता। [इस सम्बन्धमे] तुम्हे जोरोसे प्रचार करना होगा। उन्हे हर सुविधा प्रदान करनी होगी और जबतक वे तुम्हारी बात नही सुनते तबतक तुम्हे चैनसे नही बैठना चाहिए। तुम उन्हे पानी उबालनेके लिए अतिरिक्त ईंधन दे सकते हो, पोटैशियम परमैंगनेट और वे बर्तन

१ कार्यकर्त्ताने इन गाँवोमें हैजा फैलने तथा इसकी रोकथामके लिए जो उसने उपाय किये थे, उनका उल्लेख किया था।

दे सकते हो जिनमे वे पानी भरकर खेतोमे ले जा सके। इस कार्यके लिए तुम उन हरिजनोको अपने साथ ले सकते हो जिन्हे तुमने प्रचार-कार्यमे अपनी सहायताके लिए हेजेका टीका लगाया है। तुम्हे कोई भी कसर उठा नही रखनी चाहिए।

म समझ गया। म कल ही एक हरिजनकी देखभाल कर रहा था। मने उसके उपचारके लिए एक डाक्टरको बुलाया था, लेकिन उसकी हालत ज्यादा खराब थी, इसपर मने एक और डाक्टरको बुलाया। आर मुझे खुशी है कि वह अब पूरी तरह ठीक हो जायेगा। उसका ऐसा उपचार किया गया जिससे कि हमारे गावके सबसे धनवान व्यक्तिको भी उससे ईर्ष्या हो सकती है।

यह बहुत अच्छी बात है। इस बातका विश्वास रखो कि ईश्वरने, जो हमारे अच्छे बुरे कृत्योका लेखा जोखा रखता है, तुम्हारा नाम दर्ज कर लिया है। उससे बढकर अच्छा लेखापाल इस दुनियामे और कोई नही है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१ ९-१९३४

४५ हिंसाके विरुद्ध क्यो ?

एक पत्र लेखक तर्क करते है

आप हिंसाके विरुद्ध क्यो ह ? क्या आपके विचारसे हिंसाका प्रत्येक कार्य हिंसाकी अभिव्यक्ति है ? क्या यह एक अजीब बात नहीं है कि हम लोग किसी कत्ल अथवा हत्याको देखनेपर एक प्रकारके भयका, दयाका और वितृष्णाका अनुभव करते ह, लेकिन ससारमे प्रतिदिन लोगोका जो खून चूसा जाता है, उसे मूक दर्शककी भाति देखते रहते ह ? यदि कोई व्यक्ति यह समझता हो कि एक सफल खूनी क्रान्तिके द्वारा ससारके दु खोका बहुत हदतक अन्त किया जा सकता है तो वह शस्त्रोका सहारा क्यो न ले ? आप मानव स्वभावके प्रति अत्यन्त आशावादी प्रतीत होते ह, हालाकि म अक्सर पढता हूँ कि आपको उसका कसा कटु अनुभव हुआ है। आप यह क्यो नहीं समझते कि ससारके शासक लोग इतने निष्ठुर हो गये ह कि आपकी बातको अथवा मानवताको समझनेके लिए उन्हे फिरसे बालक बनना होगा। मेरे कहनेका तात्पर्य यह नही कि वे जन्मसे बुरे ह। लेकिन उनकी बुराई एक स्थूल तथ्य है और चाहनेपर भी वे इसे नही बदल सकते।

इसी आधारपर कि शासक लोग, यदि वे बुरे है तो, अनिवार्यत अथवा पूर्णत जन्मसे बुरे नही ह बल्कि वे मुख्यत अपने परिवेशके कारण बुरे है, मै उनसे यह आशा रखता हूँ कि वे अपनी आदतोको बदल डालेगे। यह बिलकुल सच है, जसा कि पत्र-लेखकने लिखा भी है, कि शासक लोग अपनी आदतोको खुद नही बदल सकते। यदि उनके स्वभावपर उनका परिवेश हावी है, तो निश्चय ही वे मार डाले जाने योग्य नही है अपितु उनके परिवेशमे परिवर्तन करके उन्हे बदल देना चाहिए। लेकिन

उनका परिवेश तो हम लोग है——हमी लोग शासकोको वैसा बनाते है, जसाकि वे है। और इस तरह कुल मिलाकर हम औसतमे जसे है उसका वे बहृद रूप-भर है। यदि मेरा तक ठीक है, तो शासकोके साथ हिसा करना स्वय अपने साथ हिसा करना होगा। यह आत्महत्या होगी। और चूकि मै आत्महत्या नही करना चाहता और अपने पडोसियोको भी इसके लिए प्रोत्साहित नही करना चाहता, इसलिए म स्वय अहिसक बन गया हूँ और अपने पडोसियोका भी अहिसक बननेके लिए कहता हूँ।

इसके अतिरिक्त, हिसासे एक अथवा एकाधिक शासकोको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रावणके सिरोके समान उनकी जगह वैसे ही बुरे दूसरे शासक पैदा हो जायेगे। क्योकि बुराईकी जड तो कही और है। बुराई हमारे अन्दर है। यदि हम अपनेको सुधार लेगे तो शासक लोग खुद सुधर जायेगे।

पत्र लेखक ऐसा समझता जान पडता है कि अहिसक मनुष्यकी कोई भावनाएँ नही होती और वह "प्रतिदिन ससारमे लोगोका जो खून चूसा जाता है', उसका मूक दशक हे। अहिसा एक निष्क्रिय शक्ति नही और न ही वह इतनी असहाय हे जितनी कि पत्र लेखक समझता हे। सत्यको छोडकर, यदि सत्यको अहिसासे अलग समझा जाये तो, अहिसा ससारकी सबसे ज्यादा सक्रिय शक्ति है। यह कभी असफल नही होती। हिसा ऊपर ऊपरसे देखनेपर तो सफल दिखाई देती हे, लेकिन यह दावा किसीने नही किया हे कि वह हमेशा ही सफल होती हे। अहिसा कभी भी तात्कालिक अथवा ठोस परिणाम देनेका वादा नही करती। यह कोई जादूका करिश्मा नही हे। इसीलिए इसकी असफलताएँ दिखती है। हिंसामे विश्वास रखनेवाला व्यक्ति हत्यारेको मार डालेगा और शेखी बघारेगा। लेकिन हत्या रूपी बुराईको उसने नही मारा। हत्यारेकी हत्या करके उसने हिसामे वद्धि ही की और सम्भवत और ज्यादा हत्याओको न्योता दिया। प्रतिशोधका सिद्धान्त तो बुराईमे वृद्धि करनेका सिद्धान्त है।

एक अहिसक व्यक्ति अपने प्रेमके द्वारा हत्यारेका हृदय परिवतन करनेका प्रयत्न करेगा। हत्यारेको दण्ड देकर जो हत्या की जा चुकी है उस हत्याको वह मिटा नही सकता। लेकिन वह अपने विनम्र व्यवहार द्वारा यह आशा करता है कि हत्यारेको शायद अपने कियेपर पश्चात्ताप होने लगे और इस तरह शायद हत्यारेका सारा जीवन ही बदल जाये। एक अहिसक व्यक्तिकी दष्टि हमेशा अपने-आप अपने अन्तरकी ओर ही घूमती हे और उसको इस बातकी प्रतीति हो जाती है कि लोगोसे व्यवहार करनेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे दूसरोके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जसे व्यवहारकी वह दूसरोसे अपेक्षा रखता हे। मान ले कि वह यदि स्वय ही हत्यारा होता तो अपने इस पागलपनके लिए वह मारा जाना पसन्द नही करेगा, बल्कि वह चाहेगा कि उसे अपने आपको सुधारनेका मौका दिया जाये। वह यह भी जानता हे कि जिस चीजको वह स्वय नही रच सकता, उसे नष्ट करनेका अधिकार भी उसे नही हे। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्यके बीच भगवान ही एकमात्र सर्वोच्च निर्णायक है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २१-९-१९३४

४६ ईश्वर है अथवा नही

अपनी दक्षिण भारतकी यात्राके दोरान मै ऐसे हरिजनो और अन्य लोगोसे मिला जो यह दावा करते थे कि उनका ईश्वरमे विश्वास नही हे। एक स्थानपर हरिजनोका सम्मेलन हो रहा था। वहा सम्मेलनके अध्यक्ष महोदयने उसी मन्दिरकी छाया तले अनीश्वरवादपर लम्बा चोडा भाषण दिया जिसे हरिजनोने अपने लिए और अपने पसासे बनवाया था। लेकिन उनका हृदय अपने साथी हरिजनोके प्रति किये जानेवाले दुर्व्यवहारको देखकर कटुतासे भर उठा था और उनको उस दयावान शक्तिके अस्तित्वपर ही सन्देह होने लगा था जिसने ऐसी क्रूरताको विकसित होने दिया। इस अविश्वासके लिए सम्भवत कुछ कारण भी था।

लेकिन यह रहा एक अन्य सूत्रसे प्राप्त हुए एक दूसरे प्रकारके अविश्वासका नमूना

> **क्या आपके विचारमे ईश्वर, सत्य अथवा वास्तविकताकी पूव निर्धारित धारणा हमारी खोजकी समस्त प्रवत्तिको ही आच्छादित नही कर देगी और इस तरहसे यह एक बहुत बडी बाधा सिद्ध होगी तथा हमारे जीवनके उद्देश्यको ही विफल बना देगी ? उदाहरणके तौरपर आप कुछ नतिक सत्योको मलभूत सिद्धातके रूपमे स्वीकार करते ह और जबतक हमे वास्तविकताका पता नही चल जाता तबतक हम यह दम्भोक्ति अथवा दावा कसे कर सकते ह कि नतिकताका अमुक सिद्धान्त ही सत्य है अथवा केवल यही सिद्धान्त हमारे अन्वेषणमे सहायक होगा ?**

कुछ कामचलाऊ मान्यताओके बिना कोई भी अन्वेषण सम्भव नही हे। यदि हम कुछ देगे नही, तो हमे कुछ मिलगा भी नही। जबसे इस सष्टिकी रचना हुई हे तबसे [जगतके] सभ। मानव जिसमे बुद्धिमान ओर मूख दोनो ही शामिल है, इस धारणाको लेकर चले है कि यदि हम है तो इश्वर भी हे ओर यदि ईश्वर नही हे तो हम भी नही है। ओर चकि ईश्वरमे विश्वास मानवजातिके अस्तित्वके साथ जुडा हुआ हे, इसलिए ईश्वरके अस्तित्वक तथ्यको सूयके अस्तित्वके तथ्यसे भी अधिक निश्चित तथ्य के रूपमे माना जाता हे। ईश्वरमे इसी जीवन्त विश्वासने जीवनकी विपुल गुत्थियोको सुलझाया हे। इसने हमारे दुखोको कम किया है। यह विश्वास हमे जीवन-कालमे बल प्रदान करता है ओर मत्युके समय शान्ति प्रदान करता ह। लेकिन सत्यकी खोज ईश्वरकी खोज है। सत्य ही ईश्वर हे। क्योकि सत्य हे, इसलिए ईश्वर भी हे। इस विश्वासके कारण ही सत्यकी खोज दिलचस्प और साथक बन जाती है। सत्य ही ईश्वर हे। ईश्वर है, क्योकि सत्य हे। हम अन्वेषण करने निकलते है तो इसी कारण

कि हम विश्वास करते है कि सत्य है और अन्वेषणके जाने-माने और सुपरीक्षित नियमोका सावधानीसे पालन करते हुए परिश्रमके साथ खोज करनेपर उसे पाया जा सकता है। इतिहासमे ऐसी खोजके विफल होनेका कोई दृष्टान्त नही मिलता। यहा तक कि उन अनीश्वरवादियोको भी, जो ईश्वरमे विश्वास न करनेका दावा करते रहे है, सत्यमे विश्वास रहा है। उन्होने जो चातुर्य दिखाया है वह यह है कि उन्होने ईश्वरको एक दूसरा नाम, ध्यान रहे कि नया नाम नही, दे दिया। ईश्वरके तो कोटिश नाम है। सत्य इन नामोमे सरताज है।

जो बात ईश्वरके बारेमे सच है, वही बात कुछ घटकर "कुछ आधारभूत नैतिक सिद्धान्तोकी सत्यताकी मान्यता" के बारेमे सच है। सच तो यह है कि ये सिद्धान्त ईश्वर या सत्यपर विश्वासमे ही अन्तर्निहित है। इन सिद्धान्तोको छोड देने वाले व्यक्तियोको अनन्त दुखोमे पडना पडा है। व्यवहारमे उतारनेकी कठिनाई और अनास्थाको एक चीज नही मानना चाहिए। हिमालय अभियानकी सफलताकी सुनिर्धारित शर्ते है। इन शर्तोको पूरा करनेकी कठिनाई पर्वतारोहणको असम्भव नही बना देती। यह कठिनाई अन्वेषण कार्यको रोचक और मजेदार बना देती है। ईश्वर या सत्यकी खोजका यह अभियान असख्य हिमालय अभियानासे कही ज्यादा कठिन है, और इसी कारण कही ज्यादा दिलचस्प है। यदि हममे इसके लिए कोई उत्साह नही है तो इसका कारण हमारे विश्वासकी दुर्बलता है। जो चीज हम अपनी स्थूल आखोसे देखते है वह हमारे लिए एकमात्र वास्तविकतासे भी ज्यादा वास्तविक है। हम जानते है कि बाह्य रूप भ्रमकारक होता है। इसके बावजूद हम तुच्छ चीजोको वास्तविकताएँ मान लेते है। नगण्य चीजोको नगण्य जैसा ही देख पाना आधा समर जीत लेनेके समान है। यह सत्य या ईश्वरका आधेसे ज्यादा अन्वेषण कर लेने-जैसा है। जबतक हम नगण्यताओसे अपनेको मुक्त नही कर लेते, तबतक हमारे पास सत्यान्वेषणकी महान खोज करनेकी फुर्सत ही नही होगी, अथवा क्या हमने यह महान खोज अपने फुर्सतके क्षणोके लिए छोड रखी है?

हरिजन कार्यकर्त्ताओको समझना चाहिए कि हम यह बात जानते हो अथवा न जानते हो, लेकिन अस्पृश्यताके विरुद्ध हमारा अभियान उस महान खोज कार्यका ही अग है। अस्पृश्यता एक बहुत बडा झूठ है। यह बात हमने अपने सामने सिद्ध कर ली है, अन्यथा हम इस अनुष्ठानके प्रति समर्पित न होते। हम सत्यको अन्य लोगोतक सम्प्रेषित तभी कर सकते है जब हम परिश्रम करे और सफलताके उन नियमोका पालन करे जिन्हे इन पृष्ठोमे बारम्बार बताया गया है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-९-१९३४

४७ तार नारणदास गांधीको

२१ सितम्बर, १९३४

नारणदास[1] गांधी
मिडिल स्कूलके पास
राजकोट

कनु को भेजो।

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

४८ पत्र डेविड बी० हार्टको

२१ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका २६ जुलाईका पत्र मेरे पास है। भारतीय आन्दोलनका लक्ष्य सम्पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। लेकिन हम अंग्रेजोंके साथ पूर्णतया समान शर्तोंपर सम्मानजनक गठबन्धन करनेको राजी हैं। किन्तु भारतके अथवा किसी देशके साम्राज्यवादी शोषणके साथ हमारा कोई सहयोग नहीं हो सकता। आपने स्वभावत लोगोंको यह कहते हुए सुना होगा कि भारतीयोंको उनके हालपर नहीं छोड़ा जा सकता। साम्राज्यवादी हमेशा ही ऐसा कहते आये हैं और अपनी कारवाईको न्यायोचित ठहराते रहे हैं। मैं इस कहावतमें विश्वास करता हूँ कि किसी भी देशके लिए स्वाधीनता खो देनेसे बढ़कर दुर्भाग्यकी बात और कोई नहीं हो सकती।

जाति प्रथा, आज जिस रूपमें प्रचलित है, हिन्दू जीवनके लिए बहुत बड़ी विपदा है। ब्रिटिश शासनसे इसकी प्रचण्डता कुछ कम नहीं हुई है। इसके विपरीत ब्रिटिश शासनने इसकी खातिर जो तथाकथित तटस्थ दृष्टिकोण अपना रखा है, उससे

१ साधन-सूत्रमें 'नारायणदास' दिया हुआ है।

यह और भी प्रबल हो गई है। अस्पश्यता निवारणका हमारा यह महान आदोलन जाति प्रथामे निहित इस बुराईपर एक प्रहार है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्रीयुत डेविड बी० हाट
पाइपस्टोन
मिनेसोटा अमेरिका

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४९ पत्र आर० वी० शास्त्रीको

२१ सितम्बर, १९३४

प्रिय शास्त्री[1],

पृथुराज मुझे बताते है कि उन्होने आपको 'हरिजन' के हिसाबके सिलसिलेमे कुछ लिखा था। क्या गणेशन अपना हिसाब किताब बराबर रख रहा है? क्या आप उसपर नजर रखे हुए है? आप जानते है कि हिसाब रखनेके सभी मामलोमे बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए, इसपर मेरा विशेष आग्रह है।

हमारे यहा चदेकी थोडी सी धनराशि प्राप्त हुई है। पथुराज इसके बारेमे आपको लिखनेवाले है। इसे जमा और खचके खातेमे लिखा जाना चाहिए। मै चाहूँगा कि आप बहीखातेकी अच्छी तरहसे जाच कर जाये और मुझे आश्वासन दे कि हर चीज सिलसिलेसे रखी जाती है। हालाकि, गणेशनमे जो फुर्ती और उत्साह है, वह मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मै उसकी व्यवहार कुशलताका कायल नही हूँ। इसके विपरीत उसके मुझे कटु अनुभव हुए है। फिर भी, मैने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया है, क्योकि मुझे उसकी ईमानदारीपर भरोसा है।

उम्मीद है कि आप और विशालाक्षी ठीक चल रहे है और अपना दु ख भूल गये है।

श्री आर० वी० शास्त्री
मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ **हरिजन** के सम्पादक।

५० पत्र निर्मलकुमार बोसको

२१ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

खानसाहबने कृपा करके मुझे 'सेलेक्शन्स फ्रॉम गाधी' की एक प्रति दी है, जिसके लिए म आपका आभारी हूँ। अब मुझे आपका 'कास्ट' पर लिखा निबन्ध मिल गया है। यदि समय मिला तो मैं सहर्ष इसे पढ जाऊँगा और यदि कुछ कहने लायक हुआ तो अपनी राय दूगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्रीयुत निमल के० बोस
खादी सघ
बोलपुर पोस्ट आफिस
बीरभूम[1]

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० १०५२३) से।

५१ पत्र के० पी० रामन वैद्यरको

२१ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मै सबसे पहले आपको स्थानीय हरिजन सेवक सघ और बादमे प्रादेशिक हरिजन सेवक सघमे जानेकी सलाह दूगा। जबतक आप इन सामान्य बातोको पूरा नही कर लेते, तबतक मेरे लिए कुछ कह सकना मुश्किल है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० पी० रामन वद्यर
पी० एम० मेडिकल हाल
कोयम्बटूर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१ पता प्यारेलाल पेपर्ससे लिया गया।

५२ पत्र जुगलकिशोरको

२१ सितम्बर, १९३४

प्रिय जुगलकिशोर,

तुम्हारा पत्र और वक्तव्य मिले।

(१) मेरे सावजनिक बयान देनेसे कोई लाभ नही ह। यदि तुम फिरसे सस्थामे शामिल होने नही जा रहे हो तो तुम्हे और तुम्हारे-जैसे विचार रखनेवाले लोगोको सस्थामे शामिल न होनेके अपने इरादेकी सावजनिक घोषणा कर देनी चाहिए, और उसमे निश्चित रूपसे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि तुम अपनी गत राजनीतिक गतिविधियोके कारण, और यदि तुम्हारी उन गतिविधियोसे सस्थापर लगा वतमान प्रतिबन्ध जारी रहता हे, तो उसे उस प्रतिबन्धसे बचानेके लिए ही सस्थामे शामिल नही हो रहे हो। मेरा यह भी खयाल हे कि यदि न्यासी लोग चाहे तो वे उच्च न्यायालयको ऐसा आदेश जारी करनेके लिए कह सकते है जिसमे सरकार से प्रतिबन्ध हटानेके लिए कहा गया हो। लेकिन यह पूरी तरहसे एक कानूनी मुद्दा हे जिसके बारेमे उन्हे कानूनी सलाह लेनी चाहिए। न्यासियोको सर तेजसे यदि वे उनतक पहुँच सकते हो तो, परामश करना चाहिए। वे उन्हे कानूनी सलाह दे सकते है और एक सावजनिक व्यक्तिकी हैसियतसे सरकारपर प्रभाव भी डाल सकते है।

(२) तुम अगले महीने जब भी चाहो तब आ सकते हो। मै १९ अक्टूबर तक वर्धामे हूँ। मै तुम्हे सामान्य रूपसे शिक्षापर और विशेष रूपसे ग्रामीण शिक्षा पर बातचीतके लिए कुछ समय दूगा। यदि इस सम्बन्धमे तुम काकासाहबसे मिलना चाहते हो तो तुम उससे भी पहले आ सकते हो। वे आजकल यहा है। वे बुखारमे पडे हुए है, जो धीरे-धीरे कम हो रहा है।

तुम्हारा,
बापू

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

५३ पत्र कस्तूरबा गाधीको

२१ सितम्बर, १९३४

बा,

आज तेरा पत्र नही आया। सुमित्राके हाल रामदासको लिखे मेरे पत्र परसे जान लेना। उसकी कोई चिन्ता मत करना। नीमुकी भी नही। अमतुस्सलाम और वसुमती वहा जाती ही रहती है। राधाकिसन[1] तो वहा है ही। अमलाको शान्तिनिकेतनमे नौकरी मिली है और वह वहा दो चार दिनोमे चली जायेगी। नौकरी मिलनेसे वह खुश हो गई है। काकासाहबको बुखार आ रहा था, अब उतरता जा रहा है। उन्हे देखने रोज चलकर चला जाता हूँ। थोडी दूर नीमु भी साथ रहती है और लौटते समय फिर साथ हो लेती है। फिलहाल वह कातना सीख रही है। आज मेरे नाम जमनाबहनका पत्र आया है। आशा है, उसे तू लिखती रहती होगी। मणिको भी पत्र लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २७

५४ पत्र जमनालाल बजाजको

२१ सितम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

सुमित्राकी आखके सम्बन्धमे चूकि यहाका डाक्टर निराश हो गया और उसने सुमित्राको बम्बई ले जानेकी सलाह दी, इसलिए मैने उसे सविताबहनके साथ भेज दिया है। मैने उन्हे मणि भवनमे ठहरनेके लिए कहा है। डाक्टरको ढूढनेका काम मैने सरदारपर छोड दिया है। तुम्हे चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नही। लेकिन वे दोनो तुमसे आकर मिल जायेगी।

तुम्हारे आनेमे देर होती जा रही है, इसकी चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नही। जब डॉक्टर बिलकुल निर्भय कर दे तभी आना। तबतक यहाकी समस्याओको लेकर बेकार ही परेशान न होना।

१ राधाकृष्ण बजाज।

मदनमोहन[1] बहुत करके तो आज ही रवाना होगा। खान-बधु ठीक-ठाक है। छोटे भाई चरखा सीख रहे ह ओर बडे भाई जो स ओर काकाकी देखभाल करते है। उनके बारेमे कोई चिता न करना। राधाकिसन बहुत कमठ है।

आशा हे, भोजनके बारेमे मैने जो नियम सुझाये थे तुम उनका पालन करते होगे। तुम्हारा वजन कितना रहता हे? क्या घनश्यामदासका आपरेशन होना रुक गया?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० २९४१) से।

५५ पत्र जमनालाल बजाजको

[२१ सितम्बर, १९३४][2]

चि० जमनालाल,

तुम्हे याद होगा कि बा के भाई माधवदासको ५०० रुपये दिये गये थे। उन्हे वे मिल गये। उसमे से ३२५ रुपये उस समय ठक्कर बापासे दिलवाये गये थे। बाकी दुकानसे दिये गये जान पडते है। अब ये ३२५ रुपये ठक्कर बापाको वापस दिये जाने चाहिए। इस रकमकी हुडी उन्हे भिजवाना। विवरण 'बम्बईमे गाधीको जो ३२५ रुपये दिये गये थे, उसकी अदायगीमे।'

अब मदनमोहनके बारेमे। मेरा खयाल था कि वह आज ही तुम्हारी ओर (बम्बईको) रवाना होगा। लेकिन अब ऐसा नही हो सकता। हालाकि खान-बधु हसी-हँसीमे ही ऐसा कहते है, लेकिन लगता है उन्हे सचमुच मदनमोहनकी जरूरत है। मुमकिन है, वे उससे कुछ लिखनेका काम कराये और अपने साथ हर जगह वे किसी परिचितको ही ले जाना पसन्द करेगे। यदि तुम्हे मदनमोहनकी वहाँ खास जरूरत न हो तो वह भले यही रहे अथवा तुम्हारे ध्यानमे इस कामके लिए यदि कोई और व्यक्ति हो तो बताना। यदि तुम ऐसा कुछ न सुझा सको और मदनमोहनकी वहा जरूरत हो तो मै उसे भेज दूगा। जो हो, मै कल उनके साथ इसके सम्बन्धमे बात तो करूँगा ही।

मनहरसिहके बारेमे तुम्हे राधाकिसनने लिखा ही होगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

राजेन्द्रबाबू सोमवारको अथवा मगलवारको आ रहे है। एन्ड्रयूज भी तभी आयेगे।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९४२) से।

१ मदनमोहन चतुर्वेदी जमनालाल बजाजके सचिव।

२ मदनमोहनकी बम्बई यात्राके उल्लेखके आधारपर, देखिए पिछला शीर्षक।

५६ पत्र छगनलाल जोशीको

२१ सितम्बर, १९३४

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। यू कहना चाहिए कि 'पत्र' मिले।

तुम्हारा बयान मिला। अपने कायका निर्वाह तुमने बहुत अच्छी तरह किया। अब ऐसा ही लखतर[1] मे कर सको तो करना। वहा यदि लखतरके शासकका कोई परिचित व्यक्ति हो तो उसे खोज निकालना और यदि उससे कुछ काम निकाला जा सके तो निकालना। इस सम्बन्धमे परीक्षितलालने तुम्हे लिखा होगा।

जबतक तुम्हारा मन वहा नही लगता तबतक तुम स्थायी मन्त्री नही बन सकते यह बात मै समझ सकता हूँ। काल और परिस्थितिया अपना काम करती रहती है। हम उनके अधीन है। इसीसे हम "भगवान जो करता है वही होता है", ऐसा कहते है।

जबतक स्थायी सलाहकार-समितिकी स्थापना नही हो जाती तबतक जैसा चल रहा है, वैसा ही चलने दो। जिस मनुष्यमे जिस कायकी योग्यता हो, उससे उस कायके सम्बन्धमे सलाह-मशविरा करते रहना। इस तरह तुम उनमे से सलाहकार समितिका निर्माण कर सकोगे।

मैने जो सन्देश गुजरातके काग्रेस कायकर्त्ताओको भेजा है, वह सबके लिए है। उसके अनुरूप काय करनेवाले लोग फिलहाल भले ही दो-तीन अथवा २०-३० हो, इसकी मुझे कोई चिन्ता नही। मैने तो उनके आगे आदश रखा है। विद्यापीठ जिस रूपमे था, उसे उसी रूपमे पुनरुज्जीवित नही किया जा सकता। परिस्थितिया बदल गई है, और नये अनुभव मिले ह। तुमने निराशाके जो जो उदाहरण दिये है उनमे मै आशाकी किरणे देखता हूँ। आज जो काम एक-दो लोग करते है वह काम कल दस-बीस लोग करेगे और अगले दिन २०० ३०० लोग करेगे। और यदि इस प्रयोगमे कोई सार नही हे अथवा एक दो भी योग्य व्यक्ति गावोमे नही गये है तो भले ही यह प्रयोग निष्फल हो। यदि प्रयोग ही दोषमय है तो उसे असफल होना ही चाहिए, अथवा ऐसा कहो कि वह योग्य विशेषज्ञोके अभावमे निष्फल हुआ जान पडेगा। हममे से कुछ लोग योग्य बननेका प्रयत्न करेगे। लेकिन जबतक हम यह मानते है कि हिन्दुस्तान गाँवोमे बसता है शहरोमे नही, तबतक हमे जल्दसे जल्द गावोमे ही जाना होगा। उसके बिना काम नही चलेगा। तो फिर आज ही क्यो नही?

काका अथवा नरहरि विद्यापीठसे निकल नही गये है। नरहरि गावोमे नही गये, यदि तुम ऐसा कहो तो यह अध सत्य है। जो व्यक्ति हरिजनोके बीच रहता है उसका

१ लखतरमें हरिजनोंको स्थानीय सावजनिक तालाबका उपयोग करनेकी मनाही थी।

मन गावोमे भी अवश्य रहेगा। यदि ऐसा नही है तो वह हरिजनोकी सच्ची सेवा नही कर सकता। पाच अथवा सात करोड हरिजन कहाँ रहते है? जहा वे रहते हैं, वहा तुम्हारा, मेरा नरहरिका हम सबका मन रमना चाहिए।

काका भी विद्यापीठ छोडकर नही गये है। वे ट्रस्टी नही रहे, इसका मतलब यह नही कि उन्होने सस्थाको ही छोड दिया। ऐसा क्यो नही मानते कि वे अब सस्था के और भी ज्यादा हो गये। वह स्वय तो ऐसा ही मानते है। यदि तुम अभी भी न समझ पाये हो तो निस्सकोच पूछना। काका फिलहाल अहमदाबादमे होने चाहिए। सरदार बम्बईमे है, स्वामी किशोरलाल आदि यही है। अभी तो देवदास भी यही है।

म एक और कदम उठानेका विचार कर रहा हूँ। उसकी चर्चा अभी यहा नही करूँगा। यदि सम्भव हुआ तो आज किशोरलालको उसके बारेमे तुम्हे पत्र लिखनेके लिए कहूँगा।

तुम परेशान न होना। बाल आदिके उदाहरणसे पता चलता है कि हमे अपनी श्रद्धाको अधिक स्वच्छ और तीव्र बनाना होगा। जो लोग उद्देश्यसे पीछे हटते जाते है, वे अपने अपने स्वभावका अनुसरण करते है। उसका दुख नही होना चाहिए। उम्मीद है रमा,[1] धीरू[2] और विमु[3] मजेमे होगे। तुम सब कहाँ रहते हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ५५२५) से।

५७ पत्र वल्लभभाई पटेलको

२१ सितम्बर, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

तुमपर जो बोझ है, उनमे मै एक और बढा रहा हूँ। साथमे सुमित्राके बारेमे यहाके सिविल सजनकी राय है। इसलिए मै उसे उसकी नानीके साथ आज ही भेज रहा हूँ। वे मणि भवनमे रहेगी, परतु यदि तुम उन्हे अपने पास रखना चाहो तो भले रखना। सुमित्राको आखके किसी डॉक्टरको दिखाना और इलाज करवाना। उसकी आखमे कील है और टेढापन तो है ही। दोनो चीजोके इलाजकी जरूरत है। मणि उसे जिसके यहाँ ले जानेकी जरूरत हो, ले जाये।

जान पडता है कि मेरे वक्तव्यकी बहुत आलोचना की जा रही है। मुझे [काग्रेससे] निकालनेका ही वातावरण पैदा करना। किसीको कातने या खादी पहननेमे दिलचस्पी नही होगी, तुमने अपने वक्तव्यमे[4] ठीक ही कहा है।

१, २ और ३ क्रमश छगनलाल जोशीकी पत्नी, पुत्र और पुत्री।
४ यह वक्तव्य २० सितम्बर १९३४को जारी किया गया था।

वामनरावको भेजे गये अपने उत्तरकी एक प्रति[१] मैने तुम्हे कल भेजी हे। अणे कल आकर मिल गये। पूरे दो घटे बठे। तुमने हमारा बयान[२] देखा होगा। नेकीरामका तार है कि मालवीयजी २६ तारीखको आयेगे। यह तार अणेके सामने ही मिला था। मैने तो कहा हे कि मालवियजीको आनेका कष्ट न दे। दोनो पक्ष यदि इतना समझ ले कि जहा जिसके हार जानेकी स्थिति हो, वहासे उसे हट जाना चाहिए तो काफी है। चितामणि[३] और कुजरू[४] आये यह मै चाहता तो जरूर हूँ दोनो बडे कामके आदमी है। लेकिन यह कसे किया जाये, सो मै नही जानता। सयुक्त प्रातमे क्या स्थिति हे, यह हमे कैसे पता चले? सयुक्त प्रान्तके अलावा अयत्र कही भी उनकी सफलताकी सम्भावना दिखाई नही देती। वे कहते है कि बगालमे उनके उम्मीदवार जीतेगे। फूकनके बारेमे भी आशा रखते ह और उत्कलके सफल दौरेकी भी उहे आशा है। बहुत करके वे आसफ अलीके विरुद्ध किसीको खडा नही करेगे। कहते थे कि बगालमे बडी गदगी हे। दिन दहाडे धावा करके काग्रेसके कागजपत्र उठा ले जाये, यह तो हद हो गई। फिर भी, जिन झूठी रसीदोके लिए धावा किया गया, वे तो धावा करनेवालोके हाथ लगी ही नही। कहते है, इस धावेमे काग्रेसके प्रसिद्ध स्वयसेवक थे। काका अभी ज्वरसे पूरी तरह मुक्त नही हुये है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३४-७

५८ पत्र चन्द त्यागीको

२१ सितम्बर, १९३४

भाई चद्र त्यागी,

तुमारा खत मिला।

गीताके उपरात रामायण भी पढी जाय तो अच्छा होगा।

ज्ञानमयी श्रद्धाके साथ बुद्धि तेज होती जाती है श्रद्धाके पीछे २ चलती है।

मीराबहनके बारेमे जो खत आया सुमधुर था। मीराबहन आजकल प्रचाराथ विलायतमे घूमती है। अक्तूबरके अतमे यहा पहूच जायगी।

कमयोगमे पूजा केवल भगवान की होती है, और भी उसकी प्रजाकी सेवासे।

जो मनुष्य रात्रिको बहूत जागता है उसे दिनमे सोनेका अधिकार है।

१ देखिए पत्र वामन जी० जोशीको" २०९१९३४।
२ देखिए "गाधी अणे वक्तव्य", २०९१९३४।
३ **लीडर** के सम्पादक सी० वाई० चिन्तामणि।
४ पण्डित हृदयनाथ कुजरू।

बीस नबरका अच्छा सूत नीकले तो काफी हे।

राजकिशोरी[1] के बारेमे मै तजवीज करूगा। आजकल मै वर्धामे ही रहता हूँ।

जनवरीमे मेर पास आना हे तो आ सकते है। वहा तकका मेरा कोई कायक्रम निश्चित नही हे।

आजकल बा साबरमतीमे रामदासके पास हे। रामदास बीमार हे। मेरे पास प्रभावती, अमतुल सलाम, वसुमती और उमीया[2] ह। महादेव, प्यारेलाल राज और पृथुराज हे।

जमीना[3] अपने पतिकी देहातमे आजकल रहती हे।

मेरा खुराक दूध फल और अुबाली हुई कोई भाजी।

पपीता मिलनेसे खाना अच्छी बात हे। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है।

जमनालालने कानकी हड्डी पर नस्तर लगवाया था इसलिये आजकल मुबई रहते है। शायद अक्तूबरमे यहा आ जायेगे।

बापुके आशीर्वाद

श्री च द त्यागी
प्रिजनर
सहारनपुर[4]

[पुनश्च]

सत्यदेवजीसे अभी पता लगा है कि राजकिशोरीको बुलानेमे कुछ मुश्केली है। शेठजीकी सम्मति चाहिये।

पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० ३२७०) से।

५९ पत्र रामसरण विद्यार्थीको

२२ सितम्बर, १९३४

प्रिय विद्यार्थी,

खान साहब किसी भी सावजनिक समारोह आदिमे भाग लेना पसन्द नही करते। वे उस हालतमे ही भाग लेते है जब ऐसा करना अनिवाय हो। वे एक के बाद दूसरे प्रस्तावको अस्वीकार करते आये है। [इस सम्ब धमे] मै आपसे किसी और

१ चन्द त्यागीके पुत्र बलबीरकी होनेवाली पत्नी।
२ जयसुखलाल गाधीकी पुत्री।
३ अमीना कुरेशी, गुलाम रसूल कुरेशीकी पत्नी।
४ मूलमें पता अंग्रेजी लिपिमें है।

व्यक्तिसे, हो सके तो किसी स्थानीय व्यक्तिसे, मिलनेके लिए कहूँगा। अब हमें बाहरी सहायताकी अपेक्षा स्थानीय व्यक्तियोंके गुणोंपर निर्भर करना सीख लेना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीराम सरण विद्यार्थी, बी० ए०
अध्यक्ष, खादी और स्वदेशी प्रदर्शनी
विद्यार्थी खादी लीग
मेरठ

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

६०. पत्र : डॉ० सत्यपालको

२२ सितम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० सत्यपाल,

मुझे लाला दुनीचन्दके सम्बन्धमें आपका पत्र मिला। आपने तो इस तरह लिखा है मानो मुझे लाला दुनीचन्द और उनकी सेवाओंके बारेमें कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन मुझे कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वह सारी चीज एक गलतीके कारण हुई, जिसको कि सुधार लिया गया है अथवा सुधारा जा रहा है।[1]

हृदयसे आपका,

डा० सत्यपाल बी० ए०, एम० बी०
४२, निस्बत रोड
लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए "पत्र : वल्लभभाई पटेलको", २०-९-१९३४।

६१ पत्र विश्वनाथ गुप्तको

२२ सितम्बर, १९३४

प्रिय विश्वनाथ,

दीनबन्धु एण्ड्रूजको लिखा आपका पत्र मुझे आज ही मिला। वे इसके बारेमे सब कुछ भूल गये है। मै नही जानता कि आपकी पत्नीकी मृत्यु हो गई है या वह अभी जैसे-तैसे करके चल रही है।

मै अक्टूबरके मध्यतक वर्धामे रहूँगा। इसलिए आप अक्सर वहा आ जा सकते है। म जरूर यह आशा करता हूँ कि जब आपने दीनबन्धुको पत्र लिखा था तबसे आपका चित्त इस समय अपेक्षाकृत अधिक शान्त है।

श्री विश्वनाथ गुप्त
कूचा मदान
दिल्ली

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

६२ पत्र नारायण मोरेश्वर खरेको

२२ सितम्बर, १९३४

चि० पण्डितजी,

किशोरलालको लिखा तुम्हारा पत्र पढा। कह सकते है कि काकाका बुखार अब उतर गया है। लेकिन देखभालकी जरूरत रहेगी। उनके विषयमे तुम जो लिखते हो वह ठीक ही है। यदि उन्होने गुजरात छोडा तो इसके कारण बहुत गल्तफहमी होने की सम्भावना है। काकाके त्यागपत्रका कारण कदाचित तुम्हे मालूम न हो। उसका कारण यह नही है कि उन्होने साथियोसे सलाह मशविरा नही किया था। यह कोई बहुत बडा दोष नही है। इसमे कुछ गलतफहमी भी है। लेकिन साथियोसे न पूछने पर भी कलेक्टरको लिखे पत्रमे उन्होने लिखा कि न्यासियोका इरादा दान करनेका है। न्यासीमे ऐसा दोष नही होना चाहिए और इसलिए, इस दोषका प्रायश्चित्त करनेके लिए उन्होने न्यासीके पदसे त्यागपत्र दे दिया। यह एक सही कदम था।

इसके साथ वल्लभभाई अथवा किसी अन्य व्यक्तिका कोई ताल्लुक नही है। यह तो केवल आत्मशुद्धिका अथवा आत्मजागतिका प्रश्न था। अब तो गलतफहमी न हो इसलिए भी काका गुजरात नही छोडेंगे।

लक्ष्मीबहन[1] के साथ आश्रमकी किसी बडी बहनको नही रखा जा सकता। प्रत्येक अपने स्वतन्त्र मार्गका अनुसरण कर रही है। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके द्वारा जितना विकास हो सके, हमारे लिए उतना ही बहुत है। लक्ष्मीबहनके लिए प्रश्न यह नही है कि उसे किसीका साथ चाहिए, उसका प्रश्न सहयोगका है। यहा वह अकेली पड गई जान पडती है। उसे हर जगह और हमेशा शायद ऐसा ही लगेगा। यदि उसके हाथमे दो चार कन्याएँ सौप दी जाये और वह उनकी तालीमका सारा काम अपनी इच्छानुसार चला सके तो कदाचित उसे यह अच्छा लगेगा। उसे किसी मार्गदर्शनकी जरूरत है भी, और नही भी है। तात्पर्य यह कि जहा उसे शका हो वहा वह उससे सलाह तो ले लेकिन करे अपने मनकी ऐसी सुविधा वह चाहती है। यह अवगुण नही है, गुण भी नही है। या ऐसा कहे कि गुण हो सकता है। उसमे केवल सेवाभाव ही हो तो वह वस्तु गुणकी तरह दीप्त हो सकती है। लक्ष्मीबहनकी स्थिति ऐसी नही है तथापि, भविष्यकी कोई स्पष्ट योजना उसके पास नही है। मुझे उससे एक बार और बातचीत करनी है। इस विषयपर पहले एक बार उससे बात कर चुका हूँ। और उस बातचीतकी मुझपर यह छाप पडी है। क्या वह तुम्हारे पास रह सकती है? क्या तुम यह चाहते हो कि वह तुम्हारे पास रहे? वहा तुम कितना कमा लेते हो? वहा कबतक रहना चाहते हो? आखिर तो गावमे ही रह कर काम करना है न?

आज कन्या विद्यालय पूरी तरह स्त्रियो द्वारा नही चलाया जा सकता। हमारे यहा अभी ऐसी स्त्रिया पर्याप्त संख्यामे नही है। कुछ संस्थाओका सचालन स्त्रियाँ करती हैं तथापि, उनमे भी पुरुषोका हाथ रहता है। इसमे कोई हर्ज नही। हमारे आदर्शोंके अनुसार चलनेवाली संस्थाओमे कुछ वर्षोंतक पुरुषोकी जरूरत अवश्य रहेगी। यह हमारे प्रयोगका एक अंग भी है। कुछ पुरुष तो ऐसे होने भी चाहिए जिनमें स्त्रियोचित गुणोका समावेश भी हो। यदि स्त्री और पुरुष विकारवश हुए बिना कभी साथ नही रह सकते तो उनका ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नही कहा जा सकता। क्या मा बेटा पिता पुत्री, बहन और भाई इस तरह नही रहते? तो फिर जिन लोगोका परस्पर कोई नाता रिश्ता नही, क्या वे लोग इस तरह नही रह सकते? और यदि हम अपने प्रति सच्चे हुए तो भूल करनेके बावजूद किसी दिन हम देखेंगे कि जो असम्भव प्रतीत होता था, वह सम्भव हो गया है।

तुम ऐसा तो नही मानते न कि मैंने आश्रम भंग करनेकी जो सलाह दी, उसके पीछे आश्रमके विषयमे निराशाकी भावना काम कर रही थी? यदि ऐसा होता तो मैं यही बात करता। आश्रमके बलिदानका निर्णय आश्रम द्वारा किये गये महान कार्यको और अधिक तेजस्वी बनानेके लिए ही किया गया। बलिदान पवित्र वस्तुका

१ नारायण मोरेश्वर खरेकी पत्नी।

किया जाता हे, अपवित्रका नही। जिस कारणसे आश्रमका बलिदान किया गया, आश्रम की पवित्रता उसके अनुरूप थी।

मेरे काग्रेस छोडनेके विचारका कारण काग्रेसमे व्यापक भ्रष्टाचार नही है, बल्कि काग्रेसके बुद्धिजीवियो और मुझमे सिद्धातोको लेकर जो मतभेद हे—और यह मतभेद लगातार बढता जाता हे—वह है। भ्रष्टाचारको दूर करनेके लिए सविधानमे सुधार किया जा सकता है लेकिन दो दलोमे मतभेदको दूर करनेके लिए या तो एक दलको दूसरे दलको माग देना चाहिए अथवा सघष करना चाहिए। माग देनेका सिद्धात अहिसासे मेल खाता हे। सघषमे तो अधिकतर हिसा ही होती है।

शेष समाचार तो किशोरलाल लिखेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २४८) से, सोजन्य लक्ष्मीबहन एन० खरे

६३. पत्र नारायण एम० देसाईको

२२ सितम्बर, १९३४

चि० नारायणराव[1],

अब क्या तुझे नारायणराव कहा जा सकता है? नारायण नामवाले व्यक्तिको कायर होना चाहिए या बहादुर? टासिल्स कटवाने-जसे छोटे-से आपरेशनसे क्या डरना? तेरेसे भी छोटी उम्रके बच्चे ऐसा आपरेशन करवाते है। मणिका आपरेशन करवाकर हम उसे उसी समय घर ले आये थे। अब बहादुर बनोगे न? यदि ऐसा नही हुआ तो तेरी, मेरी, महादेवकी और दुर्गाकी लाज जायेगी। यह भी भले जाये, लेकिन आश्रमका भी तो अपमान होगा। बडे बडे भजन गानेवाला तू थोडी-सी पीडासे डर गया क्या? देख, अब लाज रखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (एस० एन० ९४८२) से।

१ महादेव देसाईके पुत्र।

६४ पत्र सुरेन्द्रको

२२ सितम्बर १९३४

चि० सुरेन्द्र,

मैं० के बारेमे तुमने जो लिखा, मै समझ गया। उसका पश्चात्तापका पत्र आ गया है। उसे गिरानेवाला उसका अहकार और अपनी पवित्रताके बारेमे उसका अनुचित विश्वास था। उसके पश्चात्तापके पत्रमे भी मै यह दोष देखता हूँ। अब तो अपने रहन सहनमे हमने कुछ परिवतन कर लिया है, लेकिन मेरी सलाह यह है कि जब किसीको लेकर हमारे मनमे ऐसी शका उठे तब सबसे पहले हमे उसे सावधान करना चाहिए। और फिर, जिस सस्थामे वह रहता है, उसके अधिष्ठाता को बता देना चाहिए। मुझे यदि इसकी भनक भी मिली होती तो कदाचित उसका हित हो सकता था और विषयोका जो सेवन उसने वर्षोतक किया है, वह न कर पाता। शर्माका कहना हे कि उसने चेतावनी दी थी। मुझे याद नही है। लेकिन उसकी परीक्षा-शक्तिपर मुझे उस समय तो तनिक भी विश्वास न था, आज भी बहुत नही है। मनुष्यकी बुराइया उसे तुरत दिखाई दे जाती है, ऐसे दो उदाहरण तो मैने उसे स्पष्ट बता दिये थे। लेकिन जब तुम कहते हो तब मुझे उसपर विचार तो करना ही पडेगा।

कन्याओके बारेमे तुम जो कहते हो, वह जागरूक व्यक्तिके लिए तो ठीक है। लेकिन हमारे प्रयोगके अतगत उनके साथ सम्पककी बात आती ही है। किन्तु चूकि हमारा तौर तरीका भिन्न है और हमारे प्रयोगमे आधुनिक स्वच्छन्दता सम्बन्धी विचारोका मिश्रण हो गया है, इसलिए उसमे निष्फलतका आभास होता है। लेकिन कुल मिलाकर मेरी राय यह है कि हमारा प्रयोग निष्फल नही गया है। हमारा प्रयोग जिस सत्यपर आधारित है, उसे हम न भूले। वह सत्य यह है कि आत्मा ही आत्माका मित्र और शत्रु है। हम कन्याओको अपनी रक्षा करनेकी शिक्षा देनेका प्रयत्न करते है, उसी तरह युवकोका भी हमे मागदशन करना चाहिए। हम मर्यादाकी सीमारेखाएँ निर्धारित करे। हमारे हिसाबमे गलतियाँ हो सकती है, उन्हे हम सुधारते जाये। व्यभिचार आदि पापकी अपेक्षा मै असत्यको अधिक भयकर पाप मानता हूँ। सत्यकी आराधनामे हम थके नही तो सब कुशल ही है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

६५ पत्र नरहरि द्वा० परीखको

२२ सितम्बर, १९३४

चि० नरहरि,

पानी तो किसीके भी हाथका पी लेना चाहिए, हाथ साफ न हो या बतन साफ न हो तो अलग बात है। यदि उस सेवककी मा के बारेमे तुम अपवाद रूपमे इस नियमको नही मानना चाहते तो भले ऐसा ही करो। मुझे तो वह भी खटकेगा। यदि हम उक्त नियमके पालनमे इस तरह अपवादको जगह देगे तो आश्रममे वैमनस्य फैलनेकी सम्भावना है। मेरी दष्टि तो इतनी दूरतक जाती है कि बाहर जो रोटी बेटीकी मर्यादा है सो ठीक है, लेकिन आश्रममे रोटीकी मर्यादाको सहन नही किया जाना चाहिए। इसलिए जिसे हम किरायेदारके रूपमे रखते है, वह यदि इस मामलेमे हम जितनी दूरतक जाते है, उतनी दूरतक जानेको तैयार हो तो ही ठीक होगा। जिन व्यक्तियोकी हमे कायकी दष्टिसे जरूरत होगी यदि उनमे से कोई छुआछूतको मानने वाला हो तो हमे कदाचित उसे सहन करना होगा। उदाहरणके लिए, यदि हमे किसी हरिजनके लिए कारीगरकी जरूरत पडे और वह यह कहे 'मै तो हरिजनोके साथ न खाऊँगा, न पीऊँगा' और हमे उसके स्थानपर अ य कोई व्यक्ति न मिले तो हम कदाचित उसे सहन करेगे। लेकिन तुम्हारे प्रश्नोमे ऐसा तो कोई प्रश्न नही है।

सरदारको अभी तुम स तोष नही दे सके हो। दे सको तो देना। उन्होने जो प्रश्न उठाया है उसका पुस्तकालयके साथ कोई सम्ब ध नही है, यह बात तुम्हे निश्चित रूपसे जान लेनी चाहिए। सरदारने मेरा दोष तो नही बताया, लेकिन काकाके दोषमे मेरा दोष भी आ ही जाता है। और फिर मै भले ही ट्रस्टी न होऊँ, फिर भी मै अत्य त सावधान चौकीदार तो अवश्य माना जाता हूँ। इस दष्टिसे विचार करनेपर कह सकते है कि मुझे काकाको कलेक्टरको पत्र लिखने से बचाना चाहिए था। पूरी छानबीन किये बिना इस पत्रमे मैने अ य ट्रस्टियोका उल्लेख कैसे करने दिया? लेकिन "समरथको नहि दोष गुसाई"[1] वाली बात मुझपर भी लागू होती हे न? मैने इस बात की ओर ध्यान नही दिया, सो बात नही। लेकिन मैने अपने-आपको इस मामलेमे डाला ही नही। इतना ही बहुत है कि मैने इस सत्यको समझ लिया। मै इससे अधिक सावधानी और बरत भी क्या सकता था? यदि मै यह मानकर न चलू कि सब कोई अपनी-अपनी जिम्मेदारीको समझकर काम करते है, तो फिर मै इतने सारे काम नही कर सकता। मैने अपना सारा जीवन इसी तरह बिताया है। नैतिक उत्तरदायित्वको मैने स्वीकार किया है, और इसीसे सन्तोष माना है।

१ **रामचरितमानस,** बालकाण्ड।

इतना सब लिखनेके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि वल्लभभाई भी मन-ही मन यह सब समझ गये हैं तथा उन्होंने, उन्हें जो उचित लगा, सो निडर होकर किया है। इसलिए यदि उनके मनमें काकाके प्रति कोई पूर्वग्रह हो तो उसके लिए इस घटनाको उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। और इसलिए यदि काकाने अतीतमें कुछ किया हो तो उसे काकाके इस समय गुजरात छोड़नेके लिए कतई कारणभूत नहीं माना जा सकता। इसलिए सरदारके विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोला जाना चाहिए। काकाका सदैव ऐसा ही मत रहा है और हमें उनके इस मतमें परिवर्तन करवानेका प्रयत्न करना चाहिए। मैंने तो जेलमें भी काकाको यही समझानेका प्रयत्न किया है और अभी भी काकाको यही समझा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त चूँकि काकाके गुजरात छोड़नेकी बातसे सरदारका नाम जुड़ गया है और इसके लिए उनकी निन्दा भी हुई है अतः काकाके कर्त्तव्यकी दृष्टिसे यह और भी आवश्यक हो गया है कि वे गुजरात न छोड़ें। ऐसा होनेपर ही इस निन्दाके पंख कट सकेंगे। अन्यथा यह पक्षी उड़ान भरता ही रहेगा।

यह दलील तुम्हारे गले उतरती है या नहीं?

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य: नारायण देसाई

६६. पत्र: हीरालाल शर्माको

२२ सितम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुम्हारा खत मिला है। ... [१] 'म' के बारेमें तुमने लिखा था सो याद नहीं है। लेकिन उस युगमें तुम्हारी परीक्षा शक्तिके लिए मेरे मन में आदर कहां था? आज भी बहुत नहीं है। जल्दीसे खयाल बांध लेते हो ऐसे दृष्टांत कहां मेरे पास कम हैं। लेकिन उसकी कोई हरज नहीं है। मलेरियाके बारेमें तुम्हारा लेख पढ़ गया।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १०६-७

१ और २. साधन-सूत्रमें यहाँ छूटा हुआ है।

६७ प्रस्तावना 'वर्ण-व्यवस्था' की[1]

२३ सितम्बर, १९३४[2]

वण-धमपर मैंने आजतक जो कुछ लिखा है, यह छोटो सी पुस्तक उसका एक सग्रह है। यह कई महीनो पहले छप चुकी थी, लेकिन प्रस्तावना न होनेसे पडी रही। मैंने प्रस्तावना लिख देना मजूर किया था। पर हरिजन यात्राके कारण आजतक लिख ही न सका। अलग अलग मौकोपर लिखी हुई सारी सामग्री एक बार पढनेके बाद प्रस्तावना लिखना चाहता था। यह इच्छा तो आज भी पूरी नही कर सकता। शायद इसीमे भला हे। मुझे आगे पीछेका सम्बन्ध अटट रखनेका लालच नही है। सचाईको नजरके सामने रखकर आज जो कुछ मै मानता हूँ, वही कह देना ठीक है। प्रकाशक भी यही चाहते है। यह देखना कि आगे-पीछेका सम्बन्ध बना रहता हे या नही, पढनेवालेका काम है। जहा उसमे पढनेवालेको मेल बठता न दीखे, वहा मेरे मनकी हालत जाननेके लिए उसे पिछले लेखोको छोडकर इस प्रस्तावनामे लिखे हुए को सही मानना चाहिए। मै सब कुछ जाननेका दावा नही करता। मेरा दावा सचाईपर डटे रहनेका और जिस वक्त जो सच मालूम हो, उसीके मुताबिक, जहा तक हो सके, अमल करनेका हे। इससे जाने या अनजानेमे मुझमे परिवतन या तरक्की, जो-कुछ कहिए, हो सकती है। जहा जान बूझकर तबदीली सूझती है, वहा तो मै उसे लिख ही देता हूँ। लेकिन बारीक तबदीलिया तो अनजानमे ही हुआ करती है। उनकी याद कहासे रखी जाये? वह सतक पाठक ही रख सकता हे।

लोग मामूली व्यवहारमे वण धम समासका इस्तेमाल कम ही करते है। 'वर्णाश्रम धम' समास काममे लानेका रिवाज लोगोमे ज्यादा है। इस छोटी-सी पुस्तकमे आश्रम यानी उम्रके चार हिस्सोके बारेमे थोडा लिखा है। ज्यादा तो वण यानी समाजके चार हिस्सोपर ही लिखा है। लेकिन यह कहा जा सकता हे कि हिदू-धमका सच्चा नाम वर्णाश्रम धम है। हिदू नाम परदेशी मुसाफिरोका रखा हुआ जान पडता हे। और उसका सम्बन्ध भूगोलके साथ हे। हमने जिस धमका पालन किया है, उसे अगर कोई खास और मतलब भरा नाम दिया जा सकता हो, तो निश्चय ही वह नाम वर्णाश्रम धम है। यह कहनेसे कि हिदुओका धम आयधम है, धमके बारेमें कोई जानकारी नही मिलती। इसका मतलब तो इतना ही हुआ कि हिदू यानी सिधुके पूवमे रहनेवाले लोग अपनेको आय मानते

१ मूल गुजराती प्रस्तावना **हरिजनबन्धु** में 'वर्णाश्रम धम' शीषकसे १६ ९ १९३४ और २३ ९ १९३४ को दो किस्तोमें निकली थी

२ **वर्ण व्यवस्था** के अनुसार।

है और दूसरोको अनार्य, या वेदका धर्म माननेवाले खुदको आर्य और दूसरोको अनार्य समझते है। ऐसे नाममे मुझे तो दोष भी दिखाई देता है। वर्णाश्रम धर्मसे धर्मकी विलक्षणता जाहिर होती है। यह विचार ठीक हो या न हो, इतना तो सब मानेंगे कि वर्णाश्रमको हिन्दू-धर्ममे बडी जगह दी गई है। स्मृतियोंके जमानेकी एक भी धर्म पुस्तक ऐसी नही देखनेमे आती, जिसमे वर्णाश्रम-धर्मको बहुत बडा स्थान न दिया गया हो। वर्णाश्रमकी जड तो वेदमे ही है। इसलिए कोई हिन्दू वर्णाश्रमकी उपेक्षा नही कर सकता। इस प्रथाको समझकर और फिर उसमे कोई दोष दिखे, तो उसे सोच समझकर छोड देना चाहिए, लेकिन जहा यह वस्तु धर्मकी निर्दोष विशेषता हो, तो इसकी परवरिश करनी चाहिए। वर्णाश्रममे से आश्रम-धर्मका तो नाम और अमल दोनो मिट गये, ऐसा कहा जा सकता है। हिन्दू-धर्ममे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम माने गये है, और ये हर हिन्दूके लिए है। लेकिन ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थका पालन शायद ही कोई करता होगा। नामका संन्यास थोडी मात्रामे भले ही पाला जाता हो, मगर चारो आश्रम एक दूसरेके साथ इस तरह जुडे हुए है कि एकके बिना दूसरा पाला ही नही जा सकता। जिसका आज सब पालन करते है, वह तो गृहस्थ 'वृत्ति' है, गृहस्थ 'धर्म' नही। पर याद रखना चाहिए कि गृहस्थ वृत्ति यानी प्रजावृद्धिका काम तो दुनियामे सभी कोई करते है। धर्ममे मर्यादा, विवेक वगैरह होते है। इसलिए जो दम्पति मर्यादा और विवेकके साथ रहते है, वे गृहस्थ-धर्मका पालन करते है। जो मर्यादाके बिना चलते है, वे फर्ज अदा करनेवाले नही, बल्कि स्वेच्छाचारी है, और आजकी गृहस्थ-वृत्ति तो ज्यादातर मनमानी है और व्यभिचारका ही पोषण करती है। व्यभिचारी या स्वेच्छाचारी जीवनके बाद वानप्रस्थ और संन्यासको नामुमकिन समझना चाहिए। इससे यही मानना चाहिए कि आश्रम धर्म तो मिट ही गया। उस धर्मको फिरसे ऊँचा उठाना जरूरी है। यह किस तरह हो सकता है, इसका विचार करना इस प्रस्तावनाके क्षेत्रके बाहर है।

अब वर्ण धर्मपर आये। असलमे वर्ण चार माने गये है। ऐसा कह सकते है कि आज तो वर्ण बेशुमार है। फिर भी लोग अपनेको चार वर्णोमे गिना सकते है। कोई अपनेको ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय और कोई वैश्य। अपनेको शूद्र बतानेमे सबको शर्म आती है। शूद्र अपना परिचय उपजातियोसे ही देते है। तीन वर्णोमे भी उपजातियाँ है, मगर उन्हे अपनेको ब्राह्मण वगैरह बतानेमे शर्म नही आती। इस तरह वर्ण नामके ही रह गये है।

लेकिन मनुष्य अपने साथ कोई विशेषण लगा ले, तो इसीसे वह उसके लायक नही बन जाता। काले रंगका आदमी अपना रंग लाल कहे तो लाल नही हो सकता। इसी तरह अपनेको ब्राह्मण बताकर कोई ब्राह्मण नही बन सकता। ब्राह्मण होनेकी आखिरी कसौटीपर तो वह तब खरा उतर सकता है, जब ब्राह्मणके गुण अपनेमे मूर्तिमन्त कर ले। इस तरह सोचनेपर हम देखेंगे कि वर्ण-धर्म भी मिट गया है। अगर व्यवहारके आधारपर हम 'वर्ण' तय करे तो यह समझा जा सकता है कि हम सब शूद्र है। लेकिन असलमे तो हम शूद्र भी नही माने जा सकते,

क्योकि धमशास्त्रमे तो वणको धम माना हे। इसलिए शूद्र-वण भी धम है। और धम तो अपनी मरजीसे मजूर किया जाता है। उसके पालनमे शमकी गुजाइश ही नही है। धमके तौरपर शूद्रपनका अमल करनेवाले कितने नजर आयेगे? दिनोके फेरसे हम शूद्रपनको पहुँच गये है। कोई यह कहे कि विभिन्न वर्णोके काम तो होते ही रहते है, इसलिए वण-धम नही मिटा हे, अगर वे कहे कि जो आदमी जिस वणका काम करता है, वह उसी वणका गिना जायेगा, तो मेरे खयालसे यह वण धम नही है। जहा काममे मिलावट हो और सब अपनी अपनी मरजीसे जो अच्छा लगे वही करे तो मै उसे वणका सकर हुआ मानूगा। वणका जमके साथ अनिवाय नही तो बहुत नजदीकका सम्ब व अवश्य है। जो जिस वणमे पैदा हो, वह उस वणका काम धम-भावनाके साथ करे, तो वह वण धमका पालन करता है। इस तरह धमका पालन करनेवाले आज उँगलियोपर गिने जा सकते है। वण धमके पालनमे स्वाथकी गुजाइश नही, या है तो गौण हे। वण धममे तो परमाथ ही हो सकता है या कमसे कम उसका स्थान मुरय हो। ब्राह्मण ब्रह्मको जानने और जतानेमे ही वक्त लगाये और यह माने कि उसका गुजर भगवान चलाता है। क्षत्रिय प्रजाके पालनका फज अदा करे और उसके बदलेमे हदके भीतर गुजारेके लिए खच ले। वैश्य जनताकी भलाईके लिए खेती, गोपालन ओर व्यापार करे जो रुपया मिले, उसमे से सच्चा वैश्य अपनी गुजरके लायक रखकर बाकीको लोगाकी भलाई मे लगा दे। इसी तरह शूद्र सेवा करे तो धम समझकर करे।

आम तौरपर वणका निणय जमसे किया जाता है। एक हदतक कमसे भी किया जाता है। ब्राह्मणका लडका ब्राह्मणके घर पैदा होकर ब्राह्मण तो कहलायेगा, मगर बडा होनेपर उसमे ब्राह्मणके लक्षण या गुण न दिखे तो वह ब्राह्मण नही माना जायेगा। वह तो पतित हो गया। इसके विपरीत, जो दूसरे वणमे पैदा होकर अपने जीवनमे ब्राह्मणके लक्षण साफ साफ और रोज प्रकट करे, वह भले ही खुदको ब्राह्मण न कहे तो भी ब्राह्मण माननेके लायक होगा। दुनिया उसे ब्राह्मण ही मानेगी।

इस धमके मुताबिक अगर दुनिया चले तो सब जगह सतोष फैले, झूठी होड मिटे, ईर्ष्या दूर हो, कोई भूखो न मरे, जम मरण बराबर रहे और बीमारिया जाती रहे।

लेकिन वण अगर धम बन जाये और अविकार न रहे, तो वण-वणके बीच भेद न रहे और सब वण बराबर हो जाये। बहुत समयसे हिदू धममे धमके नाम पर ऊँच नीचके भेद घुस गये है। यह वण धमका विकृत रूप है, भयकर रूप हे। हमारे पुरखोने कठिन तपस्यासे जिस बडे नियमको ढढा और जिसपर भरसक अमल किया, उसका अनथ करके आज हमने उसे दुनियाके लिए हँसीकी चीज बना दिया है। नतीजा यह हे कि आज हिदुओमे भी ऐसा फिरका निकल पडा है जो वण-व्यवस्थाका नाश करनेपर तुला हुआ हे, क्योकि वह मानता है कि वणसे हिदू जाति पामाल हुई है ओर आज वणके नामपर जो हालत पाई जाती है, उसमे तो हिन्दू-जातिका नाश ही है।

आज रोटी बेटीके व्यवहारकी हदबन्दीतक ही वर्ण-धर्मका पालन मर्यादित होकर रह गया है। ब्राह्मण ब्राह्मणके साथ और उससे भी बढकर अपनी उपजातिके साथ ही रोटी-बेटी व्यवहार रखेगा और उसीमे अपने धर्मकी इतिश्री मानेगा। उत्तर भारतमे कहावत है कि 'आठ कनौजिये नौ चूल्हे।' यह है धर्म पालन! सब एक-दूसरेके छूनेसे नापाक हो जाते है। इसी तरह खाने पीनेके बारेमे जो विवेक रखा जाता है, उसे भी वर्ण धर्मका अग मानकर ब्राह्मणपन या क्षत्रियपन वगैरहका अन्त इसीमे समझा जाता है कि फलाँ चीज खाई जाये या न खाई जाये। फिर क्या अचरज कि दुनिया ऐसे धर्मको दुतकारती है और कितने ही समझदार हिन्दू भी इस अव्यवस्थाको मिटाने पर तुले हुए है!

यहाँ मेरे कहनेका मतलब यह बिलकुल नही है कि रोटी बेटी-व्यवहारकी मर्यादा या खानपानके विवेककी गुजाइश ही नही है। मै खुद चाहे जिसके साथ चाहे जो खानेको न धर्म मानता हूँ, न उसे पालता हूँ। चाहे जिसके साथ विवाह-सम्बन्ध करना मै मनमानी समझता हूँ। जिस तरह हर व्यवहारमे कड़ी मर्यादा या सयम जरूरी है, उसी तरह इसमे भी जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि खाद्याखाद्यका भी शास्त्र है। मनुष्य सब कुछ खानेवाला प्राणी नही है। उसके खानेकी चीजोकी भी हद है। लेकिन रोटी बेटी-व्यवहार और खानपानके विवेकपर वर्ण धर्मका दारोमदार नही है। वर्ण-धर्म एक अलग ही शास्त्र है। मै समझ सकता हू कि एक वर्णकी दूसरे वर्णमे शादी करनेमे कोई बुराई नही है। मै मानता हूँ कि सफाई वगैरहके नियमोका पालन करते हुए और खानपानमे विवेक करते हुए सब वर्णके लोग एक पगतमे बैठकर खाये तो कोई दोष नही है। पुराने जमानेमे इस तरह रोटी-बेटी व्यवहार होनेके बहुत से सबूत है। रोटी बेटी-व्यवहारको वर्ण धर्मके साथ जोड देनेसे हिन्दू-धर्मको भारी नुकसान पहुँचा है।

यह सही है कि वर्ण-धर्मकी खोज हिन्दू धर्ममे हुई है मगर इससे कोई यह न माने कि ये नियम हिन्दुओपर ही लागू होते है और दूसरोपर नही होते। हर धर्ममे कोई-न-कोई विशेषता होती ही है। मगर यह विशेषता उसूलके तौरपर हो तो वह सब जगह फैल जानी चाहिए। दुनिया भले ही आज उसे न माने। वह उस हदतक घाटेमे रहेगी। वर्ण-धर्मके बारेमे मेरी यही मान्यता है। इसे मै एक बडी भारी खोज मानता हूँ। आज नही तो कल, दुनियाको उसे मानना ही होगा।

इस उसूलको थोडेमे इस तरह रखता हूँ जो आदमी जिस खानदानमे पैदा हो वह उसका धन्धा, अगर वह नीतिके खिलाफ न हो तो, धर्मभावसे करे और उसे करते हुए जो आमदनी हो, उसमें से मामूली गुजरके लायक रखकर बाकीको सार्वजनिक भलाईमे लगाये।

चार वर्णोको वेदमे शरीरके चार अगोकी उपमा दी गई है। शरीरके अगोमे यह भेद नही होता कि एक उच्च और दूसरा नीच है, अगोमे समझ हो और वे ऊँच नीचका भेद रखे, तो शरीर-रूपी राष्ट्रके टुकडे-टुकडे हो जाये। इसी तरह जगतका राष्ट्र भी अपने वर्ण-रूपी चार अगोके बीच ऊँच-नीचका भेदभाव रखे तो टुकडे-टुकडे

हो जाये। आज जगतमे ऊँच नीचके भेद है, और जगतमे जो आपसी झगडा चल रहा हे उसके वे खास कारण है। इस बातके समझनेमे मामूली आदमीको भी मुश्किल नही होनी चाहिए कि यह लडाई वण धमपर चलनेसे मिट सकती है। वण धममे हर वणको अपना अपना काम धम समझकर करना है। पेट भरना तो इसका अल्प सा फल है। यह मिले या न मिले, तो भी चारो वर्णोंको अपने अपने धममे लगे रहना है। इस वण-धमपर अमल हो, तो आजकल दुनियामे जो ऊँच नीचकी भावना मौजूद है, उसकी जगह बराबरीका बोलबाला रहे, सारे धन्धे इज्जत और कीमत, दोनोमे एक से समझे जाये और मत्री, वकील, डाक्टर, व्यापारी, चमार बढई, भगी और ब्राह्मण बराबर बराबर कमाये। जहा वण धमका पालन होता हो वहाँ ऐसी दयनीय हालत हो ही नही सकती, न होनी ही चाहिए कि तीन वण ज्यादा कमाये और शूद्र थोडा कमाये, या क्षत्रिय महलोमे चढकर बैठे, ब्राह्मण भिखारी यानी झोपडेमे रहे, वैश्य बडी बडी हवेलिया बनाये और शद्र बिना घरबारके गुलाम बनकर रहे।

मेरे कहनेका मतलब यह नही कि जिस वक्त वर्णाश्रम धम खोज निकाला गया था उस वक्त हिदू समाज इस आदशतक पहुँच गया था। मुझे मालूम नही कि किस समय वण-धम इस ऊँचे दर्जेतक पहुँचा था। मगर मै इतना कह सकता हूँ कि वण-धम का आदश यही हो सकता है। समझदारके लिए इस धमपर चलना सहल है। ऐसा वण धम सिफ हिदुओके लिए ही नही, बल्कि सारी दुनियाके सब समझदार लोगोके लिए है।

इस व्यवस्थामे जिसके पास जो जायदाद होगी, उसका वह सारी जनताके लिए रक्षक होगा। वह अपनेको कभी उसका मालिक नही मानेगा। राजा अपने महलका या वह प्रजासे जो कर वसूल करता है उसका मालिक नही, बल्कि रक्षक है। वह अपने लिए पेट भर लेकर बाकीको प्रजाके लिए खच करनेको बँधा हुआ है। यानी प्रजासे वह जितना लेगा उसमे अपनी होशियारीसे बढोतरी करके उसी प्रजाको किसी-न-किसी तरह लौटा देगा। यही बात वैश्यकी है। शूद्रका तो कहना ही क्या? और अगर किसी भी तरह मुकाबला किया जा सकता हो तो जो शूद्र सिफ धम समझकर सेवा ही करता है, जिसके पास कोई जायदाद कभी होनेवाली ही नही और जिसे मालिक बननेका लालचतक नही, वह हजार नमस्कारके लायक है और सबसे ऊँचा है। धमपर चलनेवाला शूद्र अवश्य ही अपने बारेमे ऐसा नही समझेगा, लेकिन देवता तो उसपर फूल बरसायेगे। यह वाक्य आजकलके सेवा करनेवालोके बारेमे भले ही शोभा न दे। वे चप्पा भर जमीनके मालिक न होकर भी मालिकी चाहते है। यानी वे अपने शूद्रपनको सुख देनेवाले धमके तौरपर नही देखते बल्कि भोगकी इच्छा पूरी न होनेसे दुखदायी समझते है। इसीलिए मैने तो आदश शूद्रको प्रणाम किया है, और दुनियासे कहता हूँ कि वह भी उसके सामने सिर झुकाये।

लेकिन शूद्रका यह धम उसपर लादा नही जा सकता। तीन वण अपनेको प्रजाके सेवक मानते हो और जो जायदाद उनके पास हो, सबकी भलाईके लिए अपनेको उसका रक्षक साबित कर सकते हो, तभी उनके मुहसे शूद्र-धमकी बडाई अच्छी

लग सकती हे। आज तो जहाँ तीन वण सिफ नामके रह गये है, अपना धम पालने की किसी को सूझती नही ओर अपनेको ऊँचे वणका मानकर शूद्रको हलके वणका समझते है, वहा इसमे कोई अचरज की बात नही, दु खकी बात भी नही कि शूद्र उनसे ईर्ष्या करे और जो सम्पत्ति लेकर वे बैठ गये है उसमे हिस्सा बँटाना चाहे। वणको धम बताकर शोधकोने ऐसा सुझाया है कि वण-धमपर अमल करनेमे जबरदस्तीकी बू तक नही आनी चाहिए। वण-धमका पालन करनेसे ही दुनियाका काम चल सकता है। इस धमका पालन करनेसे ही जगतका छुटकारा है। और इस धमपर अमल करानेके लिए हर वणको खुद उसपर अमल करते करते मर जाना है, दूसरोसे जबरदस्ती अमल नही कराना है।

जहा होड बहुत अच्छी समझी जाती है, रुपया कमाना बहुत बडा काम माना जाता है, जहा सब जैसा जी मे आये, वैसा ध धा करनेकी अपने लिए छूट मानते है और जहा सब जिस माली हालतमे है उससे ज्यादा अच्छी कर लेना अपना धम समझने है, ऐसे जमानेमे यह कहना कि वण-धम जगतका बहुत बडा नियम है, हँसीके लायक बात मालूम देती होगी। इसको फिरसे ऊँचा उठानेकी बात करना उससे भी ज्यादा दिल्लगी मानी जा सकती है। फिर भी, मुझे पक्का भरोसा है कि आजकलकी भाषामे कहे तो यही सच्चा साम्यवाद है। 'गीता'की भाषामे यह बराबरीका 'धम' है 'वाद' नही। इस धमपर थोडा अमल करनेसे भी अमल करनेवालेको और दुनियाको सुख मिलता है।

यहा यह कहना जरूरी है कि वण धमका यह लाजमी अग नही कि वण चार ही होने चाहिए, सिफ इतना ही कहना काफी है कि सब अपने अपने वण-धमका अमल करके उसीमे से रोजी निकाल ले। वण-धमको फिरसे उठानेका विचार करते हुए शायद ऐसा मालूम पडे कि वण चार नही बल्कि ज्यादा या कम होने चाहिए, तो मुझे खुदको अचम्भा नही होगा।

मो० क० गाधी

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, १६ ९-१९३४ तथा २३ ९-१९३४

६८ 'गरीबीमे अमीरी'

मेरे एक मित्र है बहुत पढे-लिखे। रुपये पैसेसे सुखी है। सासारिक सुखोका उपभोग उन्होने काफी किया है। इधर कुछ वर्षोसे उन्होने वाहनमात्रका उपयोग छोड दिया है। सर्दीमे, गर्मीमे, आरोग्यमे, बीमारीमे, उन्होने आग्रहपूर्वक अपने इस व्रतको निभाया है। उनके आचरणमे मुझे कही-कही अतिका दोष दिखाई पडा है। लेकिन उनके आचरणका काजी बननेवाला मै कौन? मेरे साथ उनका पत्र व्यवहार चलता रहता है। उनका एक पत्र मुझे हरिजन यात्राके दौरान मिला था। उसे मैने 'हरिजनबन्धु' के पाठकोके लिए सँभाल रखा है। उसमे से म निम्नलिखित अश उद्धृत करता हूँ

> **मने अनेक व्रत किये, लेकिन इन सबमें पदल चलनेका व्रत खूब आनन्द दायक सिद्ध हुआ है। कई अनुभव हुए और होते जा रहे ह। ईश्वर पर मेरी श्रद्धामे पुष्कल वृद्धि हुई है, आजसे दो वष पहले जब म अहमदाबादसे निकला था तब मुझमे २० २५ प्रतिशत श्रद्धा रही होगी, अब वह कोई ७५ प्रतिशत हो गई होगी।**
>
> **गरीबी और अमीरी, मने दोनो देखी ह। अमीरोमे कुल मिलाकर अभिमान अधिक पाया और अनेक स्थानोपर स्वच्छन्दता दिखाई दी। अधिकारियोमे प्राय सत्ताका मद देखा। गरीबीमे स्वाभाविक रूपसे ईश्वरपरायणता, सेवाभाव और कष्टोको सहनेकी शक्ति दिखाई दी। "गरीबी खुदाको प्यारी है, अमीरी उसकी तुलनामे तुच्छ है"—इस उक्तिके सत्यका अनुभव किया। ईश्वरसे मेरी प्राथना है कि वह मुझे हमेशा गरीब अर्थात फकीर बनाये रखे। मुझमें कभी कोई चीज अपने पास रखनेकी वृत्ति न हो। एक जूनका भोजन भी सग्रह कर रखनेकी वृत्ति न हो।**
>
> **ससारके लोगोमे मने पापियोके प्रति तिरस्कार-भाव पाया, हालाकि इस दोषसे हममे से कौन व्यक्ति मुक्त हो सकता है? पापसे घृणा करो, पापीसे नहीं — इस महासूत्रको म समझ गया हूँ।**

इस पत्रके लेखकने ठेठ उत्तरतक पैदल यात्रा की है। वे सैकडो गावोसे होकर गुजरे है। इसलिए उनका अनुभव मूल्यवान है, विचारणीय है। पैदल चलनेका और अपरिग्रहका जो चमत्कार उन्होने देखा है, पूव पश्चिम और उत्तर दक्षिणके लोगोने भी उसी चमत्कारके दशन किये है। थोरो ने पैदल चलनेकी प्रशसामे एक पुस्तक लिख डाली है। दुनियामे धार्मिक क्रातिया करनेवाले जो महान सुधारक हो गये ह, उन्होने वाहनका उपयोग शायद ही किया हो। आज जो बात विमानमे बैठकर एक स्थानसे

दूसरे स्थानपर जानेवाले मनुष्य नही कर सकते, यह बात पूर्वजोने निश्चयपूर्वक की है, इस सत्यको हमे भुलाना नही चाहिए। ' उतावला सो बावरा, धीरा सो गम्भीर", यह लोकोक्ति अंग्रेजीकी एक प्रसिद्ध कहावतका अनुवाद जान पडती है। लेकिन ये दोनो वचन समान अनुभवसे स्वतन्त्र रूपसे उदभूत हुए हैं। ये पहले भी सच थे, और आज भी है।

[मै जानता हूँ] इस व्रतधारीके व्रतकी बातको पढकर सब कोई पदल नही चलने लगेगे, सब गरीब बननेकी प्रार्थना नही करेगे, सब पाप और पापीके भेदको समझकर पापीपर प्रेम और पापसे द्वेष नही करने लगेगे। लेकिन यदि सब लोग इस भावनाके महत्त्वको समझकर उसके अनुरूप यथाशक्ति आचरण करेगे तो भी यह कम उपलब्धि नही होगी। हरिजन-सेवक तो इससे भिन्न कतई कुछ कर ही नही सकता।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २३-९-१९३४

६९ धर्मके नामपर लूट

अकलेश्वरसे श्री छोटालाल गांधीने सजोदके हरिजनोके विषयमे जो पत्र लिखा है, उसके कुछ अंश नीचे दे रहा हूँ [1]

तलाजाका घाव ताजा ही था कि यह दूसरा आ पडा। घर-घर माटीके चूल्हे है। कायदा कहता है कि जो नागरिक अधिकार सवर्ण हिन्दुओके लिए है, वही हरिजन हिन्दुओके लिए भी है। अफसर लोग मदद भी करना चाहते है, किन्तु लगता है कि धर्मान्ध हिन्दुओने शासकोके हुक्म और कायदेको ताकपर धर दिया। ऐसे अन्ध-विश्वाससे कैसे जीते? लगता है कि अहिसा हार रही है, प्रेम सूखा जा रहा है, किन्तु 'जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहि काम, निरबलके बल राम।' भजनकी ये पक्तिया मेरी कलमसे निकल रही है और मुझे सान्त्वना दे रही है। चारो तरफ अन्धकार हो और तब भी अहिसाकी किरण चमकती रहे, तभी उसे अहिसा कहना चाहिए। हिसाका निवारण अहिसासे और घृणाका निवारण प्रेमसे और असत्यका निवारण सत्यसे उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार सूर्यकी धूपसे शीतका निवारण निश्चित है।

यदि सजोदके सुधारक धर्मपर दृढ रहे तो अन्तमे उनकी विजय निश्चित है। आज सवर्ण धर्मान्ध हिन्दू वहा खुशीसे नाच रहे हो तो नाचे। सुधारकोको चाहिए कि सताये गये हरिजनोको सँभाले। उन्हे दृढताके साथ इस नियमका पालन करना चाहिए कि जो सुविधा हरिजनोको नही मिलने दी जाती, वे भी उसका उपभोग नही

१ यहाँ नही दिया गया है। अधिकारियोके इस बातपर जोर देनेपर कि अन्य विद्यार्थियोके साथ हरिजन विद्यार्थियोको भी शालामें बैठने देना चाहिए, सजोदमें हरिजनोके प्रति अत्याचार किये गये थे।

करेगे। जहा आवश्यकता पडे वहा शासनकी मदद भी अवश्य ली जाये। वे सवर्ण हिन्दुओसे मर्यादामे रहनेकी प्रार्थना भी करे। यदि हरिजन सार्वजनिक संस्थाओमे जाने आदिका अपना अधिकार काममे लाते है और धर्मान्ध लोग इसकी छूत मानते है तो वे चाहे तो घर जाकर स्नान करे और अगर उसका कोई प्रायश्चित्त भी करना चाहे तो करे, किन्तु हरिजनोको दण्ड देनेके विषयमे शास्त्रने कोई आज्ञा नही दी है। शास्त्र कहता है कि जो अपनेको [छू जानेसे] अपवित्र हुआ समझते है, वे स्नान आदि प्रायश्चित्त कर सकते है। जिसे छूत लगी हो शास्त्री उसे स्नान करनेको कहते है किन्तु वे हरिजनोको सताने या मारनेकी बात कभी नही सिखाते। यह बात इतनी साफ और सरल है कि सुधारकोको आत्मविश्वासपूर्वक अहिसाकी मर्यादाका पालन करते हुए, अपना कर्त्तव्य करते ही चले जाना चाहिए।

सजोद इत्यादि गावोमे किसी नेताको भेजनेके विषयमे दिया गया सुझाव अच्छा तो है ही, किन्तु बाहरके नेताओको वहा भेजनेके बजाय अकलेश्वर जिलेके नेताओको भी वहा जाना चाहिए। सम्भव है इसका अधिक प्रभाव पडे। बाहरकी मददपर सदा अवलम्बित नही रहा जा सकता। अन्ततोगत्वा सफलता स्थानीय कार्यकर्त्ताओकी सतत जागृति, कार्यदक्षता और मर्यादा-पालनकी शक्तिपर ही निर्भर रहती है।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, २३-९-१९३४

७० पत्र डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

२३ सितम्बर, १९३४

प्रिय डा० गोपीचन्द,

मुझे आपका पत्र और महत्त्वपूर्ण सलग्न पत्र मिले। उन्हे सावधानीपूर्वक पढ जानेके लिए मुझे समय निकालना होगा। आपके कठपुतली एजेण्ट होनेका विचार मै सहन नही कर सकता। या तो आपकी बातोका असर होना चाहिए अन्यथा आपको उसमे नही होना चाहिए। मै इसके बारेमे शकरलालको लिखूगा।

डा० गोपीचन्द भार्गव
लाहौर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

७१ पत्र एस्थर मेननको

२३ सितम्बर, १९३४

प्यारी बिटिया,

मुझे तुम्हारा पत्र और अब बच्चोके पत्र भी मिले है। मुझे खुशी है कि उन्हे जगह पसन्द है। बेशक, तुम अपने बँगलेका और कोई नाम नही रख सकती और 'विजन बँगलो'मे जो भाव निहित है वह बहुत अच्छा और महत्त्वपूर्ण है।

एन्ड्यूज एक हफ्ते पहले यहा थे और वे शान्तिनिकेतनसे मगलवारको वापस आ जायेंगे। मीरा काग्रेस अधिवेशनमे शामिल होनेके लिए ठीक समयपर बम्बई पहुँचनेकी आशा रखती है।

रामदासको बुखार था ओर सामान्य कमजोरी थी। वह अब बेहतर है।

मेरा खयाल है कि चरखा पोर्तो नोवो भेजा गया था और मुझे उम्मीद है वह अब तुम्हारे पास पहुँच गया है। मै जानना चाहूँगा कि तुमने इसपर कितनी तरक्की की है।

यदि इस समय तुम मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। मौसम बहुत अच्छा है सर्दी बहुत है, धूप बहुत तेज तो नही होती फिर भी काफी होती है।

तुम सबको प्यार और बच्चोको चुम्बन।

बापू

श्रीमती एस्थर मेनन
विजन बँगलो
तजौर

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सख्या १३१) से, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार। **माई डियर चाइल्ड,** पृ० १०७-८ से भी।

७२ पत्र झीणाभाई जोशीको

२४ सितम्बर १९३४

प्रिय मित्र,

आपके २० तारीखके पत्रके सम्बन्धमे जो मुझे कल प्राप्त हुआ मुझे लगता है कि आपके प्रश्नका उत्तर दो तरहसे दिया जा सकता है। यदि यह प्रदर्शनी भारतमे तयार की गई चीजोकी प्रदर्शनी है ता आपने जिन चीजोकी चर्चा की है उनका ऐसी प्रदर्शनीमे उचित स्थान है। और यदि प्रदर्शनी लाखो लोगोके सन्दर्भमे खादी और स्वदेशीको प्रोत्साहन देनेके लिए विशुद्धत शैक्षणिक प्रयत्न है तो म ऐसी किसी चीजका जोरोके साथ विरोध करूँगा जिसका लाखो ग्रामीणो द्वारा गावोमे तयार किये जानेवाले मालसे सीधा सम्बन्ध नही है। मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने अथवा मार्ग दर्शन देनेका अधिकार नही है। प्रदर्शनी किसलिए है अथवा उसमे क्या रखा जाना चाहिए, इसका उचित निर्णय तो आपकी समिति ही कर सकती है।

हृदयसे आपका,

श्री झीणाभाई जोशी
काग्रेस भवन
अखिल भारतीय खादी प्रदर्शनी और स्वदेशी बाजार
बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

७३ पत्र मीराबहनको

२४ सितम्बर, १९३४

सुश्री मीरा,

तुम्हारा पत्र मेरे सामने है। तुम्हारे यूरोप-प्रवासके दौरान मेरा यह क्दाचित आखिरी पत्र होगा।

खानसाहब अब्दुल गफ्फार खा मेरे साथ है। उनकी पुत्री वहा उनके भाईकी पत्नीके पास है। वे चाहते है कि उनकी लडकी लौट आये ओर आश्रममे आकर प्रशिक्षण ले। वे उसे तुम्हारे साथ भेजना चाहेगे। महादेव तुम्हे पता लिख भेजेगा।

यदि तुम उससे मिला अर्थात, यदि यह पत्र तुम्हे समयपर मिले और तुम उससे मिल सको तो उसे अपने साथ ले आना।

इन भाइयोकी दोस्ती मुझे ईश्वरीय देन प्रतीत होती है।

सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]

बम्बई सरकार, होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल फाइल न० १२९/३८, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार

७४ पत्र खुर्शेदबहन नौरोजीको

२४ सितम्बर, १९३४

प्रिय बहन[१],

गोविन्दभाईका पत्र बहुत विचित्र है।[२] यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उनके साथ बहसमें नही पडता, सिर्फ वस्तुस्थितिको स्पष्ट कर देता। मै तो चाहता ही हूँ कि तुम वहा जाओ — किसी दूसरेको नही, बल्कि अपनेको पानेके लिए। पाण्डिचेरी उन जगहोमें से है जहा ऐसी खोज फलीभूत हो सकती है। गो० ने मुझे भी लिखा है। मनुष्योसे सम्पूर्ण रूपसे सम्बन्ध विच्छेद करनेमे मुझे कोई अच्छाई दिखाई नही देती। समाजसे सम्पर्क बनाये रखते हुए भी तुम्हे यह काम करना है। मैं तो चाहूँगा कि तुम मायावटी अथवा बेलूर जाओ। और तुम दयालबागको भी अपने मनसे नही निकालोगी।

मुझे लिखनेके लिए कृपया क्षमायाचना न करो। आखिरकार तुम आश्रमकी एक सदस्या हो।

खुर्शेदबहन
बम्बई

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ सम्बोधन गुजरातीमें है।

२ देखिए 'पत्र गोविन्दभाई आर० पटेलको', २४-९-१९३४।

७५ पत्र द० बा० कालेलकरको

२४ सितम्बर, १९३४

चि० काका,

इस छोकरीको तुम या तो वही रख लो अथवा वह जहा रहना चाहे वहा जाकर रहो। अन्यथा यह तो मेरे साथ मक्खीकी तरह चिपकी हुई है और कहती है कि काकासाहबको यहा लाओ और उनकी दवा करो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० १०८९०) से।

७६ पत्र माधवदास और कृष्णा कापडियाको

२४ सितम्बर, १९३४

चि० माधवदास[१] और कृष्णा,[२]

तुम्हे यह जानकर खुशी होगी कि आज मुझे मेढका एक पत्र मिला है जिसमे उसने थोडी बहुत रकम देनेकी बात लिखी है। पसा मिलनेपर तुरत खबर दूगा। कुल मिलाकर कितना पैसा लेना है? आशा है, तुम दोनो कुशलपूवक होगे। कुछ आमदनी होती है क्या?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती की माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२२) से।

१ और २ कस्तूरबाके भाई और उनकी पत्नी।

७७ पत्र जयाको

२४ सितम्बर, १९३४

चि० जया,

भानुकी तबीयत सुधरती जा रही है, यह एक खुशखबरी है। यह हुडी क्या चीज है, सो जाननेका भी मैंने बराबर प्रयत्न नही किया। यदि तुम बहनोको वह पसन्द नही आती तो तुम लोग बेशक उसे मत छूना। हमारा उद्देश्य तो जैसे बने खादीका शुद्ध ढगसे प्रचार करना है।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती जयाबहन
नैनशी मोरारजीका बॅगला
सी व्यू, घाडबन्दर रोड
विले पार्ले, बी० बी० ऐड सी० आई० रेलवे

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२३) से।

७८ पत्र रामदास गाधीको

२४ सितम्बर, १९३४

चि० रामदास,

शर्माको पैसा देनेका तेरा विचार मुझे पसन्द नही। उसकी सेवाओका बदला पैसोसे नही दिया जा सकता। तुम तो दोना मित्र बन गये हो। मित्रोमे पसेका लेन-देन नही होता। मुझे तो लगता है कि यदि तू शर्माको पैसा देने लगेगा तो उसे बुरा लगेगा। वह स्वीकार करेगा तो मुझे आश्चय होगा। उसकी जरूरतोको तो पूरा किया ही जा रहा है। उसके लिए अन्य जो किया जाना चाहिए सो मै कर रहा हूँ। इसलिए तुझे उसकी आर्थिक स्थितिकी चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नही। उसके पत्रोसे मै तो यह समझा हूँ कि यदि तू तन, मन और आत्मासे पूणतया रोग-मुक्त हो जाये और यदि तू इस बातकी गवाही दे सके कि इसका श्रेय मुख्यत उसीको है तो वह मानेगा कि उसे पूण फलकी प्राप्ति हो गई है — और होना भी ऐसा ही चाहिए। इसलिए मेरी सलाह है कि तू यह पसा देनेका विचार मनसे निकाल दे। लेकिन इतना कहनेके बाद मै फिर कहता हूँ कि तू बिलकुल स्वतन्त्र है, इस

पसेका स्वामी तू है और तुझे इस पसेका जो अच्छेसे-अच्छा उपयोग जान पड़े, सो अवश्य करना। अपनी खुशीको मेरी खुशी समझना।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

७९ पत्र गोविन्दभाई आर० पटेलको

२४ सितम्बर, १९३४

भाई गोविन्दभाई,

हमारे माग अलग-अलग है, यह बात तुम निश्चयपूवक कह सकते हो — यह जानकार आश्चय होता है। तुम आश्रमके नियमोको भी भूल गये जान पडते हो। मेरा ध्येय क्या है, यह तो अगर तुमने मेरे हालके वक्तव्यको पढा हो तो उसीसे तुम्हे मालूम हो जायेगा कि जो तुम्हारा ध्येय हे वही मेरा है। हा, यह हो सकता है कि हमारे माग अलग अलग प्रतीत होते हो। वत्तकी परिधिसे उसके केन्द्रबिन्दुकी ओर जानेवाली कितनी सारी रेखाएँ होती ह। और फिर तुम्हे यह बात मालूम होनी चाहिए कि मै नित्य गुरुकी खोजमे रहता हूँ। उसे जब मिलना होगा तब मिलेगा। उसे प्राप्त करनेकी योग्यताका विकास करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। बाजी ईश्वरके हाथ है। वह तो परमगुरु है। वह जैसे नचायेगा, वसे नाचूगा।

खुर्शेदबहनको लिखा तुम्हारा पत्र मने पढा। इस बहनकी उम्र चालीस के आस पास है। वह दादाभाई नौरोजीकी पौत्री है, विदुषी है। यूरोप भ्रमण कर आई है। तथापि अशान्त रहती है। श्री अरविन्दके कुछेक लेख उसने पढे हैं। इससे मने उसे सलाह दी है[1] कि वह वहा जाकर अनुभव प्राप्त करे। यह महिला केवल कुतूहल वश कही जानेवालोमे से नही है। उसको लिखा तुम्हारा पत्र मुझे बहुत अविनयपूण लगा हे। उसके होटलमे रहनेपर कोई एतराज न होगा, इसका अथ क्या है? अपने पत्रमे यदि अब तुम्हे अशिष्टता दिखाई दे तो तुम उसे विनयपूण पत्र लिखना और आमन्त्रित करना।

श्रीयुत् गोविन्दभाई
अरविन्द आश्रम
पाण्डिचेरी

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण

१ देखिए "पत्र खुर्शेदबहन नौरोजीको", २४-९-१९३४।

८० पत्र : राधा गांधीको

२८ सितम्बर, १९३४

चि० राधिका[1],

कृष्णदासने मुझे तेरे समाचार दिये। कृष्णको वहाकी सचालिकाका पत्र मिला है जिसमे उसने लिखा है कि तुझे १०० डिग्री बुखार रहता है। दस पौण्ड वजन भी कम हो गया है और खाना भी एक ही जून खाती है। रातको भूख नही लगती। तू मुझे कभी कभार पत्र लिखती तो जरूर है, लेकिन वस्तुत वह कोरा ही होता है। ऐसे लिखनेसे न लिखे तो ज्यादा अच्छा है।

इतना जानना कि यदि देहकी रक्षा करके ही धर्मका पालन किया जा सकता है तो यह भी उतना ही सच है कि विद्योपार्जन भी शरीरकी रक्षा करके ही किया जा सकता है। तू परीक्षामे प्रथम आये और शरीर शय्यावश हो जाये तो तेरी परीक्षाका क्या लाभ? तू अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करते हुए क्यो नही पढ सकती? इसी परीक्षाकी तैयारी राजकोटमे क्यो नही करती? सुशीला तेरी मदद अवश्य करेगी। तू वहा जिन विषयोका अध्ययन करती है, उन सब विषयोको पढनेकी व्यवस्था राजकोटमे है ही। राजकोटकी जलवायु भी तुझे तो अनुकूल आती है। कृष्णदासका कहना है कि वहा तू कोई सहेली भी नही बना सकी है। यह सब सच है तो कमसे कम तुझे मुझको लिखना चाहिए जिससे मैं और अधिक लिख सकू। यदि तुझे यह डर हो कि तेरे पत्र कोई पढेगा तो पत्रोके ऊपर 'निजी' लिखा कर। तब उन्हे और कोई नही पढेगा।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य : नारायण देसाई

१ मगनलाल गांधीकी पुत्री।

८१ पत्र प्रभाशकर पट्टणीको

२५ सितम्बर, १९३४

सुज्ञ भाईश्री

पहले पोस्टकाडको जरूर अपने पास रखे। मुझे उसकी जरूरत नही। भगवान करे कुमारसाहब शीघ्र ही अच्छे हो जाये।

मेरी गाडी तो ईश्वर चलाता जाता हे।

मोहनदासके वन्देमातरम

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३८) से। सी० डब्ल्यू० ३२५४ से भी, सौजन्य महेश पी० पट्टणी

८२ पत्र कान्ति गाधीको

२५ सितम्बर, १९३४

चि० कान्ति,

तेरा पत्र मिला है। उसके मिलनेके पहले ही मैने उन्हे तुझे लिखनेको तो कह ही दिया था।

तेरे पत्र कोई नही पढेगा, हालाकि उसमे गोपनीय तो कुछ है नही। और कोई यदि उन्हे पढेगा तो उसे कुछ सीखनेको ही मिलेगा। यदि तू अपने लेखादि मुझे भेजता रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। उनसे मुझे तेरी प्रगतिके बारेमे जानकारी मिल सकेगी।

तेरा कार्यक्रम अच्छा है। तेरे उठने और खाने पीनेके समय ठीक जान पडते हैं।

तेरे सुझावके अनुसार तुझे हर महीने ५ रुपये मिलते रहे, ऐसा प्रबन्ध मैं कर दूगा। मेरी इच्छा है कि अपनी जरूरतोके बारेमे तू मुझे निसकोच लिखता रह। तेरे खानेका खर्च रामचन्द्रन नही लेगा। मै उसकी इच्छाका सम्मान करूँगा।

तेरा वाचन ठीक है। वह तुझे काव्य पढाये, इसमे कोई हर्ज नही। मनुष्यको काव्य भी अवश्य पढना चाहिए। शार्टहैड तो तू मेरी ही खातिर सीख रहा है न? मेरे विचारसे तो तू यह बोझ नाहक उठा रहा है। लेकिन मै अब ऐसा भी नही कहना चाहता कि बन्द कर दे। शार्टहैड उपयोगी वस्तु तो है ही। तू मलयाली सीख रहा है, यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मै मानता हूँ कि यदि तू

मलयाली अच्छी तरह सीख ले और तमिल भी, तो यह बहुत अच्छा होगा। जिसे भाषाका शौक हो उसके लिए बहुत सारी भाषाएँ सीखना मुश्किल नही है। लेकिन वहाका अनुभव लेनेके बाद यदि तेरी इच्छा हो तो थोडा समय मदनापल्लीमे बिताना। वहाके सगीतका थोडा-बहुत परिचय प्राप्त करना।

'रेनेसास' सम्बन्धी पुस्तक मैने नही पढी हे। तूने जो अश उद्धृत किया हे, सो ठीक किया है। मेरे बारेमे ऐसा तो बहुत कुछ लिखा ही जाता रहता हे। इनमे से मै कुछ न-कुछ सीख लेता हूँ। नम्रता तो अवश्य आती है। हमे दूसरे लोग किस दृष्टिसे देखते है, इस निरीक्षणके लिए ऐसी टीका बहुत उपयोगी होती है। आत्म निरीक्षणके लिए ऐसी टीकाएँ बहुत उपयोगी होती है। स्तुतिवचन तो निरथक होते है। टीकासे बहुत-कुछ सीखनेको मिलता है।

मुझे नियमपूवक लिखा करना।

हरिलालके पत्र नियमित रूपसे आते है। वह तो लिखता है कि उसमे अच्छा परिवतन हुआ हे। वह 'गीता' का अच्छा अध्ययन कर रहा हे। मैने उसका हाथ थामनेकी बात लिखी हे। अब जो हो, सो सही। बा और रामदास साबरमती ही है। रामदास ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७२८८) से, सौजन्य कान्ति गाधी

८३ एक पत्र

२५ सितम्बर, १९३४

द्वारकानाथने मुझे जो लम्बा पत्र लिखा था, उसके बारेमे तुम्हे लिख चुका हूँ न? इस पत्रमे ओर तुम्हे लिखे गये पत्रमे जमीन-आसमानका फक था। मुझे लिखे पत्रमे तो द्वारकानाथ हवामे उड रहे थे। वे नियमोके बन्धनसे मुक्त हो गये थे और जिस वस्तुको साधनेमे विश्वामित्रको वर्षो लगे थे, उन्हे लगता था कि वे उसे कुछ दिनोमे ही सिद्ध कर सकते है।[1]

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ देखिए "पत्र द्वारकानाथको', १-१०-१९३४ भी।

८४ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

२५ सितम्बर, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला है। मैंने अगला खत दामोदरदासको नही भेजा है। यदि बात स्पष्ट करनी है तो तुमारे उनको सीधा लिखना। मुझे पता नही है मुबईमे कितना समय मिलेगा।

भाईओके पास खानेका लेनेमे कोई हानि नही समझता हू। तुमारा सारा समय सेवामे चला जाय तो तुमारे किसी न किसी जगह से खाना तो लेना ही पडेगा। भाई खुद शरीरसे सेवा न कर सके तो जो करना चाहे उसको खाना खिलावे तो कुछ आश्चयकी बात नही है—पुण्य काय हे। यहा तक तो अपरिग्रह बनता रहता है। लेकिन बचे हुए पैसे इकट्ठे करना तो चोरी है और परिग्रह तो है ही। जो मनुष्य सचमुच गरीब है वह अपने मित्रोके लिये क्या कर सकता है? चोरी करके उनको धन देवे? यह मित्रता नही है शत्रुता है। सो तुम कर रहे हो। क्यो सब मित्रोको न कहा जाय कि अब तुम चादीवाला मिट गया है सिफ गरीब सेवक बन रहा है। गरीब होते हुए भी जब वे लोग मित्र रहेगे तो सच्ची मित्रता सिद्ध होगी। तुमारे साथ मित्रता कैसे पैदा हुई उसका तुमको पता है। तुमारे पास पैसे थे और वह दोनो हाथोसे उडाते थे। तुमारी इस बारेमे जो बाते मै पढता हू सबकी सब आत्मवचना है। यह तो हुआ मेरा निदान। इस बातकी प्रतीति जबतक तुमारे चित्तमे न हो सके तब तक इसका अमल न किया जाय। तुमारा दिल जो तुमको कहे वही सच्च माना जाय। भले दुनिया उसे जूठ कहे।

काग्रेसके दिनोमे मुबई आकर क्या करोगे? बीमार होना है? मसूरीकी शाति क्यो छोडना? वही बैठे हुए ज्यादा सूत कातो। ज्यादा आत्मनिरीक्षण करो। शरीर अच्छा कर लो। लेकिन इसमे भी दिल पर बलात्कार न किया जाय। मै तो सबको रोक रहा हू।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

राधाको लिखता हू।[1] जब तक हाजमा अच्छा न हो रोटी खाना शायद ठीक नही होगा। लेकिन जैसे दाक्तरोने कहा है वही किया जाय।

पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० २४२५) से।

१ देखिए 'पत्र राधा गाधीको' २४ ९ १९३४।

८५ पत्र अन्नपूर्णाको

२५ सितम्बर, १९३४

चि० अन्नपूर्णा,

तुमारा खत मिला। मजबूती और समानता निकालनेके बारेमे मैं एक नोध थोडे दिनोमे भेजुगा।

पिताजीसे कहो कि दीनबधु एडरूझ उत्कल नही जा सकेगे। उनको ६ अक्तूबरको मुबई छोडना चाहिये।

तुम सब नई जमीन पर मजदुरी करेगे सो मुझे बहूत अच्छा लगता है। मुझे बयान देना।

बापुके आशीर्वाद

श्रीमती अन्नपूर्णा कुमारी
डाकखाना बाडी कटक
जिला कटक[1]

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७८५) से।

८६ पत्र वी० वी० दास्तानेको

२५ सितम्बर, १९३४

खादी पहननेका और अपने आप यज्ञरूप कातनेका उत्तमोत्तम कारण यह हे कि हम कगाल लोगोके साथ हमारा अववेत सिद्ध करे। आज जो खादी हमको महेगी प्रतीत होती हे वह कल सब कपडोमे सस्ती बन सकती है और सो भी सबके अल्प प्रयत्नसे।

दास्ताने
भुसावल

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ मूलमें पता अंग्रेजी लिपिमें है।

८७ पत्र होरेस जी० अलेक्जेंडरको

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय होरेस

म तुम्हे पहले ही जितना प्यार करता हूँ, यदि उसमे कुछ वद्धि की जा सकता हो तो कहूँगा कि तुम्हारे स्पष्टवादितापूण पत्रको पाकर मै तुम्हे और भी प्यार करने लगा हूँ। तुम्हे यह जानकर आश्चय होगा कि तुम्हारा पत्र मिलनेसे बहुत पहले ही मने यह राय व्यक्त की कि जवाहरलाल भारतीय मामलेको अग्रेज श्रोताओके सम्मुख मुझसे अधिक विश्वासोत्पादक ढगसे पेश कर सकते है। इसलिए तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह मेरे लिए नया नही है। इसके अलावा, मुझे इस बातका पूरा यकीन हे कि मुझे कमसे-कम इस समय तो भारतसे बाहर नही जाना चाहिए। मै यहा रहकर इग्लैडके लोगोसे अपनी बात ज्यादा प्रभावकारी ढगसे कह सकता हूँ। और न ही मेरे खयालमे अकेले श्रीमती गाधीको[1] वहा भेजनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। मै समझता हूँ कि जहातक मेरे और श्रीमती गाधीके [इग्लड] आनेकी बात है, अग्रेज मित्रोको हम दोनोका ही खयाल अपने दिमागसे निकाल देना होगा। मैने अपने हाल ही के वक्तव्यमे[2] जो बाते कही है, उन सबके लिए यदि सम्भव हो तो मै एक-एक क्षणका उपयोग करना चाहता हूँ।

तुम्हे और ऑलिवको[3] प्यार।

बापू

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० १४२३) से।

१ कस्तूरबा गाधी।
२ १७ सितम्बर १९३४ का।
३ होरेस अलेक्जेंडरकी पत्नी।

८८ पत्र सीताराम शास्त्रीको

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय सीताराम शास्त्री,

मुझे आपका पत्र मिला जिसके साथ खद्दर सस्थानकी रिपोट भी सलग्न हे। उसमे आपने मुझे तकली चलानेवालोकी रफ्तारके बारेमे बताया है। वह यहाके परिणामोकी अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए मेरी राय है कि किसी व्यक्तिको यहाकी विधि सीखनी चाहिए। यह एक अदभुत खोज है। यहा सबसे ज्यादा रफ्तार प्रति घटा ४०० तार है। इसे आसानीसे सीखा जा सकता है। यहा आम रफ्तार २०० तारसे ऊपर है। छोटे बच्चे मेरे-जैसे बूढोसे इसे कही जल्दी सीख लेते है। मै इसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मै अभी इसे सीख नही पाया हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि थोडा प्रयत्न करनेपर मै इसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकूगा।

मै वस्तु-विनिमयके तरीकेसे सतुष्ट नही हूँ जिसमे धानको मापदण्ड रखा गया हे। इसके लिए सावधानीके साथ अध्ययन करनेकी जरूरत है।

इससे पहले रिपोटके साथ मुझे आपका जो पत्र मिला था उसका मै अभी तक कोई उत्तर नही दे पाया हूँ। मै अखिल भारतीय चरखा सघके सिलसिलेमे लिखे पत्रका उल्लेख कर रहा हूँ। इसका सीधा-सादा कारण यही है कि मै अत्यधिक व्यस्त हूँ और अभी मेरे पास शक्ति भी सीमित हे।

श्री सीताराम शास्त्री
चण्डोल पोस्ट आफिस
गुटूर जिला

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस सोजन्य प्यारेलाल

८९ पत्र अमृतलाल डी० शेठको[1]

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय अमृतलाल,

कल हममे हुई बातचीतके सम्बन्धमे मै जानता हूँ कि देशी राजाओ और देशी रियासतोमे रहनेवाले लोगोके प्रति काग्रेसके दृष्टिकोणके बारेमे मेरी बातचीत और पत्रोको लेकर लोगोके दिलोमे कुछ गलतफहमी हो गइ हे। मुझे हैरानी होती हे कि कोई व्यक्ति कैसे यह सोच सकता है कि मै इन्हे भारत राष्ट्रका एक अखण्ड भाग नही मानता हूँ। बेशक वे लोग भारतके अभिन्न भाग है ठीक उसी तरह जिस तरह भौगोलिक भारतके अन्य भागोमे रहनेवाले भारतीय है। यद्यपि हम विभिन्न सरकारोके अधीन रहनेवाले लोग है, तथापि हम सब एक है। मुझे आपसे यह बात सुनकर भी हेरानी हुई कि कुछ लोग मुझपर यह आरोप लगाते है कि देशी रियासतोके जो लोग काग्रेसके सदस्य है, उसके लिए उन्हे काग्रेससे अनुमति लेनी पडी है। उनके काग्रेसमे शामिल होनेके बारेमे काग्रेस सविधानमे निश्चित व्यवस्था की गई है और जो लोग काग्रेसके उद्देश्यसे सहमति प्रकट करते है तथा सदस्यतासे सम्बन्धित अन्य नियमोका पालन करते है उन्हे किसी भी भारतीयके समान काग्रेसमे शामिल होनेका अधिकार प्राप्त है।

हृदयसे आपका,

श्री अमतलाल डी० शेठ
(शिविर) वर्धा

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस सौजन्य प्यारेलाल

१ इसी तरहका एक और पत्र ९ अक्टूबर, १९३४को अमृतलाल डी० शेठको भेजा गया था। लेकिन उसमें अन्तिमसे पहला वाक्य नहीं था।

९० पत्र सी० अब्दुल हकीमको

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय महोदय,

उत्तरी अरकाटके जिला बोडके प्रस्तावको अग्रेषित करते हुए आपने जो पत्र लिखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद। प्रस्तावके लिए मै जिला बोडका आभारी हूँ।

हृदयसे आपका,

जनाब सी० अब्दुल हकीम साहब बहादुर
अध्यक्ष, जिला बोड, उत्तरी अरकाट
आरकोनम

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

९१ पत्र कोगात्तिल राम मेननको

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मेनन

श्रीमती माटिल्डा बी० कैल्लनके सम्बन्धमे मुझे पूरा यकीन है कि यद्यपि वह जन्मसे ईसाई है, तथापि उन्हे हरिजन लडके-लडकियोको हिन्दू-धमके सिद्धान्तोके अनुसार धमकी शिक्षा देनेमे कोई सकोच नही होगा। इसलिए ईसाई होनेके नाते उन्हे छात्रावासकी जिम्मेदारी सौपनेमे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए।

यह रही मुझे लिखे उनके पत्रकी एक प्रति।

हृदयसे आपका,

सलग्न १

श्री कोगात्तिल राम मेनन
एडवोकेट
चेलापुरम (कालीकट)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

९२ पत्र माटिल्डा बी० कैल्लनको

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय माटिल्डा,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने कोगात्तिल राम मेननको इस आशयका पत्र लिखा है[१] कि तुम्हारा ईसाई होना छात्रावासकी जिम्मेदारी तुम्हे सोपे जानेके मागमे आडे नही आना चाहिए। तुम्हारा पत्र बिलकुल सतोषजनक है।[२]

श्रीमती माटिल्डा बी० कैल्लन
नेत्तूर
तेल्लीचेरी, उत्तरी मलाबार

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

९३ पत्र कस्तूरबा गाधीको

२७ सितम्बर, १९३४

बा,

कल तेरी चिट्ठीका जवाब दे दिया था। फिलहाल तुम दोनोको तुरत वर्धा बुला लेना ठीक नही है। वहाके अस्पतालका इलाज भी पूरा हो जाना ठीक रहेगा। वहाकी आबहवा मे तो कोई कसर नही है। अगर रामदासको वहा अच्छा न लगता हो तो बात अलग है। इसलिए तू धीरज रखना। भगवान सब ठीक ही करेगे। राजेन्द्रबाबू कल चले जायेगे, सरदार भी चले जायेगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २६७

१ देखिए पिछला शीर्षक।
२ देखिए 'पत्र माटिल्डा बी० कैल्लनको", १९-९-१९३४ भी।

९४ पत्र जमनालाल बजाजको

२७ सितम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

वल्लभभाई खबर देते है कि तुम [1] मे कपडेकी मिलका सौदा करनेका विचार रखते हो। 'तुम' अर्थात कम्पनी। मुझे इस खबरसे आघात तो अवश्य पहुँचा। जो खादी-कायमे इतना निमग्न हो वह मिलका मालिक बने, यह बात अजीब लगी। तथापि, मै तुम्हे कुछ लिखू अथवा न लिखू, इसका निश्चय नही कर पाया। इस बीच कल जानकीमैया[2] आइ। वह मध्यमाकी परीक्षा दे कर आई है और उनका मन निश्चिन्त हुआ है। जबसे उन्होने यह बात सुनी है उन्हे चैन नही पड रहा है। पूछती है, "यह बला किसके लिए मोल ले रहे हो?" लडकोको भी तुम्हारा यह विचार अच्छा नही लगा। नौकरोका कहना है कि चलो अब घरकी मिल हुई, अब भला सेठ हमे खादी पहननेके लिए क्योकर कहेगे? तुम्हारा यह कदम किसीको पसन्द नही आया इसलिए मिल लेनेका विचार छोड देना। और यदि तुम मिल खरीद ही चुके हो तो इस बलासे बच निकलनेका उपाय करना। भागीदार लेना चाहे तो भले ही ले। मुझसे तुम्हे यदि धन्धा ही चाहिए तो अन्य अनेक धन्धे पडे है। और यदि तुम्हे परोपकाराथ ज्यादा पैसा चाहिए तो हम ऐसे परोपकारके बिना ही काम चलायेगे। ओम[3] मुझसे कहती है कि तुम्हे काग्रेसके लिए पैसा चाहिए, इसलिए कही तुम तो काकाजीसे मिल लेनेके लिए नही कह रहे हो? इन सबको मै क्या जवाब दू? यदि तार द्वारा मिल लेनेका विचार छोड देनेकी खुशखबरी हमे दे सको तो देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० २९४३) से।

१ नाम नही दिया गया।

२ और ३ जमनालाल बजाजकी पत्नी और पुत्री।

९५ पत्र लीलावती मुन्शीको

२७ सितम्बर, १९३४

चि० लीलावती[1],

तुम्हे जो आशका है उसके लिए गुजाइश ही नही रह जाती। मै अभीसे योजना बना रहा हूँ। मुझे काम करवानेके लिए इसकी आवश्यकता तो होती नही कि अपने पक्षमे विधिपूवक वोट लू। राजनीतिमे दिलचस्पी रखनेवाले लोगोकी क्या इच्छा है, इसका अदाज मुझे मिल जाता है, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। तुम निश्चित रहना।

मै [काग्रेससे] बाहर रहूँगा, इसका अथ यह नही है कि मै बेकार बैठा रहूँगा। मेरा चरखा तो चलता ही रहेगा। कदाचित गति और भी बढ जायेगी। लेकिन कोई एक हाथसे ताली थोडे ही बजती है? अर्थात् जो व्यक्ति मुझे मदद देना चाहेगा उसकी मददकी जरूरत तो मुझे होगी ही।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाइ

९६ पत्र रामदास गाधीको

२७ सितम्बर, १९३४

[2] जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ईश्वरके अधीन रहनेमे यह सब लाभ है। होनी तो होकर रहती है, लेकिन ईश्वरापण-बद्धिको कदापि असन्तोष नही होता। और जिस व्यक्तिमे अहभाव है उसे किसी चीजसे सन्तोष नही होता। इतनेमे सारा ज्ञान आ जाता है, ऐसा समझना। यह सच है कि ईश्वरापण बुद्धिका विकास करना कठिन है, लेकिन सत्यकी प्रतीति होनेके बाद यदि हम उसका अनुकरण करते रहे तो सन्तोष बढता जाता है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ क० मा० मुशीकी पत्नी।

२ साधन सूत्रमें यहाँ कुछ छूटा हुआ है।

९७ चर्चा स्वदेशीके बारेमें[1]

[२८ सितम्बर, १९३४ से पूर्व]

प्रश्न यह नया स्वदेशी पुराने स्वदेशीसे किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर पुराने स्वदेशीमें जोर इसी बातपर दिया जाता था कि माल इसी देशका बना हुआ है। इस सबपर विचार नहीं किया जाता था कि वह माल किस तरह तैयार हुआ है अथवा उसके खपनेकी कितनी सम्भावना है। अच्छे पायेपर खड़े हुए संगठित उद्योगोंको मैंने जो रद कर दिया है उसका यह कारण नहीं कि वे उद्योग स्वदेशी नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अब खास सहायताकी जरूरत नहीं हैं। वे अपने पैरोंपर खड़े रह सकते हैं, और हमारी वर्तमान जागतिकी अवस्थामें उस स्वदेशी मालकी सहज ही खपत हो सकती है। नये स्थिति निर्धारणके अनुसार मैं अपने स्वदेशी संघके द्वारा इतना अवश्य कराऊँगा कि वह तमाम ग्रामोद्योगोंका पता लगाये और इस बातकी भी जाँच-पड़ताल करे कि आज उनकी क्या दशा है। हम ऐसे विशेषज्ञों और रसायनशास्त्रियोंको रखेंगे, जो अपने ज्ञानका लाभ गाँवोंकी जनताको देनेको तैयार हों। हम अपने विशेषज्ञोंके द्वारा गाँवोंके कारीगरोंकी बनाई हुई चीजोंकी परीक्षा करायेंगे, उनमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं यह सब उन्हें बतलायेंगे और उन्होंने अगर हमारी शर्तें स्वीकार कर लीं, तो उनकी बनाई चीजोंको हम बेच भी देंगे।

प्रश्न आप क्या किसी भी और सभी ग्रामोद्योगोंको हाथमें लेना चाहते हैं?

उत्तर ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो एक एक धन्धेका पता लगाऊँगा और यह देखूँगा कि ग्राम जीवनकी अर्थव्यवस्थामें उनका क्या स्थान है। अगर मुझे यह मालूम पड़ा कि उन उद्योगोंमें ऐसे गुण हैं कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाये तो उन्हें प्रोत्साहन दूँगा। उदाहरणके लिए, इस झाड़को ही ले लीजिए। गाँवोंकी पुराने ढंगकी झाड़को फेंककर उसकी जगह आधुनिक झाड़ू या ब्रुशको घरमें लाना मैं कभी पसन्द नहीं करूँगा। मैं श्रीमती गांधी और घरकी दूसरी बहनोंसे पूछूँगा कि दोनों प्रकारकी झाड़ओंके तुलनात्मक गुण क्या क्या हैं। सभी दृष्टियोंसे मैं लाभको देखूँगा। इस प्रकार देखते हुए मेरा विश्वास है कि गाँवकी पुरानी झाड़ूको ही पसन्द करना चाहिए, क्योंकि इसके उपयोगमें मुझे सूक्ष्म जीव जन्तुओंके प्रति कोमलता और दया भाव दिखाई देता है। इसके विपरीत ब्रुश तो सूक्ष्म जीव जन्तुओंका बिलकुल सफाया ही कर देता है। इस तरह झाड़के अन्दर मैं समस्त जीवनकी फिलॉसफी देखता हूँ,

१ यह 'स्वदेशीके बारेमें और चर्चा' शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। गांधीजीने अनेक लोगोंके साथ जो परिचर्चा की थी उसका यह सार संक्षेप महादेव देसाईने तैयार किया था।

क्योकि मै यह नही मानता कि सिरजनहार अत्यन्त सूक्ष्म जीव जन्तुओ और [अपनी दष्टिमे] सूक्ष्म मनुष्योके बीच कोई भेद भाव रखता है।

इस तरह म गावोके उन सभी प्रकारके उद्योग व धधोको अलग छाट लूगा जो आज लुप्तप्राय है लेकिन अपने अन्तर्निहित गुण और अपनी उपयोगिताके कारण पुनर्जीवित किये जानेके योग्य है। इसी रीतिसे मेरा अनुसन्धान काय चलेगा। उदाहरणके लिए, तुच्छ दातौनको ही ले लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि बम्बईके लाखो नागरिकोको अगर दातौन न मिले तो जरूर उनके दातोको नुकसान पहुँचेगा। दातौनके बदले जो यह टूथ ब्रुशका उपयोग किया जा रहा है, उसकी कल्पना ही मेरे लिए असह्य हे। यह ब्रुश अस्वच्छ होता हे। एक बार दातोपर फेरनेके बाद उसे फेक देना चाहिए। उसे साफ करनेके लिए चाहे जितनी कीटाणु-नाशक दवाइया काममे लाई जाये, तो भी ताजे ब्रुशकी तरह साफ तो वह हो ही नही सकता। उससे हमारी बबूल या नीमकी दातौन कही अच्छी हे कि उससे एक बार दात साफ किये और फेक दिया। दातौन मे दातके मसूडोको मजबूत बनानेका बहुत बडा गुण है। फिर दातोन की फाक जीभ साफ करनेका भी काम देती है। हमारे यहाकी दातौन जैसी किसी स्वच्छ वस्तुका तो पश्चिमवालोने अभी तक अनुसधान ही नही किया है। आप लोगो को शायद मालूम न होगा कि दक्षिण आफ्रिकाके एक डाक्टरका यह दावा था कि बटू जातिके खान मजदूरोमे दातोनका आग्रहपूवक उपयोग कराके उन्होने उन लोगोमे फलते हुए क्षय रोगको रोक दिया था। टूथ ब्रुश यदि हिन्दुस्तानका बना हुआ हो, तो भी मै उसका प्रचार नही होने दूगा। मै तो खुलेआम दातौनकी ही तरफदारी करूँगा। यह शत प्रतिशत स्वदेशी है। इसकी यदि मै फिक्र रखूगा, तो बाकी चीजे तो अपनी सार सँभाल स्वय ही कर लेगी। मुझसे अगर आप समकोणकी परिभाषा पूछे तो मै उसे सहज ही बतला सकता हूँ। पर १ और १८० अशके बीचके कोणको यदि आप बना सके, तो उसकी परिभाषा आप मुझसे न करावे। अगर मुझे समकोणकी परिभाषा आती होगी, तो मै फिर अन्य सभी प्रकारके कोण बना सकूगा। स्वदेशी शब्द मे ही उसकी विस्तत व्याख्या आ जाती है। तो भी मैने अपने स्वदेशीको 'शत-प्रतिशत स्वदेशी' कहा हे, क्योकि मुझे आज स्वदेशीमे दूसरी चीजोके घोटाला हो जानेका भय है। शत प्रतिशत स्वदेशीमे सेवा करनेकी अनन्त इच्छा रखनेवालोके लिए भी काफी क्षेत्र पडा हुआ हे और इसम हर तरहकी प्रतिभाका उपयोग हो सकता है।

प्रश्न इस स्वदेशीके अन्तमे क्या आप 'स्वराज्य' देखते ह?

उत्तर क्यो नही? एक बार मैने कहा था कि चरखेमे स्वराज्य है। फिर कहा कि मद्य-निषेधमे स्वराज्य है। इसी तरह मै यह भी कहता हूँ कि शत प्रति शत स्वदेशीमे स्वराज्य अन्तर्निहित हे। जिस प्रकार अधोने हाथीका वणन किया था, यह बात भी लगभग वैसी ही है, 'गजदशन' के ही समान है। उन सभी अधोका कथन सत्य था, तो भी सम्पूण सत्य नही था।

अगर हम अपने सभी साधनोका पूरा उपयोग कर सके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भारतवष पहलेकी तरह एक बार फिर ससारमे सबसे अधिक समृद्ध

देश बन जाय। अगर हम आलस्यको तिलांजलि देकर करोड़ों देशभाइयोंके अवकाशके समयका सदुपयोग करा सकें, तो अपने अतीतसे उस वैभवको हम एक बार फिर लौटा ला सकते हैं। पर यह तभी हो सकता है जब हम मशीनकी तरह नहीं बल्कि मधुमक्खियोंकी तरह उद्यमी बन जायें। आपको मालूम है कि आजकल मैं 'निर्दोष' मधुका प्रचार कर रहा हूँ?

प्रश्न: यह निर्दोष मधु क्या चीज है?

उत्तर: वैज्ञानिक ढंगसे मधुमक्खियाँ पालनेवाले वैज्ञानिक रीतिसे जो शहद निकालते हैं वह। ये लोग मधुमक्खियाँ पालते हैं और फिर बिना उन्हें मारे हुए उनका मधु इकट्ठा कर लेते हैं। इसीलिए मैं उसे निर्दोष या हिंसाहीन मधु कहता हूँ। बढ़ाया जाये तो यह धंधा काफी बढ़ सकता है।

प्रश्न: पर क्या आप उस शहदको पूर्णतया हिंसाहीन कह सकते हैं? जैसे बछड़ेका दूध हम छीन लेते हैं, उसी तरह मधुमक्खियोंको क्या हम उनके मधुसे वंचित नहीं कर देते?

उत्तर: ठीक है। पर दुनियाका काम इस तरहके कोरे तर्कसे ही नहीं चल सकता। हम जीते हैं, इसीमें कितनी हिंसा है, हमें तो वही मार्ग ग्रहण करना है, जिसपर चलनेसे कम से कम हिंसा होती हो। यों तो शाकाहारमें भी हिंसा है — है या नहीं? इसी तरह यदि मुझे मधुकी जरूरत ही है, तो मुझे मधुमक्खियोंके साथ मैत्रीभाव रखना होगा और जितना मधु वे दे सकें, उतना उनसे लेना चाहिए। फिर वैज्ञानिक रीतिसे मधुमक्खी पालनेकी प्रणालीमें मधुमक्खीको सारे मधुसे वंचित नहीं किया जाता।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-९-१९२४

९८. कुछ कूट प्रश्न

मिथिलाके एक ब्राह्मणने मुझे हिन्दीमें एक लम्बा पत्र लिखा है, लेकिन वह चाहते हैं कि मैं उसका उत्तर अंग्रेजी 'हरिजन' में दूँ। उनकी लेखन-शैलीसे स्पष्ट है कि वह अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं। उनके पत्रमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गये हैं जो सार्वत्रिक महत्त्वके हैं। मूल हिन्दी पत्र 'हरिजन सेवक' के सम्पादकको भेजा जा रहा है। मैं खुशी-खुशी उस पत्रका सार नीचे दे रहा हूँ।

पत्र लेखक कट्टर पंथी परिवारके सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने हरिजनोंके विरुद्ध सभी प्रकारके पूर्वग्रहोंका त्याग कर दिया है, और ऐसे लोगोंको छोड़कर जो कि देखनेमें ही गंदे हैं जैसेकि बिना नहाया हुआ कोई डोम, वह सभी लोगोंको उस कुएँसे पानी भरने देते हैं जो अभीतक केवल तथाकथित ऊँची जातिके हिन्दू ही इस्तेमाल कर सकते थे। वह लिखते हैं:

१ जिस प्रकार आप सवण हिदुओको अस्पश्यता समाप्त करनेका उपदेश करते ह, उसी प्रकार आप हरिजनोको स्वच्छताका, मुर्दार मास न खानेका ओर ऐसी ही अय बुराइयोको छोडनेका उपदेश क्यो नही करते ?

२ किसी सनातनी हिदूके विशिष्ट गुण और लक्षण क्या ह ?

३ आपने कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपना पुश्तनी धधा या पेशा त्यागता है, तो ऐसा करके वह जाति भ्रम पदा करता ह। यह विचार 'गीता' के प्रथम अध्यायमे प्रयुक्त शब्दसे[1] निकलनेवाले अथके साथ किस हदतक सगत है ?

४ ब्राह्मण स्त्रीके शूद्र पुरुषके साथ विवाहके बारमे स्मतियोमे जो श्लोक दिये गये ह, उनके बारेमे आपका क्या कहना हे ?

५ आप कहते है कि चारो वर्णोमे कोई ऊँच नीचकी बात नही हे। आपके इस कथनमे मुझे पूरा विश्वास हे, लेकिन शास्त्रोमे से अनेक ऐसे श्लोक उद्धत किये जा सकते हैं जो स्पष्ट ही आपके कथनके विपरीत बातोका प्रतिपादन करते है। अत क्या आपका कथन इन श्लोकोसे सगत बैठता हे ? कृपया देखे कि शूद्रोके बारेमे स्मतियोमे क्या कहा गया हे।

६ आप कहते है कि वण या जातिका निर्धारण सामायत जमके आधारपर होता हे। आप यह भी कहते है कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित आचरण नही करता उसका पतन हो जाता है। वह किस वणमे गिना जायेगा ? उस शूद्रके बारेमे आप क्या कहेगे जिसके लक्षण ब्राह्मणो जैसे ह ?

७ ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो कुछ खाता हे, उसीके अनुरूप बन जाता हे और किसी भ्रष्ट आदमी द्वारा बनाया हुआ या उसके द्वारा केवल छआ हुआ भोजन या जल ग्रहण करनेवाला व्यक्ति स्वय भ्रष्ट हो जाता है, और आप कहते ह कि अतर्जातीय भोजका निषेध वण या जातिके नियमका अभिन्न अग नही हे। क्या यह सही है ?

८ जब मेरे-जैसे कायकर्त्ता अस्पश्यताके विरोधमे काय करते है तब हमारे सनातनी प्रतिपक्षी आपके विरुद्ध तरह-तरहकी बाते कहते है। उनकी अधिकाश बातोका हम जोरदार ढगसे जवाब दे देते हैं। लेकिन आश्रममे आपने एक मरणासन्न बछडेका जो वध कराया था, उसे हम लोगोको समझा नही सके ह। क्या आप इस सवालपर रोशनी डाल सकते है ?

मूल पत्र अत्यत युक्तिपूण है और शुद्ध बुद्धिसे लिखा गया है। मूल पत्र जिस भावनासे लिखा गया है, पत्रका सार देते हुए मै उसके साथ याय कर सकता हूँ या नही, मै नही जानता। यदि नही, तो पत्र लेखक कृपया समझे कि ऐसा अयाय करनेका मेरा कोई इरादा नही रहा हे। अब इसका उत्तर ले।

१ मै हरिजनोसे स्वच्छता और सफाई बरतने, मुर्दार मास और नशीले पेय न लेने, स्वय शिक्षा प्राप्त करने और अपने बच्चोको शिक्षा देने और साथ ही सवण

१ भगवद्गीता, अध्याय १, श्लोक ४४।

हिंदुओंकी जूठन न खाने आदिके लिए तो कहता रहता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मैं इन बातोंको अस्पृश्यता निवारणकी शर्तोंके रूपमें हरिजनोंके सामने नहीं रखता। इसके विपरीत मेरा सवर्ण हिंदुओंसे कहना है कि ये कमियाँ या त्रुटियाँ हरिजनोंमें अन्तर्निहित नहीं हैं। हमने अपने इन भाइयोंकी जो घोर उपेक्षा, बल्कि जान बूझकर हमने उनका जो दमन किया है, उनकी ये कमियाँ उसीका परिणाम हैं। इसलिए यदि हम हरिजनोंको आज वे जैसे हैं, उसी रूपमें अपने भाइयोंकी तरह अपनायें तो ये कमियाँ ज्यादा आसानीसे और जल्दी दूर हो सकेंगी, उसके बाद उन्हें बेहतर बननेमें हम उनकी मदद करें। सवर्णोंका अपने पिछले अन्यायोंके लिए यह न्यूनतम पश्चात्ताप है। हमें हरिजनोंके प्रति वैसी दृष्टि रखकर उनके पास नहीं जाना चाहिए जैसीकि किसी अपात्र व्यक्तिके प्रति उदारता बरत रहे संरक्षक या ऋणदाताकी होती है, बल्कि हमें स्वयं अपनेको अपराधी मानकर पश्चात्तापकी भावनासे, कर्जदार की भावनासे उनके पास जाना चाहिए।

२ वर्णाश्रम धर्ममें विश्वास और उसका पालन हिंदू-धर्मकी विशिष्टताएँ कही जा सकती हैं। वर्णाश्रम धर्मके बारेमें मैंने अपने गुजराती लेखके एक संकलनकी जो प्रस्तावना लिखी है[1] उसका अंग्रेजी अनुवाद 'हरिजन' के इसी अंकमें अन्यत्र छपा है। उसमें बताया गया है कि वर्णाश्रम-धर्मसे मेरा क्या तात्पर्य है। मैं अपनेको एक सनातनी हिंदू मानता हूँ, क्योंकि मैं शास्त्रोंको जैसा कुछ समझता हूँ, उसके अनुसार शास्त्रोंमें धर्मके जिन शाश्वत नियमोंको बताया गया है उन नियमोंका मैं अपनी शक्ति-भर पालन करता हूँ।

३ यह बात कि अपने पुश्तैनी धंधेका त्याग करनेवाला मनुष्य[2] जातिभ्रंश पैदा करता है, स्पष्ट है। यदि कोई ब्राह्मण नाई या इंजीनियरका धंधा अपनाकर अपनी जीविका कमाने लगे तो वह भी उतना ही जातिभ्रंश पैदा करता है जितना जातिभ्रंश तब पैदा होगा जब कोई नाई या इंजीनियर जीविकोपार्जनके लिए धर्मोपदेश करने लगे। 'गीता' में, जहाँ स्त्रियोंके लिए 'दुष्ट' विशेषणका प्रयोग किया गया है, वहाँ अभिप्राय शायद स्वच्छन्द यौनाचारसे है, विवाहके पुनीत बन्धनसे उत्पन्न संतानसे नहीं।

४ स्मृतियोंके नामसे प्रकाशित श्लोकोंके संकलनको मैं देववाणी नहीं मानता। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्मृतियों और अन्य धर्मग्रन्थोंमें बहुतसे श्लोक प्रक्षिप्त हैं। जैसाकि इन स्तम्भोंमें पहले कई बार कह चुका हूँ, स्मृतियों या अन्य धर्मग्रन्थोंमें लिखी हुई ऐसी हर चीजको जो सत्य और अहिंसा अथवा नैतिकताके अन्य मूलभूत और सार्वभौम सिद्धान्तोंके विरुद्ध जाती है, मैं प्रक्षिप्त मानकर अस्वीकृत करता हूँ। प्राचीन ग्रंथोंमें इस बातके पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं जिनसे सिद्ध होता है कि इस प्रकारके विवाहोंकी अनुमति थी।

५ इस प्रश्नका जवाब चौथे प्रश्नके जवाबमें ही आ जाता है। ऊँच नीचका विचार नैतिकताके प्रारम्भिक सिद्धान्तोंके विरुद्ध है। जो ब्राह्मण अपने-आपको ईश्वरके

१ देखिए "प्रस्तावना 'वर्ण-व्यवस्था' की", २३-९-१९३४।

२ गीता में 'उत्सन्न कुलधर्म' शब्दका प्रयोग है।

बनाये किसी भी प्राणीसे श्रेष्ठ मानता है वह ब्रह्मज्ञानी नही है। यदि हम सभी लोग एक ही ईश्वरकी सतान है तो हमारे बीच श्रेणिया कसे हो सकती है? वेदोमे वणके सवप्रथम उल्लेखमे ही चार वर्णोको शरीरके चार प्रमख अगोके रूपमे बताया गया है। क्या सिर भुजाओ, उदर या पैरोसे श्रेष्ठ है अथवा क्या पैर अय तीन अगोसे श्रेष्ठ है? यदि शरीरके ये अग श्रेणियोके प्रश्नपर आपसमे झगडने लगे तो शरीरका क्या होगा? वणका नियम ईश्वर निर्मित सभी जीवधारियोमे पूण समानताका नियम है। यह ससारके सभी धर्मोका आधार है। स्मतियोमे शूद्रोके बारेमे जो श्लोक है, वे मानवीयताकी भावनाके विरुद्ध है और इसीलिए इस योग्य है कि वे बिना विचार किये रद कर दिये जाये।

६ अपने स्वधमका त्याग करनेवाले ब्राह्मण ओर शूद्र दोनो ही पतित है। अपनी पतितावस्थामे वे किसी भी वणके सदस्य नही होते। वे अपनी गलतीका सुधार फिर से स्वधमको – अपने उपयुक्त धधेको – अपनाकर कर सकते है।

७ कोई व्यक्ति यदि किसी अय व्यक्तिको भ्रष्ट और इसी कारण अस्पश्य समझता है तो यह उसकी धष्टता है। मनुष्य यदि मनमे भ्रष्ट विचार रखे, भ्रष्ट वचन बोले और भ्रष्ट काय करे तो वह भ्रष्ट हो जाता है, अपने जैसे किसी अय मानवके स्वच्छ और साफ हाथोसे पिलाये गये पानी या खिलाये गये भोजनको ग्रहण करनेसे कभी भ्रष्ट नही होता। मै यह जरूर मानता हूँ कि कोई मनुष्य क्या खाये यह तो स्वय उसीको निश्चय करना चाहिए।

८ मेरे खिलाफ यदि झूठा अपवाद फलाया जाये तो कायकर्त्ताओको मेरे कामोका औचित्य सिद्ध करनेकी कोशिश नही करनी चाहिए और न उसका बुरा ही मानना चाहिए। यह तो सभी सुधारकोके भाग्यमे बदा है। झूठे अपवादोसे किसीका कभी कुछ नही बिगडा। मनुष्यकी हानि, वह दुष्कम करे, तभी होती है। कायकर्त्ताओने जो सुधार-काय अपने हाथमे लिया है, उसका औचित्य सिद्ध करनेका काम ही उनके लिए बहुत है। उस मरणासन्न बछडेके प्राण लेनेकी मुझको शम नही है, न उसका कोई पछतावा ही है। मै उसकी यत्रणाका साक्षी रहकर भी उसे किसी उपायसे कम नही कर पा रहा था। उस कामकी नैतिकतापर मै यहा विचार नही करूँगा। यदि पत्र-लेखक या किसी अय पाठकको इसके बारेमे उत्सुकता हो तो उसे, जब यह काण्ड हुआ था, उस समयके 'यग इडिया' और 'नवजीवन' मे लिखे लेखो[1] को पढ लेना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २८ ९-१९३४

१ देखिए खण्ड ३७ पृ० ३२३ ७, ३५२ ४, ३७७ ८, ३९९ ४०३ और ४२९ ३१।

९९ महाराष्ट्र हरिजन-सेवक सघ

मैंने श्री राजभोजकी शिकायत[1] को महाराष्ट्र प्रातीय हरिजन सेवक सघके सचिव श्री मराठेके पास भेज दिया था, और उन्होने उसका निम्नलिखित जवाब तत्काल भेजा है।

मुझे भेजे गये हिसाबमे से मै प्राप्त रकमोका सक्षेप करके व्ययको विस्तारसे दे रहा हूँ। उल्लिखित अवधिमे प्राप्तिकी कुल रकम रु० १५,६३८-६-० थी। और व्यय इस प्रकार था

	रु०	आ०	पा०
प्रशासन	२,७९३	७	९
प्रचार	५७७	०	०
कल्याण काय	६,७७२	१४	२
छात्रवृत्तिया	३४६	०	०
कुएँ	२७५	०	०
अग्रिम सहायता	२,७९८	१	०

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २८ ९ १९३४

१०० पत्र एच० जी० जागीरदारको

२८ सितम्बर, १९३४

प्रिय महोदय,

आपका पत्र मिला। मै बहुत कठिनाईके बाद ही कोलम्बिया कम्पनीके लिए सन्देश दे पाया था।[2] मुझे खेद है कि मै और सन्देश नही दे सकता।

हृदयसे आपका,

श्री एच० जी० जागीरदार
रूबी रिकाड कम्पनी, चचगेट हाउस
चचगेट स्ट्रीट, फोट, बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ यह ७ ९ १९३४ के **हरिजन** में प्रकाशित हुई थी, देखिए खण्ड ५८, "पत्र पी० एन० राजभोजको" ३१ ८ १९३४।

२ देखिए खण्ड ४८, पृ० ९ ११

१०१ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको

२८ सितम्बर, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

५०० रुपयोंके बारेमें उत्कल [कार्यालय] लिखना। अब यह मामला निपटा गया माना जा सकता है। यात्रा खर्चकी बात मुझे याद है। जमनालालजी यहाँ नहीं है, इससे मैं कुछ ढील कर रहा हूँ।

सूरजबहनके विषयमें ऐसा है कि उन्हें छः महीने सेवा मन्दिरमें रहने देनेके लिए दबाव डाला जा रहा है। इस सम्बन्धमें हमारा क्या कर्तव्य है, इसपर मैं विचार कर रहा हूँ। क्या तुम कोई मार्ग सुझा सकते हो?

सातकौड़ी बाबूके बारेमें जानकर मैं तो चकित रह गया हूँ। ऐसा कैसे हुआ होगा? साथका पत्र तुम्हारी जानकारीके लिए है। घनश्यामदासको डा० विधानको लिखना चाहिए।

इस पत्रको पढ़नेमें यदि तुम्हें कठिनाई हुई हो तो मुझे बताना।

बापू

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ११४३) से।

१०२ तार मीराबहनको

२९ सितम्बर, १९३४

मीराबाई
मार्फत अलेक्जेंडर
वुडब्रुक
सेली ओक, बर्मिंघम

ईश्वर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। आशीर्वाद।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२९९) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७६५ से भी।

१०३ पत्र अक्षयकुमार रायको

२९ सितम्बर, १९३४

प्रिय अक्षयबाबू,

मुझे दीनबन्धुसे यह सुनकर दुःख हुआ कि आप कोढग्रस्त हैं। तथापि, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि चूंकि इलाज जल्द ही शुरू कर दिया गया था इसलिए आपके ठीक होनेके पूरे आसार हैं। भगवान आपको शान्ति दे।

हृदयसे आपका,

श्री अक्षयकुमार राय
१८, गोबरा अस्पताल
गोबरा रोड, कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१०४ पत्र अनन्त परशुराम घुरेको

२९ सितम्बर, १९३४

प्रिय घुरे,

मैंने सरदार वल्लभभाईके नाम लिखा आपका पत्र पढा और उन्होंने मुझे आपकी दस रुपयेकी हुण्डी भी दी है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सुपात्र हरिजनोंके बीच खादीका वितरण करनेके लिए हुण्डीका उपयोग करूँगा। लेकिन नाम और यशके लिए आपके मनमें जो उत्सुकता है वह मुझे पसन्द नहीं। अनेक लोगोंने देशकी खातिर प्राणोंकी बलि दी है, और उनके नाम ईश्वरकी पुस्तकमें अंकित हैं, मनुष्योंकी पुस्तकोंमें नहीं। मनुष्यकी पुस्तकमें जो लिखा है वह एक-न-एक दिन नष्ट हो जायेगा और जिस हदतक उनका नाम मनुष्योंकी पुस्तकोंमें लिखा होगा उस हदतक ईश्वरकी पुस्तकमें उनका महत्त्व कम हो जायेगा। आइए, हम ऐसी जयन्तियाँ आदि और अन्य प्रकारके सार्वजनिक समारोह उन लोगोंके लिए छोड दें जिनकी कीर्ति संसारमें फैली हुई है। लेकिन जो लोग विख्यात नहीं हैं, उनकी स्मृतियोंको हम

अज्ञात ही रहने दे। हमे अपनेमे इस गुणका विकास करना चाहिए कि हम सद्गुणको ही स्वयमे अपनी उपलब्धि माने।

हृदयसे आपका,

श्री अनन्त परशुराम घुरे
हनुमान टरेस
ब्लाक १२ ए० बी०, लेमिंग्टन रोड
बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१०५ पत्र कस्तूरबा गाधीको

२९ सितम्बर, १९३४

बा,

मेरे पत्र मिल रहे होगे। यदि रामदासकी ताकत पूरी तरह न लौटे तो काग्रेस अधिवेशनमे आनेका कायक्रम रद कर देना। उसमे ऐसी कोई खूबी नही रहेगी। नीमुको वहा ले जाना ठीक नही होगा। जहा देखो वहा भीड होगी। जहा जैसे-तैसे गुजर करनी पडे वहा बाल-बच्चेवाली स्त्रियोको नही जाना चाहिए। वायु-परिवतनके बारेमे तो रामदासको तभी सोचना है न, जब वह पूरी तरह चगा हो जाये। तू इसकी चिन्ता मत करना। अपने लिए मच्छरदानीका उपयोग करना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, प० २७८

१०६ पत्र सरिताको

२९ सितम्बर, १९३४

चि० सरिता,

मैंने तुम्हारा पोस्टकाड पढा। तुम्हे मेरा पहला पत्र भी मिला होगा। मैंने मणिको किसी डॉक्टरकी राय लेनेके लिए कहा है। मेरा खयाल है कि सुमित्राको अन्न नही दिया जाना चाहिए। यदि नरम खीरा उपलब्ध हो तो तुम उसे खानेके लिए दे सकती हो और पके हुए टमाटर भी। अनाज शायद उसे माफिक न आये। उसे थोडे बादाम और मुनक्का देनेमे कोई हज नही है। उम्मीद है, तुम अच्छी होगी।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (जी० एन० ११५३१) से।

१०७ पत्र सुदर्शन वी० देसाईको

२९ सितम्बर १९३४

चि० मावो[1],

तेरा पत्र मिला। तू यदि किसीके पास बैठकर चिटठी लिखे तो बहुत अच्छा रहे। इग्लैडके या किसी दूसरे देशके खिलौनोको नही खरीदना चाहिए। जो अपने देशमे मिलते है, उन्हीसे सतोष करना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (सी० डब्ल्यू० ५७४०) से, सौजन्य वालजी गो० देसाई

१०८ पत्र विमलचन्द वी० देसाईको

२९ सितम्बर, १९३४

चि० नानु[2],

तेरा पत्र और लेख मिले। तेरी लिखावटमे बहुत खामी है। एक शब्दके अक्षरोको अलग अलग नही लिखा जाना चाहिए। तू अपना पत्र यदि किसीको दिखाकर लिखे तो ज्यादा अच्छा हो। वहा कितने समयतक रहनेका इरादा है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (सी० डब्ल्यू० ५७३९) से, सौजन्य वालजी गो० देसाई

१ और २ वालजी देसाईके पुत्र।

१०९ पत्र जयकृष्ण पी० भणसालीको

२९ सितम्बर, १९३४

चि० भणसाली,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। वे मुझे अच्छे लगते ह। लेकिन तुम्हारे पता न लिखनेकी वजहसे मै उनके उत्तर नही देता। चूकि इस बार तुमने अपना पता लिखा है इसलिए उत्तर दे रहा हूँ। तुमने अपने मुहके टाके तुडवा डाले यह जानकर खुशी हुई। स्वाभाविक तो यही है कि मनुष्य अपनी अत प्रेरणासे बोले अथवा न बोले। बाह्य साधनोका प्रभाव क्षणिक होता है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

११० एक पत्र

२९ सितम्बर, १९३४

चि० [1]

मै तुम्हे यह तो बता ही चुका हूँ कि तुम्हारे और [2] के सम्बन्धमे मुझे मलिनताकी दुर्गन्धका अनुभव हुआ है। यह बात मैने किशोरलालसे कही। और किशोरलालने काकासे। काकाने इसका स्पष्ट अर्थ बतानेको कहा। मने उन्हे जो बताया, वह तुम्हे सूचित करना भी अपना धर्म मानता हूँ। अनजाने ही सही, तुम दोनोके बीच एक दूसरेके प्रति स्त्री पुरुष जैसा आकर्षण मालूम पडता है। ऐसा आकर्षण अनजाने हो सकता है, यह एक सिद्ध बात है। आवश्यक नही है कि यह आकर्षण कार्यरूपमे परिणत हो। मैने तुम्हारे मोहका अन्य कारण जाननेकी कोशिश की। किन्तु कोई दूसरा कारण नही मिला। इस संगतिसे न तुम्हे कुछ लाभ हुआ है और न को, यह तो मैने स्पष्ट ही देखा। ने तुम्हारी व्यक्तिगत सेवा की है, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा करना कि सब उसकी प्रशसा करे, ठीक नही जान पडता। मै यह लिखकर तुम्हारे प्रति अन्याय नही कर रहा हूँ। तुम्हारे मनमे विकार न हो तो भी मुझे जसा लगा है वह तुम्हारे सामने न रखू, तो मै तुम्हारा वफादार साथी नही रहता। तुम्हे मेरे यह लिखनेपर न दुख होना

१ और २ नाम नही दिये गये है।

चाहिए न क्रोध। आत्मनिरीक्षण करना और मुझे लिखना। मैं यही मानूँगा कि तुम जो कहते हो सो सही है। मेरी यह धारणा नहीं है कि तुम जान-बूझकर अपने दोष छिपाते हो।

[गुजरातीमें]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१११ पत्र सुरेश सिंहको

२९ सितम्बर, १९३४

चि० सुरेश[1],

तुमारा पत्र मिला था। राणी साहेबाको मेरा तार मिल गया होगा। जन्म मृत्यु तो हमारे नसीबमें लिखा ही है। उसमें हर्ष शोक क्या करें। तुमारे दादाके शुभ कार्यको सुशोभित रखना है। राणी साहेबाको धैर्य देना है। मेरी यह उमीद है कि सब व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। मुझे खत लिखा करो।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८६८८) से। सी० डब्ल्यू० २८९२ से भी, सौजन्य कुमार सुरेश सिंह

११२ सजोदके हरिजन

सजोदके हरिजनों पर जो अत्याचार[2] किया जा रहा है, उसके बारेमें मैं पिछले अंकमें कुछ लिख गया हूँ। सजोदसे अब एक हरिजनने हरिजन बालकोंपर होनेवाले अत्याचारोंका वर्णन किया है। उसमें नवीन कुछ नहीं है इसी से मैं यहां उस पत्रको प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। हरिजन इस तरह अपने ऊपर होने वाले अत्याचारके बारेमें लिखने और बोलने लगे हैं, यह एक शुभ चिह्न है। इस पत्र लेखकको और ऐसे अन्य हरिजनोंको फिलहाल तो मैं धीरजसे काम लेनेकी सलाह देता हूँ। वहांके कुछ-एक सवर्ण हिन्दू इस अत्याचारका विरोध करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। हरिजन भाई बहनोंको हिम्मतके साथ और निर्भय होकर उनकी मदद करनी चाहिए। फिलहाल इतना ही यथेष्ट होगा। इतना करनेमें भी अनेक हरिजन घबराते हैं, ऐसे उदाहरण मुझे बार-बार मिलते रहते हैं। तलाजामें ऐसा ही हुआ था।

१ कालाकांकरके दिवंगत राजा अवधेशसिंहके छोटे भाई।

२ देखिए "धर्मके नामपर लूट", २३-९-१९३४।

महाराष्ट्रसे अभी अभी एक पत्र मिला है, उसमे एक बालिकापर भारी अत्याचार किये जानेकी शिकायत की गई है। लेकिन वह बालिका और उसके सगे सम्बन्धी गवाही देनेके लिए तैयार नही। उन्हे इस बातका भय है कि गवाही देनेपर उन पर और अत्याचार किये जायेगे। उनका यह भय निर्मूल है ऐसा भी नही कहा जा सकता। इसलिए जो हरिजन इस खतरेको उठाकर भी अपने ऊपर होनेवाले जुल्मको साबित करनेके लिए गवाही देनेको तैयार है, वे बधाईके पात्र है। इतना निश्चित है कि ऐसे अत्याचार अब बहुत दिनोतक चलनेवाले नही है। क्योकि एक ओर तो सवर्ण हिन्दुओमे हरिजनोके प्रति अपने धर्मके बारेमे जागृति आ रही है, दूसरी ओर हरिजन लोग भी अपने ऊपर होनेवाले अत्याचारोके प्रति सजग होते जा रहे है। ईश्वर तो सदा न्यायका ही पक्षधर है। इस श्रद्धाभावसे हरिजनो और सवर्ण सुधारकोको अपने कर्त्तव्यका पालन करते चले जाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ३०-९-१९३४

११३ स्वेच्छासे शूद्र

वर्ण धर्मके विषयमे एक साथीने कुछ प्रश्न भेजे है। उनमे से आज तो मै केवल एक ही प्रश्नको हाथमे लेना चाहता हूँ। उक्त प्रश्न मेरी भाषामे इस तरह है

> आप वर्ण धर्मपर ऊहापोह करते ही रहते है। तो फिर इससे सम्बन्धित मेरी कुछ एक समस्याओको यदि आप सुलझा सके तो अवश्य सुलझाइए। 'गीता' वैश्यके तीन स्वाभाविक कर्म बताती है। ये है खेती, गोरक्षा और व्यापार। व्यापार अर्थात एक व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये मालको दूसरा ले और किसी तीसरेको बेचे। अथवा स्वय माल तैयार कर स्वय बेचे। खेती करनेवालो और गोरक्षा करनेवाले लोगोकी सख्या तो करोडोकी है। तथापि, भरवाड, मोची चमार और किसान आज तो शूद्र माने जाते है, जबकि उपरोक्त व्याख्याके अनुसार इन सबको वैश्य माना जाना चाहिए। मेरी और आपकी दृष्टिमे तो चारो वर्ण एक समान होने चाहिए, नम्रभावसे एक ही धरातलपर रहनेवाले होने चाहिए, एक दूसरेके कन्धोपर चढकर नीचे खडे लोगोको अभिमानपूर्वक कुचलनेवाले नही होने चाहिए। लेकिन हम जानते है कि समाजका दृष्टिकोण इससे भिन्न है। ऐसी स्थितिमे किसान, भरवाड, चमार आदि जो मजदूरी करके नही खाते वरन स्वतन्त्र धन्धेके द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करते है उन्हे वैश्य क्यो नही माना जाना चाहिए? किसान खेती करता है। भरवाड चमार गोरक्षा करते है। ये लोग किसीकी नोकरी नही करते। यदि हम इन्हे गोरक्षक न माने तो ये लोग व्यापारी है क्योकि ये जो तैयार करते है उसे खुद ही बेचते है। किसी भी तरह ये लोग शूद्रकी व्याख्यामे नही आते। इसके विपरीत जो लोग नौकरी करते है वे शूद्र क्यो न कहे जाये, फिर भले वे न्यायाधीश हो अथवा गवर्नर, सिपाही हो अथवा भगी?

ये समस्याएँ निःसन्देह वास्तविक हैं। इनके उत्पन्न होनेका कारण यह है कि वर्ण-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। इसका समाधान यह नहीं कि भरवाड आदि को वैश्य माना जाये। जो लोग आज शूद्र माने जाते हैं उन्हें अभिमानी वैश्य अपने तथाकथित वैश्य-वर्णमें थोडे ही शामिल करेंगे? ऊपर जो दलील दी गई है वह अकाट्य है ही। लेकिन अकाट्य दलीलोंसे न्याय नहीं होता। न्याय प्रदान करनेके लिए [इस समस्याके] मूलकी खोज करनी पडेगी और वह अनुभवसे मिलेगी। अनुभव यह कहता है कि वर्ण-धर्मका लोप हो गया है। इसलिए वर्ण-व्यवस्थाका उद्धार करनेके लिए हम सबको स्वेच्छासे शूद्र बनना चाहिए। लाचारीसे तो हम शूद्र हैं ही। लेकिन लाचारीसे किया गया अच्छा काम भी पुण्य नहीं कहलाता। लाचारीसे यदि मैं किसीको दो पैसे देता हूँ तो उसमें पुण्य नहीं है। लेकिन जो चीज मैंने आज तक लाचारीके कारण दी है यदि मैं स्वेच्छासे देता हूँ तो वह पुण्य कहलायेगा। यही बात शूद्र वर्णके विषयमें है। जो लोग इस बातको समझते हैं वे चाहे कितने ही उच्च वर्णके क्यों न हों, लेकिन यदि वे स्वेच्छासे अपने आपको शूद्र मानने और कहलाने लगेंगे तो कहा जायेगा कि उन्होंने वर्ण-व्यवस्थाके पुनरुद्धारका काम शुरू कर दिया है।

आइए, जरा इसके अर्थपर गौर करें। स्वेच्छासे शूद्र बना हुआ व्यक्ति सेवा कार्यको धर्म समझकर करेगा। उसे उससे आजीविका प्राप्त हो अथवा न हो, लेकिन वह शुद्ध भावसे और तन-मनसे सेवा करेगा। वह रोटी-बेटी व्यवहार भी तथाकथित शूद्रोंके ही साथ करेगा, अलबत्ता ऐसे शूद्रोंके साथ जो शौचाचार आदिके सामान्य नियमोंका पालन करते हों, और ऐसा वह जान-बूझकर करेगा। वह शूद्र माने जानेवाले वर्गमें ओतप्रोत हो जायेगा। वह उनकी गरीबीका यथाशक्ति अनुकरण करेगा। वह उनकी कमजोरियोंको दूर करनेका प्रयत्न करेगा। ऐसा शूद्र अपनेमें ब्राह्मणका ब्रह्मज्ञान, क्षत्रियका क्षत्रियत्व और वैश्यकी व्यापार-शक्तिका विकास करनेपर भी अपनी आजीविका केवल परिचर्यामें से ही प्राप्त करेगा। वर्ण-धर्ममें प्रत्येक वर्ण चारों वर्णोंके गुणोंका अनुकरण कर सकता है। उसे वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि 'स्मृति' में कहा गया है :

"हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्रताका पालन करना—यह मनुके द्वारा निर्दिष्ट सार्ववर्णिक धर्म है।" (१) अथवा

"हिंसा न करो, सत्य बोलो, चोरी न करो, विषयकामना, क्रोध और लोभ न करो तथा प्राणी-मात्रका प्रिय और हित करो। इतना तो सब वर्णोंके लोगोंका धर्म है।" (२)

इसलिए प्रत्येक वर्णमें विशेषता यह है कि लोग अपने-अपने वर्णके खास लक्षणों का विशेष रूपसे विकास करते हैं और उसके द्वारा ही अपनी आजीविका अर्जित करते हैं।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ३०-९-१९३४

११४ टिप्पणी

तिरस्कार सूचक पद्धति

धोलकासे डाह्याभाई पटेल लिखते है

> **नगरपालिकाओ, स्थानीय निकायो और धारासभाओ आदिमे जि हे प्रतिनिधि चुनकर भेजनेका अधिकार मिला है, उनकी मतदाता सूचिया प्रकाशित की जा रही ह। सूची तयार करनेवाले लोग उनके नाम, विशेषकर हरिजनोके तो बिगाडकर लिख ले जाते ह। ऐसे, जसे हम कुत्तोके नाम रखते ह। लिखे ही नहीं, छापे भी वे वैसे ही जा रहे ह। मने कुछ दिनो पहले धोलका-जिलाके प्रमुख अधिकारीसे इस विषयमें बातचीत की थी और कहा जाता है कि अब जिलेमें इस प्रकारकी हिदायते दे दी गई ह कि पटवारी आदि हरिजनोके पूरे पूरे नाम लिखें। एक सूचना निकालकर सारे देशमें तत्सम्बन्धी सरकारी नीति जाहिर कर दी जानी चाहिए।**
>
> **बात पहली नजरमे महत्त्वहीन दिखाई पड सकती है। किन्तु मूलत इससे यह प्रकट होता है कि व्यवहारमें हरिजनोका जो तिरस्कार किया जाता है, उनके नाम बिगाडकर लिखना-बोलना इस रूढिको दृढ करता है।**

जैसा डाह्याभाई लिखते है, यह बात देखनेमे तो सामान्य है, फिर भी ऊँच-नीचकी भावनाकी यह एक निशानी तो है ही। अपने को ऊँची जातिका माननेवाला हिन्दू नीच गिनी जानेवाली जातिके व्यक्तिको अनादरपूवक पुकारनेमे ही बडप्पन मानता है। यह चीज रूढ हो गई है। मनमे तिरस्कार हो न हो, पुकारनेमे तो सब ऐसा करते ही है। सावजनिक खातोमे से तो यह रूढि निकल ही जानी चाहिए। रमुआ किसना, कल्लुआ मतदाताओकी सूचीमे छपे तो इससे हमारी असभ्यता ही सूचित होती है। हमारी बोल-चालमे भी नामोके ऐसे विकृत रूपोका उपयोग बन्द होना चाहिए। इस परिवतनका कट्टरतापर कोई बडा असर नही पडेगा, फिर भी जो विवेकको जाग्रत रखना चाहते है, जो हरिजनोके प्रति प्रेम रखते है उन्हे तो अपने बरतावमे सुधार कर ही लेना चाहिए। हमे आशा है कि सरकार सूचियोको तैयार करानेकी दृष्टिसे इस रूढिको समाप्त करनेके आदेश तत्काल निकाल देगी।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ३०-९ १९३४

११५ पत्र नारणदास गांधीको

३० सितम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

इस समय मैं मौन रखे हुए हूँ। पत्रोंको निबटानेके लिए इस तरह बीच बीचमें मौन ले लेता हूँ। मौन शुरू करनेके पहले मैंने किशोरलालसे कह दिया था कि तुम्हारे पहले पत्रोंका जवाब वह दे दे। आज जो पत्र मिला है, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ।

हरिलालको भण्डार खुलवा देनेसे पहले वह खादी फेरी लगाकर बेचे, यह मुझे उचित लगता है, और सो भी पोरबन्दरमें ही। फिलहाल तो उसे स्वयं एक जगह दूसरी जगह जाना आना अनुकूल नहीं पड़ेगा। भण्डार खुलवानेकी उतावली तो कदापि न करें।

सन्तोकके नाम एक पत्र[1] भी रख रहा हूँ। वह अपने फुटकर खर्च किस तरह चलाती है? समस्या तुम्हीं सुलझाना।

कन्हैया[2] ठीक जम रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४१७ से भी सौजन्य नारणदास गांधी

१ उपलब्ध नहीं है।

२ नारणदास गांधीका छोटा पुत्र।

११६ पत्र विट्ठलदास जेराजाणीको

३० सितम्बर, १९३४

भाई विट्ठलदास,

इसके साथके आकडोका पढ जाना ओर ये आकडे ठीक है अथवा नही, सा लिखना। स्वामीने इनका अध्ययन किया हे। वह कहता हे कि खादीका ४० प्रतिशत लाभाश व्यापारीको मिलता है ओर मात्र ६० प्रतिशत बनाने वालोको मिलता है। यदि यह बात सच है तो हमे उसमे सुधार करना चाहिए। इन आकडोका ठीक ठीक अध्ययन किया जाना चाहिए। हमे अनजाने भी असत्यका प्रचार नही करना चाहिए।

और फिर ६० प्रतिशतमे स कितना किसानको, कितना लोढने वालेको कितना पीजनेवालेको और कितना बुनकरको जाता है — हमे इन सब बाताकी जाच करके उन्हे लोगोके समक्ष प्रकट करना चाहिए।

इस प्रक्रियामे तुमने एक सोपानको तो छोड ही दिया है। मिलका सूत हाथ करघे पर बुननेको कितना मिलता है, सो भी बताना चाहिए। देशी मिलोके आकडे तो ठीक नही है। इनमे भी जो मजदूरको मिलता है उसे अलग दिखाया जाना जाहिए। जो मिले विदेशी रुईका इस्तेमाल करती है उनके, और जो देशी रुईका इस्तेमाल करती है, उनके आकडे अलग अलग दिये जाने चाहिए। मशीनोके आकडे भी दिये जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त मणिबहन मुझे कह रही थी कि १२ आने गजवाली खादीके हमने १५ आने लेनेका प्रयत्न किया था। लेकिन भूलसे खादीके टुकडेपर असल कीमत लिखी रह गई थी, ग्राहकने उसे देख लिया, विक्रेता झूठा पड गया और उसने उक्त खादी फिर १२ आनेमे बेची। यह सब क्या है?

तीसरी शिकायत यह है कि हमारा काम सबसे ज्यादा है।

मुझे अच्छी तरह जाच कर लेनेके बाद उत्तर देना।

उम्मीद है, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी।

लक्ष्मी[1] तो ऐसा लगता है मानो अदृश्य हो गई हो।

बापूके आशीर्वाद

सलग्न एक कतरन

गुजरातीकी फोटो नकल (एस० एन० ९७८६) से।

१ विट्ठलदास जेराजाणीके भाईकी पुत्री।

११७ पत्र विट्ठलदास जेराजाणीको

३० सितम्बर, १९३४

भाईश्री विट्ठलदास,

इसके साथ १० रुपयेकी खादीकी हुण्डी है। इससे हरिजनोके उपयोगमे आ सकनेवाली खादी खरीदकर हरिजनोमे से उपयुक्त पात्रोको दे देना। जो करो सो लिखकर बताना। यदि कुछ ठीक निर्णय करते न बने तो नर्गिसबहनसे पूछना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९७८६-ए) से।

११८ पत्र सिद्धिमतीको

३० सितम्बर, १९३४

चि० सिद्धिमती,

तेरा पत्र मिला है। लिखावट खराब है, पक्तिया टेढी-मेढी है। इसे सुधारना। ब्रह्मचर्यका पालन करना हो तो महादेवसे अलग रहना, पर पुरुषके साथ कभी एकान्त मे नही बैठना। बिना कारण उसका स्पर्श न करना। अपने काममे तल्लीन रहना और चौबीसो घटे हृदयमे रामनाम अकित रखना।

सिद्धिमती
हुबली

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाइ

११९ पत्र बेचरदासको

३० सितम्बर, १९३४

भाई बेचरदास,

तुम्हारा पत्र मिला। वह मैंने काकासाहबको दिखाया। उन्हें तुम्हारे कामसे सन्तोष नहीं है। उनका कहना है कि तुम्हें बाकायदा जो २५ रुपये मिले थे और जो तुम्हें उनको लौटाने चाहिए थे वे तुमने उन्हें नहीं लौटाये हैं। और भी शिकायतें हैं। ऐसी स्थितिमें तुमसे कुछ काम लेनेकी न तो उनकी इच्छा होती है और न हिम्मत ही है।

बेचरदास
दिल्ली

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१२० पत्र वियोगी हरिको

३० सितम्बर, १९३४

भाई वियोगी हरि,

तुमारा खत मिला।

निंदक बाबा वीर हमारा निंदा करनेवालोंसे हमारे भडकनेका कोई सबब नहीं है। स्तुती करनेवालोंसे डरें।

हिंदीके बारेमें लेख मैंने नहीं देखे हैं। अब देखुंगा।

हिंदी लेख इसीके साथ भेजता हूं।

राणी साहबाका खत मुझे मिला था। जो कुछ शक्य था सो कर लिया। अब क्यों चिंता करें।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

पथुराज कहते हैं ह० से०के पास कुछ लेना है बिल भी भेजा था। देखो क्या है।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७६) से।

१२१ पत्र डकन ग्रीनलेसको

१ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डकन,

मुझे आपकी शभकामनाएँ और प्राथना मिली, इन दोनोकी ही म कद्र करता हूँ।

हा, म अवश्य यह स्वीकार करता हूँ कि सत्यान्वषी जब अकेला हो तब सत्य को पा सकता है। लेकिन 'अकेले' शब्दका अथ तनहाई नही ह। इसका अथ यह है कि उसपर किसी प्रकारका बन्धन नही होना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होगे। आपने लिखा है कि मैने आपके पत्रके किसी प्रश्नका उत्तर नही दिया है। वह प्रश्न क्या था? मै आशा करता हूँ कि आपको 'हरिजन' भी मिल रहा है।

श्री डकन ग्रीनलेस
बरलिग
खेडी, सावलीगढ, बैतूल जिला

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सोजन्य प्यारेलाल

१२२ पत्र एम० तैयबुल्लाको

१ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला, जिसके लिए आपका धन्यवाद। आपने जिस मामलेका जिक्र किया है, उसमे हस्तक्षेप करना मेरे लिए अत्यन्त कठिन है। इस मामलेको वस्तुत आप स्थानीय लोगोको ही सुलझाना चाहिए। बहरहाल, मुझे तो हस्तक्षेप नही करना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० ६१) से।

१२३ एक पत्र[1]

१ अक्टूबर, १९३४

प्यारे दोस्तो,

आपका पत्र मिला, जिसके लिए आपको धन्यवाद। यह वस्तुत एक घरेलू मामला है जिसे स्थानीय लोगोको आपसमे सुलझा लेना चाहिए। बहरहाल, मै इसमे हस्तक्षेप नही कर सकता। मैने जो नियम बनाया है, आप लोग उसके मुताबिक काम कर सकते है — जिसके जीतनेकी सबसे कम उम्मीद हो उसे चुनावसे हट जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १) से।

१२४ पत्र द्वारकानाथको

१ अक्टूबर, १९३४

चि० द्वारकानाथजी,

आश्चय है, तुम्हे मेरा पत्र नही मिला। मैने तुम्हारा लम्बा पत्र भी वापस भेजा था। वह मैने किसी औरको पढनेको नही दिया था और उसका उत्तर भी किसीने नही पढा था। हालाकि मेरे विचारसे ऐसा करनेकी कोई जरूरत नही थी। मै देखता हूँ कि तुम्हारे सारे विचार बदल गये है। जिसे तुम आजतक धम मानते आये हो, वह आज तुम्हे अधम-रूप जान पडता है। ऐसा हो सकता है कि केवल तुम ही सच्चे हो और हम सब भूलमे हो। तुलसीदासका वचन है जो असत्यको सत्य मानता है, उसके भ्रमको कौन टाल सकता है? सत्यकी परीक्षा कौन करे? इसलिए हमे एक-दूसरेकी स्थितिको सहन करना चाहिए। जिस चीजको करनेमे विश्वामित्रको चौदह वष लग गये थे, उसे यदि आज कोई चौदह दिनमे ही कर लेता है तो वह हजार बार वदनीय होगा और उसका तेज छिप भी नही सकता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत भ्रममे पडे हुए हो। आश्रमके सिद्धान्तोके अनुरूप जीवन व्यतीत करते हुए आज मुझे पचास वष होनेको आये। उनमे भूलकी सम्भावना कदाचित् कम ही है।

१ यह पत्र गोपीनाथ बारदोलाईको लिखे पत्रोंमें से मिला है।

तुमने दिनकरको जो पत्र लिखा था, वह उसने मुझे पढनेको दिया था। कहा वह और कहा मुझे लिखा तुम्हारा पत्र।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१२५ पत्र जैमिनी भूषण मित्राको

२ अक्टूबर, १९३४

प्रिय जमिनीबाबू,

मै व्यक्तियोके चुनावमे कोई दिलचस्पी नही ले रहा हूँ। मैने तो नियम सुझा दिया है जिसके अनुसार दोनो दलोको काम करना चाहिए। आपको डा० रायको इस बातका यकीन दिला देना चाहिए कि दूसरा उम्मीदवार बेकार है।

जैमिनी भूषण मित्रा
मोर स्ट्रीट
कलकत्ता

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१२६ पत्र एम० को

२ अक्टूबर, १९३४

प्रिय एम०[1],

तुम्हारे पत्र मिले। आशा है, तुम्हे मेरा पत्र यथावत मिल गया होगा जिसमे[2]

तुम्हारे एक पत्र परसे मै देखता हूँ कि तुम्हारे मनसे यह भावना फिर जाती रही है कि तुमने कोई अपराध किया है। लगता है कि तुम्हे अपने असत्याचरणपर सन्देह है। क्या तुम इस बातको अनुभव नही करते कि जिम्मेदार लोग पवित्रताकी दृष्टिसे लगभग एक सन्तके रूपमे तुम्हारी कद्र करते थे? लेकिन यदि तुम अपने गुण दोष नही देख सकते तो भला मै उनके बारेमे कहनेवाला कौन होता हूँ? सदैव सही

१ नाम नही दिया गया है।
२ साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूट गया है।

निणय देनेवाला एकमात्र न्यायाधीश तो ईश्वर ही हे। वही तुम्हे राह दिखाये। मै तो केवल प्राथना ही कर सकता हूँ कि तुम्हे और हम लोगोको प्रकाश दिखाई दे और उसका अनुकरण करे।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१२७ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको

२ अक्टबर, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

तुम्हारे बजटसे सम्बधित तुम्हारा पत्र मिला। तुम जो लिखते हो सो मेरी समझमे नही आया। घनश्यामदास और मुझे साथ बठकर जाच करनेकी क्या जरूरत है, यह बात मै नही समझा। मुझे इस जाचके लिए दस दिन निकालने चाहिए, मै यह भी नही समझ पाया। मै तो केवल इसपर नजर डाल जानेकी इच्छा रखता हूँ। तुम यदि मुझे मूलकी नकल और उसपर अपनी सलाह लिखकर भेज दो तो मै फुरसतके समय वह सब देख जाऊँगा और अपने सुझाव भेज दगा। बजटकी जाचपर दो-तीन हजार रुपयेके खचमे पडनेकी बात तो बिलकुल समझमे नही आती।

अगर तुम सभा बुलाना आवश्यक समझते हो तो बेशक स्वय बुला लेना। अगर उसमे मेरी उपस्थिति जरूरी मानी जाये तो सभा यही हो सकती है। जो-कुछ करना है, नवम्बरमे ही करना। मै इस महीनेमे तो एक मिनट भी नही दे सकता।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४४) से।

१२८ पत्र हरिलाल गाधीको

३ अक्टूबर, १९३४

चि० हरिलाल,

तेरा पत्र मिला। नारणदासने जरा जल्दबाजी की। आज मै तुझे निम्नलिखित तार दे रहा हूँ?

"नारणदाससे मिली रकमको खच करनेमे अभी रुको। पत्रकी प्रतीक्षा करो। बापू"[१]

आज मेरी आख ढाई बजे खुल गई और मै तेरे प्रति अपने धमके बारेमे विचार करने लगा। नीद नही आई इसलिए २ ४५ बजे उठा। दातौन की और गम पानी तथा शहद पीनेके बाद अब तुझे यह पत्र लिखने बैठा हूँ।

नारणदास जो पैसा तुझे देगा उसे मै नारणदासके निजी खातेमे डालना चाहता हूँ। जबतक मुझे पूरा विश्वास नही हो जाता तबतक तेरे लिए मै पैसा सावजनिक खातेसे अथवा सावजनिक जीवनके अपने मित्रोसे नही लेना चाहता। यदि ऐसा करता हूँ तो धमकी हानि होगी।

तूने अब अपनेको सुधार लिया है, इसका अभी मुझे विश्वास नही हुआ है। मुझे उसका स्वतत्र प्रमाण मिलना चाहिए। इसलिए मै मात्र तुझे लिखकर इस चीजका विश्वास नही कर लेना चाहता। उसे म तेरे द्वारा ही तेरे व्यवहारको देख कर ही, प्राप्त करना चाहता हूँ। तू ईश्वरलालके साथ रहता है। उसपर यदि तूने अच्छी छाप डाली हो तो उससे मुझे लिखनेके लिए कहना और निम्नलिखित प्रश्नोका उत्तर तो तू ही देना

१ तूने जो पहला पत्र मुझे लिखा था, क्या उसके बाद तूने शराब पी है?
२ क्या तूने मन, वचन, अथवा कमसे विषयोका सेवन किया है।
३ क्या तू बीडी पीता है?
४ तुझे क्या अय कोई व्यसन है?

तेरे और मेरे बीचमे अब यह निश्चय हो जाना चाहिए कि तूने मुझे जो कहा हो, यदि तू उसका भग करे अथवा यह बात सिद्ध हो जाये कि तूने मुझे धोखा दिया है तो मै कम-से-कम सात दिनोका उपवास करूँगा। वचनभग से अथवा तेरे दुष्काय से यदि मुझे बहुत आघात पहुँचे और मुझमे शक्ति और इच्छा हुई तो मै इससे भी अधिक दिनतक उपवास कर सकता हूँ।

१ यह अश अग्रेजीमें है।

हालाकि मै तेरे बारेमे आशावान था, तथापि मैने अपनी छाती पत्थरकी बना ली थी और तुझे तनिक भी आर्थिक सहायता नही देता था। लेकिन पोरबदरसे लिखे तेरे पत्रसे मुझे लगा कि तू बदल गया है, इसलिए जितनी हो सके तेरी उतनी मदद करनेकी मेरी इच्छा हुई।

यदि तुझे मेरी जीवन-पद्धतिपर और धमकी मेरी समझपर विश्वास हो गया हो तो मै तुझसे जो अपेक्षा रखता हूँ और जो सलाह देता हूँ, वह सब तेरी समझमे आ जायेगी। इस विषयपर मेरे साथ बहस न करने लगना, अपितु जिस प्रकार कोई रोगी वद्यकी सलाहको आज्ञारूप मानकर उसका पालन करता है, उसी प्रकार तू मेरी सलाहके अनुरूप काय करना। पिता होनेके नाते मेरे प्रति तेरा कुछ विशेष कत्तव्य है, ऐसा समझकर कुछ न करना। तेरा यह कत्तव्य तभी हो सकता है जब म अपग हो जाऊँ। यहा तो तू मेरे साथ, मुझे मित्र, वद्य और साथी समझकर व्यवहार करना। तेरा पोरबदरमे रहनेका आग्रह क्यो है? यदि तू राजकोटमे रहे तो तेरी मदद करने मे मुझे सुविधा होगी।

और यदि तुझे पोरबदरमे ही रहना हो तो बाप-दादाओके घरमे रह, इसमे मुझे कोई आपत्ति नही होगी। क्या उसमे कोई हिस्सा खाली है? क्या वह हिस्सा हवादार है?

जबतक मुझे तेरी स्थिरताके विषयमे विश्वास नही हो जाता और रामजी भाईको भी वैसा विश्वास नही हो जाता, तबतक तुझे कोई दुकान करनेका विचार छोड देना चाहिए।

खादीके नमनो परसे तू पोरबदरमे जो आडर ले सकता हो सो लेना।

यदि चरखे और खादीपर तुझे मेरे जैसी श्रद्धा हो गई हो तो तू उत्साहपूर्वक तकली और चरखेपर कातना सीख लेना और रोज तकलीपर कातना। कातनेसे पहलेकी समस्त क्रियाएँ भी सीख लेना। यह सब तू राजकोटमे ज्यादा आसानीके साथ कर सकता है। क्या तू मेरे साथ और मेरी देख-रेखमे रहनेको तैयार है? काग्रेस [अधिवेशन] के बाद मेरे मनमे यह विचार अवश्य उठ सकता है।

काका साहब और किशोरलालभाई यही है। विनोवा तो है ही।

तू जो भी करे सो अच्छी तरह सोच समझकर करना। अपनी शक्तिसे बाहर कुछ नही करना। जो बात बुद्धि और हृदय स्वीकार न करे वह भी न करना। मात्र अपना जीवन निर्वाह करनेके लिए ही तू मेरे साथ सम्बध मत बनाना। तेरा निर्वाह इतने वर्षोतक जैसे-तैसे होता ही रहा है। अच्छे बुरे सब लोगोका निर्वाह जैसे-तैसे ईश्वर तो करता ही है न? [किन्तु] अपूण मनुष्यको अतकालतक अच्छे बुरेका भेद करके ही रहना पडता है। अभीतक कोई देहधारी मनुष्य सम्पूण नही बन पाया है और भविष्यमे होगा भी नही, क्योकि जडदेहके साथ आत्माका विवाह ही उसकी सीमा है। विवाह मात्र सीमाकारक है। आत्मा जब पूण ब्रह्मचारी बन जाती है तब वह नये शरीरकी रचना नही करती। लेकिन मै तुझसे यह सारी चर्चा क्यो करूँ?

तेरा कल्याण हो। तुझमे भगवानका वास हो। वही तेरा सच्चा गुरु है। 'देहीना स्नेही सकल स्वारथमा अंते अलगा रहेशे रे' इसलिए ईश्वरको साक्षी मानकर तेरी अंतरात्मा जो कहे सो करना। यदि तू मेरी बात नही मानेगा तो उसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं होगा। लेकिन यदि मेरे साथ तू विश्वासघात करेगा तो उससे मुझे बहुत दुःख होगा। मै बूढा हो गया हूँ और तू भी अब कोई बच्चा नही है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१२९ पत्र शामलालको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय लाला शामलाल

यह रहा श्री रामरिछपालकी ओरसे लिखा पत्र। मैंने यह पत्र अबतक रोके रखा था, क्योकि मैंने यह पत्र आपको भेजनेके लिए पत्र लेखकसे अनुमति मागी थी। ऐसा मुझे इसलिए करना पडा, क्योकि इसमे ऐसी बाते कही गई है जो मुझे चौकाने वाली जान पडती है और इनपर मै तबतक विश्वास करनेके लिए तैयार नही था जबतक मै यह आपको दिखला न लेता। अब आप कृपा करके इस पत्रपर अपनी आलोचना लिख भेजे और उसके साथ यह पत्र भी वापस कर दे। मेरे पास इस पत्रकी प्रति नही है।

हृदयसे आपका,

सलग्न १

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१३० पत्र एच० पी० मोदीको

३ अक्तूबर, १९३४

प्रिय श्री मोदी,

पत्रके साथ गोरखपुरसे सहायताकी जो अपील की गई है उसकी एक प्रति नत्थी है। वहा अकथनीय दु ख और कष्ट है। अपीलपर जिन लोगोके हस्ताक्षर है वे सब जाने माने लोग है। बाबा राघवदास ने जो सहायता कार्योके अध्यक्ष है, मुझे बताया है कि उन्होने कपडेके लिए मिल मालिकोसे अपील की है। उन्हे दिल्लीसे इसका अनुकूल उत्तर मिला है। लेकिन मै समझता हूँ कि जब उन्होने मुझे लिखा था तब बम्बई अथवा अहमदाबादके मिल मालिकोने इस अपीलके उत्तरमे कुछ नही दिया था। मै बम्बईके मिल मालिकोमे अनुरोध करता हूँ कि वे इस अपीलकी ओर ध्यान दे।

हृदयसे आपका,

सलग्न १

श्रीयुत एच० पी० मोदी
बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१३१ पत्र डॉ० बी० जयरामको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डा० जयराम,

मैसूरके प्रिन्सेस कृष्णाजम्मन्नी ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियममे श्री भोलेको भर्ती किये जानेके सम्बन्धमे लिखे आपके २९ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। म मान लेता हूँ कि आपने बगलौरके ब्रह्मचारी रामचन्द्रको सलाह दी है जिनके साथ श्री भोले इस समय रह रहे है और जो इस समय आपके साथ पत्र-व्यवहार कर रहे है।

हृदयसे आपका,

डा० बी० जयराम, एम० बी० आदि
मेडिकल अफसर
प्रिन्सेस कृष्णाजम्मन्नी ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम
मैसूर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१३२ पत्र डॉ० एस० सुब्बारावको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डा० सुब्बाराव,

आपने मुझे यह बताते हुए जो पत्र लिखा है कि आपने श्री भोलेको तुरत सेनेटोरियममें भर्ती करनेके निर्देश दिये हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मुझे सेनेटोरियमके चिकित्सा अधिकारीका पत्र मिला है कि वह श्री भोलेको भर्ती करनेके लिए तैयार हैं और उनका इलाज मुफ्त किया जायेगा।

हृदयसे आपका,

डा० एस० सुब्बाराव
बी० ए०, एम० बी०, एम० आर० सी० एस०
विश्वेश्वरपुरम
बंगलौर शहर

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१३३ पत्र भारत स्टोर्सके मैनेजिंग गवर्नरको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

मुझे आपके दो पत्र मिले हैं। पहले पत्रके सम्बन्धमें, मैंने जिस स्याहीकी चर्चा की है, उसका विज्ञापन आपको इलाहाबाद स्वदेशी लीग द्वारा प्रकाशित निर्देशिकामें दिखाई देगा। बम्बईकी फर्मका, जो नई है, पता उसमें नहीं है। उसका पता है दौलतराम काशीराम ऐंड कम्पनी, ठाकुरद्वार रोड, बम्बई-२। जहाँतक आपके दूसरे पत्रका सवाल है, मैं आपके स्टोरका उद्घाटन नहीं कर सकता।

हृदयसे आपका

मैनेजिंग गवर्नर
भारत स्टोर्स लिमिटेड
आगरा

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१३४ पत्र नगेन्द्रनाथ सेनको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

मैने कभी किसीसे यह नही कहा कि विभिन्न उम्मीदवारोकी सफलताकी सम्भावनाओपर मै श्री अणेके साथ बातचीत करूँगा।[1] हममे परस्पर इतनी ही बात हुई थी कि घरेल झगडेसे बचनेके लिए हमने यह सिद्धान्त तय किया था कि जिस उम्मीदवारके जीतनेकी बहुत कम उम्मीद हो, उस उम्मीदवारको अपना नाम वापस ले लेना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री नगेन्द्रनाथ सेन, बी० एल०
खुलना (बगाल)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१३५ पत्र बी० सुब्बन्नाको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपने जो सुन्दर पेटी भेजी है और जो मुझे अभी-अभी मिली है, उसके लिए मै आपका आभारी हूँ। मै इसकी जितनी सम्भव होगी उतनी कीमत प्राप्त करनेका प्रयत्न करूँगा और उस धनका खादी तथा हरिजन सेवामे उपयोग करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री बी० सुब्बन्ना, रिटायर्ड जज
बासवागुडी
बगलौर शहर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए 'गाधी अणे वक्तव्य २०-९-१९३४।

१३६ पत्र नारणदास गाधीको

३ अक्टूबर, १९३४

चि० नारणदास

इसके साथ मै हरिलालके पत्रकी नकल और उसे मैंने जो जवाब दिया है[1], उसकी नकल भेज रहा हूँ। जवाबके आधारपर तुम मेरी सलाह समझ जाओगे। यह ठीक है कि वह जो ऋण ले, उसके चुकाये जानेकी जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। फिलहाल उसे इस तरहके काममे पडने नही देना है। यदि उसे खाने पीनेके लिए कुछ देना योग्य जान पडे और तुम्हे सुविधा हो तो तुम अपने निजी खातेमे से उतना ले सकते हो, यदि सुविधा न हो तो मुझे खबर देना। मै इसपर विचार करूँगा।

जमनादास यहा आ गया है। वह आज जमशेदपुर जायेगा। उससे काफी बाते हो गईं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

गोशाला विषयक तुम्हारा पत्र मिला। मै जल्दी ही निणय करूँगा। शकरनके बारेमे दूसरे पत्रमे लिखूगा।

[सलग्न] दो पन्ने।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू० / १) से। सी० डब्ल्यू० ८४१८ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी

१३७ पत्र नरहरि द्वा० परीखको

३ अक्टबर, १९३४

चि० नरहरि,

अभी-अभी नारणदासका पत्र मिला है कि गोशाला का काम बिगडता जा रहा है। इसलिए हमे तुरन्त ही इस प्रश्नपर विचार करना होगा कि इसे किस (सस्था)के हिसाबमे डाला जाये। तुम्हारे कारण अभीतक मैंने अपने निणयको रोके रखा है। अब यदि तुम इसका निरीक्षण करके अपना निणय दे सको तो मुझे तुरन्त भेजना।

बापूके आशीर्वाद

१ देखिए 'पत्र हरिलाल गाधीको', ३-१०-१९३४।

[पुनश्च]

बाकी किशोरलाल लिख रहा है।

गुजरातीकी फोटो नकल (एस० एन० ९०६५) से।

१३८ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको

३ अक्टूबर, १९३४

भाई ठक्कर बापा

मामा[१] ९ नवम्बरको आश्रम छोडेगे। हममे आपसमे जो बातचीत हुई थी उसके आधारपर मैंने मामासे कह दिया था कि यदि वे तुम्हारे अधीन काम नही कर सकते तो उन्हे आश्रम छोड देना चाहिए। मै उनका खच किसी औरसे नही माग सकता। प्रातीय समिति भी स्वतत्र सस्थाको नही निभा सकती। यह बात मामाकी समझमे आ गई है। इसलिए तुम उनके कब्जा छोडनेके समयतकका खच चुकानेके लिए परीक्षितलालको लिख देना। आजतक तो वे खर्चा दे ही रहे थे। लेकिन बादके लिए मैंने मना कर दिया था।

हालाकि मामा आश्रमसे मुक्त हो जायेगे तो भी हमे उनको निभाना तो पडेगा। यदि वे किसी गावमे जाकर रहे और भगियोमे काम करे तो यह बहुत अच्छा होगा। यदि वे ऐसा करते है तो उनका खच कैसे चलाया जाये, इस बातपर हम बादमे विचार करेगे।

बापू

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ४०४२) से।

१ विट्ठल ल० फड़के।

१३९ पत्र विट्ठल ल० फडकेको

३ अक्टूबर, १९३४

चि० मामा,

मुझे तुम्हारा निमल पत्र मिला। मै तो तुम्हे पहले ही लिख चुका हूँ कि तुम जो लिखोगे उसे मै मान लूगा। इसलिए तुमने जो अभयदान दिया है, वह मुझे अच्छा लगा है। [1]के बारेमे मेरी जो धारणा है वह इससे बदल नही जाती। यदि वह सिपाही बनकर नही रह सकता तो वह सघमे काम नही कर सकता।

मामा फडके
गोधरा

[गुजरातीसे]

महादेव देसाइकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१४० पत्र सरिताको

३ अक्टूबर १९३४

चि० सरिता,

जिस तरह मेरा लालन पालन हुआ था उसी तरह मैने अपने लडकोका लालन-पालन किया है। और उनके बडे होनेपर मैने उनके साथ वही व्यवहार किया है जैसा मेरे साथ किया जाता था। जब मेरे बडे बुजुर्गोने मुझे भावनगरमे और अहमदाबादमे अपने मित्रोके यहाँ भेजा था तब मुझे इन दोनो जगहोपर तुम्हारी अपेक्षा कही अधिक कष्ट सहन करना पडा था। मुझे भूखे रहना पडता था लेकिन मैने उसका कोई दुख नही माना। वे मेरे लिए और क्या कर सकते थे? क्या वे मेरे लिए रहनेकी अलग व्यवस्था करते? इस अनुभवसे मुझे बहुत कुछ सीखनेको मिला।

रामदासके लिए भी मै अधिक क्या करूँ? अहमदाबाद भी वह हरिजन आश्रममे रहनेके खयालसे ही गया। वहा उसकी अच्छी देखभाल हो रही है। यहा उसे किस बातकी कमी थी? नीमुके लिए अधिक क्या किया जा सकता है? और फिर मै ठहरा गरीब। म जो खच करता हूँ वह भिक्षा लेकर ही करता हूँ। लेकिन म तो

१ नाम नही दिया गया है।

इससे भी एक कदम आगे बढकर कहता हूँ कि मै चाहे कितना ही गरीब क्यो न होऊँ, लेकिन उन्हे जो सुविधाएँ प्राप्त है उनमे से कुछ एक तो धनवानोको भी प्राप्त नही होती। ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करनेका हमे तनिक भी अधिकार नही। लेकिन चूकि वे हमे मिलती है, इसलिए हम नम्रभावसे उन्हे स्वीकार करते है।

तुमने अपना मन खोलकर मेरे आगे रख दिया, यह अच्छा किया। मेरा धर्म तो तुम्हे तुम्हारे कर्त्तव्यका भान कराना था, सो मैंने किया। अब अधिक निश्चिन्त रहना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१४१ पत्र देवीबाबूको

३ अक्टूबर, १९३४

भाई देवीबाबु,

सातकौरी बाबुके दोषका हाल तो आपने सुना ही है। दा० विधान कहते है उन्होने पसेके बारेमे अपने सरपे किसी प्रकारकी जिम्मेदारी नही ली थी। इसलीये वे कोई नैतिक जुम्मेदारी नही समझते है। शायद यह ठीक भी हो। लेकिन आपकी ओर भागीरथजीकी जुम्मेदारी तो मेरी दष्टिसे ही है। यदि आप लोग यह महसुस करते है तो जो कुछ गया हे इतना ह० से० स० के[1] खजानेमे भरवा दीजिये। मै समझता हूँ कि सातकोरीबाबुके बारेमे किसीको वहम आ ही नही सकता था। लेकिन जब मेरे पास कुछ धन रहता था तब मैंने इसी प्रकारसे कीया है जैसा आज मै आप लोगोसे कहता हूँ। यदि आप लोग इस नीतिको स्वीकार न करे तो मुझे कुछ कहना नही है।

बापुके आशीर्वाद

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ हरिजन सेवक संघ।

१४२ पत्र जी० बी० प्रधानको

४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय सर प्रधान,

भारतीय महिला विश्वविद्यालयके लिए चन्देके सिलसिलेमे आपकी समितिने जो अपील जारी की है, उसके सम्बन्धमे मुझे आपका पत्र मिला है। मै जरूर यह आशा करता हूँ कि जनतापर इसका असर होगा और लोग मुक्त भावसे चन्दा देगे। प्रोफेसर कर्वेने महिलाओकी शिक्षाके उद्देश्यके लिए इतनी अच्छी और इतने निःस्वार्थ-भावसे जो बहुमूल्य सेवा की है, उससे सभी लोग परिचित है और मुझे इस बारेमे तनिक भी सन्देह नही है कि आज जब श्री कर्वे अपनी जीवनकी साध्य बेलामे है तब जनताको ऐसी सस्थाके भविष्यके लिए उन्हे आश्वस्त कर देना चाहिए, जिसमे उन्होने और उनके साथियोने अपना जीवन लगा दिया है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री जी० बी० प्रधान, बी० ए०, एल० एल० बी०
मीठाभाई मैन्शन,
फस्ट फ्लोर
चर्नी रोड, बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१४३ पत्र जी० एस० नरसिहाचारीको

४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय नरसिहाचारी,

यह रहा मेरा सन्देश

“विद्यार्थी लोग बिना किसी दिक्कतके दरिद्रनारायणके नाम और दरिद्रनारायणके लिए प्रतिदिन आधा घटा चरखा कात सकते है। ऐसा वे अपनी पढाईमे बिना किसी व्यवधानके कर सकते है और राष्ट्रीय सम्पदामे वद्धि कर सकते है, फिर चाहे वह वृद्धि कितनी ही अल्प क्यो न हो, इस तरह वे अपने उन लाखो देशवासियोके साथ जीवन्त

सम्पक स्थापित कर सकते है जिन्होने विद्याका प्रकाश नही देखा है और जिन्हे सालोसाल एक जून भी पूरा भोजन नसीब नही होता है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री जी० एस० नरसिंहाचारी
माफत उप कुलपति
आन्ध्र विश्वविद्यालय
वाल्टेयर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पपस, सौजन्य प्यारेलाल

१४४ पत्र जी० रामचन्द्रनको

४ अक्टूबर, १९३४

महादेव आपको कान्तिके बारेमे लिखते रहे है[१]। यदि आप उसका पालन पोषण और उसकी देखभाल करना ही चाहते है, तो यह स्थिति मुझे स्वीकार करनी ही होगी। कान्तिको कुछ जेब-खर्चकी जरूरत है। उसने ५ रुपये महीनेका सुझाव दिया है। आप मुझे यहा किसी मित्रसे इस सम्बन्धमे मालूम करनेका अवसर दे। इसलिए आप कृपया, जिस दिन वह आपके पास पहुँचे, उसी दिनसे उसे ५ रुपये महीना दे दे। मै आपको बादमे कुछ पैसे भेज दूगा। कान्ति भी यह समझ ले कि पसा कसे आता है।

काग्रेसके बारेमे जारी किये गये त्रावणकोर परिपत्रके बारेमे आपने मुझे जो पत्र लिखा था, क्या मैने कभी उसकी पहुँच स्वीकार की थी? आपने जो कदम उठाया है, वह काफी अच्छा है। क्या उसका कुछ परिणाम निकला?

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ कान्ति गाधी जी० रामचन्द्रनके साथ रह रहे थे, देखिए "पत्र कान्ति गाधीको", २५ ९ १९३४।

१४५ पत्र : कमला नेहरूको

४ अक्टूबर, १९३४

चि० कमला,

मैंने एक खत तुमको लिखा था सो मिला होगा। दिल तो बहुत चाहता हे कि तुमारे पास आ जाऊँ। लेकिन मै जानता हूँ कि ऐसे करना मुनासब नही होगा। तुमारी खबर तो कही न कहीसे निकाल लेता हूँ। और प्रभावतीके वहा आनेके बाद फिरोज[1] नित्य एक काड भेजता है। हिम्मत रखो। जवाहरलाल तुमारे नजदीक नही है उसकी फिकर न की जाय। इन्दु[2] आ गई हे सो अच्छा है। उसको कहो मुझे लिखे। रामनाम लेना।

बापुके आशीर्वाद

कमला नेहरू
इलाहाबाद

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१४६ पत्र : खुर्शेदबहन नौरोजीको

४ अक्टबर, १९३४

यह एक तसल्लीबख्श बात है कि तुम कमलाके करीब हो। तुम्हारे पत्रसे मुझे आशा होती है। मै तुमसे डॉ० विधानके कमलाको देखने जाने का पूरा विवरण सुननेकी उम्मीद रखता हूँ। बेशक, वह हमेशा मेरे ध्यानमे बनी रहती है, जिसका अथ है मुझे प्राथनाके समय भी उसका ध्यान रहता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले उसे एक लम्बा पत्र भेजा था, उम्मीद है, वह उसे मिल गया होगा। प्रभा उसे समय समय पर लिखती रहती है। कृपया उसे सलग्न [पत्र][3] दे देना। क्या वह पत्र पढती है? स्वाभाविक है कि मै उससे पत्रकी अपेक्षा नही रखता। लेकिन यदि वह मुझे

१ फीरोज गाधी।
२ इन्दिरा, कमला नेहरूकी पुत्री।
३ देखिए पिछला शीर्षक।

कोइ सन्देश भेजना चाहे तो तुम्हारी मार्फत भेज सकती है। क्या वहाँ फल नियमित रूपसे उपलब्ध होता है?

सलग्न १

श्री खुर्शेदबहन नौरोजी
आनन्द भवन
इलाहाबाद

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१४७ पत्र हरिलाल गाधीको

४ अक्टूबर, १९३४

चि० हरिलाल,

तेरा पत्र मिला। मुझे बात पसन्द आई। राजकोट जाकर ठीक किया। यदि मेरी बात तेरे गले उतर जाये तो बडा कल्याण हो और मुझे परम सन्तोष हो जाये। भगवानने शक्ति तो तुझे बहुत दी है। अभी भी कुछ नही बिगडा है। हृदय निमल हो गया हो तो शरीर भी बादमे तेजस्वी हो जायेगा। अधिक फिर लिखूगा।

मेरा खयाल है कि बली[1] का तूने जो पैसा खच कर दिया है, वह उसे चुकाया जाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१४८ पत्र नारणदास गाधीको

४ अक्टबर, १९३४

चि० नारणदास,

शकरनका पत्र पढा। उसका कहना ठीक नही है। हरिजन यात्रामे मलाबार भी शामिल था। मै शकरन और राघवन दोनोसे मिला भी था। शकरनकी पाठशालाके बारेमे भी जानता हूँ। वह दूसरोके साथ काम करता है। इस पाठशालाके चलानेकी जिम्मेदारी वहाँके हरिजन सेवक सघकी है। फिलहाल तो वहाँ आश्रमके रामचन्द्रन हैं और श्यामजी भी। शकरनके लिए मलाबार छोडनेका कोई सबब नही है। जब मै उससे मिला था, तब यह निश्चित भी हो गया था। उसे उसकी जरूरतके मुताबिक मिल रहा है। सच कहे तो उसे कुछ भी भेजना जरूरी नही था। मुझे शकरनका लिखना

१ बलीबहन अडालजा हरिलाल गाधीकी साली।

पसन्द नहीं आया। उसे पत्र लिख रहा हूँ। उसकी नकल इसी पत्रके साथ तुम्हारे पास भेजूँगा।

लगता है, कनुका काम ठीक चल रहा है। मैं प्रत्यक्ष देखरेख तो बहुत कम कर पाता हूँ। महादेव और प्यारेलाल देखरेख करते हैं।

गोशालामें इतना घाटा क्यों कर हुआ? कितने उत्पादनके बाद इतना घाटा आया है? अब क्या किया जाना चाहिए?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

शंकरलाल यहाँ आये हुए हैं। तुम्हारा अहमदाबाद जाकर देख आना जरूरी है। यह घाटा लापरवाही या बेईमानीके कारण तो नहीं हुआ? अभी यह भले ही स्पष्ट न हो कि इसका संचालन स्वतन्त्र रूपसे होगा या यह आश्रमको सौंप दी जायेगी, तो भी उसका प्रबन्ध तो ठीक कर ही दिया जाना चाहिए।

हरिलाल वहाँ है। उसका काम निर्दोष तो लग रहा है। यदि वह वहाँ रुक जाये तो बहुत अच्छा हो। उसकी आँख और दाँतोंके बारेमें विचार करना। उसके लिए एक पत्र संलग्न है।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४१९ से भी; सौजन्य: नारणदास गांधी

१४९. पत्र: के० शंकरनको

४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय शंकरन,

नारणदासको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ा। वह मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा तो खयाल था कि जब हम मलाबारमें मिले थे तब हममें आपसमें यह तय हुआ था कि तुम मलाबारमें ही अपने लिए जगह बनाओगे और वहीं काममें रम जाओगे। इसलिए गुजरात जानेकी तुम्हारी यह इच्छा मेरी समझमें नहीं आती। तुम्हारा क्षेत्र मलाबार है, और अब चूँकि रामचन्द्रन ही वहाँके कार्यके एकमात्र कर्त्ताधर्त्ता हैं इसलिए तुम्हारा रास्ता सरल और सहल हो जाना चाहिए। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो, वह सब तुम्हें संघसे मिलनी चाहिए।

बापू

के० शंकरन
हरिजन विद्यालयम्
मयनूर (मलाबार)

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

१५० पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको

४ अक्टूबर, १९३४

भाई ठक्कर बापा

इसके साथ सरनप्रसाद वर्माका पत्र है। इनसे तुम मिल लो, यह उचित होगा। जैसा यह लिखते है, वह सब यदि सच है तो हमे उन्हे उपयोगी जानकर स्वीकार कर लेना चाहिए तथा उन्हे और कही नही जाने देना चाहिए। हम वहा जो सस्था खोलनेवाले है, उन्हे उसमे रखा जा सकता है अथवा साबरमतीमे रखा जा सकता है।

'ऐबारिजिनीज'[1] के बारेमे तुम एक अथवा एकाधिक लेख 'हरिजन' के लिए लिखो तो अच्छा हो। तुम्हे इतनी फुरसत होगी अथवा नही, सो तो तुम ही जानो।

बापू

सलग्न १

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४५) से।

१५१ पत्र वल्लभभाई पटेलको

४ अक्टूबर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र कल मिला। उसपर से मैने किशोरलालको तुम्हे लिखनेके लिए कह दिया था। कामका बोझ काफी रहता है। जैसे-तैसे निपटानेका प्रयत्न करता हू। अधूरा तो रोज ही रहता है। कल अणे आ गये। नेकीराम तो परसो ही आ गये थे। मैने तो कह दिया है कि तुम और अणे मिलकर अब भी बात कर सकते हो, और मतभेद हो तो पच नियुक्त कर सकते हो। पचके लिए मैने बहादुरजी[2] अथवा तेजबहादुरके नाम सुझाये है। अणे को यह पसन्द नही आया। उन्होने कहा कि जबतक जाच न हो जाये, तबतक नाम बदलते रहेगे। इसलिए जो कुछ हो सकता है, वह उसके बाद ही होगा। इतना तुम्हारी जानकारीके लिए है।

१ गाधीजीने अग्रेजी शब्दका ही प्रयोग किया है जिसका अर्थ है आदिवासी।

२ बम्बईके पारसी वकील।

एक बात और। अणेने कहा कि अगर चुनाव नवम्बरमें हो तो कितना अच्छा होगा। मैंने कहा, "वल्लभभाईने केवल मालवीयजीकी खातिर ही इसे स्थगित नहीं किया है और यदि तुम वल्लभभाईको तार दोगे तो वे शायद मियाद बढा देंगे'। मैं नहीं जानता कि यह सम्भव है या नहीं। मैंने तो मालवीयजीके दलकी सुविधाका खयाल करके ही चुनाव को स्थगित करनेके खिलाफ अपनी राय दी थी। यदि मालवीयजी खुद मियाद चाहें, तो इससे हमें दूसरी तरह फायदा ही है। लेकिन यह विषय ऐसा है जिसमें मेरी गति नहीं है।

साथमें डा० गोपीचन्दका पत्र भेज रहा हूँ। उन्होंने जो लिखा है, वह विचारणीय है। मैं तो उन्हें इतना ही लिख रहा हूँ कि उनका पत्र मैंने तुम्हारे पास भेजा है। इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना।

देवदासका पत्र भी भेज रहा हूँ। उसे पढकर फाड देना। देवदास नहीं चाहता कि उसकी कहीं चर्चा हो।

'फ्री प्रेस' में विद्यापीठके पुस्तकालयके बारेमें क्या छपा है?

उम्मीद है, मणि सुमित्राके पास जाती होगी। उससे कहना कि सुमित्राके बारेमें डाक्टर क्या कहते हैं, सो लिखे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३७-८

१५२ पत्र डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डा० गोपीचन्द,

आपका पत्र मिला। आप मुझे जो सारी जानकारी दे रहे हैं उसकी मैं कद्र करता हूँ। मैं व्यक्तिगत चुनावोंमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन लाला शामलालके मामलेमें मैं कुछ उलझ सा गया हूँ। लाला आर० पी० सिंहने मेरे पास उनके विरुद्ध शिकायतोंकी एक फेहरिस्त भेजी है। सो मैंने अनुमति प्राप्त करनेके बाद उन्हें वह पत्र भेजा है।[1] मेरी दिलचस्पी यहींतक है। सरदारका मामला भिन्न है। वे जरूर इन मामलोंमें दिलचस्पी लेते हैं। इसलिए मैंने आपका पत्र उन्हें भेज दिया है।[2] आपको भी उन्हें पत्र लिखना चाहिए। यदि सम्भव हो तो इस झगडेका निपटारा किया जाना चाहिए। आपके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि

१ देखिए 'पत्र शामलालको', ३-१०-१९३४।
२ देखिए पिछला शीर्षक।

आपको इस झगडेसे बिलकुल अलग रहना चाहिए और तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब आपको लगे कि आपके ऐसा करनेसे झगडेको रोका जा सकता है।

आपने मेरे सम्मुख सदस्योका जो चित्र प्रस्तुत किया है वह दु खद है।

मैं काग्रेसके अधिवेशनमे भाग लेने जा रहा हूँ, लेकिन मने जो प्रश्न उठाये है, उनको लेकर मैं वहा फूट नही डालूगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

अग्रेजी प्रतिस प्यारेलाल पेपस सौज य प्यारेलाल

१५३ पत्र द्वारकानाथको

४ अक्टबर, १९३४

चि० द्वारकानाथ

तुम्हारा तीसरा पत्र मिला है। मेरा भी यह तीसरा जवाब है। मने दिनकरसे ऐसा नही कहा कि तुम आलसी हो। लेकिन उसको लिखे तुम्हारे पत्रके आधारपर उसने आर्थिक सहायता मागी थी। मैंने इनकार कर दिया और मित्रोको भी सलाह दी कि वे लोग भी उसे एक कौडी न दे, क्योकि तुम्हारे पत्रमे निरुद्यमी रहकर देहको नष्ट करनेकी नि दनीय बात थी। उसे मैंने आलस्यकी स्थिति बताया और कहा कि ऐसे आलस्यको प्रोत्साहन देना मित्र द्रोह है। अब तो तुमने तीसरे युगमे प्रवेश किया है। दिनकरका पत्र पहला युग था, मुझे लिखा लम्बा पत्र दूसरा, और उसके बादका पत्र तीसरा। शर्माके लिए इस वषके अ ततक स्वत त्र रूपसे कोई काम नही है। अभी वह [1] खुर्जामे है। दो-चार दिनोमे वापस आयेगा। तुम्हे तो मैं क्या लिखू ? जो ईश्वर सुझाये सो करो।

बापूके आशीर्वाद

चिमोदेका वाडा
भाजी बाजार
अमरावती

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौज य नारायण देसाई

१ साधन सूत्रमें स्पष्ट नही है।

१५४ यथार्थताकी आवश्यकता

एक पत्र लेखकने मुझे अखबारमे छपी एक सूचनाकी एक कतरन भेजी है जिसमे खादीकी प्रशसा की गई हे। उसमे से मै प्रासगिक अश नीचे दे रहा हूँ

विदेशी वस्त्रपर खच किये प्रत्येक रुपयेका अथ है भारतीयोको डेढ आना मिलता है, जबकि साढे चौदह आने सीधे विदेशी व्यापारकी अभिवृद्धिमे चले जाते ह।

मिलमें बने कपडेपर खच किये एक रुपयेका अथ है कि आधी रकम मिल मालिकके पास गई, छ आने मजदूरोके पास गये और दो आने विदेशीकी जेबमे गये।

खादीपर खच किये गये एक रुपयेका मतलब है कि व्यवस्था-खचको छोडकर -- जोकि एक आना है -- बाकी सब रकम उत्पादकोको मिलती हे।

यह कतरन भेजनेवाले सज्जनने पूछा है कि क्या यह सच है कि खादीपर खच किये गये प्रत्येक रुपयेका यह मतलब है कि उत्पादकको १५ आने मिलते है और विक्रेताको केवल एक आना। मै इसका जवाब केवल यही दे सकता हूँ कि अ० भा० चरखा सघके भण्डारोके प्रबन्धकोके सामने यह आदश रखा गया है कि खादीका मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि भण्डारोका खच निकालने के निमित्त खादीकी कुल बिक्रीपर उत्पादन डिपो से प्राप्त होने वाली १५ आने की खादीपर एक आनेकी फालतू आमदनी दिखाई जा सके। अत पद्रह आनेमे अय अनेक खच शामिल होगे जैसेकि ढोआई खच, आदि। इसलिए यह कहना बिलकुल गलत है कि खादीमे लगाये गये प्रत्येक रुपयेमे से पद्रह आने उत्पादकोको जाते है।

बुनकरोके हाथसे निकलनेके बाद खादी कई प्रक्रियाओमे से गुजरती है उसकी धुलाई होती है, रँगाई होती है, वर्गीकरण किया जाता है, उसे बिक्री केद्रतक पहुँचनेसे पहले बीचमे पडनेवाले डिपोओमे जाना पडता है, आदि आदि। यदि 'उत्पादक' शब्दका अथ हम कपास पैदा करनेवाले, रुई चुननेवाले, रुई साफ करनेवाले, रुई धुननेवाले, पूनिया बनानेवाले, सूत कातनेवाले, और बुनकर तक ही सीमित रखे, लेकिन बुनाईके बाद वाली प्रक्रियामे सलग्न कायकर्त्ताओको उसमे शामिल न करे तो उत्पादक रुपयेमे केवल आठ आने पाता है, उससे ज्यादा नही। अय प्रक्रियाओको शामिल न करना सामाय बात है और उचित है क्योकि वे खादीके उद्देश्यकी पूर्ति के लिए आवश्यक नही है, और यह आवश्यक नही है कि इन प्रक्रियाओका सम्पादन गाँववालोने या ऐसे लोगोने किया हो जिहे उचित रूपमे कायकर्त्ता कहा जा सके। धुलाई, रँगाई आदिका काम अक्सर सगठित अर्थात पूजीवादी सस्थाओ द्वारा किया जाता है। अब,

खादीके विक्रय मूल्यको बढानेमे जिन लोगोका हाथ होता है, वे भी उत्पादकोके वेतनमे बॅटवारा नही करते, दूसरे शब्दोमे वे उत्पादकके मुहकी रोटी नही छीनते बल्कि उसे अपने मालके लिए बाजार ढूढनेमे मदद करते है और ऐसा वे पूजीवादी सस्थाएँ होते हुए भी करते हैं। कारण, पूजीवादी सस्थाएँ फिलहाल मुनाफेके लिए काय नही करती, बल्कि उत्पादक के हिताथ काम करती है। भले ही इसमे उनका मशा कुछ भी हो। इसलिए जिस विज्ञापनकी बात हम कर रहे है उसमे नि सदेह अतिशयोक्ति तो है ही, भले ही वह अनजानेमे या अज्ञानवश की गई हो, और इस अतिशयोक्तिसे खादीका जो लाभ हो सकता है उसकी अपेक्षा मेरी रायमे बिल्कुल सही सही तस्वीर यदि रखी जाये तो वह खादीके लिए ज्यादा उपयुक्त और प्रभावकारी प्रचार होगा। यदि इस विज्ञापनका मसविदा मै तैयार करता तो मै कहता

"आपको जानना चाहिए कि जब आप एक रुपयेकी खादी खरीदते है तो उत्पादकको अपने श्रमका पूरा फल प्राप्त होता है और इसके विपरीत जब आप देशी मिलो द्वारा तैयार कपडा खरीदते ह तो आप उत्पादकको उसके लाभदायक श्रमसे वचित तो कर देते हैं लेकिन बदलेमे उसे कोई विकल्प नही प्रदान करते। खादी बेचनेवाली एजेसीको सिफ अपना खच निकालनेकी हदतक मुनाफा होता है और इसलिए उसको भी उतना ही प्राप्त होता है जितना उत्पादक को।"

इस प्रकार खादीके अथशास्त्रका विवेचनात्मक अध्ययन करनेसे सिद्ध हो जायेगा कि किसी भी भारतीयके लिए खादीको छोडकर कोई अय कपडा इस्तेमाल करना अधभूखी मानवताके प्रति घोर अपराध है। ऐसा करनेवाला व्यक्ति एक क्षुधापीडित ग्रामीणके मुहका कौर छीनता है। खादीके पक्षका अहित यदि हो रहा है तो इसका कारण यह नही है कि उसमे कोई अदरूनी कमजोरी है, इसका कारण खादीके मित्र और शत्रु, दोनोका अज्ञान है।

लेकिन खरीदारोके दष्टिकोणपर विचार करना भी जरूरी है। उसके दष्टिकोणसे यह विज्ञापन भ्रम पैदा करनेवाला है। यदि खरीदार अपनी पसदमे परिवतन कर ले, अर्थात यदि वह बिना ब्लीच की हुई खादी खरीदे और उसमे जो भी सजावट वह करना चाहे वह बादमे करे, तो खादी आजसे आधे दामपर बिकने लगेगी। यदि उसे मूल्यकी परवाह नही है तो इसके बारेमे उसे चिता करनेकी जरूरत नही है। लेकिन जिस खरीदारके लिए मूल्यका महत्त्व है, उसे समझ लेना चाहिए कि वह धुली हुई और रँगी हुई खादीके मुकाबले बिना धुली हुई और सादी खादीके लिए कही कम दाम देता है। इसके सिवाय, ब्लीच की हुई खादीके मुकाबले बिना ब्लीच की हुई खादी ज्यादा टिकाऊ होती है। जनताको यह भी जान लेना चाहिए कि पिछले बारह वर्षोमे खादी अपेक्षतया कही ज्यादा सस्ती और नफीस हो गई है। उसने कतैयोके चरखोमे सुधार करके और उनके कौशलमे वृद्धि करके उनको ज्यादा धनका लाभ कराया है। यदि कुछ शिक्षित स्त्रियो और पुरुषोने अधभूखे किन्तु आशिक रूपसे रोजगारमे लगे हुए करोडो लोगोकी मदद करनेके निमित्त अपनेको जी-जानसे न लगा दिया होता, तो यह नही हो सकता था। यदि वण या जातिकी गलत धारणावश स्वयको ऊँची जातिका माननेवालोने इन करोडो लोगोको

लगभग अस्पृश्य न माना होता और उनकी उपेक्षा न की होती तो खेतीके धन्धेमे लगे लोगोको पूरक धन्धा प्रदान करनेवाला भारतका यह प्रमुख उद्योग कभी खत्म न हुआ होता।

इसमे शक नही कि खादी सगठनमे त्रुटिया है। कार्यकर्त्ताओमे इसके लिए पूरी लगन नही है और समस्याओका आलोचनात्मक अध्ययन करनेकी जितनी कोशिश होनी चाहिए वह नही हे। लेकिन इसमे आश्चर्यकी कोई बात नही है। किसी पुरानी आदतको एक क्षणमे नही छोडा जा सकता। हम सहसा ही हस्तलाघव नही प्राप्त कर सकते। खादी विज्ञानमे ऊँचे दर्जेके तकनीकी और मशीनी कौशलकी आवश्यकता है और इसमे भी उतना ही ध्यान लगानेकी जरूरत है, जितना ध्यान कि सर जगदीशचन्द्र बोस अपनी प्रयोगशाला मे पौधोकी छोटी-छोटी पत्तियोपर लगाते है। तभी जाकर वह हमारे इन सह प्राणियोसे प्रकृतिके रहस्योका पता ले पाते है।

अत जिस विज्ञापनकी शिकायत की गई है उसमे गलती यह नही है कि खादी का मूल्याकन बढाकर किया गया है, बल्कि यह है कि खादीके पक्षको उसमे बहुत भोडे और अपूर्ण ढगसे प्रस्तुत किया गया है। सत्यकी अपर्याप्त समझके कारण यथा तथ्यताका अभाव ही इस गलतीका कारण है। इस अचूक कसौटीपर कसनेपर विज्ञापनके तीन अनुच्छेदोमे से प्रत्येक अनुच्छेद बुरी तरह खोटा साबित होता है।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ५ १०-१९३४

१५५ पत्र सिरिल जे० मोदकको

५ अक्टूबर, १९३४

प्रिय कुमारी मोदक,

आपका पत्र मिला। इस समय मेरे लिए अपने कार्यक्षेत्रसे बाहरकी चीजोको पढनेके लिए चन्द मिनटका समय निकालना भी बहुत कठिन है। इसलिए आपकी अपील न पढ सकनेके लिए मुझे आप क्षमा करेगी। बहरहाल इसमे आपको मेरा समर्थन भी नही मिलता, क्योकि इस तरहकी अपीलोमे अपना नाम जोडना मेरे सिद्धान्तके विरुद्ध है।

मुझे याद है कि आपने मुझे 'सोशल रिफार्मर' की कतरने भेजी थी जिसमे आपके लेख थे। लेकिन मै उन्हे पुस्तिकाके रूपमे प्रकाशित नही कर सकता था।

हृदयसे आपका,

कुमारी सिरिल जे० मोदक, एम० ए०
मिशन हाई स्कूल गाजीपुरा, जबलपुर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१५६ पत्र गणेशचन्द्र विश्वासको

५ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्तने आपका २८ सितम्बर १९३४का पत्र मुझे भेजा है। वह मुझे कल यथावत मिल गया था।

मैं आपकी समितिकी बैठककी सफलताकी कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप उपस्थित सदस्योको आत्मशुद्धिके, जिसका अथ अस्पृश्यता-निवारण है, आन्दोलनमे पूरी तरहसे भाग लेनेकी अहमियतको समझा सकेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री गणेशचन्द्र विश्वास
स्वागत समितिके अध्यक्ष
बगीय राजवशी क्षत्रिय समिति
३, गोलन शास्त्री लेन, कलकत्ता

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१५७ पत्र सतीशचन्द्र दासगुप्तको

५ अक्टूबर १९३४

प्रिय सतीशबाब

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने बगीय राजवशी क्षत्रिय समितिकी स्वागत समितिके अध्यक्षको एक सन्देश भेजा है।

खान भाइयोको किसीकी निगरानीमे भेजनेका जिम्मा मेरा नही था। मुझे तो मौलाना अबुल कलाम आजादके आमन्त्रणके प्रत्युत्तरमे उन्हे भेजना था। मेरा उन्हे कही भी भेजनेका मन नही था, लेकिन मैं इस निमन्त्रणको अस्वीकार नही कर सकता था। तथापि मैंने उनसे खादी प्रतिष्ठान जानेके लिए कहा और तुम जानते हो कि मने तुम्हे भी लिखा था कि तुम्हे उनसे परिचय करना चाहिए।

मैं सतकौडी बाबूके बारेमे लिखे अपने पत्रोके परिणामकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

सप्रेम,

बापू

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१५८ पत्र जमनालाल बजाजको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारे पत्र मिले। मिलकी झझटसे अच्छे बचे। इस बाघके डरसे यहा जानकी मैया और बालकोके मनका सुदर अनुभव मिला। सब व्याकुल हो गये थे, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह प्रवत्ति कायम रहे, ऐसी कामना हम सदा करे।

जबतक डाक्टर वहासे बिलकुल मुक्त न करे तबतक वहासे हिलना ही नही है।

जितनी हो सकेगी उतनी बाते हम यहा करेगे। बाकी काग्रेस [अधिवेशन] मे और उसके बाद। काग्रेसके अधिवेशनके तुरत बाद वर्धा ही लौटना होगा। काग्रेस [अधिवेशन] के बाद तुरत नया कुछ करनेके बारेमे मैने कुछ सोचा ही नही है। इसका विचार तो यही होगा।

यहा सब ठीक ठाक चल रहा है।

कमलाको पत्र लिखते रहते होगे? आजकल तो वहा खुर्शेदबहन है। उनको लिखो तो भी चलेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० २९४४) से।

१५९ पत्र परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

५ अक्टूबर, १९३४

भाई परीक्षितलाल,

तुम्हारा १४ तारीखका पत्र हाथमे लेता हूँ। मैने तुम्हे रु० ६३७०-८-३ दिये थे, उनके खच हो जानेपर अब रु० ८०-८-६ बचे है। अगर म तुम्हे यह रकम भेज द तो क्या मै यह मान सकता हूँ कि तुम्हे फिर मददकी जरूरत नही रहेगी?

क्या छात्रालयका खच वार्षिक बजटमे उसके लिए जो राशि निर्धारित की जाती है, उससे पूरा नही होता? वषके अतमे जो ८०० रुपयेका घाटा होता है उसके बारेमे तुम्हारा क्या कहना है? अब यदि सारा खच एक ही खातेमे से निकले तो अच्छा हो। मुझे जो कुछ मिल रहा है उसमे से अधिकाश तो दिल्ली जाता है। इसलिए मेरा दष्टिकोण तो यह है कि गुजरात जिसकी पूर्ति न करे वह दिल्लीसे आना चाहिए। लेकिन गुजरातके बारेमे ऐसा नही है। हमारे पास तो गारटी है। इसका

विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। नरहरिसे मिलकर इसका खुलासा कर लेना। आश्रममें हमें अधिकाधिक स्वावलम्बी होना चाहिए।

रामदास आदि वहां रहे, उनसे क्या तुमने भाडा लिया है? क्या भाडा मिला, सो बताना। हरिजनोंके अलावा और किसी भी व्यक्तिका एक भी कौडी खर्च आश्रम पर नहीं पडना चाहिए। यह बात तुम्हारे ऊपर, पुरातन और अन्य लोगोंपर जो वहां रहते हैं नहीं लागू होती। लेकिन तुम्हारा खर्च तो गुजरात हरिजन सेवक संघसे निकलता है न? वस्तुतः देखा जाये तो संघको भाडेके रूपमें भी कुछ देना ही चाहिए। हिसाब किताब साफ रहे, इसके लिए यह जरूरी है। लेकिन इस विषयपर मतभेद हो सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ४०४१) से।

१६० पत्र प्रेमाबहन कटकको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० प्रेमा,

तेरे पिछले पत्रका उत्तर मैंने नहीं दिया, ऐसा मेरा खयाल है।

तू मेरे वक्तव्यको पूरा समझ सकती है, इससे मुझे सन्तोष होता है। तेरा काम तो विकसित हो रहा मालूम होता है। इसका विस्तार न बढाना। जो काम हाथमें लिया है उसकी जडें गहरी जमाना। अपने कंगाल मुल्कमें हम घासके बीज बोकर उसपर गुजर करते हैं। गेहूँ आदि घासके बीज ही हैं। फल बोनेका हमें धीरज नहीं है, इसलिए गरीब उन्हें पाते ही नहीं। अमीरोंके लिए फल पोषक नहीं होते। उनके लिए वे भोजनके बाद मुख सुवासित करनेकी वस्तु हैं। इसी तरह हम सेवाके क्षेत्रमें कंगाल होनेके कारण घाससे सन्तुष्ट रहते हैं। यदि हम थोडेसे लोग भी ऐसी भूल करनेसे बच जायेंगे तो जो फलवाले पेड उगेंगे, उनकी छाया मिलेगी और उनके फल पीढी दर पीढी खाये जायेंगे। आज तो इतना ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६१) से। सी० डब्ल्यू० ६८०० से भी, सौजन्य प्रेमाबहन कटक

१६१ पत्र लीलावती मुन्शीको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० लीलावती

यह तो तुम्हारे पत्रका उत्तर है, लेकिन लिख रहा हूँ मुशीके लिए।

जिसके बहुत सारे आदर्श होते है वह बहुत सारे देवताओकी उपासना करता है। उसका मन कैसे शात हो सकता है? देवता तो महाद्वेषी और झगडाल माने गये है। ओर जो व्यक्ति एक ही देवका उपासक है उसका तो आदर्श भी एक ही होता हे। उसकी इच्छा तो एक ही सत्यनारायणका साक्षात्कार करनेकी होती है। वह सदा सतुष्ट रहता है, सदा सुखी रहता है। यदि वकालत व्यक्तिको उस स्थिति तक पहुँचाती है तो जगतकी निन्दा सहन करके भी वकालत करनी चाहिए। और यदि वकालत उस आदर्शसे विमुख करती है तो उसका त्याग करना चाहिए। वकालत, स्वैच्छिक फकीरी, काग्रेसका सिहासन, लोगोकी निदा और ऐसी अनेक वस्तुएँ तो अमानतके रूपमे सौपी गई है। और एक देवका ऐसा पुजारी जो समान भावसे स्तुति और निदाको ग्रहण करता है तथा जो मलाबार हिलमे विलास करता है, वह वर्लीकी अँधेरी चालमे भी सुखपूर्वक रह सकता है। मुशीको यही करना है। लेकिन यह तो मानसिक प्रयोग है। इसमे मुशीको किसलिए भय लगता है? कहा गई उसकी तीव्र बुद्धि और कहा गया उसका शास्त्र अध्ययन? मन चगा तो घर गगा। बाकी तो मैने काशीकी गगामे स्नान करनेवाले अनेक धूर्त भी देखे है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५५४) से, सौजन्य लीलावती मुशी

१६२ पत्र रामजीको

५ अक्टूबर, १९३४

भाई रामजी,

मै तुम्हारा पत्र ध्यानपूर्वक पढ गया हूँ। पढाईके क्रममे परिवर्तन करनेकी मुझे तो कोई आवश्यकता नही दिखाई देती।

खादीकी समस्याओका समाधान खादी शास्त्रके सम्पूर्ण अध्ययन द्वारा ही हो सकता है। लोगोकी मनमानी इच्छाओको पूरा करके उन्हे खुश करनेका प्रयत्न इसका उपाय नही है। अकालमे खादीका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। लेकिन अकालग्रस्त क्षेत्रोमे रहनेवाले लोगोको कमसे-कम मजदूरीमे सन्तोष मानना चाहिए। यदि उन्हे

अधिक मजदूरीवाला धन्धा मिल सके तो हमे उनके आगे चरखा अथवा तकली नही रखनी चाहिए।

वस्त्र-स्वावलम्बनके लिए मिली हुई रकम अकाल पीडिताको नही दी जा सकती। अकाल-पीडित प्रदेशमे जो खादी तैयार हो वह या तो राज्यको खरीदनी चाहिए अथवा धनिक वगको। और जबतक धनिक वग गरीबोके साथ एकात्म होना नही सीखता, तबतक अकालमे खादीको स्थान नही हो सकता। अकालमे तैयार की गई खादीका प्रयोग धनिकोके अलावा और कोई वग नही कर सकता। गरीब ता खुद तैयार की हुई खादी पहनेगा मध्यम वग अपनी जरूरतकी खादी बाजारसे ले लेगा। इसलिए अकालकी खादीके लिए विशेष ग्राहक वग होना ही चाहिए।

विशेष तो मै अवकाश मिलनेपर हरिजन ' मे जो लिखनेवाला हूँ, उसे देख जाना।

बापूके आशीर्वाद

रामजी
अमरेली

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१६३ पत्र सरिताको

चरखा द्वादशी, ५ अक्टूबर, १९३४

चि० सरिता,

तुम्हारा लम्बा पत्र मुझे मिला और बहुत पसन्द आया। उसमे मुझे तुम्हारे हृदयकी शुद्धताके पूण दशन होते है। तुम सच्ची बेटीका नाम रोशन करती हो, क्योकि सच्ची बेटी माता-पितासे अपने विचारोको कभी छिपाकर नही रखती। उसके मनमे जो विचार आते है, उन्हे वह उनको उसी रूपमे माता-पिताके आगे रख देती है और अपना बोझ हलका कर लेती है। जब ऐसा होता है तब माता पिताको भी उसका उपाय ढूढनेका अवसर मिलता है। इसलिए जैसे इस बार लिखा है, वैसे हमेशा लिखा करना।

तुम धीरज रखो। परिणाम हमारे हाथमे नही है, हमारे हाथमे तो कत्तव्य-पालन है। उसका फल ईश्वरके हाथमे है। इसलिए सुमित्रा अच्छी होगी अथवा नही, यह हम नही जानते। अपनी सामर्थ्यानुसार उसकी दवा करना हमारे हाथमे है। ऐसा करना हमारा धम है।

हम गरीब है। इसलिए जैसा अन्य गरीबोके साथ होता है वैसा भले ही हमारे साथ भी हो। अस्पतालमे थोडी ढील हो तो उसे सहन करना। मै वहाँ व्यक्तिगत

रूपसे आखके किसी भी डाक्टरको नही जानता। सरदार जानते है। उन्होने ही सरदेसाईको पसन्द किया है, इसलिए मै उनसे यह काम करा रहा हूँ। स्वामीको भी लिख रहा हूँ। स्वामीकी मार्फत डॉक्टरकी रिपोर्ट मँगवा रहा हूँ।

सरदेसाई हम लोगोमे सबसे अच्छे डॉक्टर माने जाते है। एक यूरोपीय डाक्टर भी है जोकि अच्छा कहा जाता है, लेकिन उसके पास सुमित्राको भेजनेका मन नही होता। उसे हममे से कोई भी नही जानता। इसलिए सरदेसाईका इलाज हम न छोडे। हा, अगर वह हार जाये तो अवश्य किसी और डाक्टरकी तलाश करेगे।

यदि तुम्हे समुद्रके किनारे जाते हुए सकोच होता है तो ऊपर छतपर क्यो नही घूमती? मै तो वही घूमता हूँ। छतपर घूमना बहुत अच्छा है।

नीमुके बारेमे तो क्या कहूँ? यदि वह मुझे सच्ची बात न बताये तो मै उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी तरह अपने मनकी बात मुझसे कहे तो मै कुछ उपाय अवश्य करूँ। यदि वह ऐसा कहती रहे कि "मै ठीक हूँ, चिन्ता मत करो" तो मै क्या कर सकता हूँ? मुझे तो कल भी उसने यही कहा है। वह मुझसे नही कहना चाहती तो न सही, अमतुस्सलामसे कहे तो भी ठीक है। उसे चिन्ता करनेका कोई कारण नही। मैने दुबारा तो हिसाब नही मागा। हिसाब रखनेकी आदत डालनी चाहिए। हिसाब रखेगी तो अच्छा ही है। लखपती आदमी भी अगर हिसाब न रखे तो उसका दिवाला निकल जाये।

इतने स्पष्टीकरणसे भी यदि सन्तोष न हो तो फिर लिखना।

तुम्हारा वहा जो खर्च हो, उसका हिसाब रखना। तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि इसके बाद पैसा तुम्हे यहीसे भेजा जाये।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१६४ पत्र सुरेन्द्रको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० सुरेंद्र,

तुम्हारे सन्तोषके लिए तुम्हारा १५ रुपया महीना मै किसी और खातेसे निकालने लगूंगा। वैसे, बात मुझे महत्त्वपूण नही लगी। जिसे जिस खातेसे आजीविका प्राप्त करनेका अधिकार है, उसे वह उसी खातेसे लेना चाहिए। ऐसा करनेमे नम्रता अधिक है। तुम्हारे-जसे व्यक्तिके लिए यही शोभाजनक है कि वह आजीविकाके लिए भी हरिजनोपर आश्रित रहे। लेकिन यह हरिजन सेवा यदि तुम्हारा महाम त्र नही हो सकती, और यदि वह तुम्हारी आत्माको पूण सन्तोष नही दे सकती, तो तुम्हारा दूसरे खातेसे अपना खच लेना उचित है।

किशोरलालभाईको लिखा तुम्हारा पत्र तुम्हारी मनोदशापर अच्छा प्रकाश डालता है। म तुम्हारे मनके भीतर अभी भी अव्यवस्था देखता हूँ। तुम अभी भी चुनाव करनेकी वत्ति रखते हो। तुम्हारी यह स्थिति आत्मोन्नतिके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जिसने सब कुछ कृष्णापण कर दिया है, उसने तो अ तिम चुनाव कर ही लिया। फिर तो किसी चुनावका सवाल ही नही रह जाता। ऐसा व्यक्ति और स्वच्छ दतावादी, दोनो एक स्वरमे गा सकते है

"आज जो मिला है उसका उपभोग करो, कल किसने देखा है!"

यह पत्र नाथ[1] को दिखाकर उनके साथ इसपर बातचीत करना।

बापूके आशीर्वाद

सुरेंद्र

साबरमती

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ केदारनाथ कुलकर्णी, किशोरलाल मशरूवालाके गुरु।

१६५ पत्र लीलावती मेहताको

५ अक्टूबर १९३४

चि० लीलावती[1],

तेरा पत्र मिला था। ऐसा लगता है कि तेरा वैवाहिक जीवन तेरे लिए दुःखमय सिद्ध हुआ है। जहाँ नीति-अनीतिका भेद न किया जाये वहाँ क्या उम्मीद की जा सकती है? छगनलालसे मैंने बडी आशाएँ बाँध रखी थी। मैं बहुत उमंगसे उसे विलायतमें एक अंग्रेजी स्कूलमें रख आया था। वहाँ उसे साथ भी अच्छा मिला था। यह दुःखकी बात है कि वह डॉक्टरका सच्चा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। तू बहुत कोशिश करे तो ही वह बच सकता है।

बापूके आशीर्वाद

लीलावती
रंगून

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१६६ पत्र ककलभाई कोठारीको

५ अक्टूबर, १९३४

भाई ककलभाई

तुम्हारा पत्र मिला। देशी राज्योंके सम्बन्धमें जो घोटाला हुआ है वह इस प्राचीन उक्तिको सिद्ध करता है कि 'मनुष्य स्वयं अपना मित्र है अथवा शत्रु।' उसे कोई बाहरी शक्ति नुकसान पहुँचा ही नहीं सकती। सब-कुछ गलत हो रहा है। हम सब अपने अपने भ्रममें पड़े हुए हैं। क्यों न हम सब मिलकर ईश्वरसे यह प्रार्थना करें कि "हे भगवान! हमारे मित्रोंसे हमें बचाना, अरे, यदि तुम हमें स्वयं हमसे भी बचाओगे तो भी हम तुम्हारा उपकार मानेंगे।"

बापूके आशीर्वाद

ककलभाई
सोनगढ

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

1. डॉ० प्राणजीवन दासके पुत्र छगनलाल मेहताकी पत्नी।

१६७ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा पत्र मिला। जो द्रव्य प्रतिमास मिलता है उसमे से जो बचे वह दूसरे मासके लिये रखा जाय तो कोई दोष नही है। वषके अतमे यदि कुछ बचा तो भाईओसे कहा जाय इतना कम करके भेजो। बात यह है कि जो अपरिग्रही है वह जो धन आजीविकाके ही लिये लेता है उसमे से किसीको दान नही दे सकता है। यदि भाई कोई खुराक इ बेचनेवाले पर चिटठी भेजे कि जो माल ब्रजकृष्ण मागे सो उसको देना तो दान कहा से किया जा सकता है?

यदि तुमारा शरीर वहा अच्छा न रहे तो और दाक्तर लोग इजाजत देवे तो यहा आकर रह सकते हो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० २४२६) से।

१६८ वक्तव्य समाचारपत्रोको

६ अक्टूबर, १९३४

मेरे ६६ वे जन्मदिवसके उपलक्ष्यमे ससारके कई भागोसे अनेक लोगोने तार द्वारा तथा अन्य प्रकारसे मुझे सन्देश भेजे है और चूकि इतने सारे लोगोको व्यक्तिगत रूपसे जवाब देना मेरे लिए सम्भव नही है इसलिए मै सावजनिक रूपसे उन सब लोगोको शुभकामनाएँ भेजनेके लिए धन्यवाद देता हूँ।

[अग्रेजीसे]
बाम्बे क्रानिकल, ७-१० १९३४

१६९ पत्र के० कृष्णमूर्ति अय्यरको

६ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र

मुझे कल आपका पत्र मिला था और आज श्री च० राजगोपालाचारीकी माफत आपका २,००० रुपयेका चेक भी मिल गया है। आपकी मागके अनुसार यह रही उसकी रसीद। यह चेक ठक्करबापाको इस निर्देशके साथ भेजा जा रहा है कि वे यह चेक अथवा २,००० रुपयेका एक नया चेक च० राजगोपालाचारीको भेज दे, साथ ही उ हे यह भी बता दे कि इस चेकका उपयोग आपके पत्रमे लिखी शर्तोके अनुरूप किया जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

सलग्न १

श्री के० कृष्णमूर्ति अय्यर
१०६, थम्बू चेटटी स्ट्रीट
जाज टाउन, मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस सौजन्य प्यारेलाल

१७० पत्र एस० डी० राजगोपालनको

६ अक्टूबर, १९३४

प्रिय राजगोपालन,

मुझे खुशी है कि आप अपनी मशीनपर प्रयोग कर रहे है। जिस तरहकी रुईका इस्तेमाल किया जाता है उसे नोट कर लेना चाहिए। मशीनसे जितना भी सूत तैयार हो उसका बट, एकसारता और अकके आधारपर वर्गीकरण किया जाना चाहिए। जो सूत व्यथ जाये उसका वजन लिया जाना चाहिए। चरखा कातनेवालोके नाम, वय और लिंग भेद दिये जाने चाहिए और प्रत्येक कतैयेके नामके आगे प्रतिदिन काम करनेके पूरे घटे और प्रत्येक कतैयेने प्रतिदिन लगातार कितने घटे काता, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। यदि ये सारे तथ्य दिये जाते है तो इससे महत्त्वपूण जानकारी प्राप्त होगी। यदि काम करते समय कोई मशीन खराब हो जाती

है अथवा उसमे मरम्मतकी जरूरत महसूस होती है ता उसे भी नोट किया जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री एस० डी० राजगोपालन
बगलौर शहर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१७१ पत्र बी० श्रीरगशायीको

६ अक्टूबर, १९३४

प्रिय श्रीरगशायी

आपका पत्र मिला। यह जानकर सुख मिला कि आन्ध्रका समाजवादी दल मेरे द्वारा सुझाये गये सभी सशोधनोकी कद्र करता है। समाजवादी दल मने इसलिए कहा है क्योकि आपने दलके सेक्रेटरीकी हैसियतसे हस्ताक्षर किये है। इस कारण म माने लेता हूँ कि आपका पत्र दलके विचारोका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आप जानते ह कि बनारसमे हुई सभामे इन सशोधनोकी बेहद निन्दा की गई है। जब मैंने श्रमकी गरिमाके प्रतीक-स्वरूप कताई मताधिकारकी परिकल्पना की थी उस समय भी एक मित्रने मुझे एक पुस्तिका दिखाई थी जिसमे सोवियतका सविधान था और उसने मेरा ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित किया था कि रूसमे श्रम मताधिकारको एक निश्चित स्थान प्राप्त है। लेकिन मुझे नही मालूम कि आप समाजवादियोके सामान्य विचारोका प्रतिनिधित्व करते है या नही। और फिर जिन लोगोने निन्दा-प्रस्ताव पास किये है उनके बारेमे आपका क्या कहना है?

आपको मेरी इस इच्छापर आपत्ति है कि धनाढय लोगोको अपने-आपको अपनी सम्पत्तिका स्वामी नही बल्कि समस्त समाजकी ओरसे नियुक्त उस सम्पत्तिका न्यासी समझना चाहिए। बेशक, यह एक कठिन काय है लेकिन असम्भव कदापि नही। और मुझे तो इस विचारके लोगोमे फैलने और उनके द्वारा इसे स्वीकार करनेके निश्चित लक्षण भी दिखाई देते है। आपका सुझाव है कि गरीबोको धनवानोका न्यासी समझा जाना चाहिए। लेकिन आप भूल जाते है कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसमे यह बात शामिल है, क्योकि क्या मैंने बार-बार यह नही कहा है कि श्रम भी धनके समान पूजी ही है? इसलिए श्रमिकोको स्वयको धनवानोका शत्रु अथवा धनवानोको अपना स्वाभाविक शत्रु न समझकर अपने श्रमको उन लोगोके लिए न्यास रूपमे रखना चाहिए जिन्हे उसकी जरूरत है। वे ऐसा तभी कर सकते है जब वे अपने आपको नितान्त

असहाय महसूस न करे, जैसाकि वे आज करते है, बल्कि मनुष्यकी अर्थ-व्यवस्थामे अपने महत्त्वको पहचानते हुए धनवानोके प्रति अविश्वासकी भावना अथवा भयको अपने दिलोसे निकाल बाहर करे। भय और अविश्वास जुडवा बहने है जिनकी जननी है दुर्बलता। जब श्रमिक अपनी शक्तिको पहचान लेगे तब उन्हे धनवानोके विरुद्ध किसी प्रकारका जोर आजमानेकी जरूरत न होगी। उनका ध्यान सहज ही इस ओर चला जायेगा और वे इस शक्तिका सम्मान करेगे।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, ११-१०-१९३४

१७२. पत्र डॉ० मुख्तार अहमद असारीको

६ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डाक्टर साहब,

आपके वापस स्वदेश लौटनेपर बापू आपको हार्दिक शुभकामनाएँ भेजते है। अखबारोसे पता चलता है कि आप दो-एक दिनमे यहाँ आनेवाले है। बापू कहते है 'हो सके तो आप और जल्दी आये।' हमे आशा है कि परिवर्तनसे आपको लाभ हुआ है और अब आप ज्यादा शक्ति और चुस्ती महसूस कर रहे है। यहाँ खान बन्धुओसे आपकी मुलाकात हो जाती किन्तु वे बगाल गये हुए है और हालाकि उनके ७ तारीखतक यहाँ लौटनेकी आशा थी, लेकिन वहाँ उनका कयाम लम्बा होता जा रहा है, और मुझे शक है कि वे १६ तारीखसे पहले लौट सकेंगे।

आपने अगाथा, होरेस अलेक्जेंडर और अन्य अग्रेज मित्रोका दिल चुरा लिया है। लगता है, वे चाहते है कि आप हमेशा वही रहे।

सलाम सहित,

आपका सस्नेह,
महादेव

मूल अग्रेजीसे असारी पेपर्स २०/ए० एन० एस०/ए० पी० पी०-६०-१, सौजन्य जामिया मिलिया इस्लामिया पुस्तकालय

१७३ पत्र एस० अम्बुजम्मालको

६ अक्टूबर, १९३४

चि० अम्बुजम

तुम्हारी पुरानी शैलीमे लिखा तुम्हारा पत्र मिला। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे इतनी सारी सूचनाएँ दी।

माता पिता अनुमति दे दे तो तुम जब चाहे निश्चय ही वापस आ सकती हो। तुम जितनी जल्दी आ सको उतना ही अच्छा है।

यहा सब ठीक है। पानी बरसना तो लगता है बिलकुल ब द हो गया है।

सप्रेम,

बापू

मूल अग्रेजीसे अम्बुजम्माल पेपस सोज य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

१७४ पत्र हरिलाल गाधीको

६ अक्टूबर, १९३४

चि० हरिलाल,

तेरे आखिरी पत्रका उत्तर[१] मै सक्षेपमे दे चुका हूँ। उसीमे मने दूसरा पत्र लिखनेकी बात कही थी वह यह रहा।

खादीके तूने जो नौ अथ किये ह वे बिलकुल ठीक है। उनमे कुछ और वद्धि की जा सकती है, लेकिन इतने काफी है। इनमे से जो तुझपर और मुझपर लाग होते ह, उनपर हम अमल करे। इसीसे मैने तुझे खादी-काय सीखनेका सुझाव दिया था। खादी काय सीखनेका अथ है खेतमे कपास बोनेसे लेकर खादी तैयार करनेकी समस्त प्रक्रियापर अधिकार प्राप्त करना तथा खादीको कैसे खपाया जाये उसके उपायोकी जानकारी प्राप्त करना। इन सबका वैज्ञानिक रीतिसे अध्ययन करना चाहिए।

किताबे भेजनेकी तजवीज कर रहा हूँ।

तेरा मन मुसाफिरी करनेका नही होता, यह बात मुझे अच्छी लगती है। यदि तू पोरब दरकी बजाए राजकोटमे रहे तो यह मुझे अच्छा लगेगा, क्योकि म समझता हूँ कि तू राजकोटमे अधिक सुरक्षित रहेगा। उसमे एक अच्छी बात यह है कि

१ देखिए पत्र हरिलाल गांधीको ’ ४ १० १९३४।

नारणदास वहा है, और फिर बली, मनु आदि तो है ही। अपनी जाग्रतावस्थामे तू बली, फूली, और मनुकी अधिक सेवा कर सकता है। लेकिन यह सब साथक तो तभी कहा जा सकता है जब तुझे उसमे शाति मिल सके।

हरिलाल
राजकोट

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१७५ पत्र नारणदास गाधीको

६ अक्टबर १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला है।

हरिलालके नाम पत्र सलग्न कर रहा हूँ, पढकर उसे दे देना। वह खादी सम्बधी साहित्य पढना चाहता है। ऐसा साहित्य वहा होगा ही, सो उसे दे देना। अग्रेजी और गुजराती दोनोमे वहा है।

तकलीसे सम्बधित लेख 'हरिजन'[2] मे पढ लेना। 'हरिजन' तुम्हे मिलने तो लगा है न? कन्हैया अपने काममे जुटा हुआ है। उसे लोगोसे घुलने मिलनेमे तो देर ही नही लगती।

लगता है, राधा बहुत दुबली हो गई है। वह कुछ दिनोमे वहा पहुँचेगी। यदि वह वहा रहकर जितना विद्याभ्यास कर सके, उतना करे तो अच्छा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू० / १) से। सी० डब्ल्यू० ८४२० से भी, सौजन्य नारणदास गाधी

१ हरिलाल गाधीकी पुत्री।
२ ५ अक्टूबर १९३४ का।

१७६ पत्र कस्तूरबा गाधीको

६ अक्टूबर १९३४

बा,

इस वष काग्रेम अधिवेशनमे तेरा आना बिलकुल जरूरी नही है। मै बिलकुल नही जाना चाहता, पर मुझे तो जाना पडेगा। इस बार प्रवेश नि शुल्क नही है। कम से कम टिकट २५ रुपयेका है। इतना कोन दे? और हम इतना किसीको क्या देने दे? मै सभीसे न जानेको कह रहा हूँ।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१७७ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको

६ अक्टूबर, १९३४

तेरा पत्र मिला। १०० के ११६ करनेके प्रयत्नमे हमे १०० से भी हाथ धोना पडेगा।[१] ईश्वर अत्यन्त लोभी व्यक्तिकी याचनाको न सिफ अनसुनी करता है बल्कि उसे सजा भी देता है।

मुझे काग्रेससे निकालनेके लिए जितना तू उत्सुक हो रहा है उसकी अपेक्षा मै निकलनेको अधिक उत्सुक हूँ। बात सिफ इतनी ही है कि हमे ऐसे उपायोको खोज निकालना होगा जिससे यह काम सरलतासे हो सके।

मै जब आऊँगा तब मेरे साथ कितने लोग होगे, यह तो मै नही जानता, लेकिन एकका भी टिकट मुफ्त नही होगा — यह विचार मुझे पसन्द है। बडे लोग अपने बच्चोको मुफ्त अन्दर घुसा देते है, इसका मै सदासे विरोध करता आया हूँ। इसलिए मुझे यह नियम अच्छा लगा है। इसका पालन तो लोग खादीके नियमके पालन जितना ही करेगे, लेकिन मुझे और तुझे तो — भले ही हम सिफ दो व्यक्ति हो — इस नियमका पालन करना ही होगा। तिसपर भी यदि प्रेस रिपोटरके रूपमे तू दिलीप[२]को

१ मथुरादास त्रिकमजीने **छान्दोग्योपनिषद्के** महीदासकी तरह गाधीजीकी ११६ वषकी आयुकी कामना की थी।

२ मथुरादास त्रिकमजीका पुत्र।

और सेविकाके रूपमे तारामती[1] को घुसायेगा तो इसकी जिम्मेदारी तुझपर होगी। भगवान तेरे रथका एक पहिया जमीनमे धँसा देगा। मेरा बस चले तो मै केवल महादेव, प्यारेलाल, देवराज और कनुको लेकर ही आऊँ। लेकिन मेरी चलेगी नही। पथुराज मुझसे कहेगा कि इतने वर्षोकी मजदूरीके बदले कुछ मिलना ही चाहिए। लडकियोका क्या होगा, सो तो भगवान ही जाने। काका तो रहेगे ही। लेकिन इनमे से कोई भी पडालमे घुसने नही पायेगा। वहा तो तुझे केवल पानसे रँगा मुह लिये और कत्था, चूना और चादीके वकवाले बीडे चबाते हुए लोग ही दिखाई देगे।

मथुरादास त्रिकमजी
बम्बई

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१७८ पत्र नानाभाई इ० मशरूवालाको

६ अक्टूबर, १९३४

चि० नानाभाई[2],

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। तुम्हारे बारेमे ज्यादातर तो मुझे किशोरलालसे समाचार मिलते रहते है। तुम्हारी गाडी तो भगवान चला रहा है। अब तुम शरीरसे अधिक सेवा नही कर सकते, इसका तनिक भी दुःख न मानना। तुम्हारी शुभेच्छाएँ भी सेवा ही है। सिर्फ शरीर तो जड है। जबतक तुम्हारी शुभेच्छाएँ है तबतक तुम अनेक शरीरोसे सेवा कर रहे हो। वहा तारा[3] नेटालमे सुशीला और यहा किशोरलाल तथा गोमतीके रूपमे भी तुम्ही तो हो न? यदि तुम उन्हे काम करनेसे रोकना चाहो तो क्या होगा?

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१. मथुरादास त्रिकमजीकी पत्नी।
२. सुशीला गांधीके पिता।
३. नानाभाई मशरूवालाकी पुत्री।

१७९ पत्र रामदास गाधीको

६ अक्टूबर, १९३४

चि० रामदास

तेरा काड मिला। हरी सब्जिया, दूध, दही और फलपर यदि गुजारा हो सके तो शरीरमे अवश्य सुधार होगा। चिन्ता तो करनी ही नही चाहिए। काड लिवर ऑयलके बारेमे मने तुझे विस्तारसे लिखा है। यदि समझमे न आया हो तो फिर पूछना। तुझे जैसा ठीक लगे वैसा करना। जहा शरीरकी बाजी लगी हो वहा सगे माँ-बाप भी धम बतानेमे असमथ है। जोर जबरदस्तीसे पुण्य नही होता। धम तो हृदयकी वस्तु है। इसमे किसीका अनुकरण नही किया जा सकता। इसलिए तुझे जो उचित लगे सो निश्चिन्त होकर करना।

हरिलाल अभी तो ठीक चल रहा जान पडता है। वह राजकोट पहुँच गया है। उसके सप्ताहमे दो तीन पत्र आ जाते है।

शर्मा अभी वापस नही आया है। मैने उसे, जबतक जरूरत जान पडे तबतक रुकनेके लिए कहा था।

मने अभी अभी तेरा पत्र नीमुको दिया है। मेरे जन्मदिवस पर तूने जो प्राथना की है, भगवान करे वह फलीभूत हो। मै जानता हूँ कि मैने तुम भाइयोको अपनी आत्मिक सम्पद देनेमे कभी सकोच नही किया है। किसी औरकी खातिर न सही लेकिन मैने तुम लोगोकी खातिर पवित्र रहनेका प्रयत्न किया। मात्र पवित्रताके लिए ही पवित्रताका विकास करना चाहिए, यह बात तो बादमे जानी। लेकिन जब इसे जाना तब भी यह ज्ञान मुझे शुद्ध रखनेके लिए पर्याप्त न था। लेकिन तुम्हारे प्रति और बा के प्रति अपने धमके बोधके कारण ही मै टिक सका। तथापि, तुम्ह उच्च शिक्षा देनेमे कमी रह गई। लेकिन वह अनिवाय थी। मेरे नये प्रयोगोमे उसका गौण स्थान था, आज भी वैसा ही है। उस कमीके कारण तुमने विशेष कुछ नही खोया है। लेकिन तुम्हारे मनमे जिस हदतक उसका असन्तोष रहा, उस हदतक मुझे दुख हुआ। यदि तुझे और अन्य भाइयोको यह कमी महसूस न हो तो पिताके रूपमे मै अपने-आपको कृताथ मानूगा।

रामदास गाधी
अहमदाबाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१८० पत्र सीतारामको

६ अक्टबर, १९३४

भाई सीताराम,

मुझे तो प्राथना प्रिय है परन्तु आजकल काग्रेसवालोमे प्राथनापर कोई श्रद्धा देखनेमे नही आती है और हर ऐसी बातोको भी राज्यकारणके साथ जोड देते ह। यू तो श्री कमलाकी[1] बीमारीका पता सबको है और जिनको श्रद्धा है वे नित्य प्राथना कर ही रहे ह। यही मुझे तो अच्छा और पर्याप्त जँचता है।

[सीताराम]
इलाहाबाद

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे सौजन्य नारायण देसाई

१८१ स्त्रियाँ और वर्ण[2]

एक आदरणीय मित्र लिखते है[3]

'हरिजन' में हालमें वणके विषयमें आपका जो लेख[4] छपा है, उससे ऐसा मालूम होता है कि वणका जो सिद्धान्त आपने बनाया है वह केवल पुरुषोपर ही लागू करनेके लिए है। तब स्त्रियोका क्या होगा? स्त्रीका वण कौन सी वस्तु निर्धारित करेगी? शायद इसका उत्तर आप यह देगे कि विवाहसे पूव किसी स्त्रीका वण वही होगा जो उसके पिताका होगा, और विवाहके बाद पतिका वण ही उसका वण होगा। क्या हम यह समझें कि आप मनुके इस निन्दनीय आदेशका समथन करते ह कि स्त्रीके लिए जीवनकी किसी भी स्थितिमें स्वतन्त्रता नहीं हो सकती, अर्थात विवाहके पहले उसे अपने माता-पिताके आश्रयमे रहना चाहिए, विवाहके बाद अपने पतिके आश्रयमे रहना चाहिए और विधवा हो जानेपर अपने बच्चोके आश्रयमें रहना चाहिए?

यह सामान्य बात हो गई है कि पति साहूकारीका धन्धा करता है और पत्नी शिक्षिका है। ऐसी स्थितिमे उस स्त्रीका वण क्या होगा? इन दोनोके बीच उनके बालक किस वणके होगे?

१ कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरूकी पत्नी।
२ **हरिजन** में इसका अनुवाद १२ १० १९३४ को प्रकाशित हुआ था।
३ यहाँ केवल कुछ अंश दिये गये है।
४ देखिए प्रस्तावना वण यवस्थाकी , २३ ९ १९३४।

मेरी रायमे पत्रमे जो प्रश्न उठाया गया है, वह आजकी परिस्थितियोमे अप्रासगिक है। पत्रमे मेरे जिस लेखका उल्लेख है, उसमे मैने बताया है कि वर्णोका सकर हो जानेके कारण आज वास्तवमे वण रहे ही नही है वणका सिद्धात आज अपना काम नही करता। हिदू समाजकी वतमान व्यवस्थाको अराजकताकी दशा कहा जा सकता है। आज तो चारो वण केवल नामको ही है। यदि हमे वणकी बात करनी ही हा, तो आज स्त्री पुरुष सबके लिए केवल एक ही वण है, हम सब आज शूद्र है।

पुनर्जीवित वण धममे मेरी कल्पनाके अनुसार, विवाहके पूव किसी लडकीका वण उसके भाईकी तरह ही उसके पिताका वण होगा। विभिन्न वर्णोके बीच अतर्विवाह बहुत विरल हागे। इसलिए किसी लडकीका वण विवाहके बाद भी वही रहेगा जो विवाहके पूव था। परतु यदि उसका पति किसी भिन्न वणका हो ता विवाहके बाद स्वभावत वह अपने पतिका वण ग्रहण करेगी और अपने माता पिताका वण छोड देगी। वणका ऐसा परिवतन किसीके लिए कलककी बात नही मानी जानी चाहिए और न उससे किसीकी भावनाओको आघात लगना चाहिए। क्योकि वणकी सस्था अपने पुनरुद्धारके युगमे चारो वर्णोके लिए सम्पूण सामाजिक समानताकी सूचक होगी।

पत्नी अपने पतिसे भिन्न कोई स्वतत्र धधा करेगी ही, ऐसा मै अनिवाय नही मानता। बच्चाकी सार सँभाल और घर गहस्थीकी व्यवस्था ऐसे बडे काम है कि पत्नीकी सारी शक्ति उहीमे खच हो जायेगी। किसी सुसगठित और सुव्यवस्थित समाजमे परिवारके पालन-पोषणका अतिरिक्त भार पत्नीपर नही पडना चाहिए। पुरुषको परिवारके भरण पोषणकी व्यवस्था करनी चाहिए, स्त्रीको गहस्थीकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार स्त्री और पुरुष दोना एक दूसरेके परिश्रममे सहायक ओर पूरक होने चाहिए।

इस व्यवस्थामे स्त्रीके अविकारोपर आक्रमण होता है या उसकी स्वतत्रताका दमन होता है, ऐसा म नही मानता। मनुका कहा जानेवाला यह वचन कि "स्त्रीके लिए कोई स्वतन्त्रता नही हो सकती"[1] मेरे लिए पत्थरकी लकीर नही है। उससे केवल इतना ही प्रकट होता है कि जिस समय इसकी घोषणा की गई थी, उस समय स्त्रिया गुलामीमे रखी जाती थी। पत्नीका वणन करनेके लिए हमारे साहित्यमे 'अर्धागना' तथा 'सहधर्मिणी' शब्दोका उपयोग किया गया है। पतिका पत्नीको 'देवी' नामसे सम्बोधन करना किसी प्रकारका तिरस्कार प्रदर्शित नही करता। परतु दुर्भाग्यसे एक समय ऐसा आया जब स्त्रीके बहुत-से अविकार और विशेष अधिकार छिन गये और उसका दर्जा नीचा हो गया। परतु उसके वणके घटनेका तो कोई प्रश्न ही नही उठ सकता। क्योकि वण अधिकारो या विशेष अधिकारोके समूहका द्योतक नही है, वह तो केवल मनुष्यके कत्तव्योका ही प्रतिपादन करता है। और कोई भी मनुष्य हमे अपने कत्तव्यसे वचित नही कर सकता, जबतक हम स्वय उससे दूर भागना पसद न करे। जो स्त्री अपने कत्तव्यको जानती है और उसका पालन

१ न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।

करती है, वह अपने प्रतिष्ठित पदको समझती है। वह अपनी गृहस्थीकी दासी नहीं परन्तु रानी है, जिसपर उसका शासन चलता है।

उसके बाद यह कहना शायद ही जरूरी हो कि समाजमें स्त्रीके कार्यके बारेमें मैंने जिस स्थितिका प्रतिपादन किया है उसे यदि स्वीकार कर लिया जाये, तो बालकोंके वर्णका प्रश्न कोई समस्या प्रस्तुत नहीं करेगा। क्योंकि पति और पत्नीके वर्णके बीच जैसे कोई भेद नहीं रहेगा वैसे बालकोंके वर्णके बीच भी कोई भेद नहीं रहेगा।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, ७-१० १९३४

१८२. पत्र : डंकन ग्रीनलेसको

७ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डंकन,

मुझे आज तुम्हारी छोटी टिप्पणीके साथ तुम्हारी पुस्तक मिली। मैं जितनी जल्दी सम्भव होगा, उतनी जल्दी इसे पढ़ जाऊँगा। मैं जानना चाहूँगा कि इसकी कितनी बिक्री होती है।

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१८३. पत्र : प्रफुल्लचन्द्र घोषको

७ अक्टूबर, १९३४

प्रिय प्रफुल्ल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने जो कहा है, खान साहबमें वे बातें मौजूद हैं। तुम खान भाइयोंको निश्चित समयसे ज्यादा रोक रहे हो। उन्हें यहाँ ८ तारीखको आ जाना चाहिए था। उन्हें १९ तारीखको हर हालतमें बम्बई पहुँचना है और वापस वर्धा आते हुए उन्हें दो स्थानोंपर जाना है। इसका परिणाम यह होगा कि उसके बाद वे मेरे पास केवल दो दिन ही रह सकेंगे। खान साहबसे अस्वास्थ्यकर वातावरणमें, जबकि उनकी सेहत काफी खराब है, काम करवाकर तुम बुद्धिमानी कर रहे हो या नहीं, सो मैं नहीं जानता। यदि उनके प्रवासको कम किया जा सके तो करना। स्वेच्छासे काम करनेवाले व्यक्तिपर जरूरतसे ज्यादा बोझ नहीं लादना चाहिए।

श्री प्रफुल्ल घोष
७९/१३ बी० लोअर सरक्युलर रोड
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१८४ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको

७ अक्टूबर, १९३४

प्रिय ठक्कर बापा,

इस पत्रके साथ २,००० रुपयेका चेक तथा दान देनेवाले व्यक्ति[1] और राजाजी के मूल पत्र है। मेरा सुझाव है कि तुम इस चेकको अपने हिसाबमे दर्ज कर लो और चेकको राजाजीके पास इस हिदायतके साथ भेज दो कि पत्रमे दिये गये सुझावो के अनुरूप चेकका उपयोग किया जाना चाहिए।

सलग्न २,००० रुपयेका एक चेक और दो पत्र

श्री अ० वि० ठक्कर, दिल्ली

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१८५ पत्र च० राजगोपालाचारीको

७ अक्टूबर, १९३४

मुझे आपका पत्र मिला जिसके साथ कृष्णमूर्ति अय्यरका पत्र और २,००० रुपयेका चेक भी नत्थी है। मै उन्हे सीधे रसीद भेज रहा हूँ, और ठक्कर बापाको इस हिदायतके साथ चेक भेज रहा हूँ कि इस राशिका उपयोग आपके पत्रमे दिये गये सुझावके अनुरूप किया जाये। श्री कृष्णमूर्तिके इरादेको पूरी तरहसे कार्यान्वित करनेका मुझे यही सबसे अच्छा तरीका जान पडता है।

श्री च० राजगोपालाचारी
मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे, प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए "पत्र के० कृष्णमूर्ति अय्यरको", ६-१०-१९३४।

१८६ पत्र एफ० मेरी बारको

७ अक्टूबर, १९३४

चि० मेरी,

बच्चो द्वारा काते हुए सूतके पहले कुछ नमूने वाकई बहुत अच्छे है। खादी मजबूत और टिकाऊ है।

उम्मीद है, तुम हरिजन'को बहुत ध्यानपूवक पढती होगी, क्योकि आजकल उसके स्तम्भ काफी विविधता लिये होते है।

जमनालालजी यहा १३ तारीखको आनेवाले है। डाक्टरोने कहा है कि वे उनको १२ तारीखतक छुटटी दे देगे। अब तो घाव भरनेमे थोडी ही कसर बाकी है।

सप्रेम,

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०३०) से। सी० डब्ल्यू० ३३५९ से भी, सौजन्य एफ० मेरी बार

१८७ पत्र वल्लभभाई पटेलको

७ अक्टूबर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

महाराज आयेगे तो मै सावधान हूँ और रहूँगा।

यदि तुम मेरा मुँह बन्द रखोगे तो झगडा अवश्य होगा।

मै तो तुम्हारे लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा हूँ। उस १००० वाले प्रस्ताव[१] मे मेरी सूझ बूझकी कडी परीक्षा हो रही है। काट छाट करता ही रहता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३९

१ इसमें अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योकी सख्या घटाकर १००० करनेका सुझाव था।

१८८ पत्र विद्या आनन्द हिंगोरानीको

७ अक्टूबर, १९३४

चि० विद्या,

इस समय इतने काममे मै पडा हू कोई खत लिखने चाहिये सो लिख नहि पाता। तुमारा खत मिला है। आनद आपरेशनके लिये जाता है सो अच्छा हे। तुमने वही रहनेका निश्चय किया सो भी ठीक है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्टीय अभिलेखागार तथा आनन्द तो० हिगोरानी

१८९ पत्र रीज़ जोन्सको

८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय रीज,

तुम्हारा पत्र पाकर और यह जानकर कि तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम चल रहा है, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। मै आशा करता हूँ कि तुम्हारे रवाना होनेके दिनतक तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहेगा और तुम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त घर पहुँचोगी।

हा, यह अच्छा हुआ कि चार्ली ६ तारीखको रवाना हो सके। उनपर कामका बहुत ज्यादा दबाव था। तुम मुझे समय-समयपर अवश्य लिखती रहना।

खानबन्धु अभीतक नही पहुँचे है। लगता है कि बगालमे उनकी अच्छी निभ रही है।

हम सबकी ओरसे सप्रेम,

बापू

रीज़ जोन्स
सी० एम० एस० हाउस
प्राक्टर रोड, गिरगाँव, बम्बई–४

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१९० पत्र बी० जे० देवरुखकरको[1]

८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय देवरुखकर,

जहातक साम्प्रदायिक निणयको बदलनेका सवाल है, इसके हरिजनवाले अशको सभी सम्बद्ध लोगोकी सवसम्मतिके बिना नही बदला जा सकता, और मै तो निश्चय ही ऐसे किसी परिवतनमे शामिल नही होऊँगा जिससे हरिजनोकी स्थिति और भी खराब होती हो अथवा जिसमे उनकी सहमति न हो। जहातक चुनावोका प्रश्न है, मेरा स्पष्ट विचार है कि काग्रेस सरकारके साथ जो सघष कर रही है, उसमे किसी भी रूपसे हरिजनोको लपेटना हरिजनोके उद्देश्यके लिए हानिकर होगा। हरिजनोके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करनेके लिए, बल्कि सहानुभतिसे भी अधिक कुछ करनेके लिए सवण हिदुओके पास अय बहुत और ठोस तरीके है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री बी० जे० देवरुखकर
कृष्णा बिल्डिग न० ४
पोइबावाडी, परेल, बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजय प्यारेलाल

१ बम्बईके एक राष्ट्रवादी हरिजन नेता देवरुखकरने अपने पत्रमें पूना-समझौतेमें हिन्दुओके एक वर्ग द्वारा विशेषकर बगाल और पजाबके हिदुओ द्वारा सशोधन करनेसे सम्बन्धित आदोलनको देखते हुए पूना-समझौतेके स्थायित्वके प्रति शका व्यक्त की थी। उन्होने गाधीजीसे विधानसभाके चुनावोमें हरिजन उम्मीदवारोको खडा करनेके सम्बधमें व्यक्त किये गये अपने विचारोपर पुनर्विचार करनेकी प्राथना भी की थी।

१९१ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको

८ अक्टूबर, १९३८

प्रिय ठक्कर बापा,

मैं यहा गजभियेके बारेम दो पत्र सलग्न कर रहा हू। जान पडता हे तुम्हे उसका केस मालम हे। यदि ऐसा ह तो कृपया इस बारमे मुझे पूरी जानकारी दो। उसके पहले पत्रके उत्तरमे मैंने लिखा था कि पनाको तुम्हार पास भेजनेमे पहले वह मुझे अपनी जरूरतके बारेमे बताये जिसके फलस्वरूप उसन पोस्टकार्ड भेजा।

तुम्हारा,

बापू

सलग्न २

[पुनश्च][1]

मुझे अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला है। नवम्बरमे जितनी जल्दी हो सके, सभा बुलानेकी तारीख तय कर लो। कांग्रेस अधिवेशनके बाद मेरा कार्यक्रम अनिश्चित होगा। मैं अधिवेशनके तुरत बाद वर्धा लौट आऊँगा। तब मुझे बजट दिखाना। मेरा विचार यह हे कि श्रमिकामे जो अपेक्षाकृत सम्पन्न लोग हैं, उन्हे सनकोडी बाबसे सम्बन्धित रकम चुकानी चाहिए। जहातक सदस्योको छूट देनेका सवाल है, घनश्यामदाससे सलाह मशविरा करो। किसी तरह नम्रतासे उन्हे सूचित किया जाना चाहिए। मैं यकीनन यह मानता हूँ कि यदि सूरजबहनसे जगह खाली करनेको कहनेका हमारा फर्ज बनता है तो उसका पालन करनेमे दयाकी कोई गुजाइश नही।

मैं ज्यादा से ज्यादा १ नवम्बरतक वर्धा लौट आना चाहता हूँ। लेकिन जैसा राम चाहेगे वैसा होगा।

यहाकी सभाके बाद तुम काठियावाडका दौरा करना।

परीक्षितलालके ३१ रुपये राधाकृष्णने दस दिन पहले भेज दिये थे। उसे रकम क्यो नही मिली, इस बारेमे हम पूछताछ कर रहे है।

बापू

[पुनश्च]

तुम्हारा पत्र मिला। हम चेक भेज देगे।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० ११४६) से।

१ इसके बादका अश गुजरातीसे अनूदित है।

१९२ पत्र वल्लभभाई पटेलको

८ अक्टूबर, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

महादेवके नाम लिखे तुम्हारे पत्र पढे। सम्भव हो तो डा० अमारीके साथ आ जाना।

ईश्वर शरण[1] के बारेमे बहुतसे तार आये। वे सब तो मैने तुम्हे नही भेजे। परन्तु बाबा राघवदासका भेज रहा हूँ।

ईश्वर शरणके विरुद्ध कृष्णकान्त[2] खडे हुए है। अणेका सुझाव है कि कृष्णकान्तको हटाकर वहा चिन्तामणि[3] जाये और ईश्वर शरणका नाम वापस ले लिया जाये तथा भगवानदासका विरोध न हो। मेरे खयालसे यदि यह सम्भव हो तो करने लायक है। ईश्वर शरणको तो चिन्तामणिके पक्षमे अपना नाम वापस ले ही लेना चाहिए। भगवानदासके विरुद्ध लडाई हो, यह तो बडी जहर फैलानेवाली बात होगी। इस बारेमे मैने तुम्हे तार दिया है।[4]

दूसरा मामला अभ्यकरका है। तुम्हे तार देनेके बाद बापूजी (अणे) का पत्र आया। यह पत्र मै इसके साथ भेज रहा हूँ। इसलिए तुम्हे तार देनेके पीछे मेरा क्या उद्देश्य था सो बताकर मै व्यर्थ ही तुम्हारा समय खराब नही करना चाहता।

नरीमान और मथुरादासने बडे बडे तार भेजे है जिनमे उन्होने काग्रेसको मुलतवी न करनेका अनुरोध किया है। इसे मै बेकार खर्च मानता हूँ। मुझे इसपर जरा भी आग्रह नही है। मैने तो डाकियेका काम किया है। तुम या मै ऐसा कोई काम करने दे सकते है, जिससे काग्रेस या पार्लियामेटरी बोर्डको हानि पहुँचे? और ऐसे कामोके बारेमे यहा बैठे हुए मुझे कुछ पता भी नही चल सकता।

खानबन्धु बगालमे फँस गये। अब तो उन्हे १९ तारीखको वहा [बम्बई] भेजना मुश्किल हो गया है। क्या किया जाये? मैने पत्र तो लिखा है।[5]

तुम कही बीमार न पड जाना। मुझे विलियम, प्रिन्स ऑफ आरेंज याद आता है। ईश्वरको उससे काम लेना था इसलिए चारो ओर गोलिया बरसती थी, तो भी उनके बीच वह सुरक्षित रहा

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३९-४०

१ मुन्शी ईश्वर शरण इलाहाबादके एक वयोवृद्ध हरिजन सेवक।

२ पं० कृष्णकान्त मालवीय।

३ सी० वाई० चिन्तामणि, **लीडर** के सम्पादक।

४ तार उपलब्ध नहीं है।

५ देखिए 'पत्र प्रफुल्लचन्द्र घोषको' ९.१०.१९३४।

१९३ पत्र एम० को

९ अक्टूबर, १९३४

प्रिय एम०,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हे अभी भी अहकार है। तुम फिर वही काम करना चाहते हो जिसके कारण तुम तबाह हुए हो। क्या अहकार मनुष्यको इससे भी अधिक गिरा सकता है? नही, पश्चात्ताप करनेके लिए तुम्हे यहा वापस नही आना चाहिए। जब यह दिखने लगेगा कि तुम्हे अपने पापका ज्ञान हो गया है तब तुम्हारा यहा खुले दिलसे स्वागत किया जायेगा। तुम्हारे पत्रसे तो इससे उल्टी बात दिखती है। तुमने सचमुच जो किया है उसे ईमानदारीके साथ सम्बन्धित व्यक्तियाको बतानेका साहस भी तुम्हारे अन्दर नही है, जिससे कि वे भविष्यके लिए सबक सीख सके। तुम तिगुने पापकी गुरुताको तभी अनुभव कर सकते हो जब तुम अह छोड दो। याद रखो कि यह बात कहनेवाला व्यक्ति भी पापी है। फर्क केवल इतना है कि मुझे पापका ज्ञान है और मै उससे दूर भागता हूँ [जबकि] तुम पापके निकट आना चाहते हो।

सप्रेम,

बापू

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१९४ पत्र डॉ० डी० एस० सरदेसाईको

९ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

मेरी पौत्रीकी आखे खराब होनेके बारेमे आपने जो रिपोर्ट लिखी है, वह स्वामी आनन्दने मेरे पास भेजी है। आप छोटी बच्चीकी जो देखभाल कर रहे हैं उसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ।

हृदयसे आपका
मो० क० गाधी

डॉ० डी० एस० सरदेसाई
एल० आर० सी० पी० ऐण्ड एस०
सण्डहर्स्ट रोड
गिरगाँव, बम्बई

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० ८८२७) से।

१९५ पत्र मीठूबहन पेटिटको

९ अक्टूबर, १९३४

चि० मीठुबहन,

म देखता हूँ कि तुम अपना सेवा क्षेत्र बढाती जा रही हो और अब तुम्हारी बुनाईशालाको सेवाश्रम नाम देनेका शुभ अवसर आया है। ईश्वर करे तुम्हारी और तुम्हारे साथी सेवक सेविकाओकी मेहनत बर आये।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

तुम अपनी सेहतको बराबर सुधार लेना।

श्रीमती मीठुबहन पेटिट
पाक हाउस
कोलाबा, बम्बई

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २६९९) से।

१९६ पत्र कान्ति गाधीको

[९][1] अक्टूबर, १९३४

चि० काति,

तेरा लम्बा पत्र मिला। इसे और कोई नही पढेगा। मै तेरी भावनाओको समझता हूँ। मैने रामचद्रनसे तेरे लिए पसेका प्रबध कर लिया हे। मेरे उनके साथ ऐसे सम्बध है कि इसके बारेमे मुझे सकोच करनेकी जरूरत नही और ऐसा करना तेरे लिए और मेरे लिए भी ठीक बात है। रामचद्रनके वहा रहते हुए मेरा यहासे पैसा भेजना अच्छा नही लगता। मै निश्चय ही वह पसा रामचद्रनको वापस कर दूगा जिससे कि तू निसकोच उससे पैसा ले सके। यदि तुझे यह रकम पर्याप्त नही जान पडे तो मुझे लिखना। यह एक अच्छी बात है कि तू पैसे पसेका हिसाब रखता है।

१ महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

मै तेरी मन स्थितिको, जिसका तूने विशद चित्रण किया हे, अच्छी तरहसे समझता हूँ। किसी भी चीजके लिए तू अपने ऊपर जोर जबरदस्ती न करना। तेरे आसपास जो कुछ हो रहा हे, उसे जानते हुए तू वही अपना पाव रखना जहा तू उसे दढतापूवक जमाये रख सकता हो। मेरा यह अनुभव रहा हे कि जो चीज अस्वा भाविक ढगसेकी जाती है, वह कभी टिक नही सकती, बल्कि इससे दम्भमे ही वद्धि होती है। यही कारण है कि म काग्रेससे निकल आनेके लिए सघष कर रहा हूँ। यदि किसी भी तरह तुम मब एक ही गुणका विकास कर सको तो उससे मुझे खुशी होगी ओर वह यह कि काई भी सत्य पथसे विचलित न हो। जो व्यक्ति सत्यकी साधना करता रहगा वह समय आनेपर अपनी भलाको पहचान सकेगा, नमे सुधार करके आगे बढेगा।

आजकल मुझे हरिलालके पत्र नियमित रूपसे आते हैं। मै उसकी सहायता करनेकी कोशिश करता हूँ। वह राजकोट आया है। उसने तेरा पत्र मागा था जो मैंने उसे भेज दिया है। उसने मुझे अभी हाल ही मे जो पत्र लिखे है, यदि तू उ ह पढना चाहे तो मैं भेज दगा। अपनी आदतके विपरीत आजकल मैं उसके पत्र सँभाल कर रख रहा हूँ। उसके व्यवहारमे इस समय जो सुधार नजर आता है यदि वह स्थायी सिद्ध हो तो यह सचमुच एक बहुत बडी बात होगी।

नियमपूवक चरखा कातनेका तेरा निणय ही अच्छा निणय है। तकलीके साथ सूत कातनेका नया तरीका बहुत अच्छा हे। इस तरीकेसे प्रति घटा ४०० तार सूत काता जा सकता है। प्रति घटा २०० तार सूत कातना तो एक आम बात है, इसपर प्रयोग करके देखना। तूने इसपर लिखा लेख भी पढा होगा। तूने यहासे पूनिया भेजनेकी बात कही हे जो तकसम्मत नही जान पडती, यह तो नो की लकडी नब्बे का खचवाली बात हुई। तुझे पिंजाईका काम खुद करना चाहिए। सारे औजार नगर कोइलमे ही उपलब्ध ह। कदाचित तुझे अपने यहा भी मिल जाये। रामच द्रनको अवश्य मालूम होगा, क्योंकि वह खादीके कामसे सम्बन्धित था। नि स देह वहा अच्छी किस्मकी रुई मिलती हे। तिन्नेवेलीमे सबसे बढिया किस्मकी रुई पैदा की जाती है और यह स्थान नगरकोइलसे ज्यादा दूर नही है।

तूने घी और दूध लेना शुरू कर दिया होगा। इनका तेरे स्वास्थ्यपर क्या असर हुआ, मुझे लिखना। मुझे यह भी बताना कि वहाकी आबोहवा ओर भोजन तुझे कसा लगा?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

रामदासकी हालत अब अच्छी है लेकिन वह अभी भी अस्पतालमे है।

गजराती प्रतिसे छगनलाल गाधी पेपस, सौज य साबरमती सग्रहालय

१९७ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

९ अक्टूबर, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला।

तुमारे यही आ जाना ठीक होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० २४२७) से।

१९८ सन्देश मद्रासके मतदाताओको[1]

[१० अक्टूबर, १९३४से पूव]

[मै] चाहूँगा कि मतदाता व्यक्तियोका विचार न करके उस सस्थाके सिद्धातोका विचार करे जिनका कि वे व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते है। यदि काग्रेसने देशका हित चाहा है तो लोग काग्रेसके प्रतिनिधिको चुननेमे नही हिचकिचायेगे।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, १० १०-१९३४

१९९ पत्र सतीशचन्द्र दासगुप्तको

१० अक्टूबर, १९३४

प्रिय सतीशबाबू

आपका पत्र मिला। जहातक दिल्लीमे आश्रम स्थापित किये जानेका प्रश्न है, इस बातपर ज्यादा जोर नही दिया जाना चाहिए कि एक अन्य केन्द्रीय आश्रम तो है ही। मुख्य केन्द्रमे एक आश्रम अथवा सस्था होनी ही चाहिए और उसके पीछे भाव यह है कि कार्यालयको वहा ले जाया जाये, उसमे सारे कमचारियोके रहनेका प्रबन्ध हो तथा एक तकनीकी सस्थाके खोले जानेकी भी व्यवस्था हो। यदि सारे प्रान्त अपने लिए पैसेकी व्यवस्था कर सकते हो तो हर प्रान्तमे निश्चय ही ऐसे प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा सकते ह। कराचीमे ऐसी ही एक आदश सस्था है जहा अव्वल

१ यह सन्देश एस० सत्यमूर्तिकी माफत भेजा गया था।

दर्जेके अनुभवी व्यक्तियोकी देखरेखमे, चमडेसे हर तरहकी वस्तुएँ बनाई जाती है। वहा सिलाई भी होती है और भूमि की भी बहुत अच्छी तरहसे देखभाल की जाती है। इसका सारा श्रेय महाटा ब्रदसको है। अब यह सस्था इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि गर हरिजन लोग भी इसमे शामिल होनेके लिए आवेदन पत्र भेज रहे है। इसलिए दिल्लीमे सस्था खोले जानेका जो विचार है, वह आपकी सस्थाका विरोधी नही है, बल्कि वह आपकी सस्थाके लिए सहायक होगा — दिक्कत सिफ यह है कि दिल्ली अन्य केन्द्रोके लिए चन्दा इकट्ठा नही कर सकती। बगलौरमे भी ऐसी चीजोका विकास किया जा रहा है। काठियावाडमे ऐसी तीन सस्थाएँ है। लेकिन ये सस्थाएँ हरिजन बोडकी स्थापना किये जानेसे पहले ही विद्यमान थी अब ये केन्द्रीय बोडके प्रभावमे आ गई है। दिल्लीमे सस्था खोले जानेका विचार घनश्यामदासके मनमे साबरमती आश्रमके दिये जानेसे भी पहले उठा था। यह एक अखिल भारतीय स्तरकी सस्था है और रहेगी। वह अखिल भारतीय स्तरकी सस्था होगी अथवा नही, यह इस बात पर निभर करेगा कि व्यवस्थापक इस सस्थाका कैसा उपयोग कर पाते ह। मै नही समझता कि हमे निकट भविष्यमे १०० एकडसे ज्यादा जमीन और दो लाखसे ज्यादा की कीमतकी इमारते मिल सकेगी। जहातक एकडोका सवाल है, दिल्लीकी जमीन ज्यादा एकड की नही है लेकिन वह बहुत अच्छी जगहपर है और घनश्यामदास अपने मनके मुताबिक इस योजनाका विस्तार करना चाहते है और इसके ऊपर अपना काफी धन खच करना चाहते है।

मुझे उम्मीद है, देवी बाबू और भगीरथजी मेरे प्रस्तावको[१] स्वीकार कर लेगे और हम उस रकमको नही खोयेगे जो सतकौडी बाब ले गये है। यह एक दुर्भाग्य-पूण मामला है और जहातक हो सके, इसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।

मेकेरिसनके जिस अनुच्छेदका आपने जिक्र किया है वह बहुत दिलचस्प है। मेकेरिसनको मैने भरोसेका लेखक पाया है, लेकिन वे थोडेसे प्रमाणोके आधारपर ही जल्दीसे कोई सामान्य निष्कष निकाल लेते है। हममे परस्पर काफी पत्र-व्यवहार हुआ है।

आप जो बिलकुल बेलाग होकर यह कहते है कि स्टाच चीनीके समान ही है, तो क्या आप ठीक कहते है? बच्चोको निद्वन्द्व भावसे चीनी दी जा सकती है। लेकिन उतने ही निद्वन्द्व भावके साथ उन्हे स्टाच दिये जानेकी बात मैने कभी नही सुनी है और फिर स्टाचको बिना पकाये कभी नही खाया जा सकता, जबकि चीनीको पकानेकी कोई जरूरत नही। और यदि चावलको पकाया जाता है तो भी चावल और दाखमे कौनसी चीज हानिकर है, इस दष्टिसे विचार करनेपर भी आप चावल और दाखको समकक्ष नही बिठा सकते।

मै आजकल थनसे निकले हुए ताजा तथा कच्चे दूधके प्रभावकी जाच कर रहा हूँ। मैने कच्चे दूधकी इतनी तारीफ सुनी है कि मै स्वय उसे परखना चाहता हूँ। दिक्कत सिफ यह है कि आप जितना दूध पीना चाहे, उतना दूध एक बारमे पी

१ देखिए 'पत्र देवीबाबूको ३ १० १९३४।

नही सकते। उसे कई बारमें बाटकर पीना पडता है और आप जब चाहे तब गाय अथवा बकरीसे दूध नही दुह सकते। सवाल यह हे कि यदि कच्चे दूधको सारा दिन बर्फमें रखे अथवा काक लगी बोतलमें गीले कपडेसे लपेटकर रखे तो क्या उसके तत्त्व मोजूद रहेगे। मने खुद ऐसा करके देखा हे। दूधका स्वाद वैसा ही बना रहता है, उसके सारे तत्त्व मोजूद रहते है अथवा नही इसके बारेमें मुझे कुछ मालूम नहीं। यदि आप इसपर कुछ प्रकाश डाल सकते हो तो अवश्य बताइएगा।

पशुओके शवके प्रत्येक भागका सदुपयोग किये जानेके सम्बन्धमें आप जो खोज कर रहे है, उसकी प्रगतिकी ओर म बराबर ध्यान रखूगा।

सप्रेम,

बापू

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त
कलकत्ता

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० १६२६ ए) से।

२०० पत्र मोहनलाल सक्सेनाको

११ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मोहनलाल,

आपका तार मिला। अब मुझे आनन्दभवनसे कमलाके लिए फलके बारेमें पत्र मिला है।

आपने मुझे अपने हस्ताक्षरसे युक्त सन्देश भेजनेके लिए कहा है। मेरे सामने यह बात स्पष्ट नही है कि मुझे उपयुक्त सन्देश किसे और क्या भेजना है? कही आपके कहनेका मतलब यह तो नही कि बाबू भगवानदास अपने ही इलाकेसे चुने जानेके लिए मेरा यह सन्देश चाहते ह? अगर उनके नामसे लोग प्रभावित नही हो सकते तो मुझे यकीन है कि मेरे सन्देशका भी उनपर कोई असर नही होगा।

श्री मोहनलाल सक्सेना
लखनऊ

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

२०१ पत्र हरिसिह गौडको

११ अक्टूबर, १९३४

प्रिय सर हरिसिह गोड,

आपका पत्र मिला। मेरी व्यक्तिगत राय चाहे कुछ भी हो लेकिन जबतक म काग्रेसका सदस्य हूँ, तबतक काग्रेसकी निश्चित नीति और कार्यक्रमके विरुद्ध नही जा सकता। इसलिए मै आपके निर्वाचनके सिलसिलेमे अपनी व्यक्तिगत राय देनेमे सर्वथा असमर्थ हूँ। आशा है इसके लिए आप मुझे क्षमा करेगे।

मेरा हाल चाल पूछनेके लिए आपका धन्यवाद। मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा है।

हृदयसे आपका,

सर हरिसिह गोड
नागपुर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पपस, सौजन्य प्यारेलाल

२०२ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको

दुबारा नहीं पढा

११ अक्टूबर, १९३४

प्रिय ठक्कर बापा

मै शास्त्रीकी राय जाननेके लिए तुम्हारा पत्र उन्हे भेज रहा हूँ। यदि यह तनिक भी सम्भव हो तो केन्द्रीय बोर्डसे उन्हे जो भत्ता मिलता है उसका कुछ भार म निश्चय ही वहन करना चाहूँगा। म शास्त्रीका इतना ज्यादा भरोसा करता हूँ कि मैने आर्थिक स्थितिकी ओर ध्यान भी नही दिया। मै जानता हूँ कि ऐसा न करना मेरी भूल है। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे है कि म ऐसी अनेक चीजे नही कर पाता जो मै करना चाहता हूँ। अब मै सोचता हूँ कि तुम्हे भी यथानियम हिसाब मागना चाहिए जिससे कि तुम अपनेको इस बातका यकीन दिला सको कि बोर्ड द्वारा दी जानेवाली सहायता आवश्यक है अथवा नही। तुम्हे ऐसा करनेका पूरा अधिकार है।

बापू

सलग्न २

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४७) से।

२०३ पत्र एस० श्रीनिवास अय्यगारको

११ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

मैं आपके पत्रको बहुमूल्य मानता हूँ। पिछले कई दिनोसे मैं आपको अम्बुजम[१] के बारेमे लिखनेके लिए विकल रहा हूँ। लेकिन आपकी भावनाओका लिहाज मुझे रोकता रहा। आपके पत्रसे मुझे उसका अवसर और राहत, दोनो मिले है।

अम्बुजमके प्रति मेरी स्नेह-भावना आप जानते है। यदि इसे छूट लेना न माना जाये तो मैं कह सकता हूँ कि उसके प्रति मेरी भावना भी वैसी ही हे जैसी आपकी है। बहुत-से परिवारोमे मुझे स्वजन जसा विश्वास प्राप्त कर सकनेका दुलभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अम्बुजमके ऊपर मेरा जितना कुछ भी प्रभाव है, उसका प्रयोग करते हुए मैंने उसे समझानेकी कोशिश की है कि वह ऐसा कोई काम न करे जिससे आपको या आपकी पत्नीको अप्रसन्नता हो। मेरा खयाल है कि उसने मेरी सलाह मान ली है।

मैं उस अवसरकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा करूँगा जब हम मिलकर अपनी पुरानी मधुर स्मतियोको फिरसे ताजा करेगे।

आप दोनोको सादर अभिवादन सहित,

एस० श्रीनिवास अय्यगार
मद्रास

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ श्रीनिवास अय्यगारकी पुत्री एस० अम्बुजम्मल।

२०४ पत्र पूना सार्वजनिक सभाके मन्त्रीको

११ अक्टूबर, १९३४

मन्त्री
पूना सार्वजनिक सभा
शुक्रवार पेठ

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए जिसके साथ पूना सावजनिक सभाका प्रस्ताव भी सलग्न है, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी आलोचना मेरे देखनेमे आती है, उसे मै बहुत सहेज कर रखता हूँ और मै आपको इस बातका आश्वासन देता हूँ कि इस सारी आलोचनापर बहुत सोच-विचार किये बिना मैं कोई कदम नही उठाऊँगा।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२०५ पत्र नारणदास गाधीको

११ अक्टूबर, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। हरिलालका पत्र उससे पहले अर्थात कल मिल गया था। उसने लिखा है कि तुम्हे कुछ हानि हुई है और सम्भव है कि तुम्हे कुछ मदद लेनी पडे। यदि यह सच हो तो मुझे कोई बडा आघात नही पहुँचेगा। मै तो कई अवसरो पर यह कह लेता हूँ, "भली भई मोरी मटकी फूटी, दधि बेचनसे छूटी।' यदि तुम्हे खचके लिए कुछ निकालना पडे तो नि सकोच निकाल लेना।

शेष दूसरे पत्रमे लिखूगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिलम (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४२१ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी

२०६ पत्र हरिलाल गांधीको

११ अक्टूबर, १९३४

चि० हरिलाल,

मुझे तेरा पत्र बहुत पसन्द आया। तुझमें जो परिवर्तन हुए हैं आशा है, वे स्थायी होंगे। धीरज रखना। चूंकि तेरे मनमें मेरे प्रति विश्वास जगा है इसलिए तुझे कोई परेशानी नहीं होगी।

नानालालभाईकी मदद लेनेसे पहले हम विचार करेंगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे सौजन्य नारायण देसाई

२०७ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

११ अक्टूबर, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा कार्ड मिला। तुमको मैंने लिखा है तुमारे यहां आ जाना। डा० अनसारीकी भेट करके आ जाओ तो भी ठीक है। मैं यहांसे ता० १९ को चल दूंगा। वापिस कम से कम नवेंबर १ ली तारीखको आ जाऊंगा। तुमारे मेरे गेरहाजरीमें आनेमें कोई हरज नहीं है। प्रभावती यहीं होगी। तुमारे डेलीगेट होते हुए आनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

श्री ब्रजकृष्ण चान्दीवाला
गंगा आश्रम
हृषीकेश, बरास्ता हरिद्वार, यू० पी०

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२८) से।

२०८ पत्र कृष्णकान्त मालवीयको

११ अक्टूबर, १९३४

भाई कृष्णकान्त,

तुमारा खत अभी मिला। सरदार यही बठे है। उनको सुनाया। हम दोनोको आश्चय हे कैसे बाबुजी[1] ने और अन्य मित्रोने तुमसे पूछा मै तुमसे नाराज हू। बनारसमे[2] मेरे नजदीक बहुत सी बाते आई मैने कोई राय कायम नही की थी। मुझे समय ही कहा था? किसीके पास मने तुमारे अथवा किसीके बारेमे कुछ भी कहा ऐसा मुझे स्मरण नही हे। सरदारको तो कुछ पता ही न था।

यहा भी सरदार कहते है उन्होने किसीका कुछ कहा नही हे। मित्रोने कुछ कहा हे। हा, हम दोनोको दुख हुआ कि तुमने असेम्बलीम जानेका निश्चय कर लिया। जवाहरलालका खत वापिस करता हूँ।

मो० क० गाधी

महादेव देसाइकी हस्तलिखित डायरीसे सौजन्य नारायण देसाई

२०९ एक महान हरिजन-सेवकका निधन[3]

पिछले हफ्ते राजासाहब कालाकाकरका असामयिक निधन हो गया। वे एक महान हरिजन सेवक थे। लगभग एक बरससे वे बीमार थे। मैने जब पिछली बार उन्हे कलकत्तामे देखा तो मुश्किलसे पहचान सका। वहा उनका इलाज हो रहा था। वे सयुक्त प्रान्तके बडे ही उदार जमीदार थे। वे सादगी पसन्द करते थे। जनतासे खुलकर मिलते थे। और उनके बारेमे यह कहना कि वे यथाशक्ति अपनी रयतके लिए जीते थे, सच कहना ही है। उनका हरिजनोके प्रति भी वैसा ही प्रेम था। वे अपने उदाहरणके द्वारा अपनी जमीदारीके सवर्ण हिन्दुओके बीचमे छुआछूतकी भावना हटाने और उन्हे यह सिखानेका प्रयास करते रहते थे कि हरिजनोको भी उन्हीकी तरह सब सुविधाएँ भोगनेका अधिकार है। उनके यहाके सारे कुएँ, मन्दिर और स्कूल हरिजनोके लिए खुले हुए थे। हमे आशा है कि शोकसतप्त रानीसाहिबा और

१ डॉ० भगवानदास।

२ गाधीजी २७ जुलाईसे २ अगस्ततक बनारसमें थे।

३ यह टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

कालाकांकर घरानेके सभी लोग उनके उदार दृष्टान्तको सामने रखेंगे और इस तरह उनकी स्मृतिको अमर बनायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-१०-१९३४

२१०. किसकी विजय?

अपनी परीक्षाकी इस घड़ीमें हरिजन-सेवकोंको अत्यन्त धीरजसे काम लेनेकी जरूरत है। मन्दिर-प्रवेश विधेयक खत्म हो गया। सनातनी लोग बहुत प्रसन्न हैं। हमें उनके हर्षका बुरा नहीं मानना चाहिए। कलतक हम लोग भी उतने ही खुश थे जितने खुश वे आज हैं। हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। एक बहनने ए० ई० रचित 'इंटरप्रेटर्स' नामक पुस्तकसे जिसमें उनकी उतनी ही श्रद्धा है जितनी कि किसी सच्चे ईसाईकी 'बाइबिल' में होती है, निम्नलिखित पंक्तियाँ मुझे भेजी हैं और मैं चाहूँगा कि सुधारक लोग इन पंक्तियोंको मनमें सँजोकर रखें। वे सुन्दर पंक्तियाँ ये हैं:

> **प्रेम और घृणामें चमत्कारी परिवर्तन कर देनेकी शक्ति होती है। ये दोनों तत्त्व आत्मामें परिवर्तन करनेकी अद्भुत क्षमता रखते हैं। हम जिस चीजका ध्यान करते हैं, इन दोनों शक्तियोंके प्रयोगसे हम वैसे ही बन जाते हैं। घृणाकी तीव्रताके कारण राष्ट्र अपने अन्दर ठीक वैसा ही चरित्र पैदा कर लेते हैं जिसकी कल्पना वे अपने शत्रुओंमें करते हैं। यही कारण है कि उग्र और तीव्र संघर्षोंके परिणामस्वरूप उभय पक्षोंमें विशिष्टताओंका आदान-प्रदान हो जाता है। हम यह बात सचाईके साथ कह सकते हैं कि जो लोग घृणा करते हैं, वे एक ऐसा दरवाजा खोल देते हैं जिसके रास्ते उनके शत्रु घुसकर हृदयके गुप्त गृहको अपने कब्जेमें ले लेते हैं।**

प्रेम ही एकमात्र चीज है जो सनातनियोंको बदल सकती है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि वे जो-कुछ भी हैं उसके लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं। हमें उनको गलत या सही माननेका या उनके प्रति असहिष्णु होनेका कोई अधिकार नहीं है। यदि हम अपने प्रति सच्चे हैं अर्थात्, यदि हम अपने विश्वासके अनुसार कार्य करते हैं और हरिजनोंको उनका पूरा-पूरा हक प्रदान करते हैं तो बस, इतना काफी है।

फिर, हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सनातनियोंकी विजयमें उनकी पराजय निहित है। अब सनातनी लोग यह नहीं कह सकते कि हमारी समान सहमतिसे हमारे मन्दिरोंमें हरिजनोंके प्रवेशका विरोध वे मन्दिर-प्रवेश विधेयकके कारण कर रहे हैं। सुधारक लोग अब मन्दिर-प्रवेशके सवालको दूने उत्साहके साथ उठा सकते हैं।

१. जॉर्ज विलियम रसेल (१८६७-१९३५) एक आयरिश कवि, दार्शनिक और चित्रकारका उपनाम। **इंटरप्रेटर्स** प्लेटोके वार्तालापोंकी शैलीपर लिखा गया कई व्यक्तियोंके मतोंका एक संकलन है।

यदि सुधारक लोग ऐसा अनुभव करेगे कि विधेयकके दफन हो जानेके मतलब है कि मदिर प्रवेश आदोलन ही दफन हो गया तो वे पाप करेगे। ऐसी बात नही है। जहा कही भी हम बिना किसी कटुताके सनातनियोकी सहमतिसे मदिरोको खुलवा सकते हो, वहा अवश्य खुलवाये। सम्भव है कि वे लोग जो मदिर-प्रवेश आदोलनसे इस कारण अलग थे कि मन्दिर प्रवेश विधेयक तो पेश ही कर दिया गया है, अब, जबकि विधेयक खत्म हो गया है, बिना कानूनकी मददके मदिराको खुलवानेके लिए आदोलनमे शामिल हो जायेगे। कारण, यह याद रखना चाहिए कि विधेयक समाप्त नही हुआ है केवल निलम्बित है। जिन शर्तोपर मदिर सवर्ण हिदुओके लिए खुले हुए है, ठीक उन्ही शर्तोपर हरिजनाके लिए मदिराको खोलनेके सवालपर यदि सनातनियोने सुधारकोके साथ पूरे दिलसे सहयोग नही किया तो कानून बनना निश्चित है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १२ १०-१९३४

२११ शिक्षाप्रद आँकडे

मेरे अनुरोधपर अखिल भारतीय चरखा-सघकी महाराष्ट्र शाखाने, जिसका मुख्य कार्यालय वर्धामे है, मुझे कुछ अत्यत शिक्षाप्रद आकडे भेजे है जिनसे पता चलता है कि खादीपर खर्च किये गये प्रत्येक रुपयेमे से खादीके उत्पादन और वितरणके काममे लगे विभिन्न लोगोको कितना प्राप्त होता है। १० से १४ अकके सूतसे तयार होनेवाली सफेद खादीके बारेमे आकडे नीचे लिखे अनुसार है

	रु०	आ०	पा०
रुईके लिए किसानको	०	४	६
पिजाई	०	०	६
धुनाई	०	१	०
कताई	०	३	६
बुनाई	०	४	०
ढोआई	०	०	८
ब्लीचिग	०	०	८
प्रबध व्यवस्था	०	१	२
	१	०	०

यह खादी कुल स्टाकका लगभग ५० प्रतिशत है। इसलिए इस मात्रापर प्रबधकोको एक रुपयेकी खादीपर एक आना दो पाई (रु० ०–१–२) मिलता है और बुनकरोतक के कार्यकर्त्ताओको एक रुपयेमे रु० ०–१३–६ मिलता है। यह देखकर सतोष होता है कि किसान, कतैया और बुनकर आपसमे मिलकर सबसे ज्यादा भाग पाते है।

ज्यादा ऊँचे अकके सूतवाले कपडेमे किसानको इससे कही कम मिलता है और कतैयेको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन आनुषगिक खर्च बढ जाते है। ये २५ प्रतिशत तक ऊँचे हो जाते ह। फिर फसी वस्तुओंपर खादीके मूल्यमे शत प्रतिशत वद्धि हो सकती है। वस्तुत एक रुपयेकी कीमतवाले एक रुमालमे से दरिद्रनारायणको मिलनेवाला हिस्सा शायद आधा आना या उससे भी कम होगा। हाथ कते सूतसे छोटी छोटी हाथसे चलनेवाली मशीनोपर बने मोजे या जुर्राबपर सूतका खर्च अत्यन्त अल्प होगा। आन्ध्रमे बनी साडी आन्ध्रसे जिस रूपमे आयेगी, उसका मूल्य शायद २५ रुपये होगा, लेकिन उसपर फैसी काम होनेके बाद शायद वह १५० रुपयेमे बिकेगी। इससे मिलनेवाला पाठ स्पष्ट है खादी जितनी ही सादी होगी उतना ही ज्यादा धन गरीबसे गरीब कारीगरोके पास जायेगा। बेशक फैसी कामसे खादी उन घरोमे लोकप्रिय बनती है जो अन्यथा खादीकी तरफ आख उठाकर भी नही देखेगे। मै यहा यह भी कह दू कि साडियो और गोतियोकी कुछ लोकप्रिय किस्मे है जो गरीब लोगोके लिए तैयार की जाती है। इनपर कोई प्रबन्ध खर्च नही लगाया जाता। और अ० भा० चरखा सघ द्वारा चलाया जानेवाला ऐसा कोई भडार नही है जिसमे कोरे मुनाफे जसी कोई चीज होती हो। प्रबन्ध-व्यय इसलिए जोडा जाता है ताकि खादी आत्मनिर्भर हो सके। अभीतक ऐसा हो नही सका है। अ० भा० चरखा सघकी समिति इस बातकी पूरी कोशिश कर रही है कि खादीके मूल्यमे कमी हो और प्रबन्ध व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाये कि खर्चको कम से-कम किया जा सके।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १२ १० १९३४

२१२ पत्र मीराबहनको

१२ अक्टूबर, १९३४

दुबारा नही पढा

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। परन्तु चूकि तुम अमेरिका जा रही थी, मै जानता था कि तुम्हे पत्र लिखना बेकार है। और मै नही समझता कि तुमने अमेरिकामे मेरी या हममे से किसीकी तरफसे कोई समाचार मिलनेकी आशा रखी होगी। तुम्हे मेरे एक पत्रमे फटकारकी जो ध्वनि प्रतीत हुई, मेरा खयाल है कि उसके बारेमे मेरा कुछ न कहना ही ठीक है। मेरा तुम्हे डाटनेका कोई इरादा नही था, मेरा इरादा तुम्हे सावधान करनेका जरूर था। लेकिन मै मानता हूँ कि अब यह एक भूली बिसरी चीज है। और फिर मै देखता हूँ कि तुम्हारा कुटुम्ब फिरसे एक सुखी कुटुम्ब बन गया है। विस्फोट हो जानेके बाद तो तुम और भी खुश होगी और मै देखता हूँ कि अगाथा भारतीय समाचारपत्रोमे तुम्हारे बारेमे अच्छी बाते लिखती रही है। तुम्हारे अमेरिकाके अनुभवो

का हाल जाननेकी मै प्रतीक्षा करता हूँ। यह तुमने अच्छा किया कि डॉ० होम्सको लिख दिया और अमेरिका चली गइ। इस अनुभवकी तुम्हे बेशक जरूरत थी।

इग्लडकी चीजोके बारेमे तुम्हारी योजना मने समझ ली। जब मिलेगे तब उस पर चर्चा करेगे। इसलिए मै अभी कोई राय नही देना चाहता।

यहा स्थितिमे विकास होता जा रहा है। पता नही क्या होनेवाला है। मेरा मन काग्रेससे निकल जानेपर तुला हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे काग्रेसका और मेरा, दोनोका भला होगा। बाहर रहकर मै काग्रेसपर अधिक अच्छा प्रभाव डाल सकगा। अभी मै जो भार बना हुआ हूँ सो नही रहूँगा और फिर भी जब जब जरूरत होगी अपने विचार काग्रेसको देता रहूँगा। ये बाते लिखनेमे मुझे अपना समय नही लगाना चाहिए। ये महादेव और प्यारेलालको निपटानी पडेगी। अभी तो एक एक मिनटकी कीमत है।

सप्रेम,

बापू

श्रीमती मीराबहन
लन्दन

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३००) से, सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७६६ से भी।

२१३ पत्र टाइटसको

१२ अक्टूबर, १९३४

प्रिय टाइटस,

तुम्हारा लम्बा पत्र मिला। मुझे खुशी है कि तुमने विस्तारपूवक पत्र लिखा। डेरीके सिलसिलेमे मेरा नारणदास और अन्य लोगोके साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है। नुकसान दिखानेवाले आकडोका मै अध्ययन करना चाहूँगा। तुम्हारे मुझसे यह कहनेका, कि डेरीसे सम्बन्ध टूटनेकी सम्भावना होनेपर आप मेरे लिए कुछ व्यवस्था करे, समय अभी नही आया है। डेरीको ऐसे ही बन्द नही किया जा सकता, और यदि इसे बन्द करना ही पडा तो इसका अथ यह हुआ कि निश्चय ही व्यवस्थामे कही कोई गडबडी है। अतएव यदि तुम्हे अपनेपर विश्वास है तो तुम्हे कुछ ऐसा करना चाहिए कि डेरीको बन्द करना असम्भव हो जाये। तुमने व्यवस्थामे फेर-बदल करनेके जो सुझाव दिये है, वे विचारणीय है। मुझे इनके सम्बन्धमे नारणदास और शकरलाल तथा कदाचित नरहरिसे भी बात करनी होगी, तभी मै कुछ निणयात्मक निणय कर पाऊँगा। मै तुमसे इस बातपर सहमत हूँ कि तुम्हे उपयोगी मवेशियोको बेकार मवेशियोसे अलग कर देना चाहिए। जिस पल मेरे पास एक सुनिश्चित योजना

होगी, उसी पल मैं पिंजरापोलके लोगोंसे बात करूँगा। बेशक, यह काम नारणदास स्वयं कर सकते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो मैं भी बादमें इसमें शामिल हो जाऊँगा। तथापि, सबसे गम्भीर समाचार यह है कि मुझे सुरेन्द्रजीका एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मवेशियोंकी हालत बहुत बुरी दिखाई देती है। उनमें से कुछ तो हड्डियोंका पिंजरमात्र रह गये हैं। मुझे यह बात विश्वास करने लायक नहीं लगती। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सम्बन्धमें तुम मेरी परेशानीको कम करो और सुरेन्द्रजीसे बात करके मालूम करो कि इस कथनसे उनका क्या अभिप्राय है।

मुझे खुशी है कि तुम्हारी पत्नीको वहाँकी आबोहवा माफिक आ गई है और वह तुम्हारे काममें बहुत सहायक हो रही है।

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

२१४. पत्र : एफी एरिस्टार्शीको

१२ अक्टूबर, १९३४

तुम मुझे उपहार भेजती ही रहती हो। और अब मुझे उपहार स्वरूप तुम्हारा अपना बहुमूल्य क्रास, और इतनी सावधानीके साथ लिखी गई पुस्तक तथा तुम्हारा अपना अनुवाद मिले हैं। मैं पुस्तकपर एक नजर डालनेका अपना लोभ संवरण नहीं कर सका। काश! मेरे पास इतना समय होता कि मैं इस पुस्तककी प्रत्येक पंक्ति पढ़ जाता। यह हरदम मेरी नजरोंके सामने उस छोटे से डेस्कमें रहती है जो जमनालालजीने मुझे दी है।

मैं अभी मनुसे[1] नहीं मिला हूँ, न मुझे उसका कोई पत्र ही मिला है लेकिन मैं हर रोज उसके पत्रकी बाट जोहता हूँ।

फिलहाल मुझे प्रेमपत्र लिखनेमें ज्यादा समय नहीं गँवाना चाहिए। आजकल सारा समय यहाँ जो स्थिति बनती-बिगड़ती है, उसमें और बातचीत करनेमें जाता है।

प्रिंसेस एफी एरिस्टार्शी
जर्मनी

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. मानशंकर जयशंकर त्रिवेदी।

२१५ पत्र प्रफुल्लचन्द्र घोषको

१३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय प्रफुल्ल,

मने महादेवको लिखा तुम्हारा लम्बा पत्र पढा। तुमने जसी परिस्थितिया बताई है, उन परिस्थितियोमे तुमने जो किया ठीक ही किया, और खान बन्धुओके लिए यात्राका प्रबन्ध किया, यह भी अच्छा किया।[1] यह भी एक अच्छी बात है कि तुमने उनकी बाकीकी यात्रा रद कर दी है और वे १६ तारीखके आसपास मेरे पास होगे। तब भी केवल दो ही दिन बच रहेगे। उन्हे १९ तारीखको बम्बई पहुँचना होगा।

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२१६ पत्र कुँवरसिंहको

१३ अक्टूबर, १९३४

प्यारे दोस्तो,

आप कृपया ट्रिनीडाडमे रहनेवाले भारतीयोसे कहे कि भारतमाताकी यह इच्छा है कि उस सुदूर विदेशी भूमिमे आप लोग अपने व्यवहारसे श्रेष्ठतम भारतीय सभ्यताका परिचय दे। मै चाहूँगा कि वे लोग पर्याप्त छात्रवत्तिया देकर कुछ लडके और लडकियोको भारतमे पढनेके लिए भेजे जिससे कि वे लोग ट्रिनीडाड लौटनेपर ज्यादा अच्छी सेवा करनेके योग्य बन सके। इसका अथ यह है कि इसके लिए जिन लडके और लडकियोको चुना जाता है, उन्हे सच्चरित्र होना चाहिए और उनमे सेवाकी भावना होनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री कुँवरसिंह और एक अन्य व्यक्ति
ट्रिनीडाड (वेस्ट इडीज)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए 'पत्र प्रफुल्लचन्द्र घोषको' ७ १० १९३४।

२१७ पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय ठक्कर बापा,

यदि तुम मुझे बिना अधिक परिश्रम किये विभिन्न प्रातीय और अधीनस्थ हरिजन बोर्डोमे हरिजन सदस्योकी सख्या बता सको तो मै जानना चाहूँगा।

बापू

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० ११४८) से।

२१८ पत्र अमृत कौरको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। आपने मुझे लिखकर ठीक ही किया है। [आपके] कलाकार मित्रको दो घण्टेका समय देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मै देखूगा कि इस सम्बन्धमे क्या किया जा सकता है। आपके द्वारा चार्ली एड्रचूजके चेहरेकी फोटोकी एक प्रति भेजे जानेकी मै प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

आपने जो अफवाह सुनी है, वह सही है। मै काग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नही कि अब मै अपने सक्रिय जीवनसे सन्यास ले लूगा। वास्तवमे मै यह नही जानता कि काग्रेस अधिवेशन खत्म होनेके बाद मेरा क्या होनेवाला है। लेकिन आप मुझे जो काम सौपना चाहेगी, उसे मै शौकसे करूँगा। उस कामसे क्या उद्देश्य सिद्ध होनेवाला है, यह मुझे नही मालूम। जसाकि आपको मालूम है कि मैने जब सावजनिक जीवन आरम्भ किया था तब बहुत-से दूसरे कार्योके साथ साथ मैने स्त्रियोके आन्दोलनको भी अपने हाथमे लिया था। और इन ४५ वर्षोके दौरान उसके प्रति मेरा स्नेहभाव बराबर बना रहा है। आप मुझसे क्या काम लेना चाहती है, मै चाहूँगा कि आप इसका एक खाका मुझे बनाकर भेजे और यदि उसे करनेमे मै समथ हुआ तथा मुझे मौका मिला तो उस कायको हाथमे लेनेके लिए आप मुझपर भरोसा कर सकती है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

राजकुमारी अमृत कौर
शिमला

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१२) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० ६३२१ से भी।

२१९ पत्र चचलदासको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपने महाराज नाथूरामकी हत्याके सिलसिलेमे मुझे एक तार भेजा था। हालाकि इसने मेरे दिलको भेद दिया, फिर भी मैंने उपवासकी परिकल्पना नही की है। बहरहाल आपने अपने तारमे पूरा ब्योरा लिख भेजनेका वादा किया था, मैं उसकी राह देख रहा हूँ। तार इसी ७ तारीखका है। अभीतक आपकी ओरसे कोई पत्र नही आया है।

हृदयसे आपका,

श्री चचलदास
अध्यक्ष, आय समाज
हैदराबाद (सिन्ध)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजय प्यारेलाल

२२० पत्र जे० एन० साहनीको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय साहनी[1],

यदि आप पत्थरमे से खून निकाल सकते ह तो आप मुझसे सन्देश भी प्राप्त कर सकते है। और जहातक आपको प्रोत्साहित करनेका सवाल है, यदि मेरे जीवनसे आपको कोई प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन नही मिलता तो मेरी लेखनीसे निकली हुई कोई भी चीज बेकार होगी।

हृदयसे आपका,

श्री साहनी
"नेशनल काल"
दिल्ली

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ **नेशनल कॉल** के सम्पादक।

२२१ पत्र एस० सुब्बारावको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय सुब्बाराव,

आपका पत्र मिला। मुझे भय है कि आपको अपने लिए वहा ही कुछ ढूढना होगा। निश्चय ही आपको ऐसे परिवेशमे इसे प्राप्त करनेमे कोई दिक्कत नही होगी, जहा आप ज्यादा अच्छी तरहसे जाने जाते है।

हृदयसे आपका,

श्री एस० सुब्बाराव
मरुतेरु

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

२२२ पत्र जयरामदास दौलतरामको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय जयरामदास,

उम्मीद है कि आनन्दके लिए सब-कुछ तय हो गया है।[1]

यदि तुम्हे कराचीके हत्याकाडके[2] बारेमे कुछ मालूम है तो मुझे लिखो।

बापू

श्री जयरामदास दौलतराम
मार्फत काग्रेस भवन
वाडन रोड, बम्बई

अग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१ देखिए खण्ड ५८ पृ० ३६७-८ और ४२०।

२ महाराज नाथूरामका।

२२३. पत्र : एस्थर मेननको

१४ अक्टूबर, १९३४

मेरे सामने तुम्हारे दो पत्र पडे है। तुम बहुत कष्टमे हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नान[1] अब पहलेसे अच्छी है। डेनमार्क जानेके लिए उसके मनमे जो उत्कण्ठा है उसे मै अच्छी तरह समझ सकता हूँ। यह निश्चय ही एक कठिन कार्य है।

सबमे उत्तम मार्ग क्या है इसको लेकर मनुष्य अक्सर धर्मसकट मे पड जाता है। यह तो एक अनवरत आध्यात्मिक सघर्ष है और जो व्यक्ति धर्मभीरु है उसके सम्बन्धमे सत्य असत्यपर विजय प्राप्त करता है।

जब मारिया[2] वहा आये तब उससे मेरा प्यार कहना।

रामदास अच्छा है। वह अभी भी अहमदाबादके एक अस्पतालमे है। बा उसके साथ है।

श्रीमती एस्थर मेनन
विजन बगलो
तजौर

अग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२२४. पत्र : पी० कोदण्डरामय्याको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। खेद है कि इससे पहले मै उत्तर नही दे पाया। ठक्कर बापाने आपको जो पत्र लिखा है, उसे देखते हुए मुझे और कुछ नही कहना है। यदि आदिवासी सम्मेलन किया ही जाना है तो यह अपेक्षाकृत शान्त वातावरणमे किया जाना चाहिए और ऐसे लोगो द्वारा किया जाना चाहिए जो इसके बारेमे उत्सुक हो, जिन्हे इसके विषयमे कुछ मालूम हो और जिनके मनमे इसके लिए काम करनेकी इच्छा और पर्याप्त समय हो।

हृदयसे आपका,

श्री पी० कोदण्डरामय्या
स्वराज आश्रम
पोलावरम, बरास्ता कोवव्यूर (एम० एस० एम० रेलवे)

अग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. एस्थर मेननकी पुत्री।
२. ऐन मारी पीटरसन।

२२५ पत्र एस० अम्बुजम्मालको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय अम्बुजम्

तुमने मुझे गहरी चिंतामे डाल दिया है और मेरी समझमे नही आता कि क्या करूँ। परेशान होकर मैंने हरिहर शर्माको एक लम्बा तार दिया है। पहले मैंने सोचा कि मै [तुम्हारे] पिताको[1] तार दू। फिर मुझे डर लगा कि कही वह नाराज न हो और तुम्हारी स्थिति कही और ज्यादा अटपटी न हो जाये।

मने तुम्हारे उपवासमे हस्तक्षेप नही किया, लेकिन मै उसको लेकर खुश नही रहा। तथापि, मै आशा करता हूँ कि वह शरीरको कोई हानि पहुँचाये बिना ही समाप्त हो गया। मै यह भी आशा करता हूँ कि उपवासके दौरान तुम आतरिक आनद अनुभव कर रही थी। यदि उपवासके बावजूद भी तुम्हारे माता पिता तुम्हे मेरे पास आने देनेको तैयार नही हुए है तो तुम्हे निराश नही होना चाहिए। तुम्हे बार बार प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन अब आगे उपवास बिल्कुल मत करना। सही आचरण करो और माता पिताको धीरजके साथ अपनी बात समझाओ और इस प्रकार उनकी अनुमति प्राप्त करनेके योग्य बनो। मुझे आशा है कि जब वे समझेगे कि तुमने मेरे पास आनेकी इच्छा क्षणिक आवेशमे आकर नही की है बल्कि यह तुम्हारी आत्माकी इच्छा है जिसे तुम दबा नही सकती, तब वे तुम्हारे अनुरोधपर ध्यान देगे।[2] आशा है तुम मेरी सलाहपर ध्यान दोगी।

सप्रेम,

बापू

श्री एस० अम्बुजम्माल
अमजदबाग, लुज
मद्रास

मूल अंग्रेजीसे अम्बुजम्माल पेपस, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

१ एस० श्रीनिवास अय्यगार।

२ अम्बुजम्माल १९३४ में दिसम्बरके दूसरे सप्ताहमें गाधीजीसे मिलने गई थी, देखिए "पत्र एस० श्रीनिवास अय्यगारको" ११ १२ १९३४।

२२६ वक्तव्य समाचारपत्रोको

१५ अक्टूबर, १९३४

काग्रेससे मेरे अलग होनेके प्रस्तावित विचारके बारेमे अखबारोमे इतना ज्यादा लिखा गया है कि मुझे जैसी स्थिति आज लगती है, उसे स्पष्ट करना जरूरी हो गया है। मेरे मनमे अब कोई शक नही रह गया है कि बहुतसे काग्रेसीजन नियमित रूपसे खादी पहननेसे सम्बन्धित धाराको और सरल बनाने और कताई मताधिकारकी ज्यादा व्यावहारिक योजना लागू करने और काग्रेसके सिद्धातोमे "शातिपूर्ण और वैध" की जगह 'सत्यपूर्ण और अहिसात्मक अभिव्यक्ति' शब्द रखने के मेरे प्रस्तावोको[1] पसन्द नही करते।

अबतक जो राये प्रकट की जा चुकी है, उनको देखते हुए मेरे लिए यह अनावश्यक हो गया है कि म अपने सह प्रतिनिधियोकी भावनाओको जाननेके लिए इन प्रस्तावोको उनके सामने रख। मेरी यह इच्छा कभी नही रही कि मै महज साधारण बहुमतके बलपर इन प्रस्तावोको पास करा लू। मेरी कसौटीके अनुसार इन प्रस्तावो के उचित पालन के लिए भारी बहुमत द्वारा उनकी स्वीकृति आवश्यक है। मै काग्रेस मे बना रहूँ इसकी कीमत-स्वरूप मेरे प्रस्तावोको भले ही कितने ही निर्णायक बहुमत से पास किया जाये लेकिन उससे मुझे सन्तोष नही होगा। इस प्रकारकी चीजसे मेरा अह या मेरा दम्भ सतुष्ट नही होगा। इससे मै केवल दीनताका अनुभव करूँगा। मै काग्रेसका सरक्षक नही बनना चाहता। मै अपने आपको देशका एक तुच्छ सेवक और ऐसा साथी सेवक मानता हूँ जो केवल सेवा ही करना चाहता है।

काग्रेससे अलग होनेकी मेरी प्रस्तावित योजना न कोई धमकी है, और न कोई चेतावनी। यह तो सशोधनाके रद किये जानेका स्वाभाविक परिणाम है क्योकि सशोधनोका पूरे दिलसे स्वीकार किया जाना इस बातके लिए जरूरी है कि मै कारगर ढगसे सेवा कर सकू।

अब यह बात स्फटिककी भाति स्पष्ट है कि मै काग्रेससे ऐसी दिली सहमति नही प्राप्त कर सकता। इसलिए अ० भा० काग्रेस कमेटीके सदस्योकी अनौपचारिक बठक का जो कुछ भी निणय हो, उसके अधीन रहते हुए फिलहाल मेरा विचार अधिवेशनके समाप्त होनेके तुरत बाद ही काग्रेससे अलग हो जानेका है। मेरे इस निणयमे मुझे सरदार वल्लभभाई पटेल और डा० असारीकी पूरी सहमति प्राप्त है। डा० असारीका कहना है कि पोटसईद मे उन्होने मेरा वक्तव्य देखा था, और वही वह इस नतीजेपर पहुँच गये थे कि काग्रेससे मेरा अलग होना हर दष्टिसे राष्ट्रके हितमे था। मेरे अलग होनेका यह उपयुक्त समय है, इसके बारेमे भी उन्हे कोई सन्देह

१ देखिए 'वक्तव्य समाचारपत्रोको' १७९१९३४।

नहीं था। यह सोचना बिलकुल गलत है, जैसाकि कुछ लोगोंने सोचा है, कि सरदार पटेल और बाबू राजेन्द्रप्रसाद मुझसे जो हालमें मिलने आये, उसका उद्देश्य मुझपर कांग्रेसमें रहनेके लिए आग्रह करना था। उन्हें मेरे निर्णयके ठीक होनेमें कोई सन्देह कभी नहीं था। मैं यह भी बता दूं कि कुछ अत्यन्त सम्मानित साथियोंने, जिनमें खानबन्धु भी शामिल हैं, मेरे प्रस्तावित अवकाश ग्रहणका हृदयसे समर्थन किया है। ये सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेससे मेरे अलग होनेके मतलब यह नहीं है कि कांग्रेसको मेरी सेवाएँ अब प्राप्त नहीं होंगी। इसके विपरीत, मेरी सेवाएँ देशको सदैव प्राप्त हैं और मैं कांग्रेससे अलग हो गया हूँ, इस ख्यालसे किसी कांग्रेसीको संकोच करनेकी जरूरत नहीं है बल्कि कांग्रेस मुझे सेवाका बराबर आदेश दे सकती है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे आदमीका, जिसका कि बहुतसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवालोंपर बहुत से सहयोगियोंके साथ बुनियादी मतभेद है, कांग्रेसमें बना रहना कांग्रेसको मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बनायेगा। इसलिए ही मैंने यह निर्णय किया है।

कांग्रेस इस समय जिस संसदीय संघर्षमें रत है, कहीं कांग्रेससे अलग होनेके मेरे प्रस्तावित निर्णयका उसको क्षति पहुँचानेके ख्यालसे दुरुपयोग न किया जाये, इसलिए मैं प्रत्येक कांग्रेसीको यह बात बता देना चाहता हूँ कि पहले मैंने चाहे जो कुछ कहा हो, लेकिन मेरा यह विश्वास पहलेसे अधिक दृढ़ है कि मैं विधानसभामें कांग्रेसके प्रतिनिधित्वको आवश्यक मानता हूँ। विधान-सभाओंका बहिष्कार एक स्थायी कदम हो, ऐसा कभी नहीं माना गया था। जिन लोगोंका विश्वास इसके विपरीत नहीं है, और जो अन्यथा स्वतन्त्र है, उन्हें कांग्रेसके आदेशानुसार विधान सभाओंमें प्रवेश करके देशकी सेवा करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। वर्तमान चुनाव-अभियान व्यक्तियोंके बीचका संघर्ष नहीं है बल्कि उन राजनीतिक सिद्धान्तोंका संघर्ष है जिनका प्रतिनिधित्व वे स्त्री पुरुष कर रहे हैं जो उन सिद्धान्तोंका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करते हैं। जो मतदाता ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रके स्वाधीनताके लक्ष्यके लिए खड़ी है और उसने उस लक्ष्यकी प्राप्ति के लिए बड़ी से-बड़ी कीमत चुकाई है और आगे भी चुकायेगी, उन मतदाताओं का सर्वोपरि कर्त्तव्य यह है कि वे कांग्रेसी उम्मीदवारोंको अपना मत दें।

अपने अवकाश-ग्रहण करनेके लिए इस प्रकार रास्ता साफ कर लेनेके बाद अब मैं कांग्रेसजनोंका ध्यान इस वक्तव्यके साथ संलग्न उन संशोधनोंकी ओर खींचना चाहता हूँ जिसमें मैंने प्रतिनिधियोंकी संख्या ६,००० से घटाकर १,००० करनेका प्रस्ताव रखा है। ज्यादासे ज्यादा कहूँ तो मैं इस बातको कांग्रेसके विकासके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। १९२० से पहले कांग्रेस अत्यन्त भारी भरकम और आडम्बरपूर्ण संस्था बन गई थी, और वह धीरे-धीरे फिर अपभ्रष्ट होकर वैसी ही आडम्बरपूर्ण संस्था बनती गई है। मनोरंजन और प्रदर्शन अपनी जगह हालांकि अच्छी चीजें हैं, लेकिन वार्षिक अधिवेशनमें अब कामकाजकी बातोंकी जगह उन्हींकी प्रधानता होती है।

मेरे संशोधनोंसे यह बुराई दूर हो जाती है। इन संशोधनोंको केवल मेरे वैयक्तिक विचार मानना चाहिए। इस ख्यालसे कि मेरे द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन राष्ट्रको

बिना उपयुक्त चेतावनीके न आये, मैंने सरदार वल्लभभाईकी सहमतिसे इन संशोधनोंको जनताके सामने रखनेकी स्वतन्त्रता ली है। इन संशोधनोंके पीछे कोई धमकी या अन्तिम चेतावनी जैसी चीज होनेका कोई सवाल नहीं है। विषय समिति और उसके बाद कांग्रेस इन संशोधनोंको अस्वीकार कर सकती है, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी दूंगा कि अत्यन्त सावधानीसे विचार किये बिना वे उन्हें अस्वीकार न करें। कांग्रेसजन समझ लें कि आज जो [कांग्रेसका] संविधान है, उसका रचयिता मैं हूँ।[1] वे इस बातको भी ध्यानमें रखेंगे कि मुझे इस संविधानको व्यवहार रूपमें देखनेका असाधारण सुयोग प्राप्त हुआ है। अनुभवसे इस संविधानमें अनेक त्रुटियाँ प्रकट हुई हैं। मेरे प्रस्तावका उद्देश्य इन त्रुटियोंको दूर करनेका है। यह बराबर सम्भव है कि अनुभवसे मेरे प्रस्तावमें अन्य त्रुटियाँ प्रकट हों। जब वे प्रकट होंगी तब कांग्रेस उनसे निपट लेगी, लेकिन जहाँतक मैं समझ सकता हूँ, मेरा प्रस्ताव वर्तमान स्थितिकी आवश्यकताओंको पूरा करता है और यदि इसे ईमानदारीसे कार्यान्वित किया जाये तो सम्पूर्ण कांग्रेस संगठन ज्यादा कारगर संस्था बन जायेगा और कांग्रेसजनोंका ऐसा सच्चा प्रतिनिधि बन जायेगा जैसाकि वह कभी नहीं रहा है।

संक्षेपमें कहें तो प्रस्ताव यह है। अब १,००० प्रतिनिधियोंकी अधिकतम संख्याका वितरण प्रत्येक प्रान्तकी आबादीके हिसाबसे नहीं होगा बल्कि प्रत्येक प्रान्तमें कांग्रेस-रजिस्टरमें दर्ज कांग्रेसियोंकी संख्याके अनुसार होगा और प्रत्येक १,००० या इससे अधिक कांग्रेसजनोंके ऊपर एक प्रतिनिधि होगा। अतः सारे भारतके लिए १,००० प्रतिनिधियोंके कोटेके लिए हमारे रजिस्टरोंपर १०,००,००० कांग्रेसजन के नाम दर्ज होंगे। अपनी आबादीके स्तरको कायम रखनेके ख्यालसे प्रत्येक प्रान्तको कमसे-कम अपने सदस्योंके रजिस्टरको एक स्तरपर कायम रखनेकी कोशिश तो करनी ही होगी। प्रति सदस्य एक चवन्नीके हिसाबसे केवल मतदान करनेके लिए मतदाताओंको खरीदने की जो प्रवृत्ति दुर्भाग्यवश पैदा हो गई है, उसे रोकनेके लिए प्रस्तावित परिवर्तनमें यह चीज आवश्यक कर दी गई है कि चवन्नीका सदस्यता-शुल्क देनेके बाद छः महीने पूरे होनेसे पहले किसी व्यक्तिको मतदान करनेका अधिकार नहीं होगा। फिर अभी तक ऐसा होता था कि भारतके किसी भी हिस्सेका कोई व्यक्ति किसी भी अन्य हिस्सेसे प्रतिनिधि चुन लिया जाता था। इसका नतीजा यह हुआ है कि सभी कांग्रेस अधिवेशनोंमें काफी संख्यामें जाली प्रतिनिधि हुआ करते थे। कुछ प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियोंके बारेमें यह ज्ञात है कि उन्होंने प्रतिनिधि चुने जानेकी इच्छा रखनेवाले किसी भी व्यक्तिको चुने जानेकी पूरी छूट प्रदान की है। इस बुराईको प्रस्तावित संशोधनके अन्तर्गत पूरी तरह खत्म किया जा सकता है क्योंकि उसमें यह व्यवस्था है कि जिस निर्वाचन-क्षेत्रसे कोई प्रतिनिधि चुनावके लिए खड़ा हो वह उसी निर्वाचन क्षेत्रमें कांग्रेसके रजिस्टरमें सदस्य रूपमें दर्ज हो। सारे भारतमें कांग्रेसके रजिस्टरपर छः महीनेकी सदस्यता पूरी कर चुकनेवाले कांग्रेसजनोंकी कुल संख्यापर ही चुने जानेवाले प्रतिनिधियोंकी संख्या वास्तवमें निर्भर करेगी। जो सच्चे प्रतिनिधि हैं केवल उन्हींका

१. १९२० के नागपुर अधिवेशनमें पास किये गये संविधानके लिए देखिए खण्ड १९, पृ० १९४-२०२।

चुनाव सुनिश्चित करनेके विचारसे विभिन्न चुनाव क्षेत्राके रजिस्टरमे दर्ज काग्रेसियो की हदतक प्रतिनिधियाका चुनाव सीमित रहेगा। इन विभिन्न चुनाव-क्षेत्रोमे काग्रेस-सदस्योकी सख्या वर्ष प्रतिवर्ष रजिस्टरमे दर्ज सदस्योकी सख्याके हिसाबसे बदलती रहेगी। इस प्रस्तावके अन्तर्गत चुनावका खर्च घटकर कमसे-कम रह जायेगा। धोखेधडीकी सम्भावना भी वहा कम रह जायेगी, जहा मामूली ईमानदारीकी इच्छा होगी। मानव-बुद्धि ऐसा कोई सविधान नही रच सकती जो पूर्णत त्रुटिरहित हो या जिसमे बेईमानीकी गुजाइश न हो।

मैने एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह सुझाया है कि प्रतिनिधि लोग स्वय ही वर्ष भरके लिए अ० भा० काग्रेस कमेटीके सदस्य बन जाये और इस प्रकार अ० भा० काग्रेस कमेटीके लिए चुनावकी आवश्यकता ही न रह जाये, और प्रान्तोके प्रतिनिधि अपने अपने प्रान्तोमे काग्रेस कमेटियोके सदस्य बन जाये। इस प्रकार मैने तीन चुनावोको एकमे जोड दिया है और कार्यकी निरन्तरता सुनिश्चित कर दी है।

फिर, मेरा सशोधन है कि कलकत्ताको एक पृथक प्रान्त बना दिया जाये। जब मै कलकत्तामे था तब मुझसे कहा गया था कि मै कार्य समितिको यह प्रस्ताव रखनेके लिए राजी करू। यदि यह विचार काग्रेसजनोको ठीक लगे तो यही सुविधा कुछ अन्य नगरोको भी प्रदान की जाये। यह प्रयोग बम्बईमे अच्छी तरह सफल हुआ है।

ऐसा प्रस्ताव है कि नई अ० भा० काग्रेस कमेटीके स्थानपर अधिवेशनमे भाग लेनेवाले प्रतिनिधियो द्वारा चुने हुए १,००० सदस्य हो। यदि यह सुझाव बहुत ही बेतुका लगता हो या जल्दबाजीमे सोचा गया लगता हो तो इसे वापस लेना होगा। लेकिन यह देखते हुए कि सम्भवत हम काग्रेसका अगला अधिवेशन १९३६ के आरम्भ से पहले नही कर पायेगे मुझे लगा कि यह बेहतर होगा कि यह परिवर्तन एक अपेक्षाकृत ज्यादा प्रातिनिधिक अ० भा० काग्रेस कमेटीके द्वारा सम्पन्न हो जाये। एकत्र प्रतिनिधियोको अलग-अलग प्रान्तीय गुटोमे बँट जाना होगा, और प्रत्येक प्रान्तीय गुट, फिलहाल वर्तमान अनुपातके हिसाबसे अपने सदस्योका कोटा चुनेगा।

काग्रेसजन इस बातका भी ध्यान रखेगे कि सशोधनमे ताल्लुका या जिला कमेटियोके लिए कोई व्यवस्था नही है। यह बात जान बूझकर छोडी गई है। ताल्लुको और जिलोमे किसी प्रकारका सगठन खडा करनेकी जिम्मेदारी प्रान्तीय काग्रेस कमेटियो पर है जो कमेटियो या एजेसियोको नियुक्त करेगी अथवा सशोधनोकी भावनाके अनुसार कमेटियोको निर्वाचित करेगी, अर्थात जिलो और ताल्लुकोको कमेटिया चुननेके ख्यालसे बाटेगी, और ये क्षेत्र अनिवार्यत छोटे होगे। इस समय प्रान्तीय सगठनोमे बहुत ज्यादा सख्या रही है, जिसका बोझ सँभालना कठिन रहा है। नतीजा यह हुआ है कि शोर बहुत रहा, लेकिन नतीजा बहुत ही गौण रहा है।

मै दो और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन बता दू। काग्रेसने हमेशा अपने प्रस्तावोमे इस बातका आग्रह किया कि उसका कार्य हिन्दीमे ही होगा लेकिन सदस्योने अपने ही अक्सर दिये वचनोका बहुत ज्यादा आदर नही किया है। इसलिए मैने सविधानमे एक मामूली शिक्षा परीक्षा लागू करनेकी कोशिश की है, इस बातको आवश्यक करके कि

सदस्यताके लिए अर्जी देनेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपने नामके देवनागरी या उर्दू लिपिमे हस्ताक्षर करे। इतना तो एक घन्टेमे सीखा जा सकता है। मुझे याद है कि मैंने अपनी पत्नीको और अपने एक ६० वर्षीय मुवक्किलको अग्रेजी लिपिमे अपना नाम लिखना सिखानेके लिए इससे ज्यादा समय नही दिया था। क्या काग्रेसकी सदस्यताके लिए उत्सुक व्यक्तिसे देशके लिए एक घटा देनेकी अपेक्षा करना बहुत ज्यादा है?

अन्य प्रस्तावित परिवतनका उद्देश्य अध्यक्षको इस बातका अधिकार देनेकी परम्पराको नियमित बनाना है कि वह अपनी काय समितिके सदस्याको नियुक्त कर सके, जिसमे मन्त्री और कोषाध्यक्ष भी शामिल है। इसके पीछे यह विचार है कि समयकी बचत हो और कुछ हदतक रजीदगीसे बचा जा सके। एसे मामलेमे अध्यक्षकी सिफारिशको न माननेके मतलब होगे उसमे अविश्वासका प्रस्ताव पास करना। यदि किसी भी अध्यक्षपर उसके सहयोगी लादे जायेगे तो वह काम नही कर सकता।

अब मै दो अन्य प्रस्तावोको लेता हूँ। एकका उद्देश्य यह है कि स्वागत समितिको मनोरजन और प्रदशनीका सुविस्तत प्रबन्ध करनेके भारसे मुक्ति दी जाये। इनका आयोजन करनेकी जिम्मेदारी स्वागत समितियाकी सनकके अनुसार कमोबेश अखिल भारतीय चरखा सघको सौपी जाती रही है जबकि इसका पूरा भार चरखा-सघके ऊपर ही छोड दिया जाना चाहिए था। प्रदशनियोके बारेमे मैंने हमेशा एक विशेष दष्टि रखी है जिसे मै इस वक्तव्यमे दोहराना नही चाहता। मैंने जो प्रस्ताव सुझाया है वह सामान्यत मानी जानेवाली परम्पराको नियमित बनाना है। मेरे सुझावके पीछे यह भावना है कि स्वागत समितिका प्राथमिक और एकमात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह व्यावहारिक कामकी दष्टिसे काग्रेस अधिवेशनको सफल बनाये। वतमान तरीका किसी महत्त्वपूण गाव या जिला कमेटीके लिए काग्रेस अधिवेशन बुलानेकी बातको असम्भव बना देता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि काग्रेस अधिवेशनका शिक्षात्मक प्रभाव प्रमुख शहरोके अलावा कही नही पड पाया है। कोई कारण नही है कि काग्रेसका अधिवेशन किसी गावमे क्यो न हो पाये। यदि गावमे व्यापारिक योग्यता है तो निश्चित है कि काग्रेस-अधिवेशन बुलानेवाले गावको आर्थिक दष्टिसे हानि नही, बल्कि लाभ होगा। सारे भारतमे रेलवे लाइनोपर एसे कितने ही महत्त्वपूण स्टेशन है जहा काग्रेस अपने सदस्योको बिना तनिक भी असुविधा पहुँचाये मिल सकती है। यह सब तभी हो सकता है जब हम जनताके साथ तादात्म्य स्थापित कर और उनकी आकाक्षाओको जाननेकी कोशिश करे और ग्रामीण जीवनके उस सौन्दयको समझनेकी कोशिश करे जबकि वह उस गदगी और गरीबीसे मुक्त हो जिसका वह आज भारतमे जीवन्त रूप है।

इसके साथ ही मै अन्तिम प्रस्तावपर आता हूँ। इस प्रस्तावके अनुसार एक ऐसा सघ अस्तित्वमे आयेगा जो ग्रामीण उद्योगोके हितमे काय करेगा। मैंने इस सघके पीछे जो भावना व्यक्त की है, उसे बता दिया है, अर्थात शत-प्रतिशत स्वदेशीके नामसे चलनेवाली प्रत्येक चीज अच्छी है, लेकिन इस स्वदेशीको काग्रेसकी सहायताके बिना सफल होना है। विशेष प्रयत्न आरम्भिक अवस्थामे आवश्यक थे,

जबकि प्रयत्नपूर्वक इस बातका फैशन चल रहा था कि प्रत्येक स्वदेशी वस्तुका तिरस्कार किया जाये और जब विदेशी तौर तरीका रिवाजो और फैशनेबिल विदेशी वस्तुओको अपनाना राष्ट्रप्रेमका चिह्न भले न समझा जाता हो, सभ्यताका चिह्न जरूर समझा जाता था। मुझे अपने छात्रकालकी अच्छी तरह याद है जब हम छात्र लोग अपने अध्यापकोके विदेशी वस्त्रके बने फैशनेबिल लिबासको बडी सराहनाकी दृष्टिसे देखा करते थे और उस दिनकी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा किया करते थे जब हम भी उन्हीकी तरहका लिबास पहननेकी स्वतन्त्रता होगी। काग्रेस निश्चय ही यह दावा कर सकती है कि उसने ये सारी चीजे बदल दी है और लोगोके अन्दर स्वदेशीकी भावना पैदा कर दी है। लेकिन काग्रेसको अपनी इन उपलब्धियोसे ही सतुष्ट होकर एक ही लीकपर नही घूमते रहना चाहिए। अब काग्रेसको केवल इस बातसे ही सतुष्ट नही हो जाना चाहिए कि भारतके शहरोमे विदेशी वस्तुओकी नकलपर दैनिक उपयोगकी और विलासकी वस्तुएँ बनाई जा सकती है, बल्कि उसे अब गावोके अन्दर पैठना चाहिए। अब काग्रेसको यह समझना है कि कौन-कौनसे ग्रामीण उद्योग खत्म हो गये है, और क्यो खत्म हो गये है। गावोको कगाल बनाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शायद सरकारपर ही है, लेकिन गावोकी तबाहीके परिणामस्वरूप विकसित होनेवाले शहर करोडो मूक लोगोकी कगालीके लिए अपनी जिम्मेदारीसे बच नही सकते और अभी भी समय है कि ग्रामोद्योगोको यथासम्भव फिरसे सगठित करके गावोको फिरसे जीवित कर दिया जाये। ऐसा करनेमें यदि कुछ पूजी लगानी भी पडेगी तो वह बहुत नही होगी, लेकिन यह निश्चित है कि हम ग्रामीण जनताकी जेबमे करोडो रुपये डाल सकते है।

मै यहाँ कुछ आँकडे देना चाहूँगा जो आश्चर्यमे डाल देनेवाले है। अखिल भारतीय चरखा सघ ५,००० से अधिक गावोकी सेवा कर रहा है और इनके जरिये २,२०,००० कतैयो और बुनकरो तथा २०,००० धुनियोको रोजी दे रहा है। सघके दस वर्षके अनुभवके दौरान इन गाववालोमे सवा दो करोड रुपयेसे भी अधिक धन वितरित किया जा चुका है। दूसरे शब्दोमे कहे तो कम से-कम इतना धन चरखा-सघके प्रयत्नोके फलस्वरूप देशमे पैदा किया गया और यह सारा-का सारा धन गाँव वालोको और समृद्ध बनानेमे काम आया, और यह काम गाँव वालोके उद्योगोको नष्ट करके नही बल्कि उनके अवकाशके घटोका उपयोग करके किया गया। दो करोड पच्चीस लाखकी रकममे से तीन चौथाई रकम अकेले कतैयोकी जेबमे गई और ९५ लाख रुपया उन किसानोकी जेबमे गया जिनसे चरखा सघने कतैयोके लिए रुई खरीदी। औसत निकाला जाये तो कतैयो, बुनकरो और धुनियोको इससे प्रतिवर्ष १२ रुपयेकी अतिरिक्त आय हुई।[1] कुछ मामलोमे देखा गया है कि इससे कतैयोकी आयमे ४३ प्रतिशततक की वृद्धि हुई है। यह कोई कपोल-कल्पनाकी बात नही है। ये आकडे मेरे कहनेपर तैयार किये गये है और कोई भी अनुसधानकर्ता चाहे तो इनकी सत्यताकी जाँच कर सकता

१ १६-१०-१९३४ के **बॉम्बे क्रॉनिकल** में इसके बाद यह वाक्य और जुडा हुआ है 'मोटे तौरपर इसके मतलब हुए कि उनकी सालाना आमदनीमें २० प्रतिशतका इजाफा हुआ।'

ह। जो आकडे मैने दिये है वे कम ही करके बताये गये है, लेकिन अखिल भारतीय चरखा सघ ग्रामीण जीवनके केद्र स्थलका स्पश करता है। मै यह मानता हूँ कि जा लोग गावकी भावनासे ओतप्रात नही है उनके लिए चरखा मघ सगठन विशेष आकषण नही रखता, लेकिन अब मरे सामने जिस सगठनकी तस्वीर है उसमे भारतीय प्रतिभाके लिए तरह तरहकी गुजाइश है। यदि गाववालोका जीवित रहना है तो कुछ खत्म होते जा रहे उद्योगोको फिरसे जीवित करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इनमे से कुछ ग्रामोद्योग पुनरुज्जीवित किये जा सकते है और वे इस योग्य है कि उन्हे पुनरुज्जीवित किया जाये। थोडे-स वज्ञानिक अनुसधान और थोडी सी सगठन-योग्यताकी मददसे प्रस्तावित नया सघ जबदस्त काम कर सकता है, बशर्ते कि इसे जनताका समथन प्राप्त हो। जनता का समथन ही वह मुख्य पूजी होगा जिसके साथ यह नया सघ अपना काय आरम्भ करेगा। ऐसे किसी सघको यदि सफल होना है तो इसका सचालन और कायभार ऐसे लोगाके हाथमे होना आवश्यक है जिन्हे अपने कामका कुछ ज्ञान हो, अपने अनुष्ठानमे प्रबल निष्ठा हो और जिनको गाववालोसे प्यार हो। यह सघ अखिल भारतीय चरखा-सघकी भाति ही स्वशासित होना चाहिए। काग्रेस जैसा एक राजनीतिक, लोकतात्रिक सगठन यदि विशेषज्ञोके काममे दखलदाजी करेगा तो उससे उन विशेषज्ञोके कामका भी नुकसान पहुँचेगा और काग्रेसकी प्रतिष्ठाको भी क्षति पहुँचेगी। इसलिए मै एक अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघकी स्थापना के प्रस्तावको स्वीकार करनेकी जोरदार सिफारिश करता हूँ।

स्वागत समितिके सम्बधमे मैने जिस प्रदशनीकी चर्चा की है, उसमे यह विचार निहित है कि वह प्रस्तावित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघके कार्यों के परिणामोकी प्रदशनी होगी। गॉववालोके अपने घरेलू उद्योगो द्वारा कितना शानदार नतीजा निकल सकता है, इसे स्वागत-समिति और अ० भा० ग्रामोद्योग-सघ मिलकर जनताके सामने प्रदर्शित करेगे। यह मेरा निश्चित मत है कि यदि तथाकथित उच्च वगके लोग तथाकथित निम्न वगके लोगोके साथ तादात्म्य स्थापित कर ले और उन्हे अपनी बुद्धि और योग्यताका सहारा प्रदान कर दे तो भारतमे दूध और शहदकी नदिया बह सकती है और साथ ही सरकार अथवा पूजीपतियोके साथ किसी भयकर युद्धके बिना भी भारत अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना सविनय अवज्ञाकी मददके ही अपने-आप आ जायेगी।

मैने सविधानमे जो महत्त्वपूण सशोधन सुझाये है उनके, और मेरे दोनो प्रस्तावोके पीछे केवल यही भावना है, अन्य कोई नही। मेरी दष्टिमे भारतकी पूण स्वतन्त्रता तबतक असम्भव है जब तक उच्च वगके लोग उन करोडो लोगोके साथ घुलमिल नही जाते जिन्हे भ्रमवश निम्न वगका कहा जाता है, और मै तीनो प्रस्तावोकी समीक्षा केवल उसी भावनासे करना चाहूँगा।

परिशिष्ट

सविधानमे प्रस्तावित सशोधन इस प्रकार है

१ कोई भी व्यक्ति जिसकी वय १८ वषसे अधिक है और जो इस सविधान की धारामे विश्वास करता है, वह लिखित घोषणा करने और बताये गये ढगसे अर्जी

देनेपर और चार आना देनेपर अपने जिलेमे किसी भी अधिकृत कार्यालयमे कांग्रेस-सदस्याके रजिस्टरमे अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी होगा।

१ (क) अर्जीकी दो प्रतियां दी जायेगी और इन्हे उम्मीदवार निजी तौर पर खुद या डाकके जरिये या किसी संदेशवाहकके हाथ दे सकता है।

२ अर्जीमे उम्मीदवारका पूरा नाम, उम्र लिंग, पेशा और पता (गांव, ताल्लुका, जिला और प्रांत स्पष्ट रूपसे सूचित किया जाये) दिया जायेगा और इसपर उम्मीदवार पुरुष या स्त्री देवनागरी या उर्दू लिपिमे अपने हाथसे हस्ताक्षर करेगे।

३ अर्जी मिलनेके बाद और उसे ठीक पानेपर पंजीकरण अधिकारी अर्जीपर तारीख, प्राप्ति, क्रम-संख्या और अन्य निर्धारित विशिष्ट सूचनाओको दर्ज करनेके बाद फाइलमे लगा लेगा और अर्जीकी दूसरी प्रति प्रान्तीय मुख्य कार्यालयको भेज देगा।

४ सदस्यके रूपमे नाम दर्ज होनेके बाद उम्मीदवार सदस्यताका एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा जो कि यहां निर्धारित रूपमे टिकाऊ कागजपर छपा होगा। यह प्रमाणपत्र या तो उस प्रांतकी भाषामे होगा जहां का वह निवासी है अथवा देवनागरी या उर्दू लिपिमे हिन्दी भाषामे होगा।

५ (क) कोई भी ऐसा सदस्य जिसका नाम किसी कांग्रेस कमेटीके चुनावकी तिथिसे कम से कम ६ महीने पहलेसे कांग्रेस-रजिस्टरपर लगातार सदस्यके रूपमे दर्ज नही होगा, उसे चुनावमे मत देनेका अधिकार नही होगा।

(ख) किसी सदस्यके सदस्यता प्रमाणपत्रमे उल्लिखित क्षेत्रके अलावा वह सदस्य अन्य क्षेत्रमे मत देनेका या किसी पदके लिए चुने जानेका अधिकारी नही होगा।

६ मौजूदा प्रान्तोके अलावा, कलकत्ता नगरको एक स्वतन्त्र कांग्रेस-प्रांतके रूपमे गठित किया जायेगा।

७ जिन कस्बो और गांवोकी आबादी २००० या इससे ज्यादाकी होगी, वहां प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी उन्हे उपयुक्त हलकोमे बांट देगी, लेकिन किसी भी हलकेमे १,०००से कमकी आबादी नही होगी। ऐसा प्रत्येक हलका एक गांव होगा।

८ कांग्रेस-अधिवेशनमे प्रतिनिधियोकी संख्या ६,००० से घटाकर ज्यादासे ज्यादा १,००० कर दी जायेगी और विभिन्न प्रान्तोमे सदस्योके रजिस्टरोके मुताबिक प्रति १,००० या इससे अधिक सदस्योके अनुपातमे एक प्रतिनिधि होगा।

९ (क) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी धारा ५(क) के अनुसार कम-से कम ६ महीनेकी सदस्यतावाले कुल सदस्योकी संख्या पत्र या तार द्वारा कार्य-समितिको सूचित करेगी। कार्य समिति इस सूचनाके लिए जो तिथि और समय निर्धारित करेगी, उस तिथि और समयपर या उससे पहले प्रत्येक विवरण पहुँच जाना चाहिए।

(ख) केवल इस प्रकार सूचित किये गये सदस्य ही उस प्रान्तमे प्रतिनिधियोके निर्वाचनमे मत देनेके अधिकारी होगे और समयसे सूचना न भेजनेकी स्थितिमे सम्बन्धित प्रान्तको अपने प्रतिनिधि चुननेके अधिकारसे वंचित किया जा सकता है।

१० मत देनेके अधिकारी मतदाताओकी कुल सख्याकी सूचना प्राप्त होनेपर काय-समिति प्रतिनिधियोके निर्वाचनकी तिथि और प्रत्येक प्रातके सदस्योके आधारपर उसके प्रतिनिधियोका अनुपात निर्धारित करेगी और प्रातीय काग्रेस कमेटियोसे अपने प्रातके लिए निर्धारित सख्यामे प्रतिनिधियोका निर्वाचन करानेके लिए कहेगी। सभी चुनाव एकल सक्रमणीय मतके अनुसार होगे।

११ इसके बाद प्रत्येक प्रात उतने निर्वाचन क्षेत्रोमे विभाजित किया जायेगा जिसके अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमे पाच प्रतिनिधि चुने जा सके।

१२ जिस गाव या हलकेमे कम से कम १० विधिवत दर्ज सदस्य नही होगे, उस गाव या हलकेमे कोई मतदान नही होगा।

१३ जो व्यक्ति अपने क्षेत्रमे किसी भी रजिस्टरमे विधिवत मतदाता नही होगा वह प्रतिनिधि पदके लिए चुनावमे खडा नही होगा।

१४ प्रत्येक प्रात काय समिति द्वारा निर्धारित समयपर या उससे पूर्व अपने चुनाव सम्पन्न कर लेगा।

१५ प्रमाणित प्रतिनिधियोकी पूरी सूची काय समिति द्वारा निर्धारित तिथिके अदर हर हालतमे काय समितिके कार्यालयमे पहुँच जानी चाहिए।

१६ इस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधि उस प्रातकी प्रातीय काग्रेस कमेटीके सदस्य होगे, साथ ही वे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमे उस प्रातके प्रतिनिधियोका कोटा भी होगे और काग्रेस अधिवेशनके दिनसे लेकर अगले काग्रेस अधिवेशन तक अपने अपने प्रान्तोकी काग्रेसके प्रतिनिधि होगे। अ० भा० काग्रेस कमेटीके सदस्य विभिन्न प्रान्तोसे चुने हुए ये प्रतिनिधि ही होगे।

१७ अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी वार्षिक अधिवेशनके बाद अगले वार्षिक अधिवेशनसे पूर्व कम से कम एक और बैठक करेगी और यदि काय समिति कहेगी अथवा कम से-कम १०० प्रतिनिधि काय-समितिको लिखकर वैसी इच्छा प्रकट करेगे तो इससे अधिक बार अपनी बैठक करेगी।

अ० भा० काग्रेस कमेटीके लिए चुनाव

१८ (क) काग्रेसके चालू अधिवेशनके बादकी अवधिके लिए मौजूदा प्रतिनिधियो द्वारा एक अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी चुनी जायेगी जिसमे १,००० सदस्य होगे और ये लोग मौजूदा अ० भा० काग्रेस कमेटी और प्रान्तीय कमेटियोका स्थान ले लेगे। प्रत्येक प्रातके प्रतिनिधियोका कोटा उसके मौजूदा कोटेके अनुसार होगा। प्रति-निधि इस प्रातके मौजूदा कोटेके हिसाबसे होगे। प्रतिनिधिगण केवल अपने प्रातके प्रतिनिधियोके लिए मत देगे।

(ख) काय समिति तुरन्त नये कलकत्ता प्रातकी रचना करने और बगाल प्रान्तीय काग्रेस कमेटीमे से इस नये प्रान्तके लिए एक नई प्रान्तीय कमेटीकी स्थापना करनेका काम हाथमे लेगी।

१९ जबतक किसी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी या किसी निम्नतर कमेटीने इस संविधानमें उल्लिखित शर्तोंको या संविधानके अंतर्गत कार्य समिति द्वारा निर्धारित शर्तोंका पालन नहीं किया होगा तबतक किसी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी या किसी निम्नतर कमेटीपर कोई पुर्नविचार नहीं किया जायेगा।

२० यदि कोई प्रांतीय कांग्रेस संगठन संविधानकी व्यवस्थाके अनुसार कार्य नहीं करेगा तो कार्य समिति उस प्रांतमें कांग्रेसका कार्य जारी रखनेके लिए एक समिति या संगठन स्थापित कर सकती है।

२१ कार्य-समिति सभी कांग्रेस संगठनोंके रिकार्डों, कागजात और हिसाब किताब की जांचके लिए एक अथवा एकसे ज्यादा निरीक्षकोंको नियुक्त करेगी और सभी कांग्रेस संगठन सभी सूचनाएँ प्रदान करेंगे और निरीक्षकोंको अपने कार्यालयों और रिकार्डों की जांच करनेकी सारी सुविधा प्रदान करेंगे।

२२ कार्य समितिको उन मामलोंमें नियम बनाने और निर्देश जारी करनेका अधिकार होगा जिनकी व्यवस्था संविधानमें नहीं की गई है और जो संविधानको सुचारु रूपसे चलानेके लिए आवश्यक होंगे।

२३ कांग्रेस-अध्यक्ष अपने वर्ष-भरके कार्यकालके लिए प्रतिनिधि सदस्योंमें से मंत्रियों और कोषाध्यक्ष सहित कार्य समितिके सदस्य चुनेगा।

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ

चूंकि देश भरमें कांग्रेसकी सहायतासे या बिना उसकी सहायताके स्वदेशी होनेका दावा करनेवाले अनेक संगठन पैदा हो गये हैं और चूंकि जनताके मनमें स्वदेशीके सही स्वरूपके बारेमें भ्रम पैदा हो गया है, और चूंकि कांग्रेसका अपने आरम्भसे ही जन साधारणके साथ तादात्म्य स्थापित करनेका उद्देश्य रहा है, चूंकि कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमका यह एक अभिन्न अंग रहा है कि गांवोंका पुनः संगठन और उनकी पुनरचना की जाये, चूंकि इस प्रकारकी पुनरचनाका यह अभिहित ध्येय है कि केन्द्रीय उद्योग अर्थात् हाथ कताईके अलावा मृत अथवा मृतप्राय ग्रामोद्योगोंको पुनरुज्जीवित किया जाये और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाये, और चूंकि यह काम तभी सम्भव है जब यह स्वतंत्र रूपसे किया जाये और इसपर कांग्रेसके किसी प्रकारके राजनीतिक कार्योंका असर न पडने पाये इसलिए श्री कुमारप्पाको इस बातका अधिकार दिया जाता है कि वे कांग्रेसके तत्वावधानमें और कांग्रेसकी एक गतिविधिके रूपमें गांधीजी की सलाह और उनके मार्गदर्शनमें एक स्वायत्तशासी संगठनकी स्थापना करें जिसका नाम अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ होगा और जिसे अपना संविधान बनाने, कोष इकट्ठा करने और अपने उद्देश्यको बढावा देनेके लिए आवश्यक सभी कार्य करनेका पूरा अधिकार होगा।

स्वागत-समितिका कार्य

चूंकि संविधानमें किये गये महत्त्वपूर्ण परिवर्तनोंके अंतर्गत [कांग्रेसका] वार्षिक अधिवेशन अपने सामने उपस्थित गम्भीर समस्याओंमें व्यस्त रहेगा, इसलिए केन्द्रीय

पडालके अदर और बाहरी शिविरामे कोई ध्यान बॅटानेवाली चीज नही होगी, और चूकि यह वाछनीय है कि स्वागत समितिको मनोरजन तथा तडक-भडकवाले प्रदशनाकी विस्तत व्यवस्था करनेके भारसे मुक्त कर दिया जाये, इसलिए प्रदशनियो और शानदार प्रदशनोका भार अखिल भारतीय चरखा सघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघको सौप दिया जायेगा। ये दोना सस्थाएँ गावोसे आनेवाली जनताके हिताथ मनोरजन और प्रदशनीकी ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे गाववालोको शिक्षा भी प्राप्त हो और उनका मनोरजन भी हो।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, १६-१०-१९३४

२२७ पत्र डॉ० डी० एस० सरदेसाईको

१५ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डाक्टर सरदेसाई,

आपके पत्रके लिए धयवाद। मेरी जमनालालजीके साथ बातचीत हुई है और उहोने मुझे बताया है कि रुइया दान कोष न्यासने अभी काम करना शुरू नही किया है। लेकिन जमनालालजीका कहना है कि जब न्यास काम करना शुरू करेगा तब वे निश्चय ही आपके अस्पतालका ध्यान रखेगे। लेकिन उन्होने मुझे आपको आगाह करनेके लिए कहा है कि आप इस समय इसकी कोई आशा न रखे।

बच्ची सुमित्रा[1] दूध, फल और स्टाच रहित सब्जियोपर यथा कद्दू और साग तथा इसी तरहकी अन्य चीजोपर रह रही है। क्या आप कृपा करके मुझे बतायेगे कि इस आहारके साथ-साथ उसे कुछ और भी खिलाया जाना चाहिए अथवा नही? म आपसे यह प्रश्न इमलिए पूछ रहा हूँ क्योकि उसकी दादी ने लिखा है कि आपने सुमित्राको सामाय भोजन दिये जानेकी सलाह दी है। वह पहले सामाय भोजन ही लेती थी, लेकिन उसे हमेशा कब्जकी शिकायत रहती थी। इसके अतिरिक्त उसे अक्सर बुखार भी रहता था। तब मैंने उसे उपयुक्त आहार देना शुरू किया और जान पडता है कि यह उसे माफिक आ गया है। केवल एक दिन यह आहार न दिया जा सका। उसने थोडी सी चपाती ली थी जिसके फलस्वरूप उसे तेज बुखार हो आया। मैंने एकदम चपाती बद कर दी और बुखार भी उतर गया। तबसे अबतक उसे बुखार नही आया है। यदि आप उसका रोटी, दाल, चावल लेना बिलकुल आवश्यक न समझे तो मै यह खतरा मोल नही लेना चाहूँगा और वह जितना दूध और फल ले सके, उतना देना चाहूँगा।

१ रामदास गाधीकी पुत्री।

आप उसका जो ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए मैं एक बार फिरसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

हृदयसे आपका,

डा० डी० एस० सरदेसाई, एल० आर० सी० पी० ऐण्ड एस०
आफ्थलमिक सजन
सण्डहस्ट रोड
गिरगाव बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२२८ पत्र शामलालको

१५ अक्टूबर, १९३४

प्रिय लाला शामलाल,

आपका पत्र मिला। मुझे और कुछ नही कहना है। मैं जरूर यह उम्मीद करता हूँ कि आप इस सघषमे सफल रहेगे।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२२९ पत्र कस्तूरबा गाधीको

१५ अक्टूबर, १९३४

बा,

लगता है, तू पत्र लिखनेमे अनियमित हो गई है। लिखते रहना ही ठीक है। खान साहब आ गये हैं। आज चरखा-सघकी बठक है, इसलिए और लोग भी आये हैं। राजेन्द्रबाबू आनेवाले थे, पर बीमार हो गये हैं। देखे क्या होता है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २८

२३० पत्र वसुमती पण्डितको

[१५ अक्टूबर, १९३४ या उसके पश्चात्][1]

चि० वसुमती

तू भी मेरी तरह बडी कामकाजी हो गई जान पडती है। थोडे दिनतक तो तूने रोज पत्र भेजे और अब बिलकुल भी नही। यह क्या है? इस बार मै अपने साथ किसी लडकीको नही ला रहा। बा भी नही आ रही है। तू भी जहॉ है वही रहे ऐसी मेरी सलाह है। अभी तो मेरे लिए कुछ नही राधा जाता। मै स्याही[2] का इस्तेमाल करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (एस० एन० ९३८९) से। सी० डब्ल्यू० ६३४ से भी, सौजन्य वसुमती पण्डित

२३१ पत्र द्रौपदीदेवी शर्माको

१६ अक्टूबर, १९३४

द्रौपदीदेवी[3]
माफत नथमलदास बिहारीलाल
दानगज खुर्जा

कृष्णाके[4] स्वास्थ्यके बारेमे तार दो।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, प० १०३ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

१ यह पत्र गाधीजीने प्रभावती द्वारा वसुमति पण्डितको लिखे इसी तारीखके पत्रके नीचे लिखा था।
२ सम्भवत वसुमती पण्डितने यह स्याही तैयार करके भेजी थी।
३ हीरालाल शर्माकी पत्नी।
४ द्रौपदीदेवीकी पुत्री।

२३२ पत्र आनन्द तो० हिंगोरानीको

१६ अक्टूबर १९३४

प्रिय मित्र,

बापूको आपका पोस्टकार्ड मिला। फौरन आपरेशन करा डालनेके आपके निश्चयका उन्होंने समर्थन किया है। कांग्रेससे, या बापूके सान्निध्यसे अपनी अनुपस्थितिकी आप चिन्ता न करें। उनका प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा।

हृदयसे आपका,
कि० घ० मशरूवाला

[पुनश्च]

ऑपरेशनके बाद परिणाम और स्वास्थ्यके बारेमें सूचना देते हुए एक पंक्ति लिखें। बापू १९ तारीखको बम्बईके लिए रवाना होंगे।

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२३३ पत्र वेणीलाल ए० गांधीको

१६ अक्टूबर, १९३४

चि० वेणीलाल,

तुम्हारे बारेमें माणेकलाल मुझे लिखते रहते हैं। हरिलालने भी लिखा है। तुम और हरिलाल यदि मिलकर काम कर सको तो मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हरिलालका अभी कुछ निश्चित नहीं हो सका है। उसके साथ मेरा पत्र-व्यवहार चल रहा है। इस बीच मैं चाहूँगा कि तुम मुझे लिखते रहो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१८) से, सौजन्य वेणीलाल ए० गांधी

२३४ पत्र हरिलाल गांधीको

१७ अक्टूबर, १९३८

चि० हरिलाल

तेरा ध्यान मुझे आजकल निरंतर बना रहता है। मेरे पास समय हो तो मैं तुझे हमेशा लम्बे पत्र ही लिखता रहूँ। तू जो लिखता है, यदि वह बात बराबर कायम रहे तो मेरे जीवनका दुःखद प्रसंग ही समाप्त हो जाये और इस उत्तरावस्थामें मुझे बहुत संतोष हो।

तू अपनी सामर्थ्यसे बाहर कुछ भी करे ऐसा मैं नहीं चाहता। जितना तेरी बुद्धि और हृदय स्वीकार करे, उतना ही निभ पायेगा और उतना ही शोभा देगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि तू खुराक आदिके नियमोंका पालन करे तो सर्वथा रोगमुक्त हो सकता है। अपनेको बूढ़ा न मान लेना।

तुझसे कुछ करते न बने तो इसका मुझे दुःख नहीं होगा, लेकिन यदि तू अपने वचनका पालन नहीं करे अथवा ऐसा कुछ करे जो किसीके साथ विश्वासघात करनेके समान हो तो उससे अवश्य मुझे आघात पहुँचेगा।

इस समय तेरे ऊपर अधिकसे अधिक विश्वास मुझे तो है। अन्य लोगोंको अर्थात् बा, रामदास, देवदास कांति आदिको आशा मुझसे कम है, क्योंकि उन्हें [तेरे विषयमें] कड़वा अनुभव है। कड़वा अनुभव तो मुझे भी है, लेकिन मैं कभी भी तेरे विषयमें निराश हुआ ही नहीं था अर्थात मुझे विश्वास था कि किसी-न-किसी दिन तू शुद्ध बनेगा। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि वह समय अब आ गया है। ईश्वर तेरी सहायता करे।

तुझपर ठीक ठीक कितना कर्ज है और उसकी भरपाई किन किनको की जानी है, यह सब ब्योरेवार लिखना। धर्मको बीचमें रखकर मुझसे जितनी मदद बन सके, उतनी मदद मैं करना चाहता हूँ। क्या कर्जपर ब्याज भी देना होगा?

तू बीड़ीका त्याग नहीं कर पाया, सो मैं समझा। जबतक पीना पड़े तबतक उसे दवा समझकर पीना। इसे छोड़नेमें तनिक भी दिक्कत नहीं होती। तू कदाचित् यह नहीं जानता होगा कि सादे भोजनसे यह आदत छूट सकती है। तेरी खुराक क्या है? क्या तू उसमें फेर-बदल करनेके लिए तैयार है?

माणेकलालका लम्बा पत्र आया है। उसने लिखा है कि तुझे राजकोटके प्रलोभनोंका भय है। यदि ऐसी कोई बात हो तो मुझे लिखना। जो भी बात हो, मुझे लिखनेमें तनिक भी संकोच न करना। जैसे कोई व्यक्ति दिल खोलकर अपने परम मित्रको लिखता है ठीक वैसे ही तू मुझे लिखना। आजतक तो तूने अनेक मित्र

वनाये। इससे जो कुछ होना था सो हुआ। अब तू केवल मुझे ही अपना मित्र समझ। उसमे तुझे कुछ हानि तो कदापि नही होगी। और फिर तेरे और मेरे बीच एक और सर्वोच्च मित्र भी है। वह अन्तर्यामी है इसलिए वह हमारे विचारोसे भी अवगत है।

म तुझे अपने पास बुलाना और अपने साथ रखना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन फिलहाल मेरी स्थिति भिन्न ह। मुझे एक मिनटकी भी फुरसत नही मिल पाती। रोज सवरे २ ३० बजे उठता हूँ। आज तो पौने दो वजेका उठा हुआ हूँ। अब साढे तीन वज रह है। यदि तुझे बुलाना हूँ तो समय देनेका मन होगा और वह मुझसे हो नही सकेगा। बाकी, मेरे प्राण तुझम बस हुए है। पिताका मोह तो गीतामाता के भक्तको भी नही छोडता अथवा हो सकता हे गीता' का धम यही कहता हो कि मैं तरी इतनी चिन्ता करूँ। अस्तु। अभी यदि तुझे प्रलोभनामे फँसनेका भय न हो तो वही पडे रहना और तकली आदि सब बराबर सीख लेना।

यदि डायरी न लिखता हो तो लिखना।

मनुके लिए पत्र इसके साथ ह। रामदास ठीक हे। अभी अस्पतालमे तो है ही। बुखार तो नही ह लकिन अभी ताकत नही आई हे।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

२३५ पत्र डॉ० विधानचन्द्र रायको

१७ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डॉ० विधान

राजेन्द्रबाबूके सम्बन्धम दिये गये तारोके लिए म आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे यह जानकर बहुत राहत मिली कि राजेन्द्रबाबू ज्वरमुक्त हो गये है।

हृदयसे आपका,

डॉ० विधानचन्द्र राय
३६, वेलिंग्टन स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

२३६ पत्र कालीनाथ रायको

१७ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र

मै काग्रेसजनाको यह सदेग देनेके अलावा और कुछ नही कह सकता आप अपने प्रति और राष्टके प्रति-सच्चे रह।

हृदयसे आपका,

श्री कालीनाथ राय
'ट्रिब्यून'
लाहौर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पपस, सौजन्य प्यारलाल

२३७ पत्र मनु गाधीको

१७ अक्टूबर १९३४

चि० मनुडी,

तू तो अब भाईकी[1] शिक्षिका बन गई है न? तकली आदि अच्छी तरहसे सिखाना। यहा तकली चलानेका जो नया तरीका है क्या तूने उसे सीखा था? मै सीख रहा हू। अब म आधे घटेमे ४० तार कातने लगा हूँ इससे अधिककी आशा रखता हू। यदि तुझे नया तरीका आता हो तो भाईको वही सिखाना। इसके बारेमे मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (सी० डब्ल्यू० १५३४) से, सौजन्य मनुबहन एस० मशरूवाला

१ मनुबहन गाधीके पिता हरिलाल गाधी।

२२८ पत्र घनश्यामदास बिडलाको

१७ अक्टूबर, १९३४

भाई घनश्यामदास,

भाइ दीनकर राव पड्या आज दिल्ली जाते हैं। दिल चाहे सो काम दे दीजीये। उनके तनख्वाहके बारेमें मुझे लगता है कि प्रतिमास रू० २०० दिये जाय। उसका कारण तो उन्होंने ही बता दिया है।

घेट के बारेमें खत आ गया है। लेखकने कुछ प्रश्न पूछे हैं। उनके उत्तर देकर मैं पत्र भेज दूंगा।[२] दीनकर रावसे उनके अमरिकाके अनुभव पूछ लीजीये।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ७९९८ से सौजन्य घनश्यामदास बिडला

२३९ पत्र अर्जुनलालको

१७ अक्टूबर १९३४

भाई अर्जुनलाल

तुमारा खत मिला है। उसे समजनेमें कठनाइ है। जमनालालजीका तो इस बारेमें कोइ हिस्सा ही नहि है। मैं भी कुछ नहीं जानता हूं। मैंने ऐसे झगडोंमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं ली है। सरदार किसीका पक्षपात नहीं करते हैं। मेरे साथ भी लडते रहते हैं। हमारे बीचमें एक ही गाठ है। जीस चीजको सत्य माने वही करना। तुमारे सेवा ही करनी है तो अधिकारसे क्या दरकार? जो अधिकारका भूखा है वह सेवा कभी नहीं कर पायेगा। मैंने सोचा था अब तुमारा अधिकारका मोह छूटा है। अब बताओ मैं क्या करूं। मेरा निवेदन तो पढ लिया होगा। मेरा संबंध दो दिनका ही समजो। बादमें ऐसे झगडाके बारेमें तो मुझे कोइ पूछ भी नहीं सकेगा। हां, मेरेसे कुछ सेवा लेना चाहेंगे तो अवश्य मिलेगी।

मोह छोडो शुद्ध सेवक बनो और सेवा ही मूक हो कर करो। इसी आशासे तुमारे पास आ गया था। इसी आशासे यह लिख रहा हूं।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे सौजन्य नारायण देसाई

१ भेड़।

२ देखिए 'पत्र आर० ए० रिचर्डसनको' १४-११-१९३४।

२४० पत्र घनश्यामदास बिड़लाको

१७ अक्टूबर, १९३४

भाई घनश्यामदास,

दीनकर पड्या पहुंच गये होंगे। जयप्रकाशके साथ मेरी बात हो गई है। आज तक वह थोडा बहुत कर्ज कर रहा है। प्रभावतीका खर्च यहींसे निकलेगा। जयप्रकाशका ३२५ माहवार रखा हैं। इस वखत तो रू० १५० का चेक भेजा जाय। उसमे से १०० तो जयप्रकाशको भेज दूंगा, ५० प्रभावतीके लिये रखुंगा। क्योंकि आज तकका खर्च तो यहांसे नहीं लिया है। दरम्यानमें वह पटना एक बार गई थी। इसलिये रू० ५० उसके खर्चके मांगा है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मेरा दूसरा निवेदन[१] कैसे लगा?

सी० डब्ल्यू० ७९९९ से, सौजन्य घनश्यामदास बिड़ला

२४१ पत्र मोरेश्वर विष्णु अभ्यंकरको

१८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय अभ्यंकर[२],

आपने मुझे १७ तारीखके 'महाराष्ट्र' मेंसे एक अनुच्छेद उद्धृत करके भेजा है, जिसका सार यह है कि हालांकि डॉ० मुंजे गोलमेज सम्मेलनके सम्मुख जो साम्प्रदायिक प्रश्न था उसे निपटानेके लिए प्रधानमन्त्रीको भेजे जानेवाले निमन्त्रण-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे फिर भी उन्हें मेरी ओरसे यह सन्देश मिलनेपर कि उन्हें हस्ताक्षर कर देने चाहिए, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये। आपने मुझसे कहा है कि 'महाराष्ट्र' में डा० मुंजेके नामसे जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, उसके बारेमें मैं अपनी राय दूं। लेकिन मुझे आपसे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस मामलेमें मेरी स्मृति कोई मदद नहीं दे सकती। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने डा० मुंजेका

१ देखिए वक्तव्य समाचारपत्रोंको १५-१०-१९३४।

२ मध्य प्रान्त (मराठी) कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष।

ऐसा कोई सन्देश भेजा हो, लेकिन यदि डॉ० मुंजे कृपापूर्वक मुझे याद दिलायें और यदि उन्हें सन्देश भेजनेकी परिस्थितियोंका ब्योरा और सम्बद्ध व्यक्तियोंके नाम याद हों और वे मुझे लिख भेजें, तो बहुत सम्भव है कि मुझे सब-कुछ याद आ जाये।

मैं इस बातपर खेद व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता कि यदि डा० मुंजेने सचमुच ही 'महाराष्ट्र'को वह वक्तव्य दिया है तो अच्छा होता कि इतने महत्त्वपूर्ण सन्देशका, जिसके कारण उन्होंने अपना निश्चय बदल डाला, सार्वजनिक उपयोग करनेसे पहले उन्होंने मुझसे अपनी याददाश्तकी पुष्टि करवा ली होती।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हितवाद, २२-१०-१९३४

२४२. पत्र : बीरेन्द्रनाथ गुहाको

१८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आप जो कहते हैं, वह मैं सब समझता हूँ। आपने जिन कार्यकर्ताओंकी चर्चा की है उनके सम्बन्धमें मेरी सीतारामजीसे बातचीत हुई है और मैं चारुबाबूको लिख रहा हूँ।[1]

श्री बीरेन्द्रनाथ गुहा
विद्याश्रम
बी ७६, कालेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए अगला शीर्षक।

२४३ पत्र चारुचन्द्र भण्डारीको

१८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय चारु बाबू,

मने अभी अभी आपके बारेमे बीरेंद्रनाथसे और सीतारामजीसे, जो इस समय यहा है, सुना। आपकी निस्वाथ सेवाओकी बात सुनकर मन प्रसन्नता और गवसे भर उठा। मै आपके व्यक्तिगत जीवन और जरूरियात तथा उन लोगोके बारेमे और ज्यादा जानना चाहूँगा जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे है।

श्री चारुचद्र भण्डारी
डायमण्ड हाबर, २४ परगना

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस सौजय प्यारेलाल

२४४ पत्र आर० पी० करण्दीकरको

१८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय दादासाहब,

आपका पत्र पाकर मन अत्यत मुदित हुआ। यह सोचकर तो और भी खुशी होती है कि आप अपने जीवनके इस कालमे भारतीय समस्याकी ओर ध्यान दे रहे है।

हृदयसे आपका,

श्री आर० पी० करण्दीकर
सतारा

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजय प्यारेलाल

२४५ पत्र मेहरबाई एफ० एस० तलयारखाँको

१८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय बहन,

आपका ममस्पर्शी पत्र मिला। मै आपके दु खको बखूबी समझ सकता हू। लेकिन अब आपको बहादुरीके साथ अपने इस दु खको देशसेवा करनेकी शक्तिमे परिवर्तित करना होगा। मै जानता हूँ कि आपमे सेवा करनेकी भावना प्रचुर मात्रामे है। फिर भी इस मात्रामे और वृद्धि होनी चाहिए, तभी आप अपने दु खको पीडित मानवताके बडे दु खमे तिराहित कर सकेगी। बेशक, दिवगत आत्माके लिए मेरी प्रार्थनाएँ आपके साथ है।

श्रीमती मेहरबाई एफ० एस० तलयारखा
२९, न्यू मरीन लाइन्स
बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

२४६ यज्ञार्थ कताई वाछनीय है?

एक पत्र-लेखक पूछते है

आपका यज्ञार्थ कताई या खुद कातनेपर क्यो आग्रह है? यज्ञार्थ कताई तो दान देनेके लिए कातना है। खुद कातना अपने निजी उपयोगके लिए अपना काता हुआ सूत खादीमें बदल लेना है। दोनो ही हालतोमे आप जिस गरीब कतयेको सबसे कम वेतन पानेवाला मजदूर कहते है, उसके मुहसे कुछ-न कुछ छीन लेते है। यज्ञार्थ कताईमें आप बेशक खादीका भाव घटाकर गरीबोकी थोडी-सी सेवा करते है। पर अपने लिए की जानेवाली कताईमें तो इसके सिवा और कुछ नहीं होता कि हम बेचारे कतैयेके मुहकी रोटी छीन लेते है।

अगर कताई सार्वत्रिक हो जाती तो यह बात आशिक रूपसे या पूरी सच होती। परन्तु आज कुछ हरिजन ऐसे है जिनकी कमानेकी शक्ति आधी रह गई है, क्योकि वे बुनकर है और उनके पास बुननेको हाथ-कता सूत नही है। इस समय वे

किसी तरह बडी कठिनाईसे गुजारा करनेकी कोशिश कर रहे ह। यदि देशमे बडे पैमानेपर यज्ञार्थ कताई हो रही हो तो इन बुनकरोकी यह दुदशा न हा। मै इन स्तम्भोमे पहले ही कह चुका हूँ[1] कि किस प्रकार उडीसामे लगभग दस हजार बुनकरोके प्रतिनिधि, जा (किसी जातिमे परिगणित न हानेके कारण) हरिजना जैस है, कामके अभावमे या या कह लीजिए कि हाथकते सूतके अभावमे भखो मर रहे है।

यह कहना व्यथ हे कि वे मिलका सूत बुन सकते है। ये दस हजार जुलाहे यही कर रहे थे। मगर जापानी स्पर्धाके कारण मिलके सूतके हाथबुने कपडेकी माग बहुत घट गई है। खादी बुननेवालाको अपनी खादीके लिए स्थानीय ग्राहक मिल सकते है मगर मिलके सूतक हाथबुने कपडेके स्थानीय ग्राहक नही मिल सकते। एक ममय था जब हाथकते सूतकी बहुतायत थी, क्योकि यज्ञार्थ कातनेवाले हजारा नही तो सकडा थे और बुनकराकी कमी थी। अब यज्ञार्थ कताईका रिवाज उठ गया है और बुनकराकी सेना मौजूद है, जो हाथकते सूतको खुशीसे बुन देगे। इसलिए आगे बहुत समयतक, और जबतक बाजारमे खादीकी माग है तथा जबतक कताई इतनी सामान्य न बन जाये कि उसस माग पूरी हा जाये, तबतक यज्ञार्थ कताई और अपने लिए कताई दोनोका राष्ट्रीय अथ व्यवस्थामे निश्चित स्थान हे। इससे गरीबोकी और उनम भी खास तौरपर हरिजनाकी निश्चित और ठोस सेवा होगी।

इसके अलावा, चकि यह कताई बुद्धिमान और शिक्षित स्त्री पुरुषोको करनी पडेगी, अत वह कलायुक्त होगी और उसमे बडा विकास किया जा सकेगा। चरखेमे रुई ओटनेवाली हाथकी मशीनमे और धुनकीमे जो अद्भुत सुधार हो गये है वे उस दिलचस्पीके कारण हुए है जो शिक्षित मध्यम वगकी स्त्रियो और पुरुषाने इस आदोलनमे ली है। 'हरिजन'के सब पाठकाको शायद मालूम न होगा कि चरखा-सघके मत्री[2] एम० ए० पास है और बम्बईके एक मशहूर और सफल बैंकरके पुत्रके है, उसके अध्यक्ष[3] देशके योग्यतम व्यापारियोमेसे एक है तमिलनाडुमे खादी सगठनके सचालक[4] भी एक सुप्रसिद्ध भूतपूव वकील है, बगालके सगठनकर्त्ताओमे एक भूतपूव चिकित्सक[5] है और दूसरे सज्जन एक योग्य रसायनशास्त्री[6] है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेशमे यह काय एक राष्ट्रीय महाविद्यालयके भूतपूव आचाय[7] द्वारा चलाया जा रहा है। ये थोडे-से नाम है। ऐसे और भी बहुत-से लोगोके नाम मै बता सकता हूँ, जिन्हाने खादीके द्वारा दरिद्रनारायणकी सेवामे अपनेको समर्पित कर दिया है। यह भक्त-समूह

१ देखिए खण्ड ५८ पृ० २७-८।
२ शकरलाल बैंकर।
३ घनश्यामदास बिड़ला।
४ च० राजगोपालाचारी
५ डॉ० विधानचन्द्र राय।
६ सतीशचद्र दासगुप्त।
७ आचार्य जुगल किशोर।

न होता तो खादीकी जो ठोस प्रगति हुई है, वह असम्भव थी और जो आधा करोड़ रुपया लगभग ढाई लाख मजदूरोंमें दानके रूपमें नहीं बल्कि सच्चे श्रमकी मजदूरीके रूपमें खादी आन्दोलनके इन वर्षोंमें बाँटा गया है वह न बँटता। चरखेके सिवा और किसी तरह या बेहतर ढंगपर इतनी जल्दी ऐसा काम नहीं हो सकता था। उससे दीन दुखियोंका देशके कुछ अत्यन्त सुसंस्कृत नर-नारियोंके साथ सजीव सम्पर्क हुआ है, अँधेरी झोंपड़ियोंमें प्रकाशकी एक किरण पहुँची है, जर्जर शरीरोंमें साहस आया है, हजारों दुग्धविहीन बालकोंको दूध मिला है। जिन देहातियोंने उसे अपनाया है उन्हें अकालके खिलाफ अपनी रक्षा करनेका एक सहज साधन दे दिया है। उसने आलस्यको कम किया है और हजारोंका भिखारी जीवनसे उद्धार किया है।

और अभी तो यह काम अपनी आरम्भिक अवस्थामें ही है। कार्यकर्त्ताओंकी संख्या बहुत कम है। जो हैं उनमें और श्रद्धा तथा लगन पैदा होनेकी जरूरत है। इस राष्ट्रीय और लोकोपकारी कार्यमें कई सौ कार्यकर्त्ता और भी खपाये जा सकते हैं।

इसलिए यह कहना गलत है कि यज्ञार्थ कताई या अपने लिए कातना मजदूरी-हित कातनेवालोंके लिए हानिकारक है। जिन लोगोंके लिए सम्भव है, उन सबका निश्चित धर्म है कि भारतके हरिजनों — अछूतों — की खातिर वे कमसे कम आध घंटा रोज सूत कातें।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १९-१० १९३४

२४७ टिप्पणियाँ

एक सुधारककी प्रार्थना

लायलपुरके एक पत्र लेखकने कुछ उपयुक्त प्रश्न पूछे हैं। ये इस प्रकार हैं

(१) कई चालोंमें, जहाँ हरिजन लोग रहते हैं, सिखों और मुसलमानोंकी आबादी भी है। लेकिन वहाँ हिन्दू लोग नहीं के बराबर हैं और यदि इक्का-दुक्का हिन्दू दुकानदार हो भी तो वे पूर्णतः उन जमींदारोंके अँगूठे तले और दबावमें रहते हैं जिनकी वे अवज्ञा नहीं कर सकते अथवा जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते। इस तरह ये हिन्दू लोग हरिजनोंको जल प्रदान करनेकी दिशामें कोई सहायता नहीं कर सकते। इस कठिनाईको कैसे सुलझाया जाये?

(२) 'आदिधर्मी' लोग हिन्दू विरोधी प्रचार कर रहे हैं और इस तरह वे हरिजनोंको हिन्दू-समाजसे विलग कर रहे हैं। इस प्रचारका निवारण अथवा सामना कैसे किया जाये?

(३) अस्पृश्योंके अनेक वर्गोंके बीच भी अस्पृश्यता पाई जाती है।

जहातक पहले प्रश्नका ताल्लुक है, पहला स्पष्ट कदम तो यह है कि सिखो और मुसलमानासे अनुरोध किया जाये कि वे हरिजनोको आम कुएँका उपयोग करने दे। समझाने-बुझानेके साथ साथ या समझाने-बुझानेकी कोशिश असफल होनेके बाद दूसरा कदम यह होना चाहिए कि सवण हिदू स्वय हरिजनोको उनकी आवश्यकता-भरका पानी प्रदान करे। बेशक, हरिजन लोग इस मामलेमे अदालतोकी शरण ले सकते है। कानूनके अतगत हरिजन लोग आम कुओ, सडको आदिका उसी तरह उपयोग करनेके अधिकारी है जिस तरह कि अय लोग है। लेकिन इस उपायका कमसे-कम उपयोग किया जाना चाहिए।

रहा दूसरा प्रश्न, तो जबतक सवण हिदू हरिजनोके प्रति किये गये अपने दुव्यवहारके लिए पश्चात्ताप नही करते और उसके फल-स्वरूप उनका हृदय परिवर्तन नही होता, तबतक हिदुआ और हरिजनोमे बढते हुए अलगावको रोका नही जा सकता। आदिधर्मी स्वय हिदू है। सवण हिदुआने उनपर जो अत्याचार किये, उसके विरोध-स्वरूप वे उनसे अलग हो गये। लेकिन जब वे देखेगे कि अस्पृश्यताका पूरी तरहसे निवारण हो गया है तब वे हिदू समाजमे वापस आ जायेगे।

जहाँतक तीसरे प्रश्नकी बात ह, अस्पृश्योके विभिन्न वर्गोके बीच पाई जानेवाली अस्पश्यता यदि पूरी तरहसे नही तो लगभग उसी अनुपातमे दूर होती जायेगी जिस अनुपातमे सवण हिदुओमे अस्पृश्यता दूर होगी। क्याकि, अस्पृश्योमे अस्पृश्यताकी भावना का होना सवण हिदुओमे पाई जानेवाली अस्पृश्यताकी भावनाका सीधा परिणाम है।

दरिद्रनारायण और हरिजन

दरिद्रनारायण और हरिजनमे सघष चल रहा है। किसमे किसका समावेश होता है? बिना सोचे समझे इसका उत्तर होगा "निस्सन्देह, हरिजन" मे दरिद्रनारायण समाहित है। लेकिन एक क्षण विचार करनेपर हम देखेगे कि हरिजनके मुकाबले दरिद्रनारायणका स्वरूप ज्यादा विराट है। हरिजन निस्सदेह दरिद्रनारायण ह, लेकिन सम्भ्रात लोग उहे सबसे निम्न श्रेणीका मानते ह। इसलिए वे हर या हरिके, ईश्वरके सबसे अधिक निकट है और सबसे अधिक प्रिय है। क्योकि, क्या स्वय भगवानने अपने-आपको अपने सेवकोका सेवक नही कहा है? और यदि वह ससार द्वारा उपेक्षित तथा तिरस्कृत लोगोकी सेवा नही करेगा तो और किसकी करेगा? तथापि, दरिद्रनारायणमे, हरिजनोके अलावा लाखो ऐसे लोग भी शामिल है जो जन्मसे अस्पश्य नही है। अतएव हरिजनोकी सेवा करना अनिवायत दरिद्रनारायणकी सेवा करना है, जबकि दरिद्रनारायणकी सेवा करनेका अथ हमेशा हरिजनोकी सेवा करना नही है। इसलिए बेहतर है कि 'हरिजन' मे लिखनेवाले लोग इस अतरको हमेशा याद रखे, क्योकि उहे याद रखना चाहिए कि 'हरिजन' ऐसा साप्ताहिक है जो पूरी तरहसे हरिजनोकी सेवाके उद्देश्यको लेकर चलता है और उसमे ऐसी किसी भी चीजके लिए गुजाइश नही है जिसका प्रत्यक्ष रूपसे अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे हरिजनोसे कोई सम्बध नही है। इस अन्तरको याद रखना जरूरी है, क्योकि मै 'हरिजन' के स्तम्भोमे अबतक जिन विषयोपर चर्चा करता दिखाई नही देता था, अब मै उन विषयो

पर भी मुक्त भावसे लिखने लगा हूँ। सच तो यह है कि अपनी तूफानी यात्राके दौरान अनेक रचनात्मक प्रयत्नोंके बारेमें लिखनेकी बात तो जाने दें, मुझे सोचनेतक का मौका नहीं मिला जो कि अब मैं कर रहा हूँ। हरिजनोंकी स्थितिमें चतुर्दिक सुधारके लिए असीम गुंजाइश है। क्या वे [हरिजन] संख्याकी दृष्टिसे समाजका एक बहुत बड़ा अंग नहीं हैं? और जहांतक उपयोगिताका सवाल है, क्या उनका स्थान समाजमें सम्भवतः सबसे ऊँचा नहीं है? वे लोग आज जो काम कर रहे हैं, उसके पुरस्कार स्वरूप उनके माथेपर अछूतका पट्टा लगाया जाता है। यदि वे अचानक वह काम करना बन्द कर दें, तो भारतीय समाज शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जायेगा।

एक सुधारककी प्रार्थना

एक पत्र-लेखकने [रवीन्द्रनाथ] ठाकुरकी 'गीतांजलि' में से निम्नलिखित एक बड़ी सटीक प्रार्थना चुनकर भेजी है[1]

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १९-१०-१९३४

२४८. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

१९ अक्टूबर, १९३४

सुज्ञ भाईश्री,

आपका ट्रेनमें बोलकर लिखवाया हुआ पत्र मिला।

कुमार साहबके बिलकुल ठीक होनेकी खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। उनको ठीक करनेके प्रयत्नमें आपके बीमार पड़नेकी खबर सुनकर बाबर और हुमायूंकी कहानी याद हो आई। हुमायूंको स्वस्थ करनेकी कोशिशमें बाबर स्वयं मृत्युको प्राप्त हो गया था न? आपने भी राजाके पिताका स्थान ग्रहण किया है और अपनी कायाको निचोड़ रहे हैं।

मेरे बारेमें आपकी चेतावनी उचित है। लेकिन इसपर आपका और मेरा कोई वश नहीं है। राम जहां ले जायेंगे वहां जाऊँगा। अभी तो रामने स्पष्ट रूपसे आदेश भी नहीं दिया है। बम्बईमें सब स्पष्ट हो जायेगा। क्या होगा, इसका तो विचार तक नहीं आता।

जिस समय जगदगुरुको जो अच्छा लगे
उसका शोच करना व्यर्थ है।
हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता
उससे तो केवल उद्वेग ही हमारे हाथ आता है।

१. इसे यहाँ नहीं दिया गया है। अंग्रेजी पाठके लिए देखिए अंग्रेजी खण्ड ५९, पृ० १९८।

नरसैया[1] के इस वचनको मै १८९३ से रटता आया हूँ। मैंने इसके अनसार चलनेका ठीक-ठीक प्रयत्न भी किया है। और मुझे यह वेद-वाक्य लगा है। वदोकी मेरी व्यारयामे ऐसे वचनोका समावेश हे। मेरे वेद भगवान सवभाषी है।

आशा है, रमाबहन[2] मुझपर कृपा रखेगी। काग्रेससे चरखा निकल जानेके बाद भी उनके जैसे लोग ही तो चरखेको बरकरार रखेगे। आपसे तो कैसे कहा जा सकता है?

मोहनदास

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३९) से, सी० डब्ल्यू० ३२५५ से भी, सौजन्य महेश पी० पट्टणी

२४९ पत्र रामदास गाधीको

१९ अक्टूबर, १९३४

चि० रामदास,

तेरा पत्र मिला। आशा है, तुझे मेरे पत्र मिल गये होगे। बम्बईमे भी तुझे पत्र लिखनेका ध्यान रखूगा। काड-लिवर आयल और अण्डा खानेकी जब जरूरत महसूस हो तब खाना। यदि डॉक्टर इन दोनोमे से किसी एक चीजको चुननेका अधिकार तुझे देता है तो अण्डा पसन्द करना बेहतर होगा। काड लिवर आयल तैयार करनेमे करोडो रुपये खच होते है। मछलियाको मारनेमे कितनी क्ररतासे काम लिया जाता है, इसकी मुझे खबर नही। मुझे तो यह राक्षसी दवा जान पडती है। आधुनिक पद्धतिके अनुसार प्राप्त किया जानेवाला अण्डा मुझे बिल्कुल निर्दोष लगता है और यह हम स्वय प्रयोग करके देख सकते है। लेकिन काड-लिवर ऑयल हम तैयार नही कर सकते। तिसपर भी तू जानता है कि प्रभुदासको तेल लेनेके लिए प्रोत्साहित किया था। उसी तरह राधा और अन्य लोगोको भी। जीनेका लोभ हममे से कोई नही छोड सकता। जीनेका लोभ रखनेमे पाप नही है, शम भी नही है। जीनेके साधनोमे मछलीका तेल भी एक है। ज्ञानी माने जानेवाले लोग भी उसका उपयोग करते है। उसे पीनेसे तुम्हे रोकनेवाला भला मै कौन? यह चीज ही ऐसी है कि इसमे किसीको किसीके बीचमे नही पडना चाहिए। किसी व्यक्तिका धम क्या है, इसका निश्चय अतमे तो स्वय वह व्यक्ति ही कर सकता है। तू आत्म निरीक्षण करता रहता है। सबसे ज्ञान प्राप्त करनेकी कामना करता है। इसलिए मैने तुझे इन दोनो वस्तुओके बारेमे मै जितना जानता हूँ, उतना ज्ञान देनेका प्रयत्न किया

१ नरसिंह मेहता उर्फ नरसी भगत।

२ प्रभाशकर पट्टणीकी पत्नी।

है। अब तू जिस वस्तुको जिस समय लेना उपयुक्त समझ उस, समय लेना। डाक्टर जबतक तुझे अस्पतालमे रखे तबतक रहना। यह सारा अनुभव तेरे काम आयेगा।

अब नीमुके बारेमे। यह समझकर कि नीमु तो तुझे सब कुछ लिखती ही है, म तुझे अधिक नही लिखता। भोजनके सम्बन्धमे मै उसका अच्छी तरहसे मार्गदर्शन कर रहा हूँ और उसे अग्रेजी सिखानेका बन्दोवस्त किया है। अन्य सब तो वह सीखती ही है। उसे दूध तथा फल आदि बराबर पहुँचाता रहता हूँ। प्रभावती और शर्मा उसकी देखभाल करते ह, वह खुश रहती है। मेरी अनुपस्थितिमे ये दोनो सब कुछ देखा करगे। तुझे मुझे कुछ लिखना हो तो लिखना। क्या तू यह मानता है कि काग्रेस-अधिवेशन समाप्त होनेपर अर्थात इस महीनेके आखिरमे मुझे वहा आना चाहिए? क्या बा भी यह चाहती है? जब तू चलने फिरने लायक हो जाये तब तू बढवाण आदि जगहापर जाना। यह मुझे अच्छा लगेगा। माणेकलालकी बदली जहा हुई है अगर वहा तू जाये तब तो बहुत अच्छा लगेगा। उसका आग्रह भी है। वहाकी आबोहवाकी वह बहुत प्रशसा करता है। किन्तु वहा फल नही मिलते। चोरवाड तो है ही। तू यदि चिन्ता करना छोड दे, अपने चित्तको हल्का करे तो कोई भी परेशानी नही होगी। यदि तू इस तरह घूमने फिरने निकल जाये तो बा मेरे पास वर्धा आ जायेगी। यदि ऐसा हो तो मुझे अहमदाबाद आनेकी तनिक भी जरूरत नही होगी। मैं जहा भी जाता हूँ, वहा मेरे लिए सार्वजनिक काम तो होता ही है, इसलिए मैं स्वय वहा आनेकी बातको टालना चाहता हूँ। लेकिन यदि मेरे बिना काम न चले तो आ जाऊँगा। तू मुझे अपनी इच्छा ठीक ठीक बताना।

बा को म बम्बई बुलाऊँ तेरा, यह जो आग्रह है, उसे मै समझता हूँ। लेकिन उसे वही रहना अधिक शोभा देता है। तू जब बिलकुल ठीक हो जाये तभी उसका वहासे निकलना ठीक होगा। इस बार मै अपने साथ एक भी लडकीको नही ले जा रहा हूँ। पुरुषोमे से भी मैं बहुत कम लोगाको साथ ले जा रहा हूँ। किशोरलालभाई और गोमतीबहन मेरे साथ होगे। काकासाहब तथा प्रोफेसर अक्षयचन्द्र भी होगे। अन्य लोगोके बारेमे मुझे याद नही। बम्बईमे क्या होता है, यह देखना है।

मेरे काग्रेसमे रहनेका दुरुपयोग होनेका जो भय तू बताता है, वह बिलकुल ठीक है। इन्ही कारणोसे मैं उससे निकलनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। तथा ऐसी महान सस्थाको हानि पहुँचाये बिना उससे निकलना आसान नही है। अनेक पवित्र व्यक्ति भी उसमे शामिल है।

जमनालालजी यही रहेगे। उन्हे भी मैं साथ नही ले जा रहा हूँ। अन्य अनेक लोगोको भी मैंने रोक दिया है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

२५० पत्र अम्बालाल साराभाईको

१९ अक्टूबर, १९३४

सुज्ञ भाई

आपके दोना पत्र मिले। आप हरिजन आश्रमके टस्टी नही बनेगे सो मै समझा। मै बहुत ज्यादा आग्रह करना नही चाहता। लेकिन मै इतना तो मान लू न कि गुजरातमे हरिजन-सेवाके कायमे जो जरूरते उठ खडी होगी, उन्हे निपटानेमे तो आप मदद करगे?

गोशालाके सम्बन्धमे आपका निणय मुझे मान्य है। गत वष जो घाटा हुआ वह बहुत ज्यादा था। मै उसकी जाच कर रहा हूँ। आप दिसम्बरतक का घाटा भर देगे मुझे इतनेसे ही सन्तोष है। लेकिन आपको मै आपकी मूल बातपर दृढ रहते देखना चाहता हूँ। ४,००० रुपयेका भार भी मै आपपर एकदम नही पडने दूगा। यदि हमारी किसी असावधानीके विना ही इतना घाटा हुआ है तो आपके आगे हाथ फैलानेमे मुझे कोई सकोच नही होगा। लेकिन इस गोशालाको एक वषके लिए भी घाटेपर चलाते रहनेका मेरा कोई विचार नही है। नारणदास सारे हिसाब-किताबकी जाच कर रहा है। आगामी वषका बजट तीन अथवा चार महीने पहले तयार किया गया था। उसका उद्देश्य आय और व्ययको बराबर-बराबर रखना था। इस बीच ४,००० रुपयेके घाटेकी खबर मेरे पास आई। अब नारणदास साबरमती जायेगा और मेरा माग-दशन करेगा। यह सब लिखनेका आशय केवल यह बताना है कि आपको इस काममे शामिल करके मै [1] नुकसानके बारेमे निश्चिन्त होकर नही बठ गया हूँ। चाहे कितना ही घाटा क्यो न हो वह सबका सब मै आपके सिरपर डाल दू, ऐसा मेरा स्वभाव नही है। मैने अपने जीवनमे जितने भी सावजनिक काम किये है, उनमे आय-व्यय बराबर रखनेका मैने निरन्तर प्रयत्न किया है। जहा नुकसान उठाना मै जरूरी समझता हूँ वहा ऐसा करनेमे मै हिचकता भी नही हूँ, लेकिन तब मै जान-बूझकर नुकसान उठाता हूँ। चमडा कमाना सिखानेके प्रयोगमे और रामचन्द्रनके पम्पमे लाभकी आशा रखनेके बावजूद नुकसानकी सम्भावना मेरी दृष्टिसे ओझल नही थी। मैने नुकसानकी सीमाका अनुमान भी कर लिया था। रामचन्द्रनके पम्पमे मैने स्वर्गीय रेवाशकर भाईको शामिल किया था। उन्हे ५,००० रुपये भरने पडे थे। उसके बाद यह योजना वापस ले ली थी। चमडेके धन्धेमे अभी भी घाटा उठाना पड सकता है, लेकिन हमे इस धन्धेको जारी रखना होगा। इसपर होनेवाले घाटेका अमुक भाग घनश्यामदास के हिस्से जायेगा। इस छोटे-से गोसेवा के कायमे मैने आपको खीचा है। यदि इसमे

१ यहाँ कुछ अश छूटा हुआ है।

से आप निकल जाते हैं तो इसमें मेरी साख जाती है। और चूंकि मैं आपके पास अपनी साख नहीं खोना चाहता इसलिए मैंने इतना सब लिखा है, और सो भी आपके निर्णयको स्वीकार करनेके बाद। मैं आपकी स्पष्टवादिताका कायल हूँ, यह आप जानते ही हैं। आपके निर्णयका मुझे तनिक भी दुःख नहीं है। मेरा सारा व्यापार केवल मेरी साखपर है। बैंकोंके नोटोंके टुकड़ोंके पीछे थोड़ा बहुत सोना अवश्य होता है। मेरे टुकड़ोंके पीछे तो रामनाम के सिवाय कुछ नहीं है इसलिए आप जैसे लोगोंसे विनती न करूँ तो किनसे करूँ?

मोहनदासके वन्देमातरम्

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य: नारायण देसाई

२५१. एक पत्र[1]

बम्बई जाते हुए[2]
२० अक्टूबर, १९३४[3]

प्रिय मित्र,

इस पत्रको श्रीयुत कोदण्ड राव ला रहे हैं। श्री कोदण्ड राव भारत सेवक समाज के सदस्य हैं और भारत सेवक समाजकी ओरसे प्रकाशित होनेवाले साप्ताहिक 'द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया'के प्रधान सम्पादक हैं।[4] कुछ अमेरिकी मित्रोंके निमन्त्रणपर वे अमेरिका गये हैं। श्रीयुत कोदण्ड राव हरिजनोंके मित्र और एक बहुत बड़े सुधारक हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनका परिचय भारतके उन मित्रोंसे करवा दें जिनका कि आप नेतृत्व करते हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२८६) से।

१. सम्भवतः यह पत्र डॉ० जॉन हेन्स होम्सको लिखा गया था।

२ और ३. पत्रके अन्तमें तारीख गांधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखी हुई है तथापि, पत्रके ऊपर महादेव देसाईके हाथोंसे यह लिखा हुआ है "वर्धा, १९-१०-१९३४"।

४. यहाँतक पत्र महादेव देसाईकी लिखावटमें है। इसके बादका हिस्सा गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है।

२५२ पत्र मीराबहनको

बम्बई जाते हुए रेलगाडीमे
२० अक्टूबर, १९३४

चि० मीरा,

तुम्हारे पश्चिममे रहते हुए तुम्हे मेरा यह अतिम पत्र मिलेगा। यह गाडी, जो मुझे बम्बई ले जा रही है, हिल रही है। तुम खानसाहबकी लडकीसे सम्पर्क कर लेना और उसकी आनेकी कुछ भी इच्छा हो तो अपने साथ लेती आना। पता नही कमलानीका क्या होगा।[१] खानसाहबकी लडकीका टिकट तुम खरीद लेना। उन्होने रुपया यहा दे दिया है और अम्बालालकी दूकानपर सूचना भेजी जा रही है कि रास्तेके लिए तुम्हे और रुपयोकी जरूरत हो तो दे दे।

यहाकी घटनाओके कारण जरा भी अशात न होना। सब-कुछ ईश्वरके निमित्त होता है।

सप्रेम,

बापू

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३०१) से सौजन्य मीराबहन। जी० एन० ९७६७ से भी।

२५३ पत्र वामन जी० जोशीको

२० अक्टूबर, १९३४

काग्रेसको किसी भी हालतमे गैर काग्रेसी उम्मीदवारको वोट नही देना चाहिए, बापूजी अणेके विरुद्ध तो और भी नही, साम्प्रदायिक निर्णयके बारेमे उनके दुर्भाग्यपूर्ण काग्रेस विरोधी रवैयेके बावजूद काग्रेसको उनके विरुद्ध वोट नही देना चाहिए। मै इसे काग्रेस विरोधी इसलिए कहता हूँ, क्योकि यह इस प्रश्नपर काग्रेसकी घोषित नीतिके विरुद्ध है। इसलिए काग्रेसियोको मेरा सुझाव है कि उन्हे नि सकोच भावसे गैर काग्रेसी उम्मीदवारके विरुद्ध बापूजी अणेको अपना वोट देना चाहिए। लेकिन उन्हे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि श्रीयुत बापूजी अणेको वोट देकर वे किसी प्रकार भी अपनेको उनके साम्प्रदायिक निर्णय सम्बन्धी दृष्टिकोणसे सम्बद्ध नही कर रहे है।

[अग्रेजीसे]
रेमिनिसेन्सेज ऑफ गाधीजी, पृ० २१२

१ देखिए खण्ड ५८ पृ० ४७६।

२५४ पत्र कस्तूरबा गाधीको

२० अक्टूबर, १९३४

बा,

तुझे बम्बई न बुलाकर मैंने ठीक ही किया है। ऐसा मानना कि जहा पेरिनबहन का अपमान हुआ हो वहा तू क्यो जाये? यह तो एक विशेष कारण हुआ। दूसरा कारण यह है कि जबतक रामदास वहा है तबतक तेरा वही रहना शोभा देता है। और तीसरा यह कि मेरा मन काग्रेससे हट गया है। मैंने जमनालालजीको भी रोक दिया है। काग्रेससे मेरे निकल जानेकी बातको तू निश्चित मानना। तो फिर तुझे किसलिए उसमे ले जाऊँ? नीमुकी तबीयत अच्छी रहती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ३०८१) से।

२५५ खादी-कार्यकी नई नीति[1]

[२१ अक्टूबर, १९३४ से पूव]

यद्यपि खादी स्वराज्य प्राप्तिका सबसे सबल साधन है तथापि, हमारी खादी सस्थाएँ इसे मात्र आर्थिक प्रवत्तिके रूपमे चला रही है। ऐसी सस्थाओमे लोकतन्त्रका तत्त्व अमुक अशतक ही दाखिल किया जा सकता है। लोकतन्त्रमे सघष और प्रतिस्पर्धाकी भी गुजाइश रहती है, लेकिन आर्थिक उद्देश्यको लेकर स्थापित की गई सस्थामे ऐसा नही हो सकता। क्या किसी व्यावसायिक पेढीमे हम भिन्न-भिन्न दलोकी अथवा विरोधी दलकी कल्पना कर सकते है? ऐसा हो तो पेढीकी सारी व्यवस्था ही अस्तव्यस्त हो जाये। और फिर खादीकी सस्थाएँ महज आर्थिक सस्थाएँ नही है, बल्कि इससे भी ज्यादा वे पारमार्थिक सस्थाएँ है। उनका हेतु किसीका स्वाथ सिद्ध करना नही बल्कि लोकहित करना है। लोकतन्त्रमे जनताको रिझाकर काम चलानेका नियम होता है। हमारी खादी सस्थाओका उद्देश्य तो जनताका प्रेय नही उसका श्रेय साधना है। इसलिए कई बार तो उन्हे नित्य परिवतनशील लोकमतसे स्वतन्त्र रहकर भी अपना काम चलाना होगा। उन्हे व्यक्तियोकी महत्त्वाकाक्षाका पोषण करनेका साधन तो कदापि नही बनने दिया जा सकता।

१ यह गाधीजी और कुछ खादी-कार्यकर्ताओमें खादी कायके पुनगठनपर हुई बातचीतका सार है।

खादी उत्पादनके पुनगठनपर विचार करते हुए आपको यह नही भूलना चाहिए कि कई बातोमे खादीके अथशास्त्रमे और प्रचलित अथशास्त्रमे उत्तर दक्षिणका भेद होता है। इग्लैडके प्रसिद्ध अथशास्त्री ऐडम स्मिथने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वेल्थ ऑफ नेशस' मे एक बात कही है, जो मुझे हमेशा याद आती है। अपनी पुस्तकमे उसने अथशास्त्रके कुछ नियमोको सावभौमिक और अटल कहा है। बादमे उसने कुछ एक ऐसी बातोका वणन किया है जो इन नियमोकी क्रियामे बाधा उत्पन्न करती है। ये है मनुष्य स्वभाव, मानवीय प्रकृति अथवा उसमे निहित परमाथ वत्ति। खादीके अथशास्त्रमे बात इससे ठीक उलटी है। मनुष्य स्वभावमे निहित परमाथकी भावना ही खादीके अथशास्त्रकी आधार-शिला हे। ऐडम स्मिथने जिसे नफा ओर नुकसानका ही विचार करनेवाली शुद्ध आर्थिक वृत्ति कहा है, वह स्वाथ वत्ति खादीकी प्रगतिमे विघ्नरूप हे और उसका प्रतिकार करना खादी शास्त्रका प्रमुख काय हे। इसलिए वनोपाजनके लिए किये जानेवाले व्यापारमे सामान्य रूपसे जिन युक्तियोस काम लिया जाता है, उन युक्तियोके लिए खादी प्रवत्तिमे कोई स्थान नही है। उदाहरणके लिए, छलकपट, धोखाधडी झूठ, अच्छे मालमे हलके मालकी मिलावट, जनताके व्यसनो अथवा वासनाओको उत्तेजन देकर व्यापारको बढाना — ये सब चीजे मिल उद्योगमे और साधारण व्यापारमे चलती ह लेकिन खादी प्रवृत्तिमे सवथा त्याज्य है। लाभमे वद्धि करनेके लिए बुनकर अथवा कातनेवालेको कमसे कम मजदूरी देनेकी नीतिको खादी प्रवत्तिमे कोई स्थान नही हो सकता। उसी तरह यदि अपनी अव्यावहारिकताके कारण हमे नुकसान होता रहता है तो इस तरह घाटा खाकर भी खादी प्रवत्तिको नही चलाया जा सकता। आज हमारी खादी सस्थाओको जो घाटा उठाना पडता है उसका कारण हमारे कायकर्त्ताओमे कायक्षमताकी कमी है। खादीमे कातनेवालो आदिको उनकी मजदूरीका पूरा-पूरा लाभ मिलता है, जबकि बीचके व्यापारियोको तथा व्यवस्था करनेवालोको उनके परिश्रमकी अपेक्षा तनिक भी ज्यादा नही मिलता।

अब 'स्टैडर्डाइजेशन' अर्थात् एक ही स्तरका सारा माल तैयार करनेकी बात ले। खादीमे ऐसी एकरूपताकी आशा नही की जा सकती। राजगोपालाचारीने एक बार कहा था कि सामान्य कातनेवाली गरीब स्त्रियोसे हमेशा मिल जैसे समान सूतकी अपेक्षा नही की जा सकती। वे जड मशीन नही है, मनुष्य है। उनके सुख-दुःख है, भावनाएँ है, और वे बीमार भी हो सकती है। कभी कभी उनकी तबीयत अच्छी नही रहती या कभी उनका बच्चा अथवा अन्य सम्बन्धी बीमार पड जाते है, तो उनका चित्त आकुल हो उठता है और उसका असर कताईपर हुए बिना नही रहता। यदि आपका हृदय वज्रके समान कठोर नही है तो जबतक वे जान-बूझकर खराब सूत नही कातती तबतक वे जैसा सूत काते, वैसा आपको स्वीकार करना चाहिए। वह उनके शुद्ध परिश्रमसे पवित्र हुआ सूत है, इसलिए हमे वह प्रिय लगना चाहिए। यन्त्रके मालमे यह व्यक्तित्वका तत्व नही होता इसलिए इस तरहका आध्यात्मिक सन्तोष वह नही दे सकता। मशीनसे तैयार किया गया माल केवल हमारी आखको लुभाता है, लेकिन खादीकी कला मनुष्यकी भावनाओको सन्तोष देती है। वह

हृदयस्पर्शी होती है। खादीमे बाह्य सौदयका स्थान दूसरा है। इसीसे मैंने साफ की हुई (ब्लीच की हुई) खादी बेचनेका विरोध किया है। खादीको ब्लीच करनेमे खादी उत्पादनका खच बढता हे, उसकी मजबूतीमे कमी आती हे ओर खादीमे होनेवाली मिलावटका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लोगोकी अभिरुचिको बिना विचारे पोषित करनेका हमारा कत्तव्य नही है। हमारा कत्तव्य उसे उचित दिशा प्रदान करना हे। दो-तीन बार धोनेपर खादीमे लगा माड अपने आप छूट जाता है और खादी बगुलेके पखो सी सफेद हो जाती है। इतना ही नही, उसमे एक प्रकारकी मुलायमियत आ जाती है जो ब्लीच करनेसे नष्ट हो जाती है। बुनाईके बादकी ऐसी छोटी-छोटी प्रक्रियाएँ यदि व्यक्ति स्वय कर ले तो खादी काफी सस्ती हो जाये। लोगोसे इन क्रियाओको करवानेका अच्छे से अच्छा रास्ता खोज निकालना खादी विशेषज्ञोका काम हे।

यदि खादी प्रवृत्तिको केवल व्यापारके साधनके रूपमे नही बल्कि भुखमरी से पीडित जनताके उद्धारके साधनके रूपमे चलाना हे तो हमे कातनेवालोके घरोमे प्रवेश करना चाहिए। उ हे खुद तैयार की हुई खादीका कपडा पहननेके लिए समझाना होगा। ऐसा करनेसे न केवल खादीके उत्पादनमे होनेवाले खचमे भारी कमी होगी, बल्कि खादीकी बिक्रीके सम्ब धमे होनेवाला खच भी पूरी तरह बच जायेगा। आजतक हमने शहरके लोगोको ध्यानमे रखकर खादी तयार की है। थोडे ही वर्षोमे खादीका व्यापार छोटी सी शुरुआतसे आज लाखो रुपयोतक पहुँच गया है। हम भाति भातिकी खादी तयार करने लगे है। लेकिन अभी मुझे मात्र इतनेसे स तोष नही होता। खादी-सम्ब धी मेरी महत्त्वाकाक्षा इससे कही अधिक बडी है। मेरी आकाक्षा यह है कि हमारे गावोसे भुखमरीको बिलकुल निकाल बाहर किया जाये। यह तभी सम्भव हो सकता है जब गावोके लोग खुद खादी तैयार करके अपनी जरूरतकी खादी अपने पास रख ले और बाकी बची खादीको शहरोमे भेज दे। खादीकी शक्तिका रहस्य इस बातमे है कि जहा खादी तयार होती है उसी स्थानपर उसके ग्राहक भी मिल जाते है, इसके लिए बाजार ढढने जानेकी कोई जरूरत ही नही होती।

खादीकी उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्थापर जो खच आता हे, वह मुझे कचोटता है। यदि हम खादीके मुरय उद्देश्यको ध्यानमे रखकर चले तो इस खचको काफी कम किया जा सकता है। जैसाकि मै पहले कह चुका हूँ, मुरयत लाभके लिए चलनेवाले उद्योगोमे जिस तरह मालके उत्पादनमे खचकी कमी की जाती है उस तरह तो खादीमे नही की जा सकती। खादीमे य त्रकी शक्तिको अमुक सीमातक ही बढाया जा सकता है। लेकिन कला, निपुणता, कायदक्षता और प्रामाणिकताको बढानेकी सीमा नही है अर्थात, उन्हे चाहे जितना बढाया जा सकता है। और यदि इन गुणोमे हमे श्रद्धा नही है तो फिर हमे खादीसे हाथ धो बैठना होगा। यदि खादीके खचको कम करना हो तो खादी सस्थाको चलानेके लिए कमसे कम और पारमार्थिक वत्तिवाले लोगोको रखनेके बाद शेष सब मध्यवर्तियो अथवा दलालोको उसमे से निकाल देना चाहिए। और सच बात तो यह है कि जब खादीकी प्रवृत्ति पूरी तरह विकसित हो

जायेगी तब उसे बाह्य सस्थाकी आवश्यकता ही नही रह जायेगी। आत्म निभरता और आत्म प्रचार, ये खादी-प्रवृत्तिके स्वाभाविक लक्षण है।

खादीका शास्त्र अभी बाल्यावस्थामे है। उसका उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। जसे जसे मै उसमे गहरे उतरता जाता हूँ, जैसे-जसे मै उसके नियमोकी अधिकाधिक खोज करता जाता हूँ और समझता जाता हूँ, वसे-वैसे मुझे खादीके सम्बन्धमे अपने अल्प ज्ञानका आभास होता जाता है। चीनके अलावा सारे ससारमे शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसमे हमारे देशकी अपेक्षा समद्धिके अधिक साधन हो। कारण, हमारे देशमे जितना मनुष्य-बल है, वह चीनके अतिरिक्त और कही नही है। लेकिन आज भी हमारी यह सम्पत्ति बेकार पडी पडी क्षीण हो रही है। चरखा इसी अपरिमित सम्पत्तिके सदुपयोगका साधन है।

हमने आजतक जिस ढगसे खादीका काम चलाया, वह उचित था। उसके परिणामस्वरूप हम यहातक पहुँचे है। वह अनिवाय था, इतना ही नही, बल्कि अबतक की परिस्थितियोमे सगत और उचित भी था। कठिन काय तो हमारे सामने अब आया है। अब हमे जो रास्ता तय करना है उसके लिए उसीके अनुकूल पद्धतिसे काम करना होगा। हमे उसके अनुकूल उपाय खोज निकालने होगे। इसलिए यदि आन्ध्र प्रदेश खादीके मामलेमे प्रान्तीय स्वायत्तता चाहता हो तो वह उसे आसानीसे मिल सकती है। आपकी सस्थाको भी जो देय देना हो उसे देनेमे कोई दिक्कत न होगी। इसलिए मैने आपको जो माग सुझाया है, यदि आप उस तरह काम करना चाहेगे तो आप निर्विघ्न कर सकेगे, इस बारेमे मुझे तनिक भी सन्देह नही।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, २१-१०-१९३४

२५६ पत्र मार्गरेट स्पीगलको

काग्रेस कैम्प
२२ अक्टूबर, १९३४

चि० अमला,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझसे विदा लिये बिना चले जाकर तुमने मेरा अपमान नही किया है। मै ऐसे शिष्टाचारमे विश्वास नही करता। उम्मीद है, तुम अपना काम अच्छी तरहसे कर रही हो और तुम्हे ट्यूशनका काम भी खूब मिल रहा है। आशा है मै नवम्बरसे पहले ही वापस आ जाऊँगा।

सप्रेम,

बापू

[अग्रेजीसे]

स्पीगल पेपस, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

२५७ पत्र प्रभावतीको

२२ अक्टूबर, १९३४

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र पढकर दु ख हुआ। तेरा हित समझकर ही मैंने तुझे रोका था। वहा काममे लगनेके बाद यहा आनेकी वत्ति रखना कितनी खराब बात है? यहा मेरे विचारसे तो कुछ नही है। इतना तो विचार कर कि तीस करोड लोगोमे से एक लाख व्यक्ति भी इसमे भाग नही ले सकते। तुझे कोई नाटक देखनेके लिए थोडे ही आना है? ओम और अन्य लडकिया आ गईं, इससे तो तुझे और भी अधिक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तू नही आ सकती। मै कदाचित मगलवारको वहा पहुँच जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४४४) से।

२५८ पत्र हरिभाऊ उपाध्यायको

बम्बई
२२ अक्टूबर, १९३४

भाई हरिभाऊ,

अजमेरकी आबोहवा देखते हुए[1] मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे और तुम्हारे दलके आफिसहोल्डरो आदिको निकल जाना चाहिए। इसमे तुम्हारेमे से किसी पर कोई इलजाम की बात नही है—सिफ त्याग व सयमकी ही है।

उस वक्तकी आबोहवा देखकर यह काम हो सकता है। जो कानून अब बने हैं, उसमे योग्य वायु पैदा करनेकी बहुत बडी शक्ति है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०८०) से, सौजन्य हरिभाऊ उपाध्याय

१ देखिए खण्ड ५८, पृ० ३७६-७।

२५९ पत्र द्रौपदीदेवी शर्माको

बम्बई
२२ अक्टूबर, १९३४

चि० द्रौपदी,

तुमारा तार आया। उसके बाद उत्तर नही है। कृष्णा अच्छी होगी। शर्म्मा कुछ अशात हो गया है। सुरेद्रजी के पास मेरी गेर हाजरीमे गया है। मेरे वर्धा पहोचते वही आ जायगा। उसके तर्फ से पत्र मिलते रहते होगे। तुमने जो खत उसके बारेमे लिखा था बहूत अच्छा था।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

वर्धा ३० तारीखको पहोचनेकी सभावना है।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, प० १०९ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

२६० पत्र हीरालाल शर्माको

बम्बई
२२ अक्टूबर, १९३४

चि० शर्म्मा,

तुमारे बारेमे चिता रहती है। सुरेद्र वहा नही होगा ऐसा सुनकर चितामे वद्धि हुई है। ज्यो २ विचार करता हूँ मै हमारे मे दृष्टिभेद बहुत पाता हू। लेकिन निराशा किसी प्रकारकी नही है। हम प्रयत्न करते रहे। सुरेद्रको बुला लिये होगे।

तुमारे पत्रकी प्रतीक्षा करता हू।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११० के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

२६१ पत्र अमतुस्सलामको

बम्बई
२२ अक्टूबर, १९३४

प्यारी बेटी अमतुलसलाम,

तुम्हारा पत्र मिला। हा, सच तो है कि मुझे तुम्हारे बरतावसे दुख हुआ है। मैने जो माना था सो नही मिल सकता है। लेकिन उसमे तू क्या कर सकती हे? जो तुम्हारेमे है वही तो दे सकती हो, यह समझकर मैं शान्त हो जाता हूँ। तुम्हारी सेहत अच्छी रहती होगी। शर्मांके बारेमे तो क्या लिखू? मेरेसे जो कुछ हो सकेगा सब करूँगा। मगलको वहा पहुँचनेकी उम्मीद तो है।

बापूकी दुआ

उदूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३११) से।

२६२ भाषण विट्ठलभाई पटेलकी पुण्य-तिथिपर[1]

बम्बई
२२ अक्टूबर, १९३४

विट्ठलभाईके साथ मेरा परिचय जब १९१५ मे मै भारत आया, तब हुआ। आपको यह जानकर आश्चय होगा कि मै जब उनसे पहले-पहल मिला तब मुझे यह मालूम न था कि वे हिदू है। वे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदिके बीच भेद नही करते थे, यह बात मुझे बादमे मालूम हुई। उनका वेश भी वैसा ही था। उनके दाढी थी और वे तुर्की टोपी तथा जाकट पहनते थे। उनके विषयमे मेरी यह धारणा बहुत दिनोतक रही। बादमे वे १९१७ मे मुझे गोधरामे मिले।[2] वहा मैंने उन्हे फकीरके वेशमे देखा। वहा मैने हरिजन आवासमे एक सभा बुलाई थी। उस समय उसमे मुठठी भर ही हिदू शामिल हुए थे। उनमे विट्ठलभाई भी थे। इसी बीच मुझे मालूम हुआ कि वे हिदू है और सरदारके बडे भाई है। उस समय वे धोती, कुर्ता और टोपी पहनकर आये थे। इसलिए मैंने उन्हे पहचाना नही। वे तो खिलखिलाकर हँस पडे।

१ यह सभा डॉ० मु० अ० असारीकी अध्यक्षतामें आजाद मैदानमें हुई थी।

२ देखिए खण्ड १४ पृ० ७२।

उसके बाद हमारा परिचय दिन-दिन बढता गया। मै देख सका कि वे हिंदुस्तानके जागरूक सेवक है और यह कि उनके लिए पैसेकी कोई कीमत नही है। वे शौकके लिए पैसे नही इकट्ठे करते। बम्बईकी विधान सभामे उन्होने जिस जागरूकताका परिचय दिया, उसके बारेमे मै सुना करता था। उसके बाद कांग्रेसमे भी मैने उनकी कारगुजारी देखी ओर देखा कि विट्ठलभाईके साथ लडना आसान नही है। विट्ठलभाई कभी कभी मेरा विरोध भी करते थे, लेकिन उनका यह विरोध मधुर होता था, उसमे कभी तिक्तता नही होती थी। इस तरह हमारी गाडी चलती रही।

विट्ठलभाई योद्धा थे। केन्द्रीय विधान सभामे वे कैसे लडा करते थे, सो अध्यक्ष महोदयने आपको बताया ही है। केन्द्रीय विधान-सभासे उन्हे अध्यक्ष पद के लिए जो वेतन मिलता था, उसमे से अपनी जरूरत-भरका पसा रखकर शेष पैसा वे मुझे भेज देते थे। वे ४०,००० रुपये मेरे पास अभी वैसेके वैसे ही पडे है। उनका उपयोग मै नही कर सका। बादमे तो कठिन सघष चला। मै उनके विचार जानता था। यह रकम मेरे पास सुरक्षित पडी है। विट्ठलभाईकी दानशीलतासे मै अवगत था। आज सवेरे 'क्रानिकल' मे मैने पढा कि उनके पास १२ लाखकी सम्पत्ति थी। उसमे से मत्यु के समय उन्होने एक लाख रुपये दानमे दिये। मुझे लगा कि जिस विट्ठलभाईके पास १२ लाख रुपये थे, वह हमारे परिचित विट्ठलभाई नही हो सकते। उन्होने यदि यह रुपया वल्लभभाईको दिया हो तो वल्लभभाईकी जेबमे तो मेरा हाथ जा सकता है। लेकिन विट्ठलभाई तो बुद्धिमान थे। इसलिए मुझे लगा कि यह 'क्रानिकल' की भूल होनी चाहिए। विट्ठलभाई १२ लाख रख गये हो और उसमे से केवल १ लाख रुपया दान देकर बाकी ११ लाख सगे सम्बन्धियोको दे गये हो, ऐसा कभी भी नही हो सकता। इससे मुझे लगा कि कम्पोजिटरकी भूल होनी चाहिए। यदि 'क्रानिकल' की बात सच हो तो विट्ठलभाईने चोरी की होगी। तब तो विट्ठलभाईको सट्टेबाज होना चाहिए। लेकिन उन्होने तो केवल स्वराज्यका ही सट्टा किया था।

आज हम उनका स्मरण करनेके लिए उनकी पुण्य तिथिपर इकटठे हुए है। और आज ही गाडीमे यहा आते समय मैने सुना कि उनके स्मारकके लिए नियुक्त समितिके अध्यक्ष भूलाभाई है। उनके गुणोको सुनकर आप चले जाये, यह काफी नही है। आप लोग निश्चय करे कि आपको जो मिलता हो, उसमेसे आप विट्ठलभाई-स्मारकके लिए देगे तो यह कहा जा सकेगा कि हमपर विट्ठलभाईका जो ऋण है, उसे चुकानेमे आपने कुछ अशदान दिया है। विट्ठलभाईकी तीव्र बुद्धि और होशियारीकी मेरे पास अनेक स्मृतिया है, लेकिन वे सब कहने-सुननेका इस समय मेरे पास समय नही है। उनका त्याग और उनकी सेवा किस प्रकारकी थी, और उनके देशप्रेमके दृष्टान्तसे आपको क्या सीखना चाहिए, यह सब मैने आपको सक्षेपमे बताया हे।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २८-१०-१९३४

२६३ भाषण अ० भा० का० क०की विषय-समितिमें[1]

२३ अक्टूबर, १९३४

अपने वक्तव्यके दौरान महात्मा गाधीने कहा कि मुझे आशा है कि विषय-समितिके सदस्य इस बातपर मुझसे सहमत होगे कि आजकी परिस्थितियोको देखते हुए मेरा काग्रेससे अवकाश ग्रहण करना जरूरी है। म काग्रेससे बाहर रहकर भी नि सन्देह काग्रेसके लिए काम करूँगा और उसकी मदद करूँगा। म अपने इस निश्चय पर बहुत सोच विचार करनेके बाद पहुँचा हूँ और इसे बदला नहीं जा सकता। जिन कारणोसे मने काग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेका निश्चय किया है, उनके बारेमें म जनताको पहले ही बता चुका हूँ।[2] मने महसूस किया है कि म काग्रेसके स्वाभाविक विकासमें एक बोझ, एक बाधा बन रहा हूँ। मेरा यह अनुभव रहा है कि पिछले कुछ वर्षोंसे काग्रेसजन मेरे आदेशोका पालन और उनका अनुकरण करने लगे ह और मने जब भी, जो-कुछ कहा है, उसमें विश्वास न रखते हुए भी उन्होने उसे स्वीकार किया है। और म महसूस करता हूँ कि इन हालातमें मेरा काग्रेसमें बना रहना न तो काग्रेसके हितमे होगा और न देशके हितमें होगा। मने एक लम्बे समयतक काग्रेसकी बागडोर सभाली है और जहाँतक ले जा सकता था, वहातक उसे आगे ले गया हूँ। लेकिन मै समझता हूँ कि अब म उसका मार्ग दर्शन नहीं कर सकता। महात्मा गाधीने आगे कहा कि अबतक काग्रेसने जितनी प्रगति की है उसमे काग्रेसियोने मेरे साथ सहयोग नहीं किया, ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन मेरे विचारसे पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए कुछ चीजें आवश्यक ह और उनसे काग्रेसको बल मिलेगा।

गाधीजीने कहा कि म काग्रेसमें विद्यमान किसी बुराईके विरोध स्वरूप काग्रेससे अलग नही हो रहा हूँ। मै तो इसलिए अलग हो रहा हूँ जिससे कि काग्रेसी स्वय सोच विचार कर सके और उसके अनुरूप काय कर सके। आजतक उनका आचरण एक ही बिन्दुके इद गिद घूमनेवाले अन्धे मनुष्योका सा रहा है। मेरा काग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेका मतलब यह नहीं कि मेरी मददकी जरूरत होनेपर भी म काग्रेसमें वापस नही आऊँगा। म किसी बुरे इरादेसे काग्रेससे बाहर नहीं जा रहा हूँ। मेरा इरादा काग्रेसको किसी किस्मका नुकसान पहुँचानेका नहीं है और न ही म काग्रेससे बाहर कोई दूसरा शक्तिशाली दल बनानेवाला हूँ। इसके बाद बोलते हुए गाधीजीने

१ अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के अवसरपर हुई विषय समितिकी बैठकमें गाधीजीने अपना यह भाषण हिन्दीमें दिया था। अधिवेशनकी अध्यक्षता डॉ० राजेन्द्रप्रसादने की थी।

२ देखिए "वक्तव्य समाचारपत्रोको", १७-९-१९३४ और १५-१०-१९३४।

कहा कि यदि मै अपने पसठवे वषमे काग्रेससे बाहर जाकर एक नया दल बनाता हूँ तो इससे भला मेरा क्या उद्देश्य सिद्ध होगा, तथा आजतक मुझे काग्रेसियोने जो सहायता और सहयोग दिया हे, बाहरके लोग मुझे उससे अधिक और क्या सहायता और सहयोग दे सकते ह।

अपने भाषणको जारी रखते हुए गाधीजीने कहा कि म आशा करता हूँ कि विषय समितिके सदस्य मुझे काग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेकी इजाजत देगे। हालाकि मने काग्रेससे अवकाश लेनेका निणय कर लिया है, फिर भी इस बारेमे विषय समितिके सदस्योसे सलाह मशविरा करना म अपना कत्तव्य समझता हूँ। सम्भव हे, कुछ लोग कहे कि मेरे इस अवकाश लेनेके विषयपर और सशोधनोके सम्बन्धमे वे पहले ही समाचारपत्रोमे अपने विचार व्यक्त कर चुके ह, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे काग्रेसियोसे विचार-विमश करना चाहिए।

काय समितिके सदस्योने इस प्रश्नपर मुझसे बातचीत की थी। उनमे से कुछ सदस्योका विचार था कि मेरे काग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेसे राष्ट्रके हितको बहुत बडा नुकसान पहुँचेगा, जबकि अन्य सदस्य मेरे साथ इस बातपर सहमत थे कि मुझे अवकाश ग्रहण कर लेना चाहिए ओर इससे देशको, काग्रेसको और स्वय मुझे मदद मिलेगी। इससे काग्रेसको सारी चीजे साफ साफ देख सकनेमे मदद मिलेगी।

मने अपने मूल वक्तव्यमे काग्रेस सविधानमे तीन सशोधनोका सुझाव दिया था। पहला सशोधन काग्रेसके सिद्धान्तके बारेमे था और यह कई लोगोको अमान्य था। लेकिन लोग ऐसा मानकर न चले कि यदि काग्रेस इन तीनो सशोधनोको, जो काय-समितिके कुछ सदस्यो द्वारा पेश किये जानेवाले ह, स्वीकार कर लेती हे तो म काग्रेससे बाहर नही जाऊँगा। म बहुत सोच विचार करनेके बाद इस निश्चयपर पहुँचा हूँ और म इसपर दृढ रहूँगा। विषय-समिति चाहे तो एक सशोधनको अथवा तीनो सशोधनोको स्वीकार कर सकती है अथवा तीनोको ठुकरा सकती है, लेकिन इससे मेरे निश्चयमे कोई परिवतन नही होनेवाला है। क्योकि यदि सभी सशोधन पास हो जाते ह तो भी अन्य कई ऐसी बाते ह जिनके कारण मुझे अवकाश ग्रहण करनेके अपने इस निश्चयपर पहुँचना पडा है।

हाँ, यदि कोई चमत्कार हो जाये अथवा आप लोग मुझे इस बातका यकीन दिला सके कि देशके हितको देखते हुए मेरा काग्रेसमे रहना जरूरी हे तो म सम्भवत किसी दिन आपके पास वापस आ सकता हूँ।

इस स्थानपर श्रीमती सरोजिनी नायडूने सुझाव दिया कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते, उनकी खातिर गाधीजी अपने भाषणका सार अग्रेजीमे बता दे। मद्रास और बगालके कई सदस्योने इस बातका समथन किया। इसपर महात्मा गाधीने कहा कि

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके कुछ ऐसे सदस्य भी है जिनको हिदुस्तानी नही आती।[1]

[गाधीजी] यह अनुरोध ही एक ठोस कारण है कि मुझे काग्रेसको क्यो छोड देना चाहिए। (हसी)

जिस सदस्यको लेकर उपयुक्त बात कही गई थी उसने बिना घबराये कहा, "हम चाहते है कि आप काग्रेसमे बने रहे जिससे कि हम हिदी सीख सके।" उत्तरमे गाधीजीने कहा

यदि आप पिछले पन्द्रह वर्षोमे भी हिदी नही सीख पाये है तो इससे म एक बेकार शिक्षक साबित होता हूँ और अब समय आ गया है कि आप अपने शिक्षकका बदल डाले। (हँसी)

इसके पश्चात अग्रेजीमे बोलते हुए गाधीजीने कहा

मैने हिदीमे जो कहा वह यह है कि यदि मै काग्रेससे अवकाश ग्रहण करता हू तो मै चाहूँगा कि यदि सम्भव हो तो इसमे मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। मै आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा मै तैशमे आकर नही कर रहा हूँ और काग्रेसस बाहर जानेकी मेरी तीव्र इच्छा इसलिए है ताकि काग्रेस फूले-फले तथा वह अपनी पूरे ओर स्वाभाविक विकासकी चरम सीमाको प्राप्त करे। इस समय किसी-न किसी प्रकारसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी उपस्थितिसे काग्रेस दब सी रही है, और यह भी कि काग्रेस अपने विचारोको स्वाभाविक रूपसे अभिव्यक्त नही कर रही है। अतएव यह एक कृत्रिम सस्था बन गई है। किसी भी सस्था अथवा राष्ट्रके लिए इससे बढकर नुकसानदेह चीज और कोई नही हो सकती कि वह अपना दमन होने दे, फिर चाहे ऐसा वह प्रेमकी खातिर ही क्यो न करे? तब यह प्रेम, प्रेम नही रह जाता और अगर यह प्रेम है भी तो यह दमनकारी प्रेम है। इसलिए प्रेमकी इस अतिशयताको निकाल बाहर करना चाहिए।

मेरी स्थितिको ही ले। मुझे काग्रेससे अवकाश ग्रहण करना चाहिए, यह बात मै पिछले कई दिनोसे नही बल्कि पिछले कई महीनोसे अनुभव कर रहा था। कुछ हलकोमे यह जो बात कही जाती है कि मेरे अवकाश ग्रहण करनेकी तीव्र इच्छाके पीछे पडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गये पत्रोका हाथ है, मै चाहता हूँ कि आप इस विचारको अपने मनसे निकाल दे। इन पत्रोके कारण मैने अपना यह निणय शायद जल्दी भले ही किया हो, लेकिन मेरे निर्णयमे उन पत्रोकी इससे ज्यादा कोई जिम्मेदारी नही है। और मैने अपनी इस भावनाको बगालमे अपने मित्रोके सम्मुख व्यक्त किया था। मैने डा० राय और अन्य लोगोको रेलवे स्टेशनपर बताया था कि यदि हम लोग कृत्रिमतासे, भ्रष्टाचारसे और आपसमे झगडनेकी तीव्र इच्छासे छुटकारा नही पा सकते और यदि हम इन चीजोसे अपने आपको मुक्त नही कर पाते तो मुझे काग्रेससे अलग हो जाना चाहिए। आप देखेगे कि मैने इस आशयके

१ इसके आगेका अश **हिन्दू** से लिया गया है।

विचार बगालसे पहले अन्यत्र भी व्यक्त किये है। यह विचार मेरे मनमे दिन-प्रतिदिन जोर पकडता जा रहा था और एक समय ऐसा आया जब म उसे रोक नही सका। यह है मेरे काग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेके निणयका इतिहास।

काग्रेसके कायको छोड देनेकी अथवा कमक्षेत्रसे भाग खडे होनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नही हे। म काग्रेसका त्याग उसे उस बोझसे मुक्त करनेके लिए कर रहा हूँ जिसके नीचे वह दबी जा रही थी, ओर इसलिए भी कि काग्रस अपना विकास कर सके ओर मै स्वय अपना विकास कर सकू। आखिरकार, मै आपसे यह बात नही छिपा सकता कि मै अहिसाकी शक्ति का — मन, वचन, ओर कमसे अहिसा, शुद्ध अहिसाका — विकास करनेके लिए काग्रेसको छोड रहा हूँ। मैंने 'सविनय अवज्ञा' शब्द दूसरासे लिया लकिन उसके अथका विस्तार मैंने 'सविनय प्रतिराध' कहकर किया। मुझे तनिक भी सन्देह नही कि हम सविनय प्रतिराधके बिना पूण स्वराज्य नही प्राप्त कर सकते। जबतक मुझे इस बातका यकीन नही हो जाता कि सविनय प्रतिरोधकी यह भावना न केवल मुझ जैसे इक्का-दुक्का व्यक्तियामे, अथवा हम जैसे हजार लोगोमे, बल्कि यह भावना सारे समाजमे व्याप्त है तबतक हम सविनय प्रतिराध-आन्दोलन नही छेड सकते।

श्री गाधीने आगे कहा कि मनुष्य स्वभावसे ही अहिसा प्रेमी होता है और मेरे अनुसन्धानो और प्रयोगोसे इस तथ्यकी पुष्टि हुई है।

मुझे स्पष्ट रूपसे आपके सामने यह स्वीकार करना हागा कि मै किन्ही लोगो को स्वतन्त्रता प्रदान करनेके तथाकथित सवैधानिक साधनोमे विश्वास नही करता। मै ऐसी किसी भी ऐतिहासिक घटनाके बारेमे नही जानता जिसमे शुद्ध सवधानिक आन्दोलन द्वारा — जसाकि उसके बारेमे हमे बताया गया हे ओर जिस रूपमे उसका वणन हमे किताबोमे पढनेको मिलता हे — किसी राष्ट्रने स्वाधीनता प्राप्त की हो। मै सब राष्ट्रोका इतिहास जाननेका दावा नही कर सकता। मुझमे इतिहास बोध भी नही है। लेकिन मै जितना-कुछ जानता हूँ उसपर से मै कह सकता हूँ कि किसी भी राष्ट्रने खोई हुई स्वतन्त्रता कभी भी सवैधानिक आन्दोलन द्वारा प्राप्त नही की है। यह सवथा असम्भव हे। यह कोई उपहार नही हे जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको अथवा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तिको दे सकता हो।

श्री गाधीने कहा कि [काग्रेस सविधानमें] मन, वचन और कमसे अहिसाकी जो बात कही गई वह मात्र सयोग नहीं है, बल्कि अहमदाबादमे हुए काग्रेस अधिवेशनमे[1] लम्बी चौडी बहसके बाद, जिसकी शुरुआत हसरत मोहानीने की थी, इसे स्वीकार किया गया था। श्री गाधीने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा

मैंने सविनय प्रतिरोधको चरखे और अपने अन्य कार्योंके साथ जोड दिया। मै इन सबको एक मानता हूँ। मैंने कहा हे कि हिन्दू-मुस्लिम एकता आवश्यक है, राजनीतिज्ञ लोग जैसे-तैसे समझौता करके एकताका जो दिखावा करते है वैसी एकता नही, बल्कि एक वास्तविक और जीवन्त एकता आवश्यक हे।

१ दिसम्बर, १९२१ में, देखिए खण्ड २२, पृ० १०२३ तथा ११३५।

श्री गाधीने कहा कि जसे डूबते हुए मनुष्यको तिनकेका सहारा होता है वसे ही म भी पहले सविनय अवज्ञा-आन्दोलन आरम्भ करनेके लिए सहमत हो गया था। उन्होने कहा

मैने सोचा कि यदि आन्दोलन गलत साबित हुआ तो मै आप लोगोकी नाराजगीका खतरा उठाकर भी उसे वापस ले लूगा। मै तो केवल प्रयोग करनेकी खातिर इन सब कार्योमे घुस पडा, लेकिन यदि हमे प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध करके दिखाना हे तो हमे स्वीकार करना हागा कि हमारा सविनय प्रतिरोध मन, वचन ओर कमसे अहिसक नही था। सविनय अवज्ञा-आन्दोलन तबतक शुरू नही किया जा सकता जबतक उसके लिए अनकूल वातावरण न हो। ओर यदि मै काग्रेसमे बना रहता हूँ तो ऐसा करके मै अपनेको आपके ऊपर थोप रहा होऊँगा। आप कह सकते है कि म अपनेको आपपर नही थोप रहा हूँ, लेकिन मेरा खयाल है कि मै ऐसा कर रहा हूँ। इसलिए बेहतर हे कि मै काग्रेससे अवकाश ले लू। लेकिन यदि आप यह सिद्ध कर दिखाते है कि आप अहिसक ह तब चाहे मै हिमालयके शिखरपर होऊँ अथवा भूमिके गभमे पेठ गया होऊँ, मै आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊँगा ओर आपको आपके गन्तव्य की ओर ले जाऊँगा, ओर तब हम बिना किसी विघ्न बाधाके आगे बढते जायेगे। यदि हम मन, वचन ओर कमसे अहिसक होते तो अध्यादेशके जरिये शासन चलाना असम्भव हो गया होता।

चरखा, हिन्दू-मुस्लिम एकता ओर अस्पश्यता निवारण, इन तीन बुनियादी सिद्धान्तोके सम्ब धमे म अपने विचार नही बदल सकता, इन सिद्धान्तोके बिना न ता आप अहिसाके सिद्धान्तका समझ सकते है ओर न काग्रेसको लाभ ओर स्वाथसे मुक्त ही कर सकते है। ये आधारभूत तथ्य जो हमारे धमके अग है, हमारे लिए सहज होने चाहिए। मुझसे कहा जा सकता हे कि मै मानव स्वभावसे बहुत अधिककी अपक्षा करता हूँ। ऐसा हो सकता हे। लेकिन इससे यह सिद्ध नही होता कि इस सस्थामे बने रहना यदि मै सम्भव पाता हूँ, तो यह भी गलत हे।

खान अब्दुल गफ्फार खाने मुझसे कहा कि हजारीबागमे ही व इस निश्चय पर पहुँच गये थे कि मुझे काग्रेससे अवकाश ले लेना चाहिए और मेरे साथ उन्हे [अर्थात अब्दुल गफ्फार खाको] भी। मैने उनसे कहा कि "यदि आप एक सिपाही है तो आपको अपने पदपर बने रहना चाहिए और इसके बावजूद कि एक ऐसे प्रदेश के रहनेवाले है जहा के लोग हिसाके वातावरणमे ही पले है, आपको देशको उस बिन्दुतक ले जानेकी कोशिश करनी चाहिए जिस बिन्दुतक आप खुद पहुँच चुके है।" इसलिए मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने आशीर्वादके साथ काग्रेससे जाने दे और मुझसे इस तरहकी अपील न करे कि "यदि आप [काग्रेसमे] बने रहेगे तो हम यह करेगे या वह करेगे'। मै नही चाहता कि आप मुझे सौदेके रूपमे कुछ दे। मै सौदेकी भावनासे नही आया हूँ। मै काय-समितिसे सघर्ष करता रहा हूँ जिसके अधिकाश सदस्य इस पक्षमे है कि मुझे आशीर्वादके साथ काग्रेससे बाहर जाने दिया जाये। काय समितिमे ऐसा तगडा अल्पमत भी है जो यह जिद कर रहा

हं कि मुझे कांग्रेससे नही जाना चाहिए, हालांकि वे लोग भी इस निश्चयपर पहुँच गये ह कि उनक तर्कोको सुननेके बाद भी यदि मुझे लगे कि मै अपने निश्चयको नही बदल सकता तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। मुझे मात्र बलसे, यहाँतक कि प्रेम बलसे भी नही रोका जाना चाहिए। मेरी बुद्धि और मेरा विश्वास मुझसे जो करनेको कहे, मुझे वही करना होगा।

दूसरी बात तीन महत्त्वपूण सशोधनोके सम्बन्धमे है। काय समितिके सदस्य उन तीनो सशोधनोकी आवश्यकताके बारेमे इस हदतक कायल हो गये ह कि थोडी ही देरमे वे उन्हे आपके सम्मुख रखनेवाले है बावजूद इसके कि आपका आशीर्वाद मिलनेके तुरन्त बाद म [illegible] अन्तमे कांग्रेससे अवकाश ले लूगा।

इसके बाद श्री गाधीने सदस्योसे प्रश्न पूछनेके लिए कहा।[1]

महात्माजीने सदस्योसे कहा कि वे किसी प्रकारके भाषण न दे। उन्होने कहा कि म आपको अपने विचार व्यक्त करनेके लिए केवल २० मिनट दूगा।

आप मुझे २० मिनटके लिए तानाशाह बनने दे। (हँसी)

एक प्रश्नके उत्तरमें महात्माजीने कहा कि कोलम्बसकी तरह म भी एक ऐसे साधनकी खोजमे कांग्रेससे बाहर जाऊँगा जिसके द्वारा म आपको अहिसक सविनय प्रतिरोधके महत्त्वके बारेमे यकीन दिला सकूगा तथा अन्य खोजकर्त्ताओकी तरह अपनी खोजको लेकर विजयपूवक आपके पास वापस चला आऊँगा।[2]

श्री श्रीप्रकाशने कहा कि आपने कहा है कि आपके इस निणयके लिए कांग्रेसमें होनेवाले झगडे और कलह जिम्मेदार ह।

श्री गाधी नही मैने तो यह कहा हे कि मै कांग्रेसके लिए बोझ बन गया हूँ।

श्री श्रीप्रकाशने गाधीजीसे अपील की कि आप कांग्रेस-सगठनको सुव्यवस्थित बनानेमें हमारी मदद करे।[3]

श्री श्रीप्रकाशने जसे ही अपना भाषण समाप्त किया वसे ही एक घटेका समय भी खत्म हो गया और पण्डित मालवीय ने सभामें बोलनेकी इच्छा व्यक्त की। गाधीजीने कहा कि यद्यपि समय खत्म हो गया है, तथापि यदि पण्डितजी बोलना चाहे तो दुनियाकी कोई ताकत उन्हे ऐसा करनेसे रोक नहीं सकती।[4]

पण्डित मालवीय ने आवेगपूण शब्दोमें गाधीजीसे अपील की कि वे ऐसे समयमें कांग्रेसका त्याग न करे, जबकि वह देशकी स्वतन्त्रताकी लडाई लड रही है। उन्होने कहा कि यदि गाधीजीको कांग्रेसजनोमे दोष अथवा कमिया दिखाई देती हो तो गाधीजीको उन्हे बताना चाहिए और उनकी इन कमजोरियोको दूर करना चाहिए। लेकिन उन्हे कांग्रेससे अलग होनेका कारण नहीं बनाना चाहिए। १३ अथवा १४

१ इसके बादके तीन अनुच्छेद **बॉम्बे क्रॉनिकल** से लिये गये है।
२ इसके बादके तीन अनुच्छेद **हिन्दू** से लिये गये है।
३ इसके बादका अनुच्छेद **बॉम्बे क्रानिकल** से लिया गया है।
४ इसके बादका अनुच्छेद **हिन्दू** से लिया गया है।

वर्षोंतक कांग्रेसका नेतृत्व करनेके बाद अब उन्हे उसका त्याग करनेका कोई अधिकार नही है। "आप कांग्रेससे बाहर रहकर जो करना चाहते है वह आप कांग्रेसमे रहकर भी कर सकते है।" इसके बाद आगे बोलते हुए पण्डित मालवीयने कहा, "आप कांग्रेससे जितनी दूर जायेंगे, देशके लिए यह उतने ही दुःखकी बात होगी"। उन्होंने गांधीजीसे अनुरोध किया कि वे जनतासे सत्य और अहिंसाका पालन करानेके मामलेमे वसी सख्ती न बरते जैसीकि वह अपने स्वयके मामलेमें करते है। "आपके पास एक पूरा मन्त्रिमडल है। आपके सिपाही लडाईमे आपका साथ देनेको तैयार है। आप इन सबको इनके हालपर छोडकर कांग्रेससे बाहर क्यो जाना चाहते है? आपके प्रति मेरे मनमे जो प्रेम और आदर है, उस सबकी शक्ति लगाकर मै आपसे निजी तौरपर अपील करता हूँ कि आप ऐसे समयमें कांग्रेसको छोडकर न जाये।"[१]

गांधीजीने, भाषणकर्त्ताओ द्वारा उठाये गये प्रश्नोका उत्तर देते हुए कहा कि मैं १९१५ से पण्डित मदनमोहन मालवीयको अपने बडे भाईके समान मानता आया हूँ। यदि म पण्डितजीकी इच्छाका पालन कर सकता तो उनकी इच्छाको बडे भाईका आदेश समझकर उसका पालन करनेमें मुझे निःसन्देह बहुत खुशी होती। लेकिन परिस्थितियोको देखते हुए कांग्रेससे अलग होनेके अलावा मेरे पास और कोई चारा नही है। म कांग्रेस सगठनको छोड रहा हूँ, क्योकि मै उसे मजबूत बनाना चाहता हूँ।

गांधीजीने कहा कि म शान्ति पानेके लिए कांग्रेससे बाहर जा रहा हूँ। म इसलिए बाहर जा रहा हूँ ताकि मै अपने अन्दर कांग्रेस और देशकी सेवा करनेकी शक्ति पैदा कर सकू। उन्होने कहा

आज मे महसूस करता हूँ कि मैं आपको अपना दृष्टिकोण समझानेकी शक्ति खो बैठा हूँ। मै असहाय हो गया हूँ। और जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो बैठा हो उसे किसी सस्थाका प्रधान बनाये रखना बेकार है। आपने ऐसा कुछ नही कहा है जिसके कारण मै अपने निश्चयपर पुनर्विचार करूँ। मै नही समझता कि ऐसा करके मैं जल्दबाजीसे काम ले रहा हूँ लेकिन आप निश्चित रहे, यदि मै कांग्रेससे बाहर चला भी जाऊँ तब भी मै कांग्रेसका विनीत सेवक रहूँगा।

श्री गांधीने कहा कि मुझे कांग्रेससे अलग होनेकी इजाजत देकर आपको दोहरा लाभ होगा, क्योकि इस तरह जब भी आपको जरूरत होगी तब आप मेरी सेवाएँ ले सकेंगे और इसके साथ ही आपको आजकी तरह उनका कोई मूल्य भी नही चुकाना पडेगा।[२]

यदि किसी प्रश्नपर मुझसे अपनी राय देनेके लिए कहा जायेगा तो म निश्चय ही दूंगा। इस समय तो मेरे कांग्रेस छोडनेके पीछे मुख्य विचार ही यह है कि म कांग्रेसका काम करूँ।

१ इसके बादका अनुच्छेद **बॉम्बे क्रॉनिकल** से लिया गया है।

२ अगला अनुच्छेद **बॉम्बे क्रॉनिकल** से लिया गया है।

बीचमे रोकते हुए पण्डित मालवीयने कहा कि पर्याप्त पूव सूचना दिये बिना इस तरह महात्मा गाधीका काग्रेससे अलग होना उचित नही है। प्रत्येक सेवकका, चाहे वह वतनिक हो अथवा अवतनिक, यह कत्तव्य है कि उसे जो काम सौपा गया है उससे अवकाश लेनेसे पहले उसे पर्याप्त पूव सूचना देनी चाहिए। उन्होने कहा, "आप १४ वषतक काग्रेसके प्रधान रहे ह। आप उससे अवकाश ग्रहण करनेमें जल्दबाजी न करे। आप इन लोगोको (काग्रेसजनोको) उनके सामने पुनसंगठन करनेका जो महान काय है उसका उचित बन्दोबस्त करनेका समय दे। उन्हे आप यदि ज्यादा नहीं तो कमसे कम चार अथवा छ महीनेका समय अवश्य दें।"

गाधीजी पर जल्दबाजी करनेका जो आरोप लगाया गया, उसका उत्तर देते हुए उन्होने कहा कि म एक सिपाही हूँ और अपने कत्तव्यको भलीभाति जानता हूँ। सत्याग्रहीका पहला कत्तव्य यह हे कि वह अपनी जगहपर डटा रहे। म समझता हूँ कि म अपने कत्तव्य-स्थलसे हट नही रहा हूँ। और अगर कभी मने यह महसूस किया कि काग्रेसका त्याग करनेमे मने भूल की हे तो मै बुलावेकी प्रतीक्षा किये बिना वापस चला आऊँगा।

लेकिन वत्तमान स्थिति यह है कि मै पूरी तरहसे असहाय हूँ। मेरा दिमाग काम नही करता। मै ऐसा मूख सेनापति नही हूँ कि यह महसूस करनेके बावजूद कि मेरे प्रधान-पदपर बने रहनेसे कोई लाभ नही होगा उस पदपर बना रहूँ।

एक ऐसे व्यक्तिसे, जिसने बारडोलीके बारेमे[1] भारतके गवनर जनरल लाड रीडिगको अल्टीमेटम दिया था, रणक्षेत्रसे भाग खडे होनेकी अपेक्षा नही की जा सकती।[2]

उन्होने कहा कि जबतक कि कोई चमत्कार ही न हो, तबतक मेरे लिए काग्रेसका नेतत्व भार सँभाले रहनेकी कोई सम्भावना नही है। म आशा करता हूँ कि ईश्वर मुझे और काग्रेसियोको शक्ति प्रदान करेगा जिससे हम जल्दी ही एक दूसरेसे फिर मिल सके।

इसके बाद श्री गाधीने कहा कि जहातक मेरे अवकाश लेनेसे काग्रेस ससदीय बोडमें कठिनाइया उठ खडी होनेका सवाल हे, म नही समझता कि ऐसी कोई बात होगी।

मुझे पूरा यकीन है कि आगामी चुनावोमे आप एक भी वोट नही खायेगे। यदि मुझे इस बातकी आशका होती कि मेरे अवकाश लेनेसे काग्रेसके कामको नुकसान पहुँचेगा तो मैं अवकाश नही लेता। मै अन्तमे आपसे अपील करता हूँ कि आप मुझे जानेकी इजाजत दे और मुझे उसी प्रकार सहन करे जिस प्रकार कोई कुटुम्ब खुशी खुशी अपने किसी असहाय सदस्यको सहन करता हे।

[अग्रेजीसे]

बाम्बे क्रानिकल, २८-१०-१९३४, और **हिन्दू**, २४-१० १९३४

१ १९२२ म, देखिए खण्ड २२ पृ० ३१७२०।

२ यह और इससे अगला अनुच्छेद **बॉम्बे क्रानिकल** से लिये गये है।

२६४ पत्र हीरालाल शर्माको

बम्बई
२४ अक्टबर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा लम्बा खत पढा दुःख हुआ और सुख भी हुआ। दुःख हुआ क्योंकी खत तुमारी अशांतिका अच्छा प्रदर्शन है। सुख हुआ क्योंकि तुमारा हृदयमें मैं स्वच्छता पाता हूं। लेकिन मुझे शक है कि तुम अपनेको दबा रहे हो। शक्ति बाहर जाकर काम कर रहे हो यह अच्छा नहीं लगता है। तुमारा दिल मेरे पास पाता हूं। तुमारा दीमाग लडाई कर रहा है। मेरी बुद्धिमत्ता के बारेमें तुमको शक है। मेरे साथीओंकी ओर तुम शककी नजरसे देख रहे हो। ऐसी हालतमें मैं तुमको कैसे शांति दे सकता हूं। मैं यह भी महसूस करता हूं कि द्रोपदीका वियोग तुमारे लिये दुःखद है। अगर तुमारे खुर्जा जानेकी कोई जरूरत है तो अवश्य जाओ। नरहरि भाईसे पैसे लेना। अगर नहिं जाना हो तो वहीं रहो। सुरेंद्रकी प्रतीक्षा करो। उसको मिलनेके बाद आ जाओ।

किसी हालतमें शांत रहो।

मुझे दूसरा खत लिखो। यहां सोमवार तक तो हूं।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११० १ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

२६५ भाषण अ० भा० का० क० की विषय-समितिमें[1]

२४ अक्टूबर, १९३४

चूंकि आज सारे देशमें कांग्रेसियोंकी मददसे और उनकी मददके बिना भी स्वदेशीका काम आगे बढानेका दावा करनेवाले अनेक संगठन उठ खडे हुए हैं इसलिए, और चूंकि स्वदेशीके स्वरूप को लेकर जनताके मनमें अनेक शंकाएं उठ खडी हुई हैं इसलिए और चूंकि कांग्रेसका उद्देश्य, उसके स्थापनाके समयसे ही, आम वर्गके साथ आत्मीयता बढानेका रहा है और चूंकि ग्राम पुनर्गठन तथा नवनिर्माण कांग्रेसके रचनात्मक

१ अध्यक्ष डॉ० राजेंद्रप्रसादके अनुरोधपर गांधीजीने समितिके सम्मुख अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके बारेमें प्रस्ताव पेश किया था।

कायक्रमका एक अग हैं, और चूकि ऐसे नवनिर्माणमे मुख्य उद्योग हाथ कताइके अतिरिक्त नष्ट अथवा नष्टप्राय ग्रामोद्योगोका पुनरुज्जीवित करने और उहे उत्तेजन प्रदान करनेकी बात भी शामिल है तथा चूकि हाथ कताईके पुनगठनकी तरह यह काम भी तभी किया जा सकता हे जब वह काग्रेसकी राजनैतिक प्रवत्तियोसे अलिप्त और स्वतत्र रहे और उसके लिए एकाग्रतापूवक विशेष प्रयत्न किया जाये, इसलिए इस प्रस्तावके द्वारा श्री जे० सी० कुमारप्पाको काग्रेसकी प्रवत्तियोके एक अगके रूपमे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग नामक एक सघकी स्थापना करनेकी सत्ता दी जाती है। श्री कुमारप्पा अपना यह काय गाधीजीकी सलाहसे और उनकी देखरेखमे करेगे।[1]

यह सघ उपरिलिखित उद्योगाके पुनरुद्धार और उहे उत्तेजन प्रदान करनेके लिए तथा गावोकी नैतिक और भौतिक प्रगतिके लिए प्रयास करेगा तथा उसे अपना सविधान गढनेकी चदा इकट्ठा करनेकी तथा अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए जो भी करना जरूरी हो वह सब करनेकी सत्ता होगी।

समितिकी बठकमे प्रस्ताव पर बोलते हुए गाधीजीने कहा[2]

इस वष जब मै हरिजन यात्रा कर रहा था उस समय अनेक लोगोने मेरे पास आकर अपनी मुसीबतोका वणन किया। इस यात्रामे मैने जितना भ्रमण किया उतना कभी नही किया, और उत्कलमे तो मैने पद यात्रा की थी, इसलिए असाधारण अनुभव मिला। हमारे सात लाख गावोमें बेकारीका पार नही है, लोग खेतीपर जीते हैं, लाखा लोगोको खेतीमे नुकसान होता हे और आज जो स्थिति है उसके बारेमे तो कहा ही क्या जाये? आज तो किसान जितना बोते है उतना भी पैदा नही करते। आज हमारे यहा जैसी गरीबी है वैसी अयत्र कही नही है। लोगोने जो लाखो रुपयेका सोना निकाल डाला है उसका एक कारण यह भी हे। इसके राजनैतिक कारण तो ह ही, लेकिन लोगोकी लाचारी भी एक कारण था। इस बेकारीमे से ही चरखेकी उत्पत्ति हुई हे। हिदुस्तानके अलावा ससारमे एक भी ऐसा देश नही हे जहा लोग केवल खेतीपर ही निभर करते ह। मधुसूदन दासने कहा हे कि गाववालोको अतिरिक्त धधा मिलना ही चाहिए। उहोने जमनी जाकर चमडेका धधा सीख लिया था। उनका एक वाक्य मुझे याद रह गया है कि हमेशा बैलोके साथ काम करनेवाले की बुद्धि भी बैल जैसी होती है। हमारे किसानोके पास ऐसा कोई धधा नही रह गया, इसीलिए उनमे जडता आ गई।

एक भाई मुझे सोशलिस्टोका एक समाचारपत्र दे गये थे। उसमे एक सुदर लेख है। उसमे लिखा हे कि हिदुस्तानके लोग पशुवत हो गये है। दस वष पूव देशमे अनेक उद्योग थे लेकिन उसके बदले आज लोग केवल खेतीपर ही निभर रहने लगे है और इससे बेकारी अनेक गुना बढ गई हे। मैने तो उस लेखसे यह सार निकाला कि इस बेकारीका कोई उपाय होना चाहिए। और वह उपाय क्या हो सकता है, इसका विचार करते हुए मेरे सामने स्वदेशीका शुद्ध स्वरूप उभर आया।

१ देखिए पृ० १९४।

२ इसके बादका अंश गुजरातीके **हरिजनबन्धु** से लिया गया है।

केवल खादी से हम २,२०,००० कातनेवालोंको काम देते हैं। हम इन्हें दस वर्षोंमें पौन करोड रुपया दे चुके हैं। इस कामकी देखरेखके लिए मध्यमवर्गके १,१०० लोग हैं, जिन्हें इसमें से रोटी मिलती है। हमने उपर्युक्त रकम इन लोगोंकी मार्फत वितरित की है। यह काम ५ ६ हजार गावोंमें चल रहा है और इसमें २० लाखसे ज्यादा पूजी नही लगी हुई है।

लेकिन इतनेसे ही हिन्दुस्तानकी सारी बेकारी दूर नही हो सकती। मैं बढईकी बात करता हूँ। हमारे यहाके बढई किसी समय अच्छे कारीगर हुआ करते थे। आज उन्हें यह कारीगरी नही आती। आज तो गावोंके बढई चरखातक भी नही बना सकते। बिहारकी ही बात करूँ — वहा खेतोंमें रेतके ढेर जम गये हैं और खेती करना असम्भव हो गया है। वहाके भूखसे मर रहे लोगोंके लिए मैंने भिक्षान्न न देकर काम करानेके लिए चरखा देना तय किया। लेकिन चरखे कहासे लाये जाये? वहाके बढई तो शायद ही बना पाते।

हमारे देशमें शहरोंमें तो केवल तीन करोडकी ही आबादी है। बाकीके बत्तीस करोड तो दस हजारसे कम आबादीवाले गावोंमें रहते हैं। उनका हमने कभी खयाल ही नही किया। वे लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या धन्धा करते हैं, इसका कुछ विचार न कर हम उनके कन्धोंपर चढ बैठे हैं। मैं आपसे इन लोगोंके लिए चरखा चलानेके लिए कहता हूँ लेकिन वह भी आपको अच्छा नही लगता। अभी तो चरखा सघ इन लोगोंको चरखा पहुँचाता है, लेकिन तदुपरान्त जो काम बाकी रह जायेगा सो यह नया सघ करेगा। चरखेके अलावा घर बैठे अन्य जो धन्धे लोग कर सकते है उनकी खोज यह सघ करेगा। और जिन उद्योगोंका पुनरुद्धार हो सकता हो उनका पुनरुद्धार करेगा। जो वस्तुएँ बन सकती होंगी वे और अधिक अच्छी कैसे बन सकती हैं, उसके उपाय करेगा और अन्य नई चीजोंकी खोज करेगा। इस कार्यके द्वारा वह गरीब लोगोंकी जेबमें कुछ अधिक रुपया पहुँचायेगा। चरखेके सम्बन्धमें मुझे जितनी अपेक्षा थी उतनी दिलचस्पी आपने नही दिखाई। विदेशी कपडेके कारण जो साठ करोड रुपया विदेश जाता है उसे चरखे और खादीके द्वारा बचा लेनेकी मेरी जो कल्पना थी, वह फलीभूत न हो सकी।[1]

[श्री गाधीने कहा कि] मेरे सुझावका यह अर्थ नहीं कि आप लोग अपना धन गाववालोंको उपहारमें दे दें। मेरे कहनेका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अन्य चीजोंपर पैसा खर्च करनेकी बजाय आप लोगोंको ग्रामीणों द्वारा तैयार की हुई चीजें ही खरीदनी चाहिए। इस तरह आपका पैसा हिन्दुस्तानमें ही रहेगा और गाव वालोंमें करोडों रुपया बँट जायेगा। आप लोग प्रस्तावके गुण दोषके आधारपर वोट दें, यह सोचकर नही कि प्रस्तावके पक्षमें आपके वोट देनेसे कदाचित म काग्रेससे बाहर नही जाऊँगा। मेरे काग्रेससे अवकाश लेनेके विषयपर यदि अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमति देंगे, तो श्री सिधवाको और क्या कहना है, मैं वह सुनना चाहूँगा।

१ आगेके दो अनुच्छेद **हिन्दू** से लिये गये है।

श्री गाधीने आगे बोलते हुए यह बात भी स्पष्ट कर दी कि सघकी स्थापनाका उद्देश्य यह नही हे कि म इसके द्वारा जनताम राजनतिक जागति लाना चाहता हूँ। उ होने कहा, जिस तरह मने चरखा-सघके सदस्योसे काग्रेसमें शामिल होनेके लिए नही कहा है उसी तरह म इस कामके दौरान काग्रेसके नामका जिक्रतक भी नही करना चाहता। तथापि, मेरी दष्टिमें राजनतिक जागतिका एक भिन्न अथ है। यदि सघ गॉवोमे उद्योगोका पुनरुद्धार करनेके कायमे और काम करनेके वत्तमान तरीकोमें सुधार करनेमे सफल होता है तो इससे लोगोमें पर्याप्त राजनीतिक चेतना आ जायेगी।[1]

इस सघका काग्रेसके साथ वैसा ही सम्ब ध रहेगा जैसा चरखा सघका हे। चरखा सघको शकरलाल, जमनालालजी आदि चलाते ह तथापि काग्रेस उसके कामकी जॉच कर सकती है। कुमारप्पा तो काग्रेसके ही व्यक्ति है। वे इस समय बिहारमे हमारे लाखो रुपयोका हिसाब-किताब रखते है। सरकारने हि दुस्तानपर जो देयता थोप रखी है उसकी जाच करनेके लिए काग्रेसने जो समिति नियुक्त की थी, कुमारप्पा उस समितिके म त्री थे। कुमारप्पा 'चाटड एकाउटेट' ह। उन्होने भारी त्याग किया है। उनके मनमे पैसेकी कोई लालसा नही हे। उ हे ऐसे कार्योमे दिलचस्पी हे। मैने उनके साथ बातचीत की है और उ होने मेरी देखरेखमे इस कामको करना मजूर किया है।

मै इस कायको राजनीतिक दष्टिसे नही करना चाहता, बल्कि इसलिए करना चाहता हूँ ताकि गरीब गाववालोको दो पैसे मिल सके। इसीसे मै इसे राजनीतिसे दूर रखना चाहता हूँ। आपको जानकर आश्चय होगा कि जिन दो लाख बीस हजार कातनेवालो, बीस हजार पीजनेवालो और बीस हजार बुनकरोको चरखा-सघ काम देता है उनमे से एक भी काग्रेसका सदस्य नही है। काग्रेसके सविधानमे सूत मताधिकार भी है, इसलिए यदि वे चाहे तो सदस्य बन सकते ह, लेकिन हमने इसके लिए प्रयत्न ही नही किया। वे सदस्य न हो तब भी वे कोई हमारी राजनीतिक गतिविधियोसे अपरिचित नही रहनेवाले है। लेकिन उ हे जानना चाहिए कि हम तो उनके पास सेवाथ गये है राजनीतिमे उनका उपयोग कर लेनेके विचारसे उनके पास नही गये है। इस प्रस्तावसे काग्रेसके सिरपर पैसेकी जवाबदेही नही आती इसमे तो काग्रेसका केवल नाम चाहिए। यह बात यदि आपको पसन्द हो तो आप इस प्रस्तावके पक्षमे अपना मत दे।[2]

प्रस्तावपर चर्चाके दौरान उठाये गये प्रश्नोका उत्तर देते हुए गाधीजीने कहा कि प्रथम सशोधनमें 'नष्ट अथवा नष्टप्राय' शब्दोको निकाल दिये जानेकी बात कही गई है और दूसरे सशोधनमें कुछ अ य शब्द रखे जानेकी बात कही गई

१ इसके बादका अश गुजरातीके **हरिजनबन्धु** से लिया गया है।

२ खान अब्दुल गफ्फार खा ने प्रस्तावका अनुमोदन किया। इसके बादका अश **बाम्बे क्रानिकल** की रिपोर्टसे लिया गया है।

है।[1] संघका काय उन उद्योगोका पुनरुद्धार करना है जो नष्ट हो चुके ह। और यह निश्चय करना संघका काम ह कि किन उद्योगोका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए, और किन उद्योगोको नष्ट होने दिया जाना चाहिए। इस प्रस्तावका उद्देश्य ग्रामोद्योगो के पुनरुद्धारके द्वारा गावोको केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना ही नही है, बल्कि भौतिक और नतिक दृष्टिसे भी उनका विकास करना हे। इस प्रस्तावको पेश करनेवालोकाऽ उद्देश्य गाववालो से अपना स्वाथ सिद्ध करना नही हे, वे लोग तो उनकी मदद करना चाहते ह।

काग्रेस किसीकी एजेंट बनकर गाववालोके पास नही जायेगी। काग्रेसका मशा तो यह पता लगाना हे कि लोग, यदि वे काम करते ह तो, अठारह घटे क्यो काम करते ह। मेरी इच्छा तो यह है कि किसी व्यक्तिको नौ घटेसे अधिक काम नही करना चाहिए और यह गाववालोकी कमानेकी क्षमताको बढाकर किया जा सकता हे। इसके लिए मुझे उन लोगोकी मददकी जरूरत हे जो अपेक्षाकृत सम्पन्न ह और जो गाववालो द्वारा तयार किये गये मालको खरीदकर उनके लिए थोडा अधिक त्याग कर सकते ह। आज स्थिति यह है कि अगर वे अठारह घटे काम करे तो भी वे गुजारे लायक नहीं कमा सकते। यह सब तभी सम्भव है जब म तथा सघके अन्य सदस्य गाववालोके पास जायेगे, उनसे मिलेगे-जुलेगे और उनका विश्वास प्राप्त करेगे।

अपने भाषणको जारी रखते हुए गाधीजीने कहा कि मेरी रिपोटमे, जो भविष्यमें काग्रेसके सम्मुख रखी जायेगी, यह बताया जायेगा कि जब मैंने इस कायको हाथमे लिया था उस समय ग्रामोद्योगोकी क्या स्थिति थी और इतने दिनोमें उनमे कितनी प्रगति हुई है। हिन्दुस्तानके सात लाख गावोमे ऐसे कायके लिए जरूरी है कि आचाय कृपालानी और डा० रायके जसे लोग और उनके हिमायती परस्पर मिलकर काम करे।

श्री मजूमदारके सशोधन[2]की चर्चा करते हुए गाधीजीने कहा कि म यह देखकर किकत्तव्यविमूढ हो गया कि श्री टी० प्रकाशम जसे व्यक्तिने सशोधनका समथन किया ओर कहा कि चूकि काग्रेसी लोग विधान सभामे जा रहे ह, इसलिए यह काम विधान-सभामे रहकर ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता हे।

गाधीजीने विषय समितिको आश्वासन दिया कि विधान-सभाके सदस्योका कत्तव्य उनके विधान सभामे प्रविष्ट होनेपर ही समाप्त नही हो जाता। उनसे निश्चय ही उद्योग सघके लिए भी काय करनेकी अपेक्षा की जाती है। लेकिन यह अच्छी तरह समझ लिया जाना चाहिए कि सगठनका राजनीतिसे कोई ताल्लुक नही होगा।[3]

१ डॉ० सान्याल अपने दूसरे सशोधनके द्वारा उपयुक्त उद्योग और गाँववालोके नैतिक और भौतिक विकास के स्थानपर ऐसे ग्रामोद्योग जो उचित जाँचके बाद आर्थिक दृष्टिसे प्राणवान दिखाई दें और जिनके द्वारा लोगोको स्थायी रूपसे आर्थिक सहायता मिल सकती है, ये शब्द रखना चाहते थे।

२ बसन्तकुमार मजूमदार यह चाहते थे कि समिति इस बातका निणय करे कि क्या सघकी प्रवृत्तियाँ काग्रेसके क्षेत्रसे बाहर होनी चाहिए।

३ आगेका अनुच्छेद **हिन्दू** से लिया गया है।

यह बताते हुए कि वह सगठनको राजनीतिसे मुक्त क्यो रखना चाहते ह, गाधीजीने कहा कि यदि मने एक ही बारमे दोनो चीजोका करनेकी कोशिश की तो म दोनोमे से एक भी नही कर पाऊँगा।[1]

इस सस्थाको काग्रेसकी राजनीतिसे दूर रखनेके पीछे एक खास उद्देश्य निहित है। राजनतिक स्थिति चाहे कसी भी क्यो न हो, लेकिन यह काम तो चलता ही रहना चाहिए। हम इन लागोके पास जाते ह सो इनकी सेवा करनके भावसे ही जाते ह। इनके कानोमे हम राजनीतिकी बात नही करेगे। हम तो इनके शरीराको स्वस्थ बनानेके लिए, इन्हे रोग मुक्त करनेके लिए, गन्दगीसे मुक्ति दिलानेके लिए, उन्हे उद्योग धन्धेमे लगाकर उनकी बेकारीको दूर करनेके लिए जाते ह। यदि यही हमारा उद्देश्य हे तो इसमे हम राजनीतिको नही घुसा सकते। जिस समय काग्रेसपर प्रतिबन्ध लगाया गया था उस समय भी चरखा सघपर प्रतिबन्ध नही था ओर उसका काम चलता रहा। तथापि, यह काग्रेसकी ही सस्था ह, लेकिन यह सस्था काग्रेसकी राजनीतिक प्रवृत्तिमे दूर रही हे। वसी ही स्थिति इस नये सघकी भी होगी।

कराचीमे मने ऐसी ही बात की थी।[2] उस दिन मेरा विरोध करनेवालोने बादमे मुझसे कहा था कि आपकी बात सच थी। मैने उस समय अस्पश्यता निवारण समिति और मद्य निषेध समितिको काग्रेसकी राजनीतिसे अलग रखनेकी सलाह दी थी। वह सच्ची सलाह थी। एक भाईने कहा कि कुमारप्पा और उनके साथी यह काम करेगे तो फिर काग्रेसियोके लिए क्या काम रह जायेगा? ऐसा तो कुछ भी नही हे। इसमे तो हर उस काग्रेसीके लिए अवकाश रहेगा जिसे इसमे आस्था हे। आज चरखा सघमे १,१०० सेवक काम करते ह, वे सब काग्रेसी ही हैं।[3]

गाधीजीके काग्रेससे बाहर इन सगठनोकी स्थापना करनेके विचारको लेकर कुछ हलकोमें जो शकाएँ व्यक्त की गई थी, उनकी चर्चा करते हुए गाधीजीने कहा कि आपको यह बात नही भूलनी चाहिए कि यदि काग्रेसी लोग स्वय इस पूरी योजनाको कायरूपमे परिणत नही करते तो एक महात्मा और एक अथशास्त्री[4], दोनो मिलकर भी इस दिशामे बहुत कम काम कर पायेगे। हालाँकि बाहरी सहायता भी ली जायेगी, तथापि मुख्य सहायता तो काग्रेसके अनुभवी कायकर्त्ताओसे ही ली जायेगी।

भाई गोविन्द सहायने कहा ह कि मे पुराने युगकी बात करता हूँ। म मशीनका कट्टर दुश्मन हूँ। मेरे लेखोको उन्होने विकृत दष्टिकोणसे पढा हे।[6] मेरे सामने यह

१ इसके बादका अश **हरिजनबन्धु** से लिया गया है।

२ माच १९३१ म।

३ इससे अगला अनुच्छेद **बॉम्बे क्रानिकल** स लिया गया है।

४ अर्थात् श्री जे० सी० कुमारप्पा।

५ अगला अनुच्छेद गुजराती **हरिजनबन्धु** से लिया गया है।

६ गोविन्द सहायका कहना था कि भारतकी आम जनताको आर्थिक स्वतन्त्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब उसे यह बताया और समझाया जाये कि उसका शोषण किन कारणोसे किया जाता है। उन्होने अनुरोध किया कि गाधीजी अपने तरीके और अपना कायक्रम बदल दें।

जो चरखा हे क्या वह यन्त्र नही है? हमे यन्त्रोकी तो जरूरत हे। लेकिन हमे इनका गुलाम नही बनना चाहिए, बल्कि उन्हे हमारा गुलाम होना चाहिए। 'हमारा' अर्थात् गरीबोका, धनिकोका नही। अमीरोसे पैसेकी मदद मै गरीबोके लिए लेता हूँ। लेकिन यदि कोई मिल-मालिक अथवा कोइ लोहके कारखानेका मालिक मुझे पाच हजार रुपया देता है तो भी क्या म उनकी मदद करनेवाला हूँ? जो पसा दे वह यह समझकर दे कि हमने गरीबोसे बहुत धन लिया हे, इसलिए हमे थोडा उनके लाभके लिए भी देना चाहिए। इस तरह मै तो धनवानाको लूटता हूँ। कुछ लोगोका कहना हे कि मै ता अमीरोका दलाल हूँ। मै तो मजदूर हूँ। मने मजदूराके साथ मजदूरी की ह। मै उनके साथ रहा हूँ। मैने उनके साथ खाया पिया हे। मै मजदूरोका प्रतिनिधि होनेका दावा करता हूँ, और उनके लिए धनवानोसे सहायता लेता हूँ। मै ३५ करोड लोगोको यन्त्रोका गुलाम नही बनाना चाहता। मै इसमे समाजवाद नही देखता। समाजवादका म तो यह अथ करता हूँ कि लोग स्वावलम्बी बने। ऐसा होनेपर ही उनका लूटा जाना ब द हो सकेगा। म तो मजदूरोको यह समझा रहा हूँ कि यदि पूजीपतिके पास सोना चादी हे तो उनके पास हाथ-पाव है आर ये भी पूजी ही है। पूजीपतिका काम मजदूरके बिना चलनेवाला नही हे। काई यह न समझे कि इस सघके द्वारा हम पूजीपतियोका काम करेगे और मजदूरोको गुलाम बनायेगे। उसके विपरीत, इस सघके द्वारा हम तो उ ह इस गुलामीसे बाहर निकालना चाहते है, उ हे स्वावलम्बी बनाना चाहते है। उसमे गुलाम बनानेकी बात कसे हो सकती है? इस समूची योजनापर मैने बहुत अच्छी तरह विचार किया है, और उसके बाद ही आपके सामने रखा हे। ग्रामोद्योगोका पुनरुद्धार करनेका यही एकमात्र तरीका है और इसमे मै आपकी मदद मागता हूँ।

[गाधीजीने कहा कि] सरकारकी आर्थिक नीति चाहे जो हो, लेकिन ग्रामोद्योगोका विकास करके गाववालोको आर्थिक रूपसे स्वतन्त्र होनेसे कोई नही रोक सकता। मथुराप्रसादकी तरह अ य कई काग्रेसी यह पूछ रहे ह कि चुनाव हो जानेपर उन्हे क्या करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि हमारे यहा अखिल भारतीय चरखा सघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ ह जिनमे डा० सान्याल और श्री मुथे दोनो काम कर सकते ह।[२]

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २५ १०-१९३४, **बॉम्बे क्रानिकल**, २५-१०-१९३४, और **हरिजनबन्धु**, २८-१०-१९३४

१ इसके बादका अनुच्छेद **बॉम्बे क्रॉनिकल** से लिया गया है।

२ सब सशोधन अस्वीकृत हो गये और प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया।

२६६ कुटा हुआ चावल बनाम बिना कुटा चावल

शत प्रतिशत स्वदेशीके बारेमे लिखे अपने लेखमे मने दिखाया हे कि लाखो भूखे लोगोको आर्थिक रूपसे और आरोग्यकी दष्टिसे लाभ पहुचाने लिए इसके कुछ पहलुआका तुरत ही कैसे सुलझाया जा सकता हे। और अमीरसे-अमीर लोग भी इस लाभके साझीदार हो सकते है। इस तरह यदि गावोमे पुराने ढगसे धान कूटा जा सकता हो तो चावल कूटनेवाली बहनोकी आचल पैसासे भर जाये, ओर चावल खानेवाले लाखो लोगोको मिलके पालिश किये हुए चावलसे मिलनेवाले निरे स्टाचके बजाय बिना कुटे चावलोसे पौष्टिक आहार मिलेगा। मानव स्वभावसे बहुत लाभी हे और एक बार इस लोभमे फॅस जानेपर वह असरय लोगोके स्वास्थ्य अथवा धनकी परवाह नही करता। धानका उत्पादन करनेवाले सभी क्षेत्रोमे आज जो हमे धानकी घिनौनी मिले दिखाई देती है उनके लिए मनुष्यका यही लोभी स्वभाव जिम्मेदार है। यदि लोकमत प्रबल हो तो सामाय जन बिना कुटा हुआ चावल खानेका आग्रह करेगे और धानकी मिलोके मालिकोसे अपील करेगे कि वे इस तरहके व्यापारको ब द कर दे जिससे समस्त राष्ट्रके स्वास्थ्यपर बुरा असर पडता है और गरीबोको ईमानदारीके साथ अपनी आजीविकाके साधनसे वचित होना पडता हे, और प्रबल लोक्मत धानकी इन मिलोको बन्द करवा सकता है।

लेकिन आहारके गुणोके प्रश्नको लेकर मुझ जैसे आम आदमीके प्रमाणको कौन मानेगा? इसलिए इस प्रश्नपर मैने अपने एक डाक्टर (चिकित्सक) मित्रसे सहायताका अनुरोध किया था और उन्होने मुझे श्री कोलम और साइमण्ड्स द्वारा लिखित 'द न्यूअर नालेज ऑफ न्यूट्रीशन' नामक पुस्तक अपनी अनुकूल सिफारिशके साथ भेजी है जिसका एक अश मै यहा नीचे उद्धृत कर रहा हूँ।[२]

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २६ १०-१९३४

१ देखिए खण्ड ५८, पृ० ३०८-१०।

२ यहाँ नही दिया गया है।

२६७ 'दबो नही बल्कि उपेक्षा करो'

एक नोजवान अग्रेज, जो दो वष मद्रासमे रह चुके है, अपने घर एसेक्स [इग्लड] स लिखते है [१]

> **म समझता हूँ कि हिदुओकी आबादीमे अस्पृश्योका बहुमत है। बेशक, मेरी यह धारणा गलत हो सकती है लेकिन यदि यह ठीक है तो मेरा खयाल है कि इस बहुसख्यक जनताके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, उसे रोकनेका और उसके साथ न्याय करनेका सबसे ज्यादा कारगर तरीका यह नही है कि हम अपराधियोसे (उच्च वणके लोगोसे) अनुनय विनय करे बल्कि स्वय अस्पश्योके बीचसे एक 'सुरक्षा पक्ति' तयार करे।**
>
> **यदि अस्पश्य लोग परस्पर एक भ्रातृत्व सघकी स्थापना करेगे तो उससे वे धीरे धीरे एक स्वतन्त्र अस्तित्वका विकास कर सकेगे जो उन लोगोसे सवथा अलग होगा जो आजतक उन्हे आपत्तिजनक मानते रहे ह, और इस सगठनसे उनमे [अस्पृश्योमे] ऐसी शक्तिका विकास होगा जिसके परिणामस्वरूप ये दीन लोग [तथाकथित सवर्णोसे] नही दबेगे तथा अपने प्रति होनेवाले अवज्ञाजनक और अपमानजनक व्यवहारको वे तिरस्कार और उपेक्षाकी दृष्टिसे देख सकेगे।**

स्पष्ट है कि पत्र लेखकको यह बात नही मालूम कि हरिजनोमे एक ऐसा सम्प्रदाय है जो ठीक वही करनेकी कोशिश कर रहा हे जिसकी उहाने मुझे सलाह दी हे। लेकिन इससे हरिजनोको मुक्ति नही मिलनेवाली हे ओर सवण हिदुआको तो निश्चय ही नही। पत्र लेखकने जो सुझाव दिया है, उसका तकसगत परिणाम यही होगा कि हमारे सामने हिदू-मुस्लिम समस्यासे मिलती जुलती समस्या, बल्कि हिदू मुस्लिम समस्यासे भी अधिक गम्भीर एक दूसरी समस्या उठ खडी होगी। यह रास्ता घणाका रास्ता हे, जोकि हिसा हे। ओर म जिस रास्तेपर चलनेकी कोशिश कर रहा हूँ वह प्रेमका रास्ता है, जो कि अहिसा हे। दमनकत्ता वगका होनेके नाते और स्वेच्छासे दलितोके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करनेके अपने प्रयत्नमे मने यह सबक सीखा हे कि न्याय प्राप्त करनेका सच्चा तरीका यह हे कि हमे परस्पर एक दूसरेका सम्मान करना चाहिए, दूसरे शब्दोमे हमे चाहिए कि हम ऊँच नीचकी भावनाके स्थानपर

१ यहाँ केवल कुछ अश ही दिये गये है।

समता और भाईचारेकी भावनाका विकास करे। और इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि 'उच्च' वर्गको अपनी काल्पनिक ऊँचाइयोसे नीचे उतर आनेके लिए राजी किया जाये। और तथाकथित 'निम्न' वर्गको यह सिखाना होगा कि वे [सवर्णो] की उपेक्षा अथवा अवहेलना न करे, बल्कि उस भयका परित्याग कर दे जो कि हीनभावना जनित है।

इसलिए हरिजन-सेवक सघ दोहरा काम कर रहा है। एक ओर वह सवर्ण हिन्दुओसे कहता है कि वे लोग हरिजनोके प्रति किये गये अपने अन्यायका पश्चात्ताप करे तथा दूसरी ओर वह हरिजनोमे शिक्षाका प्रसार करके उनका ध्यान दमनके परिणामस्वरूप दलितोमे उत्पन्न होनेवाली बुराइयोकी ओर आकर्षित कर रहा है। किसी व्यक्तिको उसकी जन्मसिद्ध स्वतन्त्रतासे वचित करना और उसे जीवनकी सामान्य सुविधाएँ देनेसे इनकार करना शरीरको भूखो मारनेसे भी बदतर है। यह तो आत्माको —जो शरीरमे वास करती है—भूखो मारने-जैसा है। आत्माको भूखो मारनेकी इस प्रक्रियाका हरिजन लोग जोरदार उदाहरण है। हरिजन लोग मनुष्यके रूपमे जिस प्रतिष्ठाको खो चुके है, उसे केवल किताबी शिक्षा अथवा आर्थिक रूपसे उनकी स्थितिमे उत्थान द्वारा वापस नही किया जा सकता। यह तो उनके अन्दर केवल आत्मानुभूतिके जरिये ही आ सकती है और जबतक सवर्ण लोग पश्चात्ताप नही करते तबतक उनको यह अनुभूति नही हो सकती। ऊँच और नीचकी भावना एक ही सिक्केके दो पहलू है, और दोनो ही समान रूपसे बुरे है। दोनोका उपचार किया जाना चाहिए। निम्न वर्गके हिन्दुओके बजाय यदि हम 'उच्च' वर्गके हिन्दुओकी उपेक्षा तथा अवहेलना करने लगे तो इससे रोगका उपचार नही होगा, बल्कि वह और भी ज्यादा उग्र रूप ग्रहण कर लेगा। "दबो नही" यह एक ठोस सलाह है। लेकिन 'उपेक्षा' की भावना तो उतनी ही बुरी है जितनी कि किसीसे भयभीत होनेकी भावना। इसलिए एक तटस्थ प्रेक्षक यही सलाह दे सकता है कि "एक दूसरेसे प्रेम करो।' और मै आशा करता हूँ कि पत्र लेखक अपने सुझावकी कमजोरीको समझ जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २६ १०-१९३४

२६८ भाषण अ० भा० का० क० की विषय-समितिमे

२६ अक्टूबर, १९३४

आपने मेरे प्रति अपने प्रेमके कारण मेरी सारी स्थितिको गलत समझा है।[१] यदि आपने मुझे सेनाका सचालन करनेवाले एक जनरलका दरजा दिया है तो आपको उस जनरलको यह निणय करनेका अधिकार भी देना चाहिए कि वह सेनाके शीषस्थ स्थानपर रहकर उसकी सेवा कर सकता है, अथवा सेनासे अवकाश ग्रहण कर तथा अपने योग्य साथियोको अपने स्थानपर बिठाकर सेनाकी अच्छी सेवा कर सकता है।

जनरलके लिए बुद्धिमत्तापूण चीज हमेशा यही रही है कि उसमे इस बातका निश्चय करनेकी सामथ्य होनी चाहिए कि उसे जिस पदपर बिठाया गया है अथवा उसे जो सत्ता सौपी गई है उस सत्ताका वह कब प्रयोग करे अथवा कब न करे, क्योकि ऐसे भी अवसर आते है जब जनरल सत्ताकी बागडोरको पकडे रखनेमे अपने-आपको असमथ पाते है अथवा जब सेनाके हितोको देखते हुए और सेना तथा जनरल जिस उद्देश्यके लिए लडते है उसके हितको देखते हुए, जनरलका अपने पदको छोड देना ही बेहतर होता है। यदि आप समझते है कि मै काफी बुद्धिमान जनरल रहा हूँ तो इस वक्त भी जब मै आपको आपकी पराजयकी घडीमे छोडकर जा रहा प्रतीत होता हूँ, आपको मेरे इस निणयमे विश्वास करना होगा।

मैने अनगिनत बार कहा है कि मै अपने-आपको पराजित महसूस नही करता। मै उस उद्देश्यका त्याग नही कर रहा हूँ जिसके लिए मै जीता हूँ, और जो काय मुझे प्रिय है। जसाकि मैने कहा भी है, मै इस बातका पता लगानेके लिए काग्रेससे बाहर जा रहा हूँ कि हम जो प्रयोग करते रहे है, और जिनका आपने हमेशा उदार हृदयसे समथन किया है, उनमे अभी और अधिक सम्भावनाएँ है अथवा नही। मुझे आपको जतला देना चाहिए कि मेरी उपायकुशलता अब खत्म हो गई है। मुझे आपके आगे स्वीकार करना चाहिए कि मने काग्रेसके सम्मुख जो साधन रखे है उनकी प्रभाव-कारितामे मेरा विश्वास बराबर बना हुआ है। लेकिन मै महसूस करता हूँ कि देशमे इस समय ऐसे लोग भी है जो इस साधनकी प्रभावकारितामे सन्देह करने लगे है, और चूकि उन्हे इस साधनकी प्रभावकारितामे सन्देह है इसलिए वे पराजयका अनुभव करते है।

१ इससे पूव समितिमें सर्व-सम्मतिसे एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें गाधीजीके प्रति विश्वास व्यक्त किया गया था और उनसे काग्रेससे अवकाश लेनेके निश्चयपर पुनर्विचार करनेका अनुरोध किया गया था।

सत्याग्रहीके शब्दकोषमे पराजय नामका कोई शब्द नही है। उसके लिए तो जिस उद्देश्यको लेकर वह काम करता है, वही उसका पुरस्कार है।[1] लेकिन जब मै यह देखता हूँ कि मेरे कुछ अत्यन्त अच्छे साथी, जिन्हे अबतक सत्य और अहिसा ओर उनके फलितार्थोमे विश्वास था, वे भी उनमे शका करने लगे है और अपने आपको असहाय महसूस करते है, और जब मै देखता हूँ कि मै उन्हे अपने विश्वाससे प्रभावित नही कर सकता तब मुझे अपने चारो ओर गहन अन्धकार दिखाई देता है। मुझे प्रकाशकी कोई किरण दिखाई नही देती। मै देखता हूँ कि मै उन्हे अपने विश्वाससे अनुप्राणित नही कर सकता।[2]

इसलिए जब मै आपसे यह कहता हूँ कि यदि मुझे आपका आशीर्वाद मिल सके तो मै जाना चाहूँगा, तो उसका आप शाब्दिक अथ न करे। मै आपके आशीर्वादके साथ ऐसे साधनोका पता लगानेके लिए अधिक बडी शक्तिकी तलाशमे जा रहा हूँ जिससे कि मेरे अन्दर जो विश्वास है वह विश्वास मै आपको दे सकू। सम्भव है कि मेरी यह तलाश निरथक सिद्ध हो। हो सकता है कि मेरा अकेले घूमना बेकार हो। लेकिन आप यकीन माने कि जब मुझे जरूरत जान पडी तो मै आपके बुलावेकी प्रतीक्षा किये बिना वापस चला आऊँगा। मै आपके पास आ जाऊँगा और एक बार फिर प्रारम्भिक सदस्यके रूपमे काग्रेसमे भर्ती होऊँगा तथा काग्रेसके हितमे मुझसे जो बन सकेगा सो करूँगा।

इसलिए मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हतोत्साह न हो, बल्कि आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप अपने कत्तव्यका अच्छी तरह पालन कर सकेगे, और आपको ऐसे पर्याप्त नेता मिलेगे जो आपको विजय दिलायेगे। जब मेरे लिए इस सदनमे वापस आना लाजिमी हो जायेगा तब मै पूणतया आपकी सेवा करूँगा। इसलिए मै आपसे सिफ इतना ही अनुरोध करूँगा कि आप इस प्रस्तावपर और अधिक जोर न दे। आपने इस प्रस्तावको सव सम्मतिसे पास किया है, इतना ही काफी है। किसी प्रकार मै यह महसूस करता हूँ कि मेरे इस निणयका परिणाम अच्छा, केवल अच्छा ही होगा। आप भी उसी सिद्धान्तके लिए खडे है जिसका कि मै पक्षधर हूँ और जिसे आपने स्वीकार किया है। मै यह मानता हूँ कि इसे आपमे से कुछ लोगोने उदारतावश स्वीकार किया है, कुछ लोगोने आख मूदकर इसपर अपनी स्वीकृति दी है तथा कुछ लोगोने समझ-बूझकर इसका समथन किया है, और मैने विनम्रतापूवक इन सबको स्वीकार किया है। इसलिए अब आप मुझे, यदि सम्भव हो तो, यह सिद्ध करनेका मौका दे कि मै इसके योग्य हूँ और मै चाहूँगा कि आप भी स्वय यह सिद्ध कर दिखाये कि मै चाहे काग्रेसका सदस्य रहूँ अथवा

१ २७ १० १९३४ के **बॉम्बे क्रॉनिकल** की रिपोट में यहाँ यह वाक्य मिलता है 'सत्यका अन्वेषण ही उसकी विजय है।'

२ **बॉम्बे क्रॉनिकल** की रिपोर्ट में यहाँ निम्नलिखित वाक्य है "मुझे अपने कार्यक्रममें बहुत ज्यादा विश्वास है। हमारे चारों ओर जो घोर अन्धकार प्रतीत होता है, उसमें मुझे प्रकाशकी लाखों किरणें दिखाई देती है, लेकिन मैं आपको वह प्रकाश नही दिखा सकता।'

न रहूँ, आपने इन १४-१५ वर्षोंके दौरान जिस सिद्धान्तका कमोबेश अनुकरण किया है सो इसलिए किया है कि आपको उसमें विश्वास था।

मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं और आप दुनियाको यह बता सकें कि यद्यपि मैं कांग्रेससे अलग हो गया हूँ, तथापि आप अब भी उसी सिद्धान्तमें विश्वास करते हैं जिस सिद्धान्तको लेकर आप इतने वर्षोंतक लड़ते रहे हैं और जिसके लिए आप जिये हैं, और यह भी कि आप उस सिद्धान्तका शिथिलतासे नहीं वरन पहलेसे भी ज्यादा सच्चे ढंगसे और पूर्णतया पालन करनेवाले हैं, तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी।

कांग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेके प्रश्नपर अपना भाषण देनेके तुरन्त बाद गांधीजीने संविधान उप-समिति और कार्य-समितिकी सभी सिफारिशोंको समाहित करता हुआ एक सुविस्तृत प्रस्ताव पेश किया। गांधीजीने सदनसे सारे के सारे प्रस्तावको ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेनेकी सिफारिश करते हुए प्रस्तावके आरम्भमें ही सदनके पिछले दिनके निर्णयकी चर्चा की जिसमें कांग्रेसके सिद्धान्तमें परिवर्तनसे सम्बन्धित कार्य-समितिकी सभी सिफारिशोंको सदनने अस्वीकार कर दिया था।[1]

महात्मा गांधी ९० मिनट बोले और उनका यह भाषण दिलोंको छू लेनेवाला था। इसमें उन्होंने विषय समितिसे अपील की कि वह संशोधित संविधानपर अपनी स्वीकृति दे दे।

इसके बाद महात्मा गांधीने बृहस्पतिवारके वोटकी चर्चा की और सिद्धान्तके परिवर्तनके प्रश्नको प्रान्तीय समितियोंके पास रायके लिए भेजनेके सवालपर सदनने जिस स्पष्टवादिताके साथ वोट दिये, उसके लिए उन्होंने उसे बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने प्रस्तावोंके बारेमें जनताकी और अखबारोंकी आलोचना पढ़ी तब मैंने अपने मनमें निश्चय कर लिया कि मैं उन संशोधनोंको सदनके सम्मुख नहीं रखूँगा। लेकिन कार्य-समितिके सदस्योंने अपनी इच्छासे, सर्व सम्मतिसे यह प्रस्ताव पास किया कि समिति उन प्रस्तावोंको पेश करेगी। गांधीजीने आगे कहा :

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि समितिके सदस्योंने आज सवेरे दो घंटे इस बातपर विचार किया कि संशोधनोंके सम्बन्धमें उनका क्या कर्त्तव्य है। मैंने कार्य-समितिसे कहा कि वह आपके प्रस्तावको कार्यान्वित करे, लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि श्री सिधवाका संशोधन बिलकुल बेकार था। आप चाहते तो कार्य-समितिके प्रस्तावको अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन उसे सदस्योंमें घुमाना व्यर्थ था।

१. यहाँ **बॉम्बे क्रॉनिकल** की रिपोर्ट यह है : कांग्रेस संविधानमें संशोधनोंको पेश करते हुए गांधीजीने सदनको इस बातके लिए बधाई दी कि उसने कार्य-समितिके उस प्रस्तावको बड़ी स्पष्टवादिताके साथ नामंजूर कर दिया था जिसमें 'शान्तिपूर्ण और वैध' के स्थानपर 'सत्यपूर्ण और अहिंसात्मक' शब्द रखनेको कहा गया था। लेकिन उन्होंने आगे यह भी कहा : "मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा करके आपने बुद्धिमानी की।"

मैने श्री पटवधनका भाषण ध्यानसे सुना है। उन्होने बहुत तकपूण भाषण किया, लेकिन या तो वे अपने आपको धोखा दे रहे थे अथवा वे एक वकीलकी हैसियतसे बोल रहे थे। उन्होने कहा कि हम आदशसे यथाथपर उतर आये है। लेकिन क्या समाजवादके अपने आदश नही है, और यदि मै श्री पटवधनसे समाजवादियोके आदर्शोमे एक अधविराम तक हटानेकी बात कहूँगा तो वे उसे अस्वीकार कर देगे। क्या आप यह समझते है कि पचास पुश्तोके बाद भी आप किसी समय पूण स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगे? समाजवादका सिद्धान्त तो इससे भी आगे जाता है। मेरा सुझाव है कि हमारा एक मापदण्ड होना चाहिए। जिस दिन मानव समाज आदर्शोमे विश्वास करना छोड देगा उस दिन वह पशुओके स्तरपर उतर आयेगा। आज यदि आप सत्य और अहिसामे विश्वास करते है तो वसा स्पष्ट कहिए। इसका मतलब यह नही कि आप शत प्रतिशत सत्यनिष्ठ होगे। मै स्वय शत-प्रतिशत सत्यनिष्ठ नही हूँ।[1]

यदि मै शत प्रतिशत सत्यनिष्ठ होता तो मेरे शब्द आपके हृदयको भेदकर निकल जाते। लेकिन मुझे अपने आदर्शोको प्राप्त करनेका बराबर प्रयत्न करना होगा।[2] क्या माक्स अपने आदर्शोको पूण होते देख सका? क्या माक्सवादमे परिवतन नही हो रहा और क्या उसके ऐसे अथ नही लगाये जा रहे जिनकी स्वय माक्सने कभी कल्पना भी न की थी? यदि आप "उचित और शान्तिपूण" साधनोका अथ यह नही करते कि वे साधन "सच्चे और अहिसात्मक" होगे तो फिर आपको सिफ यही कहना चाहिए कि आपका सिद्धान्त यह है कि जिन साधनोको आप वैध समझते है उन साधनो द्वारा लक्ष्यको प्राप्त करे। फिर यही आपका मापदण्ड होगा। लेकिन आपके पास मापदण्ड अवश्य होना चाहिए। आपके सम्मुख अपने साधन और साध्य स्पष्ट होने चाहिए। ये दोनो पर्यायवाची शब्द है।

आप जानते है कि स्वराज्य आपका लक्ष्य है। इसका अथ है "पूण स्वराज्य"। लेकिन किसीने कहा कि इसका अथ पूण स्वाधीनता नही है, इसलिए हम इसका अथ "पूण स्वराज्य" करते है। जिस तरह आपने स्वराज्यका अथ किया है उसी तरह आपको अपने सिद्धान्तका निरूपण भी करना चाहिए, ताकि उसका दोहरा अथ न लगाया जा सके। कोई भी व्यक्ति समकोण नही बना सकता, लेकिन यूक्लिडने एक काल्पनिक समकोण बनाया और इजीनियरोको एक ऐसा मापदण्ड दिया जिससे दुनिया इतनी तरक्की कर सकी है। एक समकोण टावर आफ लडनके सग्रहालयमे बडी हिफाजतके साथ रखा है।

१ **बाम्बे क्रॉनिकल** की रिपोट के अनुसार गाधीजीने कहा था मैंने ऐसा दावा करनेका कभी साहस नही किया है।

२ यहाँ **बाम्बे क्रानिकल** की रिपोटमें यह छपा है यदि मैं शत प्रतिशत सत्यनिष्ठ होता तो मेरे शब्द तीरकी तरह आपको भेदकर बेदाग निकल जाते और आपको सत्यसे भर देते लेकिन मै शतप्रतिशत सत्यनिष्ठ होनेकी कामना करता हूँ। यदि मानव जातिको अपने आदर्श छोडने पडे तो वह पशुओंके स्तरपर उतर आयेगा। आदश तो होने ही चाहिए, और आदर्श कभी प्राप्त नहीं किये जा सकते।

काय समितिने शुक्रवारको आपसे आपके मापदण्डकी परिभाषाके बारेमे पूछा था। आपने उसे सदस्योमे प्रसारित करनेके लिए भेज दिया। ऐसा करना ठीक नही था। हमे दुनियाको यह नही बताना चाहिए कि हमारे मुहमे कुछ और है तथा दिलमे कुछ और।

इसके बाद महात्मा गाधीने सविधानमें प्रस्तावित सशोधनोके मुख्य उद्देश्यके बारेमें बताया। उन्होने कहा

आप इस आशाके साथ इन सशोधनोपर अपनी स्वीकृति न दे कि मै अपने निश्चयपर फिरसे विचार करूँगा। अगर मैने उस सविधानके माध्यमसे, जिसके लिए मुख्यत म स्वय जिम्मेदार हूँ, अनौपचारिक रूपसे काग्रेसका नेतृत्व करना आरम्भ किया तो इस सशोधित सविधानके रूपमे मै ही आपको एक छोटी सी भेंट भी दे रहा हूँ, ताकि आप उस व्यक्तिके निणय और अनुभवका लाभ उठा सके जिसने आपके साथ निकटसे निकटका सम्पक और सम्बन्ध रखते हुए उस सविधानके अनुसार चलनेका प्रयत्न किया है और इस दौरान उसके दोष भी देखे है। मै चाहता हूँ कि इन सशोधनोका परिमाजन करनेके बाद आप उन्हे पास कर दे।

मेरा भाषण सुननेके बाद यदि आप चाहे तो इसपर एक दिन विचार कर सकते है और मताग्रह कर सकते है तथा अपना अन्तिम निणय दे सकते है। लेकिन सबसे पहले आपको प्रतिनिधियोकी ६,००० की सख्याको घटाकर १,००० करनेका निश्चय करना होगा। यदि आप इसे माननेसे इनकार करते है तो सारी योजना ही टॉय टाय फिस हो जायेगी।

दूसरा मुद्दा यह है कि प्रतिनिधियोको जनताका सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। हम अप्रत्यक्ष ढगसे राष्ट्रके लाखो बेजबान लोगोके प्रतिनिधि है। हम उनकी ओरसे बोलते है, हम उनकी आवाज है, उनके विचार है। १८८५ से लेकर अबतक काग्रेसका यही उद्देश्य रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूपसे हम केवल अपने मतदाताओके ही प्रतिनिधि है।

क्या हममे से कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्या वह अपने मतदाताओसे जीवन्त सम्पक बनाये हुए है और क्या वह उनकी भावनाओसे अवगत है? हममे से बडेसे-बडा व्यक्ति भी यह दावा नही कर सकता। सरदार वल्लभभाई गुजरातके बेताज बादशाह है, लेकिन वह किस निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करते है, मै किसका करता हूँ, सो मै नही जानता। मै चुनौती देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझे काग्रेसका मतदाता-रजिस्टर दिखाये। हमारे यहा निर्वाचन-केन्द्र और मतदाता होने चाहिए तथा प्रत्येक सदस्यको अपने क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करना चाहिए और उसके साथ जीवन्त सम्पक स्थापित करना चाहिए। तभी आपके पास आपका मापदण्ड होगा।

मैने जो तीसरा सिद्धान्त रखा है वह यह कि एक चुनावमे तीन चीजे शामिल होनी चाहिए। इससे न केवल अपेक्षाकृत अधिक सुविधा होगी और पैसेकी बचत होगी वरन यदि आप इसे स्वीकार कर लेते है तो इसके और भी सुखद परिणाम होगे। तब प्रतिनिधि लोग अपने मतदाताओ द्वारा चुने जायेगे। तब वे लोग आजकी

तरह सालमे केवल तीन बार मिलनेके बाद लुप्त नही हो जायेगे। तब वे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सक्रिय सदस्य होगे और सारा साल काम करते रहेगे।

आज १,५३० लोगोमे से केवल ३५० लोग ही अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य है। और फिर १,००० सदस्योको सरदार वल्लभभाईके रास अथवा बारडोली क्षेत्रमे ठहराया जा सकता है। उस तरहके गावमे एक सफल अधिवेशन बुलानेके लिए मेरे पास एक पूरी योजना तैयार है। वे गाव आपकी सेवा तो कर सकते है, लेकिन वे आपकी स्वागत-समितिके लिए पैसा नही दे सकते। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हे काग्रेसकी सभा आयोजित करनेका और उसके लिए सामग्री उपलब्ध करनेका भी ढग आता हो। तब स्वागत समितिको इसके प्रबन्धपर लाखो रुपये खच नही करने होगे।

स्वागत-समिति 'तमाशो' और विजय-सूचक तोरणद्वार बनानेमे जो लाखो रुपये खच करती है, मै पूछता हूँ कि इसमे क्या बुद्धिमानी है। हमारी विजय कहा है? हम तो गुलाम है और स्वागत समितिसे हम तो केवल यही चाहते है कि वह पकवान और आइसक्रीमसे नही, बल्कि साधारण भोजनसे हमारी आवभगत करे। हमारी योजना स्वागत-समितिको उसकी भारी जिम्मेदारीसे मुक्त करनेकी है। यदि मै नरीमनकी जगहपर होता तो मै पागल हो गया होता।

महात्मा गाधीने अपने इस अनुरोधको एक बार फिर दोहराया कि उपर्युक्त विषयको प्रातीय समितियोके सम्मुख न रखा जाये और कहा

आप इसे प्रातोके सम्मुख क्यो रखना चाहते है? आप अपने कत्तव्यसे पीछे क्यो हटते है? आप तो महा प्रतिनिधि है, क्योकि आप विषय-समितिके सदस्य है। अन्य लोग तो मात्र प्रतिनिधि है, लेकिन ऐसे प्रतिनिधि है जो ३५ करोड लोगोका प्रतिनिधित्व करते है। इसीलिए मै कहता हूँ कि इन प्रतिनिधियोको सविधान तैयार करनेके अपने कत्तव्यसे पीछे नही हटना चाहिए। मै आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो भी आलोचना की है उसपर पूरी तरहसे सोच विचार किया जायेगा। मै आपको फौलादी सविधान दे रहा हूँ जिसकी मर्यादाओका कोई उल्लघन नही कर सकता। यदि काग्रेसमे कोई भ्रष्टाचार हो तो आप उसे पकड सकते है, बशर्ते कि हर आदमी ही धोखेबाज न हो गया हो। किसी भी सविधानमे चोरो और डाकुओके लिए गुजाइश रहती है। मुझे अपने देशभाइयोपर पूरा विश्वास है कि वे अपने देशके साथ कभी विश्वासघात नही करेगे।

श्रीप्रकाशका कहना है कि हमारा वतमान सविधान सडा-गला है। तब क्या हमे इस बातकी प्रतीक्षामे एक और साल बरबाद करना होगा कि हमे क्या करना चाहिए? मुझे इस बातका पूरा यकीन है कि आज जो स्थिति है वह वैसी ही रहेगी और हमे अगले १२ महीनोमे एक भी रिपोट नही मिलनेवाली है। दुनिया मुझे बेवकूफ कहती है, लेकिन आपका कहना है कि मै बुद्धिमान हूँ। तो आप मेरी बुद्धि-मानीका जो भी लाभ उठा सकते है, उठाये। लेकिन कभी-कभी मूर्खोके मुहसे भी बुद्धिमत्तापूण बाते सुननेको मिलती है। मै चाहूँगा कि आप मेरे सुझावोको स्वीकार

कर ले और मैं आपसे समझौता करनेके लिए तैयार रहूँगा। पहले ही, जब श्री मसानी मेरे पास आये थे, तब मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं चाहता हूँ कि समाजवादियोंको भी प्रतिनिधित्व मिले। वह प्रगतिशील पक्ष है। समाजवादियोंकी गतिविधियोंसे डरनेका कोई कारण नहीं है। वे अपने-आपको कांग्रेसी कहते हैं और जबतक वे कांग्रेसी हैं तबतक उन्हें कांग्रेसके सिद्धान्तमें विश्वास करना होगा और कांग्रेसके अनुशासनका निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। यदि वे कांग्रेसके अनुशासनका पालन करनेमें असफल सिद्ध होते हैं तो वे अपने सिद्धान्तमें भी असफल होंगे। मैं उनके एकल संक्रमणीय मतके सुझावके बारेमें उनसे सहमत हो गया हूँ। इस संविधानका श्री भूलाभाई और श्री क० मा० मुंशी जैसे योग्य वकीलोंने संशोधन किया है और इसपर अन्य अनेक लोगोंकी राय भी ली गई है। मैं आपको यह भी बता दूँ कि शहरी क्षेत्रोंमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होंगे, लेकिन उनकी संख्या अभी तय नहीं की गई है। इन मामलोंके बारेमें कार्यसमिति पूरी तरहसे आपके हाथमें है, लेकिन आप इन मामलोंको आगेके लिए न टालें।

आपका एक संसदीय बोर्ड होगा। वे लोग विधान सभाके कार्यकी देखभाल करेंगे। विधान सभामें यह संघर्ष व्यक्तियोंका न होकर सिद्धान्तोंका होगा, हमारे प्रतिनिधि उन सिद्धान्तोंका प्रतिनिधित्व करेंगे जिसके लिए वाकपटुताकी जरूरत न होगी वरन् वे उन्हें अत्यन्त साफ-साफ शब्दोंमें रखेंगे।

आगेसे आपके पास मतदाताओंका रजिस्टर होगा और आपका उनसे जीवन्त सम्पर्क होगा। श्री नागेश्वर रावका कहना है कि एक सीटके लिए ७,००० मतदाता हैं। मेरी योजना सरल है। मैं तो एक सीटके लिए केवल १,००० मतदाता चाहता हूँ। यदि आप लोग दस लाख लोगोंके प्रतिनिधि हैं तो मुझे इतनेसे ही सन्तोष होगा और उसके बाद हम और ज्यादा लोगोंको ले सकते हैं। लेकिन मैं यह बात अवश्य कहूँगा कि इन मामलोंको प्रान्तीय समितियोंके सम्मुख रखनेमें हम राष्ट्रका एक अमूल्य वर्ष खो देंगे।

महात्मा गांधीने आगे उस संशोधनका उल्लेख किया जिसमें अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यसमितिके सदस्योंका चयन करनेकी प्रथाको संविधानमें शामिल करनेका सुझाव दिया गया हो। गांधीजीने कहा कि भूतकालमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने इस मामलेमें अध्यक्षकी इच्छाको दबाया हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि संविधानमें इस प्रथाको शामिल करना बेहतर होगा जिससे उम्मीदवारके चुनावमें आनेवाली दिक्कतोंको टाला जा सके। यह संशोधन कर देनेसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें अध्यक्षको सदस्योंकी आलोचनाका शिकार नहीं होना पड़ेगा।

कार्य-समितिके कार्यकालमें ऐसे अवसर भी आयेंगे जब उसके सदस्योंको कहना पड़ेगा कि "यदि आप चाहते हैं कि हम काम करते रहें तो आपको हमें कुछ निश्चित अधिकार देने पड़ेंगे और यदि आप हमारा विश्वास नहीं कर सकते तो आप हमारे

स्थानपर बेहतर व्यक्तियोकी तलाश करे।" यही कारण है कि मने प्रस्ताव किया है कि मन्त्री और कोषाध्यक्ष भी अध्यक्षकी पसन्दके होने चाहिए।[1]

[अग्रेजीसे]

होम डिपाटमेट, पोलिटिकल, फाइल न० ४/२७/३६, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार

२६९ भाषण अ० भा० का० क० की विषय-समितिमें

२७ अक्टूबर, १९३४

२७ तारीखकी सुबह विषय समितिकी बठक शुरू हुई। श्री गाधीने काग्रेस सविधानमे अपने सशोधनके बारेमें पिछले दिनका भाषण जारी रखते हुए कहा कि जब हमें अपने घरकी दीवारोमें इतनी दरारे नजर आ रही ह तो हमें चाहिए कि हम इन दरारोको फौरन भर डाले। नये सविधानमे ऐसी कोई चीज नही हे जिसके लिए हमें विशेष अध्ययन करने या किसी बाहरी प्रमाणका सहारा लेनेकी आवश्यकता हो। यदि आप लोग ऐसा चाहते हो कि इसे लोगोकी राय जाननेके लिए घुमाया जाये, तो म समझूगा कि आप इसे नही चाहते। यदि आप इस सविधानको पास करनेकी परम आवश्यकताको अनुभव नही करते तो म आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको अस्वीकार कर दे। प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोकी सदस्य-सख्यामे कमी करनेके प्रस्तावकी चर्चा करते हुए गाधीजीने कहा कि मुझे इस बातका बहुत कटु अनुभव है कि बहुत भारी-भरकम कमेटियोके सामने जो काम ह, उसे वे नजरअन्दाज करने लगती ह। यही कारण है कि म इस प्रस्तावको अत्यन्त आग्रहपूवक पेश कर रहा हूँ। लोकतन्त्रका सार सख्या बलमे नही है। एक भी व्यक्तिमे यदि लोकतन्त्रकी भावना है तो वही असली चीज है। एक व्यक्ति हो तो भी वह सारे लोकतन्त्रका प्रतिनिधित्व कर सकता है। इग्लडमे मन्त्री लोग नीतियोका निर्धारण हाउस आफ कॉमन्सकी इच्छासे नही, बल्कि बक आफ इग्लडकी इच्छासे करते ह। अभी हाल ही में बक आफ इग्लडने अपना विचार-विमशका काम १३½ मिनटके अन्दर पूरा कर लिया था, जो कि एक रिकाड है। यदि बैक ऑफ इग्लड इतने बडे बडे मसलोका निपटारा १३½ मिनटमें पूरा कर सकता है तो काग्रेसको अपना काम पाच मिनटमे कर सकना चाहिए। इसके बाद श्री गाधीने प्रस्ताव किया कि विषय-समिति नये सविधानके आधारभूत सिद्धान्तको स्वीकार करे और सविधानपर विचार करनेके लिए

१ यह **बॉम्बे सेंटिनल** के २७ १० १९३४ के अकमें छपा था और इसके कुछ अंश राष्ट्रीय अभिलेखागारमें उपलब्ध हैं।

एक उप समिति नियुक्त करे। यह उप समिति २८ तारीखको सुबह ८ बजेतक अपनी सिफारिश विषय समितिके सामने रख दे।

प्रस्तावपर हुई बहसका जवाब देते हुए श्री गांधीने कहा कि मुझसे पूछा गया है कि यदि विषय समिति मेरे संशोधनोको एक कामा बदले बिना स्वीकार कर ले तो क्या मै अपने निर्णयपर पुनर्विचार करूँगा। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी हालतमें इस बातका कोई 'खतरा' नहीं है कि मै कांग्रेसमे बना रहूँ। मै आपसे कहूँगा कि यदि आपको नये संविधानमे विश्वास हो तभी आप उसे स्वीकार करे।[1]

[अंग्रेजीसे]

बाम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्टस होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच।

२७० भाषण स्वदेशी बाजारमें[2]

बम्बई
२८ अक्टूबर, १९३४

श्रीयुत शूरजी वल्लभदासने जब यह स्वदेशी बाजार खोला था तबसे ही इसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा है और मैंने वादा किया था कि मैं अवसर मिलते ही इसकी दुकाने देखने आऊँगा। यह खुशीका मौका कई कारणसे अबतक टलता रहा, और आज भी मुझे अपना वादा पूरा करनेके लिए दूसरे कार्यक्रमोमे से किसी प्रकार थोडा सा समय निकालना पडा है। चूंकि मुझे जल्दी ही वापस लौट जाना है, इसलिए मुझे दुःख है कि मै आपको ज्यादा समय नही दे सकूंगा। मैंने यह बात बार-बार कही है कि जबतक प्रत्येक गांवमे चरखेका संगीत नही गूंजने लगेगा तबतक हम न तो स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे और न धर्मकी ही रक्षा कर सकेंगे। एक तरफ जहां हम दोनो वक्त भरपेट भोजन करते है, वहां हमारी आंखोके सामने हमारे अपने ही भाई है जिन्हे दिनमे एक बार भी भरपेट भोजन नसीब नही होता। ये करोडो लोग यदि भूखसे पीडित है तो इसका कारण यह नही है कि वे काम नही करना चाहते, बल्कि इसका कारण यह है कि उन्हे कोई काम ही नही मिलता। यदि

१ इसके बाद गांधीजीने श्री अणे द्वारा प्रस्तुत किया गया वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था 'विषय समिति संविधानमें प्रस्तावित संशोधनोंके आधारभूत सिद्धान्तोंको स्वीकार करती है और उन संशोधनोपर विस्तारसे विचार करनेके लिए निम्न १५ सदस्योंकी एक उप समिति नियुक्त करती है। यह उप समिति अपनी सिफारिशें स्वीकृतिके लिए २८ तारीखकी सुबहतक विषय समितिके सामने रख देगी।' उप-समितिकी रिपोर्टके लिए देखिए "भाषण अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें", २८-१०-१९३४।

२ गांधीजीने सुबहके समय शूरजी वल्लभदास स्वदेशी बाजारके तृतीय वार्षिकोत्सव समारोहकी अध्यक्षता की थी।

आप उनके हाथोमे चरखा दे दे, या आप उन्हे कोई ऐसा काम दे सके जो चरखा चलानेसे बेहतर हो तो आप उनको वह काम पहले दे और चरखा बादमे। लेकिन इन भूखसे पीडित लोगोको कुछ काम अवश्य दीजिए, और काम देकर ही आप उनके दुबल शरीरके लिए खाना उपलब्ध कर सकेगे।

मान लीजिए कि आप चरखे चलवाने लगे, तो तैयार होनेवाली खादीका क्या होगा? आप सभी लोग खद्दरके बजाय सस्ते और सुदर दिखनेवाले कपडे पहनना चाहते है। तब फिर आप इन भूखसे पीडित लोगाकी मदद किस प्रकार कर सकते है? खद्दर महँगा हो, तो भी उसे पहनना आपका और मेरा कत्तव्य है। हमारे देशमे करोडो लोग ऐसे है जिनके पास अपनी लज्जा ढँकनेके लिए लगोटीतक नही है। आप उनसे खद्दर पहननेकी अपेक्षा किस प्रकार कर सकते है? आपको यह जानकारी दिलचस्प लगेगी कि पिछले दस वर्षोमे सवा दो करोड रुपये कतैयोके बीच पारिश्रमिकके रूपमे वितरित किये जा चुके है। यह रकम सीधे गरीब लोगोके हाथोमे पहुँची है। खद्दर पहनकर आप इन लोगोकी मदद कर सकते है। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत दुख है कि आपमे से बहुत से लोग — स्त्री और पुरुष, दोनो ही — खद्दर नही पहनते। यदि आप खद्दर नही पहनना चाहते तो फिर ऐसी सभाओमे आपके आनेकी तुक ही क्या है जिनमे मै बोलता हूँ? मै यहा यह आशा लेकर आया हूँ कि आप लोग मिलोके बने कपडेका त्याग कर देगे और खद्दरका अधिकाधिक उपयोग करने लगेगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस बाजारमे बिकनेवाली अन्य वस्तुएँ भी पूणत स्वदेशी ह और भारतमे ही बनी हुई है।

यहा जो चीजे प्रदर्शित की गई है, आज मै उन सबको सविस्तर रूपसे देख नही पाया हूँ। लेकिन मेरा इरादा है कि यहा भी प्रत्येक वस्तुका मै गहराईसे अध्ययन करूँगा। आपने जान ही लिया है कि यह बाजार मुनाफा नही कमा रहा है। फिर भी, जब बाजारको मुनाफा होगा तो वह मुनाफा हमारा होगा। इसलिए मै आपसे अनुरोध करूँगा कि जब भी आप कोई चीज खरीदना चाहे तो कृपया इस बाजारमे आये।

[अंग्रेजीसे]

बाम्बे क्रॉनिकल, २ ११-१९३४

२७१ भाषण अ० भा० का० क० की विषय-समितिमें

२८ अक्टूबर १९३४

रिपोटको स्वीकार करनेका प्रस्ताव औपचारिक रूपसे पेश करते हुए महात्मा गाधीने कहा कि शनिवारको उप-समितिने दिनमे २ बजेसे रात ९ बजेतक अपनी बठक की थी ओर इस रिपोटको तयार किया था। म स्वय रात १ बजेतक काम करता रहा था और श्री किशोरलाल सारी रात जागकर रिपोटका मसविदा तयार करते रहे। किशोरलाल जब मसविदा तयार कर चुके तब सवश्री मुशी और भूलाभाई देसाईने बैठकर कानूनकी दृष्टिसे उसमे सुधार किये। गाधीजीने कहा, म यह नही चाहता कि किसी प्रकारकी जल्दबाजी की जाये, ताकि आप बादमे रिपोटमे कोई और परिवतन करनेकी बात न सोचे। उप समितिके सदस्य इस निश्चयके साथ बठे थे कि वे सवस्वीकृत रिपोट तयार कर सके और उन्होने काय समितिकी सभी सिफारिशोपर विचार किया था।[1]

सविधानमे जो परिवतन किये गये थे, उनको महात्मा गाधीने स्पष्ट किया। उन्होने कहा, यह सुझाव कई बार दिया गया है कि सयुक्त प्रान्तका नाम बदलकर हिन्द, और मध्य प्रान्त (हिन्दी)का नाम बदलकर महाकौशल कर दिया जाये। स्वय मुझमे इस परिवतनका सुझाव देनेका साहस नही था, लेकिन चूँकि उप-समितिके कुछ सदस्योने इस परिवतनका सुझाव दिया था, इसलिए इसे मैंने स्वीकार कर लिया।

समितिने सविधानकी धारा ५मे एक मामली शाब्दिक परिवतन भी किया है। इस धारामे शब्द 'अफसर' फिरसे रख दिया गया है। कुछ सदस्योके सुझावपर एक अन्य महत्त्वपूण धारा जोडी गई है। इन सदस्योके दष्टिकोणकी म बहुत कद्र करता हूँ। इस धाराके अनुसार काग्रेसका कोई सदस्य किसी साम्प्रदायिक अथवा राष्ट्र विरोधी सगठनका सदस्य नही हो सकता। कुछ सदस्य इस धाराको जोडनेके पक्षमे नही थे, लेकिन अन्तत उनका विरोध खत्म हो गया और इस धाराको स्वीकार कर लिया गया।

काग्रेस प्रतिनिधियोकी सख्यामे कमी करनेके विषयमे मूल प्रस्तावमे यह कहा गया था कि प्रतिनिधियोकी सख्या कुल १,००० होनी चाहिए और ये प्रतिनिधि ही अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य हो, लेकिन कुछ सदस्योका सुझाव था कि प्रतिनिधियोकी सख्या २,००० हो और प्रत्येक प्रतिनिधि मूल प्रस्तावमे कहे गये १,०००

१ इस जगह बिजली फेल होनेके कारण लाउडस्पीकर बेकाम हो गये। बिजली आ जानेके बाद गाधीजीने अपना भाषण जारी रखा।

काग्रेसजनोके बजाय ५०० काग्रेसजनोका प्रतिनिधित्व करे। शहरी निर्वाचन-क्षेत्रोसे आनेवाले प्रतिनिधियोकी सख्या किसी भी हालतमे ५११ से अधिक नहीं होगी और ग्रामीण क्षेत्रोसे निर्वाचित प्रतिनिधियोकी सख्या १,४८९ से अधिक नही होगी।

बहुत-सी अल्पसख्यक जातियोके लाभके लिए यह सुझाव दिया गया है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो और प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्रसे एकल सक्रमणीय मतदान प्रणालीके अ तगत कम-से कम पाच सदस्योका चुनाव किया जाना चाहिए। गाधीजीने कहा कि यह एक ऐसा जटिल विषय है जिसे समझना कठिन है, लेकिन इस प्रणालीके अ तगत ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बन सकना असम्भव हो जायेगा जिसमे कम-से कम पाच सदस्य न हो।

गाधीजीने एकल सक्रमणीय मतदान प्रणाली और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रके क्या अथ ह, इसे खूब विस्तारसे समझाया। इसके पीछे विचार यह था कि अल्प-सख्यकोकी स्थिति सुरक्षित बना दी जाये।

भाषण जारी रखते हुए गाधीजीने कहा कि म चाहता हूँ कि सदन इस रिपोट पर अविलम्ब विचार करे और इसे कुल मिलाकर स्वीकार कर ले, भले ही यह स्वीकृति बे मनसे दी गई हो। समितिने सशोधनोमे भी सशोधन किये ह, और अब उसे रिपोटको स्वीकार करनेमे कोई अनिच्छा या कठिनाई नही होनी चाहिए। विभिन्न प्रान्तोके प्रतिनिधियोका जो कोटा निर्धारित किया गया है, वह पढनेमे तो खराब नही लगता, लेकिन दिखता खराब है। बम्बईको २१ प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया था। ऐसा उस शहरके महत्त्व और राजनीतिक सघषमे उसने जो भाग लिया था, उसको देखते हुए किया गया था। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके आज जो सदस्य ह, उनको मिलाकर बम्बई अभीतक ३० प्रतिनिधि भेजता रहा था। यह सख्या घटाकर २१ कर दी गई थी। यह जनसख्यापर आधारित प्रणालीके अनुसार नही था। देशकी राजनीतिक चेतनाका विकास करनेमें बम्बईका योगदान अत्यन्त महत्त्वपूण था। केवल बम्बईको ही यह दुलभ सम्मान प्रदान किया गया था। सविधानमें निर्धारित प्रणालीके अ तगत बम्बईको केवल ६ प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा।

गाधीजीने कहा, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमे इस समय ३५० सदस्य ह, लेकिन समितिके सुझावके अनुसार अब आगेसे उसमें १६६ सदस्य ही होगे। प्रत्येक १२ प्रतिनिधियोके ऊपर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका एक सदस्य होगा। यह मौजूदा सख्याका लगभग आधा होगा। मेरी रायमें यह परिवतन बुरा नही है। इससे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी एक ज्यादा कामकाजी और जिम्मेदार सगठन बन जायेगी। १,००० सदस्योवाली अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका जो सुझाव दिया गया था, उसकी जगह अब उसमें १६६ सदस्य ही होगे।

ऐसा समितिके उन अनेक सदस्य मित्रोके सुझावपर किया गया है जो यह चाहते थे कि काग्रेस और काय समितिके बीचका एक सगठन होना चाहिए। यह भी निश्चित किया गया हे कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रातको छोडकर अन्य किसी प्रातसे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमे नही आ सकता। यदि कोई प्रात निर्धारित सख्यामे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य या प्रतिनिधि नही भेज सकता तो वह जितने भी भेजता है, उतनेसे ही उसको काम चलाना होगा। प्रत्येक प्रान्त काग्रेसमे कम से कम दस प्रतिनिधि भेजेगा।

गाधीजीने कहा कि यह नया परिवतन मेरे ऊपर थोपा नहीं गया है।

इसके बाद गाधीजीने काग्रेस अध्यक्षके चुनावका उल्लेख किया। उन्होने कहा कि नागपुर अधिवेशनके समयसे ही चुनावका तरीका मुझे पसन्द नही रहा है और उप-समितिने यह निश्चय किया है कि अध्यक्षका चुनाव प्रान्तोके प्रतिनिधियो द्वारा किया जाना चाहिए, जो अपनी सिफारिशे काय समितिको भेजेंगे और काय समिति सभी सिफारिशें प्राप्त हो जानेके बाद नये वषके लिए निर्वाचित अध्यक्षका नाम घोषित करेगी। स्वागत-समिति द्वारा अध्यक्षको चुननेका मौजूदा तरीका कुछ समझमें नहीं आता। स्वागत-समितिको काग्रेस-अध्यक्षसे क्या लेना देना है? जिन प्रतिनिधियोके साथ अध्यक्षको परामश करना और काग्रेसके भावी कायका निर्धारण करना है, उन्हीं प्रतिनिधियोके ऊपर अभीतक एक ऐसा अध्यक्ष थोपा जाता रहा है जिसके चुनावमें उनका कोई हाथ नहीं होता।

इस कालदोषको खत्म होना चाहिए और यही कारण है कि उप समितिने यह निश्चय किया है कि प्रातोके प्रतिनिधियोको अपना अध्यक्ष चुनना चाहिए। प्रातीय काग्रेस कमेटीकी वही बैठक अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके लिए अपने सदस्योका चुनाव करेगी। किसी भी प्रान्तसे जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसमे से अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके लिए निर्वाचित सदस्योकी सख्याको छोडकर शेषका चुनाव भी प्रातीय काग्रेस कमेटी करेगी। किसी प्रातसे निर्वाचित अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य स्वत प्रतिनिधि भी होगे। प्रान्तीय काग्रेस कमेटीका काय काग्रेस द्वारा निर्धारित कायक्रम और नीतियोको कार्यान्वित करना होगा।

गाधीजीने काय-समितिकी शक्तियोकी भी चर्चा की, और कहा कि काग्रेस द्वारा निर्धारित नीति और कायक्रमको लागू करना काय-समितिका काम है। लेकिन काय-समितिका काम काग्रेसके निणयोकी व्याख्या करना भी है। 'कम्यूनल अवार्ड'-सम्बन्धी प्रस्ताव और काग्रेसका उसके प्रति रवैया[1] उन आत्यतिक दृष्टान्तोमें से ह, जबकि काय-समितिने काग्रेसके दृष्टिकोणको व्यक्त किया था। काय-समितिकी भूमिका देशमें काग्रेसके जागरूक प्रहरीकी होगी, जिसे कभी भी अवसर आनेपर काग्रेसके निणयोकी व्याख्या करनेका अधिकार होगा। काय समिति कोई ऐसी सस्था नहीं है जिसके सदस्य

१ बम्बईमें १७ और १८ जूनको पास किये गये प्रस्ताव, देखिए खण्ड ५८।

महज कठपुतले ह। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका काम है कि वह काय समिति पर पूरी तरह भरोसा करे और उसे जो विवेकाधिकार प्राप्त ह उन अधिकारोको वह काय समितिको प्रदान करे। काग्रेस और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित की जानेवाली नीति क्या हो, इसमे मागदशन करनेका काम काय समितिका है। गाधीजीने कहा

ऐसे अवसर आयेगे जब काय-समितिको जोखिमके निश्चय भी करने होगे। पिछले कितने ही वर्षोसे काय-समितिया जोखिमके कदम उठाती रही है और एक भी ऐसा अवसर नही आया है जबकि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने काय समितिके विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव पास किया हो। जो काय समिति जोखिम उठानेको तैयार नही हो, ऐसी काय समिति सवथा बेकार है।

उप समितिने सिफारिश की है कि किसी भी प्रातीय काग्रेस कमेटीमे १०० से अधिक सदस्य नही होगे और जिन प्रान्तोमे इससे ज्यादा सदस्य है वे अपनी सदस्य-सरयामे कमी कर देगे, और जिन प्रातोमे यह सरया १०० से कम है वे अगले चुनावो तक उतनी ही सरया रखेगे। प्रस्तावित सवधानिक परिवतनोके अतगत यह आवश्यक है कि यदि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठक बुलवानी हो तो कम से कम १५ सदस्योके हस्ताक्षर इस आशयकी मागपर होने चाहिए। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकमे कोरम पूरा करनेके लिए २५ सदस्योका होना आवश्यक होगा।

सविधानमें प्रस्तावित बुनियादी परिवतनोको समझानेके बाद गाधीजीने सदनसे रिपोटपर विचार आरम्भ करनेका अनुरोध किया।

महात्मा गाधीने निम्नलिखित रिपोट विषय-समितिके सामने प्रस्तुत की

आपके कलके प्रस्तावके अनुसार हमने काग्रेस सविधानमे काय समिति द्वारा सुझाये गये सशोधनोपर विचार किया है और हम अपनी रिपोटका मसौदा प्रस्तुत करते है जोकि इसके साथ सलग्न है। हमे यह कहते हुए खुशी होती है कि हम यह रिपोट सवसम्मतिसे तैयार कर सके है।

काय-समितिके मसौदेमे हमने जो मुरय परिवतन किये है उन्हे सक्षेपमे इस प्रकार बताया जा सकता है

१ अनुच्छेद २ मे "काय समितिकी पूव स्वीकृति" के बजाय हमने ये शब्द रखे है "(प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके रूपमे) उसके द्वारा और उसकी ओरसे बनाये गये तथा काय समिति द्वारा स्वीकृत नियमोके अनुसार"।

२ अनुच्छेद ३ मे हमने मामूली परिवतन किये है जैसे, सयुक्त प्रात और मध्य-प्रात (हिदुस्तानी)के नाम क्रमश बदलकर हिद और महाकौशल कर दिये गये है और धारा (ग)की अतिम धाराको, जोकि अनावश्यक है, हमने निकाल दिया है।

३ अनुच्छेद ४ मे हमने मजदूर-मताधिकारको जोड दिया है और खादी सम्बन्धी धाराके साथ उसकी सगति बैठानेके खयालसे हमने उसमे कुछ मामूली शाब्दिक परिवतन कर दिये है।

हमने इस अनुच्छेदमें एक नई और महत्त्वपूर्ण धारा भी जोड़ी है जो इस प्रकार है

किसी भी चुनी जानेवाली कांग्रेस कमेटीका कोई सदस्य किसी ऐसे साम्प्रदायिक संगठनकी किसी कमेटीका सदस्य नहीं होगा जिसके उद्देश्य या कार्यक्रममें ऐसे कार्य सम्मिलित हों जो कार्य समितिकी दृष्टिमें राष्ट्रविरोधी हों अथवा कांग्रेसके उद्देश्य या कार्योंके विरुद्ध हों।

८ अनुच्छेद ५ में हमने प्रतिनिधियोंकी मूल योजनाको इस प्रकार परिवर्तित कर दिया है

(१) प्रतिनिधियोंकी संख्या १,००० से बढ़ाकर २,००० कर दी गई है। प्रत्येक प्रतिनिधि १,००० के बजाय कम-से कम ५०० प्रारम्भिक सदस्योंवाले निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करेगा।

(२) शहरी क्षेत्रोंको कुल मिलाकर ५११ प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा और ग्रामीण क्षेत्रोंको ज्यादा से ज्यादा १,४८९ प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा। जिन प्रान्तोंको अभीतक आबादीके अनुसार निश्चित की गई संख्यामें प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार था, वे प्रान्त अब उससे ज्यादा संख्यामें प्रतिनिधि नहीं भेज सकेंगे और प्रत्येक प्रान्तको कम-से कम दस प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा, भले ही उस प्रान्तके प्रारम्भिक सदस्योंकी संख्या इतने प्रतिनिधि भेज सकनेकी दृष्टिसे कम ही क्यों न हो।

(३) बम्बई नगरको २१ प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार देकर, उसके दावेको मान्यता दी गई है, इस अधि प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था करनेके कारण हमें ग्रामीण क्षेत्रोंको ११ प्रतिनिधियोंसे वंचित करना पड़ा है।

(४) जिस प्रान्तके प्रतिनिधियोंकी संख्या १०० से ऊपर होगी, वहाँ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंमें उस प्रान्तके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य होंगे तथा १०० सदस्योंकी संख्या पूरी करनेके लिए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। जिन प्रान्तोंमें प्रतिनिधियोंकी कुल संख्या १०० से कम होगी, वहाँ वे ही प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके भी सदस्य होंगे।

(५) कांग्रेस-अध्यक्षका अगले वर्षके लिए चुनाव प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित ढंगसे होगा।

प्रतिनिधि चुने जानेके शीघ्र बाद ही प्रतिनिधियोंकी बैठक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सभापतिकी अध्यक्षतामें होगी। ये प्रतिनिधि अध्यक्षका चुनाव करेंगे। यदि एकसे ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो सभापति प्रत्येक उम्मीदवारको प्राप्त हुए वोटोंकी संख्या लिख लेगा। लेकिन एक ही उम्मीदवार होनेकी स्थितिमें उस उम्मीदवारको उतने मत मिले माने जायेंगे जितनी कि बैठकमें उपस्थित प्रतिनिधियोंकी संख्या होगी। ये चुनाव कार्य-समिति द्वारा निर्धारित तिथिको एकसाथ सभी जगह होंगे। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी परिणामोंको डाकके जरिये कार्य-समितिको भेज देगी और जिस उम्मीदवारको सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे उसे अगले वर्षके लिए अध्यक्ष घोषित कर दिया जायेगा।

प्रतिनिधियोकी बैठक अपने कोटेके अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योको भी चुनेगी।

(६) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योकी अधिकतम सख्या १६६ नियत की गई है। प्रत्येक प्रातके प्रति १२ प्रतिनिधियोके पीछे एक सदस्य होगा और प्रत्येक प्रातसे कम से कम एक सदस्य होगा, भले ही उस प्रातसे १२ प्रतिनिधि न हो। ये सदस्य प्रतिनिधियोकी पूर्वोक्त बैठकमे एकल सक्रमणीय मतदान प्रणालीके अनुसार चुने जायेगे। जहाँ आवश्यक होगा, उन प्रातोमे प्रतिनिधियोकी यही बैठक प्रातीय काग्रेस कमेटीके सदस्य भी चुनेगी।

इस बातको ध्यानमे रखते हुए कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी सदस्य-सख्या बहुत कम कर दी गई है, सदस्याकी यह इच्छा है कि सविधानमे इस बातको जोरदार शब्दोमे स्पष्ट कर दिया जाये कि काय समितिको कोई नई नीति नही निर्धारित करनी चाहिए। काय समिति एक कायकारी सस्था होगी और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी समय-समयपर जो नीतिया निर्धारित करेगी, काय समितिका काम उन्हीको कार्यान्वित करना मात्र होगा।

५ उप समिति यह सिफारिश करती है कि निजी सदस्यो द्वारा दिये गये प्रस्तावोपर विचार करनेके लिए एक दिनका समय निरपवाद रूपसे दिया जाना चाहिए।

६ उप समिति यह सिफारिश करती है कि साम्प्रदायिक मामलोसे सम्बन्धित अनुच्छेदको निकाल दिया जाना चाहिए।

७ सक्रमण कालके दौरान प्रान्तीय काग्रेस कमेटिया एकल सक्रमणीय मतदान द्वारा अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योके घटे हुए कोटेके सदस्योको चुनेगी, और सक्रमण कालके लिए पूरी सदस्य सख्या भी १६६ होगी जो वतमान अनुपातोके हिसाबसे विभिन्न प्रान्तोमे वितरित की जायेगी।

८ जिन प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोमे सदस्यो की सख्या १०० से ज्यादा है वे उसे घटाकर १०० कर लेगी। ये चुनाव १५ जनवरीतक हो जायेगे।

बगालके सदस्य श्री मजूमदारने पूछा कि क्या यह सही नहीं है कि प्रस्तावित सविधानके अन्तगत सदस्योका सीधा निर्वाचन होगा जबकि पहलेवाले सविधानमें अप्रत्यक्ष चुनावकी व्यवस्था थी।

गाधीजीने स्वीकार किया कि हाँ, अभी ऐसा ही है, लेकिन नई अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी कोई अधीनस्थ सस्था नहीं है, और मैंने मूलत जो प्रस्ताव किया था उसके मुकाबले इस सस्थामें कम सदस्य होगे।

गाधीजीने सदनसे अनुरोध किया कि सदस्यगण सशोधन न पेश करे, लेकिन सुझाव दें और कहा कि यदि मुझे ये सुझाव व्यावहारिक लगे तो म इन्हे स्वीकार कर लूँगा। लेकिन यदि सदन रिपोटके ऊपर वाद-विवाद चाहता है, तो सशोधन पेश किये जाने चाहिए और अध्यक्ष महोदय वाद विवादका नियमन करेगे।

बाबू पुरुषोत्तमदास टंडनने सदनकी स्वीकृतिके लिए इस प्रस्तावका अनुमोदन किया।

श्री सम्पूर्णानन्दने गांधीजीसे पूछा कि क्या उप समितिके सदस्योंको खुले अधिवेशनमें अनुच्छेद १ के प्रश्नपर मतदानकी स्वतन्त्रता होगी, और जवाबमें गांधीजीने कहा कि हां, होगी।

नये संविधानके लागू होनेके बाद बंगालमें चुनावोंके सम्बन्धमें प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा कि अगले चुनाव होनेतक वर्तमान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी घटी हुई सदस्य-संख्याके साथ काम करती रहेगी।

डॉ० चोइथराम गिडवानीने उस संशोधनका विरोध किया जिसके अनुसार यू० पी० (संयुक्त प्रांत)का नाम 'हिन्द' रखनेका सुझाव दिया गया था। उन्होंने कहा कि 'हिन्द' के मतलब हैं सारा भारतवर्ष।

सरदार शार्दूलसिंहने संशोधनका अनुमोदन किया।

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारीने डॉ० चोइथरामका समर्थन किया और कहा कि यदि यू० पी० (संयुक्त प्रांत) के लिए 'हिन्द' नाम स्वीकार किया जाता है तो गीतों और राष्ट्रीय नारोंमें कई परिवर्तन करने पड़ेंगे।

इस जगह महात्माजीने कहा कि मैंने यह सुझाव इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि कई लोगोंने शिकायत की थी कि उनके पास यू० पी० के लिए कोई नाम नहीं है। लेकिन यह देखकर कि बहुतसे सदस्य इसके विरुद्ध हैं मैं इसे वापस लेता हूँ। ऐसा मैं उप-समितिके सदस्योंसे सलाह किये बगैर कर रहा हूँ।

जब कुछ सदस्योंने कहा कि उन्हें इस बातपर एतराज नहीं है कि मध्य प्रान्त (हिन्दी)को महाकौशल कहा जाये, तब महात्माजीने हँसीके बीच कहा:

ऐसा लगता है कि आप बेचारे जवाहरलालसे द्वेष रखते हैं जोकि नैनी जेलके भीतर हैं। यह उनका ही सुझाव था कि यू० पी० (संयुक्त प्रांत) को 'हिन्द' नाम दिया जाये।

तब सरदार शार्दूलसिंहने इस आशयका एक संशोधन पेश किया कि चूंकि बम्बईको अधि-प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है इसलिए सीमा प्रांतको भी अधि-प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँके लोग इसके और ज्यादा अधिकारी हैं।

महात्माजीने कहा कि मैं अधि-प्रतिनिधित्व दिये जानेके विरुद्ध हूँ और बम्बईको दिये गये अधि-प्रतिनिधित्वको खत्म करनेके लिए तैयार हूँ।

बहसके दौरान उठाये गये कई मुद्दोंका जवाब देते हुए गांधीजीने कहा कि यह दुखकी बात है कि रिपोर्टमें कई संशोधन पेश किये गये हैं। मैं चाहता हूँ कि सदन रिपोर्टको या तो ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर दे, क्योंकि यह रिपोर्ट एक सम्पूर्ण संयुक्त योजना है और इसे जहां-तहाँ बदला नहीं जा सकता।

गाधीजीने कहा, यह सुझाव कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी सदस्य सख्या ३५० रहे, उसे एक अत्यन्त ढीली ढाली सस्था बना देता है। मेरा उद्देश्य सख्या नहीं बल्कि गुणकी प्राप्ति है।

श्री कालेश्वररावके सशोधनकी चर्चा करते हुए गाधीजीने कहा कि अगले चुनावोके लिए १५ जनवरी इसलिए नियत की गई है क्योकि उस समयतक बहुत से काग्रेसजनोको चुनावका बुखार चढा होगा और भले चगे हो जानेके बाद ही वे इकट्ठा होकर चुनाव करा सकेगे।

समाजवादियोके सम्बन्धमें गाधीजीने कहा कि व्याकुल होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई गुट सविधानको सुचारु रूपसे कार्यान्वित नही कर सकता तो यह गुटके ऊपर है कि सम्बन्धित क्षेत्रमे वह गुट उपद्रव पदा करनेवाले अपने तत्त्वोके हाथोमे यह कहकर काग्रेसको चलानेका भार सौप दे कि हम हर चीज तुम्हारे हाथोमें सौप देगे। गाधीजीने कहा कि समाजवादी गुटके प्रति शका करनेकी कोई बात नही है। समाजवादी गुटवाले भी भूखो मर रही मानवताकी सहायता करना चाहते है, इसलिए वे भी हमारी सहायता करेगे। यदि समाजवादी लोग काग्रेसमे प्रधानता प्राप्त कर ले और उसपर अधिकार कर ले तो इसका उनको पूरा अधिकार है।

एकल सक्रमणीय मतोकी चर्चा करते हुए गाधीजीने कहा कि ऐसे कई मौके आये ह जब मुझे टेढी स्थितियोसे बचकर निकलना पडा है, और अनेक काग्रेसजनोको उस स्थितिसे गुजरना होगा। जहाँतक ग्रामीण कायकर्ताओका सवाल है, यह बात कठिन होगी। लेकिन जहातक मेरा सवाल है, म समाजवादियोसे कहूँगा कि वे या तो मेरे काममें हाथ बँटाये और कन्धेसे-कन्धा मिला कर काम करे अथवा उस गावको छोडकर किसी और गावमे जाकर काम करे।

काग्रेसका अधिवेशन वषमें कब किया जाये, इस प्रश्नपर थोडी बहस हुई और यह तय किया गया कि अधिवेशन फरवरी या माचमे किसी समय किया जाये। गाधीजीने कहा कि अधिवेशन विशेष रूपसे फरवरी या माचमे इसलिए किया जा रहा है ताकि लँगोटी पहननेवाले गाववाले उसमे आ सके और विषय समितिके सदस्य उन्हे गलेसे लगा सके। (हष-ध्वनि)

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारीने प्रस्ताव किया कि एकल सक्रमणीय मतदानको स्वीकार करने या न करनेके बारेमे प्रान्तोको स्वतन्त्रता दी जाये। लेकिन महात्माजीने इस सशोधनको स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया और इस सशोधनके विरुद्ध मत दिया।

गाधीजीने हँसते हुए कहा कि यदि मत मेरे खिलाफ पडता तो म मतदान करानेवाला ही था। (हँसी)

उप समितिकी रिपोट सवसम्मतिसे स्वीकार कर ली गई।

महात्माजीने रिपोटको सवसम्मतिसे स्वीकार करनेके लिए विषय-समितिको धन्यवाद दिया। उन्होने घोषणा की कि कराचीने एक पृथक प्रान्त बननेका निश्चय किया

हैं। उन्होंने यह घोषणा भी की कि यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंसे प्रति सदस्य १० रुपये देनेको कहा जाये तो उन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधियोंका शुल्क ५ रुपये होगा, न कि १० रुपये, जैसाकि इस समय है।

भारतीय रियासतोंके विषयमें प्रस्ताव पेश किया जानेवाला ही था कि महात्माजीने कहा कि भारतीय रियासतोंका मामला बहुत नाजुक मामला है।

भारतीय रियासतोंकी जनताके बारेमें कार्य समितिके विचारोंको ध्यानमें रखते हुए गांधीजीने निम्नलिखित प्रस्तावका मसौदा पेश किया है। तथापि, गांधीजीने सलाह दी कि यह मसविदा कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया जाये, लेकिन रियासतोंकी प्रजाके प्रतिनिधियोंकी सलाहसे विषय समिति एक फार्मूला तैयार करे। इस उप-समितिकी रिपोर्टको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी अगली बैठकमें पेश किया जायेगा। गांधीजीका फार्मूला इस प्रकार था

चूंकि बहुत-से गुटों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव स्वीकृतिके लिए कांग्रेसको प्राप्त हुए हैं जिनमें कांग्रेससे भारतीय रियासतोंके सम्बन्धमें अपनी नीति स्पष्ट करनेको भी कहा गया है, इसलिए यहां निश्चित किया जाता है कि

कांग्रेस विभिन्न राज्योंके आन्तरिक प्रशासनकी नीतिपर दृढ़ रहेगी। तथापि, कांग्रेस सम्पूर्ण भारतवर्षको एक अविभाज्य इकाईके रूपमें मान्यता देती है — इस बातका लिहाज किये बिना कि इस समय वह विभिन्न प्रणालियोंके अन्तर्गत विभाजित और शासित है — और इसीलिए कुछ राज्योंकी इस प्रवृत्तिपर खेद प्रकट करती है कि वे अपनी रियासतोंसे अलग क्षेत्रोंके निवासी भारतीयोंको विदेशी मानते हैं और कांग्रेसके पिछले अधिवेशनोंमें की गई अपनी यह अपील दोहराती है कि भारतीय नरेश अपनी रियासतोंमें उत्तरदायी सरकार स्थापित करें और अपने राज्यमें रहनेवाले लोगोंके नागरिक और राजनीतिक अधिकारोंको स्वीकार करें। यह कांग्रेस विभिन्न रियासतोंमें रहनेवाली जनताकी उचित आकांक्षाओं तथा उनकी और अधिक आत्माभिव्यक्तिकी इच्छाके साथ अपनी पूरी सहानुभूति प्रकट करती है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-१०-१९३४

२७२ भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका सविधान

[२८ अक्टूबर, १९३४][१]

उद्देश्य

अनुच्छेद १

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका उद्देश्य सभी प्रकारके वध और शान्तिपूण तरीकोसे पूण स्वराज्य प्राप्त करना है।

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस

अनुच्छेद २

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसमे निम्नलिखित समाविष्ट होगे

(१) अनुच्छेद ३ के अन्तगत प्राथमिक समितियोके सदस्य,
(२) प्रान्तीय काग्रेस कमेटिया,
(३) वार्षिक अधिवेशन,
(४) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी,
(५) काय समिति,

और इसमे ये भी समाविष्ट हो सकते है (क) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा अथवा काय-ममिति द्वारा सीधे सगठित की गई समितियाँ या सघ, आदि, अथवा (ख) काय समितिकी ओरसे और उसके द्वारा स्वीकृत नियमोके अन्तगत प्रान्तीय काग्रेस कमेटी द्वारा सगठित समितिया।

सदस्यता

अनुच्छेद ३

(क) १८ वषसे अधिक वयवाला कोई भी व्यक्ति जिसको अनुच्छेद १ मे विश्वास है, अपने इस विश्वासकी लिखित घोषणा करेगा और साथमे सलग्न फॉम 'क' को भरकर सदस्यताके लिए अर्जी और चार आने देगा। ऐसा करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिका नाम सामान्यत वह जिस जिलेमे रहता है अथवा अपना कारोबार करता है उस जिलेके किसी भी अधिकृत कार्यालयमे रखे काग्रेस-सदस्योके रजिस्टरमे दज कर लिया जायेगा।

इसमे यह शत है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समयमे एकसे ज्यादा प्राथमिक कमेटियोका सदस्य नही हो सकता।

१ गाधीजीने सशोधित सविधानसे युक्त प्रस्तावको काग्रेस-अधिवेशनमे इसी तारीखको रखा था, देखिए अगला शीषक।

(ख) अर्जीकी दो प्रतियाँ दी जायेगी। कोई व्यक्ति अपनी अर्जी स्वय आकर दे सकता है, अथवा डाकके जरिये या किसी अन्य व्यक्तिके हाथो भिजवा सकता है।

(ग) अर्जीमे उम्मीदवार अपना पूरा नाम, वय, स्त्री/पुरुष, अपना धन्धा और जिस जगह वह सामान्यत रहता है या अपना कारोबार करता है, उस गावका, ताल्लुकेका, जिलेका, और प्रान्तका नाम देगा।

(घ) अर्जी प्राप्त करनेवाला अधिकारी अर्जीपर अर्जी प्राप्त करनेकी तारीख, क्रम-सख्या और अन्य निर्धारित विवरण दर्ज करनेके बाद अर्जीकी एक प्रति सम्बन्धित प्रान्तीय काग्रेस कमेटीको भेज देगा।

(ङ) सदस्य बना लिये जानेके बाद अर्जी देनेवालेको सदस्यताका प्रमाणपत्र दिया जायेगा। इस प्रमाणपत्रका स्वरूप सलग्न फार्म 'ख' के अनुसार होगा। प्रमाण-पत्र टिकाऊ कागजपर छपा और सदस्य जिस प्रान्तका निवासी है उस प्रान्तकी भाषामे होगा अथवा देवनागरी या उर्दू लिपिमे हिन्दुस्तानी भाषामे होगा।

(च) जबतक कार्य-समिति कोई विपरीत आदेश न दे तबतक सदस्यताका वर्ष १ अप्रैलसे ३१ मार्चतक माना जायेगा और वर्षके बीचमे सदस्य बननेवालोके चन्देमे कोई कमी नही होगी।

प्रान्त

अनुच्छेद ४

(क) प्रान्तोके नाम निम्नलिखित रूपमे होगे और मुख्य कार्यालयका नाम उनके सामने दिया गया है

	प्रान्त	भाषा	मुख्य कार्यालय
१	अजमेर मेरवाडा	हिन्दुस्तानी	अजमेर
२	आन्ध्र	तेलुगु	बजवाडा
३	असम	असमिया	गौहाटी
४	बिहार	हिन्दुस्तानी	पटना
५	बगाल	बगला	कलकत्ता
६	बरार	मराठी	अमरावती
७	बम्बई (नगर)	मराठी और गुजराती	बम्बई
८	बर्मा	बर्मी	रगून
९	मध्य प्रान्त (मराठी)	[मराठी]	[नागपुर]
१०	दिल्ली	हिन्दुस्तानी	दिल्ली
११	गुजरात	गुजराती	अहमदाबाद
१२	कर्नाटक	कन्नड	धारवाड
१३	केरल	मलयालम	कालीकट
१४	महाकोशल (मध्यप्रान्त हिन्दुस्तानी)	हिन्दुस्तानी	जबलपुर
१५	महाराष्ट्र	मराठी	पूना
१६	उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त	हिन्दुस्तानी	पेशावर

१७ पजाब	पजाबी	लाहौर
१८ सिध	सिधी	कराची
१९ तमिलनाडु	तमिल	मद्रास
२० सयुक्त प्रात	हिदुस्तानी	लखनऊ
२१ उत्कल	उडिया	कटक

(ख) किसी भी प्रातीय काग्रेस कमेटीको काय-समितिकी पूर्वानुमतिसे अपने मुख्य कार्यालयको समय-समयपर बदलनेका अधिकार होगा।

(ग) काय समिति, किसी प्रान्तीय काग्रेस कमेटी या कमेटियोकी इच्छाको जाननेके बाद एक नये प्रातकी रचना कर सकती है, या एक प्रातके अमुक जिलोको दूसरे प्रातके अधीन कर सकती है। वह किसी देशी रियासतको भी किसी प्रान्तके जिम्मे कर सकती हे।

योग्यता

अनुच्छेद ५

(क) जो सदस्य किसी चुनावकी तारीखसे पहले लगातार ६ महीनेसे काग्रेसका सदस्य होगा वही चुनावमे मतदान करनेका अधिकारी होगा।

(ख) इस अनुच्छेदकी धारा (क) के अतगत योग्यता प्राप्त होनेपर भी कोई सदस्य किसी पदके लिए अथवा किसी काग्रेस कमेटीकी सदस्यताके लिए तबतक चुनाव लडनेका अधिकारी नही होगा जबतक कि

(१) वह पूणत हाथ कती और हाथ-बुनी खादीका नियमित प्रयोग न करता हो,

(२) जबतक कि उसने चुनावके लिए नामाकनकी तारीखसे पहले छ महीनो तक काग्रेसकी ओरसे या काग्रेसकी खातिर लगातार कोई ऐसा शारीरिक श्रम न किया हो जिसका मूल्य प्रतिमाह काते गये १० अकसे ऊपरके अच्छे ५०० गज सूतके बराबर हो और समयके लिहाजसे जो एक माहमे ८ घटेके श्रमके बराबर हो। कताईके विकल्पके रूपमे स्वीकाय श्रम काय क्या-क्या हो सकते है उन्हे सम्बन्धित प्रान्तीय काग्रेस कमेटियो और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ अथवा अखिल भारतीय चरखा सघसे परामश करके काय समिति समय-समयपर निर्धारित करेगी।

(३) यदि उम्मीदवारीके समय वह किसी अन्य समानान्तर समितिका पहले ही से सदस्य होगा तो वह चुनावमे खडा नही हो सकेगा।

(ग) जो व्यक्ति किसी निर्वाचित काग्रेस कमेटीका सदस्य हो वह किसी ऐसे साम्प्रदायिक सगठनकी वैसी ही किसी निर्वाचित समितिका सदस्य नही बनेगा जिसके उद्देश्य और कायक्रममे ऐसी राजनीतिक प्रवत्तियोका समावेश हो जो काय समितिकी दष्टिमे राष्ट्र विरोधी है और काग्रेसके उद्देश्य और कायक्रमके विरुद्ध है।

प्रतिनिधियोका चुनाव

अनुच्छेद ६

(क) काग्रेसके हर वार्षिक अधिवेशनके बाद काय समिति एक तिथि और समय निर्धारित करेगी, यह तिथि, जिस दिन उस तिथिका निर्धारण किया गया हो, उससे कमसे कम ८ महीने बादकी होनी चाहिए। प्रत्येक प्रातीय काग्रेस कमेटी इस तिथि और समयतक अपनी प्राथमिक समितियोके उन सदस्योके नामोकी एक प्रमाणित सूची काय-समितिको भेज देगी जिन्हे कि मत देनेका अधिकार है। यह सूची काय समितिके दफ्तरमे उस तिथिको या उससे पहले पहुँच जानी चाहिए अथवा यदि तिथि बढा दी गई हो तो उस बढी हुई तिथि (अथवा) समयतक पहुँच जानी चाहिए।

(ख) जो सदस्य इस सूचीमे शामिल होगे, केवल उन्हे ही अपने प्रातमे प्रतिनिधियोके चुनावमे मत देनेका अधिकार होगा।

(ग) यदि कोई प्रातीय काग्रेस कमेटी समयके अन्दर सूची नही भेजती तो उस प्रातको अपने प्रतिनिधि चुननेके अधिकारसे वचित किया जा सकता है।

(घ) उपयक्त सूचिया मिलनेके बाद काय समिति एक तिथि निर्धारित करेगी, इस तिथितक प्रतिनिधियोका चुनाव हो जाना चाहिए। काय समिति प्रत्येक प्रातसे भेजे जानेवाले प्रतिनिधियोका कोटा भी तय करेगी, और प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोसे अपने-अपने कोटेके अनुसार प्रतिनिधियोका चुनाव करानेको कहेगी।

(ङ) चुनावके खयालसे इस सविधानके अनुच्छेद ४ मे उल्लिखित प्रातोको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रोमे बाट दिया जायेगा।

टिप्पणी 'शहरी क्षेत्र' का मतलब उन शहरोसे है जिनकी आबादी दस हजार व्यक्तियोसे ज्यादा है। 'ग्रामीण क्षेत्र' का अथ है वह क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र नही है।

(च) किसी जिलेके ग्रामीण क्षेत्रको, ओर १०,००० से अधिक आबादीवाले प्रत्येक शहरको अपनी प्राथमिक समितियोमे दज प्रति ५०० सदस्योके पीछे या काय-समिति द्वारा इस अनुच्छेदकी धारा (ज) के अन्तगत निम्नलिखित शर्तोके अधीन निर्धारित सदस्य-सख्याके पीछे एक प्रतिनिधि चुननेका अधिकार होगा

(१) प्रतिनिधियोकी अधिकतम सख्या दो हजारसे अधिक नही होगी। इस सख्यामेसे शहरी क्षेत्रो से चुने जानेवाले प्रतिनिधियोकी अधिकतम सख्या ५११ होगी और ग्रामीण क्षेत्रोके लिए यह अधिकतम सख्या १४८९ होगी।

(२) कोई भी प्रान्त, जिसमे उसके अन्तगत आनेवाली देशी रियासते या एजेन्सिया भी शामिल होगी, १९२१ की जन गणनाके अनुसार अपनी आबादीमे से प्रत्येक १,५०,००० निवासियो अथवा उसके किसी अशके पीछे एकसे अधिक प्रतिनिधि नही भेज सकेगा।

शत १ किसी प्रातमे शहरी क्षेत्रोसे चुने जानेवाले प्रतिनिधियोकी सख्या उस प्रान्तसे चुने जानेवाले प्रतिनिधियोकी कुल सख्याके २५ प्रतिशतसे ज्यादा नही होगी।

शत २ बम्बई (शहर)का प्रतिनिधियोका अधिकतम कोटा २१ होगा।

शत ३ प्रत्येक प्रात, उसके प्राथमिक सदस्योकी सरया कितनी भी क्यों न हो, कमसे-कम १० प्रतिनिधि भेजनेका अधिकारी होगा।

(छ) (१) जिस जिलेके ग्रामीण क्षेत्रमे प्राथमिक समितियोके योग्यता प्राप्त सदस्य पर्याप्त सरयामे होगे वहा प्रातीय काग्रेस कमेटी उस ग्रामीण क्षेत्रको उपयुक्त हलकोमें इस प्रकार बॉट देगी कि प्रत्येक हलकेमे कमसेकम ५०० योग्यता प्राप्त सदस्य होगे, और प्रत्येक हलकेको एक प्रतिनिधि चुननेका अधिकार होगा।

(२) किसी जिलेके किसी हलके या आपसमे लगे हुए एकसे अधिक हलकोकी प्राथमिक समितियोके ५०० योग्य सदस्योकी मागपर उक्त हलकोको मिलाकर बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र बना दिया जायेगा, लेकिन किसी भी बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमे पाचसे अधिक सीटें नही होगी।

(३) जहा भी सम्भव होगा, वहाँ १०,००० से अधिक आबादीवाले हर शहरको कमसे-कम पाच और ज्यादासे ज्यादा दस सीटोवाले बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रोमे बाट दिया जायेगा। शत यही होगी कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्रमे प्रति सीटके पीछे ५०० योग्य सदस्य हो। लेकिन जिस शहरमें योग्यता प्राप्त सदस्योकी सरया २,५०० से कम है, वहा कमसे-कम सदस्योके पीछे एक प्रतिनिधिके अनुसार उस शहरको बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रोमे बाट दिया जायेगा। शर्त यह होगी कि प्रति सीटके पीछे कमसे-कम ५०० योग्य सदस्य होने चाहिए। लेकिन जहा योग्य सदस्योकी सरया २,५०० से कम होगी वहाँ शहरको कमसे कम ५०० सदस्योके पीछे एक सीटके हिसाबसे बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जायेगा।

(४) बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रोमे चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्वके आधारपर एकल सक्रमणीय मत प्रणालीके अनुसार होगा।

(ज) जब भी आवश्यक होगा तब काय-समिति प्रति ५०० योग्य सदस्योके पीछे एक प्रतिनिधिके अनुपातमे परिवतन कर सकती है और किसी शहरी या ग्रामीण क्षेत्रके लिए एक अधिक ऊँची सख्या निर्धारित कर सकती है, ताकि प्रत्येक प्रातमे शहरी और ग्रामीण प्रतिनिधियोकी कुल सख्याका अनुपात क्रमश १ और ३ हो जाये और कुल प्रतिनिधि-सरया च (२) के अतगत निर्धारित अधिकतम सख्यासे ज्यादा न बढने पाये।

(झ) जो प्रात काय समिति द्वारा निर्धारित तारीखतक या उससे पहले चुनाव सम्पन्न नही करा लेगा उसे काय-समिति वार्षिक अधिवेशनमे प्रतिनिधि भेजनेसे रोक सकती है।

(ञ) प्रान्तीय काग्रेस कमेटी प्रतिनिधियोकी एक प्रमाणित सूची काय समिति द्वारा निर्धारित तारीखतक या उससे पहले काय समितिके पास भेज देगी।

(ट) प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि अपने प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके कार्यालयमें ५ रुपये जमा करने पर एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा जोकि यहाँ संलग्न फार्म 'ग' के अनुसार होगा। इस प्रमाणपत्रपर मन्त्रियोंके हस्ताक्षर होंगे। इस प्रमाणपत्रके न होनेपर कोई प्रतिनिधि अपने पद या अधिकारका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन

अनुच्छेद ७

(क) प्रतिनिधियोंकी सूचियाँ प्राप्त हो जानेपर कार्य समिति एक तारीख निश्चित करेगी। इस तारीखको प्रत्येक प्रान्तमें प्रतिनिधि लोग एक बैठकके रूपमें एकत्र होंगे और निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करेंगे

(१) वे आगामी वर्षके लिए कांग्रेसके अध्यक्षपदके उम्मीदवार या उम्मीदवारोंके नाम प्रस्तावित करेंगे, और प्रत्येक उम्मीदवारके लिए बैठकमें उपस्थित प्रत्येक प्रतिनिधिका मत लेंगे।

(२) वे अपने बीचसे अपनी संख्याके १/१२ सदस्योंको चुनकर अपने प्रान्तकी ओरसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्यके रूपमें भेजेंगे।

(३) यदि किसी प्रान्तके प्रतिनिधियोंकी संख्या १०० से ज्यादा है, तो वे धारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके लिए चुने गये सदस्योंके अलावा अपने बीचसे कुछ सदस्य और चुनेंगे। अ० भा० कां० कमेटीके लिए चुने गये सदस्यों सहित इन अन्य चुने गये सदस्योंकी संख्या १०० होनी होगी, और ये १०० सदस्य प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य होंगे।

(ख) धारा (क)की उपधारा (२) और (३) में बताये गये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्वके आधारपर एकल संक्रमणीय मत प्रणालीके अनुसार किये जायेंगे।

(ग) विभिन्न प्रान्तोंसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके लिए चुने गये सदस्योंको उन प्रान्तोंकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंके मन्त्री सदस्यताका प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ

अनुच्छेद ८

(क) किसी प्रान्तसे अनुच्छेद ६ के अधीन चुने गये प्रतिनिधि, अथवा यदि किसी प्रान्तमें प्रतिनिधियोंकी संख्या १०० से अधिक है, तो वहाँ अनुच्छेद ७ (क) (३) के अन्तर्गत चुने गये १०० प्रतिनिधि, तथा अध्यक्ष तथा सभी भूतपूर्व अध्यक्ष, बशर्ते कि वे अनुच्छेद ३ और ५ के अन्तर्गत योग्यता प्राप्त हैं, उस प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य होंगे।

(ख) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी

(१) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके नियन्त्रण और निरीक्षणमें कार्य करेगी, लेकिन अपने प्रान्तमें कांग्रेस-सम्बन्धी सभी कार्योंका भार

उसपर होगा। वह प्रातमे काग्रेस कायके सचालनके लिए नियम बनायेगी, किन्तु ये नियम सविधानके विपरीत नही होने चाहिए। प्रातीय काग्रेस कमेटी द्वारा बनाये गये नियम काय समितिकी पूव स्वीकृति प्राप्त करनेके बाद ही क्रियात्मक रूप ग्रहण करेगे।

(२) प्रातीय काग्रेस कमेटी वार्षिक अधिवेशन आरम्भ होनेसे कमसे-कम एक महीना पहले अपने प्रातमे किये गये कायका वार्षिक विवरण काय-समितिको भेज देगी।

(३) नई अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी अनुच्छेद ९ (छ) के अतगत विषय समितिके रूपमे अपनी बैठक करे, इससे पहले ही प्रान्तीय काग्रेस कमेटिया प्रतिनिधियोसे प्राप्त शुल्ककी रकम, और किसी प्रातकी आबादी, सदस्यता, और आर्थिक क्षमताको ध्यानमे रखते हुए, काय समिति द्वारा निर्धारित की गई चदे की रकम काय समितिके पास जमा कर देगी। प्रान्तोके जिन प्रतिनिधियो और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योपर लेनदारी रहेगी उन्हे काग्रेस या काग्रेसकी किसी समितिकी कारवाइयामे भाग लेनेकी अनुमति नही दी जायेगी।

वार्षिक अधिवेशन

अनुच्छेद ९

(क) वार्षिक अधिवेशन सामान्यत फरवरी या माच महीनेमे किया जायेगा। अगला वार्षिक अधिवेशन किस स्थानपर होगा इसका निणय पिछले अधिवेशनमे कर लिया जायेगा, अथवा उस स्थानपर किया जायेगा जिसका निणय काय समिति करेगी।

(ख) वार्षिक अधिवेशनमे निम्नलिखित लोग शामिल होगे

(१) काग्रेस-अध्यक्ष,

(२) काग्रेसके वे सभी भूतपूव अध्यक्ष जो अनुच्छेद ३ और ५ के अतगत योग्यता प्राप्त है,

(३) अनुच्छेद ६ के अन्तगत चुने हुए प्रतिनिधिगण।

(ग) जिस प्रान्तमे अधिवेशन होगा वहाकी प्रातीय काग्रेस कमेटी वार्षिक अधिवेशनके लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगी, और इस उद्देश्यके लिए एक स्वागत-समिति बनायेगी जिसमे ऐसे लोगोको भी शामिल किया जा सकता है जो प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सदस्य नही है।

(घ) स्वागत समिति अधिवेशनके खचके लिए धन सग्रह करेगी, प्रतिनिधियो और अभ्यागतोका स्वागत करने और उनको ठहराने तथा अधिवेशनकी कायवाहीकी रिपोटको छपवानेके लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगी।

(ङ) स्वागत समितिके सदस्य अपने ही बीचसे अपने अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियोका चुनाव करेगे।

(च) (१) जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी, विभिन्न प्रांतोंके प्रतिनिधियों द्वारा अध्यक्ष-पदके लिए प्रस्तावित नामों, और प्रत्येक उम्मीदवारको प्राप्त होनेवाले मतोंकी सूचना प्राप्त होनेके बाद कार्य समिति सबसे ज्यादा मत पानेवाले उम्मीदवारको मनोनीत अध्यक्ष घोषित कर देगी।

(२) किसी भी कारणवश कोई आकस्मिक संकट उपस्थित हो जानेकी स्थितिमें, जैसेकि उपर्युक्त तरीकेसे निर्वाचित घोषित किये गये मनोनीत अध्यक्षकी मृत्यु हो जाने अथवा अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र दे देनेकी स्थितिमें, कार्य-समिति यह आकस्मिक संकट पैदा होनेके पन्द्रह दिनके अन्दर उस व्यक्तिको अध्यक्ष चुन लेगी जिसका स्थान अध्यक्ष पदके चुनावमें प्राप्त मत संख्याकी दृष्टिसे दूसरा था।

(छ) वार्षिक अधिवेशन आरम्भ होनेसे कमसे कम दो दिन पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मनोनीत अध्यक्षकी अध्यक्षतामें विषय समितिके रूपमें अपनी बैठक करेगी। पदमुक्त कार्य-समिति इस विषय समितिके सामने अधिवेशनके कार्यक्रमका मसविदा प्रस्तुत करेगी जिसमें विभिन्न प्रांतीय कांग्रेस कमेटियोंकी सिफारिशके साथ भेजे गये प्रस्ताव भी शामिल होंगे।

(ज) विषय समिति अधिवेशनके कार्यक्रमपर विचार करेगी और खुले अधिवेशनमें पेश किये जानेवाले प्रस्तावोंको तैयार करेगी। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों या कार्य-समितिके सदस्योंके सिवा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके किन्हीं अन्य सदस्यों द्वारा पेश किये गये उन प्रस्तावोंपर, जिनकी निर्धारित नियमानुसार उचित सूचना दे दी गई होगी, विचार करनेके लिए कमसे-कम एक दिनका समय दिया जायेगा।

(झ) कांग्रेसकी प्रत्येक बैठकमें विविध विषयोंको निम्नलिखित क्रमसे लिया जायेगा

(१) वे प्रस्ताव जिन्हें विषय समिति स्वीकार करनेकी सिफारिशके साथ पेश करेगी।

(२) कोई भी ऐसा तात्विक प्रस्ताव जो कि (१)में शामिल नहीं है और जिसे दिनकी कार्यवाही आरम्भ होनेसे पहले २५ प्रतिनिधि लिखित रूपमें अध्यक्षसे पेश करनेकी अनुमति मांगें, शर्त यह है कि इस प्रकारका कोई प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक कि उस प्रस्तावपर विषय समितिकी बैठकमें पहले ही विचार न किया जा चुका हो और उस बैठकमें उपस्थित कमसे-कम एक तिहाई सदस्योंका उस प्रस्तावको समर्थन न प्राप्त हुआ हो।

(ञ) स्वागत-समिति द्वारा इकट्ठी की गई कुल रकम और खर्चके ब्योरेकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त एक या एकाधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा जांच की जायेगी, और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी हिसाब किताबका ब्योरा और लेखा-परीक्षककी

रिपोट वार्षिक अधिवेशनकी समाप्तिके तीन महीनेके अदर-अदर काय समितिको भेज देगी।

विशेष अधिवेशन

अनुच्छेद १०

(क) काय-समिति स्वय एक प्रस्ताव पास करके अथवा, जैसीकि अनुच्छेद ११ (ड)मे व्यवस्था है, सदस्योकी ओरसे सयुक्त माग पत्र प्राप्त करने पर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी एक बैठक बुलायेगी जिसमे काग्रेसका एक विशेष अधिवेशन बुलानेके प्रस्तावपर विचार किया जायेगा। यह प्रस्ताव उपस्थित सदस्यो द्वारा दो-तिहाई बहुमतसे स्वीकृत होनेपर ही प्रभावकारी होगा। प्रस्ताव पास हो जानेके बाद काय-समिति काग्रेसका विशेष अधिवेशन बुलायेगी। अधिवेशनके समय और स्थान का निर्धारण भी काय-समिति ही करेगी। इस अधिवेशनके बारेमे सविधानके तत्सम्बन्धी अनुच्छेदोको उन परिवतनोके साथ लागू माना जायेगा जिन्हे काय समिति जरूरी समझनेपर कर सकती है, लेकिन शत यही है कि ऐसे किसी विशेष अधिवेशनमे वे ही लोग प्रतिनिधि हो जो कि पिछले अधिवेशनमे भी प्रतिनिधि थे।

(ख) किसी विशेष अधिवेशनका अध्यक्ष प्रतिनिधियो द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी

अनुच्छेद ११

(क) वार्षिक अधिवेशनका अध्यक्ष, अनुच्छेद ७ (२) के अतगत अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके लिए निर्वाचित सदस्य और अनुच्छेद ९ (ख) (२) मे उल्लिखित सभी भूतपूव अध्यक्ष अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य होगे।

(ख) काग्रेसके अधिवेशनोमे निर्धारित कायक्रमको अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी कार्यान्वित करेगी, और अपने पदकी अवधिके दौरान उठनेवाले सभी नये मसलोसे निपटेगी।

(ग) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको काग्रेससे सम्बन्धित सभी मामलोके सुचारु सचालनके लिए सविधानकी मर्यादामे रहते हुए नियम बनानेका अधिकार होगा।

(घ) वार्षिक अधिवेशनका अध्यक्ष अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका सभापति होगा।

(ड) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठक काय समिति जब भी जरूरी समझेगी, बुला सकेगी। यदि कमसे कम पन्द्रह सदस्य सयुक्त रूपसे काय समितिसे माँग करेगे तब भी अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठक बुलाई जायेगी। बैठककी माग करनेवाले सदस्य अपने मागपत्रमे बैठक बुलानेका उद्देश्य स्पष्ट रूपसे सूचित करेगे। ऐसी किसी बैठकमे अतिरिक्त मामलोपर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते कि उनकी पर्याप्त सूचना सदस्योको दे दी गई हो।

(च) बैठकका कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्योंका एक-तिहाई, या पच्चीस, दोमें से जो भी कम हो, होगा।

(छ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका कार्य काल अगले वार्षिक अधिवेशनके तुरन्त पहले नई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा विषय समितिके रूपमें अपनी बैठक करनेतक जारी रहेगा।

(ज) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रत्येक वर्ष अपने सामने आनेवाले चुनाव सम्बन्धी विवादोंकी जांचके लिए अपनी पहली बैठकमें बारह सदस्योंका एक पैनेल (नाम-सूची) बनायेगी। विवादग्रस्त दोनों पक्ष इस नाम सूचीमें से एक एक व्यक्तिको अपने प्रतिनिधिके रूपमें चुनेंगे, और अध्यक्ष उस नाम सूचीमें से एक सदस्यको निर्णायक नियुक्त करेगा।

(झ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समय समयपर जिन संगठनोंको आवश्यक समझे उन्हें कांग्रेससे सम्बद्ध कर सकती है, बशर्ते कि इन संगठनोंके उद्देश्य ऐसे हैं जिनसे कांग्रेसके उद्देश्यको आगे बढ़ानेमें मदद मिले।

(ञ) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीका प्रत्येक पदेन या निर्वाचित सदस्य १० रु० का वार्षिक चन्दा देगा, और यह चन्दा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी पहली बैठकमें या उससे पहले चुका दिया जाना चाहिए। बाकीदार सदस्योंको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, विषय-समिति या किसी भी अधिवेशनमें भाग लेनेकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

कार्य समिति

अनुच्छेद १२

(क) वार्षिक अधिवेशनका अध्यक्ष अपने कार्य कालके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंमें से चौदह सदस्य चुनेगा जोकि उसकी कार्य समितिके सदस्य होंगे। इन चौदह सदस्योंमें से ज्यादासे ज्यादा तीन कांग्रेसके महामन्त्री और ज्यादासे ज्यादा दो कोषाध्यक्ष होंगे।

(ख) कार्य समिति कांग्रेसकी कार्यकारिणी शाखा होगी, और इस नाते उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीति और कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेका अधिकार होगा, और वह उनके प्रति उत्तरदायी होगी।

(ग) कार्य समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी प्रत्येक बैठकमें उसकी कार्यवाहीकी रिपोर्ट और बैठकका एजेंडा (विचारणीय कार्यावली) रखेगी। कार्य-समिति द्वारा रखे गये प्रस्तावोंके अलावा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य जिन प्रस्तावों की नियमानुसार सूचना देंगे, उन प्रस्तावोंपर विचार करनेके लिए कार्य-समिति कमसे कम पूरे एक दिनका समय देगी।

(घ) कार्य समिति सभी कांग्रेस संगठनोंके रिकार्डों, कागज पत्रों और हिसाब किताबकी पुस्तकोंकी जांच करनेके लिए एक या एकाधिक निरीक्षक नियुक्त करेगी। सभी कांग्रेस-संगठन निरीक्षकोंको सभी जानकारी उपलब्ध करेंगे और अपने कार्यालयों और कागज पत्रोंकी जांच करनेकी सुविधा प्रदान करेंगे।

(ङ) कार्य समितिको

(१) संविधानको सुचारु रूपसे कार्यान्वित करनेके लिए तथा जिन मामलो के लिए संविधानमे व्यवस्था नही की गई है, ऐसे सभी मामलोके सम्बन्धमे नियम बनाने और निर्देश जारी करनेका अधिकार होगा,

(२) उसे सभी कांग्रेस कमेटियोपर निरीक्षण रखनेका, उन्हे निर्देश देने का, और इनपर नियन्त्रण रखनेका अधिकार होगा, लेकिन इस मामलेमे कार्य समितिके कार्योपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को विचार करनेका अधिकार होगा,

(३) यदि कोई व्यक्ति या समिति अनुचित आचरण करे, जान-बूझकर कर्त्तव्यकी अवहेलना करे या कोई व्यतिक्रम करे तो कार्य समितिको उसके विरुद्ध जो अनुशासनकी कारवाई ठीक लगे, उसे वह कार-वाई करनेका अधिकार होगा।

(च) जो प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अपने यहा कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनका आयोजन करेगी, उस कमेटीको कार्य समिति अधिवेशनकी समाप्तिके पन्द्रह दिनके भीतर प्रतिनिधियोसे वसूल हुए शुल्कका पचमाश दे देगी,

(छ) कार्य-समिति प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोके हिसाब-किताबकी नियमित लेखा-परीक्षा करानेके लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

कोष

अनुच्छेद १३

कांग्रेसके कोषका जिम्मा कोषाध्यक्षोके हाथोमे होगा, और वे सभी धन विनियोगो, और आय तथा व्ययका समुचित हिसाब रखेगे।

महामन्त्री

अनुच्छेद १४

(क) महामन्त्रीगण पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कार्य-समितिके कार्यालयकी जिम्मेदारी होगी।

(ख) महामन्त्रियो पर सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सहयोगसे कांग्रेसके वार्षिक अथवा विशेष अधिवेशनकी कार्यवाहीकी रिपोर्ट प्रकाशित करनेकी जिम्मेदारी होगी। यह रिपोर्ट जल्दीसे जल्दी, और अधिवेशन होनेके चार महीनेके अन्दर-अन्दर प्रकाशित कर दी जायेगी।

(ग) महामन्त्रीगण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कार्य समिति द्वारा अपने कार्य कालमे किये गये कार्योकी रिपोर्ट तैयार करेगे, और उनके हाथमे जो कुछ धन आया होगा, उसको पूरे-पूरे हिसाबके साथ कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन होनेसे पहले होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे पेश करेगे।

रिक्त स्थान

अनुच्छेद १५

किसी प्रतिनिधि या अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी या किसी प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सदस्यकी जगह उसके त्यागपत्र देने, उसकी मृत्यु हो जाने या उसके भारतसे दीघकाल तक बाहर रहनेके कारण रिक्त हो जायेगी, और इस जगहकी पूर्ति सम्बन्धित प्रान्तीय काग्रेस कमेटी द्वारा उसी ढगसे की जायेगी जिस ढगसे उस सदस्यको चुना गया था। काय समितिमे कोई स्थान रिक्त होनेपर उस स्थानकी पूर्ति अध्यक्ष करेगा।

अपूर्णांक

अनुच्छेद १६

जहा अपूर्णांकोका मूल्यपर आँकनेका सवाल हो, वहा १/२ या इससे अधिक अशको एक माना जायेगा और १/२ से कमको शून्य माना जायेगा।

भाषा

अनुच्छेद १७

(क) काग्रेस, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी और काय-समितिकी कारवाई सामान्यत हिन्दुस्तानीमे होगी, यदि कोई वक्ता हिन्दुस्तानीमे बोलनेमे असमथ है, अथवा यदि अध्यक्ष अनुमति देगा, तो अग्रेजी भाषा या अन्य किसी प्रान्तीय भाषाका प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोकी कारवाइया सामान्यत सम्बन्धित प्रान्तकी भाषामे होगी। हिन्दुस्तानीका भी उपयोग किया जा सकता है।

अस्थायी व्यवस्था

अनुच्छेद १८

(क) सविधानमे इन सशोधनोके प्रभावकारी होनेपर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी सदस्य सख्या अधिकसे अधिक १६६ होगी और इनका बँटवारा परिशिष्टमे बताये अनुसार होगा।

(ख) जो प्रान्तीय काग्रेस कमेटियाँ काय कर रही है या काय आरम्भ करनेवाली है, उनके सदस्य अपने बीचमे से धारा (क)मे उल्लिखित अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योको एकल सक्रमणीय मतदान प्रणालीके अनुसार चुनेगे।

(ग) जहा प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी वतमान सदस्य सख्या १०० से अधिक है, वहा ऐसी प्रान्तीय कमेटीके मौजूदा सदस्य अपने बीचमे से एकल सक्रमणीय मतदान प्रणालीके अनुसार १०० सदस्य चुन लेगे, जिनमे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य भी शामिल होगे, और सविधानके अन्तगत ये १०० सदस्य ही नई प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सदस्य होगे।

(घ) धारा (ग)के अन्तगत पुनगठित प्रान्तीय काग्रेस कमेटी अपने पदाधिकारियो का निर्वाचन करेगी।

(ङ) धारा (ख) और (ग)के अतगत होनेवाले चुनावोके लिए या तो बैठक बुलाई जायेगी और उसमे मतोको अकित किया जायेगा, अथवा डाकसे भेजे गये मतपत्रो परसे मतोकी सख्या अकित की जायेगी।

(च) ये सभी चुनाव १५ जनवरी, १९३५ से पहले सम्पन्न हो जाने चाहिए और उनकी रिपोट भी उपयुक्त तारीखको या उससे पहले काय-समितिके पास भेज देनी चाहिए।

(छ) प्रत्येक प्रान्तीय काग्रेस कमेटी २८ फरवरी, १९३५ से पहले काय समितिकी स्वीकृतिके लिए अपने प्रातकी स्थिति और प्रवृत्तियोका विवरण, तथा अपने प्रान्तीय सगठनके सविधानका मसौदा काय समितिके पास भेज देगी। प्रान्तीय सविधानका यह मसौदा सविधान तथा सविधानके अतगत बनाये गये नियमोके विपरीत नही हाना चाहिए।

(ज) काय समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनेपर प्रातीय सविधान प्रभावकारी हो जायेंगे।

(झ) काय समिति किसी प्रातीय काग्रेस कमेटीको अथवा किसी अधीनस्थ कमेटीको तबतक मायता नही देगी जबतक कि उसने सविधानमे निर्धारित शर्तों अथवा सविधानके अतगत काय समिति द्वारा बनाये गये नियमोका पालन नही किया होगा।

(ञ) यदि कोई प्रान्तीय काग्रेस कमेटी सविधानके अनुसार काय करनेमे चूक करेगी, तो काय-समिति उस प्रान्तमे काग्रेसका काय चलानेके लिए एक प्रान्तीय काग्रेस कमेटी गठित कर सकती है।

(ट) अनुच्छेद ३ और ५ (क) और (ख) (२)मे जो-कुछ कहा गया है, उसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति उचित योग्यता प्राप्त है तो वह १ जुलाई, १९३५से पहले किसी पद अथवा किसी कमेटीकी सदस्यताका चुनाव लड सकेगा।

(ठ) इस सविधानके अन्तगत प्रतिनिधियो द्वारा अध्यक्षके निर्वाचनसे सम्बन्धित व्यवस्थाओके बावजूद, काग्रेसके ४८ वे अधिवेशनके अध्यक्ष, श्रीयुत राजेद्रप्रसाद अपने पदपर बने रहेगे और यह माना जायेगा कि वे आगे चलकर चुने गये है।

(ड) काग्रेसके ४८ वे अधिवेशनके अध्यक्ष वतमान अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योमे से काय-समितिके चौदह सदस्योको चुनेगे जिनमे तीन महामन्त्री और ज्यादासे-ज्यादा दो कोषाध्यक्ष होगे।

(ढ) पहले जो कुछ कहा जा चुका है, उसकी मर्यादामे रहते हुए काय-समिति सक्रमण-कालमे उपस्थित होनेवाली किसी भी स्थितिसे निपटनेके लिए आवश्यक अस्थायी नियम बना सकती है।

[अग्रेजीसे]

रिपोट ऑफ द फार्टी एटथ ऐनुअल सेशन ऑफ द इडियन नेशनल काग्रेस, १९३४

२७३ भाषण, काग्रेस-अधिवेशन, बम्बईमें[1]

२८ अक्टूबर, १९३४

सभापतिजी, बहनो और भाइयो,

सबसे पहले तो सब बहनो और भाइयोसे क्षमा मागता हूँ कि इस सविधानमे परिवतनका जो प्रस्ताव मै रख रहा हूँ, उसकी कापी आपतक नही पहुँच सकी, अगरचे बहुत ही परिश्रम उठाया, काम भी स्वागत-समितिको बहुत ही करना था। काम इतना अधिक था कि यह देख पडता था कि किस प्रकार तीन दिनमे समाप्त होगा, लेकिन उन्होने यही निश्चय किया कि तीन दिनमे ही सब कारवाई समाप्त कर दी जाये। आज विषय समिति भी देरसे बैठी रही, इसलिए इस प्रस्तावकी कापिया आपतक छपकर न आ सकी। सुधारना तो बहुत-सा है, लेकिन यह तो वकीलोकी चीज़ है। जो सुधार किये गये है उसका तात्पय मै आप लोगाको च द मिनटोमे समझाये देता हूँ। यह हो सकता था कि आप लोगोको इसी बातके लिए कल फिर शामको बुलाया जाता, इससे स्वागत करनेवालोका इतना खच व्यथ बढ जाता और आप लोगोका समय व धन भी व्यथ ही खच होता। मेरा यह मतलब कभी भी नही है कि आपको अपना प्रस्ताव न देकर आपसे धोखेमे पास करा लू।

जिस सविधानके अनुसार हम काम करते है उसे तो आप जानते है। अनुभवसे हमे ज्ञात हुआ है कि प्रतिनिधियोकी सख्या ६,००० होनेके कारण ही काम ठीक नही हो पाता। नागपुर-काग्रेसमे तो प्रतिनिधियोकी सख्या १४,००० थी पर तु उन्हे किसीने भी चुना नही था और वे केवल अपने ही प्रतिनिधि थे। कि तु अब प्रतिनिधियोकी सख्या घटाकर २,००० कर देनेका प्रस्ताब है।[2] मै तो यही चाहता था कि प्रतिनिधियोकी सख्या १,००० हो। परन्तु लोगोके कहनेसे यहाँ उस सख्याको २,००० तक करना स्वीकार कर लिया था। मै चाहता हूँ कि प्रतिनिधिगण स्वत त्रता-प्राप्तिका विचार रखकर इस कमीको स्वीकार कर ले।

इस समय तो काग्रेसके सदस्यो तथा उनके प्रतिनिधियोमे कोई भी सम्ब ध नही रहता है। इस सवैधानिक परिवतनसे स्वराज्य तो मिल जायेगा पर तु काग्रेस असेम्बलीसे प्रतिद्वद्विता करनेवाली एक ऐसी सस्थाके रूपमे खडी हो सकेगी जिसके प्रतिनिधि भी अपने वोटरोकी राय प्रकट करनेका अधिकार रखते होगे। इस प्रस्तावके पास होनेके बादसे काग्रेसकी ओरसे नियुक्त इन्स्पेक्टर काग्रेस-रजिस्टरोकी जाच करेगे और केवल ऐसे काग्रेसजनोको वोट देनेका अधिकार होगा जो कमसे कम छ मास काग्रेसके सदस्य बन चुके होगे। जबतक किसी स्थानपर ५०० काग्रेसजन न होगे तबतक उ हे प्रतिनिधि

१ डॉ० राजे द्रप्रसादकी अध्यक्षतामें होनेवाले कांग्रेसके ४८ वें अधिवेशनमें गांधीजी द्वारा हिन्दीमें दिये गये भाषणकी यह रिपोट मामूली फेर-बदलके साथ ज्योंकी त्यों यहाँ दी जा रही है।

२ यह वाक्य अंग्रेजी रिपोर्ट से लिया गया है।

चुननेका अधिकार न होगा। असेम्बलीके चुनावको देखते हुए तो यह बहुत ही कम हे, क्योकि वहा ८,००० वोटरोको एक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार रहता है, परन्तु गरीबोका प्रतिनिधित्व करनेवाली सस्थाके लिए इतने ही से काम आरम्भ करना मै सन्तोषजनक समझता हूँ। जबतक गाववाले काग्रेसके प्रतिनिधि न चुना करे, आयोजनामे कोई सम्मिलित न होगे, तबतक स्वराज्य प्राप्ति नही की जा सकती और इसीलिए यह नियत किया गया है कि देहाती क्षेत्रोके लिए काग्रेसमे तीन चौथाई प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। इस सम्बन्धमे १०,००० तककी आबादीवाले स्थान देहात माने जायेगे।

काग्रेसमे प्रतिनिधि एकल सक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा चुने जायेगे और एक निर्वाचन-क्षेत्रसे कई प्रतिनिधि हो सकेगे। अ० भा० का० कमेटीके सम्बन्धमे यह कठिन होता है कि ३५० सदस्योकी बैठक बुलाई जाये, क्योकि बार-बार एकत्रित होनेके खर्चोको वे बर्दाश्त नही कर सकते। अत अ० भा० काग्रेस कमेटीमे अधिकसे-अधिक १६६ सदस्य होगे। फिर प्रजासत्तात्मक विचारोवाला कोई भी व्यक्ति इस बातपर राजी न होगा कि प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोकी राय लेकर स्वागत समिति काग्रेसके अध्यक्षका चुनाव करे। अध्यक्षका चुनाव आगेसे स्वय प्रतिनिधियो द्वारा हुआ करेगा।

इसके बाद गाधीजीने खादी और सूतके मताधिकार-सम्बन्धी धाराओको समझाया और कहा

यदि ये अस्वीकृत कर दी जायेगी तो मै बुरा न मानूगा। पर मै यही चाहता हूँ कि यदि ये स्वीकार की जाये तो इनमे पूण विश्वास रखते हुए ही इनके पक्षमे वोट दिये जाये। आप लोग इन मामलोपर मेरे व्यक्तित्वका विचार करके नही कितु मातृभूमिके हितका ध्यान रखकर वोट दीजिए।

जब मैने अपने प्रस्तावोपर समाचारपत्रो और जनता द्वारा की गई टीकाओको पढा तब मैने उन्हे विचाराथ पेश करनेका विचार छोड दिया था। मगर काय-समितिके सदस्योने स्वत अपनी ओरसे उनको आपके सामने पेश करना उचित समझा। मैने परिवतनकी स्कीमपर दूसरोके विचार सुने है। उन्होने अपने पक्षको बखूबी रखा है। मगर या तो वे अपनेको धोखा दे रहे थे या वे केवल एक वकीलका काम कर रहे थे। और उन्होने कहा कि हम आदशवादसे व्यवहारवाद पर उतर आये है। पर क्या समाजवादका कोई आदश नही है? अगर मै उनसे अपने आदशमे से एक भी कम करनेको कहूँ तो वे मेरा प्रस्ताव फेल कर देगे। क्या आप इस बातका अनुभव करते है कि कभी आप अगली पीढीके बाद भी पूण स्वराज्य प्राप्त कर सकेगे? समाजवादका आदश इससे भी कुछ ऊँचा है। मेरा कहना है कि हमे एक मानदण्डकी जरूरत है।

आप इस आशासे इसपर विचार न करिए कि मै इस प्रस्तावके पास हो जाने पर अपने रिटायर होनेके निश्चयपर पुन विचार करूँगा। अगर मैने काग्रेसका नेतृत्व एक ऐसे सविधानसे आरम्भ किया था, जिसके लिए मुख्य रूपसे मै ही जिम्मेदार हूँ तो आज विदा होते हुए मै आपको यह सशोधित सविधान भेट करना चाहता हूँ

जिससे कि आप उस व्यक्तिके अनुभवसे लाभ उठा सके, जिसने कि इस सविधानको आपके साथ रहकर कायमे परिणत करनेका यत्न किया ओर उसमे कुछ दोष पाये है। इसलिए मै चाहता हूँ कि आप इन सशोधनोको पास कर दे।

एक बात यह भी है कि प्रतिनिधि जनताके सच्चे ओर वास्तविक प्रतिनिधि होने चाहिए। हम अप्रत्यक्ष रूपसे करोडो मूक जनताके प्रतिनिधि है। हम उनकी वाणी है और विचार है। १८८६ ई० से काग्रेसकी यही स्थिति रही है। परतु हम अप्रत्यक्ष रूपसे आपके निर्वाचकोके प्रतिनिधि है। क्या हममे से कोई कह सकता है कि वे किसका प्रतिनिधित्व करते ह? क्या वे अपने निर्वाचन क्षेत्रोके सम्पकमे है, और क्या वे उनके भावोको जानते ह? क्या हममे से बडेसे बडा आदमी इस बातको कह सकता है कि वह किस क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करता है? वल्लभभाई गुजरातके बेताजके बादशाह है, मगर वे किस निर्वाचक मण्डलका प्रतिनिधित्व करते है? म किसका प्रतिनिधित्व करता हूँ? इसे मै नही जानता। मै हर एक व्यक्तिको निर्वाचकोका काग्रेस-रजिस्टर पेश करनेके लिए चुनौती देता हूँ। हमे अपने निर्वाचन क्षेत्रो और मतदाताओंके सजीव सम्पकमे रहना चाहिए तभी आप अपना मानदण्ड पा सकते है।

वह सिद्धात जो मै आपके सामने रख रहा हूँ, वह यह है, कि तीन चुनाव एक साथ हो जाये। इससे न केवल आर्थिक सुविधा ही मिलेगी, बल्कि रुपयेकी भी बचत होगी। यदि इसको आप स्वीकार कर लेगे तो इसका भविष्य अचल है। तब प्रतिनिधि अपने निर्वाचको द्वारा चुने जायेगे। वे फिर आजके समान केवल तीन दिनके लिए जमा न होगे और फिर अदृश्य हो जायेगे। वे काग्रेसके सक्रिय सदस्य होगे और सारे साल-भर काग्रेसका काय करेगे। आज ६,३५० मे से केवल ३५० ही अ० भा० काग्रेस कमेटीके सदस्य है।

तब मद्रास तथा बारडोलीमे १०० सदस्योकी काग्रेसका अधिवेशन बुला सकते है। इस तरहके गावका अधिवेशन किस तरह किया जा सकता है, इसकी मैने तफसीलमे योजना बना रखी है। वे गाँववाले आपके दास होगे मगर वे आपको स्वागत-समितिके लिए पैसा न दे सकेगे। स्वागत समिति द्वारा तमाशो और विजय-तोरणोपर लाखो रुपया खच करनेपर मुझे आपत्ति है। हमने विजय कहा प्राप्त की है? कुछ भाइयोने यह भी कहा था कि इस विषयको प्रातोके पास भेज दिया जाये। आप इसे प्रान्तोको क्यो भेजना चाहते है? आप अपने कत्तव्यसे क्यो बचते है? आप अपने कत्तव्य पथसे विचलित न हो। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हरएक आलोचनापर उचित विचार कर लिया गया है। मै आपको एक जटिल और कडा सविधान दे रहा हूँ, जिससे कि कोई बाहर नही जा सकता। अगर इसमे कही खराबी है तो आप उसे अलग कर सकते है। मै चाहता हूँ कि आप मेरे परामशको स्वीकार कर लीजिए। म यह बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस विषयको सूबोपर छोड देगे तो आप राष्ट्रके जीवनका एक बहुमूल्य साल खो देगे।

काय-समितिके सदस्योके चुनावमे अब जिस रिवाजका अवलम्बन किया जाता है, उसको अब काग्रेसके सविधानका अग बना दिया [गया] है। ऐसा सविधान बना

दिया है, ताकि अध्यक्षके चुनावमे कोई दिक्कत न हो। अगर आप चाहते है कि हम काम चलाये, तो हमे अपने मागे हुए अधिकार दीजिए।

अन्तमे गाधीजीने प्रतिनिधियोसे इस बातकी अपील की कि वे इस नये सविधानको इस इरादेके साथ स्वीकार करे कि उसे अपूव सफलता प्राप्त हो। (हष-ध्वनि।) [1]

अब मै अग्रेजीमे भाषण कर रहा हूँ और यह प्रयास कर रहा हूँ कि उन्ही भावनाओको व्यक्त करूँ जिन्हे मैने राष्ट्र भाषामे व्यक्त किया है। यह कठिन बात है, क्योकि दो भिन्न भाषाओमे अपना दिल निकालकर नही रखा जा सकता। दिलकी बाते बहुत गहरी भावनाओके साथ निकलती है और उसकी आवाज हृदयके गहनतम अन्तरालसे निकलती है। आप वक्ताके रूपमे मेरी परख वाग्मिताके गुणसे तो नही करना चाहेगे। आप मेरे साथ राष्ट्रीय काय करना चाहते है। म आपसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि सविधानका पूरा विवरण जितना देना चाहिए, उतना न देनेके लिए आप कृपया मुझे क्षमा करेगे। यह प्रस्ताव बहुत ही दूरगामी महत्त्वका है। यह काग्रेससे आत्मत्यागके इतिहासकी पुनरावत्ति चाहता है और प्रतिनिधियो और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योकी सख्यामे और कमी करना चाहता है।

अन्तमे मै प्रतिनिधियोसे निवेदन करता हूँ कि वे इस इच्छाके साथ नये सविधानको पारित करे कि उसे सफल बनाना है।[2] (हष ध्वनि)।

रिपोट ऑफ द फॉर्टी एटथ ऐनुअल सेशन आफ द इडियन नेशनल काग्रेस, १९३४, पृ० ११८-२५

२७४ सन्देश राष्ट्रके नाम[3]

२८ अक्टूबर, १९३४

मै अधिवेशनके परिणामसे पूणत सन्तुष्ट हूँ।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-१० १९३४

१ इसके बाद गाधीजीने अपना भाषण अग्रेजीमें दिया जिसका अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है।
२ क० मा० मुन्शीने प्रस्तावका अनुमोदन किया और यह भारी बहुमतसे पास कर दिया गया।
३ यह सन्देश रविवारकी रातको गाधीजीने एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको दिया था।

२७५ वक्तव्य समाचारपत्रोको

बम्बई
२९ अक्टूबर, १९३४

काग्रेससे मेरे अवकाश ग्रहण करनेके पीछे जो भावना है, यदि उसको काग्रेसजनोने समझ लिया है तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि विधान सभाके लिए काग्रेसी उम्मीदवारोको विजयी बनानेके लिए वे दूने जोरसे और पूरी ईमानदारी तथा मेहनतके साथ प्रयत्न करे। मैंने इस राष्ट्रीय सगठनको कमजोर बनानेके लिए नही, बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत बनानेके लिए अवकाश ग्रहण किया है। मैंने विरोधी पार्टिया द्वारा प्रकाशित सूचनाएँ देखी है जिनमे मेरी प्रशसाकी आडमे यह सकेत किया गया है कि मैंने काग्रेसको विरक्त होकर छोड दिया है। यह बात बिलकुल मिथ्या है। मेरे मनमे काग्रेसके लिए अत्यन्त आदरका भाव है। जब हम अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेगे और यह लक्ष्य हम निश्चय ही प्राप्त करेगे, तो यह देखा जा सकेगा कि इस उपलब्धिके पीछे काग्रेसका योगदान सबसे ज्यादा है। अत इस समय जो चुनाव सघष है उसमे व्यक्तियोका नही, नीतियोका सघष है। काग्रेसी उम्मीदवारको दिया गया प्रत्येक वोट हमे हमारे लक्ष्यके और निकट ले जायेगा। जिस सगठनने अभी-अभी एक नये सविधानके रूपमे आत्मत्यागका एक अध्यादेश जारी किया है, वह सगठन मेरी रायमे सावत्रिक समथन प्राप्त करनेके योग्य है। इस समय इस समथनको व्यक्त करनेका सर्वोत्तम तरीका यह है कि यथासम्भव ज्यादा से-ज्यादा काग्रेसजनाको विधान-सभामे चुनकर भेजा जाये।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, २९ १० १९३४

२७६. वक्तव्य: रेशमी धागेके बारेमे

२९ अक्टूबर, १९३४

मैने अखबारमे एक खबर पढी है जिसमे मुझे ऐसी राय प्रकट करते हुए बताया गया है कि रेशमका धागा किसी ऐसी चीजसे निकाला जाता है जो बाहरसे मँगाई जाती है और इसलिए मेरी रायमे वह उपयोगके योग्य नही है। मैने ऐसी कोई राय कभी व्यक्त नही की है। अखिल भारतीय चरखा-सघ काफी लम्बे समयसे देशमे बने रेशमी वस्त्रोको प्रमाणित करता रहा है। अब इस नीतिको सूतसे बनी खादीके हितमे परिवर्तित किया जा रहा है।

[अग्रेजीसे]

बाम्बे क्रानिकल, ३० १०-१९३४

२७७. पत्र: आनन्द तो० हिगोरानीको

२९ अक्टूबर, १९३४

प्रिय आनन्द,

मै जानता हूँ कि तुम ठीक चल रहे हो। अस्पतालसे मुक्त होनेके बाद वर्धा आनेका तुम्हारा विचार अच्छा है।[1]

सप्रेम,

बापू

अग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिगोरानी

१ देखिए "पत्र: आनन्द तो० हिगोरानीको", १६-१०-१९३४।

२७८ पत्र हीरालाल शर्माको

२९ अक्टूबर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारे खतका उत्तर इसके पहले भेज नही सका।

चक्कीका आटा पीसवाकर खानेमे मै कोई दोष नही पाता।

किसीके पाससे ओढनेका ले लेना धम है।[1]

तुमारे घी लेना ही चाहीये। बटर आवश्यक हो तो बटर।

रोगीका सबध होते हूए तुमारे मेरे दोषोको बताना ही चाहीये।

रामदासकी परमिट[2] अब तक नही मिली है।

दिल चाहे तब आ जाओ। शरीर कभी मत बिगाडो। पसे चाहीये सो ले लो।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वष, पृ० १११ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

२७९ वक्तव्य समाचारपत्रोको

३० अक्टूबर १९३४

बम्बईमे अपने मौनव्रतके दौरान मुझे अखबारवालोके कई प्रश्न प्राप्त हुए, लेकिन उनके लिखित उत्तर देनेका उस समय मेरे पास बिलकुल समय नही था। मिलनेवालोका ताता बँधा रहा और शिविर छोडनेके समयतक मुझे उनके प्रश्नोके उत्तर पर्चियोपर लिखने पडे। अब मै इन प्रश्नोके तथा उसके बाद किये गये प्रश्नोके उत्तर दे रहा हूँ।

पहला प्रश्न है कि क्या मै अपना इस्तीफा पहले ही दे चुका हूँ। औपचारिक रूपसे मैने २८ अक्टूबर तक वैसा नही किया था, लेकिन अब वह राजेन्द्रबाबू तथा अन्य सम्बधित पदाधिकारियोके नाम लिखित एक पत्रके रूपमे भेजा जा रहा है।[3]

१ हीरालाल शर्माकी शाल गुम हो गई थी और वह इसके बिना ही काम चला रहे थे।

२ दक्षिण आफ्रिका जानेके लिए।

३ देखिए पत्र गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके मन्त्रीको', पृ० २८७ तथा 'पत्र राजेन्द्र प्रसादको", पृ० २८८।

इसका यह मतलब नही है कि इसके साथ ही मै देशकी राजनीतिमे या देशके राजनीतिक भविष्यमे दिलचस्पी लेना भी ब द कर रहा हूँ। इसका यह मतलब तो हर्गिज नही है कि जिस सगठनकी भलाईकी खातिर मैंने उसे छोडा है, उसकी भलाईमे मै दिलचस्पी लेना ब द कर दूगा। यह जरूर है कि मै काग्रेस कायकी तफसीलमे दिलचस्पी लेना बन्द कर दूगा। यह निश्चित है कि मै काग्रेसकी नीतिका निर्धारण नही करूँगा, जिसका सौभाग्य मुझे अधिवेशनके अ तिम क्षणतक प्राप्त रहा था।

मै एक या दो दृष्टान्त देना चाहूँगा। कल जब मै मौनव्रतका पालन कर रहा था, तब राजे द्रबाबू और काय-समितिके कई सदस्य मेरे पास नई काय समितिके गठनके बारेमे चर्चा करने आये। हमने एक या दो नामोपर ही विचार किया था कि मुझे अपने कायकी असगतताका ध्यान आया। तत्काल मैंने अपनी स्लेटपर लिखा, "निश्चय ही मुझे अब इन चीजोपर चर्चा नही करनी चाहिए।" उपस्थित सदस्योने फौरन मेरे इस कथनका महत्त्व समझ लिया, और बडी उदारतापूवक उन्होंने मुझसे कुछ दूर हटकर फुसफुसाहटके स्वरमे बातचीत आरम्भ कर दी। मै यह कह सकता हूँ कि वर्धामे यह वक्तव्य बोलकर लिखाते समयतक मै नई काय समितिके सदस्योके बारेमे कुछ नही जानता। अवकाश ग्रहण करनेके समयतक म अजमेरके दुर्भाग्यपूण विवादमे दिलचस्पी लेता रहा था।[1] लेकिन काग्रेसजनोको इन दो दृष्टा तोसे समझ लेना चाहिए कि इस प्रकारके मामलोमे अब वे मुझसे किसी प्रकारके मागदशनकी आशा नही कर सकते। यदि मै सगठनके दिन-प्रतिदिनके कार्योमे दिलचस्पी लूगा या आ तरिक विवादोमे दिलचस्पी लगा तो न केवल मेरे अवकाश ग्रहण करनेका श्लाघनीय प्रभाव ही व्यथ हो जायेगा, बल्कि मै झगडेका एक शक्तिशाली कारण बन जाऊँगा, क्योकि तब मुझे उन तफसीलोकी पूरी जानकारी नही होगी जिनके आधारपर मै अबतक अधिकाश मामलोमे सही निणयपर पहुँच सका था।

काग्रेस-सगठनमे मेरी दिलचस्पी अब दूरसे यह देखनेमे ही होगी कि उन सिद्धान्तो को लागू किया जाता है जिनके लिए काग्रेस खडी है। इसलिए काग्रेसजनोको समझ लेना चाहिए कि काग्रेस सगठन या व्यक्तिगत रूपसे उसके सदस्योके काय करनेके तरीकोकी जब मै चाहूँगा तब आलोचना करूँगा। लेकिन इसका भी यह मतलब नही है कि काग्रेसके दिन प्रतिदिनके कार्योके सिलसिलेमे मुझसे मागदशनका अनुरोध करते हुए लोग मुझे आगे भी उसी प्रकार पत्र लिखते रह जिस प्रकार अबतक लिखते रहे है। आगेसे उ हे यह मागदशन काग्रेसके अध्यक्षसे मागना चाहिए, और मै जानता हूँ कि उनकी सलाह मूल्यवान होगी। या फिर उ हे उन लोगोसे सलाह मागनी चाहिए जिनमे उनका विश्वास हो। मुझे मुक्त छोड दिया जाना चाहिए ताकि जो काम मेरे दिमागमे है, मै उसे कर सकू।

यह बात ध्यानमे रहे कि मै राजनीतिको अ य राष्ट्रीय प्रवृत्तियोसे कुछ अलग ढगकी चीज नही मानता। राजनीतिका बुनियादी मतलब है नागरिक शास्त्र, और इसका सम्ब ध शिष्टाचारसे भी है, और चूकि नागरिकताकी सीमाओको इतना व्यापक कर

१ देखिए खण्ड ५८।

दिया गया है कि उसके अन्तगत सारे ससारके देश आ जाते है, इसलिए राजनीति शास्त्रमे मानवताकी सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति भी शामिल है, यहा 'राजनीति' का उस सकीण अथमे प्रयोग किया गया है जिसमे हम उसका उपयोग करनेके आदी है। १९१५ मे भारत वापस लौटनेके बादसे मेरी दिली कोशिश यह रही है कि राजनीतिको उसके बुनियादी अथमे फिरसे प्रतिष्ठित किया जाये, और अगर हम बिलकुल सच्चे है तो हमे यह स्वीकार करना होगा कि काग्रेसका कायक्रम प्रधान रूपसे उत्तरोत्तर सामाजिक, नैतिक और आर्थिक पहलूपर जोर देता चला गया है। काग्रेसका कायक्रम एक शक्तिशाली कायक्रम इसलिए बन गया है क्योकि इसका राजनीतिसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। काग्रेसका राजनीतिक उद्देश्य विदेशी शासनके जुएको उतार फेकना और स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। उसका उद्देश्य अय देशोके साथ मैत्रीके सम्बध तोडना नही है, बल्कि अय देशोके साथ बिलकुल बराबरीके स्तरपर स्वेच्छासे सम्बन्ध बनाये रखनेका है। यदि काग्रेसजन रचनात्मक कायक्रमको भूल गये और विधान-सभा तथा विधान परिषदोके चुनाव जीतने तथा विधान सभा और विधान परिषदोमे होनेवाली निष्फल बहसोपर ही सारा ध्यान लगायेगे तो जल्दी ही वे देखेगे कि राजनीति-रूपी दानेका असली तत्व तो मै अपने साथ ले गया हूँ और उन्होने अपने लिए केवल ऊपरका भूसा-भूसा रख लिया है, जिसमे विटामिन भी नही है। लेकिन मुझे ऐसा कोई भय नही है। विधान मण्डलोमे जानेवाले काग्रेसजन काग्रेस कायक्रमको आगे बढायेगे और अपने वोटोके जरिये राष्ट्रकी इच्छाको व्यक्त करेगे।

काग्रेसका यह अधिवेशन मेरे लिए आख खोलनेवाला सिद्ध हुआ है। मैने सोचा था कि जो महत्त्वपूण सुझाव मैने दिये थे लेकिन बादमे वापस ले लिये थे, और सविधानमे जो उतने ही महत्त्वपूण परिवतन मैने सुझाये थे और जिनपर मै अडा हुआ था, लेकिन जिनका मेरे अवकाश ग्रहण करनेसे कोई सम्बन्ध नही था, उनको लेकर काय समितिके सदस्योके साथ मेरी घनघोर छिडेगी। लेकिन मैने पाया कि काय समितिके सदस्य 'अपने-अपने ढगसे उन सशोधनोके पक्षमे' थे। यह तो उन्होने अच्छी तरह समझ ही लिया था कि मेरा अवकाश ग्रहण करना नैतिक दृष्टिसे निश्चित ही है। प्रत्येक सदस्य इस निष्कषपर पहुँचा कि 'वैध और शातिपूण' को बदल कर उसकी जगह 'सत्यपूण और अहिंसात्मक' शब्दोको रखना जरूरी है, क्योकि उन दोनो शब्दोके अथ बहुत अस्पष्ट थे। मै उन्हे उनके स्वतन्त्र निणयको कार्यान्वित करनेसे नही रोक सकता था।

ऑख खोलनेवाला यही अनुभव मुझे विषय समितिमे भी हुआ। काग्रेस सिद्धान्तमे परिवतनका प्रस्ताव स्वीकृत नही हुआ, लेकिन उसे बिना विचारे रद भी नही किया गया। उसे प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोकी रायके लिए उनके पास भेज दिया गया। और अब चूकि मै रास्तेसे हट गया हूँ और प्रान्त इस स्थितिमे है कि वे बिना किसी बाधाके मुक्त रूपसे उसपर अपना निणय दे सके, इसलिए मेरी हार्दिक कामना है कि स्वय अपने प्रति और काग्रेसके प्रति ईमानदार रहनेकी गरजसे उनका पहला काम यह होगा कि वे प्रस्तावित सशोधनोपर अपना सुनिश्चित और सुस्पष्ट मत

व्यक्त करे। अस्पष्टता तो स्पष्ट है। बहुत से लोगोने मेरे इस सुझावसे असहमति प्रकट की है कि 'सत्यपूण और अहिसात्मक' तथा 'वैध और शान्तिपूण', ये दोनो चीजे समानार्थी है। यदि काग्रेस इन दो शब्दोका वह अथ नही लगाती तो उसे इन शब्दोको बिलकुल हटा देनेकी सिफारिश करनी चाहिए। इन सशोधनोको स्वीकार करके वे विचाराथ विषयकी सीमाका उल्लघन नही कर रहे होगे। हम चाहते है कि मानवजाति हमारे सिद्धान्तोके आधारपर ही हमारे बारेमे निणय करे। इस सिद्धान्त रूपी मापदण्डके बारेमे कोई अनिश्चितता नही होनी चाहिए। जिस चीज पर हम जीवनके साधारण मामलोमे आग्रह करते है, वह राष्ट्रके मामलोमे तो निश्चय ही अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार हम किसी ऐसे राजकी कल्पना नही कर सकते जिसके पास समकोण नापनेका औजार न हो या दर्जीकी कल्पना नही कर सकते जिसके पास गज न हो, उसी प्रकार हम काग्रेस जैसे एक बडे सगठनकी बिना उसके मापदण्डके कल्पना नही कर सकते। यदि हमे पूण स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए पूण सत्यवादिता और पूण अहिसाकी आवश्यकतामे सन्देह है तो हमे वैसा कह देना चाहिए। इसमे कुछ गलत नही होगा। उसका यह अथ नही होगा कि हमने सत्य या अहिसाको छोड दिया है। इसका अथ होगा कि हमने सत्यवादिता और अहिसाको स्वतन्त्रताके साथ जोडना बन्द कर दिया है, एकको कारण और दूसरेको उसके अवश्यम्भावी परिणामके रूपमे देखना बन्द कर दिया है, यह मानना बन्द कर दिया है कि साधन और साध्यके बीच अभगनीय सम्बन्ध है।

जहा एक ओर काग्रेसके सिद्धान्तमे सशोधन सम्बन्धी प्रस्तावको पास करानेमे कठिनाई थी, वही अन्य सशोधन विषय समिति और खुले अधिवेशन, दोनो जगह सरलतासे पास हो गये। मुझे जो चीज देखकर खुशी हुई, वह यह थी कि जो लोग किसी सशोधनका विरोध भी करना चाहते थे उन्होने बिना झिझक विरोध किया लेकिन शिष्ट ढगसे। पूरे समय लोगोने खुशीसे सभापतिकी आज्ञाका पालन किया, जबकि मै तो हुडदगकी सम्भावना मान रहा था। और हालाकि सदस्यगण जानते थे कि मै काग्रेसमे नही रहनेवाला हूँ, तो भी सारे सशोधन पास कर दिये गये।

प्रतिनिधियोको सशोधित सविधानकी प्रतिया प्राप्त करनेका अधिकार था, लेकिन जिस प्रकार अधिवेशनमे उपस्थित १५०० प्रतिनिधियोने अपने इस अधिकारको छोड दिया, वह ऐसी उदारता और विश्वासका परिचायक है जिसपर किसी भी देशको गव हो सकता है। और इसके बावजूद प्रतिनिधियोने यह समझ लेनेके बाद कि सशोधन क्या है और उनके फलिताथ क्या है, बहुत भारी बहुमतसे उन्हे पास कर दिया। कारण, उन्होने एक घटेसे ऊपर सशोधनोके बारेमे मेरा यथातथ्य स्पष्टीकरण सुना। कुछ अत्यन्त महत्त्वपूण सशोधनोके सम्बन्धमे मेरी उक्तियोके बीच उन्होने जो हषध्वनि की, उससे पता चलता था कि वे मेरे स्पष्टीकरणको बहुत ध्यानपूवक सुन और समझ रहे थे। यह सब इसलिए सम्भव हो सका क्योकि विषय समितिकी बैठक और खुले अधिवेशन दोनोके लिए लाउडस्पीकरोका बहुत अच्छा इन्तजाम था।

अब चूकि नया सविधान एक ठोस तथ्यका रूप ग्रहण कर चुका है, अत प्रान्तीय काग्रस कमेटियोको उसे ईमानदारीसे लागू करनेकी आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए।

हालाकि उन्हे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके लिए चुनाव करने और अपनी सख्या घटाकर १०० करनेके लिए १५ जनवरीतक का समय दिया गया है यानी, जहा उनकी सख्या १०० से ऊपर थी तथापि, उन्हे ये दो चीजे फौरन कर डालनी चाहिए।

मै एक चेतावनी भी देना चाहूँगा। मै आशा करता हूँ कि कोई ऐसा नही समझेगा कि खद्दर-सम्बन्धी धारा और श्रम मताधिकार सम्बन्धी धारा फौरन लागू नही होती। जिनको इनमे विश्वास नही है, जो हर कपडा छोडकर केवल खद्दर ही नही पहनना चाहते या देशकी खातिर कोई शारीरिक श्रम नही करना चाहते, वे लोग यदि किसी निर्वाचित सस्थाके सदस्य है तो फौरन इस्तीफा दे दे। और प्रान्तीय काग्रेस कमेटिया ऐसे लोगोको समितियो या अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका सदस्य नही चुनेगी जो आदतन खादी नही पहनते या जो शारीरिक श्रम नही करना चाहते। कताई नि सन्देह श्रमका सबसे ज्यादा स्वाभाविक और सरल रूप है और खद्दर सम्बन्धी धारासे जुडा हुआ है। लेकिन जो लोग कताईमे विश्वास नही करते वे किसी प्रकारका शारीरिक श्रमका काय हाथमे ले सकते है। सिलाईका काम काफी आसान है, चाहे सुईसे किया जाये या मशीनसे। चार टोपिया सीना, ५०० गजसे अधिक एकसार सूत कातनेके बराबर होगा। पडोसके किसी गावमे सफाईका काम तो बेशक उसके बराबर होगा। जिन क्षेत्रोमे मलेरियाका प्रकोप होता है वहा घर घर जाकर कुननका चूण या टिकिया बॉटना भी उसके बराबरका श्रम माना जायेगा। इस धाराके जरिये जो चीज प्रतीकात्मक मानी जाती है उसीके चलते कई काग्रेसजन अपने कार्योमे विशेषज्ञ भी बन जा सकते है और परिणामस्वरूप वे देशकी आर्थिक प्रगतिमे जबदस्त योगदान दे सकते है। यह सब विशुद्धतम ढगका सत्याग्रह है। मै इस अथमे अपनी लापरवाही स्वीकार करता हूँ कि अतीतमे मैने इन चीजोपर इस भावसे आग्रह नही किया कि ये सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेकी पूव शत है। मै इस दलीलसे अभिभूत हो गया था कि राष्ट्र इन चीजोको सविनय अवज्ञाके दौरान अपने-आप ग्रहण कर लेगा।

यह आशा पूरी नही हुई है। [काग्रेसजनाकी] यह उपेक्षा हालाकि अनजाने रही है तथापि, मेरे अवकाश ग्रहणको उसका प्रायश्चित्त जरूर माना जा सकता है। लेकिन चूकि मै अपने आपको सत्याग्रहका विशेषज्ञ मानता हूँ, अत मै अज्ञानको कोई बहाना नही मानता। इसलिए मै आशा करता हूँ कि सविधानकी महत्त्वपूण धाराओको तुरत कार्यान्वित किया जायेगा। मेरा उद्देश्य यह है कि लोगोमे सविनय अवज्ञाकी क्षमताका विकास हो, ताकि सविनय अवज्ञा करनेकी कभी जरूरत ही न पडे। अवज्ञा यदि पूणत सविनय हो तो उसका प्रतिरोध करनेकी इच्छा भी किसीके मनमे नही होगी।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, ३१-१०-१९३४

२८० पत्र डॉ० विधानचन्द्र रायको

३० अक्टूबर, १९३४

प्रिय डा० विधान,

मुझे जुकाम हो गया था। इसलिए हाथसे लिखनेके बजाय म मजबूरन इसे बोलकर लिखवा रहा हूँ। आपने मुझे ऐसा अनुभव कराया है कि मै आपको अपना एक घनिष्ठ सह कायकर्त्ता समझू जिसको मै बिना किसी बाधाके नि सकोच लिख सकता हूँ। जहा आपने मेरा सकोच देखा है वहा आपको उसपर रोष भी हुआ है। म यह पत्र नि सकोच होकर लिखनेकी स्वतत्रता ले रहा हूँ।

मैंने नई काय समितिके सदस्योके नामोपर होनेवाली बहसमे भाग लिया। राजेद्रबाबू और अन्य लोग मेरे मौनके दौरान आये और उन्होने बहस छेड दी। हम लोग दो नामोपर पहुँचे थे। जवाहरलाल जबतक जेलमे थे तबतकके लिए उनके स्थान पर मैने एक नाम सुझाया था, और जब हमने बगालके प्रतिनिधिके बारेमे विचार किया तब मैने अपनी राय दे दी। लेकिन मैने देखा कि मै अपनी इस शपथका भग कर रहा हूँ कि अधिवेशनके बाद मै काग्रेसका सदस्य नही रह जाऊँगा। इसीलिए मैने उस दिन अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी या काय समितिकी बैठकमे भाग नही लिया। यही कारण है कि मैने एकदम बहस रोक दी और स्लेटपर लिखा "निश्चय ही मुझे अब इन चीजोपर चर्चा नही करनी चाहिए।" बेशक, सदस्योने कुछ दूर हटकर अपना विचार-विमश जारी रखा और इस बातका ध्यान रखा कि मै उसे सुन न सकू।

उनके सामने जो कठिनाई थी, वह यह कि बगालके प्रतिनिधिके रूपमे आपको चुने या प्रफुल्ल घोषको। मैने लिखा कि मौलाना साहब[१]को ही बगालका प्रतिनिधि-पद दिया जाये और प्रफुल्ल घोष अथवा आप इस कमेटीमे न रहे। मैने आगे यह भी लिखा कि मौलानाके अलावा यदि किसीको चुनना हो, तो वह आप ही होने चाहिए। आप ही अलग हट जाये, तो दूसरी बात है, लेकिन यह सम्भव नही था कि वतमान प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी इच्छाकी अवमानना किये बिना आपकी उपेक्षा की जा सकती। इसी चरणपर मैने अपनी गलती अनुभव की और सहसा बहसमे भाग लेना बन्द कर दिया। लेकिन जिस हदतक मै जा चुका हूँ उसके लिए बिना कोई अफसोस किये मै आपको लिख सकता हूँ कि मैने जिस आत्म-निरोधकी बात लिखी है वह बगालकी राजनीतिके लिए सबसे अच्छी चीज होगी। आप जानते है कि मैने किस प्रकार राजगोपालाचारीको दबाया है, अथवा कहे कि राजगोपालाचारीने दबाया

१ अबुल कलाम आजाद।

जाना स्वीकार किया है। मै नही समझता कि हमारे आत्मदमनसे देशको कोई नुकसान हुआ है। इससे राजगोपालाचारीको निश्चय ही लाभ हुआ है, और यदि दक्षिण भारतमे वह ससदीय सघषमे अत्यन्त उपयोगी है तो अपने आत्मत्यागके कारण ही है, इसमे मुझे कोई सन्देह नही है।

लेकिन यह तो सम्भव ही है कि मै इस मामलेमे गलतीपर होऊँ। मुझे लगा कि जो राय मैने कल कायम की थी, लेकिन जिसे कल मै उतने विस्तारसे व्यक्त नही कर सका था जितने विस्तारसे आज कर रहा हूँ, उसे यदि मै दूसरोके आगे नही रखूगा तो म आपके प्रति सच्चा नही होऊँगा। अगर इस पत्रसे आपको कोई मदद न मिलती हो तो इसे आप ध्यानसे निकाल दे। लेकिन मै आशा करता हूँ कि आप किसी भी हालतमे इसे धृष्टतापूण हस्तक्षेप नही मानेगे। सही बात यह है कि जहातक मेरा सवाल है, आप और मै दिनो-दिन एक दूसरेके निकट आते गये ह। कलकत्तेकी मेरी हालकी यात्रामे[1] आपके साथ जो सम्पक हुआ, उसने आपको मेरे और करीब ला दिया। पिछले एक हफ्तेकी थकानेवाली व्यस्ततामे आपसे जो सहायता मिली, उसकी मै हृदयसे कद्र करता हूँ, और यह बात मैने बहुत-से मित्रोको बतानेमे कोई सकोच नही किया है। अगर यह पत्र उस पारस्परिक सहयोगके विकासमे बाधक न सिद्ध हो तो आप जो भी फैसला करे, मै पूरी तरह सन्तुष्ट रहूँगा। मै इस बातके लिए बहुत चिन्तित हूँ कि बगालमे एक समागी और सुसगठित काग्रेस पार्टी हो और उसमे कोई आन्तरिक भेद न हो।[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल न० ६२८, १९३६, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

१ जुलाई, १९३४ मे।
२ इस पत्रकी एक प्रति डॉ० राजेन्द्रप्रसादको भेजी गई थी, देखिए अगला शीर्षक।

२८१ पत्र राजेन्द्रप्रसादको

[३० अक्टूबर, १९३४][1]

दा० विधानका खत मुझे आया है। तुमारे पर गया है उसकी नकल भी भेजी है। इसलिए यह कोपी मेरे पत्रकी भेजता हू।

बापु

ए० आई० सी० सी० फाइल न० जी०-३०, १९३३, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

२८२ पत्र गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके मन्त्रीको

३० अक्टूबर, १९३४

मन्त्री महोदय
[प्रातीय काग्रेस कमेटी
अहमदाबाद]

महोदय,

काग्रेसकी सदस्यताके लिए मेरा जो सूत जमा होता है उसे अबसे बन्द कर दीजिएगा। अखिल भारतीय चरखा सघके काग्रेस सदस्योके रजिस्टरमे से मेरा नाम काट दीजिएगा।

आपका,
मोहनदास करमचन्द गाधी

मैंने सावजनिक रूपसे [काग्रेससे बाहर रहनेका] अपना जो निश्चय व्यक्त किया है, उसके अनुसार मैं आपसे इस पोस्टकाडके द्वारा विनती करता हूँ कि आप काग्रेस-रजिस्टरसे मेरा नाम काट डाले।

आपका,
मोहनदास करमचन्द गाधी

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१ यह डॉ० विधानचन्द्र रायके नाम ३० अक्टूबर, १९३४ के पत्रकी प्रतिपर लिखा था, देखिए पिछला शीर्षक।

२८३ पत्र राजेन्द्रप्रसादको

३० अक्टूबर, १९३४

भाई राजेन्द्र बाबू,

मेरे निश्चयके अनुसार मैं ऑल इडिया काग्रेस कमेटीमे से अब हट जाता हूँ, मेरा नाम कमेटीके दफ्तरमे से निकाल दिया जाए।

आपका,
मो० क० गाधी

श्री राजेन्द्र प्रसाद
प्रेसिडेट, [इडियन] नेशनल काग्रेस
द्वारा बिरला मिल्स, दिल्ली

ए० आई० सी० सी० फाइल न० ४६३, १९३४, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

२८४ पत्र पी० कोदण्डरमय्याको

३१ अक्टूबर, १९३४

प्रिय कोदण्डरमय्या,

आपका पत्र मिला। मैने अपना समय पहलेसे उन चीजोके लिए गिरवी रख दिया है जिन्हे मुल्तवी नही किया जा सकता। इसलिए मै आपसे कोई वादा नही कर सकता और न कोई आशा बँधा सकता हूँ। मै नही जानता कि मेरी किस्मतमे क्या बदा है। यदि मै अगले कुछ महीनोके लिए अपना माग साफ साफ देख सकू तो आपने जिस यात्राका सुझाव दिया है, वह मैं अवश्य करना चाहूँगा। इस बीच यदि आपने उत्कट अन्वेषकके रूपमे इस विषयका अध्ययन किया है तो मै चाहूँगा कि आप मुझे छ पिछडी हुई जातियोका विशद विवरण लिख भेजे। यह सुपाठ्य, सक्षिप्त और 'हरिजन' के स्तम्भोमे प्रकाशित करने योग्य होना चाहिए। आपको मुझे अपना थोडा-सा और परिचय देना होगा। आप कौन है? आप क्या

कर रहे है? स्वराज्य आश्रमका स्वरूप क्या हे? आदिवासियोके इस कायमे आपका क्या योगदान है?

हृदयसे आपका,

श्री पी० कोदण्डरमय्या
स्वराज्य आश्रम
पोल्लावरम
बरास्ता कोव्वयूर, एम० एस० एम० रेलवे

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजय प्यारेलाल

२८५ पत्र क० मा० मुन्शीको

३१ अक्टूबर, १९३४

भाईश्री मुशी,

सविधान [का मसविदा] तुम्हे जमनालालजी देगे। मैने उसे बारीकीसे देख लिया है। मैने जो सशोधन किये हैं उन्हे समझनेमे दिक्कत तो नही होनी चाहिए। लेकिन यदि मेरे समझनेमे कही भूल हुई हो तो भले एक-दो दिनकी देर हो जाये। यदि तुम मुझे विस्तारपूवक लिखोगे तो मै अपनी भूलको समझनेकी चेष्टा करूगा। तुमने जो प्रति भेजी है उसमे फॉम नही है। परिशिष्टमे जिस प्रकार अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योकी नामावली दी गई है उसी प्रकार प्रत्येक प्रान्त अधिक-से-अधिक कितने सदस्य भेज सकता है, इसका ब्योरा भी दिया जाये तो अच्छा हो। लेकिन यदि ऐसा सम्भव न हो तो प्रकाशनको मुल्तवी नही किया जाना चाहिए। यह ब्योरा तो मत्री भी दे सकता है।

जयरामदास और किशोरलाल यदि स्वस्थ हो गये हो तो इन सशोधनोको पढ ले। उम्मीद है, मेरी लिखावट पढनेमे दिक्कत नही होगी। जयरामदाससे कहना कि कुछ नोटिस जो तत्काल जारी किये जाने चाहिए, जारी कर दे। यथा क, च (अ) तथा अन्य।

तुम्हारे अथक प्रयत्नके बारेमे तो मै क्या लिखू!

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५५८) से, सौजन्य क० मा० मुशी

२८६ पत्र सुरेन्द्रको

३१ अक्टूबर, १९३४

चि० सुरेन्द्र,

शर्माका मामला कठिन है। जबतक वह तुम्हारी बातको मानता है तबतक उसे रोकना। वह भूख और ठण्डसे न मरे, इस बातका ध्यान रखना। वह लोगोको, वे जैसे है, उससे उलटा ही देखता है। जिन मनुष्योके प्रति हमारे मनमे शका हो वे उसे साधु प्रतीत होते है, जिन्हे हम साधु मानते है उन्हे वह कुटिल मानता है। ऐसी बीमारीका इलाज करना मुश्किल होता है। जब लोगोके दिलोमे एक-दूसरेके प्रति शकाका भाव हो, वहा क्या किया जा सकता है! फिर भी, मै निराश नही होने वाला हूँ। मेरा निदान तो यह है कि वह जगतको नही खुद अपनेको ही धोखा दे रहा है। मुझे उसमे दुष्टता नही दिखाई देती, अपितु सरलता दिखाई देती है। लेकिन वह स्वभाव से ही अभिमानी है और उसे अपनी परीक्षा शक्तिके बारेमे अत्यधिक विश्वास है। जिन लोगोके प्रति उसके मनमे श्रद्धाभाव है, यदि वे लोग उसकी आखे खोल सके तो वह बहुत सेवा कर सकता है। [1]

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

२८७ पत्र हीरालाल शर्माको

३१ अक्टूबर, १९३४

चि० शर्म्मा,

तुमारा खत मिला है। मुझे थकान नहि होगा न मुझे किसी प्रकारकी निराशा है। जब आओगे तब आश्रममे ही रहना है। विनोबा भी राजी है। तुमने मुझे निश्चित रहनेका लिखा है इसलिए निश्चित रहुगा। स्वभावके आगे नही जाओगे तो मै निश्चित ही हू ऐसा समजो।

द्रौपदीको भी मै तो खीचना चाहता ही हू। लेकिन तुमारे स्थिर होने पर ही यह बात हो सकती है। तुमारी लोई नही मिलती है। सभव है जो लडका यहा

१ साधन सूत्रमें यहाँ छूटा हुआ है।

रहता था वह ले गया हो। वह अब यहा नही हे। लेकिन लोईके अभावमे सरदी बरदास्त करना कोई अच्छी बात नही है।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वष, प० ११२ और ११३ के बीचमे प्रकाशित अनुकृतिसे।

२८८ पत्र डीट्रिख बॉनहॉफरको

१ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र

आपका पत्र मिला। यदि आपके और आपके मित्रके पास वापसी टिकटके लिए पर्याप्त पैसा है और आप दोनो यहा अलग अलगसे १०० रुपये प्रति मासके हिसाबसे खच दे सकते है तो आप जब चाहे तब आ सकते है। आप जितनी जल्दी आ सके, उतना ही अच्छा होगा जिससे कि आप हमारी तरह यहाके सर्दीके मौसमका लाभ उठा सके। १०० रुपये प्रतिमासका अधिकतम अनुमान मैने उन लोगोके लिए लगाया है जो सादगीसे रह सकते है। हो सकता है कि आपका इससे आधेमे ही गुजारा चल जाये। सब कुछ इस बातपर निभर करता है कि आपको यहाका मौसम किस हदतक माफिक आता है।

जहातक आपके मेर साथ रहनेकी, मेरी रोजमर्राकी जिन्दगीमे मेरा साथ देने की बात है, मै कह सकता हूँ कि यदि मै आपके आनेके समयतक जेलसे बाहर और किसी एक निश्चित स्थानपर हुआ तो आप मेरे साथ ही रहेगे। लेकिन यदि मै उस समय जेलमे अथवा यात्रापर हुआ तो आपको मेरी देखरेखमे चलनेवाली सस्थाओमे से किसी सस्थामे अथवा उसके समीप रहनेमे ही सन्तोष मानना होगा। मेरे ध्यानमे जो सस्थाएँ है, यदि आप उनमे से किसी सस्थामे रह सकते है और वहाके सीधे सादे शाकाहारी भोजनपर निर्वाह कर सकते है तो आपको रहने और खाने-पीनेका कोई खच नही देना पडेगा।

हृदयसे आपका,

श्री पास्टर लिक डीट्रिख बानहॉफर
२३, मैनर माउण्ट, एस० ई० २३, लन्दन

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२८९ पत्र डाह्याभाई म० पटेलको

१ नवम्बर, १९३४

भाईश्री डाह्याभाई,

पूज्य बापूजीको आपका २९ तारीखका पत्र मिला। वे कहते ह कि म आपको जवाब दे दू। उनका कहना है कि वे आपके लिए कोई खास बात नहीं सोच पा रहे ह। इतना ही सूझता है कि आप जहाँ ह, वहीं रहकर यथाशक्ति काम करे। यदि आप रचनात्मक कार्योंमें से जो कर सकते ह, उसे करते हुए सन्तोष मानकर जुटे रहेगे तो उसीमें से किसी दिन कोई ऐसा सहयोगी मिल जायेगा जिसके आदश आपके समान ही हो।

सेवक
स्वामी आनन्द[1]

श्री डाह्याभाई मनोरभाई पटेल
धोलका

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २७०५) से, सौजन्य डाह्याभाई मनोरभाई पटेल

२९० तार रामदास गाधीको[2]

२ नवम्बर १९३४

रामदास गाधी
आश्रम
साबरमती

तुम आ सकते हो। शर्माको साथ लेते आओ या भेज दो।

बापू

[अंग्रेजीसे]
बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, पृ० ११२

१ स्वामी आनन्दने यहाँ "बापूजीकी आज्ञासे' शब्द और जोड दिये थे।

२ रामदास गांधी, जो अहमदाबादके एक अस्पतालमें एलोपैथिक चिकित्सा करा रहे थे वापस साबरमती आश्रम लौट गये थे और गाधीजीसे वर्धा आनेकी अनुमति माँगी थी।

२९१ पत्र अगाथा हैरिसनको

३१ अक्टूबर/२ नवम्बर, १९३४

प्रिय अगाथा,

मै तुम्हे हर सप्ताह चिट्ठी लिखना चाहता था, लेकिन वैसा करना बिलकुल असम्भव था। अब तुम स्थिति जान गई हो। मै मुक्त हूँ और यह सब कुछ भलेके लिए ही है। साथमे मै एक वक्तव्य सलग्न कर रहा हूँ जो मौनभग करनेके फौरन बाद अर्थात ३० तारीखको दिया गया था। मै कम से-कम अगला महीना हरिजन कायके लिए और प्रस्तावित ग्रामोद्योग सघकी शुरुआत करनेमे लगाना चाहता हूँ। लेकिन मै सीमा-प्रान्तके लिए अभीसे ही रास्ता निकालना चाहता हूँ। मै आशा करता हूँ कि एक या दो दिनमे अपना पत्र सरकारको भेज दूगा। अगर भेजता हूँ तो उसकी एक प्रति तुम्हे इसके साथ सलग्न मिलेगी। यह पत्र मै ३१ तारीखको बोलकर लिखवा रहा हूँ। शायद यह पत्र २ नवम्बरको वर्धासे डाकमे छोडा जायेगा।

मेरी इच्छा बराबर इस प्रकार काय करनेकी है कि सविनय अवज्ञाके स्वरूपके प्रति लोगोके मनमे जो शकाएँ है वे खत्म हो जाये। फिलहाल अन्य लोगो द्वारा उसमे भाग लेनेका सवाल ही नही पैदा होता। भविष्यको जहातक मै देख सकता हूँ, अभी कुछ वर्षोतक इस बातकी सम्भावना नही लगती कि मै सविनय अवज्ञा आरम्भ करूँ या उतावलीमे सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेडूँ। मै काग्रेससे अलग रहकर दूरसे यह देखना चाहता हूँ कि सामान्य रूपसे काग्रेसजन रचनात्मक-कायक्रममे कैसी दिलचस्पी ले रहे है, और इस प्रकार मै जन-भावनाकी सचाईको परखना चाहता हूँ। सविनय प्रतिरोध तभी उचित रूपसे सविनय अवज्ञाका रूप धारण कर सकता है जब लोग सविनय प्रतिरोधकी कलाको सीख ले। सविनय प्रतिरोधके मतलब है ऐसा कोई काम करनेसे इनकार करना जिससे उस प्रणालीको बने रहनेमे मदद मिलती हो जिसे कि हम नष्ट करना चाहते है, न इससे कम, न इससे ज्यादा।

मै देखता हूँ कि गाववाले अपने उद्योगोको पुनरुज्जीवित करके अपनी आर्थिक दशामे सुधार कर सकते है, और इसके लिए उन्हे एक भी कानून तोडनेकी जरूरत नही है। ग्रामोद्योग सघ बनानेका यही उद्देश्य है। शासन प्रणालीको कायम रखनेमे हिन्दू मुस्लिम तनावसे भी मदद मिलती है। इसी तरह अस्पृश्यतामे मदद मिलती है। शराबखोरीकी बुराईसे मदद मिलती है। लोगोको इस प्रकारके प्रशिक्षणमे अब काफी अनुभव हो गया है। इसलिए सविनय अवज्ञा-आन्दोलन करनेके लिए जनताका आह्वान करनेका मुझे बहुत लोभ होता है, फिर भी मै उसका सवरण कर रहा हूँ। आन्दोलन छेडनेके लिए पर्याप्त प्रलोभन है। यहा तक कि बम्बईमे जिन कैदियोके

बारेमे समझा गया था कि वे रिहा हो गये है, वे भी बम्बई अहातेके विभिन्न जेलोमे बन्द है। जिन इमारतोपर सरकारने कब्जा कर लिया था वे वापस नही की जा रही है। मै इसी प्रकारके उदाहरण अन्य प्रान्तोसे भी दे सकता हूँ। तथापि मै जानता हू कि मुझे इस प्रकारके उत्तेजनोको सहन करना होगा और साथी कार्यकर्त्ताओको भी इन्हे सहन करना होगा। यदि कहा जा सके तो मुझे यह इस समय सविनय प्रतिरोधका सबसे अच्छा तरीका मालूम पडता है। लेकिन यदि मै सीमा-प्रान्त नही जा सका, और यदि मुझे वहा जानेसे रोकनेका कोई उचित कारण नही हुआ, तो सम्भव है मेरा धीरज खत्म हो जाये और मै एक बार फिर कोई रचनात्मक कार्य कर सकनेमे अपने आपको बिलकुल असमर्थ पाऊँगा। मेरे लिए आत्माका यह बुनियादी सन्तोष पाना अत्यन्त आवश्यक है। मुझे पहलेसे ही कुछ नही मान लेना चाहिए। मै सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मै एकदम जेल नही भागूगा। तुम्हे पर्याप्त पूर्व सूचना मिल जायेगी।

आशा है, मीराकी अमेरिका-यात्रा सफल रही। तुम यह पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूज तथा और जिसे चाहो, दिखा देना।

यहा तुमने जो खर्च किया था, उसकी बकाया रकम तुम्हे दे दी गई थी या नही?

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च]

सीमा प्रान्तके बारेमे मैने अभीतक चिट्ठीका मसौदा नही तैयार किया है।

सलग्न १

कुमारी अगाथा हैरिसन
लन्दन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८०) से।

२९२ पत्र शकरलाल बैंकरको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय शकरलाल,

इसके साथ मै हीरालाल एम० गढवालका पत्र भेज रहा हूँ। इसमे अहमदाबादमे हिदी बोलनेवाले लोगाके जो आकडे बताये गये है, यदि वे आकडे सही है तो स्पष्टत हिदी जाननेवाले बच्चोके पढनेकी व्यवस्था अपर्याप्त है। यदि हीरालालका कहना सच है तो मै यह माने लेता हूँ कि अहमदाबाद-जिलेके हिदी जाननेवाले लोग शहरमे ही रहते है और वे अधिकाशत मिलोमे काम करते है। इसलिए यदि आपको इसके बारेम कुछ मालूम है तो आप मुझे लिखिएगा, साथ ही यह भी बताइयेगा कि नगरपालिका इस सिलसिलेमे क्या कर रही है।

मै यहा एक और पत्र भी नत्थी कर रहा हूँ। यह अनदाबाबूके यहासे आया है। वे यहा मेरे पास थे और बातचीतके दौरान अनायास ही विषय समितिमे डा० सायालके व्यवहारका जिक्र आया। उनके व्यवहारके अलावा यदि अनदा बाबूका कहना ठीक है तो मेरा खयाल है कि प्रति दुकान २५ रुपये देनेकी बात तय होनेके बाद जिस किसीने भी उनका ज्यादा किराया लिया है उसने गलत काम किया है। और यदि प्रमाणपत्र वापस ले लिये जानेकी धमकी दी गई थी तब तो यह और भी गलत बात है। क्या आपको इसके बारेमे कुछ मालूम है? मुझे याद पडता है कि आपने मुझसे किरायेमे फेरबदल किये जानेकी कुछ बात की तो जरूर थी। लेकिन अन्नदाबाबू जो कुछ हुआ बताते है, उसकी मुझे कोई याद नही है।

सलग्न २

श्री शकरलाल बैंकर
अहमदाबाद

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२९३ पत्र हीरालाल एम० गढवालको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय हीरालाल,

आपके ३० तारीखके पत्रके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमे आपने अहमदाबाद जिलेमे रहनेवाले हिन्दी भाषी लोगोके आकडे दिये है।

हृदयसे आपका,

श्री हीरालाल एम० गढवाल
कोश्ती समाज मण्डल
बम्बई–११

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२९४ पत्र एस० गणेशनको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय गणेशन,

मै तुमसे जितनी बातचीत करना चाहता था, उतनी बातचीत न कर सकनेका मुझे बहुत ज्यादा दु ख है। ठक्करबापाके बारेमे अपनी राय बनानेमे तुमने जल्दबाजीसे काम लिया है। वह बहुत उदार-हृदय व्यक्ति है। तुम्हे उन्हे अपनी विनम्रता, सौम्यता और कायमे सुव्यवस्था द्वारा जीतना होगा। मुझे मालूम है कि तुम सुव्यवस्थित नही हो। लेकिन फिर भी मै तुमसे सिफ इसलिए चिपके हुए हूँ, क्याकि मै तुम्हे परिश्रमी, ईमानदार और आत्मत्यागी व्यक्ति मानता हूँ। पहले तो तुम अपनी सामथ्यसे बाहर जाकर जिम्मेदारी ले लेते हो और फिर हमेशा अभाव और कष्टमे रहते हो। इसलिए मै तो कहूँगा कि तुम उतना ही काम लो, जितना तुम कर सको और एक बार काम हाथमे लेनेके बाद उसे अच्छी तरहसे पूरा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि तुम अपनी घरेलू समस्याको भी अपेक्षाकृत अधिक सफलतापूवक निपटा सकोगे।

तुमने मुझसे पूछा है कि क्या मै तुम्हे 'यग इडिया'-जैसा साप्ताहिक प्रकाशित करनेकी अनुमति दूगा या नही ? मैने तुम्हे जो कारण दिये है, उनको देखते हुए मै

ऐसी काई बात साच भी नही सकता। काश! मै तुमपर इम बातका भरासा कर सकता कि तुम इस कायको योग्यतापूवक मम्पादित कर सकोगे। और फिर 'यग इडिया'-जैसी निर्भीक पत्रिकाको चलानेके लिए हमे पर्याप्त स्वाधीनता प्राप्त नही है। इसलिए मै चाहूँगा कि इस समय तुम्हारे पास जो काम है उसीमे अपना ध्यान केद्रित करो। उसके बाद तुम और कुछ भी सोच सकते हो और मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी।

श्री एस० गणेशन
मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२९५ पत्र जी० बी० गजभियेको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय गजभिये,

अब मुझे ठक्कर बापाका पत्र मिला है। उन्होने लिखा है कि इस समय वह आपकी कोई मदद नही कर सकते। सभी छात्रवत्तियो पर विचार किया गया था और मध्य प्रातको जितनी छात्रवत्तियाँ दी जानी थी वह पहले ही दी जा चुकी थी। आपसे भी अधिक मजबत मामलेको अस्वीकार करना पडा। इसलिए आपका कुछ समयके लिए प्रतीक्षा करनी होगी और फिरसे कोशिश करनी होगी।

हृदयसे आपका,

श्री जी० बी० गजभिये
मारिस कालेज
नागपुर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२९६ पत्र डॉरोथी हॉगको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय डारोथी,

तुम्हारा पत्र और लेखोकी प्रतिया मिली। व काफी उपयागी थे। मेरा खयाल है कि तुम अगाथासे[1] मिलती-जुलती रहती हो। इसलिए मुझे तुम्हे ज्यादा कहनेकी कोई जरूरत नही।

श्रीमती हाग
डवमाउण्ट, डवडेल, एशबोन
डर्बीशायर, इग्लैड

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पपस, सौजन्य प्यारेलाल

२९७ पत्र डॉ० के० ए० हमीदको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० हमीद,

मुझे आपका २२ तारीखका पत्र मिला। खानसाहब अब्दुल गफ्फार खा भाषण देनेके उद्देश्यसे मुसाफिरी करना पसन्द नही करते है। इसलिए मै उनकी इच्छाके विरुद्ध काम नही करना चाहता। इसलिए आपसे जो बन सके वह आपको करना होगा। इसके अतिरिक्त चूकि मने काग्रेससे अवकाश ग्रहण कर लिया है, अतएव मुझे ऐसे काय नही सौपे जाने चाहिए।

हृदयसे आपका,

डा० के० ए० हमीद
जलगाव
पूर्वी खानदेश

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ अगाथा हैरिसन।

२९८ पत्र हरदयाल नागको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय हरदयालबाबू,

मुझे आपका १८ अक्तूबरका पत्र मिला। आप जानते है कि मैंने क्या किया है। हमे आशा करनी चाहिए कि काग्रेससे पाखण्ड दूर हो जायेगा जिसकी कि आपको आशका है।

हृदयसे आपका,

श्री हरदयाल नाग
चादपुर (बगाल)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२९९ पत्र शाहको

२ नवम्बर, १९३४

भाई शाह

आपका पत्र और लेख मिले थे। मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ रहना और घूमना-फिरना अच्छा नही लगेगा। इसलिए यदि आपको इस समय फुसत नही है तो यह ठीक ही है। यदि मै इसमे कोई भूल कर रहा हूँ तो मुझे यह जानकर खुशी होगी।

आपके पुत्रको भी यह अच्छा लगेगा, इसके बारेमे भी मुझे सन्देह है। मेरे पाससे भला उसे क्या अनुभव मिलेगा? इस मासके अन्तमे तो न मालूम मै क्या कर रहा होऊँगा। ग्रामोद्योगोको अच्छी तरह प्रतिष्ठित करनेका अथ इनके लिए एक सस्थाकी स्थापना करना है। इस कायमे मै अधिक योगदान दे सकूगा अथवा नही, यह बात तो मेरे जेल जाने अथवा न जानेपर निभर है। मै इससे बचना तो जरूर चाहता हूँ। यदि मै आवश्यक स्वतन्त्रताका उपभोग नही कर पाता तो जेलसे बाहर रहनेका कोई फायदा नही।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३०० पत्र सुरेन्द्रको

२ नवम्बर, १९३४

चि० सुरेद्र,

तुम्हारा पत्र मिला। मै स्थिति समझ गया हूँ। शर्माको फ्लिहाल विदेश नही भेजा जा सकता और व्यवस्थित होनेके बाद ही वह जा सकता है। इसलिए अभी तो उसे यही रहना होगा। यदि वह परिवारमे रहकर कुछ कामधधा करे तो बेहतर होगा। लेकिन यह बात न तो उसके परिवारको पसद है और न द्रौपदीकी ही ऐसी इच्छा है। सब यही चाहते ह कि वह मेरे पास रहे। उसके गुणोसे तो मै परिचित हो गया हूँ। उसके दोषोके सम्बधमे यदि मेरा विश्लेषण ठीक है तो मै उनका निराकरण कर सकूगा। लेकिन अतत जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। हमारा काम तो हमपर जो कत्तव्य आ पडे उसे पूरा करना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती प्रतिसे प्यारेलाल पेपस सौजन्य प्यारेलाल

३०१ पत्र हीरालाल शर्माको

२ नवम्बर १९३४

चि० शर्म्मा,

तुमारा खत मिला। सुरेद्रका भी पढा। तुमारे यहा आना है। बादमे देखा जाय क्या करना उचित है। तुमारे बहार रहनेसे तो लोग निभय नही होगे। निभय बनानेके लिये भी तुमारे आना है। विनोबा तो तुमारे आनेसे बिलकुल राजी है। बाबाजीके[1] मीजबान बने तो वह भी प्रसन्न रहेगे। और मैं तो हू ही। मै जब बरदाश्त न करू तब देखा जायगा। एक वषकी मर्यादा तो तुमारे लिये रखी है भले अमर्यादित केद मे रहो।[2] द्रौपदीके पास रहना, कुटुब सेवामे ग्रस्त होना, यह सब तो सोचनेकी बात है। हमारे बीचमे इतना समझौता है न कि तुम कोई भी

१ मोघे आश्रमके यवस्थापक।

२ हीरालाल शर्मा आश्रममें रहनेको अनिच्छुक थे और उन्होंने गाधीजीको लिखा था कि व्यवस्थापकोके साथ उनके बुरे सम्ब धोंको देखते हुए उनको आश्रममें रखना कैद करनेके बराबर है।

चीज जबरदस्तीसे नही करोगे, शक्तिके बाहर जाकर भी नही करोगे। इतना अभय-दान मुझे चाहीये, दूसरा मै देख लूगा। योगानदको[1] भूल जाओ। बाहर क्या बाते कर रहा है सो तो वही जाने। यहा उसका कोई असर नही है। मेरे पर तो उसने कोई असर ही नही डाला जिससे मेरे दिलमे तुमारे बारेमे किसी प्रकारका सशय हो। मैने जो निदान किया है उसी पर मै कायम हू — वहम, अभिमान और परदोषदशन। वहमका औषध काल ही है, अभिमानका औषध शूयवत् बनना है, परदोषदशनका औषध स्वदोषदशन है। हम अपनेको सबसे बूरी माने तो किसीका दोष नही देखेगे औरदोष मात्र रोगका रुप लेगा। बाते करनेका थोडा २ समय तो मै दूगा, लेकिन बातसे हमारा काम नही बनेगा। तुमारे लिये मेरे पास मजदूरीका बहूत काम पडा है और इसीके साथ मै थोडा और भी काम ले लूगा।

आज तार दिया है[2] आ जानेका।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, पृ० ११४ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

३०२ पत्र जे० सी० कुमारप्पाको

३ नवम्बर, १९३४

प्रिय कुमारप्पा,

तुमने ग्रामोद्योग-सघका प्रस्ताव[3] पढा होगा और तुमने यह भी पढा होगा कि उसका भार तुम्हारे विशाल कधोपर आ पडा है। प्रश्न यह है कि तुम कब आ सकते हो? मै नही चाहता कि वहा तुम्हारे कामका हर्जा हो और साथ ही मेरी यह भी इच्छा है कि जबतक तुम वहाके कामसे फारिग नही हो जाते तबतक इस कामको हाथमे न लो। इससे पहले कि तुम अथवा मै राजेद्रबाबूसे तुम्हे मुक्त करनेके लिए कहे, तुम्हे खुद इस बातका निणय करना होगा कि तुम कबतक अपनेको वहाँसे मुक्त कर सकते हो। और यदि तुम ऐसा नही कर सकते, तो तुम्हे बता देना होगा। फिर तुम मेरे सम्मुख अपने विचार व्यक्त करना और मै देखूगा कि इस सम्बन्धमे क्या किया जा सकता है अथवा क्या किया जाना चाहिए। यदि तुम्हारे पास ऐसे व्यक्तियोके नाम है जो बोडकी स्थापना कर सकते है, तो तुम मुझे उनके नाम और यदि कोई सुझाव हो तो लिख भेजना। मै उसके सविधानपर विचार करूँगा। मुझे

१ खुर्जाके एक साधु जिन्हें कुछ आश्रमवासियोने हीरालाल शर्माके बारेमें जानकारी हासिल करनेके लिए बुलाया था।

२ देखिए "तार रामदास गांधीको', २ ११ १९३४।

३ देखिए भाषण अ० भा० का० क० की विषय-समितिमें", २४ १० १९३४।

इस बातका पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास प्रस्तावका पूरा पाठ मौजूद है। इस समयके लिए इतना ही काफी है।

श्री जे० सी० कुमारप्पा
बिहार केन्द्रीय राहत समिति
एक्जिबिशन रोड
पटना

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३०३ पत्र बी० शिवरावको

३ नवम्बर, १९३४

प्रिय शिवराव,

आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई और आपने विभिन्न देशोंके संविधानसे सम्बन्धित जो उपयोगी पुस्तक मुझे भेजी है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। चूंकि आप यहां आनेवाले हैं[1] इसलिए आपने अपने पत्रमें जो विभिन्न मुद्दे उठाये हैं और प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर मैं इस पत्रमें नहीं दे रहा हूँ। यदि आप इस महीनेकी १० और १५ तारीखके बीचमें आ सकें तो यह बहुत सुविधाजनक होगा। मैं आपके पत्र तैयार रखूंगा और तब हम आपके द्वारा उठाये गये मुद्दोंपर विचार करेंगे।

बेशक, ग्रामोद्योग संघ सरकारी कर्मचारियों सहित सबके लिए खुला रहेगा, बशर्ते कि वे संघके नियमोंका पालन करें। यह विशुद्धतः गैर राजनीतिक संगठन है और ग्रामोद्योगोंको बढ़ावा देने तथा ग्रामीणोंकी हालतमें आम सुधार करनेके अलावा इसका और कोई लक्ष्य नहीं है।

हृदयसे आपका,

श्री बी० शिवराव
५, अलनदुर रोड
सैदापेट, मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१ गांधीजीने शिवरावको अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघको किस प्रकार एक प्रभावकारी संस्था बनाया जाये, इस सम्बन्धमें बातचीत करनेके लिए बुलाया था।

३०४ पत्र क० मा० मुन्शीको[1]

३ नवम्बर, १९३४

टिप्पणी ३ (क) और (ख) दोनोमें 'सदस्य' (मेम्बर)[2] शब्द प्रारम्भिक सदस्यका सूचक है, किन्तु जहाँ कहीं 'सदस्यता' (मेम्बरशिप) शब्द आया है वहाँ आशय चुने हुए सदस्यसे है। इसलिए आप दोनो जगह या तो 'सदस्य' (मेम्बर) शब्द रखें या 'व्यक्ति' (पर्सन) रखे। एक जगह 'सदस्य' कहे और दूसरी जगह 'व्यक्ति' तो ठीक नही होगा। 'सदस्य' शब्दका अर्थ चुनकर आया हुआ कोई पदाधिकारी समझनेकी सम्भावना नहीं है। आप जो शब्द चुनें, उसीका प्रयोग दोनो जगहोपर करे।

टिप्पणी ५ बापूको लगता है कि 'प्रत्येक जिला' (एवरी डिस्ट्रिक्ट) शब्दसे सब स्थानोपर हमारा काम पूरी तरह चल जायेगा, नहीं तो फिर जो परिवर्तन उन्होंने सुझाये है, उन्हे स्वीकार कर लिया जाये। आपने सिर्फ 'नगर' (टाउन) शब्द रखा है। इसे इसी तरह रखे तो उस जिलेके एक नगरके अतिरिक्त सदस्योको अन्य किसी नगरके अतिरिक्त सदस्योके साथ 'अमल्गमेट' नहीं किया जा सकेगा। और इससे कमसे कम पाच सदस्योवाले निर्वाचन-क्षेत्र (कॉन्स्टिटयूएन्सीज) बनानेमें कठिनाई होगी।

टिप्पणी ६ धारा (ज)में आपके द्वारा सुझाये गये सुधारके बजाय बापू यह संशोधन सुझाते है[3] "जब नियमके अनुसार बने प्रारम्भिक सदस्योकी संख्या चुने जानेवाले २,००० प्रतिनिधियोकी न्यूनतम संख्यासे बढ जाये तब कार्य समिति ऐसे प्रारम्भिक सदस्योकी ५०० की उस संख्यामें जो एक प्रतिनिधि चुननेके लिए आवश्यक होती है फेरफार करेगी, जिससे समूचे भारतका ध्यान रखते हुए अधिकतम संख्या कायम रखी जा सके और धारा च (१) के अनुरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रोके बीच सन्तुलन रखा जा सके।"

टिप्पणी ८ बापूका यह कहना नहीं है कि जब विशेष बैठक बुलानी हो तब अ० भा० का० क० (ए० आई० सी० सी०) भंग कर दी जाये और नये सिरेसे चुनाव हो। आजकी व्यवस्थाके अनुसार तो एक बार चुने गये प्रतिनिधि पूरे

१ यह पत्र स्वामी आनन्दने लिखा था और प्रारम्भमें कहा था कि बापूके पास संविधानके दोनों मसौदे और आपकी टिप्पणियाँ है। आपने जो परिवर्तन सुझाये है उन्हें वे देख चुके हैं। वे सामग्री निम्नलिखित सुझावोंके साथ वापस कर रहे है।

२ कोष्ठकमें दिये गये अंग्रेजी शब्द साधन सूत्रमें अंग्रेजीमें दिये गये हैं।

३ इस अनुच्छेदका शेषांश अंग्रेजीसे अनूदित है।

बरस भर बने रहेंगे। और उसी प्रकार अ० भा० का० क० भी वही बनी रहेगी। और अगर सारे प्रतिनिधि सर्वसामान्य सभाके रूपमे अ० भा० का० क० को भंग करके उसकी जगह नई कमेटी न चुनना चाहे तो विशेष अधिवेशनमें भी वे ही व्यक्ति आयेंगे। किसी भी 'विशालतर सभा' (बिगर बॉडी) को यह अधिकार होता ही है। अन्यथा केवल इसलिए कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाना है, अ० भा० का० क० या कार्य-समितिको (डब्ल्यू० सी०) नये सिरेसे चुनना आवश्यक कदापि नहीं है।

टिप्पणी ११ अगर अ० भा० का० क० ने सोमवारको यह घोषित किया था कि अनुच्छेद '३' में उल्लिखित शर्त हालमें चुने गये सदस्योंपर पहली जुलाईतक लागू नहीं होगी तो फिर ठीक है। यों बापूको स्वयं तो सदस्योंको तबतक बेकार बैठे रहने देनेकी छूट देना पसन्द नहीं है। जब प्रस्ताव पास हुआ तब उसका मंशा ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी, यदि किन्हीं विशेष कठिनाइयोंके विचारसे अ० भा० का० क० (ए० आई० सी० सी०) ने यह छूट दे दी है तो फिर उसका पालन करना ही चाहिए।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५५९) से, सौजन्य क० मा० मुन्शी

३०५ पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

४ नवम्बर, १९३४

प्रिय आनन्द,

मुझे तुम्हारा छोटा पत्र पाकर और यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारी तबीयतमें धीरे-धीरे लेकिन लगातार सुधार हो रहा है। अस्पतालसे छूटनेके बाद तुम्हारे जयरामदासके साथ आनेकी मैं उत्कटतासे बाट जोह रहा हूँ। लेकिन इसके लिए तुम डॉक्टरोंको हैरान न करना। पहले तबीयतको पूरी तरह सुधरने दो। मुझे अभी अपने-आपको विद्याको पत्र लिखनेसे रोकना होगा, क्योंकि मैं अपने समयका प्रत्येक पल बचाना चाहता हूँ।

बापू

श्री आनन्द तो० हिंगोरानी
के० ई० एम० अस्पताल
परेल, बम्बई

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

३०६ पत्र वी० आर० कुलकर्णीको

४ नवम्बर, १९३४

प्रिय कुलकर्णी,

आपका पत्र मिला। इसके साथ मैं आपकी कतरनें वापस भेज रहा हूँ। प्रमाण-पत्र दिलचस्प है। इससे पहले कि मैं आपकी कहीं सिफारिश करूँ, मैं चाहूँगा कि आप मुझे विस्तारसे अपनी योजना दें जिसे किसी भी डेरीका व्यवस्थापक समझ सके।

हृदयसे आपका,

श्री वी० आर० कुलकर्णी
हनुमानगढ
वर्धा

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३०७ पत्र नीलरंजन पटनायकको

४ नवम्बर, १९३४

प्रिय नीलरंजन,

आपका पत्र पाकर खुशी हुई। आप जो कहते हैं उसमें से अधिकांश सत्य है। संविधानका संशोधित रूप ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक अच्छा कार्यकर्त्ता कांग्रेसको सही दिशाकी ओर प्रवृत्त करनेके कार्यमें ठोस प्रगति कर सके। ग्रामोद्योग संघके बारेमें, जिसका कि गठन किया जा रहा है, यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य दें।

आशा है कि आप अच्छी तरह होंगे।

हृदयसे आपका,

श्री नीलरंजन पटनायक
अस्का (जिला गंजाम)

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३०८ पत्र मॉरिस फ्रीडमैनको

४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैंने अभीतक आपकी पुस्तिका नही देखी है। यदि वह आपके पत्रके साथ सलग्न हो तो मै अब उसके लिए माग कर रहा हूँ। मै इस हालतमे आपको वर्धा आनेका कष्ट नही दूगा। जब मै सघके नियम आदिका मसौदा तैयार कर लूगा तब आपको उसकी एक प्रति मिलेगी। नियमोको देखनेके बाद यदि आप कुछ रचनात्मक आलोचना लिख भेजे तो बेहतर होगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत् मारिस फ्रीडमैन
रेस व्यू
रेसकोस रोड, बगलौर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३०९ पत्र मार्गरेट स्पीगलको

५ नवम्बर, १९३४

चि० अमला,

तुम्हारा पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। भाषाकी गलतिया बहुत कम है। मै तुम्हे यह पत्र अग्रेजीमे लिख रहा हूँ वरना कही तुम्हे अक्षर पहचाननेमे या समझनेमे कठिनाई न हो।[1] मुझे खुशी है कि तुम वहाँ प्रसन्न हो। तुम्हारा टेन परसे लिखा गया पत्र यथासमय प्राप्त हो गया था। तुमने अपना चरखा माँगा है। क्या तुम सचमुच उसे चाहती हो? आशा है, तुम अपने आपको और अपने आसपासकी चीजोको सुव्यवस्थित रख रही हो। बेशक, जितनी ही मेहनत की जाये, उतना ही अच्छा मालूम होता है। मुझे आशा है कि तुम अपने स्वास्थ्यको बनाये रखोगी। हा, अगर तुम्हे साथक लगे तो तुम बडे दिनके मौकेपर आ सकती हो। तुम अपनी मा को उनका रुपया नियमित रूपसे भेजती रहना। महादेवको अपने लडकेके कारण बम्बईमे रुकना पडा। लडकेका ऑपरेशन शायद कल हुआ होगा।

१ यहाँतक पत्र गुजरातीमें है।

चिटठी नियमित रूपसे जरूर लिखो। क्या तुम्हे अखबार पढनेको मिलते है? तुम्हारा कमरा कैसा है, लिखना। जिन लोगोसे तुम्हारी मुलाकात हो उनके बारेमे भी लिखना।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च]

बा अभी भी रामदासके पास साबरमतीमे ही है।

[अग्रेजीसे]

स्पीगल पेपस सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

३१०. पत्र टाइटसको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय टाइटस,

तुम्हारा पत्र मिला। मै तुम्हारी इस बातसे पूणतया सहमत हू कि गायोके बारेमे मुझे लिखनेसे पहले सुरेन्द्रको तुमसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हे कोई चिन्ता नही करनी चाहिए, क्योकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पशुओकी हालत वैसी नही है और उनकी देखभालके लिए तुम्हे दोषी नही ठहराया जा सकता।

डेरीको बीडज ले जानेकी तुम्हारी योजना मुझे पसन्द है। मै निजी तौरपर तुम्हे यह प्रयोग करने देना चाहूँगा। लेकिन क्या तुमने इस योजनाके विषयमे नारणदाससे बातचीत नही की? मुझे नारणदासका पत्र मिला है, लेकिन उसमे उसने योजनाके बारेमे कुछ नही लिखा है। तुम उसकी राय जानकर मुझे लिखना।

जो घाटा हुआ है उसकी तुरन्त अदायगीके लिए मै प्रबन्ध कर रहा हूँ। मैने नारणदाससे पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए और यह रकम कहा भेजी जानी चाहिए। उसका उत्तर मिलनेके बाद इस कायमे कोई देर नही की जायेगी।

मुझे उम्मीद है कि तुम और तुम्हारी पत्नी, दोनो पूणतया ठीक हो गये होगे।

तुम दोनोको प्यार,

बापू

श्री टाइटस
साबरमती

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३११ पत्र एस० गणेशनको

५ नवम्बर १९३४

प्रिय गणेशन,

मेरा खयाल हे कि तुम्हारे और मेरे बीच यह बात तय हो गई थी कि खान साहब नही आ सकते और यह कि तुम काका साहबसे एक हफ्तेका समय देनेके लिए कहोगे। मै नही जानता कि तुमने उनसे कहा अथवा नही। मेरे लिए किसी औरको भेजना सम्भव नही हे।

'यग इण्डिया' के खण्ड ३ की प्रस्तावनाके सम्बन्धमे, मै नही जानता कि तुम्हारे द्वारा निश्चित अवधिमे मुझे समय मिल पायेगा अथवा नही। महादेव यहा नही है और कुछ समयतक नही होगा। जब वह वापस लौटेगा तब उसे बहुत सा बकाया काम पूरा करना होगा।

तुम्हारे अर्द्ध साप्ताहिक पत्रको ग्रामोद्योग-सघके मुखपत्रके रूपमे परिवर्तित करनेके बारेमे मै तुम्हे पहले ही लिख चुका हूँ। जबतक तुम घरेलू कजके कगारपर खडे हो तबतक मै तुमपर अतिरिक्त बोझ डालनेकी बात नही सोच सकता, और न इस बातका भरोसा कर सकता हूँ कि मै तुम्हारे हाथोमे सुरक्षित रहूँगा। अपनी गतिविधियोका विस्तार करनेकी तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पत्रके द्वितीय अनुच्छेदके प्रारम्भिक वाक्यसे बिलकुल मेल नही खाती जहा कि तुमने लिखा है "मेरी दशा अब लगभग सुधर गई है। ओर विलम्ब करनेसे बात बिलकुल बिगड जायेगी।" जिस मित्रने सारा खच उठानेका वादा किया उसे मै नही जानता। यदि मेरे सम्मुख व्यावहारिक, भरोसे लायक और सुदढ योजना होगी तो मै अपने निणयपर फिरसे विचार करूँगा।

ग्रामोद्योग-सघके सम्पादकके रूपमे शास्त्री[1] क्या करेगे? इसके लिए विशेष जानकारीकी जरूरत होती है, ओर जहातक मुझे मालूम है, शास्त्रीको ऐसी कोई जानकारी नही है। मै नही जानता कि वी० एस० वी० चारी क्या कर सकते है? जो व्यक्ति 'स्टेट्समैन' के लिए लिखता है, वह व्यक्ति कदाचित ही ग्रामोद्योग-सघके कायको प्रभावकारी ढगसे कर सकता हे।

लेकिन तुम्हारे अर्द्ध साप्ताहिक पत्रके साथ मेरा कोई सम्बन्ध जोडे बिना भी अगर तुम अपने अर्द्ध-सप्ताहिकके शीषकका औचित्य सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हे उसके स्तम्भोमे काग्रेसके रचनात्मक-कायक्रमके बारेमे लिखना चाहिए।

१ आर० वी० शास्त्री।

ठक्कर बापाक साथ हुआ तुम्हारा पत्र व्यवहार मैंने पढा ह। मै उनके साथ केवल हरिजन' के अतिरिक्त अकके बिलके बारेमे बातचीत करूगा। मुझे प्रसगवश अन्य चीजोसे भी निपटना पड सकता है। मै देखगा।

सलग्न पत्र शायद तुम्हारे कामका हो।

सलग्न १

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३१२ पत्र सर रॉबर्ट मैकेरिसनको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय मेजर जनरल

आपके पत्र और खाद्य सम्बन्धी पुस्तकोके लिए आपका धन्यवाद।

हृदयसे आपका

मेजर जनरल सर राबट मकेरिसन
केटी० सी० आई० ई०, के० एच० पी० आई० एम० एस०
डायरेक्टर, न्यूटिशन रिसच
इडियन रिसच फण्ड एसोसिएशन
कूनूर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३१३ पत्र मरजोर एम० मानाको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। इसमे सन्देह नही कि जमशेद मेहताके लिए जो भी प्रमाण पत्र तैयार किया जाये वह उनकी असाधारण सेवाओको देखते हुए अधिक नही होगा। लेकिन आप अकेले ही इस दिशामे काम कर रहे है, भला ऐसा क्यो? मै यह कदापि नही चाहूँगा कि आप इसमे पहल करे। इस सम्बन्धमे कराचीके नागरिकोकी ओरसे सावजनिक अपील की जानी चाहिए अन्यथा कुछ भी नही होना चाहिए। और

यदि कराचीके नागरिक अपन आप इस दिशामे कोई कदम नही उठाते तो मै उन्हे वैसा करनेके लिए कहूँगा नही।

हृदयसे आपका,

श्री मरजोर एम० माना, बी० ई० (सिविल) आदि
बन्दर रोड, कराची

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३१४ पत्र एन० सुन्दरम् अय्यरको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

मुझे खेद है कि मै आपके लिए कुछ नही कर सकता। बेशक, आपके पुत्रको आपका भरण-पोषण कर सकना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एन० सुन्दरम् अय्यर
माफत एन० आर० स्वामी
खिदरपुर, कलकत्ता

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३१५ पत्र रामदास गाधीको

५ नवम्बर, १९३४

चि० रामदास,

तुझे वहासे बुला लेनेकी मेरी हिम्मत नही होती। मेरे उपचारसे लाभ अवश्यमेव होगा, यह तो मै भला कैसे कह सकता हूँ? और फिर यहा तू और भी कष्ट मे पड जायेगा। घरको घर ही समझना चाहिए। आखे जो देखती है और कान जो सुनते है, उनका असर हुए बिना नही रह सकता। इसलिए मैने सारी बात तुझ पर छोड दी है। तेरी इच्छाका विरोध न करनेका अपना धम इस समय मुझे बहुत सहल लगता है। उसमे मै बहुत कम दोष दखता हूँ। लेकिन तू किसी निणयपर पहुँच सके, इसके लिए मै इतना ही कहूँगा। बहुत सोच विचार करनेके बाद मेरी दृष्टि पूना

पर जाती है। वहाकी हवा उत्तम है और पानी अच्छा है। लेडी विट्ठलदासने[1] तो बहुत आग्रह किया है। उनका उपचार कर, और चूकि बा तेरे साथ होगी इसलिए आसानी होगी। यदि तू वहा जानेका निश्चय करता है तो सुमित्राको यहा भेज देना। नीमु भी आना चाहेगी लेकिन यदि तू साथ ले जाना चाहे तो ले जाना। इस परसे तू देखेगा कि मेरी वत्ति तुझे अपनेसे दूर रखनेकी है। इस वत्तिको जितना महत्त्व दिया जाना हो उतना देकर अपना निणय करना। मुझपर न छोडना। तुझे वहासे निकल आना चाहिए, यह तो मै अवश्य महसूस करता हूँ। बम्बईमे डॉ० जीवराजको फुसत हो तो उनसे मशविरा करना। और यदि ऐसा न करना चाहे तो कोई हज नही। तेरा बाल भी बाका नही होगा। शक्ति आनेमे देर लगे तो कोई बात नही। तू बिलकुल हिम्मत न हारना। यहा आनेका मन हो तो मुझे कोई आपत्ति नही, यह बात निश्चित जानना। यहा आयेगा तो मै अपनी शक्ति-भर तेरा मागदशन करूँगा। लेकिन कुल मिलाकर मुझे मेहताका इलाज पसद है। तेरे लिए उचित आहारके अलावा और किसी चीजकी जरूरत नही। अण्डेका उपचार जल्दी आरम्भ करनेसे कदाचित लाभ हो। जुगतरामका इस आशयका पत्र आया है कि अण्डेके विकल्पके रूपमे उसे किसी सब्जीकी जानकारी नही है। दूध अण्डेसे कम गुणकारी है, और उसकी बराबरी नही कर सकता। मनुके मामलेमे यह बात सच सिद्ध हुई। मनुको केवल कच्चा अण्डा ही दिया गया था।

उम्मीद है, बा का जुकाम ठीक हो गया होगा।

गुजराती प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३१६ पत्र श्रीकृष्ण चाँदीवालाको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय श्रीकृष्ण[2],

तुम्हारा पत्र मिला। तुम तो ब्रजकृष्णके लिए फरिश्ता बन गये हो। मै तुम्हारी इस बातसे सवथा सहमत हूँ कि उन्हे अपनी सेहतके साथ इस तरह खिलवाड नही करना चाहिए। मै तो यह चाहूँगा कि वे वापस दिल्ली चले जाय और तबतक वहा रहे जबतक उनका स्वास्थ्य पूरी तरहसे सुधर नही जाता। उनकी अस्थिरता ही उन्हे खराब कर रही है। तुम मुझे बताओ कि वे क्या कर रहे है।

मै देखता हूँ कि डॉ० असारी हैदराबादमे बीमार चल रहे है और इसलिए कुछ समयतक दिल्ली नही आ सकते।

१ प्रेमलीला सर विट्ठलदास दामोदर ठाकरसीकी पत्नी।

२ ब्रजकृष्ण चाँदीवालाके भाई।

मै देखता हूँ कि तुम अपने लिए क्या कर रहे हो। मै तुम्हारी सफलताकी कामना करता हूँ। मै जानता हूँ कि तुममे आत्मविश्वास की कमी नही है।

ब्रजकृष्णसे कहना कि वह मुझे पत्र लिखे। यदि मुझे समय मिला तो मै इस पत्रमे उनके लिए भी एक छोटा पत्र रख दूगा।

बापू

सलग्न १

श्री श्रीकृष्ण
कटरा खुशाल राय
दिल्ली

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३१७ पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

५ नवम्बर, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत क्यो नही है? मैने तो तुमको उत्तर दे ही दिया है[१] यहा आनेका भी लिखा है। हरद्वारके ठिकाने पर भेजा था। श्रीकृष्ण लिखता है उससे तो पता चलता है कि तुमारा शरीर अच्छा नही है। यदि ऐसे ही है तो तुमारे न्यु देल्हीमे जाना मुनासब होगा। अच्छा तो यह है कि जैसा डाक्तर कहे ऐसे करना।

दामोदरदास मिले थे। बाते तो बहूत हुई। मुझको सतोष नही हुआ। अगर वह जो कहते है सो सत्य है तो तुमारे समजनेमे कुछ गलती हुई है अथवा उन्होने अपनी बात बदल दी है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

इस महीनेतक तो मै यही हू।

पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० २४२९) से।

१ ११ अक्टूबरको।

३१८ पत्र एफ० मेरी बारको

६ नवम्बर, १९३४

चि० मेरी

तुम्हारा पत्र मिला। पिछला वाला पत्र मैंने छोटालालको भेज दिया था। तुम मेजपर जो पत्र छोड गई थी, वह मुझे मिल गया था। तुम्हे खेद प्रकट करनेकी कोई जरूरत नही थी। तुमने मेरे एकातमे कोई बाधा नही डाली थी। मै तो कई लोगोके बीच एकात सेवन करता हू। रगरावजीके वापस लौटनेतक क्या तुम्हे वहा रुकना पडेगा? क्या तुम नई प्रणालीके अनुसार अपनी तकली चलाती हो? 'जो कुछ भी करो, ईश्वरके नामपर करो और इसलिए जो सबसे अच्छा तरीका सम्भव हो, उस तरीकेसे करो'——यह एक अच्छा सिद्धात है।

सप्रेम

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०३२) से। सी० डब्ल्यू० ३३६१ से भी, सौजन्य एफ० मेरी बार

३१९ पत्र क० मा० मुन्शीको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मुन्शी

मेरा ध्यान अब सविधानसे हट चुका है। इसलिए अभी मिले तुम्हारे पत्रपर कोई निश्चित राय दे सकना मेरे लिए कठिन है। इसलिए तुमने जितने मुद्दे उठाये है, उन सबके बारेमे तुम उन्ही निणयोको पूरी तरह कार्यान्वित करो जिनको उप समिति की बैठक मे अच्छी तरह समझ लिया गया था। उप-समितिका दष्टिकोण जैसा मैंने समझा, उसको व्यक्त करनेके लिए मैंने अपनी वाक्य रचना[1] तुम्हे भेज दी थी। जैसाकि तुम जानते हो मै बैठकमे पूरे समयतक रहा था, लेकिन किशोरलाल भी रहे थे। मै अपने मुकाबले उनकी याददाश्तपर ज्यादा भरोसा करूँगा, और इसमे मुझे खुशी होगी। अब तफसीलकी बातोको ले

१ देखिए पत्र क० मा० मुन्शीको ३११ १९३४।

१ उप समितिमें जो-कुछ समझा गया था, वह यह था कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो अथवा शहरी क्षेत्र हो, जहा कही भी एक दूसरेसे लगे हुए स्थानोको बहु सदस्यीय निर्वाचिन क्षेत्र बनाया जा सकता हो, वहा उ हे मिला दिया जायेगा। शहरी क्षेत्रमे और ग्रामीण क्षेत्रमे सिवा इसके कोई फक नही किया गया था कि शहरी क्षेत्रमे जहा कही भी सम्भव हो, अधिकतम सख्या दस और न्यूनतम सख्या पाच निर्धारित की गई थी, ग्रामीण क्षेत्रके लिए कोई अधिकतम या न्यनतम सख्या निश्चित नही की गई थी, लेकिन जहा कही भी सम्भव हो वहा ऊपर बताये गये एकीकरणके तरीकेसे बहु सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रोकी रचना करनेका निश्चय किया गया था। मेरी कल्पनामे अहमदाबाद, धदुका और प्रा तिजको मिलानेका सवाल पैदा ही नही होता। तुमने उक्त दो प्रकारके क्षेत्रोमे जो अ तर किया था, उसके कारण मेरी कठिनाई पैदा हुई थी। शहरकी हमारी परिभाषाके अनुसार उसकी आबादी १०,००० से ऊपर होनी आवश्यक है। जिस स्थानकी आबादी १०,००० या इससे कम है, वह शहर नही है और वह ग्रामीण क्षेत्रका हिस्सा है। पता नही मै अपना अथ स्वय स्पष्ट कर पाया हू या नही। यदि वह स्पष्ट न हो, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसके साथ तुम इसे समझनेके लिए सलाह कर सको तो तुम कृपया अपने विचारको ही कार्यान्वित करो। आखिरकार यदि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योके बीच कोई कठिनाई पैदा होती है या मतभेद है तो उसे काग्रेसके अगले अधिवेशनमे दूर किया जा सकता है।

२ प्रति ५०० सदस्योके पीछे एक प्रतिनिधिकी व्यवस्थाके मामलेमे मेरे सामने बम्बईको लेकर कोई कठिनाई नही थी, क्योकि उसके लिए ज्यादा-से-ज्यादा २१ सदस्योका कोटा निश्चित है। अन्य प्रान्तोके लिए मै मानता हूँ कि स्थिति यह है। हमने उनके लिए अधिकतम सख्या निश्चित कर दी है और हमने शहरी क्षेत्रो और ग्रामीण क्षेत्रोके लिए भी अधिकतम सख्या निश्चित कर दी है। इसलिए वितरण या समायोजन प्रान्तोके अनुसार होगा और इसके आगेका समायोजन प्रत्येक प्रान्तके क्षेत्राके अनुसार होगा। मेरे मसौदेकी खुद मेरी व्याख्या यह है कि उसमे इन दोनोकी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन यदि तुम्हारा विचार भिन्न हो तो तुम्हारा मसौदा ही ठीक माना जाये या इस अथको कार्यान्वित करनेके लिए यदि तुम कोई दूसरा मसौदा बनाओ तो वह ठीक माना जाये। मुझे इसमे कोई सन्देह नही है कि जो अथ मैने यहा दिया है, वह ठीक है।

३ जहातक विशेष अधिवेशनका सवाल है, उसमे मुझे कोई कठिनाई नही है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, काय समिति और अध्यक्ष प्रतिनिधियोकी इच्छा पर निभर करेगे। प्रतिनिधि लोग इनके साथ जो चाहेगे करेगे, और मेरा खयाल था कि हमारे मसौदेमे ऐसी ही व्यवस्था की गई थी।

तुम अगर चाहो तो मुझे अन्तिम प्रूफ भेज सकते हो, लेकिन मै इस अधिकार को छोडता हूँ क्योकि सविधानके प्रकाशनमे पहले ही काफी देर हो चुकी है। उप-समितिके विचारोको विषय-समितिने जिस रूपमे स्वीकार किया है, यदि हमने उनको

ईमानदारीसे कार्यान्वित करनका प्रयत्न किया है तो हमने अपना कर्त्तव्य कर दिया और हमे आलोचनाकी अग्निपरीक्षा सहन करनी चाहिए।

आशा है, तुम अपनी शक्तिसे ज्यादा काम नही कर रहे हो। तुमने जो मसौदा भजा था उसे मै वापस कर रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद[1]

श्री क० मा० मुन्शी
बम्बई

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७५६०) से, सौजन्य क० मा० मुन्शी

३२० पत्र डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय डा० गोपीचन्द

आपका पत्र मिला। आपने लाहौरकी घटनाओका जो वणन किया उसे सुनकर दु ख हुआ। लेकिन मेरा खयाल है कि ऐसी घटनाएँ तो अनिवायत होगी। मै तो आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप काग्रेसमे वैसा ही भाग लेगे जैसाकि आपको पसन्द है और जो आपको काग्रेसको स्वच्छ रखनेमे सहायक होगा।

मुझे उम्मीद है कि मै थोडे ही समयमे ग्रामोद्योग सघ के बारेमे एक वक्तव्य[2] जारी कर सकूगा। मैने पहले ही इसे जारी कर दिया होता, लेकिन सवेरे ढाई बजे उठनेके बावजद मै अभीतक अपना पहलेका काम पूरा नही कर सका हूँ। लेकिन मै अब और भी तेजीके साथ काम करूँगा। बेशक, मै आपका और उन सभी ठोस कायकर्त्ताओका सहयोग प्राप्त करना चाहूँगा जो आगे बढकर मुझे अपना सहयोग देगे। प्रस्तावका उद्देश्य तो लोगोका नतिक उत्थान करना है। और इसलिए इसमे उस हदतक समाज सेवा भी शामिल है जिस हदतक वह ग्रामोद्योगोके माध्यमसे की जा सकती हो। यदि जगन्नाथ अपनी सेवाएँ देनेके लिए कहते है और यदि उन्हे ऐसा करनेकी अनुमति दी जाती है तो उन्हे इस कायमे अपना पूरा समय देना होगा। क्या सोसायटी उन्हे मुक्त कर सकती है और क्या स्वय उनकी इस ओर अभिरुचि है।

इस महीनेके अन्ततक मेरा कायक्रम यह है कि मै यहा हूँ। भविष्यकी बात म नही जानता, सिवाय इसके कि उटमनजई मेरा मक्का, यरुशलम अथवा काशी है।

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ यह गुजराती लिपिमें है।
२ देखिए वक्तव्य समाचारपत्रोंको ', ८ ११ १९३४।

३२१ पत्र पी० जी० मैथ्यूको

६ नवम्बर १९३४

प्रिय मथ्यू

तुम्हारा निणय जानकर बडी खुशी हुई। स्वामी आनन्द ९ तारीखको वहा पहुँचेगे और तुम्हे अपनी निगरानीमे ले लेगे। वह तुम्हे कायकर्त्ताओके एक दलमे रखेगे। तुम्हारा अतिम गतव्य स्थान बम्बईसे कुछ मील दूर थाना होगा। इस बीच तुम बम्बईके कायकर्त्ताओके बीच रहोगे। तुम उन्हीके साथ रहोगे और तुम्हारे खाने की व्यवस्था भी वही होगी। लेकिन यदि तुम अलगसे खानेकी व्यवस्था करना चाहोगे तो तुम एकदम, अर्थात जबसे स्वामी आनन्द तुम्हे अपनी देखरेखमे लेते है तबसे, १५ रुपये प्रतिमास ले सकते हो। इसमे तुम्हारा खाना पीना, कपडा, दवा और अन्य सब खच आ जाते है। लेकिन इसमे तुम्हारे आवासका खच शामिल नही है और जबतक तुम थाना अथवा बम्बईमे रहोगे तबतक तुम्हारे आवासपर कोई खच नही करना होगा। यदि तुम्हारी बदली किसी गावमे होती है, जिसमे अभी कोई खास परिवतन नही हुआ है तो उसमे १५ रुपयेमे किराये समेत सभी खच आ जाते है। तुम सम्मिलित रूपसे आठ घण्टे शारीरिक श्रम करोगे और मनोयोगपूवक हिन्दी सीखोगे। यदि तुम यह सब प्रसन्नतापूवक कर सकते हो तो मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नही कि इससे तुम्हारी समस्या हल हो जायेगी और ईश्वरकी कृपासे तुम अपना अतीत भी भूल जाओगे।

सप्रेम,

बापू

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३२२ पत्र टी० के० राय चौधरीको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला जिसके लिए मै आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ भी नही है। ग्रामोद्योग-सघके बारेमे मेरी महत्त्वाकाक्षा, आपकी जैसी कल्पना है उससे कही छोटी है।

हृदयसे आपका,

श्री टी० के० रायचौधरी, ए० एम० एस० ई०
इजीनियर
११९ लूकरगज
इलाहाबाद

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३२३ पत्र बी० सत्यनारायणको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय सत्यनारायण,

आपका पत्र मिला। मै ग्रामोद्योग-सघकी गतिविधियोके बारेमे, जिसकी अभी स्थापना की जानेवाली है, जो कुछ लिखूगा आप उसे पढते रहिएगा।

हृदयसे आपका,

श्री बी० सत्यनारायण
हनुमानपेट, बैजवाडा

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३२४ पत्र अमाली सईद अब्दुल हादीको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। भारत एक बहुत बडा देश हे और जबतक आप मुझे अपने पिताका पूरा ब्योरा नही देते तबतक उनका पता लगाना असम्भव है।

हृदयसे आपका,

श्री अमाली सईद अब्दुल हादी
माफत हज बाहा अब्दुल हादी
नेबलस, फिलिस्तीन

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३२५ पत्र बसराके गवर्नरको

६ नवम्बर, १९३४

बसरा प्रात (ईराक राज्य) के गवनर और
बसरा खजूर सलाहकार मडलके अध्यक्ष
बसरा

प्रिय गवनर,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद, जिसमे आपने खजूर भेजे जानकी सूचना दी है। बसराके प्रसिद्ध खजूरोका मुझे अच्छा अनुभव है। मै उत्सुकतासे उनकी राह देख रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजय प्यारेलाल

३२६ पत्र द्रौपदी शर्माको

६ नवम्बर, १९३४

चि० द्रौपदी,

तुमारा खत मिला हे। अमतुल सलाम यही है। अच्छी हे। आश्रमका काय करती है। तुमको लिखनेवाली थी। रामदास साबरमती है। कनु और सुमित्रा उसके साथ है। शायद रामदास यहा आ जायगा। नीमु यहा हे। शर्म्मा ८ तारीखको यहा पहोच जायगा ऐसा लिखता है। कृष्णा अबतक क्यो अच्छी नही होती है? दवा कौन करते है? चाहती है कि शर्म्मा वहा आवे? दिल खोल कर लिखो जसे पुत्री माताको लिख सकती है।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, प० ११५ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

३२७ पत्र रफी अहमद किदवईको

७ नवम्बर, १९३४

प्रिय रफी,

महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढा है। खान-बन्धुओको भाषण देनेके इरादेसे कही जाना पसन्द नही है। उन्हे गाववालोके पास जाना और उनसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल तो वे यह भी नही कर रहे है। खुद खान साहबकी तबीयत भी कोई बहुत अच्छी नही है। इसलिए तुमको खान बन्धुओकी यात्राके विचारको छोड देना चाहिए। इस समय सरदार तुम लोगोके बीचमे है और तुमको इसीमे सन्तोष मानना चाहिए। लेकिन यदि तुम किसी मुसलमानको चाहते हो तो मौलाना साहबसे आनेके लिए क्यो नही कहते?

तुम्हारा तार मिला। प्रदशनीका क्या होगा? क्या वह मेरी कसौटीपर खरी उतरेगी?

हृदयसे तुम्हारा,

श्री रफी अहमद किदवई
मसौली, बाराबकी

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३२८ पत्र आसफ अलीको

७ नवम्बर, १९३४

प्रिय आसफ अली,

आपका तार मिला। खान-बन्धु मुझे एकान्तप्रिय स्वभावके व्यक्ति जान पडते हैं। वे भाषण देनेके लिए कही भी नही जाना चाहते। तो फिर उनको कही जानेके लिए मेरे कहनेसे क्या लाभ? इसलिए आप उनके बिना जो कर सकते हो, वह करनेका प्रयत्न करे। लेकिन डा० असारी कुछ ही दिनोमे आपके बीच होगे, हालॉकि उनकी तबीयतको देखते हुए मै नही चाहता कि वे बहुत ज्यादा परिश्रम करे। आप मौलाना अबुल कलाम आजादसे क्यो नही कहते? उन्हे इस भारको सँभाल सकना चाहिए और वे प्रभावकारी वक्ता भी है। मुझे खुशी है कि वातावरण आपके लिए साफ हो रहा है। मै आशा करता हूँ कि आप सफल होगे।

हृदयसे आपका,

श्री आसफ अली, बार एट ला
फैज बाजार, दिल्ली

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३२९ पत्र 'मजी' के सम्पादकको

७ नवम्बर, १९३४

सम्पादक 'मजी'
अमृतसर

प्रिय महोदय,

मुझे आपकी पत्रिकाके बारेमे कोई जानकारी नही है। मै समाचारपत्रोको बहुत कम सन्देश देता हूँ और जिनसे मै अपरिचित हूँ उन्हे तो कदापि नही देता।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३३० पत्र जानम्मालको

७ नवम्बर, १९३४

प्रिय जानम्माल,

मद्रास पहुँचनेके बाद इतनी जल्दी तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बडी खुशी हुई। यदि तुम जल्दी आ सकती हो तो यह अच्छी बात होगी। लेकिन यदि तुम्हे पन्द्रह दिन लगे तो तुम ऐसे समयमे आओगी जब मेरी गतिविधिया अनिश्चित होगी और कदाचित् मै वर्धामे नही रहूँगा। इसलिए यदि तुम तुरन्त ही नही आ सकती तो तुम्हे तबतक प्रतीक्षा करनी चाहिए जबतक तुम्हे मेरे भावी कार्यक्रमके बारेमे मालूम नही हो जाता। और यदि मै भूल जाऊँ तो भी कार्यक्रम निश्चित होनेके बाद अम्बुजम् तुम्हे लिख भेजेगी।

क्या मेरी बातोसे तुम्हे ऐसा लगा कि मै तुम्हे दुर्बल बुद्धि मानता हूँ? मैने कदाचित विनोदमे ऐसा कहा होगा, लेकिन तुमने मुझे ऐसा सोचनेका कभी कोई मौका नही दिया है। तुम उस परिवारकी हो जिसके सदस्य मनकी कमजोरीके लिए नही बल्कि मनकी दृढताके लिए प्रसिद्ध है।

अम्बुजम ठीक चल रही है और मेरा खयाल है कि वह यहा पूरी तरहसे खुश है।

श्री जानम्माल
मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३३१ पत्र उमादेवी बजाजको

७ नवम्बर, १९३४

चि० ओम,

तेरे पत्रकी आशा व्यर्थ है। मैने तुझे लिखा नही पर तेरी याद मुझे बराबर रहती ही है। इस बारका तेरा आचरण मुझे जरा भी अच्छा नही लगा। तेरा पत्र भी अच्छा नही लगा। उसमे दी गई सफाई गलत थी। मेरे साथ इतने महीने घूमनेके बाद तूने क्या सीखा? क्या तू इसका हिसाब लगाकर मुझे लिखेगी? काग्रेस-अधिवेशनके समय मैने तुझे एक सिरेसे दूसरे सिरेतक जाते हुए देखा। उस दिनका तेरा वह पहनावा! मेरे दुःख और क्रोधका पार न था। अपने दिये हुए वचनका तू पालन करना। कृत्रिम कभी मत बनना। जैसी है वैसी ही दिखना। तेरी सगाईकी बाते

चल रही है। उस बारेमे स्वतन्त्रतासे अपने विचार बताना। सच्ची रहना, सच्चा विचारना, सच्चा बोलना। यदि यह तेरी शक्तिके बाहर हो तो मुझे छोड देना।

साफ अक्षरोमे लिखे हुए तेरे सविस्तर पत्रकी मैं राह देखूगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३४०

३३२ पत्र जमनालाल बजाजको

७ नवम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारी चिट्ठिया आती रहती है। कानकी ओरसे निश्चिन्त हो गये, ऐसा नही समझना चाहिए। मुझे और अधिक विवरण भेजना। अच्छा ही हुआ कि तुम वहाँ समयपर पहुँच गये।

दिमागपर कामका बोझ न पडने देना। कामकी दृष्टिसे तुम्हारा बम्बई रहना मुझे अच्छा नही लगता। सैकडो लोग वहा आते-जाते रहते होगे। किसी भी तरहकी चिन्तामे घिरना ही नही।

महिलाश्रमके विचारमे न पडना। उसके बारेमे मैं विचार कर रहा हूँ। राधाकृष्ण तो उसमे पूरी तरह जुट ही गया है। मैंने भागीरथीके साथ बाते की है। फिर करूँगा। उस (सस्था)की गिरावटका तो सवाल ही नही है।

ओमके बारेमे मुझे कुछ चिन्ता रहती है। जो करो वह उससे पूछकर करना। इसके साथ उसके लिए एक पत्र है।

२७ वी तारीखको गाधी सेवा-सघकी सभाकी बात अबतक तो तय ही है न? तिथिमे फेरफार करना हो तो करना। अगर वहा ज्यादा रुकना पडे और डॉक्टर एक सप्ताहकी छुट्टी दे, तो यहाँ आकर वह बैठक कर लेना।

टहलने जाते हो क्या? क्या खानेमे सावधानी रखते हो? यदि गडबड चीजे खाते हो तो छोड देना। उन्हे हजम करनेमे दिमागकी शक्ति काफी परिमाणमे क्षय हो जाती है। खुली हवा और कसरत करना बहुत आवश्यक समझना। नीद तो बराबर आती होगी।

खानसाहबके लडके गनीको शुगर फैक्टरीमे काम करनेकी इच्छा हुई है। अभी तनख्वाहकी बात नही है। उसे तो प्रशिक्षित करनेकी ही बात है। उसे यदि कही अनुभव दिलाया जा सके तो दिला देना चाहिए। इसपर विचार करके मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९४५) से।

३३३ पत्र प्रेमाबहन कटकको

दीवाली, ७ नवम्बर, १९३४

चि० प्रेमा,

तू मुझे मिली भी और नही भी मिली। तेरे अन्तिम पत्रका उत्तर तो वही देना था, परन्तु ऐसा हुआ ही नही। अब देनेकी जरूरत है या नही, मै यह नही जानता। तेरे पत्रकी मैने आशा रखी थी। अब तुझे वही प्रश्न अथवा अन्य प्रश्न पूछने हो तो पूछना। इस महीने तो मै यही हूँ। बादका मुझे कुछ पता नही। सुशीला[1] के साथ भी मेरी बात नही हुई। किसन[2] अन्तिम दिन मुझसे मिलने आ गई, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ भी बात तो हुई ही नही।

लीलावती अभी यही है। कल राजकोट जायेगी। उसकी विह्वलता काफी बढी हुई है। शायद पहलेसे अधिक होगी। वह किसी भी विचारपर स्थिर नही रह सकती।

बा शनिवारके दिन रामदासको लेकर वापस आ रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० १०३६२) से। सी० डब्ल्यू० ६८०१ से भी, सौजन्य प्रेमाबहन कटक

३३४ वक्तव्य समाचारपत्रोको

८ नवम्बर, १९३४

मैने अखबारोमे इस आशयकी रिपोट देखी है कि अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघके लिए, जिसकी कि स्थापना की जा रही है, दिल्लीके एक लखपती सज्जनने २० लाखकी रकम मुझे सौपी है। बादकी एक दूसरी अखबारी रिपोटमे कहा गया है कि मैने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघके मुख्य कार्यालयके लिए अहमदाबादको चुना है। ये दोनो अफवाहे निराधार है।

मै चाहता हूँ कि मेरे आन्दोलन अथवा मेरे इरादोके बारेमे किसी खबरपर जनता तबतक विश्वास न करे जबतक कि वे मेरे द्वारा प्रमाणित न हो। सचाई यह

१ सुशीला पई।

२ किसन घुमतकर।

है कि मुझे प्रति माह २,५०० रुपयेके वादे मिले हैं और अभीतक मुझे ५०० से ऊपर की रकम प्राप्त हो चुकी है। संघको रुपयोंकी जरूरत बेशक होगी, लेकिन उसे रुपयोंसे भी ज्यादा कार्यकर्त्ताओंकी आवश्यकता है। यदि कार्यकर्त्ता मिल जायें तो धन अपने आप आ जायेगा। इसलिए मैं संघके लिए काम करनेके इच्छुक लोगोंको अपने नाम भेजनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ।

मदद केवल ऐसे ही लोगोंसे हो सकती है जो कुछ समय गाँवोंमें लगायेंगे या जो ग्राम कार्यमें रुचि रखते हैं — ऐसा ग्राम कार्य जो आरम्भमें मुमकिन है, दिलचस्प या आकर्षक प्रतीत न हो। काम चार तरहका होगा (१) उन सात उद्योगों को प्रोत्साहन देना और उनमें सुधार करना जिनके कि सहायताके अभावमें खत्म हो जानेकी सम्भावना है, (२) इन उद्योगों द्वारा तैयार किये जानेवाले मालको अपनी देख-रेखमें लेकर उन्हें बेचना, (३) जिन ग्रामोद्योगोंको पुनर्जीवित करने और सहारा देनेकी जरूरत है उनका सर्वेक्षण करना, और (४) गाँवमें सफाई और स्वच्छताकी देख भाल करना।

संघको संगठित किया जा रहा है और कार्य-योजना तैयार की जा रही है। लेकिन इस बीच मैं चाहूँगा कि कार्यकर्त्ता लोग धानकी हाथ कुटाई, और गाँवकी चक्कियोंमें गेहूँके आटेकी पिसाईके कामको प्रोत्साहन देने और गुड़को लोकप्रिय बनानेका काम हाथमें लें। इन उत्पादनोंकी शुद्धता सुनिश्चित करनेके लिए वे इन प्रक्रियाओंका अध्ययन भी करें।

कार्यकर्त्ता लोग इन तीन चीजोंके बारेमें तथा अन्य जो कोई ग्रामोद्योग उनके ध्यानमें आये उनके बारेमें यथातथ्य सूचनाएँ एकत्र करें, और जो आँकड़े वे एकत्र कर सकें, उन्हें मेरे पास भेजें।

मैं इस तथ्यपर भी जोर देना चाहूँगा कि यह संघ सर्वथा गैर राजनीतिक होगा। इसका एकमात्र उद्देश्य भारतके गाँवोंका आर्थिक, नैतिक और स्वच्छता-सफाईकी दृष्टिसे उत्थान करना होगा और इसमें सभी पार्टियोंके लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी एक ही कसौटी होगी संघके कार्यक्रमके प्रति पूरी सहानुभूति और जहाँ भी सम्भव हो वहाँ धन और कार्यसे सहायता करनेकी तत्परता।

[अंग्रेजीसे]

बाम्बे क्रॉनिकल, १०-११-१९३४

३३५ पत्र डॉ० विधानचन्द्र रायको

८ नवम्बर, १९३४

प्रिय डा० विधान

मैंने जिन कुछ मुद्दोंका जिक्र किया था, उनके बारेमें आपने मुझे जानकारी देनेके वादा किया था। मैं उन्हें नीचे संक्षेपमें दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इनका जल्द से जल्द उत्तर दें।

(१) क्या आप समझते हैं कि पौष्टिकताके विचारसे बिना पालिश किया हुआ चावल पालिश किये चावलसे बेहतर है?

(२) और यदि बिना पालिश किया हुआ चावल पालिश किये हुए चावलसे बेहतर है तो मिलोंमें तैयार किये गये बिना पालिशके चावलमें और हाथ कुटे बिना पालिशवाले चावलमें क्या भेद है?

(३) पौष्टिकताके विचारसे क्या चक्कीमें पिसे आटेमें और मिलके पिसे आटे में कोई अन्तर है?

(४) क्या गांवके कोल्हूसे तैयार किया गया गुड़ चीनीकी मिलोंमें तैयार की जानेवाली चीनीसे श्रेष्ठ है। और यदि है तो गुड़में ऐसे कौनसे तत्त्व हैं जो खाद्यतत्त्वके रूपमें मिलोंकी चीनीसे अधिक वांछनीय और पौष्टिक हैं?

(५) गांवके कोल्हू द्वारा पेरा गया तेल क्या तेलकी मिलोंमें पेरे गये तेलसे अधिक अच्छा है?

डॉ० विधानचन्द्र राय
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३३६ पत्र छगनलाल जोशीको

८ नवम्बर, १९३४

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम दोनोको और बच्चोको नये वष का[१] आशीर्वाद।

तुम अधीर न होना। सब कुछ ठीक हो जायेगा। गावोका काम वही रहते हुए करना। काम ऐसा है कि सब काम कर सकते है और किसी भी जगह कर सकते है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ५५२६) से।

३३७ पत्र नारणदास गाधीको

८ नवम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। गोशालाके लिए रुपये अम्बालालभाईसे लेने है।[२] [फिल-हाल] रकम मै भेज दूगा। नरहरि यही है। जमनाके लिए धूप सेकनेके लायक एक खाट खरीद लेना या मँगना लेना।

हरिलालके बारेमे तुमने जो कहा वह मै समझ गया।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) सी० डब्ल्यू० ८४२२ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी

१ गुजराती पचागकी कार्तिक सुदी १।

२ देखिए 'पत्र अम्बालाल साराभाईको', १९१०१९३४।

३३८ पत्र कुसुमबहन देसाईको

८ नवम्बर, १९३४

चि० कुसुम,

तेरा पत्र मिला। तू तो अब राजकोटमे कुछ जिम्मेदारी ले बैठी है न? तेरा स्वास्थ्य यदि अच्छा हो और तू काम करे तो मै जरूर तुझे यहा बुला लू तथा तुझसे शिक्षाका काम लू। लेकिन मुझे तेरे स्वास्थ्यकी चिता है।

राजकोट

गुजराती प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३३९ हरिजन-बोर्ड

प्राय यह प्रश्न पूछा जाता है कि हरिजन-बोर्डोके सदस्योकी सख्या कितनी होनी चाहिए और उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बनारसमे हुई सयुक्त प्रात प्रातीय बोडकी बैठकमे मैने काफी विस्तारसे इन प्रश्नोका उत्तर देनेकी कोशिश की थी।[1] तथापि यह आवश्यक है कि इन प्रश्नोपर समय-समयपर अथवा तबतक चर्चा की जाये जबतक कि एक निश्चित नीति तय नही हो जाती।

यदि हम यह याद रखे कि इन बोर्डोके सदस्य सेवक है, सरक्षक नही, और आभूषण तो कदापि नही, तो ज्यादातर दिक्कते अपने-आप दूर हो जायेगी। तब किसीको खुश करने अथवा नाराज करनेका प्रश्न ही नही रह जायेगा। केवल उन स्त्री अथवा पुरुषोको इन बोर्डोमे लिया जायेगा जो सेवा करनेके लिए उत्सुक है और जिनकी उपस्थितिसे, जिस बोडमे वे है, उसकी उपयोगिता बढेगी तथा सदस्य होनेकी वजहसे उक्त बोडकी सेवा करनेकी उनकी क्षमता भी बढेगी।

किसी भी व्यक्तिको चाहिए कि वह इन स्थितियो मे ही हरिजन बोडका सदस्य बने

(१) वह सम्पूण रूपसे अस्पश्यता-निवारणमे पूण विश्वास करता है।

(२) अपनी सामर्थ्यानुसार बोडको कुछ देता है।

(३) निश्चित रूपसे कोई हरिजन-सेवा करता है, उदाहरणके तौरपर किसी हरिजन लडके अथवा लडकीको परिवारके सदस्यके रूपमे अथवा घरेलू नौकरके रूपमे, अपने घरमे रखता है, अथवा किसी हरिजनको अथवा हरिजनोको पढाता है, अथवा

१ २९ जुलाईको, देखिए खण्ड ५८, पृ० २७०१।

नियमित रूपसे हरिजनोके घरोमे जाकर उनमे सफाई रखनेके लिए कहता है, अथवा यदि वह डाक्टर हे तो हरिजन रोगियोका मुफ्त इलाज करता हे, आदि।

(४) बोडको अपनी डायरी भेजता है जिसमे उसके महीने-भरकी सेवाका ब्योरा दिया रहता है।

अगर इस प्रकारकी शर्तोंका पालन किया जाता है तो सदस्य सख्यापर किसी प्रकारका प्रतिब ध होनेकी कोई जरूरत नही है। जितने ज्यादा सदस्य होगे उतना ही अच्छा होगा। ऐसे बोर्डोंके सदस्य परस्पर विचार विनिमय करनेके लिए, अपने-अपने अनुभव सुनानेके लिए और परस्पर एक दूसरेकी कठिनाइयोको सुलझानेके लिए मिलेगे। वे व्यथके वाद-विवादमे अपना समय बरबाद नही करेगे।

इन बोर्डोंसे सम्बद्ध सलाहकार समितिया भी बनाई जा सकती है। इन समितियोके सदस्य अपने लिए कमसे कम योग्यता निर्धारित कर लेगे। स्वाभाविक हे कि इन सदस्योकी योग्यताकी शर्ते बोर्डोंके सदस्योकी शर्तोकी अपेक्षा कम कठोर होगी।

मैंने जिन योग्यताओकी चर्चा की है, उनकी चर्चा भरसे ही स्वभावत यह प्रश्न उठता है कि अगर वैसे सदस्य न मिल पाये तो क्या होगा। आजसे पहले मै इसका जो उत्तर अक्सर देता आया हू, यहा भी मुझे वही उत्तर देना होगा। आवश्यक योग्यतावाले सदस्योके अभावमे केन्द्रीय बोडने जिन लोगोको अपने-अपने प्रान्तोमे सघ स्थापित करनेके लिए कहा है वे लोग अपने एजेटोकी माफत यह सेवाकाय करेगे। "सचाईके साथ काम करो" यह प्रत्येक बोडका आदश होना चाहिए और उसके सदस्योको कभी भी इस हितावह नीतिवचनको आखसे ओझल नही करना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ९ ११ १९३४

३४० मेरी तथाकथित असगतता

'हरिजन' के सम्पादकको एक पत्र मिला है जिसमे निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये है [1]

> **९ माचके 'हरिजन' मे महात्मा गाधीने यह कहा बताते ह कि शास्त्रोमें अस्पश्यताके लिए कोई प्रमाण नहीं है[2] [यह कथन] उनके पिछले वक्तव्यसे मेल नहीं खाता जिसमें उन्होने कहा था कि शास्त्रोमें अस्पश्यताका विधान तो है लेकिन वे ऐसे अनुच्छेदोकी प्रामाणिकताको स्वीकार नहीं करते, क्योकि वे अनतिक ह।**
>
> **उनके वक्तव्योमें जो स्पष्ट असगतता दिखाई देती है, उसके बारेमें क्या आप 'हरिजन' के स्तम्भोमें कुछ प्रकाश डालेगे?**

१ यहाँ कुछ अंश ही दिये गये है।

२ देखिए खण्ड ५७ पृ० २२७ ८।

म सगतताका कोई हौआ नही बनाता। यदि मै हर पल अपने प्रति सच्चा हूँ तो मुझपर असगतताके चाहे कितने ही आरोप लगाये जाये, मुझे उनकी चिन्ता नही है। लेकिन पत्रमे जो अश उद्धत किया गया है, उसमे कोई असगतता नही है। यदि मै शास्त्रोके कुछ अवतरणोको क्षेपक समझकर अथवा उन अवतरणोको शास्त्रोमे निहित मूलभूत सिद्धान्तोके अथवा सावत्रिक नैतिकताके विपरीत जानकर उन्हे अस्वीकार कर देता हू तो निश्चय ही मुझे ऐसा कहनेका अधिकार है कि आपत्तिजनक अवतरणोमे जिस विश्वासका अथवा व्यवहारका उल्लेख किया गया हे, शास्त्रोमे उनका कोई प्रमाण नही मिलता। मैने इस धारणाके समथनमे एक नही बल्कि कई विद्वानोके मतोको उद्धत किया है कि अस्पश्यता आज जिस रूपमे प्रचलित हे उसका शास्त्रोमे कही विधान नही किया गया है। बेशक, शास्त्रोमे अस्पश्यता मिलती है लेकिन उनमे ही वर्णित सरल तरीको द्वारा उसका इलाज भी किया जा सकता है। हम सब हर रोज शौचादि क्रिया करते समय अस्पश्य बन जाते है और स्नानादि करनेके बाद शुद्ध हो जाते है। निसन्देह दुष्ट विचार भी हमे अस्पश्य बनाते है, लेकिन उनका प्रतिरोध करके और राम अथवा वासुदेव अथवा नारायण अथवा शिवके रूपमे ईश्वरका नाम लेकर उसकी शरणमे जाकर हम शुद्ध हो जाते है अस्पश्यतासे मुक्त हो जाते है। इस तरह हरिजन भी, जिसका धधा उसे अस्पश्य बना देता है, शुद्धीकरणकी क्रिया द्वारा शुद्ध हो सकता है। कुछ सनातनियोका दावा है कि अस्पश्यता लाइलाज हे और शताब्दियोसे यह पीढी दर पीढी चली आती है तथा अनन्त कालतक रहेगी। ओर सबसे ज्यादा दुखकी बात तो यह है कि सनातनी लोग दावा करते है कि ऐसे अस्पश्य लाखोकी सख्यामे है। उनके इस विश्वासका आधार शास्त्र नही बल्कि जनगणना सम्बन्धी रिपोर्टे है जो समय समयपर बदलती रहती है, तथा इन रिपोर्टोको ऐसे लोग तैयार करते है जिन्हे हिन्दू-शास्त्रोका कोई ज्ञान नही होता और बहुत से मामलोमे तो वे हिन्दू होते ही नही। इसलिए यह एक ऐसा अन्धविश्वास है जिसका हिन्दू धमसे प्रेम करनेवाले हर व्यक्तिको प्रतिकार करना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ९-११ १९३४

३४१ अल्पसख्यकका अधिकार

एक सनातनी भाई पूछते है

सनातनी होनेके नाते हरिजनो द्वारा मन्दिर प्रवेश करनेके सम्बन्धमे मेरी एक कठिनाई है। मान लीजिए कि किसी मन्दिर विशेषमे जानेवाले लोगोमें १ के विरुद्ध ९९ लोग हरिजनोको उक्त मन्दिरमें प्रवेश देनेके पक्षमें ह और मन्दिर खोल दिया जाता है। तब उस एक व्यक्तिका क्या होगा जिसे उस मन्दिरमे जाकर पूजा करनेपर आपत्ति है जिसमे हरिजन जाते है? यदि सुधारक लोग अपने उद्देश्यमें सफल हो जाते ह तो क्या यह सनातनियोके पूजा करनेके उस अधिकारमे अनुचित हस्तक्षेप न होगा जो अनादिकालसे उन्हे प्राप्त है?

इग्लडके किसी नगरमे रोमन कैथोलिकोका सावजनिक चच भी हो सकता है और प्रोटेस्टेट लोगोका भी हो सकता है। और यदि वहाँ प्रोटेस्टेट लोगोका बहुमत हो तो भी वे लोग रोमन कथोलिक चचके क्रिया-कलापोमें हस्तक्षेप नही करेंगे, तब फिर सुधारकोको (भले ही उनका बहुमत हो) सनातनियोके सावजनिक मन्दिरके क्रिया-कलापोमें हस्तक्षेप क्यो करना चाहिए?

मुझे इन प्रश्नोका उत्तर एक अन्य प्रश्नके द्वारा देना चाहिए। यदि एक अकेले सनातनीको मन्दिरमे पूजा करनेका अधिकार हे, जो कि निश्चय ही उसे है, तो बहुमतका क्या होगा? क्या उन्हे कोई अधिकार नही है? उक्त सनातनी मित्रने जो तुलना की है वह यहा लागू नही होती। उन्होने दो भिन्न सम्प्रदायोके चच साथ साथ होनेकी कल्पना की है। यदि प्रोटेस्टेट लोग रोमन कैथोलिकाके अथवा रोमन कैथोलिक लोग प्रोटेस्टेट लागोके अधिकारोमे हस्तक्षेप करते ह तो यह घोर अशिष्टता होगी। लेकिन मान ले कि एकको छोडकर शेष सारे प्रोटेस्टेट लोग उन लोगोको, जिनको उन्होने सदियोसे धम बहिष्कृत किया हुआ था, मन्दिरमे आने देनेका निश्चय करते हैं। वैसी स्थितिमे निश्चय ही उन्हे इस प्रतिबन्धको हटानेका पूरा पूरा अधिकार होगा। प्रश्नकर्त्ताने जो उदाहरण दिया है उसमे तो धम परिवतनकी बात निहित है लेकिन यहा किसीके धम परिवतनका प्रश्न ही नही उठता। मन्दिर-प्रवेश आन्दोलनमे सुधारक लोग सनातनियोका धम परिवतन नही करना चाहते। यदि वे ऐसा करना चाहते हो तो सिद्धान्तकी दष्टिसे मन्दिर जानेवाले भक्तजन यदि सवसम्मतिसे चाहे तो भी सुधारकोका मन्दिरका उस उद्देश्यके लिए उपयोग करनेका अधिकार नही दे सकते जिसका कि मन्दिरके सस्थापकोका कदापि मशा नही था। यहा तो सुधारकोका यह दावा है कि सनातनियोके साथ साथ वे जिस धममे विश्वास रखते

है वह भ्रम ही हरिजनोको उनके मन्दिराका उपयोग करनेकी अनुमति देता है। इसलिए यह तो अपनी अपनी समझकी बात है और ऐसे मामलोमे तो बहुमतको ही स्वीकार करना होगा। यदि ऐसा नही होता तो यह अल्पमत द्वारा बहुमतका उत्पीडन करनेके समान होगा और इससे सारी प्रगति रुक जायेगी। बेशक, उक्त सनातनी भाईने जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है, उसका अर्थ है उस समाजका नाश और मृत्यु जो इस सिद्धान्तमे विश्वास रखता है। यह याद रखना चाहिए कि अल्पमत भी अपने लिए मन्दिर बनानेको स्वतन्त्र है। और जहातक मेरा सवाल है, मै पहले ही कह चुका हूँ कि एक अकेले व्यक्तिके पूर्वग्रहोकी इस हदतक रक्षा की जानी चाहिए कि उसके लिए अलगसे समय निर्धारित कर दिया जाये ताकि वह उस अवधिमे हरिजनो अथवा सुधारकोके हस्तक्षेपसे मुक्त रहकर अपनी पूजा सम्पन्न कर सके।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ९ ११ १९३४

३४२ पत्र केदारनाथ साहाको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

श्रीयुत कुमारप्पाको लिखा आपका पत्र मैंने देखा है जो अभीतक पद भार ग्रहण नही कर सके है। यदि आप मुझे अपने चाकू और चप्पलोका नमूना भेजेंगे और यदि वे सचमुच उपयोगी हुए तो मैं उनके लिए ग्राहक ढूढनेकी कोशिश करूँगा। ये चप्पले मारे हुए पशुके चमडेकी बनी हुई है अथवा मरे हुए पशुके चमडेकी है? आप मुझे कच्चे शहतूतका नमूना भी भेज सकते हैं। उसपर प्रयोग किये जायेंगे और तब वहा किसीको निर्देशकके रूपमे भेजना अथवा वहासे निर्देशनके लिए किसी व्यक्तिको यहा बुलाना सम्भव हो सकेगा।

हृदयसे आपका,

श्री केदारनाथ साहा
वकील
हजारीबाग

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३४३ पत्र मारियाको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय लाक

आपका इटालियन और अग्रेजी भाषामे सावधानीपूवक लिखा पोस्टकाड मिला। मै आपकी प्राथनाकी निश्चय ही बहुत कद्र करता हूँ जिसकी कि इस समय मुझे जरूरत है। मै लाक परिवारके सदस्योको कभी भुला नही सकता और मेरा आशीर्वाद सदा उनके साथ है, उस हदतक जिस हदतक मै आशीर्वाद देनेके योग्य हूँ।

सिस्टर मारिया
लाक आफ सेट फासिस
ऐरेमो फ्रासिस्कानो, त्रेवी (अम्ब्रिया)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३४४ पत्र ई० ई० स्पेटको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

अपनी पुस्तक 'इण्डियन मास्टर्स आफ इग्लिश' की छ प्रतिया भेजनेके लिए आपका धन्यवाद। काश कि मेरे पास इतना समय होता कि मै इसे सावधानीपूवक पढ जाता और इसपर अपनी सुविचारित राय दे सकता। फिर भी, मै इस पुस्तकके पन्ने पलटनेका अपना लोभ सवरण नही कर पाया और आपने प्रत्येक रचनाके अतमे जो सुविचारित टिप्पणिया दी है, उन्हे देखकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत् ई० ई० स्पेट
उस्मानिया यूनिवर्सिटी
हैदराबाद (दक्षिण)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३४५ पत्र एन० ए० द्राविडको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय द्राविड,

आपका पत्र और कतरन पाकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। जब आपको सुविधा हो तब आप अवश्य आये और मेरे साथ आधा घण्टा बिताये।

गावके पुर्ननिर्माणके लिए मेरे पास निश्चय ही बहुत सी योजनाएँ है और वे योजनाएँ मै आपको लम्बा पत्र लिखकर बतानेकी बजाय बातचीतके दौरान ज्यादा आसानीसे बता सकगा। आपको मालूम होगा कि जब मै चम्पारनमे था और जब स्वर्गीय डॉ० देव मेरे साथ थे तब मैने कुछ गावोमे काम किया था। उस समय हमारा उद्देश्य गावोके बच्चो और वयस्कोके लिए स्कूलकी व्यवस्था करना तथा गावकी सफाई और स्वास्थ्यका ध्यान रखना था। तबसे ग्राम्य जीवन-सम्बन्धी मेरी जानकारीमे काफी वद्धि हुई है। मैने कल जो प्रेस वक्तव्य[1] भेजा है, उसे आप पढेगे। इससे आपको मालूम होगा कि इस समय मेरा मन किस दिशामे काम कर रहा है।

हृदयसे आपका,

श्री एन० ए० द्राविड, एम० ए०
वरिष्ठ सदस्य
सर्वेण्टस ऑफ इण्डिया सोसायटी
नागपुर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३४६ पत्र बिहारीलाल भेत्राको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने जिन सलग्न पत्रोकी माग की है उन्हे मै वापस भेज रहा हूँ। मै आपको यहाँ आने और अनेक विषयोपर बातचीत करनेका कष्ट नही देना चाहूँगा। मै चाहूँगा कि आप समाचारपत्रोके जरियेसे सघकी गतिविधियोपर नजर रखे और यदि आप ऐसा महसूस करे कि आप उपयोगी ढगसे अपनी सेवाएँ पेश कर सकते है तो आप कृपया मुझे लिखिएगा और साथ ही अपनी

१ देखिए ' वक्तव्य समाचारपत्रोंको ", ८ ११ १९३४।

जरूरत भी बताइएगा। साथी कार्यकर्त्ताओंको प्रारम्भिक निर्देशके रूपमें मैंने कल जो प्रेस-वक्तव्य जारी किया है[1], उसे आप पढ़ लीजिएगा। आपको प्रेस-वक्तव्यसे मालूम हो सकेगा कि संघ क्या स्वरूप धारण करेगा।

हृदयसे आपका,

श्री बिहारीलाल भेत्रा
मार्फत डी० एण्ड डी० कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
अनारकली बाजार, लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

३४७. पत्र : रामदासको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय रामदास,

मैं यह सोच ही रहा था कि आपका क्या हाल-चाल है कि मुझे आपका पोस्टकार्ड मिला। खानसाहब बहुत सही कार्यकर्त्ता हैं। वह किसी कामको करनेमें तनिक-सा समय भी नष्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वह जाँचके लिए सब जगह आपके वक्तव्य भेजते रहे हैं। यह रहा उनके पत्रके उत्तरमें लिखा एक पत्र। आप कृपया अपने उत्तर सहित इस पत्रको वापस भेज दें।

यदि आपका पुराना रोग अभी भी बाकी है तो क्या आप [सीमान्त प्रदेशके] उस इलाकेमें ठीक रह पायेंगे? आपको याद रखना चाहिए कि खादी कार्य सीखनेके लिए आपको सावली जाना था। मैं नहीं चाहता कि आप फिर बीमार पड़ें, क्योंकि हर बीमारी आपको और भी कमजोर बना जायेगी।

हृदयसे आपका,

श्री रामदास
मार्फत डा० एम० एल० गुलाटी
कोहाट (पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त)

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", ८-११-१९३४।

३४८ पत्र एस० गणेशनको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय गणेशन,

ठक्कर बापाके लिए तुमने जो ८४ रुपये १२ आनेका बिल भेजा है उसके सम्बन्धमे मैने ठक्कर बापासे बातचीत की है और मैने उन्हे सुझाव दिया है कि वे बिलको ऐसे ही पडा रहने दे। इस समय हमारे पास एक बिल बाकी बचा है। जब हमारा स्थितिका अध्ययन करनेका समय आयेगा और यदि 'हरिजन' को जीवित रखना होगा तथा यदि उसे जीवित रखनेमे ८४ रुपये १२ आनेके बिलके भुगतान से कुछ सहायता मिलती हो तो हम उतनी रकम उनसे ले सकते है। अन्यथा इस रकमको इस तरहसे काट दिया जाना चाहिए मानो अतिरिक्त अकका प्रकाशन सामान्य ढगसे किया गया हो। मै जानता हूँ कि किसी समय मेरे विचार इससे भिन्न थे, लेकिन अब मै यह सोचता हूँ कि हम जबतक अपना काम चला सकते है, इस बिल समेत, तबतक हमे केन्द्रीय कोषसे पैसा नही लेना चाहिए। आखिरकार हम इस कोषमे से शास्त्रीके वेतनके अशके रूपमे पैसा ले रहे है।

ठक्कर बापाने तुम्हे जो पत्र लिखे है तुमने उन्हे लौटानेके लिए कहा है। मै वे सब पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ।

मै प्रसगवश उनके साथ तुम्हारे बारेमे आम चर्चा कर रहा था और मै तुम्हे यह यकीन दिला सकता हूँ कि उन्हे तुमसे कोई रजिश नही है। उनका कहना है कि तुममे काम करनेकी जितनी क्षमता है, तुम उससे ज्यादा क्षमता मानते हो और न्यासके पैसेपर दरियादिलीके साथ खर्च करते हो। उदाहरणके तौरपर मुझे उन्होने बहिरग विभागके लडकोकी बात बताई जिन्हे तुम प्रशिक्षण दे रहे हो और जिनको तुम दोपहरके समय चाय-पानी आदि देते हो, हालाकि यह तुम्हारा काम नही है तथा जो लडके वहा आते है, वे इतने ज्यादा गरीब नही होते कि वे चाय पानी पर दो-एक पैसे खर्च नही कर सकते हो। यह बात उन्हे एक ऐसे व्यक्तिने बताई है जिसे तुमसे और तुम्हारे कार्यसे सहानुभूति है और जो तुम्हारे आत्मत्यागकी कद्र करता है। ठक्कर बापाने यह बात मुझे तुम्हारे प्रति अन्यायकी भावनासे नही बताई है, उन्होने तो केवल तुम्हारी दरियादिलीका एक उदाहरण भर दिया है। जब हम अपनी जेबसे पसा खर्च करते है तब उदारता एक गुण है, लेकिन जब हम न्यासके पैसे उदारतासे खर्च करते है तो यह एक अवगुण है। एक न्यासीको अपने न्यासके मामलेमे कजूसीसे काम लेना चाहिए।

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३४९ पत्र कान्ति गाधीको

९ नवम्बर, १९३४

चि० काति,

तेरा पत्र मिला है। नया वष तेरे मन, शरीर और आत्माके लिए शुभ हो।

तकलीपर चार सौ तार कातना सामाय गति कदापि नही है। भाऊ[1] इत्यादि यहा तक पहुँच गये ह। वे अभी भी इससे आगे बढनेके प्रयत्नमे लगे है। दो सो तारकी गति सामाय है। एक सौ साठ कमसे-कम गिनी जाती है।

अभीतक तो ऐसा ही लग रहा है कि हरिलालमे जो सुधार हुआ है, वह स्थायी रहेगा। नारणदासको सतोष जान पडता है।

दूध और घी का सेवन जारी रखना।

मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी हो गई है। इन दिनो तो मै कच्चा दूध, फल और हरी साग-सब्जी खा रहा हूँ, बिना उबाली हरी सब्जिया ढाई तोलेसे अधिक नही होती। इसमे ककडी, मूली पत्ता सहित, कुलफाकी भाजी, टमाटर आदि आ जाते है। आज मेरा वजन एक सौ सात पौ० निकला।

रामदास और बाके कलतक वापस आनेकी सम्भावना ह। किशोरलालभाई और गोमतीबहन कल आये थे। यो तो आना जाना चलता ही रहता है।

तुझे अबतक पैसा तो मिल गया हे न?

क्या तुझे यह मालूम हो गया है कि कनु यहा हे और पथुराज कोई धधा शुरू करनेवाला है? जीवनदासने भी व्यापार शुरू कर दिया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

महादेव आज बम्बईसे आयेगा। बाबलाका टासिलका ऑपरेशन कराया गया है। जमनालालजी को अभी बम्बई कुछ और दिन रहना पडेगा। उनके ठीक होनेमे थोडी कसर रह गई है।

गुजरातीकी फोटो नकल (सी० डब्ल्यू० ७२८९)से, सौजन्य कातिलाल गाधी

१ भाऊ पानसे।

३५० भेट निर्मलकुमार बोसको[1]

९/१० नवम्बर, १९३४[2]

प्रश्न हमारा प्रश्न है कि क्या खादी-काय मात्र एक लोकोपकारी काय रहे अथवा हमे उसका उपयोग राजनीतिक शिक्षा देनेके एक साधनके रूपमे करना चाहिए? हमारा अनुभव रहा है कि यदि अन्तिम लक्ष्य ध्यानमे नही रखा जाता तो यह काय धीरे धीरे अपना महत्त्व खो बठता हे।

उत्तर खादी ओर राजनीतिक सगठन ये दो भिन्न चीजे है और इनको बिलकुल अलग रखना चाहिए। इसमे कोई भ्रम नही होना चाहिए। खादीका उद्देश्य लोकोपकारी है, लेकिन जहातक भारतका सवाल है उसका जबदम्त राजनीतिक प्रभाव होना अनिवाय हे।

साल्वेशन आर्मी [मक्ति सेना] लोगोको ईश्वरके बारेमे शिक्षित करना चाहती हे। लेकिन इस सनाके लोग रोटी लेकर आते ह। गरीबोके लिए रोटी ही उनका ईश्वर हे। इसी प्रकार हमे खादीके जरिये लोगोके पेटमे भोजन पहुँचाना चाहिए। यदि हम खादीके जरिये लोगोके आलस्यको समाप्त कर सके तो वे हमारी बात सुनने लगेगे। सरकार आर चाहे जो-कुछ करती हो, लेकिन वह गाववालोके लिए खानेको थाडा-कुछ छोड देती है। अगर हम गाववालोको खाना नही दे सकते तो फिर वे हमारी बात क्यो सुनेगे? जब हम उन्हे सिखा देगे कि वे अपने ही प्रयत्नोसे क्या-कुछ कर सकते है, तब वे हमारी बात सुनना चाहेगे।

यह विश्वास उत्पन्न करनेका सबसे अच्छा तरीका खादीके जरिये है। खादी-कायक्रमको कार्यान्वित करते समय हमारा उद्देश्य शुद्ध लोकोपकारी अर्थात् आर्थिक होना चाहिए। हमे सब प्रकारके राजनीतिक विचारोको छोड देना चाहिए। लेकिन इस कायक्रमके महत्त्वपूण राजनीतिक परिणाम होने अनिवाय है जिन्हे कोई रोक नही सकता, और जिनकी किसीको निन्दा करनेकी जरूरत नही है।

प्रश्न क्या हम खादीके तरीकेके बजाय गावोमें पूँजीवादके विरुद्ध स्थानीय और विशिष्ट प्रश्नोपर छोटे छोटे सघष नहीं आरम्भ कर सकते और इनका उपयोग लोगोको मजबूत बनानेके लिए अथवा लोगोके अन्दर सहयोगकी भावना पदा करनेके लिए नहीं कर सकते? जब हमारे सामने इन दो विकल्पोमें से एक चुननेकी सुविधा हो तब हमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? जब हमें ब्याजकी दर कम करानेके

१ और २ साधन सूत्रके अनुसार निमलकुमार बोस, गाधीजीसे ९ और १० नवम्बरको मिले थे। भेंट की यह रिपोट गाधीजी द्वारा सुधार किये जानेके बाद प्रकाशित हुई थी।

लिए या कृषि उत्पादनमें जमीदारका हिस्सा बढ़ाये जानेके विरुद्ध साहूकार या जमीदारके खिलाफ सघष करना पड रहा हो, और उस सिलसिलेमे यदि हमे गावोमे खादीके लिए किये गये सारे सगठन और कायकी बलि देनेकी आवश्यकता पडे तो वसी स्थितिमे हमे क्या करना चाहिए — बशर्ते कि खादी-कायके आधारपर होनेवाले सगठनकी अपेक्षा साहूकारो और जमीदारोके विरुद्ध किये जानेवाले सघषसे लोगोके अन्दर ज्यादा आत्मविश्वास पैदा होनेकी सम्भावना हो ?

उत्तर आपने प्रश्नके अन्तमे जो शत लगाई है वह एक बडी शत है। मै कह नही सकता कि पूजीपतियोके खिलाफ स्थानीय और विशिष्ट प्रश्नोपर सघष छेडनेसे लोगोके अन्दर वसा सकल्प और साहस पदा होनेकी सम्भावना है जिनकी कि एक अहिसात्मक आन्दोलनमे आवश्यकता होती हे। लेकिन अगर म आपकी यह बात मान लू तो जिन परिस्थितियोकी आपने चर्चा की है, उनमे खादीका बलिदान करना ही होगा। म एक व्यावहारिक व्यक्ति हूँ और मै अहिसात्मक तरीकोका विशेषज्ञ होनेका दावा करता हूँ। उस नाते मै आपको सलाह दगा कि लोगोको आत्मचेतना और शक्ति प्राप्त करनेकी शिक्षा देनेके लिए आप उस प्रकारका काय न करे।

हम स्वराज्यके लिए अहिसात्मक ढगसे लड रहे ह। आप जिस ढगकी लडाईका जिक्र करते है, यदि भारतके विभिन्न भागोमे बहुत से कायकर्त्ता उस ढगकी स्थानीय लडाई लडने लगे, तो आवश्यकता पडनेपर भारत भरमे लोग स्वराज्यके लिए समान सकल्पके साथ नही लड सकेगे। बडे पैमानेपर सविनय अवज्ञाको व्यवहार-रूप दिया जा सके, इससे पहले लोगोको स्वैच्छिक या सविनय आज्ञापालनकी कला सीखनी होगी। सरकारकी आज्ञाका पालन हम भयवश करते है, और इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है वह या तो खुद हिसा है अथवा हिसाका वह रूप है जिसे कायरता कहा जा सकता है। लेकिन खादीके जरिये हम लोगोको उस सस्थाके खिलाफ सविनय अवज्ञाकी कला सिखलाते है जिसे उन्होने अपने लिए स्वय खडा किया है। यह कला सीख लेनेके बाद ही वे सफलतापूवक उस चीजकी अवज्ञा कर सकते है जिसको कि वे अहिसात्मक तरीकेसे नष्ट करना चाहते है। यही कारण है कि मै सब कायकर्त्ताओको सलाह देना चाहूँगा कि वे बहुमुखी सघर्षोमे अपनी लडनेकी ताकत नष्ट न करे, बल्कि खादी काय पर अपना सारा ध्यान केन्द्रित करे ताकि जन समूहको वे एक ऐसी स्थितिके लिए प्रशिक्षित कर सके जो कि अहिसक असहयोगके सफल प्रयोगके लिए आवश्यक है। जनताका स्वय शोषण होता रहा तो विदेशी वस्त्रका धरनेके जरिये बहिष्कार करनेका आन्दोलन आसानीसे हिंसक हो सकता है, खादीके इस्तेमालके जरिये यह आन्दोलन अत्यन्त स्वाभाविक और बिलकुल अहिसक होगा।

प्रश्न क्या प्रेम या अहिसाकी किसी भी रूपमें स्वामित्व अथवा शोषणके साथ सगति है ? यदि स्वामित्व और अहिसा एकसाथ सम्भव नही ह, तो क्या आप भूमि या कारखानोके निजी स्वामित्वको बरकरार रखनेका इस आधारपर समथन करते हैं कि यह एक आवश्यक बुराई है जो तबतक कायम रहेगी जबतक कि व्यक्ति उसके बगैर काम चला सकनेके योग्य अथवा उसके लिए पर्याप्त शिक्षित

नही हो जाते ? यदि यह एक ऐसा ही कदम हो, तो क्या बेहतर नही होगा कि राज्यके जरिये सारी भूमिपर स्वामित्व स्थापित कर लिया जाये और राज्यको जन-साधारणके नियन्त्रणमे रख दिया जाये ?

उत्तर प्रेम ओर अनन्य अधिकार साथ-साथ नही चल सकते। सिद्धान्तत जब पूर्ण प्रेम होता है तब पूर्ण त्याग भी होता हे। शरीर हमारी अन्तिम सम्पत्ति होता है। अत कोई पूर्ण प्रेम तभी जता सकता हे ओर साथ ही पूर्णत त्यागी तभी हो सकता है जब वह मृत्युका आलिंगन करनेको और मानव सेवाकी खातिर अपने शरीरका त्याग करनेको तैयार हो।

लेकिन यह बात केवल सिद्धान्त रूपमे ही सच है। वास्तविक जीवनमे हम पूर्ण प्रेम शायद ही कर सके, क्योकि शरीरका स्वामित्व हमेशा हमारे साथ रहेगा। मनुष्य हमेशा अपूर्ण रहेगा और पूर्ण होनेकी चेष्टा करना भी उसके भाग्यमे सदा ही रहेगा। इस प्रकार प्रेम अथवा पूर्ण त्याग जबतक हम जीवित है तबतक हमारा अप्राप्य आदर्श रहेगा, लेकिन ऐसा आदर्श, जिसके लिए हमे अनवरत प्रयत्न करते रहना चाहिए।

जिनके पास आज धन है, उनसे यह अपेक्षा है कि वे अपने धनको गरीबोके वास्ते न्यासियोकी तरह रखे। आप कह सकते है कि न्यासी पद एक कानूनी कल्पना हे। लेकिन यदि लोग उसपर बराबर विचार करे और उसके अनुरूप आचरण करनेकी कोशिश करे तो धरतीपर जीवनका नियमन आज प्रेमके द्वारा जितना कुछ होता हे उससे कही ज्यादा अशमे होगा। पूर्ण न्यासीवाद यूक्लिडकी एक बिन्दुकी परिभाषाकी भाति एक काल्पनिक वस्तु है और उतनी ही अप्राप्य है। लेकिन अगर हम कोशिश करे तो हम उसके जरिये पृथ्वीपर किसी अन्य तरीकेकी अपेक्षा इस तरीकेसे समानता स्थापित करनेकी दिशामे ज्यादा दूर जा सकेगे।

प्रश्न यदि आप यह मानते ह कि निजी सम्पत्ति अहिंसाके विरुद्ध है, तो फिर आप उसे सहन क्यो करते ह ?

उत्तर यह एक रियायत है जो उनके लिए करनी ही पडती है जो धन अर्जित करते है, लेकिन स्वेच्छया अपनी कमाईका उपयोग मानव जातिके लाभके लिए नही करते।

प्रश्न तब निजी सम्पत्तिकी जगह राज्यका स्वामित्व क्यो न हो और इस प्रकार हिंसाको कम से-कम क्यो न किया जाये ?

उत्तर यह निजी स्वामित्वसे बेहतर है। लेकिन वह भी हिंसाके आधारपर आपत्तिजनक है। यह मेरा दृढ विश्वास है कि यदि राज्य पूजीवादको हिंसात्मक तरीकेसे दबाता है तो वह स्वय हिंसाके चगुलमे फँस जायेगा और अहिंसाका विकास करनेमे सवथा विफल रहेगा। राज्य हिसाका सघन और सगठित रूपमे प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तिके पास आत्मा होती है, लेकिन चूकि राज्य एक आत्माहीन यन्त्र है, इसलिए उस हिंसासे उसे कभी मुक्त नही किया जा सकता जिसपर कि उसका अस्तित्व ही निभर करता है। इसीलिए मै न्यासीवादके सिद्धान्तको ज्यादा पसन्द करता हूँ।

प्रश्न　हम एक विशिष्ट दृष्टान्तको ले। मान ले कि कोई चित्रकार अपने लडकेके लिए कुछ ऐसे चित्र छोड जाता है जिनकी कि वह लडका राष्ट्रके लिए कीमत नही समझता और उन्हे बेच देता है या उन्हे नष्ट कर देता है और इस कारण राष्ट्रको एक व्यक्तिकी गलतीके कारण कुछ अमूल्य वस्तुका नुकसान सहना पडता है। यदि आपको विश्वास हो कि वह पुत्र, जिस अर्थमे आप चाहते ह, उस अर्थमे कभी न्यासी नही होगा, तो क्या आप नही समझते कि राज्य द्वारा न्यूनतम हिंसा करके उन वस्तुओको उससे लेकर अपने अधिकारमे कर लेना उचित होगा ?

उत्तर　हा राज्य वस्तुत उन चीजोको अपने हाथमे ले लेगा और म समझता हूँ कि यदि वह न्यूनतम हिंसा इस्तेमाल करता है तो उसे ठीक समझा जायेगा। लेकिन यह भय तो बराबर ही है कि राज्य अपनेसे भिन्न मत रखनेवालाके विरुद्ध बहुत अधिक हिंसाका प्रयोग करे। यदि सम्बन्धित व्यक्ति न्यासियोकी भाति व्यवहार करे तो मै वस्तुत बहुत प्रसन्न होऊँगा, लेकिन यदि वे इसमे विफल हो तो वैसी दशामे मेरा विश्वास है कि हमे राज्यकी सहायतासे न्यूनतम हिंसाके जरिये उन्हे उनकी सम्पत्तिसे वंचित करना होगा। यही कारण हे कि मैने गोलमेज सम्मेलनमे कहा था[1] कि प्रत्येक निहित स्वार्थकी जाच होनी चाहिए और आवश्यकतानुसार मुआवजे या बिना मुआवजेके सम्पत्तिको जब्त करनेका आदेश दिया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत रूपसे मै जो पसन्द करूँगा, वह राज्यके हाथमे सत्ताका केन्द्रीकरण नही, बल्कि न्यासीवादका व्यापकीकरण होगा। कारण यह कि मेरी रायमे राज्यकी हिंसाके मुकाबले निजी स्वामित्वकी हिंसा कम हानिप्रद है। तथापि, यदि टाली न जा सकती हो तो मै न्यूनतम राज्य-स्वामित्वका समर्थन करूँगा।

प्रश्न　तब, महोदय, क्या हम यह मानें कि आपके और समाजवादियोके बीच जो बुनियादी अन्तर है वह यह कि आप यह मानते ह कि मनुष्य आदतकी अपेक्षा आत्म निर्देश अथवा इच्छाके बलपर रहते ह और वे विश्वास करते ह कि मनुष्य इच्छाके मुकाबले आदतके भरोसे रहते ह ? और यही कारण है कि आप स्वय सुधारके पक्षमें ह जबकि वे लोग एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनेकी कोशिश करते ह जिसके अन्तर्गत मनुष्यके लिए दूसरोका शोषण करनेकी अपनी इच्छाको पूरा कर सकना असम्भव हो जाये।

उत्तर　मै यह स्वीकार करता हूँ कि मनुष्य अपनी आदतके अनुसार रहता है, लेकिन म यह मानता हूँ कि उसके लिए अपनी इच्छाके अनुसार रहना बेहतर है। मै यह भी मानता हूँ कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्तिको इस हदतक विकसित करनेमे समर्थ है कि शोषण कम-से-कम हो सके। मै राज्यकी बढती हुई शक्तिको भयके साथ देखता हूँ, क्योकि वह प्रत्यक्षत शोषणको कम करते हुए भी व्यक्तिगत प्रयत्नको नष्ट करके मानवजातिको ज्यादा-से-ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। यह व्यक्तिगत

१ देखिए खण्ड ४८ पृ० २४८–५९।

प्रयत्न ही मानव जातिके प्रयत्नोकी प्रगतिकी जड या बुनियाद हे। हम ऐसे कई मामलोसे परिचित है जबकि मनुष्यने न्यासीवादको स्वीकार किया है, लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण हमारे सामने नही हे जिसमे राज्य वस्तुत गरीबोके लिए जिया हो।

प्रश्न लेकिन क्या आप न्यासीवादके जो दृष्टान्त प्रस्तुत करते ह, वे आपके निजी प्रभावके परिणामस्वरूप ह, किसी अन्य कारणसे नही? आप-जसे शिक्षक कभी कभी ही आते ह। इसलिए अपने जसे मनुष्यका मात्र सयोगवश अवतरण होनेके विरुद्ध क्या आपका आवश्यक परिवतनोके लिए किसी व्यक्तिकी अपेक्षा किसी सगठनपर इन परिवतनोके लानेका भार डालना बेहतर नही होगा?

उत्तर मुझे छोड दीजिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ससारके सभी शिक्षकोके उपदेश उनके जीवनके बाद भी जीवित रहे है। बुद्ध, मुहम्मद या ईसा इन तीनोके उपदेशोमे कुछ स्थायी तत्त्व था, ओर कुछ तत्त्व ऐसा भी था जो समयकी आवश्यकताके अनुसार था। उनकी स्थायी शिक्षाआके साथ उनकी अस्थायी शिक्षाओको कायम रखनेकी हमारी कोशिशके कारण ही धार्मिक प्रवत्तियोमे इतना विभेद पदा हो गया है। लेकिन इनको छोड दे तो हम देख सकते है कि इन महापुरुषोका प्रभाव उनकी मत्युके बाद भी कायम रहा है। इसके सिवा, मै जिस चीजको अमान्य करता हूँ वह शक्तिपर आधारित एक सगठन है और राज्य ऐसा ही एक सगठन है। स्वैच्छिक सगठन होना अवश्य चाहिए।

प्रश्न तब, महोदय, आपकी दृष्टिमे आदश सामाजिक व्यवस्था क्या है?

उत्तर म ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियोके साथ इस ससारमे पैदा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य कुछ ऐसी सीमाओके साथ पैदा हुआ है जिनसे ऊपर उठ सकना उसके लिए सम्भव नही है। इन सीमाओका ध्यानपूवक अध्ययन करनेके बाद 'वण का नियम निर्धारित किया गया हे। यह अमुक प्रवृत्तियोवाले व्यक्तियोके अमुक कायक्षेत्रोका निर्धारण करता हे। सीमाओको स्वीकार करते हुए भी वण नियममे ऊँच नीचका कोई भेद नही किया गया है। यह एक आर तो हरएकको उसके परिश्रमका फल मिले यह सुनिश्चित करता है, और दूसरी ओर यह नियम किसी व्यक्तिको अपने पडोसीपर किसी प्रकारका दबाव डालनेसे रोकता है।

इस महान नियमको पतित किया गया है और इसे बदनाम किया गया है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब इस नियमके फलितार्थोको समझा और कार्यान्वित किया जायेगा तभी एक आदश सामाजिक व्यवस्था कायम हो सकेगी।

प्रश्न क्या आप ऐसा नहीं समझते कि प्राचीन भारतमें चार वर्णोंके बीच आर्थिक दर्जे और सामाजिक अधिकारोके मामलेमें भेद था?

उत्तर ऐतिहासिक दृष्टिसे यह सच हो सकता है। लेकिन नियमका गलत प्रयोग किया गया या उसकी लोगोको अधकचरी समझ हे, महज इस कारण स्वय नियमकी उपेक्षा नही की जानी चाहिए। हमे जो विरासत मिली है, उसे हमे अनवरत प्रयत्नपूवक समृद्ध करना चाहिए। यह नियम मनुष्यके कत्तव्योका निर्धारण करता है।

कत्तव्योके समुचित पालनसे अधिकारोका उदय होता हे। आजकलका यह फैशन है कि कत्तव्योकी उपक्षा करो और अधिकारोपर जार दो, बल्कि अधिकार छीन लो।

प्रश्न अगर आप वर्णाश्रमको पुनरुज्जीवित करनेके लिए इतने ही उत्सुक ह तो आप सबसे शीघ्रगामी उपायके रूपमे हिसाको पसन्द क्यो नही करते?

उत्तर निश्चय ही यह प्रश्न नही उठता। कत्तव्यकी व्याख्या और उसका पालन हिसाको नकारते है। हिसा तब आवश्यक हो जाती है जब कत्तव्योका ध्यान किये बगैर केवल अधिकारोपर जोर दिया जाता है।

प्रश्न ससार अन्तत स्वभावसे ही सीमित है, इसलिए सत्यके पालनको ससार पर थोपनेके बजाय क्या हमे उसके पालनको अपनेतक ही सीमित नहीं रखना चाहिए?

उत्तर अगर आप कोशिश करे तो भी सत्यको सीमाबद्ध नही कर सकते। सत्यकी प्रत्येक अभिव्यक्तिमे प्रसारके बीज होते ह, उसी तरह जिस प्रकार सूयमे उसका प्रकाश।[१]

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, १७-१०-१९३५

३५१ पत्र अमृतलाल चटर्जीको[२]

१० नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

'गीता' तथा अन्य जिन शास्त्रोका आपने हवाला दिया हे, वे बेशक अज्ञानपूवक शरीरका दमन करनेके विरुद्ध ह। लेकिन ये सभी धम ग्रन्थ आत्म सयम और त्यागपर आग्रह करते ह। इनमे सोच विचारकर और विवेकपूवक किया गया उपवास भी अनिवायत शामिल है।

अब आपके दूसरे पत्रको ले। अधिकृत राय पानेके लिए आपको काय समितिके मन्त्रीको लिखना होगा। मेरी रायमे आपको जिस कठिनाईका सामना करना पड रहा है वह आम है। लेकिन मैं आपकी कठिनाईको बिलकुल ही नही समझ पा रहा हूँ। प्राथमिक सदस्योके लिए नियमित खद्दरधारी होना जरूरी नही है। लेकिन जो प्राथमिक सदस्य कमेटीके सदस्य होना चाहते है उनके लिए नियमित रूपसे खद्दर पहनना जरूरी है। वे यदि योग्यता प्राप्त करना चाहते है तो नियमित रूपसे

१ साधन सूत्रमें यह **मॉडर्न रिव्यू** से लेकर प्रकाशित किया गया था।

२ इस पत्रपर चटर्जीने लिखा है "उपवास और कांग्रेस सविधानमें 'खादी सम्बन्धी धारा' की मैंने जो आलोचना की थी, यह पत्र उसका जवाब है।'

खद्दर पहनना शुरू कर सकते हैं, और छ महीनेमें वे पूरी तरह योग्यताप्राप्त उम्मीदवार बन जायेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री अमृतलाल चटर्जी
शोलक (बंगाल)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १८४८) से; सौजन्य: ए० के० सेन

३५२. पत्र: सुरेशचन्द्र बनर्जीको

१० नवम्बर, १९३४

प्रिय सुरेश,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं जरूर यह चाहता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चलता रहे। मैंने तुम्हें प्रफुल्लकी मार्फत सन्देश भेजे हैं। एक बात है जिसपर मैं जोर देना चाहूँगा। जिस तरह किसी कैदीको जेलकी दीवारोंसे बाहरकी दुनियाके बारेमें सोचनेका कोई अधिकार नहीं है, और अपनी जेलकी छोटी-सी दुनियाके बाहर होनेवाली घटनाओंके बारेमें कोई राय बनानेका तो और भी अधिकार नहीं है, उसी तरह बिस्तरपर पड़ा एक बीमार व्यक्ति बाहरी दुनियाकी समस्याओंसे अपने मनको परेशान नहीं करता। वह उन घटनाओंमें कोई सक्रिय भाग नहीं लेता, वह ईमानदारीके साथ कोई सच्चे निर्णयके अयोग्य बन जाता है। यही आदर्श संन्यासीके सम्मुख भी होता है। जब कोई मनुष्य संन्यास लेता है तब वह बाहरी दुनियाके नित्य क्रिया-कलापोंसे अपनेको असम्पृक्त कर लेता है। यदि हम जीवनके इन सीधे सरल तथ्योंको ध्यानमें रखें तो हम इतने ज्यादा दुःखोंसे, गलतफहमियोंसे और भूलोंसे बच जायें, और कैदी, रोगी तथा संन्यासी लोग शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और अपने-अपने कार्य-क्षेत्रोंके प्रति न्याय कर सकें। यदि तुम कष्टमें नहीं हो तो मैं तुमसे एक काम करनेके लिए कहूँगा। वह यह कि सतीश बाबूकी किताबके लिए चिकित्सा-सम्बन्धी अध्याय लिखो। मैं ग्राम-कार्यकर्त्ताओंके लिए एक अच्छी मार्गदर्शिका चाहता हूँ। इसके पीछे मेरा विचार मूरकी 'फैमिली मेडिसिन' अथवा 'एवरीबोडी हिज ओन डॉक्टर' पुस्तक-जैसी पुस्तक तैयार करना है।

सुरेशचन्द्र बनर्जी
डो हिल (बिशोका)
जिला दार्जिलिंग

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३५३ पत्र एस० आर० सुन्दरराजनको

१० नवम्बर, १९३४

प्रिय सुन्दरराजन,

आपका पत्र मिला। मेरे खयालमें आप मेरे साथ नहीं ठहर सकते। मेरी गतिविधियाँ अनिश्चित हैं। खान साहब किसीको अपने साथ नहीं रखते। इसलिए आपको अपने इर्द-गिर्द पवित्र वातावरण तैयार करना चाहिए और ऐसा आप अत्यन्त पवित्र लेखकोंकी शुचितापूर्ण रचनाओंका, उदाहरणके तौरपर 'गीता', तुलसीदासकी 'रामायण', 'महाभारत' के कुछ अंश आदिका अध्ययन करके कर सकते हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता कि हुई आप ही वह कार्यकर्त्ता हैं जिन्हें मेरे स्नानागारकी देखरेखका काम सौंपा गया था और जिन्होंने सफाईका काम किया था।

हृदयसे आपका,

श्री एस० आर० सुन्दरराजन
'स्वतन्त्र संघ'
८-सी क्राफ्टस रोड
ट्रिप्लीकेन, मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

३५४ पत्र चारुचन्द्र भण्डारीको

१० नवम्बर, १९३४

प्रिय चारु बाबू,

आपका विशद पत्र पाकर मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ। मैं इस समय आपका कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपनी गतिविधियोंके बारेमें जानकारी देते रहें। आप संघकी, जिसकी अभी स्थापना की जा रही है, गतिविधियोंका अनुसरण करते रहें, और मैं यह भी चाहूँगा कि आप सतीश बाबूसे सलाह-मशविरा करें तथा उन्हें, उनके हरिजन कार्यमें जितनी सम्भव हो, उतनी मदद दें। चूँकि सारे बंगालका कार्य सतीश बाबूकी देख-रेखमें है इसलिए उन्हें इसका विकास

करना है। इस तरह आप अपने साथी कार्यकर्त्ताओंका अंशतः अथवा पूर्णतया समर्थन कर सकेंगे। इसके साथ ही वे लोग अत्यन्त उपयोगी सेवा करेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री चारुचन्द्र भण्डारी
डायमण्ड हार्बर, (२४ परगना)

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३५५ पत्र जी० एस० नरसिंहाचारीको

११ नवम्बर १९३४

प्रिय नरसिंहाचारी

आपका पत्र मिला। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, जिसकी अभी स्थापना की जा रही है के सिलसिलेमें यात्रा करनेका मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ उसकी झलक आप समाचारपत्रोंसे देखेंगे। अबतक आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मैं कांग्रेसका प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा हूँ।

मैं यह बात कदापि नहीं जानता था कि हिन्दी-प्रचारके विरुद्ध आन्ध्रदेशमें एक आन्दोलन चल रहा है। लेकिन मैं स्वयं विभिन्न प्रान्तोंकी समृद्ध भाषाओंको स्थानच्युत करनेके किसी भी प्रयत्नका विरोध करूँगा। हिन्दीका उद्देश्य उनका स्थान ग्रहण करनेका नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य हिन्दीको अन्तर्प्रान्तीय संलापके माध्यमके रूपमें प्रस्तुत करना है। इसलिए हिन्दी-प्रचारको प्रान्तीय भाषाओंकी प्रगतिको अवरुद्ध नहीं करना है बल्कि उन्हें और भी समृद्ध करना है।

हृदयसे आपका,

श्री जी० एस० नरसिंहाचारी
मार्फत उपकुलपति
वाल्टेयर

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३५६ पत्र सैम हिगिनबॉटमको

११ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र

मुझे आपका ८ तारीखका पत्र अभी-अभी मिला है, इसकी मैं निश्चय ही कद्र करता हूँ। आप मुझे अपने सारे सुझाव अवश्य लिख भेजें। मैंने जो संक्षिप्त वक्तव्य जारी किया है वह आपने देखा होगा। तथापि, सद्भावलोकनके लिए मैं एक प्रति आपको भेज रहा हूँ। मेरा दिमाग किस दिशामें काम कर रहा है इसकी रूपरेखा आपको देखनेको मिलेगी। मेरा कार्यके सिलसिलेमें दौरा करनेका कम-से कम इस समय तो कोई इरादा नहीं है। मैं उन मित्रोंसे अनौपचारिक रूपसे वार्ता कर रहा हूँ जिन्हें इस योजनामें दिलचस्पी है और इस समय मेरे पास प्रोफेसर कुमारप्पा हैं। पत्र-व्यवहारके जरिये विचारोंके पारस्परिक आदान प्रदानके बाद इस महीनेमें मैं आपसे मिलना चाहूँगा। ऐसा करनेसे बातचीतके दौरान हमारा समय बच सकेगा।

मुझे यकीन है कि आप एक मूलभूत तथ्यको अच्छी तरह समझते हैं। जो बात अमेरिका अथवा इंग्लैंड पर लागू होती है जरूरी नहीं है कि वह भारत पर भी लागू होती है। भारतके पास उसके करोड़ों लोगोंके रूपमें बहुत अधिक अतिरिक्त श्रम अप्रयुक्त ही पड़ा हुआ है और उसे अधिक विकसित मशीनरीके द्वारा श्रेष्ठ अथवा लाभकारी कार्यके लिए अपने पुत्रोंकी शक्तिको मुक्त करनेकी जरूरत नहीं है। अपने ३६ करोड़ बच्चोंके रूपमें उसके पास जीती जागती पहले ही से तैयार मशीनें हैं और यदि वह उनके श्रमका उपयोग कर सके — आधा श्रम या ही बेकार जा रहा है — तो उसके मन और शरीरकी यह दोहरी भुखमरी खत्म हो जाये। १९१५ में जब मैं भारत लौटा तब मुझे इस समस्याका सामना करना पड़ा और तबसे यह निरंतर मेरे दिलोदिमाग पर छाई हुई है।

हृदयसे आपका,

प्रोफेसर सैम हिगिनबॉटम
इलाहाबाद क्रिश्चियन कॉलेज
कृषि संस्थान, इलाहाबाद

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३५७ पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको

११ नवम्बर, १९३४

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्र नियमित रूपसे मिलते है। रामदासके लिए परमिट नही ही आयेगा न? रामदासकी इच्छा तो यही है कि वह यही ठीक हो जाये और उसे वहा जाना न पडे। लेकिन यदि परमिट मिलता हो तो भेज देना। यदि नही मिल सकता तो साफ साफ कह देना। खुशामद करके नही लेना है। उचित ढगसे मिले तो लेना चाहते है। रामदास और बा कल आये है। रामदास अभी तो मेरा ही उपचार करेगा। उम्मीद है कि वह अच्छा हो जायेगा।

एजेटके बारेमे समझ गया। तुझे जो उचित जान पडे सो करना। मुझे जैसा लगा वैसा मैने तुझे बता दिया है लेकिन अतमे कलम तो तेरे ही हाथमे है। दूर बैठा मै तेरा काजी नही बनूगा। मै तुझे कृत्रिम ढगसे व्यवहार करना नही सिखाना चाहता। तू वही करना जिसकी प्रतिध्वनि तू अपने हृदयमे सुने। भूल होगी तो तू उसे सुधार लेगा। सुनना सबकी, उसपर विचार भी करना, लेकिन अन्तत वही करना जो तुझे उचित जान पडे।

मीराबहन इस मासके अतमे आयेगी। उसने अच्छा काम किया जान पडता है।

देवदास, लक्ष्मी, नीमु आनदपूवक है। नारणदासका कनु मेरे साथ है। पथुराज व्यापार करने लगा है। किशोरलाल यही है। जमनालालजीके कानमे अभी भी खराबी है, इसलिए वे बम्बईमे है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मेरे बारेमे तो तूने सब कुछ समाचारपत्रोमे पढ लिया होगा इसलिए कुछ नही लिखता। उमर सेठके बारेमे पढकर दुख हुआ।

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ४८२७) से।

३५८ पत्र जमनालाल बजाजको

११ नवम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारा पत्र मिला। कान [1] रहता है। अब कोई शिकायत बाकी नही रहनी चाहिए।

वहा जो लोग तुमसे मिलनेके लिए आते है, उनका आना बन्द होना चाहिए। तुम्हे अपने दिमागको थकाना नही चाहिए। उसके लिए यदि मौन लेना पडे तो तुम्हे मौन लेना चाहिए। बात तुम्हे केवल डॉक्टरके विषयमे करनी चाहिए सेवकोसे उतनी ही, जितनी अपनी आवश्यकताओके सिलसिलेमे जरूरी हो। जबतक तुम ऐसी कोई व्यवस्था नही करोगे तबतक बम्बईमे तुम्हारे लिए शान्तिपूर्वक रहना कठिन है और इलाज तो केवल वही हो सकता है। यदि तुम यह बात न भूलो तो अच्छा हो। [2]मदालसा ठीक है।

मै गनीको अच्छी तरह समझानेके बाद ही भेजूगा। मैने खानसाहबको तुम्हारा पत्र पढवाया था। वे तुमसे सहमत है। इसलिए यदि गनी असफल हुआ तो इसमे वे तुम्हे दोष नही देगे। गनीके साथ बात करके [3] ली है। अभी वेतन देनेकी बात नही है।

मीराबहन वहा २१ तारीखको इतालवी जहाजसे पहुचेगी। २२ को यहा आयेगी। खान साहबकी लडकी उसके साथ आ रही है। रामदास और बा जाजूजी[4] वाले मकानमे है। आशा तो है कि रामदास ठीक हो जायेगा। उसे आजसे अण्डा देना शुरू किया है। वह काफी कमजोर हो गया है।

कुमारप्पा और शिवराव आये हुए है।[5] हमने आज बातचीत शुरू की है। अभी तो मै मेरीको नही बुलानेवाला हूँ। तुम्हारी उसके बारेमे क्या योजना है?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १४०-१

१ २ और ३ साधन सूत्रमें यहाँ कुछ छूटा हुआ है।
४ श्रीकृष्णदास जाजू।
५ देखिए "पत्र बी० शिवरावको", ३-११-१९३४।

३५९ पत्र राजेन्द्रप्रसादको

११ नवम्बर, १९३४

भाई राजेन्द्रप्रसाद,

तुमारा खत मिला है। डा० रोयको जो खत भेजा उसकी नकल नही मिली है।

मुझको अभिप्राय देनेका दिल तो नही होता है। लेकिन न देना भी अब योग्य नही लगता है। मेरा अभिप्राय है कि इस वखत कुछ भी न किया जाय। बी० पी० सी० सी०[1] का नया इलेक्शन होने दो। वह हो जानेके बाद देखा जाय। यदि जो निणय किया है वह न्याय्य है तो बगालके आदोलनके कारण ही परिवतन करना उचित नही लगता है। फिर तो जैसे योग्य लगे वही करो। मेरा अभिप्राय की कोई किम्मत तब न रखी जाय।

सुरेशके बारेमे जा दिया गया है उसमे परिवतन करनेकी कोई जीम्मेवारी मै नही महसुस करता।

शरीर अच्छा बनाओ। यहा शीघ्र आ जाओ।

बापुके आशीर्वाद

ए० आई० सी० सी० फाइल न० जी०– ३०/१९३३, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

३६० पत्र घनश्यामदास बिडलाको

[१२ नवम्बर, १९३४ से पूव][2]

भाई घनश्यामदास,

तुमारे दो खत मेरे सामने पडे है।

चावलके बारेमे मैने तो प्रत्यक्ष देखा कि यहा पोलिश्ड चावल होते है। एक चावल वाले ने ही बताया कि लोग पोलिश्ड ज्यादा पसद करते है तो भी कलकत्तेमे तलाश करके मुझे लिखो। तुमने लिखा है कि आर्थिक दष्टिसे ऊखल मूसलके ही पक्षमे मत दिया जा सकता है वह कसे? इतना ही न कि ग्रामवासीके घरमे पसे रह जायेगे? इससे अधिक है तो मुझे बताइये।

१ बगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी।

२ घनश्यामदास बिड़लाको यह पत्र १२ नवम्बर १९३४ को मिला था।

शकरके और गुडके बारेमे भी दोनो दृष्टिसे देख लो और मुझे लिखो। इस नयी सस्था[1] मे कितनी दिलचस्पी लोगे, कुछ सहाय देनेका इरादा किया है? इस दृष्टिसे अपने जीवनमे यथाशक्ति परिवतन करोगे? रामेश्वरदासने इस विषयमे जो निश्चय किया है सो तो मालुम होगा ही। गजाननके क्या हाल है?

तुमारे आपरेशनका क्या हुआ, कुछ एक निश्चय कर लिया जाय।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मै इस मासतक तो यही हू। उतमझाईके बारेमे अब लिखनेका इरादा कर रहा हू।

सी० डब्ल्यू० ८००० से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला

३६१ पत्र मोतीलाल रायको

१२ नवम्बर, १९३४

प्रिय मोती बाबू,

आपका लम्बा पत्र और उसके साथ भेजे गये कागजात मिले। अखिल भारतीय चरखा सघके पत्रके बारेमे मुझे सिफ इतना ही कहना है कि इस बारेमे आप आगे भी मुझे लिखे। शरत बाबूके पत्रके बारेमे कहूँगा कि मेरी राय हमेशा यही रही है कि वास्तविक सौदय और सत्यमे कोई विरोधाभास नही है। अत सत्य सदैव सुदर होता है।

इसीलिए मेरी रायमे सत्य सम्पूण कला है। सत्यसे रहित कला कोई कला नही है, और सत्य रहित सौदय शुद्ध कुरूपता है। यह बिलकुल सही है कि इस ससारमे अनेक कुरूप चीजे सुदर मानी जाती ह। ऐसा इसलिए होता है क्योकि हम लोग हमेशा सत्यकी कद्र नही करते।

आशा है, आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। आप अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघकी प्रगतिपर निगाह रखे और उसमे जो योग दे सके, दे। आप जो सुझाव चाहे, अवश्य भेजे।

हृदयसे आपका,

श्री मोतीलाल राय
प्रवतक सघ
चद्रनगर

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० ११०४८) से।

१ अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघ।

३६२ पत्र आनन्द तो० हिंगोरानीको[1]

१२ नवम्बर, १९३८[2]

रास्तेमे तुम्हे जो कुछ मुझे बताना हो, बताना। बेशक, कल सुबह हम बात करेगे।

* * *

क्या अब तुम ठीक हो? विद्या और उसका भाई कैसे है?

अग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

३६३ पत्र जमनालाल बजाजको

१२ नवम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारा कान ठीक होनेमे काफी समय लग गया, यह बात मुझे अच्छी नही लगती। मैंने डॉक्टरोको पत्र भेजे है।

जयप्रकाश अस्वस्थ जान पडता है। वह प्रभावतीको अहमदनगर ले जाना चाहता है। यदि प्रभावतीको जाना ही हो तो आश्रमकी दष्टिसे यही उचित है कि वह अभी चली जाये। इसलिए यदि जयप्रकाशकी इच्छा हो और तुम अनुमति दो तो विनोबाकी स्वीकृति लेकर मै उसे वहा भेज दू। आज भी वह काममे अत्यन्त व्यस्त है।[3]

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १४१

१ यह कागजकी दो पर्चियोंपर लिखा है।

२ तारीख हिंगोरानीने सूचित की है।

३ साधन सूत्रमें यहाँ छूटा हुआ है। इस पत्रको स्पष्ट करते हुए प्यारेलालने उसी दिन जमनालाल बजाजको एक और पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था बापूजीने आज आपको प्रभावतीके बारेमें पत्र लिखा है। उनके कहनेका तात्पर्य यह था कि यदि जयप्रकाश प्रभावतीको बम्बई बुलाना चाहें और यदि आप इस बात पर सहमत हों तो आपका उत्तर पानेके बाद विनोबाकी अनुमति लेकर वह बम्बईके लिए रवाना हो सकती है। लेकिन अहमदनगर जानेके बारेमें यह बात नहीं है। यदि उनके पत्रसे कुछ और अर्थ निकलता हो तो उसमें सुधार कर लें। बापूजीके कहनेका तात्पर्य ठीक वही है जो मैंने आपको लिखा है।

३६४ पत्र हीरालाल शर्माको

१२ नवम्बर, १९३४[1]

चि० शर्म्मा

तुमारा खत मैं समज सका हू। सरल है स्पष्ट हे। लेकिन उसमे बहूत अज्ञान भरा है। विलायत जाकर कोई डिग्री तो लेना ही होगा। इसमे कमसे कम सात वष चाहीये यदि सच्ची डिग्री लेना हे तो। ऐसे भी पाच तो अवश्य चाहिये। और लाओगे जो यहा मिल सकता है वही। विलायतसे आये हूए और यहाके दाक्तरोपर तुमने बडा इलजाम लगाया है। आज दोनो प्रकारके मौजूद है जो भगीका काम करते ह और उसमे उनको कोई लज्जा नही हे। सात वषके लिये आज रु० ३००० काफी नही है कमसे कम ३०००० चाहीये। द्रौपदीको ले जाने पर ६०००० चाहीये। यह सब सात वषका हिसाब है कमसे कम। मुझे सादगीसे रहते हुए तीन वषमे रु० १३००० हो गये थे। आज तो सब चीजका दाम दो गुना हो गया है। लेकिन पैसेकी बात गौण समजी जाय। मेरा तो इग्लाड जानेसे ही सखत विरोध है। मौलिक ज्ञान प्राप्त करके ही इग्लाड जाना उचित हो सकता हे। मौलिक ज्ञान आसानीसे यहा मिल सकता है उसमे मुझे तनिक भी सदेह नही है। इग्लाड जानेका भ्रम ही है। उस भ्रमको मिटना ही चाहीये। यदि भ्रम नही है तो तुमारे स्वतत्र रूपमे बगैर मेरे आशीर्वादके बड करके जाना है। बड करनेका तुम्हे अधिकार हे जैसा प्रहलादको था। बडकी नीनि उसकी सफलतासे ही सिद्ध हो सकती हे। मैंने भी तो मेरे पिता जैसे भाईके सामने १३ वष तक बड किया था। वह सफल हूआ क्योकि उसकी नीति सिद्ध हुई। ऐसे ही तुमारे करना है तो बड करो।

मेरी मानो तो मैंने कहा है सो करो। हाल यही रहो। एनटेमी, फिजीओलोजी-का अभ्यास करो। यहाके दाकतरकी मदद दिला सकता हू। मैं जो बताता रहू सो काम करो। चाहे तो द्रौपदीको बुला लो। घरका प्रबध हो सकता हे। द्रौपदी तुमसे दूर है वह मुझे खटकता है ही। शरीर शास्त्रका तुमारा ज्ञान बहूत ही कच्चा — नहीवत — समझो। यह कामके लिये तुमारेमे अध्ययन का प्रेम होना चाहीये। सो मैं नही पाता हू। यदि मेरी भूल हो तो मुझे बताओ।

मेरी निकटता अच्छी न लगे तो दिल चाहे वहा रहो और पत्रव्यवहार से काम लो। यदि ऐसा करना पडेगा तो इसमे तुमारी सहनशीलताकी कमी पाउगा। मेरे सानिध्यमे नही रह सकनेवालोको मैं जानता हू। उसमे तुम नही हो, न होने चाहीये।

यह सब स्पष्ट नही है तो मुझे पूछ लो। इसे अच्छी तरह समझनेकी कोशीश करो।

१ साधन सूत्रमें '१२ १२ ३४" तारीख दी हुई है।

तुमारा पत्र वापिस करता हू ताकि और नकल न करनी पडे।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, पृ० १३२ और १३३ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

३६५ तार आसफ अलीको

[१३ नवम्बर, १९३४ से पूर्व]

मै आशा करता हूँ कि दिल्लीका एक एक वोट आपके पक्षमे गिरेगा।[1]

[अंग्रेजीसे]

हिंदुस्तान टाइम्स, १३-११ १९३४

३६६ पत्र सर जेम्स ग्रिगको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय सर जेम्स ग्रिग,

आपके पूर्ववर्ती अधिकारी, सर जाज शुस्टरसे मुझे पता चला था कि इर्विन-गाधी समझौतेमे, जोकि अब खत्म हो चुका हे एक लोकोपकारी धारा है जिसे सरकारने वापस नही लिया था। मेरा इरादा था कि मै सर जाज और अपने बीच हुए इस पत्र व्यवहार[2] को प्रकाशित करूँगा। लेकिन अन्य कार्योमे व्यस्त रहनेके कारण मै इसकी ओर ध्यान नही दे पाया और वह अप्रकाशित ही पडा है। सर जाजके पत्रमे जैसा कहा गया है, यदि सरकारी नीति वैसी ही बनी हुई है तो मै इस पत्र व्यवहारको प्रकाशित करना चाहूँगा। यदि आप उत्तरमे दो पक्तिया लिख सके तो मै आभार मानूगा।[3] बहुत-से गरीब लोग नही जानते कि नमक-सम्बन्धी रियायत वापस नही ली गई है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

सर जेम्स ग्रिग
नई दिल्ली

[अंग्रेजीसे]

होम डिपाटमेट, पोलिटिकल, फाइल न० ८९/३४, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार

१ श्री आसफ अली दिल्लीसे विधान-सभाका चुनाव लड रहे थे।

२ देखिए खण्ड ५७ ‘ पत्र सर जॉज शुस्टरको ’ पृ० ३४५ और ४२३।

३ सर जेम्स ग्रिगने २२ नवम्बरको उत्तर देते हुए लिखा था पत्र-व्यवहारको प्रकाशित करनेपर कोई आपत्ति नही है। ’ इस पत्र-व्यवहारको ३० ११ १९३४ के **हरिजन** में धरतीका निश्शुल्क नमक” शीषकसे प्रकाशित किया गया था।

३६७ पत्र अमृत कौरको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

मैं अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघके कायकारी मण्डलका गठन करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। यह एक सुसम्बद्ध मण्डल होगा जिसमे बहुत थोडे-से सदस्य होगे। यदि आपको इसमे पर्याप्त दिलचस्पी हो और इसमे काम करना स्वीकार हो तो मैं मण्डलमे आपका नाम रखना चाहूँगा। कृपया अपने निर्णयकी तारसे सूचना दे। यदि आपको कोई बहुत बडी आपत्ति न हो तो म चाहूँगा कि आप हा कह दे।

हृदयसे आपका,

मो० क० गाधी

राजकुमारी अमृत कौर
जालन्धर
पजाब

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१३) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० ६३२२ से भी।

३६८ पत्र सी० जी० रामनको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं आपको वर्धा आनेकी तकलीफ नही दूगा, क्योकि श्रीयुत मेहताने अपने पत्रमे जिस आविष्कारका जिक्र किया है, उसमे मुझे खास दिल-चस्पी नही है।

हृदयसे आपका,

श्री सी० जी० रामन
लिनोटाइप ऐंड मशीनरी लिमिटेड
२१, ग्राहम रोड
बैलर्ड एस्टेट, बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३६९ पत्र एन० एस० बगालीको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आप मुझसे मिले, इसमे मुझे कोई लाभ नही दिखता, क्योकि ऐसा लगता है कि आपके विचार मेरे विचारोसे बिलकुल भिन्न है। इसलिए मै चाहूँगा कि आप ग्राम आन्दोलनको पर्याप्त तटस्थताके साथ देखे, और तब यदि आपको लगे कि आप गलत नतीजापर पहुचे है तो आप जरूर ही मुझे लिखे। उस समय आप जो सेवा करनेको तयार होगे, उसे मै खुशीसे लूगा।

हृदयसे आपका,

श्री एन० एस० बगाली, बी० एस सी०, एल० टी०
करदीकरका बगला
धन्तोली, नागपुर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३७० पत्र भाऊ पी० पाटिलको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय भाऊ,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम जो कहते हो वह सब अच्छा है। तुम्हे ठक्कर बापाको लिखना चाहिए। अन्तत कोषके रक्षक तो वही है।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री भाऊ पी० पाटिल
श्री छत्रपति शाहू बोर्डिंग हाउस
सतारा सिटी

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३७१ पत्र डॉ० साठेको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० साठे,

आपका तार मिला। काग्रेससे अवकाश ग्रहणके बाद मैंने विशेष सन्देश भेजना बन्द कर रखा है। इस नियममे मै कोई अपवाद नही कर सकता था। अत सन्देश न भेजनेके लिए आशा है आप मुझे क्षमा कर देगे।

हृदयसे आपका,

डा० साठे
गिरगाव, बम्बई–४

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३७२ पत्र जे० मैक विलियम्सको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका गत माहकी १५ तारीखका पत्र मिला था। मै और मेरे साथी कायकर्त्ता जिन नियमोका पालन करनेका प्रयत्न करते ह उनकी सख्या दस नही, ग्यारह हे। वे इस प्रकार है

सत्य, अहिसा, ब्रह्मचय अपरिग्रह, अस्तय अस्पश्यता निवारण, स्वदेशी, दैनिक श्रम, ससारके प्रमुख धर्मोकी समानता, आहार सयम अर्थात् जीवनके लिए खाना — खानेके लिए जीना नही — और निर्भीकता।

हृदयसे आपका,

श्री जे० मैक विलियम्स
वास, नाथ कैरोलिना
यू० एस० ए०

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३७३ पत्र डॉ० मुख्तार अहमद असारीको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० असारी,

अपने तारका जैसा जवाब आप मुझसे चाहते, वैसा जवाब देनेके लोभका मैं बडी मुश्किलसे सवरण कर पाया। लेकिन मुझे लगा कि मुझे वैसा जवाब नही देना चाहिए। दूसरी जगह भी मैने लोभको रोका। इसलिए आशा है, आप मुझे क्षमा करेगे।

साथमे कुछ प्रश्न है। क्या आप इनके उत्तर मुझे भेज सकते है?

सलग्न १

डॉ० मु० अ० असारी
दिल्ली

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३७४ पत्र सतीशचन्द्र दासगुप्तको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय सतीशबाबू,

पुरस्कार-सम्बन्धी कागजात मुझे मिल गये।[1] पहली ही शत यह है "चरखेका आकार इतना होना चाहिए कि आसानीसे बरता जा सके और साधारण भारतीय गावकी कुटियामे हाथ या पैरसे चलाया जाये।" दो अन्य शर्ते भी विचारणीय है जो ये है "यत्र ऐसा होना चाहिए जो भारतमे अधिकतम मूल्य १५० रु० मे उपलब्ध हो सके।"

"यत्रकी बनावट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह घिसे पिटे पुर्जे बदलते हुए करीब २० सालतक इस्तेमालमे आ सके। पुर्जोके बदलनेका खच उचित होना चाहिए, और उनका वार्षिक खच यत्रकी कीमतके ५ प्रतिशतसे अधिक नही होना चाहिए।"

इन दो शर्तोके अलावा, किर्लोस्करका यत्र पहली शतको पूरा नही करता। क्या आपको इससे कुछ भिन्न बात कहनी है?

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए खण्ड ४१, पृ० २८० १।

३७५. पत्र प्रफुल्लचन्द्र घोषको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय प्रफुल्ल,

तुम्हारा पत्र मिला। खान साहबने उसे देखा। उन्हे कार्यक्रम पसन्द है। पहले हिस्सेको जब आजमा लिया जाये और वह सफल हो जाये तभी दूसरे हिस्सेकी बात सोची जानी चाहिए, उससे पहले नही। लेकिन वह २५ तारीखतक कलकत्ता नही पहुँच सकते। उन्हे १ दिसम्बरको लखनऊमे एक कार्यक्रममे भाग लेना है। उनकी लडकी २२ तारीखको इग्लैडसे यहाँ आ रही है। उनका लडका जो देहरादूनमे पढ रहा है और जो उनसे माहके अन्तमे मिलेगा, उसके बारेमे भी उन्हे कुछ प्रबन्ध करना है। इसलिए वह यहासे ७ या ८ दिसम्बरसे पहले रवाना होनेके लिए तैयार नही होगे। आशा है, इससे फर्क नही पडेगा।

जिन विटामिन-तालिकाओका तुमने जिक्र किया है, यदि वे आसानीसे मिल सके तो एक प्रति मुझे भेज देना। जिस मसौदेका तुमसे वादा था, आशा है, वह तुम्हे मिल गया होगा।

हृदयसे तुम्हारा,

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३७६ पत्र हरिभाऊ फाटकको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय हरिभाऊ,

तुम्हारा पत्र मिला। अवश्य, मै तुम्हारे प्रस्तावका पूरा लाभ उठाऊँगा। इस बीच मै तुम्हारा पत्र श्रीयुत कुमारप्पाके पास भेज रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० १३७१) से।

३७७ पत्र जी० एन० कानिटकरको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय बालुकाका,

तुमने जो सूची भेजी है वह दिलचस्प है। मै आशा करता हूँ कि तुम कभी न छोडनेके दृढ संकल्पके साथ अविरत और मौन रूपसे कामको हाथमे लोगे।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री जी० एन० (उर्फ बालुकाका) कानिटकर
स्वावलम्बन राष्ट्रीय पाठशाला
चिचवाड पूना जिला

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९६५) से, सौजन्य जी० एन० कानिटकर। प्यारेलाल पेपससे भी, सौजन्य प्यारेलाल

३७८ पत्र आर० ए० रिचर्डसनको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पिछले २५ सितम्बरके पत्रके लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मै आपको लिख सकू कि आप किसीको यहा भेजे, मै अपेक्षा करता हू कि इस पत्रमे आपने जो वादा किया है, उसके अनुसार आप मुझे एक पत्र और लिखेगे। हमारे यहा एक कृषि विभाग भी है, और इस विभागके जरिये हम सुधारकी सम्भावनाओका पता चलानेकी कोशिश कर रहे है। हमारे सामने उद्देश्य यह है कि बेहतर मास, और ज्यादा मात्रामे लगभग उतना ही पुष्टिदायक दूध प्राप्त करे।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री आर० ए० रिचडसन
फोल्सहिल
फ्रैंकलिन पी० ओ०
ईस्ट ग्रिक्वालैंड

अग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७७७८-बी) से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला

१ भारतमें भेड पालनके बारेमें गांधीजीके आग्रहपर रीज जोन्सने आर० ए० रिचर्डसनको एक पत्र लिखा था। उसीके सिलसिलेमें रिचडसनने गाधीजीसे पूछा था कि आपका उद्देश्य ज्यादा मात्रामें दूध और मास प्राप्त करना है अथवा बेहतर किस्मका ऊन प्राप्त करना है।

३७९ पत्र घनश्यामदास बिड़लाको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय घनश्यामदास,

मेरा खयाल था कि दक्षिण आफ्रिकासे जो पत्र मुझे मिला था, उसे मैं पहले ही तुम्हे भेज चुका हूँ। मुझे दुःख है कि वह रह गया। फाइलको निपटाते समय कल रात वह मुझे मिला। वह यह रहा। अपने जवाबकी[1] एक नकल भी मैं तुम्हे भेजता हूँ।

महादेवको लिखे तुम्हारे पत्रसे मैं देखता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं दिल्ली वाली नई जमीनपर कुछ समय गुजारूँ। मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम चाहोगे, उस समय अगर मैं मुक्त रहा तो मैं जरूर वैसा करना चाहूँगा। ठक्करबापाके पत्रसे मैं यही समझा हूँ कि अभी तुम मुझे वहा बुलानेके लिए तैयार नही हो। और तुम्हारी अनुपस्थितिमे मेरा दिल्ली आना व्यर्थ होगा। अगले महीने मेरे भाग्यमे क्या है, मैं नही जानता।

मैं चाहता हूँ कि आपरेशन खत्म हो जानेके बाद तुम मुझे तार दे देना।

बापूके आशीर्वाद[2]

सलग्न २

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७७७८) से, सौजन्य घनश्यामदास बिड़ला

३८० पत्र एस्थर मेननको

दुबारा नहीं पढा

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय बिटिया,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे खुशी है कि नान ठीक है और अब डेनमार्क नही जाना चाहती। बेशक, किसी बच्चेके लिए मा की गोदसे अच्छी जगह और कोई नही है। लेकिन यह एक आदर्श स्थिति है, जिसे बार-बार विफल होनेके बाद भी प्राप्त करनेकी कोशिश हमे करते रहना चाहिए।

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ यह देवनागरी लिपिमें है।

मारियाके[1] बारेमे जानकर दुख हुआ। उसके स्कूलमे सिवा तुम्हारे उसकी जगह और कौन ले सकता है? ओर फिलहाल तो तुम्हारा सवाल ही नही उठता। कितना अच्छा हो कि कोई ऐसा रास्ता निकल सके जिससे कि वह डेनमाक जा सके और परिवतनका सुख ले सके जिसकी उसको बहुत आवश्यकता है।

मन्दिर-प्रवेश विधेयकके बारेमे तुम्हारा पत्र मिलनेकी मुझे कोई याद नही है। क्या वह मेरे वर्धा लौटनेके बाद भेजा गया था? अगर उसमे जो बाते तुमने लिखी थी, उनको यादसे फिर लिखकर भेज सको तो मै जवाब देनेकी कोशिश करूँगा।

मैने जैक हायलैडके बेटेकी मत्युके बारेमे सुना था। तब एण्ड्रचूज यहा थे। हम दोनोने मिलकर सवेदनाका तार[2] भेजा था और हायलैडने मत्युका पूरा विवरण मुझे भेजा था। वह एक अत्यन्त दुखद घटना थी।

मीरा २२ तारीखको लौटेगी। उसके साथ खान साहबकी लडकी भी होगी जो लन्दनमे पढाई कर रही थी। मेरी बार अपने गाववाले घरसे आजकल यहा आई हुई है और वह अपने साथ एक मित्रको लाई है जो अभी-अभी इग्लैडसे आई है। मेरीने आश्रम जीवनको बडी खूबीसे अपना लिया है। आजकल फिलहाल यहाका मौसम अत्यन्त सुहावना है। रामदास चार पाच दिन पहले बा के साथ लौट आया है। वह बहुत कमजोर है किन्तु मेरा खयाल है कि यहाँ वह शक्ति प्राप्त कर लेगा। एण्ड्रचूज दिसम्बरमे लगभग पन्द्रह दिनोके लिए शायद यहा आयेगे। मेननके क्या हालचाल है?

तुम सबको प्यार।

बापू

श्रीमती एस्थर मेनन
तजौर

अग्रेजीकी फोटो-नकल (T० १३२)मे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार। **माई डियर चाइल्ड**, प० १०८ ९से भी।

१ ऐन मारी पीटर्सन।

२ यह उपलब्ध नही है।

३८१ पत्र शकरलाल बैंकरको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय शकरलाल,

पुरस्कार प्रतियोगिता सम्बन्धी कागजात मैने देख लिये है। निर्धारित शर्ते पूरी कर लेने पर पुरस्कार प्राप्त करनेके उसके अधिकारको मै स्वीकार करता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि यह यन्त्र अन्यथा भी उपयोगी है। हमे किर्लोस्कर-बन्धुओसे कहना चाहिए कि वे हमे कुछ यन्त्र खरीदने दे ताकि हम उनपर प्रयोग कर सके और अनुभवसे उनकी कार्य क्षमता, और यदि उनमे कुछ नुक्स हो तो वे नुक्स हम जान सके, और अन्तिम रूपसे यह तय कर सके कि हम उस यन्त्रको पुरस्कार विजेता घोषित कर सकते है या नही अथवा पुरस्कार दिये बिना हम उस यन्त्रके लिए ग्राहक-बाजार उपलब्ध कर सकते है या नही। यन्त्रके बारेमे जो कुछ सूचना मुझे मिली है, उसपर से मुझे लगता है कि यन्त्र इतना जटिल और असाध्य है कि उसे पुरस्कार नही मिल सकता। लेकिन अपने भण्डारोको, और दूसरे जो लोग हाथ कता सूत लेना चाहे उन्हे हाथ-कता सूत सप्लाई करनेके लिए हम इस यन्त्रका शायद उपयोग कर सके। व्यापक प्रयोग करके हम यह भी पता चला सकते है कि इसका सूत बुनकरोके दृष्टिकोणसे मिलके सूतकी बराबरीका है या नही। अगर तुम समझो कि ऐसा किया जा सकता है, तो मै किर्लोस्कर बन्धुओके किसी प्रतिनिधिको बुलवाकर उससे बात करूँगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि अभी ऐसी बातचीतका उपयुक्त समय नही आया है, अथवा तुम्हे लगे कि बातचीत की ही जाये तो वह तुम्हे ही करनी चाहिए तो अलग बात है। किर्लोस्कर-बन्धुओने वस्तुत श्रीयुत कालेके साथ एक यन्त्र भेजनेका प्रस्ताव किया था ताकि मै यन्त्रकी कार्य-विधिको देख सकू। उनको भेजे गये अपने जवाबकी एक प्रति[1] मै तुम्हे भेज रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे भेजे कागजातको देखनेके बाद मुझे लगता है कि मुझे उन्हे यन्त्र और श्रीयुत कालेको भेजनेके लिए लिख देना चाहिए[2], और यन्त्रका काम देखनेके लिए स्वय भी समय निकालना चाहिए, साथ ही किसी और को भी यन्त्रपर काम करनेको कहना चाहिए।

सलग्न १

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ उपलब्ध नही है।

२ देखिए "पत्र किर्लोस्कर-बन्धुओको", २४-११-१९३३।

३८२ पत्र जी० सीताराम शास्त्रीको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय सीताराम शास्त्री,

हाथ कुटे चावलके बारेमे तुम्हारी रिपोट मैंने पढ ली है। मै चाहता हूँ कि तुम उस चावलका नमूना, ओर मिलमे कुटे चावलकी उसी किस्मका नमूना भेजो। मिलमे कुटे बिना पालिशके चावलमे और हाथ कुटे बिना पालिशके चावलमे पोषक तत्त्वोके अतरके बारेमे क्या तुमने कोई जाच की है? चावलसे धानका छिलका अलग करनेके लिए गाववाले जो चीज काममे लाते है क्या तुम उसका वणन भी करोगे? तुम भूसेका क्या उपयोग करते हो? भूसा माफ करनेके आठ घटेके कामके बदले कितनी दनिक मजदूरी मिलती है? उसी क्षेत्रमे उतने ही घटे सूत कातनेकी मजदूरी प्रतिदिन कितनी होती है? मशीनसे छिलका साफ किये चावल और हाथसे छिलका साफ किये चावलके मूल्योमे क्या फक है? मिलके छिलका साफ किये चावल खानेवालो और हाथसे छिलका साफ किये चावल खानेवालोके चावल खानेकी मात्रामे क्या कोई अतर है? क्या यह धधा स्वावलम्बी है?

श्री सीताराम शास्त्री
चदोल (जिला गुटूर)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३८३ पत्र फ्रासिस्का स्टैंडेनथको

१४ नवम्बर, १९३४

मै तुम्हारे २३ सितम्बरके पत्रका अभीतक उत्तर नही दे सका, हालाकि मै तुम दोनोकी[1] अक्सर याद करता हूँ। हा, हमेशाकी तरह, अग्रेजी कलेडरके हिसाबसे २ अक्टूबरको [मेरा] जन्म-दिवस था। तुम दोनो कैसे हो? आशा हे, तुम्हे 'हरिजन' की अपनी प्रति नियमित रूपसे मिल रही है। मीरा यहा २२ तारीखको पहुँचेगी। तुम्हे मालूम ही है कि वह एक पखवाडेके लिए अमेरिका गई थी ओर वहा तथा इग्लैडमे भी उसने बहुत ही अच्छा काम किया।

श्रीमती फ्रासिस्का स्टडेनथ
ट्राटमासडाफगास न० १
ग्राज स्टीरिया, आस्टिया
यूरोप

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ यहाँ सकेत फ्रामिस्काके पति फ्रेडरिककी ओर है।

३८४ पत्र हरिदास टी० मजूमदार

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय हरिदास,

मुझसे कोई सन्देश देनेकी अपेक्षा मत करो। मेरा मन इस समय बिलकुल सूख गया है, और मुझे कहीं भी कोई सन्देश भजनेकी जरा भी इच्छा नहीं है।

हृदयसे तुम्हारा

हरिदास टी० मजूमदार, पी एच० डी०
"इंडिया टुडे ऐंड टुमारो"
२० वेसी स्ट्रीट, न्यूयार्क, एन० वाई०

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३८५ पत्र केशवको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय केशव,

मैंने अभी अभी "द सर्वेंट आफ क्राइस्ट" का २१ वाँ अंक देखा। ऐसा लगता है कि ख्रीष्ट सेवा-संघने अपना कार्य बदल दिया है और अब वह धर्म परिवर्तन करनेवाली संस्था बन गई है। मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है।

हृदयसे तुम्हारा,

ब्रदर केशव
ख्रीष्ट सेवा-संघ, ओंध, किरकी

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३८६ पत्र हरेकृष्ण मेहताबको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मेहताब,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे लगता हे कि तुम्हे अपनी पत्नीको बर्दाश्त करना ही होगा। तुमको उसे अपने साथ ले चलना है।

तुम्हारे प्रस्तावित दानके बारेमे मै चाहूँगा कि उसे देनेसे पहले तुम भली प्रकार सोच लो। किन्तु यदि तुमने ओर तुम्हारी पत्नीने दान देनेका निश्चय कर ही लिया हे, तो मै उसे सधन्यवाद स्वीकार करूँगा, बशर्ते कि तुम एक समितिके साथ मिलकर उस स्थानपर कार्य करोगे।

हृदयसे आपका,

श्री हरेकृष्ण मेहताब
कर्म मन्दिर, अगरपारा
बारहाट-तिरलोचनपुर पी० ओ०
वाया भद्रक (उडीसा)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३८७ पत्र डॉ० एस० सी० आनन्दको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय डा० आनन्द,

जिस अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघकी स्थापना की जा रही है, उसकी मदद करनेके आपके प्रस्तावकी मै कद्र करता हूँ। मै यह भी चाहूँगा कि आप मुझे बताये कि आप और जिन दो मित्रोका जिक्र आपने किया है, वे क्या काम करेगे। क्या श्री गोयल मुझे गुड और चीनीके तुलनात्मक पोषक तत्त्वोका ब्योरा दे सकते है? आपका पत्र मै श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

डॉ० एस० सी० आनन्द, एम० बी० बी० एस०
लेफ्टि०, आई० एम० एस० (रिटायड)
दासन स्ट्रीट, दिल्ली

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३८८ पत्र विश्वमोहन सान्यालको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। जो संघ स्थापित किया जा रहा है, उसमें आप जो भी सेवा दे सकते हो वह बेशक स्वीकार की जायेगी। लेकिन मैं आपको यह सलाह देनेकी बात सोच भी नहीं सकता कि आप अपना वर्तमान व्यवसाय छोड़कर संघके पूरे समयके कार्यकर्त्ता बन जायें। मुझे पता नहीं कि कितने वेतनभोगी कार्यकर्त्ता नियुक्त होंगे और उनका वेतन मान क्या होगा।

हृदयसे आपका,

श्री विश्वमोहन सान्याल (कविराज)
५/३ ए मधु गुप्त लेन
बहू बाजार, कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३८९ पत्र जी० मुकर्जीको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र और आपके प्रॉस्पेक्टसकी प्रतियाँ मिलीं। प्रास्पेक्टस मुझे बिलकुल नहीं जँचा। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि आप क्या काम कर सकते हैं। मैं आपका पत्र श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री जी० मुकर्जी, एम० एस-सी०
(कैलिफोर्निया, यू० एस० ए०)
बासबेरिया पी० ओ०, जिला हुगली

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३९० पत्र सी० हनुमन्तरावको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय हनुमन्तराव,

तुम्हारा पत्र मिला। पट्टिया बनानेके लिए भी तुम मिलके सूतका इस्तेमाल नही कर सकते। जो लोग पट्टिया बनाना चाहते है उन्हे चाहिए कि पट्टियोके लिए जरूरी सूत कातनेमे थोडा समय लगाये।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री सी० हनुमन्तराव
गौतमी सत्याग्रह आश्रम
सीतानगरम, वाया कोव्वूर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पपस, सोजन्य प्यारेलाल

३९१ पत्र पूर्णचन्द्र शर्माको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय पूणचन्द्र शर्मा,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला। यह पत्र मुझे लिखकर अच्छा किया। मै चाहूँगा कि तुम मुझे अपना अबतकका पूरा हिसाब लिखकर भेजो।

आशा है, कताईमे तुम्हारा मागदशन करनेके लिए अन्नदाबाबू तुम्हारे पास गये होगे।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री पूणचन्द्र शर्मा
मन्त्री
काग्रेस सहायता समिति
नवगाव (असम)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३९२ पत्र वी० भाष्यम अय्यगारको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। बेशक, आपके उदार प्रस्तावका मैं पूरा उपयोग करूँगा। मैं आपका पत्र श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

दीवान बहादुर वी० भाष्यम अय्यगार
"वधनी"
किलपाक, मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३९३ पत्र तेजरामको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय रायबहादुर,

गाँव सुधारकी आपकी योजनाको मैं देख गया हूँ। आप मुझे यह कहनेके लिए क्षमा करेंगे कि मुझे यह योजना व्यावहारिक नहीं लगती। वे उन्नत औजार कौन-से हैं जिन्हें आपने बनाया है? जो संघ स्थापित किया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि आप उसकी प्रगतिका अध्ययन करें और बतायें कि आप उसमें कोई योगदान कर सकते हैं या नहीं। मैं आपका पत्र श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

रायबहादुर तेजराम
रिटायर्ड एक्जीक्यूटिव इंजीनियर
सण्डा रोड, लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३९४ पत्र एम० डी० शाहानेको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय शाहाने,

सोसायटीकी मध्य-प्रान्त शाखाकी ओरसे किया गया तुम्हारा प्रस्ताव पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हे शायद पता हो कि मै द्राविडके साथ पहले ही पत्र व्यवहार कर रहा हूँ।[१] अपनी सुविधा देखते हुए जो समय उसे सबसे उपयुक्त लगे उस समय वह मुझसे मिल ले। और जहातक मेरा सवाल है, मेरी तरफसे तो जब वह आये तब सभी सदस्य उसके साथ आ सकते है। जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। इस बीच मै तुम्हारा पत्र श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री एम० डी० शाहाने, बी० ए०,
सर्वेट्स आफ इडिया सोसायटी,
क्रैडक टाउन, नागपुर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

३९५ पत्र एन० आर० कोलारकरको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपका कार्यक्रम बहुत महत्त्वाकाक्षी है। वह पढनेमे अच्छा है। उसकी सम्भावनाओके बारेमे, एक साधारण आदमीके नाते मै कुछ नही कह सकता।

हृदयसे आपका,

श्री एन० आर० कोलारकर
कुरला

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए पत्र एन० ए० द्राविडको ' ९ ११ १९३४।

३९६ पत्र डकन ग्रीनलेसको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय डकन,

तुम्हारा पत्र पाकर बहुत खुशी हुई। ग्रामीण स्कूलकी तुम्हारी योजनाकी प्रगतिको मै बहुत दिलचस्पीके साथ देखूगा। बेशक, भारतके प्रति तुम्हारे प्रेमका मै जानता हूँ। विश्वास करो कि इस प्रेमका जो लाभ म उठा सकता हूँ, पूरा पूरा उठाऊँगा। इस समय सभीका सारा ध्यान सीमा-प्रातकी ओर लगा हुआ हे। जब सामूहिक उपवासका समय आयेगा तब तुम अपना नाम भ्रातमण्डलीमे निश्चय ही देखोगे। दोनो ही मेरी[१] मजेमे ह।

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजय प्यारेलाल

३९७ पत्र वाइसरायके निजी सचिवको

१५ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

मैने जो काम हाथमे ले रखे है उन्हे ध्यानमे रखते हुए यथासम्भव जल्दीसे-जल्दी सीमा प्रान्त जानेके अपने इरादेके सम्बधमे मैने जो वक्तव्य[२] दिया है उसे वाइसराय महोदयने शायद देखा होगा। मै सम्भवत दिसम्बरके मध्यतक [इन कार्यो से] मुक्त हो जाऊगा। सीमा-प्रान्त जानेके पीछे मेरा जो उद्देश्य हे वह यह है कि मै वहाके लोगोमे जाकर रहना चाहता हूँ, उनका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ तथा यह जानना चाहता हूँ कि खान साहब अब्दुल गफ्फार खाके अहिंसाके सिद्धान्तको उनके अनुयायियोने किस हदतक ग्रहण किया है। मेरा इरादा उनके ग्रामोद्योगोके विकास-कायमे उनकी सहायता करनेका भी हे। कहनेकी जरूरत नही कि सीमा-प्रातके लोगोमे सरकारके विरुद्ध (सविनय अथवा अन्य प्रकारके) प्रतिरोधकी भावना जगानेकी मेरी कतई कोई इच्छा नही हे।

हालाकि मै जानता हूँ कि मेरे सीमा प्रान्तमे प्रवेश करनेपर कोई कानूनी प्रतिबध नही है फिर भी म ऐसा कोई काय नही करना चाहता जिससे सरकार और मेरे बीच सघष हो। और जहातक हो सके, मै ऐसे किसी सघषको टालना चाहता हूँ।

१ एफ० मेरी बार तथा मेरी चस्ले।

२ देखिए पृ० ९।

क्या आप इस मामलेमें वाइसराय महोदयकी इच्छाका पता लगाकर मुझे बतानेकी कृपा करेंगे?[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल, फाइल नं० ४/८/३५, पृ० ५७-९, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार। **बाम्बे क्रानिकल,** १२-१२-१९३४ भी।

३९८ पत्र अगाथा हैरिसनको

१५ नवम्बर, १९३४

प्रिय अगाथा,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला और साथमें डा० असारीको लिखे तुम्हारे पत्रकी प्रति भी। तुम जो कुछ कहती हो उसे मैं समझता हूँ। संयुक्त समितिकी रिपोर्ट[2] प्रकाशित होनेके बाद जो कुछ भी सम्भव और उचित होगा वह किया जायेगा।

उटमंजईके[3] बारेमें मैंने अपना पत्र अभीतक नहीं भेजा है। मनमें लिखनेका विचार बना हुआ है, लेकिन अधिक कार्य-व्यस्तताके कारण उसे टालता जा रहा हूँ।

यदि मैं सी० एफ० एन्ड्रयूजको अलगसे पत्र नहीं लिखता तो तुम कृपया उनसे मेरा प्यार कहना और कह देना कि मुझे उनका पत्र मिल गया है। उड़ते हुए दौरे पर यहाँ आनेकी उनकी योजनाका मैं समर्थन करता हूँ। आजकल जब वाकई लोग विमानोंमें उड़ने लगे हैं, तब यह उड़ता हुआ दौरा तेज-से-तेज रफ्तारवाले स्टीमरसे भी किया जाये तो उस रफ्तारको कुछ नहीं माना जायेगा, हालांकि मेरे लिए तो यह धीमी रफ्तार भी बहुत है।

वाइसरायको लिखे मेरे पत्रकी[4] एक प्रति यह रही।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८२) से।

१. २७ नवम्बरको वाइसरायके निजी सचिव ई० सी० मेविलने उत्तर दिया: "वाइसराय महोदयको इस बातकी खुशी है कि आपने इस मामलेमें उनसे परामर्श किया और उन्होंने यह समझ लिया है कि आपका ऐसा कोई कार्य करनेका इरादा नहीं है जिससे आपका सरकारके साथ संघर्ष हो। वाइसराय महोदयने इस बारेमें पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकार और अपनी परिषदके साथ बातचीत की है। उन्हें इस बातका दुःख है कि स्वयं उनकी और अन्य सब लोगोंकी यही राय है कि इस समय आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। उन्हें विश्वास है कि आप उनकी इच्छाके अनुरूप कार्य करेंगे।"

२. संवैधानिक सुधारोंके बारेमें संसदकी संयुक्त समितिकी रिपोर्ट।

३. खान अब्दुल गफ्फार खाँका गाँव।

४. देखिए पिछला शीर्षक।

३९९ पत्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरको[1]

१५ नवम्बर, १९३४

प्रिय गुरुदेव,

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके तत्त्वावधानमें गठित होनेवाले अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघको विविध प्रवृत्तियोंकी ओर ध्यान देना होगा और इसके लिए उसे विशेष योग्यता प्राप्त सलाहकारोंकी आवश्यकता होगी। इन विशेषज्ञोंको आपसमें एक-दूसरेसे मिलने या संघके सदस्योंतक से मिलनेकी जरूरत नहीं है बल्कि हमारा विचार केवल यह है कि जिन विषयोंमें उनको विशेष ज्ञान प्राप्त है, यथा रासायनिक विश्लेषण, किसी खाद्य वस्तुकी पोषण शक्ति, स्वच्छता सफाई, गांवके उत्पादकोंके मालका वितरण, ग्रामोद्योगोंको विकसित करनेके सुधरे हुए तरीके, गांवके कूड़े कचरे आदिका खादके रूपमें उपयोग, सहकारिता, आवागमनके ग्रामीण-साधन, शिक्षा (वयस्क तथा अन्य), शिशुओंकी देखभाल और अन्य बहुत सी चीजोंके बारेमें, जिनका यहां उल्लेख करना सम्भव नहीं है, पूछ-ताछ करनेपर वे अपनी सलाह हमें दें।

क्या आप कृपापूर्वक अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके ऐसे सलाहकारोंमें आपका नाम रखनेकी अनुमति देंगे? स्वभावतः यह पत्र मैं इस विश्वासके आधारपर लिख रहा हूँ कि संघके उद्देश्य और संघकी कार्य पद्धतिको आपका समर्थन प्राप्त है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी फोटो नकल (जी० एन० ४६४३)से।

१ इसी प्रकारके पत्र एम० विश्वेश्वरैया, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, घनश्यामदास बिड़ला तथा अन्य लोगोंको भेजे गये थे।

४०० पत्र हीरालाल शर्माको

१५ नवम्बर, १९३४

चि० शर्म्मा

म तो तुमारे आनेकी आशा रखता था। आज नरहरिने पगाम दिया। मैंने तुमारे पत्रका उत्तर तो दे ही दिया हे। सब निभय हो गये ऐसा तो कैसे कहू ? लेकिन विनोबा निभय ह। चाहते हैं यहा आ जाओ। लोगोको निभय तो तुमारे करना है। सुरेद्रका किस्सा पढ लिया। थोडा दु खद है। यह गलती कैसे हुई मै समझ सकता हू। लेकिन उसमे बडी बात नही हे। तुमने यदि खत पढा भी होता तो उसका यह अथ मै कभी नही करता कि उसका निदान तुम्हे स्वीकाय था। यहाँ आओगे तब उनका निदान देखोगे। किसीका निदान तुम्हारे कया कामका ? तुमारे दिल पर जो चीजका असर हो सके वही ठीक। यहा जा जाओ। आ ही जाओ। विलब न किया जाय।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, प० ११६ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

४०१ भेंट 'मैनचेस्टर गार्जियन' के प्रतिनिधिको

[१५ नवम्बर, १९३४][१]

[गाधीजी] मै आपके प्रश्नोके लिए तैयार हू।

[सवाददाता] क्या काग्रेससे आपके अवकाश ग्रहणका यह अथ है कि आपको राजनीतिमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है?

[गाधीजी] नही।

गाधीजीने कहा कि मेरा राजनीतिमे फौरन लौटनेका कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब निश्चित ही नही है कि म ग्रामोद्योग सगठनका माग निर्देशन करने, हिन्दू मुस्लिम समस्याको हल करने और अस्पश्यताके विरुद्ध अभियान जारी रखनेसे फिलहाल हट रहा हूँ। उन्होने कहा

ये सब आन्दोलन सीमित अथमे गैर-राजनीतिक आन्दोलन रहेगे।

१ रिपोट के आरम्भमें पत्रके प्रतिनिधिने लिखा है कि यह भेंट गाधीजी द्वारा विशेषज्ञोको लिखाये गये अपने पत्रोंपर हस्ताक्षर करनेके बाद आरम्भ हुई थी जिसमें उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि वे अ० भा० ग्रामोद्योग-सघ सलाहकार बन जायेंगे। देखिए पत्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरको, १५ ११ १९३४।

यह पूछे जानेपर कि मान लीजिए, संयुक्त संसदीय समितिकी रिपोर्टमें श्वेतपत्रसे भी कुछ कम दिया जाता है, वैसी स्थितिमें आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, गांधीजीने कहा कि मैं यह माननेको बिलकुल तैयार हूँ कि भविष्यवाणी सही थी। लेकिन इसके आगे वह कुछ कहनेको तैयार नहीं थे। उन्होंने सुधारोंके बारेमें ब्रिटिश सरकार द्वारा वास्तवमें अपनाई गई नीतिकी तुलना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन[1] के फौरन बाद श्री मैक्डानल्ड द्वारा बनाई गई सुधारोंकी योजनासे की। उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्रीने भारतके प्रतिनिधियोंके साथ एक समझौतेकी बात की थी। (श्री गांधीने हालांकि जोरके साथ यह बात कही कि गोलमेज सम्मेलनमें केवल ब्रिटिश सरकारके द्वारा मनोनीत सदस्य थे।) प्रधानमन्त्रीकी योजनाके अन्तर्गत इस समझौतेपर दोनों पक्षोंकी स्वीकृति और हस्ताक्षर होने थे। तत्पश्चात इस समझौतेके आधारपर ही संसदमें कानून बनाया जाता।

[संवाददाता] यही चीज आयरलैंडमें हुई थी।

[गांधीजी] हाँ, आयरलैंडकी मिसाल ठीक है – लेकिन अभी तो नहीं।

इस जगह मैंने गांधीजीका ध्यान जनरल स्मट्स द्वारा ब्रिटेनमें दिये गये हालके एक वक्तव्यकी ओर दिलाया। जनरल स्मट्सने कहा था कि दक्षिण आफ्रिकाको स्वशासन प्रदान करके ब्रिटेनने उसके प्रति अपना विश्वास प्रकट किया था, और भारतके प्रति भी यदि वह उसी प्रकारका विश्वास प्रकट करेगा तो मेरी रायमें उसका यह विश्वास उचित सिद्ध होगा।

[गांधीजी] उस समय मैं दक्षिण आफ्रिकामें ही था और इन दो मामलोंमें मुझे कोई समानता नहीं दिखाई पड़ती। बोअरोंके मामलेमें यह विश्वास-अभिव्यक्तिका कार्य नहीं था, बल्कि इसमें तो 'फिसल पड़े तो हर गंगा' वाली उक्ति लागू होती है।

[संवाददाता] कैसे?

[गांधीजी] बोअर युद्ध तो वस्तुतः अंग्रेजोंकी पराजय ही था। वे लड़ाईसे तंग आ चुके थे, थक गये थे और उनके साधन समाप्त हो रहे थे। यह अवश्य है कि एक साम्राज्यवादी शक्ति होनेके कारण वे युद्ध जारी रख सकते थे, लेकिन परिस्थितियाँ तेजीसे कैम्बेल बैनरमैनके पक्षमें होती चली जा रही थीं। लार्ड मिलनरको सम्राट एडवर्डके निर्देश थे कि वह बोअर लोगोंको सन्तुष्ट करें। यह मैं स्वीकार करूंगा कि जो कुछ किया गया, वह अनिच्छासे नहीं, बल्कि बहुत खूबसूरतीके साथ किया गया।

[संवाददाता] और इसलिए?

[गांधीजी] और इसलिए मैं उस वक्तव्यको फिरसे दोहराता हूँ जो कुछ हफ्ते पहले मैंने बम्बईमें कांग्रेसके सामने दिया था[2] — अर्थात् किसी देशको संवैधानिक आन्दोलनोंसे आजादी नहीं प्राप्त हो सकती।

१ १९३१ में आयोजित, देखिए खण्ड ४८।
२ देखिए पृ० २२९-३०।

गाधीजीने कहा कि फ्रास या ब्रिटेनके इतिहासके मेरे अध्ययनके अनुसार सवधानिक सघर्षोसे कुछ भी प्राप्त नही किया गया है और तीन साल पहले आक्सफोडमे भारतकी समस्याके बारेमे चर्चा करते हुए मने लाड लोथियन और अन्य लोगोसे भी यही बात कही थी।

श्री गाधीने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज दक्षिण आफ्रिकाको जिस प्रकारका स्वशासन प्राप्त है, वसा स्वशासन ब्रिटेन भारतको तबतक प्रदान नही करेगा जबतक कि उसे "कुछ करनेके लिए कोई आधार नहीं मिलेगा।" उन्होने कहा

ब्रिटेनको ऐसा नही लगता कि सविनय प्रतिरोध सफल हुआ है बल्कि यह आन्दोलन ठप हो गया हे, इस बातपर ब्रिटेनके मनमे विजयोल्लासका भाव है।

इसी बातको आगे बढाते हुए मने गाधीजीसे पूछा कि अगर इस बातको छोड भी दे कि दक्षिण आफ्रिकाको किन परिस्थितियोके अन्तगत स्वशासन प्रदान किया गया था (और ये परिस्थितिया उनके अनुसार भारतमे मौजूद नही ह) तो क्या उस प्रकारके स्वशासनसे वे सतुष्ट हो जायेगे — दूसरे शब्दोमे, वह किस प्रकारकी स्वाधीनता चाहते ह?

गाधीजीने इस विषयपर विस्तारसे चर्चा करनेमे अनिच्छा जाहिर की। लेकिन उन्होने कहा कि मेरी हदतक यह लक्ष्य दूसरे गोलमेज सम्मेलनमे दिये गये मेरे वक्तव्यके[1] अन्तिम अशमें स्पष्ट कर दिया गया है, यदि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलकी सदस्यता भारतके ऊपर थोपी गई तो म उसका विरोध करूँगा, लेकिन यदि वह स्वच्छिक भागीदारी होगी जिसे जब चाहे तब खत्म किया जा सके तो मुझे ऐसे सघमे शामिल होनेपर कोई आपत्ति नही होगी। ज्हाँतक मेरा सवाल है, यह एक 'स्थायी स्थिति' है।

गाधीजीने कहा कि इस समय म ग्रामोद्योग सगठनको खडा करनेमें लगा हुआ हूँ। अस्पश्यता निवारण आन्दोलनके सिलसिलेमें हालमें मने जो पद-यात्रा की थी, उसने मेरी आखें खोल दी ह। गाँवके लोग मुझे निष्क्रिय और निराशामें डूबे हुए लगे। उनकी गरीबीकी दशाका मेरे ऊपर "बराबर जोरदार प्रभाव पडता रहा है।" ग्रामोद्योगोको पुनरुज्जीवित करनेसे उन धन्धोमें नये जीवनका सचार होगा जो इस समय मृतप्राय ह। गाधीजीने कहा

कुछ लोगोको यह गैर-दिलचस्प काम लग सकता है, लेकिन यह सबसे ज्यादा ठोस काम होगा।

उनकी आखोके सामने भारतके ७,००,००० गाव ह, और उनकी अभिलाषा है कि वह ज्यादासे ज्यादा गाँवोमे अपने कायकर्त्ताओको फैला दे।

१ देखिए खण्ड ४८ पृ० २३९।

गाधीजीने कहा कि मुझे कई वर्षोसे कताईकी धुन लगी हुई है, और म स्वीकार करता हूँ कि ग्रामीण ध धोमे कताईका ध धा ऐसा ह जिसमे सबसे कम पसा मिलता है। लेकिन कताईका ध धा ाये सगठनके अधीन नही होगा, क्योकि उसका सचालन अखिल भारतीय चरखा सघ कर रहा है। गाववालोको और अधिक खाना मिले, और सही ढगका खाना मिले, यह मेरा प्रमुख लक्ष्य है। म मिलके पालिश किये चावल और चक्कियोमे पिसे आटेके विरुद्ध आ दोलन चलानेका इरादा रखता हूँ। आहार सम्ब धी समस्याओपर शोध करनेवाले कुछ सुविख्यात लोग इस प्रश्नपर मुझसे सहमत ह। म मिलोमे बनी चीनीके मुकाबले गुडके प्रयोगको भी प्रोत्साहित करूँगा। म अपने कायक्रममे गावोकी स्वच्छता और सफाईके कामको भी प्रमुख स्थान दूगा।

[गाधीजी] फिर, इस आ दोलनका राजनीतिज्ञो अथवा अन्य लोगो द्वारा अनुचित लाभ नही उठाया जाना चाहिए — परोक्ष रूपमे भी नही।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २५ ११-१९३४

४०२ पत्र एस० सत्यमूर्तिको

[१६ नवम्बर, १९३४ से पूव][1]

आपका तार मिला। मै बधाई देता हूँ। काग्रेसकी इन शानदार जीतोसे[2] मै बहुत खुश हूँ।

[अग्रेजीसे]

बाम्बे क्रानिकल, १७ ११-१९३४

४०३ लालाजीकी पुण्य-तिथि[3]

जब लोग तथाकथित राजनीतिको भूल चुके होगे, जब लोगोका ध्यान खीचनेवाले अन्य बहुत से अल्पजीवी आकषणोको भी वे भूल चुके होगे, उस समय भी हरिजनोके लिए लालाजीके महान प्रेमको, और उस प्रेमसे प्रेरित उनकी महान सेवाओको न केवल लाखो हरिजन बल्कि करोडो सवण हि दू भी, वस्तुत सारे भारतके लोग, याद करेगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर पिछली पुण्य तिथिके मुकाबले आनेवाले वषमे लालाजीकी स्मृति हमारे आचरणमे उत्तरोत्तर सजीव होती जाये।

१ यह रिपोट दिनाक मद्रास १६ नवम्बर के अ तगत प्रकाशित हुई थी।

२ विधान सभाके चुनावोंमें।

३ लाला लाजपतरायकी मृत्यु १७ नवम्बर १९२८ को हुई थी, देखिए खण्ड ३८।

लाला लाजपतराय-जैसे सुधारकोके लिए मत्यु ता केवल शरीर क्षय होनेके समान हे। उनकी शक्ति समयके साथ-साथ बढती जाती हे। तब उसकी प्रतीति हमे ज्यादा होती है क्योकि समय बातनेके साथ साथ शरीरकी दुबलताओकी स्मति समाप्त होती जाती हे और उसमे छिपी शक्ति ज्यादा स्पष्ट दिखाई पडने लगती है। मनुष्यमे जो अस्थायी तत्त्व है वे मनुष्यकी मत्युके साथ ही समाप्त हो जाते है। मनुष्यका स्थायी तत्त्व मात्र शरीरके ऊपर विजय प्राप्त करता है और शरीरके समाप्त होनेपर ज्यादा साफ दिखाई पडता है। हमे इसी प्रकाशमे लालाजीकी स्मृतिको सॅजोकर रखना चाहिए और लालाजीकी यादमे हरिजन हिदू और सवण हिदुओको चाहिए कि वे अस्पश्यताके अभिशापसे समाजको मुक्त करनेका नया सकल्प करे। हरिजन हिदू अपने-आपको उन बुराइयोसे मुक्त करे जो उनमे दमनका शिकार रहनेके फलस्वरूप आ गई है, और सवण हिदू अपनेको ऊँचा माननेका पाप करना बद कर दे। जमके आधारपर किसीको अस्पश्य मानना पाप है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १६ ११-१९३४

८०४ ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योगोके सम्बधमे काग्रेसने जो प्रस्ताव[१] पास किया है उसका रचयिता मै हूँ और इन उद्योगोकी उन्नतिके लिए जो सघ स्थापित होनेवाला है, उसका एकमात्र सलाहकार भी मै ही हूँ। इसलिए यह उचित ही है कि इन उद्योगोके सम्बधमे और इनसे जनताके चरित्र तथा स्वास्थ्यको जिस लाभके होनेकी आशा है, उसके विषयमे मेरे मनमे जो विचार चक्कर लगा रहे है, उन विचारोको मै जनताके आगे रख दू।

हरिजन-यात्राके सिलसिलेमे जब इस वषके आरम्भमे मै मलाबार गया था, तभी मेरे मनमे यह ग्रामोद्योग-सघ स्थापित करनेका विचार एक प्रकारसे निश्चित हो गया था। एक खादी-सेवकके साथ बात करते हुए मैने देखा कि शहरके लोगोने गाववालोसे जिस चीजको क्रूरता और अविचारपूवक छीन लिया है, उस चीजको ईमानदारीके साथ उन्हे लौटा देनेके लिए सच्चा प्रयत्न करनेवाले एक सगठनकी कितनी जबदस्त आवश्यकता है। सबसे ज्यादा हानि जिन्हे हुई है वे हरिजन लोग है। सामान्यत गाववालोके सामने जो उद्योग अपनानेकी सुविधा है, उसमे से केवल कुछ उद्योग ही है जिन्हे वे अपना सकते है। इसलिए जब उनके हाथसे उनके उद्योग निकलते जाते है तो वे अय भारवाही पशुओ जसा जीवन जीते है। पाठक जब इसी अकमे अयत्र छपे प्रोफेसर मलकानीके लेखको[२] पढेगा तब वह मेरे इस कथनकी सत्यताको समझ सकेगा।

१ देखिए ' भाषण अ० भा० का० क० की विषय-समितिमें २४ १० १९३४।

२ यह इस अकमें न छपकर वस्तुत **हरिजन** के २३ ११ १९३४ के अकमें सिंधके रेगिस्तानकी कहानी क शीषकसे छपा था।

आज हिन्दुस्तानके किसानोकी हालत सामान्यत बहुत अच्छी नही हे। धीरे धीरे वे इस हालतमे पहुँचते जा रहे है कि किसी तरह अपने खाने भरका अनाज निकाल ले। कम लोगोको मालूम होगा कि छोटे छोटे और अलग-अलग खेतोमे खेती करना लाभदायक व्यवसाय नही हे। गाववालोके जीवनमे न आशा रही है, न उमग। भूख धीरे धीरे उनके प्राणोको चूस रही है। वे कर्जोसे दबे हुए है। साहूकार उन्हे कर्ज देता है, क्योकि न दे तो जाये कहा? न देनेसे तो उसका सारा पैसा डूब जाये। गावकी अर्थ प्रणाली हैरानीमे डालनेवाली चीज है। जाच तो हमने इसकी काफी बारीकीसे की है, फिर भी इस विषयकी हमारी जानकारी सतही ही है।

ग्रामोद्योगोका यदि लोप हो गया, तो भारतके सात लाख गावोका सर्वनाश ही समझिए।

ग्रामोद्योग सम्बन्धी मेरी प्रस्तावित योजनापर इधर दैनिक पत्रोमे जो टीकाएँ हुई है उन्हे मैने पढा है। कई पत्रोने तो मुझे यह सलाह दी है कि मनुष्यकी अन्वेषण बुद्धिने प्रकृतिकी जिन शक्तियोको अपने वशमे कर लिया हे, उनका उपयोग करनेसे ही गाँवोकी मुक्ति होगी। उन आलोचकोका यह कहना है कि प्रगतिशील पश्चिममे जिस तरह पानी हवा तेल और बिजलीका पूरा पूरा उपयोग हो रहा है, उसी तरह हमे भी इन चीजोको काममे लाना चाहिए। वे कहते है कि इन निगूढ प्राकृतिक शक्तियोपर कब्जा कर लेनेसे प्रत्येक अमेरिकावासी इनकी सहायतासे ३३ गुलामोको रखनेपर जो काम होता उतना काम ले सकता है।

इस रास्ते अगर हम हिन्दुस्तानमे चले, तो मै यह बेधडक कह सकता हूँ कि प्रत्येक मनुष्यको ३३ गुलाम मिलनेके बजाय इस मुल्कके एक एक मनुष्यकी गुलामी ३३ गुनी बढ जायेगी।

यन्त्रोसे काम लेना उसी अवस्थामे अच्छा होता है, जब किसी निर्धारित कामको पूरा करनेके लिए आदमी बहुत ही कम हो। पर यह बात हिन्दुस्तानमे तो है नही। यहा कामके लिए जितने आदमी चाहिए, उनसे कही अधिक बेकार पडे हुए है। कुछ वर्ग गज जमीन खोदनेके लिए मै हल का उपयोग नही करूँगा। हमारे यहा सवाल यह नही है कि हमारे गावोमे जो लाखो करोडो आदमी पडे है, उन्हे परिश्रमकी चक्कीसे निकालकर कुछ अवकाशका समय किस तरह दिलाया जाये बल्कि यह है कि उन्हे सालमे जो लगभग छ महीनेका समय यो ही बैठे बैठे आलसमे बिताना पडता है, उसका उपयोग कैसे किया जाये। कुछ लोगोको मेरी यह बात शायद विचित्र लगेगी पर सच बात यह है कि प्रत्येक मिल सामान्यत आज गाँवोकी जनताके लिए त्रासरूप हो रही है। मैने बारीकीसे आकडे एकत्र नही किये, पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि गाँवोमे बैठकर कमसे-कम दस मजदूर जितना काम करते है उतना ही काम मिलका एक मजदूर करता है। इसे यो भी कह सकते है कि दस आदमियोकी रोजी छीनकर यह एक आदमी गावोमे जितना कमाता था उससे कही अधिक कमा रहा है। इस तरह कताई और बुनाईकी मिलोने गावोके लोगोकी जीविकाका एक बडा भारी साधन छीन लिया है। यह कहना कोई जवाब नही है कि ये मिले जो कपडा तैयार करती है वह अधिक अच्छा और काफी सस्ता

होता है। कारण यह है कि इन मिलोने अगर हजारो मजदूरोका धन्धा छीनकर उन्हे बेकार बना दिया है तो सस्तेसे सस्ता मिलका कपडा गावोकी बनी हुई मँहगीसे-महँगी खादीसे भी महँगा है। कोयलेकी खानमे काम करनेवाले मजदूर जहा रहते है वही वे कोयलेका उपयोग कर सकते है, इसलिए उन्हे कोयला महगा नही पडता। इसी तरह जो ग्रामवासी अपनी जरूरत भरके लिए खुद खादी बना लेता है, उसे वह महगी नही पडती। पर मिलोका बना कपडा अगर गावोके लोगोको बेकार बना रहा हे, तो चावल कूटने और आटा पीसनेकी मिले हजारो स्त्रियोकी न केवल रोजी ही छीन रही है, बल्कि साथ ही तमाम जनताके स्वास्थ्यको हानि भी पहुचा रही है। जहा लोगोको मास खानेमे कोई आपत्ति न हो और जहा मासाहार पुसाता हो, वहाँ मैदा और पालिशदार चावलसे शायद हानि न होती हो, लेकिन हमारे देशमे, जहा करोडो आदमी ऐसे है जो मास मिले तो खानेमे आपत्ति नही करेगे, पर जिन्हे मास मिलता ही नही, उन्हे हाथकी चक्कीसे पिसे हुए गेहूके आटे और हाथ-कुटे चावलके पौष्टिक तथा जीवनप्रद तत्त्वोसे वचित रखना एक प्रकारका पाप है। इस लिए डाक्टरो तथा दूसरे आहार-विशेषज्ञोका चाहिए कि मैदे ओर मिलके कुटे पालिशदार चावलसे लोगोके स्वास्थ्यको जो हानि हो रही है उससे वे जनताको आगाह कर दे।

मैने सहज ही नजरमे आनेवाली जो कुछ मोटी मोटी बातोकी तरफ यहा लोगोका ध्यान खीचा हे उसका उद्देश्य यही है कि अगर ग्रामवासियोको कुछ काम देना है, तो वह यन्त्रोके द्वारा सम्भव नही है। उनके उद्धारका सच्चा माग तो यही है कि जिन उद्योग धन्धोको वे अबतक किसी कदर करते चले आ रहे है उन्हीको भली भाति जीवित किया जाये।

इसलिए मेरे विचारके अनुसार अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघका काम यह होगा कि जो उद्योग धन्धे आज चल रहे है उन्हे प्रोत्साहन दिया जाये, और जह हो सके और वाछनीय हो वहा नष्ट हो चुके या नष्ट हो रहे ग्रामोद्योगोको गावोकी पद्धतिसे —— अर्थात उस रीतिसे जिससे अनादि कालसे गाववाले अपनी झोपडियोमे काम करते आ रहे है —— पुनरुज्जीवित किया जाये। जिस प्रकार हाथकी ओटाई धुनाई, कताई और बुनाईकी क्रियाओ और औजारो मे बहुत उन्नति हुई है उसी प्रकार ग्रामोद्योगोकी पद्धतिमे भी काफी सुधार किया जा सकता है।

एक आलोचकने यह आपत्ति उठाई है कि प्राचीन पद्धति पूणत व्यक्तिपरक है, परन्तु इस रीतिसे सामूहिक काय कभी नही हा सकता। यह दृष्टि मुझे बडी थोथी मालूम होती है। ग्रामवासी भले ही वस्तुओको अपने झोपडोमे बैठकर बनाये, पर यह बात नही कि वे सब चीजे इकटठी न की जा सके और उनसे होनेवाला मुनाफा लोगोमे न बँट सके। ग्रामवासी किसीकी देख रेखमे किसी खास योजनाके अनुसार काम करे। कच्चा माल सावजनिक भडारसे दिया जाय। अगर सामूहिक काय करनेकी इच्छा ग्रामवासियोके अन्दर पैदा कर दी जाये, तो सहयोग, श्रम-विभाजन, समयके बचाव और काय कुशलताके लिए तो निश्चय ही काफी अवकाश है। आज ये सारी चीजे अखिल भारतीय चरखा सघ ५००० से अधिक गावोमे कर रहा है।

किन्तु खद्दर गावोके सौरमडलका सूय है ओर अन्यान्य विविध उद्योग इस मडलके ग्रह है। इन उद्योगरूप ग्रहोको खद्दररूपी सूयसे जो गर्मी और प्राणशक्ति मिल रही है, उसके बदलेमे वे खद्दरको कायम रख सकते है। बिना खादीके अन्य उद्योगोका विकास होना असम्भव हे। किन्तु मैने अपने पिछले दौरेमे देखा कि अगर दूसरे उद्योग धन्धे फिरसे जिन्दा न किये गये तो खादीकी अधिक उन्नति नही हो सकती। ग्रामवासियोमे अगर उनके फुरसतके समयका लाभप्रद ढगसे उपयोग करनेकी क्रियाशीलता ओर क्षमता उत्पन्न करनी हे, तो ग्रामजीवनके सभी पहलुओका स्पश करना और उनमे नव चेतनाका सचार करना होगा। इन दो सघासे इसी बातकी अपेक्षा की जाती है।

स्वाभाविक हे कि इन दोनो सघोका राजनीतिसे या राजनीतिक पार्टियोसे कोई मतलब नही हो सकता। काग्रेसने इन दोनो सघोको स्वशासी और पूरी तरह गैरराजनीतिक सस्थाएँ बनाकर मेरी रायमे अच्छा ही किया हे। सभी राजनीतिक पार्टिया और सभी समुदायोके लोग गाँवोको आर्थिक, नतिक और स्वास्थ्यकी दष्टिसे ऊपर उठानेमे मिल जुलकर प्रयत्न कर सकते है।

मुझे मालूम है कि एक वग ऐसा हे जो खादीको आर्थिक दष्टिसे लाभदायक मानता ही नही। मुझे आशा है कि इस वगके लोग मेरे इस कथनसे भडक नही जायेगे कि खादी ग्रामसेवाकी प्रवत्तियोका केन्द्र है। खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगोका पारस्परिक सम्बन्ध बताये बिना मै अपने मनका कल्पना-चित्र ठीक ठीक अकित नही कर सकता था। जो लोग खादी और अन्य ग्रामोद्योगोके इस सम्बन्धको न देख पाते हो, वे दूसरे उद्योगोमे भले अपनी शक्ति लगाये। लेकिन यह काम भी वे नये सघके जरिये कर सकेगे, बशर्ते कि इस लेखमे मैने जो पष्ठभूमि प्रस्तुत करनेकी कोशिश की है, उसको वे समझ सके।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १६ ११-१९३४

४०५ पत्र डॉ० एम० एस० केलकरको

१६ नवम्बर १९३४

तुम्हारा पत्र मिला। मै तुम्हे पहले ही बता चुका हूँ कि सातवलेकरकी [1] चिटिठया मैने नष्ट कर दी थी, क्योकि मुझे उनमे कोई दिलचस्पी नही थी। तुम सातवलेकरसे बेकार ही नाराज हो। व्यक्तिगत रूपसे तुम्हारे विरुद्ध उन्हे कोई शिकायत नही है। अन्तत तुममे उनकी दिलचस्पी थी इसीलिए तुम औध गये थे। कोई आदमी अगर ईमानदारीसे कोई राय बनाये तो इसमे तुम कर ही क्या सकते हो, फिर भले ही वह राय निराधार हो। इसलिए मेरी जोरदार सलाह है कि तुम इस मामलेको मनसे

१ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर।

निकाल दो और जो काम तुमने हाथमे लिया है, उसके लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनेमे ध्यान लगाओ।

रामदासका वजन बहुत कम हो गया है। मैंने उसे कोयम्बटूरमे प्राप्त होनेवाले निर्जीव अण्डे देना शुरू किया है। क्या तुम्हे पता है कि मै निर्जीव अण्डे बिना कठिनाइ कहासे प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे अहमदाबाद ओर पूनाके कुछ पते दिये गये है। अगर तुम्हे और पासकी किसी जगहका पता हो तो मै अण्डे वहासे मँगाना चाहूँगा।

जोवके चीफके साथ हुआ पत्र-व्यवहार + वापस कर रहा हूँ।

डा० एम० एस० केलकर
माफत श्री जे० जी० गद्रे
भाटवाडी, बम्बई–४

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पपस, सौजन्य प्यारेलाल

४०६ पत्र दामोदर एम० दामलेको

१६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

'भारतमे फसलको जगली जानवरोसे होनेवाली हानि' विषयपर आपके प्रबन्धका मुझे कोई स्मरण नही है। आपका प्रबन्ध जब मिला उस समय या तो मै यात्रामे था अथवा उपवास पर था, और इस कारण वह मेरे ध्यानसे छूट गया। मै आपके विभिन्न प्रयोगोको समझता हूँ। इस समय मेरा उद्देश्य इतना ऊँचा नही है जितना कि आपका। बढिया फसल उगानेके तरीकोका मुझे कोई विशेष ज्ञान नही है, और यह उस सघके कार्य क्षेत्रसे बाहरकी चीज होगी जो अभी बनाया ही जा रहा है। जहातक जगली जानवरो द्वारा फसले नष्ट करनेकी बात है, यह मामला मूलत सरकार और विधायकोके विचार करनेका है। यह मामला भी सघके कार्य-क्षेत्रसे बाहर है।

हृदयसे आपका,

श्री दामोदर एम० दामले
बी० ए०, एल-एल० बी०
वुन (बरार)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४०७ पत्र एस० एस० पाण्डेको

१६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। योजना हो या न हो, यदि आपने प्रस्तावकी[1] गम्भीरता समझ ली है, और काम जिस ढगसे होना है उसे ठीक समझते ह तो मै चाहूँगा कि आप उन चार चीजोकी तरफ ध्यान दे जो पहले ही जनताके सामने हैं यथा धानकी हाथ कुटाई, गावकी चक्कियामे आटा-पिसाई, गुडको शुद्ध और लोकप्रिय बनानेका काम और गावोमे चमडे कमानेके बेहतर तरीकोको फिरसे लागू करनेका काम।

हृदयसे आपका,

श्री एस० एस० पाण्डे
बी० ए०, एल-एल० बी०
वकील, खण्डवा (म० प्रा०)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४०८ पत्र सुधीरचन्द्र घोषको

१६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

जब मै उडीसामे था, उस समय मुझे आपके आश्रमके बारेमे क्या कुछ पता था? कितने दिनोसे आप काम कर रहे हैं? क्या आपका गोपबन्धु बाबूके साथ सम्पर्क है? आपके कार्यकर्ता कौन है?

हृदयसे आपका,

श्री सुधीरचन्द्र घोष
अरिलो सेवाश्रम, गाव उसूमा
फुलनाखारा पी० ओ०
जिला कटक

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए 'भाषण अ० भा० का० क० की विषय समितिमें २४-१०-१९३४।

४०९ पत्र डॉ० बी० सुब्रह्मण्यम्को

१६ नवम्बर, १९३४

प्रिय डाक्टर,

मुझे आपके पत्रकी प्रतीक्षा थी, आर वह आ गया हे। निश्चय ही मै ग्रामसवाके क्षेत्रमे आपसे बहुत-कुछ करनेकी आशा करता हूँ। क्या आपने गावामे चक्की, धानकी हाथ-कुटाई तेल निकालनेका काल्हू और अन्य ऐसी ही सीधी सादी चीजे फिरसे शुरू करवानेका काम आरम्भ कर दिया है? जिन गावोपर आप ध्यान दे रहे है उनके उद्योगोकी आपको गणना करनी चाहिए और आज जिस गिरी हुई अवस्थामे ये गाव पहुँच गये है, उससे उबारकर उन्हे छोटे छोटे उद्योगोवाले व्यस्त छत्ते बना दीजिए।

हृदयसे आपका,

डा० बी० सुब्रह्मण्यम
हरिजन सेवाश्रम
सीतानगरम वाया कोव्वूर
पश्चिमी गोदावरी जिला

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४१० पत्र हिल्डा कैशमोरको

१६ नवम्बर १९३४

प्रिय बहन,

तुम्हारा बिना तारीखका पत्र मिला। मै तुमसे और कुमारी डोरोथी हरसीसे अगले ४ दिसम्बरको तीसरे पहर ३ ३० बजे मिलकर बहुत प्रसन्न होऊँगा। आशा है, समय तुम्हे अनुकल रहेगा।

हृदयसे तुम्हारा,

कुमारी हिल्डा कशमोर
फ्रेडस सेटर
इटारसी (म० प्रा०)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस सौजन्य प्यारेलाल

४११ पत्र : प्रिस पीपुल ऐंड क० के प्रबन्ध निदेशकको

१६ नवम्बर, १९३४

महोदय,

आपके इसी ११ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। मै जानना चाहूँगा कि क्या काम आप पहले ही कर चुके है, और चक्की-पिसे आटे, हाथ कुटे चावल और गावमे बने गुडको अपने निजी इस्तेमालमे लाने, और जो गाव आपकी देखभालमे है उनमे उनका इस्तेमाल शुरू करवानेकी दिशामे आप क्या कुछ कर सकते है। मै आपकी कम्पनीका सविधान भी देखना चाहूँगा।

हृदयसे आपका,

प्रबन्ध निदेशक
प्रिस पीपुल ऐंड क०
दरभगा

अग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

४१२ पत्र : माणेकलाल और राधा कोठारीको

१६ नवम्बर, १९३४

चि० माणेकलाल और राधा,

तुम दोनोके पत्र मिले है। यह नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखमय हो। रामदास यहा आ गया है। कह सकते है कि उसका स्वास्थ्य पहलेसे बेहतर है।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत माणेकलाल
खीरसरा
राजकोटके रास्ते
काठियावाड

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से।

४१३ पत्र वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय भाई,

यद्यपि हमारे हृदय एक हैं, फिर भी हम विचार और कार्यकी अलग-अलग दुनियामे रहते जान पडते है। इस बातको सोचकर इधर कुछ दिनोसे मेरा मन बहुत परेशान रहा है। अभी-अभी नागपुरमे मुझे भारत सेवक समाजकी शाखाकी ओरसे एक पत्र मिला है जिसमे मुझे ग्रामोद्योग-कार्यमे पूरा पूरा सहयोग देनेका आश्वासन दिया गया है। मै नही जानता कि यह कहातक सम्भव हो सकेगा। लेकिन सहयोगका प्रस्ताव पूरे दिलके साथ रखा गया है और ग्रामोद्योग कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेका अवसर आनेपर यदि हममे सहमति हुई तो मै इस प्रस्तावका पूरा पूरा लाभ उठाऊँगा। लेकिन मै निश्चित रूपसे यह नही जानता कि आप इस तरहके सहयोगका समर्थन करेगे अथवा नही। मै यह भी नही जानता कि गावकी आटा पीसनेकी चक्की और धान कूटनेकी ओखलीको फिरसे अपनानेका हमारा जो आन्दोलन है, वह आपको किस हदतक पसन्द आयेगा।

म यह पत्र केवल अपने विचारोसे आपको अवगत करानेके लिए और यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि मै जो अनेक प्रवृत्तिया चलाता हूँ, उनमे कही-न-कही मै आपका सहयोग भी चाहता हूँ। लेकिन मै आपसे ऐसा कुछ नही करवाना चाहता जिसे आपकी विवेक-बुद्धि पूरी तरह स्वीकार न करती हो। आप इतने सच्चे है कि आप अपनी विवेक बुद्धिके विपरीत कुछ नही करेगे और मेरे लिए आपके सहयोगकी उतनी कीमत नही है जितनी आपकी सचाई की।

सप्रेम[1],

आपका,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री, पृ० २७२

१ गांधीजीको भेजे गये २३ नवम्बरके अपने उत्तरमें श्रीनिवास शास्त्रीने लिखा मैंने आपके पत्रकी प्रतियाँ अपने चन्द निकटतम सहयोगियोंके पास भेजी है। इस समय सहयोगकी जो सम्भावना दिखाई देती है यदि उनके पत्रोंसे मुझे उससे अधिक आशा दिखाई दी तो मैं आपको फिर पत्र लिखूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप आधुनिक सभ्यताके विरुद्ध कभी न खत्म होनेवाला और अव्यावहारिक युद्ध चला रहे है। बहुत समय पहले आपने अपने आपको इसका घोर शत्रु सिद्ध किया था और अब भी यदि सम्भव हो तो आप सदियोंसे चली आ रही इस आधुनिक सभ्यताका रुख मोड़ देना चाहेंगे। इसके विचारमात्रसे ही मेरा सिर चकरा जाता है।

हम दोनोके दिलोमें एक दूसरेके प्रति जो गहरा प्रेमभाव है वह हमें कभी-कभी एक-दूसरेके निकट लाता है, लेकिन यह जीवन तो लापरवाह है और वह हमें निर्दयतापूर्वक एक-दूसरेसे जुदा कर देता है।

४१४ पत्र मजर अली सोख्ताको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय मजर अली[१],

इधर मेरा पोस्टकाड गया और उधर तुम्हारा पत्र आया। बडी अजीब बात है। मैंने कल्पना भी नही की थी कि तुमने सुदरलालको प्रेरित किया था। क्या मै उसकी असयतताको नही जानता हूँ। उसके पत्रसे मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे उसने तुम्हारी सेवाओके साथ साथ अपनी सेवाएँ भी अर्पित की है। अत मैंने उससे कहा कि मुझे तुम दोनोपर यकीन नही है कि तुम नीरस शारीरिक श्रम कर सकोगे, लेकिन मेरी शका यदि गलत सिद्ध हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी। जवाबमे उसने लिखा कि अपनी सेवाएँ अर्पित करनेका उसका कभी कोई इरादा नही था। हॉ, तुम्हारे जानेमे अगर सहूलियत होती हो तो वसी सूरतमे वह जरूरी होनेपर आनेको तैयार था। अत मैंने तुम्हे वह पोस्टकाड लिखा जो आशा है, तुम्हे मिल गया होगा। तुम्हारा उन्नावका पता न जाननेके कारण मैंने उसे उमा नेहरूकी माफत भेजा है। अगर तुम नीरस शारीरिक श्रम बिना थकानके कर सको तो मैं तुम्हे जुएमे जोतनेको तैयार हूँ, और अगर तुम यह समझनेके लिए यहाँ आना जरूरी समझते हो कि तुम्हे क्या करना होगा, तो तुम आ सकते हो। किन्तु यदि तुम चीजको समझ गये हो तो तुरन्त काम शुरू कर दो, जैसाकि मेरे वक्तव्यको[२] पढनेके बाद बहुतोने किया है। मैंने जिन चार चीजोका सुझाव दिया है, उनके रूपमे मैंने पर्याप्त आरभिक कायक्रम प्रस्तुत कर दिया है। यदि इसे उत्साहपूवक अमलमे लाया जाये तो किसी विशेष प्रयत्नके या कौतुकपूण प्रदशनके बिना ही गॉववालोकी जेबोमे कुछ करोड रुपये पहुँच जायेगे।

श्री मजर अली
"दूधकी कोठी"
गगाघाट (जिला उन्नाव)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

२ उत्तर प्रदेशके प्रसिद्ध समाजसेवी और गाधीजीके निकट सहयोगी जिन्होंने जिला उन्नाव उत्तर प्रदेशमें एक आश्रमकी स्थापना की थी।

२ देखिए 'वक्तव्य समाचारपत्रोंको", ८ ११ १९३४

४१५ पत्र जयरामदास दौलतरामको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय जयरामदास,

तुम्हारा पत्र मिला। सेठ शिवरत्नको लिखनेसे पहले मैं तुम्हारे पत्रकी या तुम्हारे आनेकी प्रतीक्षा करूँगा।

तुम्हारे पत्रसे मैं यह मान रहा हूँ कि सन्तराम कमलानीसे बिलकुल मिला ही नही और कमलानीसे मिलनेसे पहले ही वह मीराबहनके साथ जहाजपर रवाना हो गया है। मुझे खुशी है कि आनन्द मुक्त है।

गिडवानीके[1] बारेमे मुझे बुरी खबर मिली है। गगाबहनने एक करुण पत्र लिखा था। जवाबमे मैंने एक तार भेजा था, और अब मुझे गिडवानीने पूरी बात लिख भेजी है। कोई खतरेकी बात नही लगती, लेकिन वह बिस्तरपर पडा है।

आशा है, सघके प्रस्तावित बोडके बारेमे कुमारप्पाने तुम्हे सारी सूचना दे दी है।

मैं पूरी आशा करता हूँ कि सविधानका प्रकाशन अब शीघ्र कर दिया जायेगा।

श्री जयरामदास दौलतराम
बम्बई–६

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४१६ पत्र जे० सी० पण्डितको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। खेद है कि मैं कोई मदद नही कर सकता।

हृदयसे आपका,

जे० सी० पण्डित, बी० एस-सी०, सी० ई०
भूतपूव इजीनियर, बरेली जिला बोड
डब्बी बाजार, मोहल्ला सरीन, कूचा जरग्रान
लाहौर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ चोइथराम गिडवानी।

४१७ पत्र : तारासिहको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय मास्टर तारासिह,

आपका पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। आशा करता हूँ कि मै यहा १५ दिसम्बरतक रहूँगा। आप जितनी जल्दी आ जाये उतना ही अच्छा है। खान साहब, उनके भाई और उनके पुत्र सयुक्त प्रान्तके सक्षिप्त दौरेके लिए यहासे इसी २४ तारीखको रवाना होगे। वे ४ दिसम्बरके करीब लौटेगे। खान साहब मेरे साथ लगभग चार दिन ठहरकर शायद बगाल जायेगे।

हृदयसे आपका,

मास्टर तारासिह
२२, एल्फिस्टन सर्किल
बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपस, सौजन्य : प्यारेलाल

४१८ पत्र : पचानन बसुको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय पचानन,

तुम्हारा १३ नवम्बरका पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। मै तुमसे और आगेकी बात सुननेकी अपेक्षा करता हूँ। बेशक तुम जो भी काम कर सकते हो, वह सब मै तुमसे लूगा। मै तुम्हारा पत्र श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री पचानन बसु
खादी मण्डल
ई० ७५, कालेज स्ट्रीट मार्केट
कलकत्ता

अग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपस, सौजन्य : प्यारेलाल

४१९ पत्र क० मा० मुन्शीको

१७ नवम्बर, १९३४

भाई मुन्शी,

तुमने मेहनत करनेमे कोई कोर-कसर नही की है। देखना, बीमार न पड जाना। उम्मीद है, तुम्हे ज्यादा खच नही करना पडा होगा। यदि तुम दोनो जीतो तो यह बहुत अच्छी बात होगी। तुम्हारी विजय[१] तो निश्चित ही जान पडती है।

मै लीलावतीकी प्रतीक्षा करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

सविधानको जितनी जल्दी अन्तिम रूप दिया जाये, उतना अच्छा है।

श्री क० मा० मुन्शी, एडवोकेट
वसतविलास
रिज रोड, बम्बई

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५६१) से, सौजय क० मा० मुन्शी

४२० पत्र हीरालाल शर्माको

१७ नवम्बर, १९३४

चि० शर्म्मा,

तुमारे लिये यह चीजे है

(१) नीमुके साथ रहना
(२) जानकीबहनके साथ रहना
(३) जमनालालजीके बगीचेकी कोई कोटडीमे रहना
(४) इद गिदकी किसी देहातमे रहना
(५) सुरेद्रके पास रहना यदि वह राजी होगा तो
(६) नारणदासके पास रहना
(७) खुर्जा भाईओके साथ रहना

१ केन्द्रीय विधान-सभाके चुनावमें।

इतनी चीजोंमें से कुछ भी पसंद करो। संभव है कि सातवीं चीज सबसे अच्छी हो। कुदरती तो है ही। लेकिन यह भी हो सकता है कि तुमारा श्रेय कुटुंबके वियोगमें ही है। साथका खत[1] भाईको भेज दो।

बापुके आशीर्वाद

बापुकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११६-७ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

४२१. पत्र : बिहारीलाल शर्माको

१७ नवम्बर, १९३४

भाई बिहारीलाल,

आप [रु०] १०० तारसे शर्माको भेजे हैं।[2] मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा है। शर्माका सब खर्च यहींसे निकालनेमें कोई दुश्वारी न थी। और न है। लेकिन आप बगैर कष्टके शर्माका खर्च उठा सके तो मैं इतने पैसे फेंक देना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे तो औरभी पैसे चाहीये — जो दे सकते हैं उनके तर्फसे। शर्माकी कोई चिंता न करें। यद्यपि उसका केस कठिन तो है ही। लेकिन वह सच्चा है इसलिए सब खैर है। बताओ तारसे पैसे क्यों भेजने पड़े। द्रौपदी और लड़कोंके हाल भेजो।

बापुके आशीर्वाद

बापुकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११८-९ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. साबरमतीसे वर्धाके लिए रवाना होनेसे पूर्व हीरालाल शर्माने खुर्जा जानेके लिए अपने भाईसे कुछ रुपये भेजनेका अनुरोध किया था।

४२२ पत्र हीरालाल शर्माको

१७ नवम्बर, १९३४

चि० शर्म्मा,

खुशीसे कल शामको उत्तर दो।[१] भले उससे भी बाद।

कौनसे ८ के ११ माह बना द्? जो हो सो बनाया समजो।[२]

भाईजीके पत्रमे वद्धि कर दी है। और तुम कर लो।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११८ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

४२३ पत्र एच० पी० मोदीको

१८ नवम्बर, १९३४

प्रिय श्री मोदी,

यह रही सहायताके लिए एक और अपील, जो केवल मिले ही दे सक्ती है। इस बार यह पुकार सकटग्रस्त असमसे आई है। सलग्न पत्र सारा हाल खुद ही कह देगा। असमसे प्राप्त पूण वक्तव्यके साथ ही आपको उसका एक सार-सक्षेप भी लगा हुआ मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि एसोसिएशनकी ओरसे कम्बल भेज दिये जायेंगे।

हृदयसे आपका,

सलग्न १

श्री एच० पी० मोदी

मिल मालिक एसोसिएशन

बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए पत्र हीरालाल शर्माको" १७ ११ १९३४।

२ देखिए पिछला शीषक जिसमें महीनेका अंक ८' के स्थान पर '११ कर दिया गया है।

४२४ पत्र जे० एल० गोहीनको

१८ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। अब मुझे अण्डोका पासल मिल गया है, धन्यवाद। हालाकि आपने अण्डोके लिए कोई बिल नही भेजा है, फिर भी मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे यह सूचित करे कि अण्डे किस मूल्यपर बेचे जाते है। अण्डोका डिब्बा मै यथाशीघ्र वापस भेज दूगा।

मुझे आपका दूसरा पत्र मिला है। कृपया आप अपने शिष्योको मेरा अभिवादन कहे। मुझे आशा है कि वे कुशल कार्यकर्त्ता बनकर निकलेगे। अगर आप मुझे बाकायदा बिल भेजे तो मै चाहूँगा कि जबतक मै और कोई सूचना न दू तबतक आप मुझे प्रति सप्ताह अट्ठारह अण्डे भेजते रहे। इस पत्रको पानेके बादसे ही आप उन्हे भेजना शुरू कर सकते है।

हृदयसे आपका,

श्री जे० एल० गोहीन
सागली इडस्ट्रियल ऐड एग्रिकल्चरल स्कल
अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशन
सागली (एम० एस० एम० रेलवे)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

४२५ पत्र नारणदास गाधीको

१८ नवम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

साथके पत्र पढकर हरिलालको दे देना। तुम उसे जो देना उचित समझो, वह समय समयपर उसे देते रहना।

ग्रामोद्योगकी नई योजनाके विषयमे, तुम्हे कुछ कहना हो तो कहना। वहाका काम कैसा चल रहा है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४२३ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी

४२६ पत्र जमनालाल बजाजको

१८ नवम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारे कानके बारेमे चिता है। [1] उसके बारेमे विचार करना पडता है, इतना ही है। क्या हुआ है सो समझ नही आता। मै दुखी नही हूँ, न ही मुझे चिता है। अँधेरा सा दिखाई देता है। यह बिखर जाये तो मुझे सन्तोष हो जाये। बाकी तो जो होना होगा सो होगा। मने दोनो डॉक्टरोको पत्र भेजे थे। उनका जवाबतक नही आया। ऐसा क्यो?

अब रही बात उद्योग-सघकी [2]। मुझे ऐसा याद पडता है कि मगनलाल-स्मारकके लिए तुमने जो मकान बनवानेकी बात सोची थी, उसके सम्बन्धमे फिलहाल तुम्हारो क्या इच्छा है सो मै नही जानता। [3] वह स्मारक इस कल्पनाके साथ सगत [4] ऐसा मुझे लगता है। हर गावमे [5] क्योकि वर्धामे [6] प्रदेशमे गाव, बहुत [7]। हवा भी अच्छी है। भौगोलिक दृष्टिसे यह हिदुस्तानके मध्यमे स्थित है। रेलकी सुविधा है। इस दृष्टिसे मुझे वर्धा अच्छा लगता है। तुम यहा हो, इसका भी मुझे लोभ होता है। लेकिन मै तुम्हे बीचमे नही डालना चाहता। तथापि, मै ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि तुम सब तो हो ही। इस दष्टिसे विचार करके तुम जिस निश्चयपर पहुँचो, सो लिखना।

गनीके बारेमे रामेश्वरका तार मिला है। [8]

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मेरे पत्र [9]

[गुजरातीसे]
पाचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १४२

१ से ९ साधन सूत्रमें यहाँ शब्द छूटे हुए हैं।

४२७ पत्र वल्लभभाई पटेलको

१८ नवम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारे तीनो पत्र पढकर देखता हूँ कि तुम्हारे सामने ग्रामोद्योग सघका स्वरूप खडा नही हुआ है। इसके पीछे आशय यह है कि जो चीजे गाव पदा कर सकते हो, हमे गावोसे ही खरीदनी चाहिए। यदि हम ऐसा करे तो कुछ अशोमे हम गावोका कज चुका सकते है। यह अलग सवाल है कि हम ऐसा कर सकेगे या नही। हमे यह मानकर नही चलना है कि नही कर सकेगे। हम छ या सात जनोने जिस चीजको शुरू किया, वह व्यापक वस्तु बन गई है। मै जो कह रहा हूँ, यदि वैसा करना हमारा धम हो, तो हम सबको देहाती कागज इस्तेमाल करना चाहिए। देहाती कलम, देहाती स्याही, देहाती चाकू, देहाती साबुन, देहाती गुड शक्कर, देहाती आटा, और देहाती चावल वगैरह ही उदाहरणस्वरूप है। ऐसा हो सकता है कि इनमे से बहुत सी बाते हम न करे। परन्तु यदि हम यह मान ले कि ऐसा करना हमारा धम है तो करोडा रुपये ग्रामवासियाके घरोमे आयेगे और गावोका मूल्य बढेगा। तभी हमारे सपनोका ग्राम स्वराज्य प्राप्त होगा और वही अहिसक स्वराज्य माना जायेगा। इतनेसे सब कुछ समझा जा सकता है।

इस सघमे यदि चौबीसो घटे काम करनेवाले पाच-सात व्यक्ति हो तो ही यह सघ चल सकता है। इसमे मै ऐसे व्यक्तियोको खीचनेका प्रयत्न कर रहा हूँ जो दिल दिमागसे काग्रेसी हो, परन्तु काग्रेसी कहलाते न हो। वैसे कुछ एक काग्रेसियोकी जरूरत तो पडेगी ही। जयरामदासको इसी आशासे खीचता हूँ कि राजेन्द्र बाबू और तुम उन्हे मुक्त कर सकोगे और वे मुक्त होनेके लिए राजी होगे। अगर वे यह काम न कर सके तो वे हमारे कामके नही होगे। खानसाहबके साथ भी मै इस सम्बन्धमे बातचीत कर रहा हूँ। पता नही जालभाई क्या कहेगे। वे न आये तो खुर्शेदको बुलानेकी इच्छा है। मै तो ऐसे सपने देखता हूँ। अब चाहे वे सच्चे हो या न हो। उनमे मै मनकी शान्ति प्राप्त करता हूँ। अब तुम्हारे पास अवकाश हो तो आ जाओ। नाकका इलाज पहले करानेकी आवश्यकता है। गुजरातके कायकर्त्ताओमे से कितनोको इस काममे लगाऊँ? रावजीभाईने अर्जी भेजी है। मैने लिखा है कि वह मुक्त हो जाये तो भी तुम्हारी मजरी मिलनेपर ही वह आ सकते है। केन्द्रके बारेमे भी हमे विचार करना होगा।

चुनावके परिणाम तो सचमुच आश्चयजनक रहे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २, सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४१ २

४२८ हीरालाल शर्माको लिखी पर्ची

[१८ नवम्बर, १९३४][1]

चि० शर्मा,

आज जानेका मोकूफ किया जाये।[2]

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १२० के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

४२९ हीरालाल शर्माको लिखी पर्ची

[१८ नवम्बर, १९३४ के पश्चात][3]

मुझे गुस्सा नही है।[4] जबतक मै तुमको पुत्र मानूं तबतक तुमारे पर गुस्सा करना पाप है। हां रंज हुआ और अपनी जिम्मेदारीका ख्याल हुआ।

मेरा स्वभाव ऐसा है कि तुमारा 'केस'[5] मेरे लिए स्वराज्यके मसले जितना ही वजन रखता है।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११८-९ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

१ हीरालाल शर्माने यही तारीख दी है।

२ हीरालाल शर्माने उसी दिन खुर्जा जानेके लिए गांधीजी की इजाजत माँगी थी।

३ साधन-सूत्रके यह पिछले शीर्षकके पश्चात् लिखा गया था।

४ हीरालाल शर्माने अपने भाईसे रुपये मँगवाये थे जिसके कारण गांधीजी गुस्सा हो गये थे देखिए 'पत्र बिहारीलाल शर्माको', १७-११-१९३४।

५ हीरालाल शर्माने गांधीजीसे पूछा था कि भाईको लिखे पत्रमें 'केस' शब्दसे उनका क्या अर्थ था। देखिए 'पत्र बिहारीलाल शर्माको' १७-११-१९३४।

४३० पत्र पी० एन० राजभोजको

१९ नवम्बर, १९३४

प्रिय राजभोज,

तुम्हारा पत्र मिला। मै तुम्हे पहले ही जो कुछ लिख चुका हूँ, उसके आगे मुझे और कुछ नही कहना है। मै तुम्हे पूना नगरपालिकामे प्रवेश करनेकी सलाह नही दे सकता। मै फिर कहूगा कि तुम्हे कोई रचनात्मक काय स्वय करना चाहिए, और इस उद्देश्यको ध्यानमे रखते हुए किसी धन्धेमे निपुणता प्राप्त करनी चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री पी० एन० राजभोज
२०७ घोरपडे पेठ
पूना २

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४३१ पत्र के० एस० वेंकटरमणिको

१९ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। अवश्य, मुझे आपकी पुस्तक 'काडार — द पैट्रियट' यरवडामे मिली थी। लेकिन यहा उसकी कोई प्रति नही थी। यरवडामे प्राप्त सारी पुस्तके अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीको चली गइ। उस पुस्तकके कई अध्याय पढनेकी मुझे याद है। क्या आपके लिए उचित चीज यह नही होगी कि आप अपने कायल कर देनेवाले तर्कोको काय रूपमे परिवर्तित करे?

हृदयसे आपका,

श्री के० एस० वेकटरमणि, एम० ए०, बी० एल०
एडवोकेट, शकरपुरम्
मैलापुर, मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४३२ पत्र जमनालाल बजाजको

१९ नवम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारी वषगाठका पत्र मिला। तुम्हारा कल्याण ही है। तुम्हे बहुत दिन जीना है और बहुत सेवा करनी है। वर्धाके बगीचेकी जगह राधाकिसनने एक सस्ती जमीनकी खबर दी है।[1] मुझे लगता है, उससे काम चल जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत जमनालाल बजाज
बिडला भवन
माउण्ट प्लेजेट रोड
मलाबार हिल
बम्बई–६

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १४२

४३३ पत्र घनश्यामदास बिडलाको

१९ नवम्बर, १९३४

भाई घनश्यामदास,

तुमारा खत मिला।

मै कैसे कहू मुझे क्या चाहीये ? जब सो दो सो, हजार दो हजारकी बात रहती है तब तो माग लेता हू। यह ग्राम उद्योगका बहुत बडा काम लेकर मैंने निजी हाजत बडा दी है। इसलिये मै तो यह कह सकता हू दूसरा जो आवश्यक दान हो उसे बाद कर बाकी जो रहे सो मुझे दे दिया जाय।

ग्राम उद्योगका बोड बननेमे कुछ मुसीबत पैदा हो रही है। मै बोड बहुत छोटा कम से कम तीनका, ज्यादासे ज्यादा दसका, ऐसे ही आदमी चाहता हू। जो उद्देश्यमे पूण विश्वास रखते है, जो करीब २ अपना पूण समय देवे, यह काम थोडी तकलीफ दे रहा है। इसमे कुछ रयाल रखते हो ?

१ मगनवाड़ी।

राजकुमारी अमृत कुंवरको पहचानते हो ?

उतमनझाई खान साहबकी देहात है। वहा जाकर बैठनेका इरादा कबसे रहा है। गुरुवारके रोज दिल्ली खत भेज दिया है।[1] जानेका कारण बताया है और पूछा है क्या कुछ हरज है मेरे सरहदी सुबेमे जानेमे। देखे क्या उत्तर आत है।

ओपरेशनका समय क्या निश्चित हूआ ?

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००१ से, सौजन्य घनश्यामदास बिड़ला

४३४ पत्र राजेन्द्रप्रसादको

१९ नवम्बर, १९३४

भाई राजेन्द्र बाबू,

तुमारा पत्र मिला। यदि वहा से निकल सकते हैं तो यही आ जाओ। हवा सुदर है। आराम मिलेगा। शाति तो है ही।

एगथा हेरीसन कहती है कि उसमे सत्य है या नही उसका पता रिपोर्ट[2] आनेसे चलेगा। सत्यमूर्तिने तार दिया है कही वरकिंग कमीटीकी इसी कामके लिये मिलना चाहीये। यदि अबसे ऐसी बैठकका एलान किया जाय तो शायद अच्छा हो, हमारे कुछ कहना तो अवश्य होगा ही। उसमे मुझे तो हिस्सा लेनेका नही रहता है। मैं जाहरमे तो कुछ कहना नही चाहूगा।

यहा आनेके बारेमे अभी तार भेजता हू।

बापुके आशीर्वाद

ए० आई० सी० सी० फाइल न० ३ ए १९३१, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

१ देखिए ' पत्र वाइसरायके निजी सचिवको ", १५ ११ १९३४।

२ सयुक्त ससदीय समिति की।

४३५ पत्र गणेश वासुदेव मावलकरको

२० नवम्बर, १९३४

भाई मावलकर,

तुम सिर्फ रुपये बनानेमें लगे रहो, यह नहीं हो सकता। हरिजन आश्रम और गोशाला का बोझ नहीं उठाओगे? हरिजन आश्रम और गुजरातके हरिजन-कार्यका खर्च हमें गुजरातमें से ही निकाल लेना चाहिए। यह बात पक्की है कि इसके लिए चन्दा माँगनेके कामका बोझा सरदार पर नहीं डाला जा सकता। वह अपनी इच्छानुसार मदद करेंगे, लेकिन इसके कारण किसी झंझटमें पड़नेसे इनकार करते हैं। तुम्हें रणछोड़लालको और शंकरलालको, मैं जो निमन्त्रण दे रहा हूँ, उसका अर्थ इतना ही है कि या तो तुम चन्दा इकट्ठा करो या खुद उठाओ। तुम यह नहीं चाहोगे कि मैं इसके लिए बाहरसे भीख माँगू। फिर मेरा भरोसा भी क्या है? बहुत जल्दी तुम और मैं समझ जायेंगे कि मैं कहाँ रहूँगा। इसलिए थोड़ी देरके लिए पैसा कमाना बन्द करके हरिजन कार्य और गोसेवामें समय लगाओ। फिर भी यदि मेरा अनुमान सही न हो, तुम किसी कर्जमें पड़े हो और पारमार्थिक काममें फिलहाल अपना एक क्षण भी न दे सकते हो तो मुझसे साफ साफ कहो। फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। लोगोंसे शक्तिके बाहर काम लेते-लेते अब मैं छियासठ वर्षका हो गया हूँ। इतनी पुरानी आदत एकदम तो कैसे जा सकती है, फिर भी कुछ तटस्थता आ गयी है। सब अपनी-अपनी शक्तिके बाहर काम करें, यही सोचकर कांग्रेसके बाहर आ गया हूँ। किन्तु व्यक्तिगत मित्रोंसे दूर तो अभी नहीं हुआ हूँ। यह तो तभी हो सकता है, जब मैं लिखना बोलना बन्द कर दूँ, अथवा केवल अपने समाचारपत्रोंकी मार्फत काम करूँ। अभी ऐसी शक्ति नहीं आई है। मेरा मोह अभी शेष है, इसलिए इतने पत्र लिखता रहता हूँ। फिर भी चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे लिहाजसे कुछ न करना। यदि धर्म समझकर करोगे तो मुझे सन्तोष होगा। ऐसा ही कुछ मैंने रणछोड़लाल और शंकरलालको भी लिखा है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२४०) से।

४३६ पत्र एस० सत्यमूर्तिको

[२१ नवम्बर, १९३४ से पूर्व][1]

आपका सुझाव[2] मुझे ठीक लगता है, लेकिन क्या अब मैं इन मामलोंमें एक अच्छा सलाहकार रह गया हूँ? मेरा दिमाग इन चीजोंकी तरफसे हट गया है। श्रीयुत राजगोपालाचारी वहाँ आपके निकट ही हैं। फिर अध्यक्ष महोदय हैं और सरदार वल्लभभाई पटेल हैं जो उतने ही योग्य सलाहकार हैं। फिर, डा० असारी भी वहींपर हैं। गलत मत समझें। मैं इनको बहुत महत्त्व देता हूँ। लेकिन फिलहाल इस समय मैं मनुष्य नहीं रह गया हूँ। ऐसे राजनीतिक मामलोंके बारेमें मुझे अपने दिमागपर जोर डालनेकी जरूरतसे मुझे बचानेकी कृपा करें।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रानिकल, २२-११-१९३४

४३७ पत्र वल्लभभाई पटेलको

[२१ नवम्बर, १९३४ से पूर्व][3]

भाई वल्लभभाई,

मीराबहन बुधवारको वहाँ पहुँचेगी। उसका स्वागत करनेके लिए जो उचित हो करना। उसे रवाना तो उसी दिन कर देना। तुम आ सको तो साथ ही आ जाना। बोर्ड बनानेमें हमारी समस्या उलझ गई है। अध्यक्ष किसे बनाया जाये, यह बड़ा सवाल बन गया है। मेरा मन तो वर्धामें ही कार्यालय बनानेका करता है। यह प्रधान कार्यालयकी बात है। वैसे केन्द्र तो बहुत-से चाहिए। अलग अलग जिलोंके लिए और अलग-अलग प्रान्तोंके लिए, कदाचित अलग-अलग तहसीलोंके लिए भी। इसका दारमदार इस बातपर रहेगा कि काम किस तरह होता है। गुजरातके लिए

१ रिपोर्टपर दिनांक रेखा "मद्रास २१ नवम्बर" पड़ी हुई है।

२ रिपोर्टके अनुसार श्री सत्यमूर्तिने गांधीजीको तार देकर यह सुझाव दिया था कि विधान सभाके सदस्योंकी एक बैठक शीघ्र बुलाई जाये जिसमें संसदकी संयुक्त समितिकी रिपोर्टपर तत्काल कारवाई करनेकी योजना बनाई जाये। देखिए 'पत्र राजेन्द्रप्रसादको', १९-११-१९३४ भी।

३ साधन सूत्रमें २९ नवम्बर, १९३४ तारीख दी हुई है, जबकि मीराबहन बम्बई २१ नवम्बर, १९३४ को पहुँची थीं।

यह बात इसपर निर्भर करेगी कि तुम इसे कहातक आत्मसात कर सकते हो। परन्तु यह तो मिलेगे तब।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४२

४३८ पत्र अमृत कौरको

२१ नवम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

मुझे आपका अत्यन्त स्पष्ट और यथातथ्य पत्र मिला। मुझे जानकर दुख हुआ कि आपका स्वास्थ्य कमजोर है। मै ऐसे लोगोका एक दल चाहता हूँ जो अपने-आपको और अपने समयको पूरी तरह काममे लगा दे, जो बाहर निकले और गावोमे जाये, ओर जैसा हम आज करते है, उसके विपरीत अपनी आवश्यकताओको गावोके जरिये ही पूरा करनेका उत्तरोत्तर प्रयत्न करे। मै देखता हूँ कि मुझे आपसे इन चीजोकी अपेक्षा नही करनी चाहिए, और इसलिए मुझे आपके निकट सम्पर्कका सौभाग्य नही मिल सकेगा। तथापि, मै आपके इस प्रस्तावका लाभ उठाऊँगा कि पजाबमे जो आप कर सकती है, करेगी। 'हरिजन' के पृष्ठोमे जो कुछ लिखा जाता है क्या आप उसे बराबर देखती है? अगर नही, तो मुझे लिखे। मै इन्तजाम कर दूगा और आपको प्रतिया मिलने लगेगी।

मुझे भय है कि आपके सम्मेलनके[1] समय मै कराचीमे नही होऊँगा। तथापि, मै आशा करूँगा कि लन्दनसे इतनी दूर यहा आनेके बाद डॉ० माड रायडेन मुझसे मिले बिना वापस नही जायेगी। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप भी उनके साथ आ सके तो अच्छा हो।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१४) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० ६३२३ से भी।

१ अखिल भारतीय महिला सम्मेलन।

४३९ पत्र जी० नरसिहाचारीको

२१ नवम्बर, १९३४

प्रिय नरसिहाचारी,

आपका पत्र मिला। विद्यार्थी लोग पडोसके गावोमे जाकर उन गावोके उद्योगोका अध्ययन करे, अपने हाथो सफाई काय करे, ऐसे उद्योगोकी स्थापना करे जिहे वे स्वय चला सकते हो, और शहरोमे बनी चीजोके स्थानपर गावोमे निर्मित चीजोका उपयोग करे और इस तरह हमारी मदद करे।

काग्रेसमे भ्रष्टाचार होनेके बारेमे मै कल्पना भी नही कर सकता और यदि कभी ऐसा हुआ भी तो मै नही समझता कि म उसका निराकरण कर सकूगा।

टाइपके लिए नार्वेके कागजका उपयोग किये जानेके बारेमे आपने जो कहा है उसके लिए मेरा इतना ही कहना है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई उपाय नही हे। किसी चीजकी अनेक प्रतिया निकालनी हो तो उसके लिए उपयुक्त स्वदेशी कागज हम तैयार नही कर सके है। इसलिए जहातक टाइपका सवाल है मै नि सकोच भावसे उसी कागजका उपयोग करता हूँ जिसे सामान्यतया उपयोगमे लाया जाता है। लिखनेके लिए ओर अय बातोके लिए केवल स्वदेशी कागजका ही उपयोग किया जाता है और अब मै हाथका बना कागज प्राप्त करनेकी व्यवस्था कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजय प्यारेलाल

४४०. पत्र जी० मुकर्जीको

२१ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

समाचारपत्रोमे समय समयपर जो-कुछ प्रकाशित होता रहता है, आपको उसका अनुकरण करना चाहिए और उसके अनुरूप काय करना चाहिए। मै आपको यहा आनेके लिए, कमसे-कम अभी कुछ समयके लिए, नही कहूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री जी० मुकर्जी, एम० एस-सी०
बॉसबेरिया पोस्ट आफिस
हुगली जिला

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४४१ पत्र विनोद पालको

२१ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

ग्राम कायकर्त्ताओका काम यह होगा कि वे जिन गावोमे जायेगे, उन गॉवोके उद्योगोका अध्ययन करेगे और ऐसे उद्योगोके पुनरुद्धार कायमे गाव वालाकी मदद करेगे जिनके द्वारा वे अपने खाली समयका सदुपयोग कर सकेगे और एवजमे उन्हे कुछ पैसा भी मिलेगा। बेशक, जो लोग थोडे समयके लिए काम करना चाहेगे, उन्हे भी काम करनेका अवसर दिया जायेगा और जो लोग काय करके अपना योगदान नही दे सकते वे इसमे, जितना उनसे बन पडेगा, उतना वन देगे।

हृदयसे आपका,

श्री विनोद पाल
१५, ब्रजनाथ मित्र लेन
कलकत्ता

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सोजन्य प्यारेलाल

४४२ पत्र सतीश मित्तरको

२१ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके स्नेहपूण पत्र और आपकी पुस्तककी प्रतिके लिए धयवाद। मै जानता हूँ कि मै यह पुस्तक अत्यत दिलचस्पीके साथ पढूँगा और यह मेरे लिए उपयोगी होगी। यदि आपकी पुस्तकके परिशिष्टमे कुछ नई चीजे है तो आप कृपया उसे मेरे पास भेज दे। मै देखता हूँ कि आप बगालकी अत्यत महत्त्वपूण शखकी चूडियोका उल्लेख करना भूल गये है।

हृदयसे आपका,

श्री सतीश मित्तर
२, लाउडन स्ट्रीट
कलकत्ता

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४४३ पत्र नारणदास गांधीको

२१ नवम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

आशा है, तुम गोशाला देखकर वापस आ चुके होगे। हरिलालके लिए पत्र इसीके साथ है।[1] पढकर उसे दे देना। यदि पाठशालामे एक कोठरी दे सको तो उसे दे देना। उसके खचके योग्य उसे देते रहना। फिलहाल हम पचास रुपये महीनेसे अधिक न दे। धीरे धीरे हम इससे भी कमकी आदत डलवाना चाहेगे। उसे इसमे से कज चुकानेके लिए बचाना जरूरी नही है। यदि वह दढ हो जाये और उसपर विश्वास किया जा सके, तो सोच समझकर उसका कज चुकाना। किन्तु अभी इसमे देरी है। उसकी आखो और दातोके बारेमे मे क्या किया?

[2] बिलकुल कडवा बादाम निकल गई। बम्बईमे चाहे जिससे भीख मागती फिर रही थी। सेविका बनी बैठी थी। मुझे उसके तौर तरीके बिलकुल पसन्द नही आये। ने[3] भी ऐसा ही किया। सेविका कहलाना उसका आडम्बर भर था। की[4] बडी बडी महत्त्वाकाक्षाएँ है, किन्तु वह बहुत अस्थिर है और मनमे अभिमान भी काफी रखती है। वचनका पालन करने योग्य शक्ति कम है। कल्पनाएँ बडी बडी करती रहती है। फिलहाल एकाध महीने यहा रहनेका आग्रह कर रही थी। मैने साफ इनकार कर दिया है। यहासे अधिकसे-अधिक ७ ता०को रवाना होकर वह बम्बई चली जायेगी। मै इस महीने-भर तो यही हूँ। बादमे क्या होता है, कौन जाने।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४२४ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी

१ उपलब्ध नहीं है।

२, ३ तथा ४ साधन सूत्रमें नाम छोड़ दिये गये है।

४४४ पत्र आसफ अलीको

[२२ नवम्बर, १९३४ से पूव][१]

प्रिय आसफ अली,

ईश्वर महान है। इन सब विजयोके पीछे मै ईश्वरके हाथके सिवा कुछ नही देख सकता।[२] ईश्वर करे, हम इन विजयोके योग्य बने। मेरी हार्दिक कामना है कि तुम्हारी सफलताके फलस्वरूप हिन्दू और मुसलमान, इन दो भाइयोके बीच हार्दिक एकता कायम होगी।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
हिदुस्तान टाइम्स, २३ ११-१९३४

४४५ पत्र एम० वी० अभ्यकरको

[२२ नवम्बर, १९३४ से पूव]

प्रिय अभ्यकर,

तुम्हारा मूल्यवान तार मिला। काग्रेस मरी नही है। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है।[३] तुम्हे अपने-आपको चुस्त हालतमे रखना चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
हितवाद, २२ ११ १९३४

१ यह पत्र दिल्लीमें बृहस्पतिवार अर्थात् २२ नवम्बर १९३४ को अखबारोमें प्रकाशनाथ दिया गया था।

२ आसफ अली काग्रेसके टिकटपर दिल्ली सयुक्त निर्वाचन क्षेत्रसे विधान-सभाके लिए निर्वाचित हुए थे।

३ श्री अभ्यकर विधान सभाके लिए निर्वाचित हो गये थे।

४४६ पत्र जवाहरलाल नेहरूको

२२ नवम्बर, १९३४

प्रिय जवाहरलाल,

कुछ दिन हुए मैने तुम्हे पत्र भेजा था, जिसमे केवल तुम्हारे स्वास्थ्यके समाचार पूछे थे। माताजी कल यहा आई थी। कहती थी कि तुम्हे कमलाके लिफाफेमे भेजे हुए पत्रोके सिवा और पत्र नही मिलते। मै जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पत्र व्यवहारके लिए क्या नियम है? लिखो, तुम्हारे क्या हालचाल है और तुम अपना समय किस तरह बिता रहे हो।

सप्रेम,

बापू

[अग्रेजीसे[

गाधी-नेहरू पेपस, १९३४, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय। **ए बच आफ ओल्ड लेटस,** प० ११९ से भी।

४४७ पत्र बी० शिवरावको

२२ नवम्बर, १९३४

प्रिय शिवराव,

आपका पत्र और 'मद्रास मेल' की एक प्रति मिले। 'मद्रास मेल' पत्र मै पढनेके बाद आपको वापस भेज दूगा।

मेरा खयाल है कि आपको एसोसिएशनके काय क्षेत्र ओर उसके उद्देश्यको प्राप्त करनेका तरीका मालूम है। क्या आप केन्द्रीय बोडमे काम करना चाहेगे? यदि हाँ तो क्या आपको उसके उद्देश्यमे, यथा हमे दैनिक उपयोगकी सभी वस्तुओकी तलाशमे गावोमे जाना होगा और ऐसा प्रबन्ध करना होगा, जिससे गावोके लोगोको इनके लिए शहरोका मह न ताकना पडे, जीवन्त विश्वास है? कहनेका अभिप्राय यह है कि क्या आप जहातक बन पडे वहातक शहरके कारखानो और मिलोको खत्म करनेकी आवश्यकताको स्वीकार करते है, उन कारखानो और मिलोको जो आज तेजीके साथ ग्रामोद्योगका स्थान लेते जा रहे है और गाववालोकी दैनिक आवश्यकताओकी पूर्ति कर रहे है और इस तरह भारतकी ९० प्रतिशत जनताको केवल खेती करनेके लिए बाध्य कर रहे है। क्या आप इस ध्येयकी प्राप्तिमे अपना जीवन समर्पित करना

ओर अपना अधिकाश समय केन्द्रीय बोडको देना चाहेगे? यदि आप तयार है तो मै चाहूँगा कि आप बोडमे काम करे। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह हे कि बोडके आकारको जितना कम किया जा सके, उतना कम किया जाये जिससे कि इसमे सुचारु रूपसे काम हो सके, और इसमे केवल उन्ही लोगोको लिया जाये जो इसे सारा समय दे सकते हो। क्या आप इस पत्रके उत्तरमे तार देगे?

श्री बी० शिवराव
मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४४८ पत्र अगाथा हैरिसनको

२२ नवम्बर, १९३४

प्रिय अगाथा,

नन्ही मेहरताजको ब्रिंडीसी भेजनेमे अपनी सारी शक्ति लगा देना तुम्हारे स्वभावके अनुकूल ही था।[१] भारत और ब्रिटेनके बीच परस्पर समझदारीकी दिशामे यह एक सुन्दर योगदान था। दोनो खान-बन्धु बिरले ढगके इसान है। उनसे हर बार मिलकर उनके लिए मेरा प्रेम बढता ही जाता है और तुमने उनके लिए यह जो एक छोटा किन्तु फिर भी एक महान काम किया है, वह तुमने सारे भारतके लिए किया है। यह मामूली-सी सेवा स्वय ही अपना पुरस्कार भी है। धन्यवाद या अन्य कोई बाह्याभिव्यक्ति उसका स्थान नही ले सकती। मीरा भली भाति काम कर रही है और उनकी आश्रिता भी।

दिल्लीसे प्रारम्भिक प्राप्ति-सूचना आ गई है।[२] यदि कोई और प्रगति हुई तो मै तारसे सूचित करूँगा।

सयुक्त समितिकी रिपोटके बारेमे तुमने मेरी राय पढी होगी।[३] जो आदमी काग्रेससे अवकाश ग्रहण कर चुका है, उसे जनताके सामने कोई राय रखनेका अधिकार नही है। तुम्हे मेरी निजी राय जाननेकी कोई जरूरत नही है।

१ पत्रके ऊपर अगाथा हैरिसनने लिखा था सीमान्त गाधीकी पुत्री मेहरताज अपनी मौसीके साथ लन्दनमे थी। वह ब्रिंडीसीसे मीराबहनके साथ यात्रा करनेवाली थी। जहाजसे रवाना होनेसे कुछ पहले ही मेहरताजका पासपोर्ट खो गया। मैं इडिया हाउस गई और दूसरा पासपोर्ट प्राप्त करनेके लिए उनसे शीघ्र मदद करनेको कहा।" (जी० एन० १४८१)

२ देखिए 'पत्र वाइसरायके निजी सचिवको" १५ ११ १९३४।

३ देखिए "भेंट एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको", २२ ११ १९३४।

मैं अमृत कौरके निकट आ रहा हूँ।
सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० १४८१) से।

४४९ पत्र एस० राधाकृष्णन्को

२२ नवम्बर, १९३४

प्रिय सर राधाकृष्णन,

आपके पत्र और इलाहाबाद विश्वविद्यालयके दीक्षान्त समारोहमें दिये गये आपके भाषणकी प्रतिके लिए आपका धन्यवाद। अपने दीक्षान्त भाषणमें आपने मेरी जो चर्चा की है, उसके बारेमें मैंने समाचारपत्रोंमें पढ़ा है।

मुझे आपका पिछला पत्र और 'कॉन्टैम्पररी ब्रिटिश फिलासफी' की एक प्रति भी मिले। मेरा खयाल था कि मैं आपको पत्रके उत्तरमें कुछ भेज सकूँगा और आपकी पुस्तक भी लौटा सकूँगा। लेकिन मुझे एक मिनटके लिए भी फुर्सत नहीं मिली। सौभाग्यसे आपने मुझे काफी समय दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं उस तारीखतक आपको अवश्य कुछ भेज सकूँगा।

प्रोफेसर सर एस० राधाकृष्णन
आन्ध्र यूनिवर्सिटी
वाल्टेयर

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

४५० पत्र सादुल्ला खानको

२२ नवम्बर, १९३४

प्रिय सादुल्ला खान,

आपका पत्र मिला। आपका गुड़ प्राप्त करने और उसे चखनेकी बड़ी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

डॉ० खान साहबके चुनावके सिलसिलेमें तो आप सबने कमाल कर दिखाया है।

श्री सादुल्ला खान
डॉ० खान साहब चुनाव बोर्ड कार्यालय
किस्साकहानी बाजार, पेशावर शहर

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

४५१ भेंट एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको

२२ नवम्बर, १९३४

मैंने सयुक्त ससदीय समितिकी रिपोट[1] नही पढी है। आशा है कि म जल्दी ही उसे पढ सकूगा, लेकिन मै सावजनिक रूपसे उसके बारेमे कोई विचार व्यक्त करनेका इरादा नही करता।

काग्रेससे अवकाश ग्रहण कर लेनेके बाद मेरे लिए इस समय उसके बारेमे कोई राय जाहिर करना शोभनीय नही होगा। श्वेत पत्रके बारेमे मेरी राय सवज्ञात है और उस रायको बदलनेकी मुझे जरूरत नही लगी है। इससे अधिक मै कुछ नही कह सकता।

[अग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २३ ११ १९३४

४५२ प्रसव-पीडा

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघके पैदा होनेमे बहुत समय लग रहा है। मै जनताको केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जे० सी० कुमारप्पा और मेरे पास जितना कुछ समय है वह सब हम इस काममे लगा रहे है। हमारे सम्मुख तीन प्रश्न है केन्द्रीय कार्यालय कहा स्थापित हो, केन्द्रीय बोडका गठन, और एजेसियोका गठन।

हालाकि ये तीनो समस्याएँ उलझानेवाली है, लेकिन बोडके गठनका प्रश्न सबसे ज्यादा परेशान करनेवाला है। काय बहुत बडा है। उद्देश्य महान है। आजकल केन्द्रीकरण और अत्यन्त विकसित ढगका मशीनीकरण करनेकी जो हवा चल रही है उसके सम्मुख गावोके पुनरुद्धारका काम कोई आसान काम नही है। इसलिए हम इस निश्चयपर पहुँचे है कि बोडमे केवल कुछ थोडे-से ऐसे उत्साही व्यक्ति होने चाहिए जिन्हे सघके कायक्रममे जीवन्त विश्वास हो, जिनकी इस कायमे रुचि हो, और जो बोडको यदि अपना सारा समय नही तो अधिकाश समय देगे। हम ऐसे लोगोको खोजनेका प्रयत्न कर रहे है जो इस भारको वहन करनेको तैयार हो, फिर चाहे वे किसी भी दलके क्यो न हो।

जहातक शाखाओका सवाल है हम अस्थायी रूपसे इस निणयपर पहुँचे है कि जिलोको इकाई माना जाये, जो सीधे केन्द्रीय बोडके प्रति उत्तरदायी होगे। और

१ सयुक्त ससदीय समितिकी रिपोट २२ नवम्बर १९३४को अखबारोमें प्रकाशनाथ जारी की गई थी।

चूकि सरकारी जिले क्षेत्रफल अथवा आबादीके लिहाजसे एक समान नही है इसलिए हम जहा आवश्यक होगा वहा उनका उप-विभाजन करनेमे सकोच नही करेगे। इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य तो विकेन्द्रीकरण करना ओर गाववालोके साथ जीवन्त सम्पक स्थापित करना है। जहा रियासते हमे इजाजत देगी वहा हमारा उनके साथ सीधा सम्बन्ध होगा। हम भौगोलिक भारतके सभी गावोकी सेवा करना चाहते है।

केन्द्रीय कार्यालयकी स्थापना कहा की जाये, इस प्रश्नको लेकर भी कठिनाई है। यदि सम्भव हो तो हम केन्द्रीय कार्यालयकी स्थापना प्रसन्नतापूवक किसी गावमे करना चाहेगे। लेकिन दो विचारोने हमारे चुनावको सीमित कर दिया है। हमे जो स्वल्प धन राशि प्राप्त हुई हे अथवा जिसे देनेका हमे वचन दिया गया है, उसे हम जमीन, इट और गारेमे नही लगाना चाहते। इसलिए हमे अपनी पसन्द केवल उन्ही क्षेत्रोतक सीमित रखनी होगी जहाँ मागने भरसे हमे हमारी जरूरतकी जगह मिल जाये। दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय कार्यालय रेलवेकी मुख्य लाइनके निकट होना चाहिए ताकि वह भारतके सब भागोके लोगोकी पहुँचमे हो। लेकिन मुझे घटनाओकी पहलेसे ही कल्पना नही करनी चाहिए। मैंने जनताको इस विषयपर बहुत कुछ बता दिया है। जो लोग चाहे, हमे सलाह देकर हमारा मागदशन करे। हम उन सभी लोगोसे हमारे लिए ईश्वरसे प्राथना करनेका अनुरोध करते है जिन्हे हमारे इस कठिन अनुष्ठानसे सहानुभूति है।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २३ ११ १९३४

४५३ गुण्टूरमे ग्रामोद्योग

विनय आश्रम, रेपल्ले जिला गुण्टूर, आन्ध्रदेश, के श्रीयुत सीताराम शास्त्रीने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघके लिए अपने आश्रमकी समस्त सेवाएँ अर्पित करनेका प्रस्ताव किया है और लिखा है

> **निम्नलिखित धन्धे मेरे ध्यानमे आये ह और इनकी म आपसे सिफारिश करता हूँ। (१) जूता बनाना, (२) कच्ची रुईकी पिजाई, (३) पनई ताडके रससे गुड बनाना, (४) उन्नत ढगके मिटटीके बतन बनाना, (५) हाथसे कागज बनाना, (६) पत्थर तराशना, (७) हाथसे मूगफलीके दाने निकालना, (८) सन्तरेके छिलकेसे तेल निकालना और उसकी अन्य चीजे तयार करना, (९) पखिया पनई ताडके फलका सरक्षण।**
>
> **इनमे से दूसरे धन्धेसे खादी उद्योगको मदद मिलेगी, तीसरे धन्धेसे नशाखोरीकी समस्याको हल करनेमें मदद मिलेगी। इस जिलेमे पनई ताड बहुत बडी सख्यामें उगाये जाते है और इनके पके हुए फलोका विश्लेषण करके पता चलाया गया है कि उसमें बहुमूल्य खाद्य-तत्त्व होते ह। सन्तरे भी इस जिलेमें**

बडे पमानेपर उगाये जाते ह और सस्ते ह। सतरेका छिलका बेकार समझ कर फेक दिया जाता है, लेकिन वह वास्तवमे व्यावसायिक दष्टिसे उपयोगी है। इसमे जलनेवाला एक प्रकारका तेल होता है और यह सतरेके छिलकेके रूपमें भी बाजारमे बिकता है। इस जिलेमें कोडावीडु नामका एक गाव हे जो बहुत समयसे हाथ-बने कागजके लिए प्रसिद्ध है। जिला काग्रेस कमेटीने इस उद्योगको १९२१मे पुनरुज्जीवित करनेकी कोशिश की थी, किन्तु कारीगरोकी उदासीनताके कारण यह प्रयत्न छोड दिया गया। पालनाडमे एक विशिष्ट प्रकारका पत्थर मिलता है जिसे स्थानीय तौरपर ही तराशा जाता है और पपर वेट बनाने, फर्शपर और दीवारोमे लगाने तथा मेजका फलक बनानेके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे साधारणत पालनाड स्फटिक कहा जाता है। हाथसे निकाले हुए मूगफलीके दाने दक्षिण भारतमे बिकते ह और मशीनसे निकाले गये दानोकी अपेक्षा सस्ते पडते ह। जिलेके कई भागोमे मूगफलीकी फसल लगाई जाती है। श्री टी० रामस्वामी गुप्ता बजवाडाके एक वकील ह जिन्होने आध्यात्मिक साधनाके लिए अपनी वकालत छोड दी है। मिटटीके बतनोकी किस्मको उन्नत बनानेमें उनका मुख्य हाथ रहा है, और उनके निर्देशनमें बनाये जानेवाले मिटटीके बतन गाँवके कुम्हार द्वारा बनाये जानेवाले बतनोसे कहीं श्रेष्ठ होते ह।

यह प्रस्ताव कोई अकेला या अपने ढगका पहला प्रस्ताव नही है। मेरे लिए यह अत्यन्त हषकी बात है कि भारतके लगभग सभी भागोसे मुझे ऐसे ही बहुत-से प्रस्ताव प्राप्त हुए है। यह प्रस्ताव सबसे ताजा है और इसमे ऐसी बहुत से जानकारी दी गई है जो अन्य कायकर्त्ता मूल्यवान मानेगे। मै उन सब कायकर्त्ताओसे जो अपनी सेवाएँ अर्पित करना चाहते है कहूँगा कि वे निर्देशोकी प्रतीक्षा किये बिना काम शुरू कर दे। ग्रामोद्योग-योजनाके पीछे जो विचार है, वह यह कि हमे अपनी दैनिक आवश्यकताओकी पूर्तिकी अपेक्षा गावोसे करनी चाहिए और जब हम देखे कि हमारी कुछ आवश्यकताओकी पूर्ति नही हो रही है तो कोशिश करके देखे कि क्या थोडी मेहनत और सगठनके जरिये गाववाले हमारी उन आवश्यकताओकी पूर्ति कर सकते है या नही। मुनाफेका अनुमान लगाते समय हमे अपना नही, गाववालोका ध्यान रखना चाहिए। सम्भव है कि आरम्भिक अवस्थामे हमे सामान्यसे कुछ अधिक मूल्य चुकाना पडे और बदलेमे घटिया किस्मका माल ही हमे मिले। यदि हम अपनी आवश्यकताओकी वस्तुएँ तैयार करनेवाले गाववालोमे दिलचस्पी लेगे और इसपर आग्रह करेगे कि व अपने उत्पादनमे सुधार करे, और बेहतर चीजे तैयार करनेमे हम उनकी मदद करनेकी तकलीफ गवारा करेगे तो सब चीजे सुधर जायेगी।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २३ ११ १९३४

४५४ पत्र एम० विश्वेश्वरैयाको[1]

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके तत्परतापूवक दिये गये उत्तरके लिए धन्यवाद। मै देखता हूँ कि शायद हम लोगोके विचार एक दूसरेसे बिलकुल भिन्न ह। ग्राम्य-जीवनके व्यापक अनुभवपर आधारित मेरा यह दृढ विश्वास हे कि कमसे-कम अगली कई पीढियोतक हम जनताकी बढती हुई गरीबीकी समस्याको हल करनेके लिए यन्त्र शक्तिका बहुत उपयोग नही कर सकेगे। हमारी जन सख्या बहुत ज्यादा है और हमारे पास अवकाशका समय भी बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थितिमे मानवशक्तिको व्यथ गँवाते हुए यन्त्र शक्तिका उपयोग करना हमारे लिए आत्म घातक सिद्ध होगा। मेहनतके बाद अवकाशका प्रश्न तब पैदा होता है जब लोग अपने व्यथ समयका प्रभावकारी ढगसे उपयोग करनेकी कला सीख लेते है। मेरा चूकि यह दष्टिकोण है अत स्टालिनके जो उद्धरण आपने मुझे भेजे है, उनमे मेरी कोई दिलचस्पी नही है। लेनिनका तत्सम्बन्धी ज्यादा अथपूण उद्धरण तो मेरी दृष्टिमे और भी व्यथ है। इसमे आडम्बर बहुत और तत्त्व बहुत थोडा है। मै किसी भी ऐसी योजनाका समथन नही कर सकता जिसमे गाववालोको सेनाके लिए मशीने और अन्य सैन्य-सामग्रिया तैयार करनेके काममे लगानेकी बात हो। यदि भारतकी इच्छा ससारके उन क्षेत्रोका रक्तरजित शोषण करनेकी नही है जहा यत्रीकरण नही हुआ है, तो वैसी दशामे भारतको अन्य देशोके आक्रमणका भय करनेकी जरूरत भी नही है। सम्भव है कि मेरा सपना कभी साकार न हो और भारत इच्छा अथवा अनिच्छासे शोषणके पापमे भागीदार बन जाये। तथापि हिसाकी प्रबल धाराको आगे बढनेसे रोकनेके लिए मै अपनी वह तमाम शक्ति लगा दूगा जो मुझे ईश्वरने दी है। इस कोशिशमे यदि मै मर जाऊँ तो उसमे भी मुझे आनन्द होगा।

अपने इस दृढ विश्वास-बलके बावजूद मै आपकी उत्कृष्ट योग्यताओ और आपके देश प्रेमका बहुत आदर करता हूँ और चाहे मुझे आपका सहयोग प्राप्त करनेका सौभाग्य प्राप्त हो, अथवा मुझे आपके सच्चे विरोधका सामना करना पडे, मेरा यह आदर कभी कम नही होगा।

हृदयसे आपका,

मो० क० गाधी

सर एम० विश्वेश्वरैया, के० सी० आई० ई०
४६ एफ० वाडन रोड, बम्बई

अग्रेजीकी फोटो नकल (सी० डब्ल्यू० ९७२६) से, सौजन्य मैसूर सरकार

१ यह पत्र १९६९ ७० में नई दिल्लीमें आयोजित गाधी दशन प्रदर्शनीके मैसूर कक्षमें प्रदर्शित किया गया था।

४५५ पत्र अमृत कौरको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। समाज-सेवाका काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओंके प्रशिक्षण-सम्बन्धी आपके प्रस्तावका मसौदा मैंने पढ लिया है। आपने जिस प्रकारके केन्द्रोंकी कल्पना की है वैसे केन्द्र मेरे विचारसे जिला बोर्ड बिना सरकारकी अनुमतिके नहीं खोल सकते। लेकिन यह एक कानूनी मुद्दा है और मैं इसके बारेमें विश्वासके साथ कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो आपकी योजनाके बारेमें एक ज्यादा गहरी आपत्ति है। भारतमें जिला बोर्डोंका गठन कुछ इस प्रकारका है कि उन्हें ऐसी स्थायी महत्त्वकी चीजोंमें कोई दिलचस्पी नहीं है जिनका आपने प्रस्ताव किया है। आपके ध्यानमें जो काम है, वह रास्ता तैयार करनेका काम है। यह काम मूलतः सुधारकोंके लिए है। इसलिए इसे गैर सरकारी संगठनोंको ही हाथमें लेना होगा। और जब वे इन प्रशिक्षण केन्द्रोंको सफलतापूर्वक चलाकर दिखा देंगे तब जिला-बोर्डों आदि सरकारी संगठनोंके लिए इसे हाथमें ले लेना सरल होगा। अगर मैं आपका उद्देश्य सही समझा हूँ तो आप चाहती हैं कि गांवोंको नवशक्ति प्रदान की जाये। सामान्य प्रवृत्ति इससे ठीक उल्टी है। इसलिए आप और मैं जिस ढंगसे चाहते हैं उस ढंगसे न तो जिला-बोर्ड और न सरकार ही इस चीजको चलायेंगे। अच्छा हो कि हम लोग शीघ्र मिल सकें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१५) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० ६३२४ से भी।

४५६ पत्र सी० एस० मसेकरको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मसेकर,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। ग्रामोद्योगका काय केवल दलित वर्गोके उद्योगोको बढावा देना नही होगा बल्कि उसका काय गावोके सभी उद्योगोको बढावा देना होगा। स्वाभाविक है, कि इस योजनामे दलित वर्गोको सबसे ज्यादा प्रश्रय दिया जायेगा, लेकिन यह उन गाववालोको दिया जायेगा जिनका शहरके लोगो द्वारा शोषण किया गया है। योजना अभी तैयार की जा रही है। यदि आप कोई राय देना चाहे तो मै उसका स्वागत करूँगा। लेकिन इसमे कोई भी व्यक्ति किसी राजनैतिक आन्दोलनसे सम्बन्धित अथवा उससे वचनबद्ध नही होगा। विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओसे प्रभावित लोगोका इसमे सहायको अथवा परामशदाताओ अथवा सहयोगियोके रूपमे स्वागत किया जायेगा, बशर्ते कि वे इस योजनाका जो मुख्य उद्देश्य है उसके अनुरूप काय करनेको तैयार हो। इस योजनाका मुख्य उद्देश्य अपने कार्यो द्वारा ग्रामोद्योगोको प्रोत्साहन देना और भारत तथा भारतसे बाहर मशीनी उद्योगोके विरुद्ध प्रचार करना है।

आशा है कि इसमे आपके सभी प्रश्नोके उत्तर आ जाते है।

हृदयसे आपका,

श्री सी० एस० मसेकर
अवैतनिक मन्त्री
गुजरात दलित वग सघ
३१, लेमिग्टन रोड, बम्बई–७

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४५७. पत्र दुर्गाबाई जोशीको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय दुर्गाबाई,

मैं देखता हूँ कि मैं बहुत बडी गलती कर बठा हूँ। मुझे सीधे आपको पत्र लिखना चाहिए था। तब कोई गलतफहमी पैदा न होती। लेकिन चूकि मुझे जमनालालजीके साथ आपके घनिष्ठ सम्बन्ध होनेकी बात मालूम थी और चूकि मैं बहुत ज्यादा कामके बोझसे लदा हुआ था और अभी भी हूँ इसलिए मैंने सोचा कि राधाकिशनको आपको पत्र लिखनेके लिए कहनेमे कोई हज नही हे, और वह भी औपचारिक रूपसे नही बल्कि एक सहयोगी कायकर्त्ताके रूपमे। लेकिन इस मामलेमे उचित काय पद्धति न अपनानेके लिए मै क्षमाप्रार्थी हूँ। इससे पता चलता है कि जिसे हम छोटा रास्ता समझते हैं वह अन्तत सबसे लम्बा रास्ता सिद्ध होता है। अब आप मुझे क्षमा करे। सफाईमे आपने जो कुछ कहा वह मैं समझता हूँ और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी होती है कि जिस नौजवानके एक साल व्यथ जानेकी बात कही गई थी उसे अन्तत एक साल नही खोना पडा। सौभाग्यसे जिस समय मैंने राधाकिशनको आपको लिखनेके लिए कहा, उसी समय मैंने विले पार्लेके स्थानीय सघके मन्त्रीसे भी पूछताछ की। मन्त्रीने उस नौजवानसे भेट की और उन्हे पता चला कि खुशकिस्मतीसे उसका साल बरबाद होनेसे बच गया हे। खर, अन्त भला तो सब भला। इसलिए मै चाहूँगा कि आप अपने हृदयसे मेरी अशिष्टताको भुला दे।

हृदयसे आपका,

श्रीमती दुर्गाबाई जोशी
बरार प्रान्तीय हरिजन सेवक सघ
अकोला (बरार)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४५८ पत्र डॉ० एम० एस० केलकरको

२३ नवम्बर, १९३४

आपका पत्र मिला। यदि आपको दूध ओर अण्डेके बीच क्या फक हे, यह बात मालूम है तो मै चाहूँगा कि आप वह मुझे बताये। जब आप किसीको अण्डा खिलाते है तो किस तरहसे खिलाते है? अगर मै भूल नही कर रहा हूँ तो मनुके मामलेमे आप कच्चे अण्डोमे पानी मिलाकर देते थे। शरीरपर अण्डोका क्या असर होता है? क्या वे बहुत गम होते है? और वे कितनी मात्रामे लेने चाहिए?

मुझे भय है कि हरिजन सेवक-सघ आपको ५०० रुपये दानमे नही देगा।

सातवलेकरके बारेमे जो अनुच्छेद है उसमे कोई वजन नही है। उनके पास आपका अहित करनेका कोई कारण है?

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४५९ पत्र कोण्डा वेंकटपय्याको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय वेकटपय्या,

श्री जगैया द्वारा भेजे सतरे मिल गये है। सतरोके लिए कृपया उन्हे धन्यवाद कहना। वे जब भी अपने बागके सतरे भेजना चाहे उन्हे पाकर मुझे खुशी होगी। जैसाकि तुम जानते ही हो, हमारा परिवार बहुत बडा है, और जब कभी हमे फल मिलते है तब हम उनके साथ पूरा-पूरा न्याय करते है।

हा, विधान-मण्डलोके चुनाव तो निश्चय ही आश्चयमे डाल देनेवाले थे। दक्षिणमे [काग्रेसको] १०० प्रतिशत सफलता मिली है और उसका बहुमत रहा है, इस तरह दक्षिणका स्थान प्रथम रहा हे। साथ ही यह सत्य और बलिदानकी अचूक सफलताका परिचायक है।

आशा है, तुम और तुम्हारे परिवारके लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त है।

यह पत्र लिखाते समय मुझे पता चला है कि जिसे तुम सतरे कहते हो वे खट्टे नीबू है और ये मीठे सतरो-जैसे अच्छे नही होते।

तुम्हारा,
बापू

श्री कोण्डा वेकटपय्या
गुण्टूर (एम० एस० एम० रेलवे)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४६० पत्र जी० डी० कुलकर्णीको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। इसमे जो बाते कही गइ है वे एक दूसरेके विपरीत जान पडती है। सबसे पहले तो आप यह चाहते ह कि मै अपने आत्म निग्रहके कायक्रमको आगे बढाऊँ तथा दूसरी ओर आपकी यह इच्छा है कि मै इद्रियोका आनद लू। अबतक मुझे ऐसी कोई चीज नजर नही आई है जो मेरे इस विचारको बदल सके कि सन्तति नियमनके जो वतमान साधन है उससे अतत जनता अधोगतिको प्राप्त होगी और उसमे जडता आयेगी। यद्यपि मुझे उप्टन सिक्लेयर और उनके जीवन-दशनमे बहुत विश्वास है तथापि मुझे उनके निल्ज्ज भावसे सतति-नियमनके साधनोको प्रोत्साहन देनेकी बात बहुत भयानक लगती है।

हृदयसे आपका,

श्री जी० डी० कुलकर्णी
अवतनिक व्यवस्थापक
सतति नियमन लीग, पूना

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजय प्यारेलाल

४६१ पत्र ईस्टर्न स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेडको

२३ नवम्बर, १९३४

महोदय

अब मै आपको सूचित कर सकता हूँ कि मालगाडी द्वारा भेजे गये खजूरोके ४२ पासल कल हमे मिल गये।

हृदयसे आपका,

दि इस्टन स्टीम नेविगेशन क० लि०
२४, मगलौर स्ट्रीट
फोट बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४६२ पत्र एम० जी० दातारको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय दातारजी,

जमनालालजी उम्मीदसे पहले ही आ गये है। २६ नवम्बरसे पहली दिसम्बर तक उनके यहा असख्य मेहमान आनेवाले है, इसलिए वे चाहते है कि इन दिनो उन्हे कतई परेशान न किया जाये। उनकी यह भी इच्छा है कि मै इन दिनो किसीका अतिथ्य सत्कार अथवा किसीसे बातचीत न करूँ। इसलिए आप या तो २६ से पहले आये अथवा पहली दिसम्बरके बाद आये।

हृदयसे आपका,

एम० जी० दातार
तिलक विद्यालय, नागपुर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४६३ पत्र डी० एन० शर्माको

२३ नवम्बर १९३४

प्रिय शर्मा,

आपका पत्र मिला। यदि आप भगी-परिवारोकी कजदारीको दूर कर सके तो यह एक बहुत बडी बात होगी।

आपने एक भगी प्रतिवादीके मामलेमे मुझे जो निणय लिख भेजा है वह अत्यन्त दिलचस्प है।

हृदयसे आपका,

श्री डी० एन० शर्मा
मन्त्री, एच० एस० एस०
जोरहाट, असम

अग्रेजी प्रतिमे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४६४ पत्र सर रॉबर्ट मैकैरिसनको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मेजर जनरल,

आपके २० तारीखके पत्रके लिए आपका धन्यवाद। सघकी योजनाके पूरा होते ही आपको उसकी एक प्रति भेज दी जायेगी।

सघके सलाहकारके रूपमे अपने नामका उपयोग करने देनेके लिए मै आपका शक्रिया अदा करता हूँ।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४६५ पत्र पियरे सेरेसोलको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय सेरेसोल,

इसके साथ श्रीमती एमा हारकरका पत्र है। वह एक बडी उम्रकी विधवा महिला है। वह कुछ काम करना चाहती है। उनके पास अपने साधन ह। इसलिए वह अपना राह खच स्वय देगी। क्या आप उन्हे एक कायकर्त्ताके रूपमे ले सकते ह ? बेशक, जहातक मै उन्हे समझ सका हूँ वह मामूली मजदूरकी तरह कडा काम नही कर पायेगी।[1] लेकिन इसका निणय आप ही करेगे।

हृदयसे आपका,

सलग्न १

श्री पियरे सेरेसोल
पटना

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए 'पत्र एमा हारकरको', १९-११-१९३४।

४६६ पत्र एमा हारकरको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय वहन,

आपका पत्र मिला। म यह पत्र पियरे सेरेसोलको भेज रहा हूँ। मै आपका, वे जो उत्तर देगे, वह भेज दूगा। उनको लिखे अपने पत्रकी एक प्रति मै इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

सलग्न १

अग्रेजी प्रतिसे प्यारलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४६७ पत्र एक अग्रेजको

२३ नवम्बर १९३४

काग्रेससे मेरे अवकाश ग्रहणका आपने गलत अथ लगाया है। मैने जुगुप्साके कारण उसे नही छोडा हे। व्यक्तिके रूपमे काग्रेसी लोग अच्छे और बुरे दोना ह। लेकिन काग्रेस-सगठन बराबर अच्छा हे। ईश्वरके बन्दे अच्छे और बुरे दोनो ह। इसीलिए क्या ईश्वर कुछ कम अच्छा है? मै तो उसे और शक्ति देनेके लिए हटा हूँ। मै बेकारका एक बोझ बनकर रह गया था। इसके कारण कमसे-कम खचके साथ चुनावोमे जो चमत्कार हुआ है वह क्या आपने और कही देखा हे? नही, इस मामलेमे आपका पूवग्रह आपकी बुद्धिपर हावी हो गया है। याद रखिए कि राजेन्द्रप्रसाद, वल्लभभाई राजगोपालाचारी अन्सारी, महादेव और अन्य बहुत से लोग जिनपर मनुष्य जातिको गव हो सकता हे उसमे शरीक ह, उसीके है और उसके लिए जान न्योछावर कर देगे।

[अग्रेजीसे]

इसिडेन्टस आफ गाधीजीज लाइफ, पृ० ३२४५

१ देखिए पिछला शीषक।

४६८ पत्र बलीबहन एम० अडालजाको

२३ नवम्बर, १९३४

चि० बली[1],

बहुत दिनो बाद तेरा पत्र मिला। जिस समय हरिलाल मुश्किलसे ठिकाने आया जान पड रहा था उस समय मैने तुझे लिखना उचित नही समझा। मुझे लगा कि किसी भी वजहसे कटुता नही आनी चाहिए। इसमे तू यह कैसे मान बैठी है कि तू मेरी बेटी नही है। हरिलाल मेरा अपना लडका है, इसके बावजूद मैने वर्षोतक उसपर ध्यान नही दिया, क्या इस बातको तू भूल गई? लेकिन बहुत लोगोने तेरा दिल दुखाया है इसलिए किसीकी छोटी सी बातपर भी तेरे दु खी हो उठनेकी बातको मै अच्छी तरह समझ सकता हूँ। हरिलाल भले अलग रहकर अनुभव प्राप्त करे।

कमु[2] के बारेमे तो मै क्या कहूँ? वह तो बहुत दु खी हुई। तुम दोनोके नसीबमे सुख नही है। इसलिए दु खको सुख माननेकी कला तुम्हे सीखनी होगी। वह तो भगवत-स्मरणसे ही आती है।

मनु[3] के लिए तुम्हारे मनमे कोई सुझाव है? मुझे कोई उतावली नही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (सी० डब्ल्यू० १५३५) से, सौजन्य मनुबहन एस० मशरूवाला

४६९ पत्र क० मा० मुन्शीको

२३ नवम्बर, १९३४

भाईश्री मुशी,

दु ख नही मानना।

तुम विजयी होते तो तुम्हे मुबारकबाद देता। अब हार गये हो तो भी बधाई दे रहा हूँ। "भला हुआ जो जजाल छूट गया, सहज ही श्री गोपाल मिल गये।"

१ हरिलाल गाधीकी साली।

२ कुमीबहन तुलसीदास मनिआर बलीबहनकी बहन।

३ हरिलाल गाधीकी पुत्री, बादमें सुरेंद्र मशरूवालाकी पत्नी।

तुम जंजालसे मुक्त हो गये। अब निश्चित होकर शुद्ध कौडी कमाओ। स्वास्थ्य सुधारो। तुम ठीक अवसरपर बाहर आये, इसीमे तुम्हारी विजय निहित थी।[1]

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५६२) से, सौजन्य क० मा० मुशी

४७० पत्र लीलावती मुन्शीको

२३ नवम्बर, १९३४

चि० लीलावती,

खबरदार! परिश्रमका फल स्वय परिश्रम ही है। हार-जीत तो खेल है। और अनेक बार जो पराजित होता हे वह जीतता हे और जो विजयी होता है वह हार जाता हे। गोसीबहनको लिखना तो रह ही गया। अब लिखता हूँ।[2]

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५६२) से, सौजन्य क० मा० मुशी

४७१ पत्र गोसीबहन कैप्टेन[3] को

२४ नवम्बर, १९३४

लीलावती दो-तीन दिनके लिए यहा थी। उसने ग्राम-कार्यके बारेमे [मेरे साथ] बहुत विस्तारके साथ बातचीत की। वह इसमे गहरी दिलचस्पी लेती जान पडती है। उसने मेरे मनपर यह प्रभाव छोडा कि वह तुम्हारे और अन्य बहनोके साथ काम करना पसन्द करेगी। बहुत करके वह तुमसे बात करेगी और उन सब लोगोको इकट्ठा करनेकी कोशिश करेगी जो ग्राम-कार्यमे दिलचस्पी रखते हो। यदि ऐसा सम्भव हो तो मै चाहूँगा कि तुम सब बहने ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करनेकी कोशिश करो। तुम अच्छी तरहसे जानती हो कि यह कैसे किया जाना चाहिए।

१ क० मा० मुशीने चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया था, किन्तु के० एफ० नरीमनने आखिरी क्षण उनका नाम वापस ले लिया।

२ देखिए अगला शीर्षक।

३ दादाभाई नौरोजीकी पौत्री।

जमनालालजी मुझसे कह रहे थे कि पेरीन[1] सर्दी और जुकामसे पीडित थी। उसे अपने शरीरको आराम देना चाहिए ओर सर्दी जुकामसे छुटकारा पाना चाहिए, फिर भले ही इसके लिए उसे पचगनी क्यो न जाना पडे।

श्री गोसीबहन कैप्टेन
बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे, प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४७२ पत्र किर्लोस्कर-बन्धुओको

२४ नवम्बर, १९३४

महोदय,

आपने श्रीयुत कालेके साथ अपनी मशीन भेजनेकी पेशकश की थी। तब मैने आपको मशीन और श्रीयुत कालेको भेजनेसे मना किया था। लेकिन मेरे मित्रोने मुझपर इस बातके लिए दबाव डाला है कि मै श्रीयुत कालेकी निगरानीमे स्वय इस मशीनकी जाच करूँ। इसलिए यदि आपकी पेशकश अभी भी कायम है तो मै चाहूँगा कि आप जाचके लिए मुझे एक मशीन भेज दे। और यदि श्रीयुत कालेको गाँवके औजारोका इस्तेमाल करना नही आता तो मै चाहूँगा कि आप उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति भी भेजे जो इस काममे सिद्धहस्त हो। मै उसमे कुछ सुझाव भी देना चाहूगा। यदि आप मशीन और मशीन-चालक दोनो ही भेजनेको तैयार हो तो पहली दिसम्बरके बाद जितनी जल्दी भेज सके, भेज दे। २ दिसम्बर मेरे लिए सबसे अनुकूल रहेगा।

हृदयसे आपका,

सवश्री किर्लोस्कर-बन्धु
किर्लोस्करवाडी (सतारा जिला)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ गोसीबहनकी बहन।

४७३ पत्र देवदास गाधीको

२५ नवम्बर, १९३४

चि० देवदास,

तेरे पत्र दुलभ और मेरे तो लगभग न के बराबर है।

मालूम नही मलकानीके लेख मै कब पढ पाऊँगा। तुझे ऐसा काम मुझे नही सौपना चाहिए। काम करनेकी मेरी शक्ति कम हो गई है या फिर काम ही बढ गया है। चाहे जो हो, यह पत्र सवेरे २ १५ बजे उठकर लिख रहा हूँ। रोज इतने बजे उठता हूँ और काममे जुट जाता हूँ। सोता शायद नौ बजे हूँ।

मेरा वहाँ आनेका मन तो है, लेकिन उत्तमभाईके बारेमे क्या होता है, मेरा आना बहुत-कुछ इसपर निभर करता है। यहा अभी तो बहुत लोग इकटठे होगे। एसोसिएशनके सम्बन्धमे मेरा काम बहुत धीरे चल रहा है। वर्धाको केन्द्र बनवानेकी ९९ प्रतिशत सम्भावना है। वल्लभभाई आ रहे है, राजा भी आ रहे है। मामला उनके आनेके बाद तय होगा।

रामदासका स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधर रहा है। आशा है कि उसका स्वास्थ्य पूणतया सुधर जायेगा। बा उसके साथ है और उसके पास ही रहती है। वह जमनालालजीके बॅगलेपर रहता है। कहनेको इलाज मै करता लेकिन वस्तुत इलाज रामदास ही करता है। उसने अण्डा लेना शुरू किया है। वे निर्जीव होते है अर्थात ऐसे होते है जिनसे बच्चे कभी नही हो सकते।

हरिलालके पत्र आते रहते है। इस समय तो उसका खच मै देता हूँ। वह तो बहुत उम्मीद बँधाता है और मै आशा रखता हूँ। कान्ति तुझे पत्र लिखता होगा। तुझे हरिलाल और रामदासको [लिखना चाहिए] ।[1]

गुजराती प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

१ पत्र अधूरा है।

४७४ पत्र तुलसी मेहरको

२५ नवम्बर, १९३४

चि० तुलसी मेहर,

तुमारे दोनो खत बा के लिये और मेरे लिये मिले है। इस बार भी बहूत देर हुई ? प्रतिमास तो लिखा करो। नैपाली कागदका दाम क्या है ? हम सब अच्छे हैं। हरिजन बद मिलता है ?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० ६५४६) से।

४७५ वक्तव्य समाचारपत्रोको[1]

२६ नवम्बर १९३४

हरिजन प्रवासमे मुझे मालूम हुआ कि इर्विन-गाधी-समझौतेके अनुसार नमक-सम्बन्धी जो रियायते दी गई थी उनसे लोग काफी मात्रामे लाभ नही उठाते। मैंने देखा कि नमककी कमीके कारण गरीब लोग कितना कष्ट सहन करते हैं यद्यपि समुद्रके किनारे कितना ही नमक उनकी आखोके आगे पडा रहता है। मगलौरमे मल्लाहोने इस बातकी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद गत माचमे मैंने सरकारसे पत्र-व्यवहार किया। तत्कालीन वित्त सदस्य सर जाज शुस्टरने तुरत ही मेरे प्रश्नोका उत्तर दिया और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि नमक सम्बन्धी वह धारा अभी रद नही हुई। अपने और सर जाज शुस्टरके बीचके पत्र व्यवहारको मुझे बहुत पहले ही प्रकाशित कर देना था परन्तु अब मुझे देरीका कारण बतलानेकी आवश्यकता नही। अब मै समझौतेकी उक्त धारा, उसके आधारपर सरकार द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति[2], उसकी शर्ते तथा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ। जब इर्विन गाधी समझौता प्रकाशित हुआ था तो मैंने उसके नमक सम्बन्धी अशकी टीका करते

१ यह गरीबोंके लिए नमक शोषकसे प्रकाशित हुआ था।

२ यहाँ नही दी गई है। सर जॉज शुस्टरको २८ मार्च और १४ अप्रैल, १९३४ को लिखे गये पत्रोंके लिए देखिए खण्ड ५७। विज्ञप्ति और धारा २० के पाठके लिए देखिए खण्ड ४५ पृ० ४६५ तथा खण्ड ४६, पृ० २५७-८।

हुए उसे मानवताके प्रति दयाभावसे भरा बतलाया था। लार्ड इर्विनने मानवताके लिए की गई अपीलका अच्छा उत्तर दिया था। जो लोग रियायतोंसे लाभ उठाते हैं, वे इस बातका ध्यान रखें कि इससे व्यापारिक लाभ उठानेका प्रयत्न न किया जाये, चाहे वह प्रयत्न प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, और इस धाराका उपयोग केवल उन्हीं हलकोंमें करें, जिनका कि सरकारी विज्ञप्तिमें उल्लेख है। कांग्रेसजनों तथा उन अन्य सभी लोगोंको जो गाँववालोंमें दिलचस्पी लेते हैं, इस बातको भलीभाँति याद रखना चाहिए कि मुफ्त नमक बनाने और इकट्ठा करनेकी रियायत किन क्षेत्रोंसे हटा ली गई है। कार्यकर्त्ताओंको चाहिए कि ये रियायतें फिरसे हासिल करनेके लिए वे स्थानीय अधिकारियोंसे लिखा-पढ़ी करें। किन्तु अनुमति प्राप्त किये बिना इन रियायतोंसे लाभ किसी हालतमें नहीं उठाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३०-११-१९३४

४७६. पत्र : नारणदास गांधीको

२६ नवम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। गोसेवा संघका जो पैसा खर्च हो गया उसे गया समझो। अब उसे माँगना योग्य नहीं लगता। अम्बालालभाई का मन बदल गया है। कहीं से भी निकालें, गोसेवा-संघका घाटा तो पूरा करना पड़ेगा न? देखना अब मावलंकर[1] और रणछोडभाई क्या मदद कर सकते हैं। यदि वे चन्दा इकट्ठा करें तो संघकी रकममें से बहुत नहीं देना पड़ेगा।

बालमन्दिर और कुमारमन्दिर शालाके ही अंग हैं न? क्या इन दोनोंका उपयोग नहीं है?

हरिलालके विषयमें जो कुछ तुमने बताया वह समझ गया। मैं यहाँ स्वतन्त्र रूपसे नहीं रहता। जमनालालजीके घरमें भी उसे नहीं रखा जा सकता। इसलिए यदि वह तैयार हो जाये और नियमोंका पालन करने लगे तो उसका वहीं रहना ठीक जान पड़ता है।

मेरा खयाल है कि चरखा-संघ और ग्रामोद्योग संघके दफ्तर एकसाथ नहीं रह सकते। ग्रामोद्योग-संघमें तो बहुत-सी तफसीलें आ जायेंगी, इसलिए फिलहाल तो इन दोनोंका अलग रहना ही ठीक लगता है। काम तो एक दूसरेकी पूर्ति स्वरूप ही होगा ग्रामोद्योगका केन्द्र वर्धा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। तुमने जब मुझे पत्र लिखा तब तुम्हें कदाचित मेरा वह पत्र नहीं मिला होगा जिसमें मैंने पूछा है कि क्या तुम्हें वहाँसे छुट्टी मिल सकती है?

१. देखिए "पत्र : गणेश वासुदेव मावलंकरको", २०-११-१९३४।

माताजी और पिताजीका प्रणाम कहना। उनका स्वास्थ्य अच्छा है, जानकर बहुत अच्छा लगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो–९ श्री नारणदास गांधीने, खण्ड २, पृ० ११७। सी डब्ल्यू० ८४२५ से भी, सौजन्य नारणदास गांधी

४७७ पत्र हरिदास टी० मजूमदारको

२६ नवम्बर, १९३४

भाई हरिदास,

अपने दस मुद्दोंके लिए तुमने २० पृष्ठोंकी प्रस्तावना भेजी है, यह कैसी हिंसा है? और फिर तुमने मीराबहनकी प्रशंसा की है, सो क्या तुम जो उसकी निन्दा करते हो उसे चमकानेके लिए की है? यह भी कैसी हिंसा है? और इन दोनोंको तुमने अपने हिंसासे परिपूर्ण अभिमानका मुकुट पहनाया है।

तुम्हारी कल्पनाके अनुसार मेरे जो विचार हैं उनका खण्डन तुमने अपने मुद्दों द्वारा किया है। लेकिन जब मेरे विचारोंमें और तुम्हारी कल्पनाके मेरे विचारोंमें गधे-घोड़े जैसा अन्तर हो, तब मैं तुम्हें कैसे सन्तुष्ट कर सकता हूँ?

हे ईश्वर! मित्रोंसे, अनुयायियोंसे और प्रशंसकोंसे मुझे बचाना। तुम्हारा २६ पृष्ठोंका पत्र पढ़कर यह प्रार्थना बरबस मेरे मुँहसे निकल पड़ी है। मेरा खयाल था कि इंग्लैंडमें हुई हमारी मुलाकातके बाद तुम्हारा अभिमान हलका पड़ गया होगा, किन्तु मेरी धारणा गलत सिद्ध हुई। लेकिन मनुष्य ऐसी भूलें तो करता ही रहता है।

गुजराती प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

४७८ पत्र बी० बी० गिरिको

२७ नवम्बर, १९३४

प्रिय गिरि,

आपका तार मिला। जब करीब सभी दलोकी विजय[१] हो तब किसे बधाई स्वीकार करनी चाहिए? इससे तो काग्रेसकी नीतिकी पुष्टि हुई है। हमपर जो विश्वास व्यक्त किया गया है, हमे उसके योग्य बनना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

बी० बी० गिरि
विशाखापट्टम

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४७९ पत्र के० नागेश्वर रावको

२७ नवम्बर १९३४

प्रिय नागेश्वर राव,

वोट प्राप्त करनेकी दौडमे आपने सबको पीछे छोड दिया है। लेकिन आपको भी रुपया खच करना पडा? कितने दुखकी बात है। आपकी जेब कितनी खाली हुई? उनके विरोधके बिना काग्रेस लोगोपर अपने प्रभावको नही दिखा सकती थी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

के० नागेश्वर राव
मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारलाल

१ १९३४ के विधान सभाके चुनावोमें। इसमें काग्रेसको ४४, मदनमोहन माल्बीयके राष्टवादी दल को ११, स्वतन्त्र दलवालोंको २२ और यूरोपीय गुटको ११ स्थान प्राप्त हुए थे।

४८० पत्र कामकोटि नटराजनको

२७ नवम्बर, १९३४

प्रिय कामकोटि

सिंगर मशीन सिलाई करनेवाली स्त्रीका स्थान नही लेती, बल्कि उसे सीनेके लिए ज्यादा बेहतर सुई देती है। हमारे पास चावल कूटने और आटा पीसने की देहाती चक्की है। यदि कोई मुझे उससे बेहतर मशीन दे तो मैं उसे आज ही ले लूगा। मुझे आपत्ति तो आटा और चावल पीसनेकी मिलोपर है जो हजारो स्त्रियोको बेरोजगार बनाती है और उनके स्वास्थ्यका हनन करती है। आपकी दिल्ली वाली बहनको मेरा नमस्कार।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

कामकोटि नटराजन
बाद्रा

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४८१ पत्र हीरालाल शर्माको

दुबारा नहीं पढा

२७ नवम्बर, १९३४

चि० शमा,

तुमारा खत मिला। तुमने फिर भी जल्दबाजी की है। कैसे जाना कि मोघेजी तुमारे हमेशाके लिये जानेको मानते थे अथवा ऐसे जानेसे खुश थे। यह भी वहम है। तुमसे लोग डरते है तो उसका कारण ही यह है कि तुम लोगो पर जल्दीसे दोषारोपण करते है और अपने मनमे कई प्रकारकी कल्पना करते हो। मै यदि कमलनयनको पूछु तो अवश्य वह दूसरी बात करेगा। तुमारी सेवा भावनाके बारेमे जहा तक मै जानता हू किसीको शक नही है। तुमारे साथ गैरसमझुती हो जाती है। यह तो मै खुद देख रहा हू। तुमने जो प्रण किया उसी पर डटे रहो। आश्रमके हो, आश्रममे

आना है, उस लिये तैयार होना है। स्टेशनकी बातको भूल जाओ।[१] ओर जो कुछ मुझको लिखा है सो भी भूल जाओ।

दा० शिरलेकरने कुछ भेजा नही है। मै मगवाउगा। दा० अनसारीको लिखुगा। तुमको नकल भेजुगा। किताबे भेजनेकी कोशीश कर रहा हू।

कृष्णाकी तबीयतके हाल पढकर दु ख होता है। अब उसीका ध्यान करो और अच्छी बनाओ। अवश्य अलग मकान लेकर रहो। भाईयोको तुमारा खच उठानेमे कुछ भी तकलीफ हो तो मुझको लिखो।

रामदासका अच्छा है ऐसे नही कह सकता हू। तीन अडे तक पहोचा है। उसके बारेमे तुमारे कुछ कहना है तो कहो।

मेरा वजन १०८ रतल है यह अच्छा वजन है। शायद अब न बढे। कच्चे दूध और कच्ची भाजीसे लाभ यह है कि शक्ति कुछ बढी हुई लगती हे। कम खानेसे इतनी ही पुष्टी मिलती है जैसी ज्यादा दूध और भाजी खानेमे मिलती थी। जाहर है खच तो बहूत कम हो गया, वखत बचा और कहनेके लिये ज्यादा अनुभव होना चाहीये।

अमतुल सलाम ठीक चल रही सी लगती है। वह दूध हजम नही करती है।

तुमको मीराबहनने खत लिखा है। मेरे अति उपयोगी कागज और ऐनक ई० के दफतरकी एक गठरी उसी कोठरीमे रखी गई थी जिसमे तुमारा सामान था। उसमेसे कुछ सामान पहले वहा भेजा गया था। उसके साथ यह बडल आया था कया? उसका पता मिल सकता है? वह बडल सफेद खादीकी चद्दरमे बाधा गया था। तलाश करके यदि हाथ आवे तो मुझे तार दो। कागजकी चिता रहती हे।

द्रोपदीका वजन बडना चाहीये।

तुमने मुझे अभयदान दिया है इसलिये तुमारी चिता नही करूगा।

[पुनश्च]

तुमारी नोटीस आगामी हरिजनमे[२] नही आ सकती। तुमारा खत देरसे मिला।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, पृ० १२२-३ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

१ इस सम्बधमें हीरालाल शर्मा लिखते है वर्धा स्टेशनपर विदाई देते हुए आश्रमके मैनेजरने कहा था 'तुम छूटे हम छूटे'।

२ देखिए 'टिप्पणियाँ' १४ १२ १९३४ का उप शीर्षक 'एक महत्त्वाकाक्षी प्राकृतिक-चिकित्सक"।

४८२ पत्र वाइसरायके निजी सचिवको

२८ नवम्बर, १९३४

प्रिय श्री मेविल,

मेरे इसी १५ तारीखके पत्रका तत्परतासे जवाब देनेके लिए मै आपको धन्यवाद देता हू। लेकिन मै यह कहे बिना नही रह सकता कि सीमा-प्रान्तकी मेरी प्रस्तावित यात्राके बारेमे किया गया निणय मेरे लिए कष्टजनक है और उससे मेरी स्थिति बहुत अटपटी हो गई है। इस खयालसे शायद उस निणयको दुर्भाग्यपूण माना जा सकता है।

आपके पत्रमे मुझे आशाकी एक ही किरण दिखाई देती है जिसमे मेरी यात्राको "फिलहाल इस समय' अवाछनीय बताया गया है।[1] क्या आप कृपया इसकी व्याख्या कर सकेगे? यदि आप मेरी प्रेक्षाको अनुचित न समझे तो क्या आप कृपापूवक मुझे यह भी बतायेगे कि मेरे लिए सीमा-प्रान्तकी यात्रा करना अवाछनीय क्यो माना गया है?

वाइसराय महोदयकी इच्छाका पालन करनेकी मेरी सच्ची इच्छा है, लेकिन मने अपने १५ तारीखके पत्रमे जो बात कही थी, उसे फिरसे दोहरानेके लिए आप मुझे क्षमा करेगे — वह यह कि म उनकी इच्छाका पालन उसी हदतक कर सकता हू जिस हदतक कि एक मनुष्यके नाते मेरे लिए सम्भव होगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे लगता है कि आपके पत्रमे नजरअन्दाज कर दिया गया है।[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

होम डिपाटमेट, पोलिटिकल, फाइल न० ४/८/३५, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार। **बाम्बे क्रानिकल,** १२ १२-१९३४ से भी।

१ देखिए पृ० ३७३ की पाद टिप्पणी १।

२ वाइसरायके निजी सचिवने २ दिसम्बरको उत्तर दिया ' फिलहाल इस समय के मतलब है कि वाइसराय महोदयका निर्णय तबतक लागू माना जायेगा जबतक कि वह सन्तुष्ट नही हो जाते कि परिस्थितियाँ अब ऐसी हो गई हैं कि आपके वहाँ जानेमें कोई आपत्तिका कारण नही रह गया है। वाइसराय महोदयने हालके वर्षोंकी घटनाओ और वतमान परिस्थितियोंपर पूरी तरह विचार करनेके बाद यह निर्णय लिया है।

४८३ पत्र एस० गणेशनको

२९ नवम्बर १९३४

प्रिय गणेशन,

हरिहर शर्माकी माफत मुझे आपका छोटा-सा पत्र मिलनेसे पहले ही, आपका 'काग्रेसमैन' पढनेके तुरन्त बाद मै आपको बताना चाहता था कि यह निरथक है। आपने जो लिखा हे वह असन्तुलित है और अज्ञान तथा द्वेषसे भरा हुआ है। आपने राजाजी पर जो आक्षेप किया है वह अशोभनीय है। आपको यह जानकर आश्चय होगा कि प्रस्तावोका मसविदा तैयार करनेमे उनका कोई हाथ नही था। वह तो मैने तयार किया था और उन्होने उस प्रस्तावमे कोई सुझाव नही दिये थे जिसकी आपने अज्ञानमे चर्चा की है। आप उन्हे केवल अपने दुखद अनुभवोके आधारपर ही तोलते ह। लेकिन वैसे भी व्यक्तियो और कारवाइयाके प्रति आपकी आलोचना सही किस्मकी नही है। अधिकाश पत्रकार चीजो और व्यक्तियोका मूल्याकन करके स्थितिको और भी बिगाड देते है। यदि वे घटनाओका यथातथ्य वणन करे तो वे अपना काम अच्छी तरह कर सकेगे। जब वे आलोचना करते है तब उनकी यह आलोचना पूरी तरहसे उन तथ्योपर आधारित होनी चाहिए जो उन्हे मालूम हो। यदि आप एक अच्छे रचनात्मक कायकर्त्ता बनना चाहते है तो आपको अपना समय समाचारपत्रके प्रकाशनमे बरबाद नही करना चाहिए। आपको दोनोमे से एक धन्धा चुनना होगा। हरिहर शर्मा मेरे सुझावोके बारेमे आपको विस्तारसे बतायेगे और काका साहब भी बतायेगे जो कदाचित मद्रास जा रहे है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४८४ पत्र डॉ० मुख्तार अहमद असारीको

२९ नवम्बर, १९३४

प्रिय डा० असारी,

यह पत्र शर्मा[1] नामक एक प्राकृतिक चिकित्सकके बारेमे है। वह खुर्जाके रहनेवाले है। उनका दिल्लीमे एक अस्पताल हुआ करता था जहा सूय चिकित्सा की जाती थी। अमतुस्सलामकी माफत जिससे आप यहा मिले थे, मेरी आजसे तीन वष पहले उनसे मुलाकात हुई थी। उनके अस्पतालमे और उनकी लिखी किताबोमे बहुत ज्यादा आडम्बर था। अब वे बहुत विनम्र बन गये है। उन्होने अस्पताल छोड दिया है और अपनी किताबोकी होली जला डाली है। वे मेरे कहनेपर अपना ज्ञान बढाना चाहते है और इसलिए शरीरके सम्ब धमे वे सभी बाते जानना चाहते है जो सभीको जाननी चाहिए, फिर भले ही वह एलोपथीका चिकित्सक हो अथवा प्राकृतिक चिकित्सक अथवा कुछ अ य। लेकिन वे किसी मेडिकल कालेजमे जाकर वहा पढाई शुरू नही कर सकते। यदि उ हे माग दशन मिल सके तो निजी रूपसे पढाई कर सकनेके लिए उनके पास पर्याप्त ज्ञान है। उ हे क्या पढना चाहिए और इसके लिए उ हे किन चीजोकी जरूरत होगी, मै चाहूँगा कि आप इसके बारेमे मुझे बताये। और क्या आप एक-एक करके उ हे अपनी किताबे दे सकते है? यदि आपको उनमे पर्याप्त दिलचस्पी है तो वे आपसे आकर मिल लेगे। मै नही चाहता और न ही यह अपेक्षा करता हूँ कि आप अपना ज्यादा समय इसके लिए दे। यदि आप केवल यह बता दे कि उ हे क्रमसे कौन-कौनसी पुस्तके पढनी चाहिए तो मै आपका आभारी होऊँगा। यदि आपके पास कोई किताब नही है तो मै उ हे प्राप्त करूँगा अथवा खरीद लूगा। मै निश्चय ही श्री शर्माकी मदद करना चाहूँगा क्योकि मै समझता हूँ कि वे एक ऐसे उत्कट शिक्षार्थी है जो अपना ज्ञान और सब-कुछ मानवताके कष्टोके निवारणाथ समर्पित करना चाहते है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौज य प्यारेलाल

१ हीरालाल शर्मा।

४८५ भाषण गाधी सेवा-सघकी बैठकमे[१]

[३० नवम्बर, १९३४ या उससे पूव][२]

आपमे से कुछको शायद मालूम होगा कि ग्रामोद्योग सघकी स्थापना किस प्रकार हुई। पिछले वष हरिजन कायके सिलसिलेमे अपनी देश व्यापी यात्राके दौरान यह बात मेरी समझमे भली प्रकार आ गई कि हम अपना खादी काय जिस प्रकार चला रहे है वह खादीका सावत्रिक प्रचार करने या गावोमे नवजीवनका सचार करनेकी दष्टिसे बिलकुल नाकाफी है। मैने देखा कि खादीका उपयोग बहुत थोडे-से लोग करते है, और जो लोग एकान्तिक रूपसे खादीका प्रयोग करते भी है वे ऐसा मानते है कि उन्हे इसके सिवा और कुछ करनेकी जरूरत नही है और वे अन्य कोई भी चीज, चाहे जहा कहीकी भी बनी हुई हो, इस्तेमाल कर सकते है। इस प्रकार खादी एक निर्जीव प्रतीक मात्र बनती जा रही थी और मैने देखा कि यदि यह हालत चलने दी गई तो खादी उदासीनता आर उपेक्षाका शिकार हो जायेगी। ऐसा नही है कि केवल खादी प्रचारके लिए अनन्य रूपसे सघन प्रयत्न किया जाये तो वह सफल नही होगा, लेकिन न तो कायकत्ताओमे खादीकी तरफ वैसी लगन थी और न वैसी कोशिश ही। सभी लोगोने अपना सारा फालतू समय चरखे या तकलीपर नही लगाया और सभी लोगोने खादीका एकान्तिक उपयोग करना नही शुरू किया — हालाकि उनकी सख्या कतैयोसे ज्यादा थी। लेकिन शेष सभी लोग बेकार रहे। लाखो लाख ऐसे लोग भी थे जा मजबूरन बेकार बठे थे। मैने देखा कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसका परिणाम हमारी तबाहीके सिवा और कुछ नही हो सकता था। ये लोग' मैने मनमे सोचा, 'कभी स्वराज्य नही प्राप्त कर सकते। कारण, अपने ऐच्छिक और अनैच्छिक आलस्यके कारण ये लोग विदेशी और देशी शोषणकर्त्ताओके सदा शिकार बने रहेगे। शोषणकर्त्ता चाहे विदेशी हो और चाहे शहराके लोग हो इन लोगोकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, इन्हे कोई स्वराज्य नही मिलेगा।' इसलिए मैने मनमे कहा, 'इन लोगोसे कोई ओर काम करनेको कहना चाहिए अगर ये लोग खादीमे दिलचस्पी नही लेते, तो ये कोई ऐसा धन्धा करे जिसे इनके बाप दादा किया करते थे, लेकिन जो अब खत्म हो गया है।' दैनिक उपयोगकी ऐसी बहुत सी चीजे थी जो ये लोग कुछ समय पहलेतक तैयार किया करते थे, लेकिन अब उन्ही चीजोके लिए ये लोग विदेशोपर निभर करते है। कस्बोमे रहनेवालोके दैनिक उपयोगकी

१ यह गाधीजी द्वारा दिये गये 'तीसरे भाषण' का सक्षिप्त विवरण है जो **हरिजन** में 'अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ — इसका अथ और सम्भावनाएँ' शीषकसे प्रकाशित हुआ था।

२ **बाम्बे क्रानिकल** ६ १२ १९३४ की एक रिपोटके अनुसार गाधी सेवा सघका वार्षिक अधिवेशन नवम्बर १९३४ के अन्तिम सप्ताहमें हुआ था।

ऐसी बहुत-सी चीजे है जिनके लिए वे पहले गाववालोपर निभर करते थे, लेकिन वे ही चीजे अब वे शहरोसे मँगाने लगे है। गाववाले जब अपना सारा फालतू समय कोई उपयोगी काम करनेमे लगानेका निश्चय कर लेगे और कस्बोमे रहनेवाले लाग गावोमे तैयार होनेवाले मालका इस्तेमाल करनेका निश्चय कर लेगे, तब गाववालो और कस्बोमे रहनेवालोके बीच टूटी हुई कडी फिरसे जुड जायेगी। कौन-कौनसे मृत या मतप्राय ग्रामीण उद्योग पुनरुज्जीवित किये जा सकते है, इसका निश्चय तबतक नही किया जा सकता जबतक हम गाववालाके बीच जाकर ऐसे उद्यागोकी जाच न कर, उनकी तालिका न बनाये और उनका वर्गीकरण न करे। लेकिन मैंने दो सबसे महत्त्वपूण चीजोको चुन लिया खाद्य-वस्तुएँ और पहननेवाला वस्तुएँ। खादी तो है ही। खाद्य वस्तुओके मामलेमे हम अपनी आत्म-निभरता तजीस खोते जा रहे थे। अभी कुछ साल पहलेतक हम अपना धान खुद कूटत थे आर अपना आटा खुद पीसते थे। स्वास्थ्यके सवालको हम फिलहाल एक तरफ रख दे। यह निर्विवाद सत्य है कि आटा चक्कियो और धान कूटनेकी मिलोने लाखा औरतोको बेरोजगार कर दिया हे और उन्हे कमाईके साधनसे वचित कर दिया है। चीनी बहुत तेजीसे गुडका स्थान लेती चली जा रही है, और गावामे बिस्कुट तथा मिठाइयो जैसी खानेकी तैयार चीजे खुलकर बाहरसे मँगाई जा रही है। इसका मतलब है कि गाववालेके हाथसे सभी ग्रामीण उद्योग धीरे धीरे निकले जा रहे है और गाववाला अब शोषणकर्त्ताओके लिए कच्चे मालका उत्पादन करनेवाला बन गया है। वह बराबर देता ही है, और बदलेमे कुछ नही पाता। जो कच्चा माल वह पैदा करता है उसके बदलेमे उसे जो थोड़ा-बहुत मिलता भी है उसे भी वह चीनी और कपडेके सौदागरोको वापस दे देता है। उसकी बुद्धि और उसका शरीर दोनो उन पशुओ जैसे हो गये है जो उसके चौबीस घटेके साथी है। अगर हम सोचे तो देखेगे कि आजसे पचास साल पहले देहातका रहनेवाला जितना बुद्धिमान और चतुर होता था, आजका देहाती उसके मुकाबले आधा भी नही हे। कारण, आजका देहाती दु खजनक निभरता और आलस्यकी स्थितिको पहुँच गया है, जबकि पचास साल पहलेका देहाती अपनी सारी आवश्यकताओको पूरा करनेके लिए अपनी बुद्धि और शरीरका उपयोग करता था और उन वस्तुओको घरपर ही तैयार कर लेता था। गावके अन्य लोगोके साथ ही गावका कारीगर भी अपनी चतुरता और उपाय-कुशलता भूल चुका है। गावके बढईसे एक चरखा बना देनेको कहकर देखिए, गावके लोहारसे एक तकुआ बनानेको कहिए और आपको निराश होना पडेगा। यह एक शोचनीय स्थिति हे। इस स्थितिको सुधारनेके उपायके रूपमे ग्रामोद्योग सघकी कल्पना की गई है।

कुछ आलोचकोका कहना है कि 'गावाकी तरफ लौटो' का नारा प्रगतिकी धाराको उल्टी दिशामे बहानेकी कोशिश करना है। लेकिन क्या वास्तवमे ऐसा है? यह वापस गावकी तरफ उन्मुख होना है, या जो कुछ गावका है उसे वापस गावको लौटाना हे? मै शहरवालोसे गावोमे जाकर रहनेको नही कह रहा हूँ। लेकिन मै यह जरूर कह रहा हूँ कि गावोका जो देय है उसे वे गावोको दे। क्या एक भी

कच्चा सामान ऐसा है जिसे शहरवाले गावोके सिवा और कहीसे प्राप्त कर सकते है? यदि नही, तो गाववालोको कच्चे मालसे उपयोगकी वस्तुऐं तैयार करना क्यो न सिखाया जाये, जैसाकि वे पहले किया करते थे, और अगर हमारी शोषक प्रवृत्तिका अतिक्रमण न हो तो वे अब भी करेगे?

लेकिन गाववालेको उसकी पहलेकी स्थितिमे पुन प्रतिष्ठित करना कोई आसान काम नही है। मैंने सोचा था कि मै एक सविधान बनाकर श्रीयुत कुमारप्पाकी सहायतासे सघको थोडे ही समयमे चालू कर सकूगा। लेकिन मै इसमे जितना ही पैठता जाता हूँ, मुझे लगता है कि इसकी थाह मिल ही नही रही है। एक अर्थमे यह काय खादी कार्यसे कही ज्यादा कठिन है। खादी कार्यमे कोई जटिल समस्याऐं नही है। आपको बस सभी विदेशी और यत्र-निर्मित वस्त्रोका वर्जन कर देना है और समझ लीजिए कि खादीको आपने एक सुरक्षित नीवपर खडा कर दिया। लेकिन यहाँ तो क्षेत्र इतना व्यापक है, इतनी तरहके उद्योग है जिनका सगठन करना है जिनको चलाना, है कि हमे अपने पूरे व्यापारिक कौशलका, विशेष ज्ञानका और वैज्ञानिक प्रशिक्षणका उपयोग करना होगा। इस सर्वोच्च उद्देश्यको तबतक प्राप्त नही किया जा सकता जबतक हम कठिन परिश्रम नही करेगे, अनवरत प्रयत्न नही करेगे और अपनी सारी व्यापारिक और वैज्ञानिक योग्यताओका प्रयोग नही करेगे। इसीलिए मने सुविख्यात डाक्टरो और रसायनशास्त्रियोको एक प्रश्नावलि[1] भेजी और उनसे कहा कि मुझे पालिश किये हुए और बिना पालिश किये चावल, गुड और चीनी तथा अन्य चीजोके रासायनिक विश्लेषण और पोषक-तत्त्वोके बारेमे जानकारी दे। मै सधन्यवाद यह कहता हू कि बहुत से मित्रोने फौरन उत्तर दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगोने यह स्वीकार किया है कि जिन चीजोके बारेमे मैंने पूछा था उनमे से कुछ चीजोके बारेमे कोई शोध-कार्य नही किया गया है। क्या यह दु खकी बात नही है कि कोई वैज्ञानिक मुझे गुड जैसी मामूली चीजका रासायनिक विश्लेषण नही दे सका है? कारण यह है कि हमने गाववालेके बारेम सोचा ही नही है। शहदको ही लीजिए। मुझे बताया गया है कि विदेशोमे शहदका इतना सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है कि एक विशेष परीक्षणमे जो शहद विफल हो जाता है उसे बाजारके लिए बोतलोमे भरा ही नही जाता। भारतमे हमारे पास अच्छेसे-अच्छे शहदको तैयार करनके साधन मौजूद है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त विशेषज्ञ ज्ञान ही नही है। एक आदरणीय डॉक्टर मित्रने लिखा है कि उनके अस्पतालमे पालिश किये हुए चावलका पूर्ण निषेध है और चूहो तथा अन्य प्राणियापर परीक्षणोके बाद यह सिद्ध हो गया है कि पालिश किया हुआ चावल हानिप्रद होता है। लेकिन सभी डॉक्टरोने अपनी जाँच-पडताल और प्रयोगका परिणाम क्यो नही घोषित किया है और पालिश किये चावलके इस्तेमालको नुकसानदेह क्यो नही घोषित किया है?

मैंने एक या दो दृष्टान्त देकर अपनी कठिनाईका अनुमान दिया है। मुझे किस प्रकारका सगठन करना चाहिए? किस प्रकारके प्रयोगशाला शोध हमे करने

१ देखिए "पत्र डॉ० विधानचन्द्र रायको," ८-११-१९३४।

होगे? हमे कितने ही ऐसे वज्ञानिको और रसायनशास्त्रियोकी आवश्यकता होगी जो न केवल अपने विशिष्ट ज्ञानका लाभ हमे देगे, बल्कि जो हमारी प्रयोगशालाओमे मुफ्त बठकर मेरी बताई हुई दिशाआमे प्रयोग करगे। हमे न केवल समय-समयपर परिणामोको प्रकाशित करना होगा, बल्कि हमे विभिन्न उत्पादनोकी जाच करनी होगी और उन्हे प्रमाणित करना होगा। हमे यह भी देखना होगा कि ग्रामवासी जो कोई वस्तु या खाद्य सामग्री पदा करता है, बाहर भेजता है तो क्या वह उसके बदले कोई सस्ती चीजका आयात करके सन्तुष्ट हो जाता है। हमे दखना होगा कि सबसे पहले ग्रामवासी आत्म निभर हो जाये और उसके बाद शहरवालोकी आवश्यकताकी कमी पूरी करे।

इस उद्दश्यकी पूर्तिके लिए हमे जिला-सगठन बनाने होगे और अगर जिले बहुत बडे सिद्ध हो तो हमे जिलोको उप जिलोमे बाटना होगा। इनमे से प्रत्येक — लगभग २५० — मे एक एजेट होना चाहिए जो सर्वेक्षण करके मुख्य कार्यालय द्वारा जारी किये गये निर्देशोके मुताबिक एक रिपोट दाखिल करेगा। ये एजेट पूरा समय काम करनेवाले कायकर्त्ता होगे जिनको कायक्रममे पूरा विश्वास होगा और जो अपने जीवनमे तुरन्त आवश्यक परिवतन करनेको तैयार होगे। इस काममे निश्चय ही धनकी आवश्यकता होगी, लेकिन धनसे ज्यादा इसमे सशक्त विश्वास और काम करनेके इच्छुक लोगोकी आवश्यकता होगी।

प्रश्न क्या यह कायक्रम खादी-कायको डुबो कर नहीं रख देगा, जिसे कि अभी भी पूरा होना है?

उत्तर नही। खादीको उसके केन्द्रीय स्थानसे हटाया नही जा सकता। खादी तमाम औद्योगिक सौयमण्डलका सूय होगी। शेष सभी उद्योग खादी उद्योगसे गर्मी और शक्ति प्राप्त करेगे।

प्रश्न वे उद्योग कौन से ह जिन्हे हमे पुनरुज्जीवित करना या आगे बढ़ाना है?

उत्तर मने इसका उल्लेख पहले ही कर दिया है। हमे प्रत्येक ऐसे उद्योगको बढावा देना चाहिए जो कुछ समय पहलेतक जिन्दा था और जिसके नष्ट होनेके कारण अब बेरोजगारी पैदा हुई है।

प्रश्न क्या हमें चावल और आटा मिलोके विरुद्ध बहिष्कारका आन्दोलन छेडनेकी जरूरत है?

उत्तर हमे किसी प्रकारका बहिष्कार करनेकी जरूरत नही है, लेकिन हम लोगोको अपना चावल खुद तैयार करनेको और अपना आटा स्वय पीसनेको कहेगे। और हमे स्वास्थ्यकी दष्टिसे हाथ कुटे चावल और हाथ-पिसे आटेको ज्यादा बेहतर मानना होगा। इसलिए अच्छा है कि हम आलस्यके खिलाफ युद्ध छेड दे।

प्रश्न क्या हम काग्रेसकी कमेटियोका इस उद्देश्यके लिए इस्तेमाल कर सकते ह?

उत्तर बेशक, हम किसी भी सूत्रसे मिली सहायताका लाभ लेगे और उसका उपयोग करेगे।

प्रश्न क्या केन्द्रीय बोर्डकी स्थापनाका अर्थ केन्द्रीयकरण है?

उत्तर ठीक ऐसा नहीं है। इसके जिले कार्य केन्द्र जैसे होंगे। इसका केन्द्रीय कार्यालय सारे भारतके लिए आदेश जारी करनेवाला और देख-रेख करनेवाला केन्द्र होगा। यह एक विचार पाठशाला जैसा होगा, जिसके जरिये विभिन्न एजेंट लोग विचारोंका आदान प्रदान करेंगे और परस्पर उपलब्धियोंकी चर्चा करेंगे। हम प्रशासनका केन्द्रीयकरण नहीं चाहते, हम विचार, कल्पना और वैज्ञानिक ज्ञानका केन्द्रीयकरण चाहते हैं।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ७-१२-१९३४

४८६ "श्रम बचानेवाले उपकरण क्यों नहीं"

एक महिला मित्रने, जो अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघका संगठन किये जानेके विचार पर बहुत उत्साहित थीं, प्रारम्भिक कार्यक्रमके सम्बन्धमें अखबारोंको दिये गये मेरे संदेश[1] को पढ़नेके बाद मुझे निम्नलिखित पत्र लिखा है

> **गाँवोंके लिए ही क्यों न हो, लेकिन हाथसे चावल कूटने अथवा चक्की पीसनेके धन्धेका पुनरुद्धार करने अथवा उसे प्रोत्साहित करनेके विचार मात्रने गाँवोंमें जाकर काम करनेके मेरे उत्साहको भंग कर दिया है और मेरे मनमें उसके प्रति भय उत्पन्न हो गया है। गाँवोंको उन्नत बनानेकी योजनामें श्रम बचानेके उपकरणोंकी सहायता न लेना मेरे विचारसे समय और शक्तिका बहुत भारी अपव्यय करना है। यदि गाँवके लोगों और उनके साथ गाँवोंको उन्नत बनानेके कार्यमें लगे कार्यकर्त्ताओंको चावलकी कुटाई और चक्की-पिसाई करनी पड़ेगी तो उन्हें कोई आराम नहीं मिलेगा और उनको गाँववालोंके विकासके किसी अन्य कामको करनेका समय ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि प्राचीन तरीकोंका पुनरुद्धार किया जायेगा तो पुरुष लोग पहले तो उत्साहके आवेगमें इस कार्यको करने लगेंगे, लेकिन अन्ततः सारा बोझ — मेरा मतलब चावल कूटने और चक्की पीसनेसे है — हम महिलाओंपर आ पड़ेगा और हमने जो थोड़ी बहुत तरक्की की है उसको धक्का पहुँचेगा।**

यह तर्क भ्रामक है। श्रम बचानेके उपकरणोंका उपयोग करनेसे इनकार करनेका प्रश्न ही नहीं उठता। यदि गाँववालोंके पास पर्याप्त खाने और पहननेको होता तो चावल कूटने अथवा चक्की पीसनेकी जरूरत न रह जाती, बशर्ते कि हम मान लें कि स्वास्थ्यके प्रश्नका कोई महत्त्व नहीं है, अथवा यदि है भी तो फिर घरके पिसे आटेमें अथवा मशीनके पिसे आटेमें तथा हाथकुटे चावलोंमें और मशीनसे साफ किये गये

1. देखिए "वक्तव्य समाचारपत्रोंको", ८-११-१९३४।

चावलोमे कोई अतर नही है। लेकिन समस्या यह है कि गाववालोने जब अपने उपयोगके लिए भी चावल कूटने अथवा चक्की पीसनेके कामको छोड दिया तब वे आलसी बन गये और उन्होने अपने इस फुसतके समयका गावोके उत्थानके लिए अथवा किसी अन्य कायमे सदुपयोग नही किया। एक भूखे पुरुष अथवा स्त्रीको जिसके पास फालतू समय हो निश्चय ही उस समयमे काम करके ईमानदारीसे एक आना कमानेमे खुशी महसूस होगी, क्योकि अगर दोनो ही फुसतके समय काम करके अपनी भूखको दूर करनेके लिए कुछ पैसे कमा सकते है तो उस समय अगर उन्हे कोई श्रम बचानेकी सलाह देता है तो उसे वे नापसन्द करेगे। मेरी पत्र लेखिकाका यह विचार कि गावोको समुन्नत बनानेके कायमे लगे कायकर्त्ताको या तो चक्की पीसनी पडेगी अथवा चावल कूटने पडेगे, गलत है। उसे निश्चय ही इस कलाको सीखना होगा और पुर्जोके बारेमे जानकारी हासिल करनी होगी ताकि वह सुधार सुझा सके और उपकरणोकी सीमाओको समझ सके। उसका यह विचार भी गलत है कि पुरुषोसे उत्साहके आवेगमे चावल कूटने अथवा चक्की पीसनेके लिए कहा जायेगा अथवा वे अपनी खुशीसे ये काम करने लगेगे और अतत यह बोझ महिलाओके कन्धोपर आ पडेगा। तथ्य तो यह है कि चावल कूटना और चक्की पीसना तो स्त्रियोका जन्मसिद्ध अधिकार है और हजारो लाखो स्त्रियोने इस सम्मानपूण और बलदायक कामसे अपनी आजीविका कमाई है। अब तो उन्हे मजबूरन खाली बैठे रहना पडता है, क्योकि उनमे से अधिकाश स्त्रिया इन दो धन्धोके स्थानपर जिन्हे हमने उनसे छीन लिया है, अन्य कोई धन्धा नही ढूढ पाई है।

स्त्रियो द्वारा की गई "थोडी प्रगति" की बात लिखते समय पत्र लेखिकाके मनमे नि सन्देह शहरोमे रहनेवाली स्त्रियोका ही विचार है क्योकि उत्थान-काय करनेवाले कायकर्त्ताओने गावोका तो स्पश भी नही किया है। उनमे से अधिकाश तो यह भी नही जानते कि इस विशाल देशके सात लाख गावोमे स्त्री पुरुष कैसे रहते है। पौष्टिक भोजन और सुरक्षा प्रदान करनेवाले कपडोके अभावमे उनका कितना ह्रास हुआ है, इसके बारेमे भी हमे कोई ज्ञान ही नही है। और हमे यह भी नही पता है कि अपौष्टिक चावल और आटा जो उनके मुख्य आहार है खानेकी वजहसे उनमे और उनके बच्चोमे जो कुछ थोडी बहुत शक्ति और शारीरिक बल होता है उसे भी वे खो बैठते है।

मै उनकी खातिर चावल कूटने और चक्की पीसनेके पुराने तरीकोको अपनानेके पक्षमे नही हूँ। मै उन्हे अपनाये जानेका सुझाव इसलिए देता हूँ क्योकि हमारे पास उन लाखो गाँववालोको, जो सारा दिन खाली बैठे रहते है, अन्य धन्धा देनेका कोई दूसरा साधन नही है। मेरी रायमे, जबतक हम इस तात्कालिक आर्थिक समस्याका कोई समाधान नही ढूढ निकालते, तबतक गावोका उद्धार होना असम्भव है। इसलिए गाववालोको उनके खाली समयमे काम करनेके लिए प्रेरित और उत्साहित करना अपने आपमे एक ठोस उत्थान-काय है। मै उक्त पत्र लेखिकासे और उनके जैसे विचार रखनेवाले लोगोसे अनुरोध करता हूँ कि वे गावोमे जाये, कुछ समयके लिए

गाववालोके साथ रहे ओर उन्हीकी तरह रहनेका प्रयत्न करे। तब वे बहुत जल्दी मेरे तककी गम्भीरताको देख सकेगे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३० ११-१९३४

४८७ यह क्या है?

एक आदरणीय मित्रने अभी उस दिन एक पत्र लिखा जिसमे उन्होने अ य चीजोके अलावा यह भी कहा कि ग्रामोद्योग कायसे मेरा जो अभिप्राय है, उसकी पूरी तस्वीर उनके दिमागमे नही हे। यह एक अच्छा सवाल था। यही बात बहुत लोगोको लगी होगी। मैने उ हे जो जवाब दिया, उसका आशय इस प्रकार था

> सक्षेपमे इतना ही कहूँगा कि हमे अपने नित्यके उपयोगके लिए सिफ वे ही चीजे खरीदनी चाहिए जोकि गावोमे बनती हो। हो सकता है कि गावकी बनी चीजोमे अभी सफाई न हो। तब हमे चाहिए कि हम गावोकी कारीगरीको प्रोत्साहन देनेका प्रयत्न करे ताकि उनमे सफाई आये, न कि यह दलील सामने रखकर उन चीजोको लेनेसे इनकार कर दे कि विदेशी अथवा बडे बडे कल कारखानोकी बनी स्वदेशी चीजे गाँवकी चीजोसे कही बढिया है। असल बात यह है कि ग्रामवासियोकी सोई हुई कारीगरी या कलापूण प्रतिभाको हमे जाग्रत कर देना चाहिए। सिफ इसी एक तरीकेसे हम उस भारी ऋणको थोडा-बहुत चुका सकेगे जोकि गाववालोका हमारे ऊपर चढा हुआ है। इस विचारसे भयभीत होनेका कोई कारण नही कि ऐसे प्रयत्नमे हम कभी कामयाब हो सकेगे या नही। हमे अपने ही युगकी ऐसी कई मिसाले याद आ सकती है जब यह ज्ञान हो जानेके बाद कि अमुक काम देशकी तरक्कीके लिए अत्य त आवश्यक है, हमारे मागमे आनेवाली कठिनाइया हमे जरा भी विचलित नही कर सकी और उन कामोमे हम असफल भी नही हुए। इसलिए अगर हममे से हरएक इस बातपर विश्वास करने लग जाये कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए भारतीय ग्रामोका पुनरुद्धार अत्य त आवश्यक है, और अगर हमारा इसमे जीवित विश्वास हो कि ग्रामोके पुनरुद्धारके द्वारा ही हम अस्पश्यताको निर्मूल करके तथा सम्प्रदाय या धमका भेदभाव छोडकर आत्माकी एकताका अनुभव कर सकते है, तो हमे सच्चे हृदयसे गावोकी ओर जाना ही होगा, और बजाय इसके कि हम ग्रामवासियोके सामने उ हे लुभानेके लिए शहरके कृत्रिम जीवनको रखे, हमे गावकी बनी चीजोको नमनेके रूपमे अपनाना होगा। अगर यह दष्टिकोण ठीक है, तो हमे खुद ही आगे बढकर गाँवकी बनी चीजोको व्यवहारमे लाना चाहिए — उदाहरणके लिए, जहा सम्भव हो फाउ टेनपेन या होल्डरके बजाय हम गावकी कलमको और बडे-बडे कारखानोकी बनी स्याहीकी जगह गाँवकी बनी स्याहीको काममे लाये। मै ऐसे और भी अनेक उदाहरण दे सकता

हू। नित्यके उपयोगकी शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो आजसे पहले गाववालोने नही बनाई हो और जिसे वे आज न बना सकते हो। अगर हम इस तरह पूरी तरहसे अपना मन लगा दे और गावो पर अपना ध्यान एकाग्र कर ले तो हम बात की-बातमे लाखो रुपये गाववालोकी जेबमे पहुँचा सकते ह। आज तो हम उन्हे कोई मुआवजा दिये बिना उलटे गाँववालोका शोषण कर रहे हैं। अब समय आ गया हे कि हम इस भयकर सवनाशको आगे बढनेसे रोक दे। जो लोग आज अस्पश्य माने जाते है उनकी प्रथाके अनुसार मान्य की हुई अस्पश्यता दूर करनेकी अपेक्षा अस्पश्यता निवारणका यह आन्दोलन मेरे लिए अब कही अधिक व्यापक अथ रखने लगा है। शहरवालेकी दष्टिमे गाव अस्पश्य हो गये हैं। शहरवाला उन्हे जानता नही, पहचानता नही। न वह गावमे जाकर रहना चाहता है। अगर वह किसी गावमे जा पहुँचता है, तो वहा भी वह अपना वही शहरी जीवन जमाना चाहता हे। यह तो तभी सह्य हो सकता है जबकि हम अपने मुल्कमे इतने शहर बना सके कि उनमे ३० करोड मनुष्य समा जाये। ग्रामोद्योगोका पुनरुद्धार, और जबरदस्तीकी बेकारी तथा दूसरे कारणोसे उत्पन्न देशकी दिन-दिन बढती हुई दरिद्रताको मिटाना अगर असम्भव है, तो भारतके गावोको शहरोमे परिणत कर देनेकी कल्पना तो और भी अधिक असम्भव है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ३० ११ १९३४

४८८ तार हीरालाल शर्माको[1]

३० नवम्बर १९३४

शर्मा
द्वारा नाथमलदास बिहारीलाल
दानगज, खुर्जा

तुम्हारा तार मिला। फिलहाल तुम्हारा कत्तव्य वही है। पत्र लिखकर माग निर्देशन करो। घर बदल दो ताकि द्रौपदी तथा बच्चोको अच्छी ताजी हवा मिल सके।

बापू

[अग्रेजीसे]
बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, प० १२५ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

१ यह तार हीरालाल शर्माके २९ नवम्बर १९३४ को भेजे तारके जवाबमें था जिसमें कहा गया था मीराबहन और आपके पत्रोमें बहुत अन्तर है। कागजोके सवालने मेरी चिन्ता बढ़ा दी है। शायद 'आर०' पी० या जी०' ईमानदारीसे चाहें तो बडलोंको ढूँढ़ सकते है। उन्हें सीधे मेरे अधीन रख दीजिए तो मैं आपकी चीजें ढूँढ़ दूँगा। तार कीजिए तो मैं आऊँ, वरना मैं कल पत्र लिखूँगा। देखिए "पत्र हीरालाल शर्माको", २७ ११ १९३४ भी।

४८९ पत्र एक लडकीको

सेगाव,
३० नवम्बर, १९३४

चि० लम्बूस,

लम्बोदर अर्थात् लम्बे पेटवाला। यह गणपतिका नाम है। मुझे तुझे लम्बूस नामसे पुकारना चाहिए था। तूने बहुत दिनो बाद पत्र लिखा, यह तो तेरी कृपा ही कही जायेगी ?

अमतुस्सलाम, लीलावती, शारदा यही हैं। सब आनन्दपूर्वक हैं।

तुम सब बहने ठीक काम कर रही जान पडती हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० १७५२) से।

४९० पत्र हीरालाल शर्माको

३० नवम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुम्हारा खत, नमूने[१] और पुस्तक[२] और २०)[३] रु० के नोट व स्टाम्प[४] मिले है। नोट किस हिसाबसे वापिस की गई मे नही समझा। डा० अनसारीको मने खत लिखा है[५] उसकी नकल इसके साथ है। जब मुझे उत्तर मिलेगा तब मैं लिखूगा उसके पहिले तुमारे उनको लिखना नही है। तुमारे किसी मकानमे जाना ही चाहिए। वैद्योका तुमने लिखा सो ही है।[६] मकान न मिले तो जमीनका टुकडा मिले उसपर फूसकी झोपडी (डाल) कर रहो। द्रौपदीका पर्दा तोड डालो वर्ना खुर्जा छोडो।

बापुके आशीर्वाद

१ खुर्जाके घी के।

२ कन्या आश्रम की।

३ आश्रमकी खादीका उपयोग करनेके लिए।

४ जो आश्रम कार्यालयसे उधार लिये गये थे।

५ देखिए पत्र डॉ० मुख्तार अहमद असारीको २९ ११ १९३४।

६ हीरालाल शर्माको अपनी पुत्रीके इलाजके सिलसिलेमें यह व्यक्तिगत अनुभव हुआ था कि अधिकाश वैद्य नीमहकीम होते है।

[पुनश्च]

तुम्हारा तार मिला।[1] मै मानता हूँ तुम्हारे आनेसे कागजात ढूढनेमे मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा नही हो सकता। तुम्हारा धम द्रोपदी और लडकोकी सेवा करनेका है। घर बदलो। मै खोजकर रहा हूँ।

बापु

बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वष, प० १२६ ७

४९१ पत्र घनश्यामदास बिडलाको

२ दिसम्बर, १९३४

भाई घनश्यामदास,

तुमारे तार वल्लभभाई पर और मेरे पर मिले है। यह छोटा सा आपरेशन भी दु ख दे रहा है। डा० विधानका पत्र भी आया हे। उनके पत्रमे लिखा है अच्छा हो रहा है। तुमारे तारोसे ऐसा प्रतीत नही होता। और तारकी प्रतीक्षा करता हू।

वाइसरायको मिलनेके लिये लिखना इस समय उचित नही जचता है। मैने दुबारा लिखा तो है। 'इस बखत नहि' का मतलब पूछा है[2] और इनकार करनेका कारण भी पूछा है। अब देखे क्या होता है। जो होगा ठीक ही होगा।

यदि तुमको अच्छा हो जाय और दिल्ली जा सकोगे तो मै ता० २० के आसपास वहा जानेकी चेष्टा करूँगा। तैयारी कर रहा हू।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००२ से सौजन्य घनश्यामदास बिडला

४९२ पत्र गणेश वासुदेव मावलकरको

३ दिसम्बर, १९३४

भाईश्री मावलकर,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरे लिए वह पूणतया सन्तोषजनक है और मुझे चिन्तासे मुक्त करता है। पाच वर्षो तक इतना घाटा खानेके बावजूद यदि गोशाला नही चल सकती तो उसे ब द ही करना होगा। हरिजन आश्रमके सम्ब धमे ट्रस्टियोके बारेमे तुमने जो लिखा है वह मुझे पूरी तरहसे मान्य है। टस्टियोको बुनियादी सिद्धा तोके अनुसार उसका प्रब ध सचालन करनेकी पूण स्वत त्रता होनी ही चाहिए।

१ देखिए पृ० ४४१की पाद टिप्पणी १।

२ देखिए 'पत्र वाइसरायके निजी सचिवको' २८ ११ १९३४।

समय निकालकर नरहरिके साथ आवश्यक बातचीत कर लेना।

मै तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ लादता हूँ और तुम्हारा शरीर यह सब सहन नही कर सकता सो भी जानता हूँ। लेकिन जो लोग आगे बढकर बोझा स्वीकार करते है बोझ तो उनपर ही डाला जा सकता है। लेकिन जब तुम्हे जरूरतसे ज्यादा लगने लगे तब मुझे सावधान कर देना।

तुम भी जब मेरी तरह भिखारी बन जाओगे तब जात पातके बन्धनसे मुक्त हो जाओगे। लेकिन तब तुम्हारी भिक्षा मागनेकी शक्ति भी तो काफी बढ जायेगी न? कौन जाने मै उस शुभ दिनको देखनेके लिए जीवित रहूँगा या नही? लेकिन मै यह विश्वास लेकर ससारसे जाऊँगा कि तुम किसी दिन फकीरी धारण करोगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० १२४१) से।

४९३ पत्र नरहरि द्वा० परीखको

३ दिसम्बर, १९३४

चि० नरहरि,

साथका पत्र मावलकरको दे देना। यह उसके पत्रका उत्तर है। उसका पत्र तुम्हारी फाइलके लिए है। हमारे लिए इतना आश्वासन ही पर्याप्त होना चाहिए। और जो भी पैसा इकट्ठा किया जा सके सो करते रहना। दोनो बातोके बारेमे यदि तुम्हे कुछ कहना हो तो लिखना। सामर्थ्यानुसार कामको बढाते रहना।

उम्मीद है, अन्य सब कुशल होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (एस० एन० ९०६७) से।

४९४ पत्र अन्नपूर्णाको

३ दिसम्बर, १९३४

चि० अन्नपूर्णा,

तुमारा खत मिला था। मा का भी मिल गया था। समय न होनेके कारण मैं लिख न सका। पिताजी आ गये कुछ बात न कर सका। तुम सबके हाल भी पूछ न सका। अब मुझे लिखो क्या हो रहा है सब कैसे है?

बापुके आशीर्वाद

श्रीमती अन्नपूर्णा कुमारी
माफत श्री गोपबन्धु चौधरी
बाडी
जिला कटक[1]

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७८०) से।

४९५ पत्र प्रेमाबहन कटकको

दुबारा नही पढा

४ दिसम्बर, १९३४

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। तेरे प्रश्नोके सयाने उत्तर दू तो वह सच्चे सयानेपनकी निशानी ही होगी, ऐसा थोडे कहा जा सकता है।

मेरा गुस्सा तुम कोई नही जानते। उसका साक्षी मैं ही हो सकता हूँ। लीलावती या गगाबहनने जो अनुभव किया[2] वह तो थोडा गुस्सा कहा जा सकता है। मुझमे जो गुस्सा भरा है उसे बहुत कुछ तो मैं पी जाता हूँ। पीते-पीते जो बाकी रह जाता है। गगाबहन वगैरह वही देख सकी होगी। इतना भी उन्हे न देखने दू तो मैं दभी बन जाऊँ अथवा सूखकर हाड-पिजर हो जाऊँ। ऐसा नही होता, इसका कारण यह है कि मैं अपने गुस्सेको जान-बूझकर रोकता हूँ और आगेके लिए रास्ता बनाता हूँ। आसपास रहनेवालोके प्रति सावधान रहनेकी आवश्यकता नही समझता, इसलिए वे

१ मूलमें पता अंग्रेजी लिपिमें है।
२ गाधीजीने इन दोनोको काग्रेस अधिवेशनमें जानेकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया था।

मेरे गुस्सेकी झाकी कर लेते है, और मुझपर उनकी दया रहती हे, इसलिए वे उसे भूल भी जाते है।

मेरे पास जो सूत[1] बाकी पडा होगा सो प्रभावती भेज देगी। मेरा हिसाब तो गलत निकला। प्रभावती इस समय बम्बईमे हे। स्वरूपरानीकी सेवा करने और जयप्रकाशसे मिलने गइ है।

[2]के बारेमे जैसा तू मानती हे, वसा होनेकी सम्भावना बहुत ही कम है। किसीकी निन्दामे कही गई बातको सच मानते हुए बहुत विचार करना। उसे न सुने तो अधिक अच्छा हो।

डा० हार्डिकर जैसो[3] के लिए क्या हो सकता है? उनके मत भिन्न मनोरथ भिन्न। जो प्रवत्ति उन्हे अच्छी लगे उसे सरकार नही चलने देती, जो चलती हो उसमे उन्हे रस नही आता। प्रजातत्रमे तो जो कही भी जम सके उसीका समावेश हो सकता हे। उनके जसोको किसी-न-किसी जगह जमकर जो हो सके सो सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार मै बहुतोका मागदशन कर रहा हूँ।

जो ईमानदारीसे धन्धा करते ह वे भी देशकी सेवा करते है। सेवाका दावा करनेवाले लोग भारस्वरूप हो सकते है, और धन्धा करके कमानेवाले लोग शुद्ध सेवक हो सकते है।

अपने पत्रोके बारेमे तूने जो लिखा है वह ठीक है। जो पत्र तुझे मेरे ही पढने के लिए लिखने हो, उनपर तू 'व्यक्तिगत' लिख सकती है। जिन्हे मेरी मरजी पर छोडेगी, उन पत्रोका मुझे जो ठीक लगेगा वही करूँगा। मै पत्रोका सग्रह तो कदाचित ही करता हूँ।

उद्योगोका तो जो हो सके वह करना।

देव तुझे बहुत इधर उधर न घुमाये तो अच्छा।[4] एक क्षेत्रमे टिका जा सके तभी कुछ काम हो सकता है। जहा तू रहती है वह पूनाका उपनगर ही हो तो बहुत लाभ नही होगा। परन्तु जब तू वहा काफी रह चुकी है तो एकाएक वह जगह न छोडना ही अच्छा होगा। परन्तु इसमे मेरी सलाह बेकार समझना। यदि वहा रहनेमे भूल हुई हो, तो फिर वही बने रहनेमे कोई औचित्य नही हो सकता। भूल साबित हो जाये तो उसे सुधारना ही चाहिए।

अहिसासे राज्य दिलानेवाला मै कौन? यदि मुझमे अहिसा सचमुच होगी तो उसकी छूत लगे बिना हरगिज नही रहेगी। मुझे अपने पर कम श्रद्धा हे, लेकिन अहिसा पर अटूट श्रद्धा हे। जगतने इस महान सिद्धातको जान तो लिया है, परन्तु उसका आचरण बहुत थोडा किया गया है। मुझे तो रोज उसके नये घूट पीनेको

१ प्रेमाबहन द्वारा गाधीजीको जेलमें भेजी गई पूनियोका सूत।

२ नाम छोड दिया गया है।

३ डॉ० हार्डिकरके साथी जिन्होने सविनय अवज्ञा आन्दोलनके समय अपने धन्धे छोड दिये थे और आन्दोलन वापस लेनेके समय कष्टमें थे। डॉ० हार्डिकर भी उनकी कोई मदद नही कर सकते थे।

४ शकरराव देव अपना आश्रम सासवाड़से हटाकर एक छोटे गाँवमें ले जाना चाहते थे।

मिलते है, क्योंकि मेरे लिए तो वही कल्पवृक्ष है। इस दुनियामें मेरे लिए और कुछ सम्भव नहीं है। क्योंकि सत्यनारायणसे मिलनेका दूसरा कोई मार्ग मुझे मिला ही नहीं। और उसके मिले बिना जीवन व्यर्थ लगता है। इसलिए अहिंसाका मार्ग कठिन हो या सरल, मुझे तो उसी मार्गसे जाना है। यदि मेरी मृत्युके बाद मारकाट ही मच जाये, तो समझना कि मेरी अहिंसा अत्यल्प अथवा झूठी थी — अहिंसाका सिद्धान्त कभी झूठा नहीं हो सकता। अथवा यह भी हो सकता है कि अहिंसा सिद्ध करनेसे पहले हमें रक्तकी वैतरणीमें से गुजरना पड़े। सन् १९२० में राजनीतिमें अहिंसा आई। उसके बाद क्या चौरी चौरा[1] इत्यादिकी घटनाएँ नहीं हुई, क्या सरकारने अपने जुल्मोंमें कोई कसर रखी है? परन्तु मेरा विश्वास है कि यह सारी हिंसा होते हुए भी अहिंसाने अपना प्रभाव खूब डाला है। फिर भी वह समुद्रमें बिन्दुमात्र है। मेरा प्रयोग आगे ही बढ़ता जाता है। भगवान करे तेरी श्रद्धा कभी विचलित न हो!

हमारी इन्द्रियाँ जो कुछ देखती हैं वह सत्य ही है, ऐसी बात नहीं; अक्सर तो वे असत्य ही देखती हैं। इसीलिए अनासक्तिका मार्ग ढूंढा गया। अनासक्ति अर्थात् इन्द्रियोंसे परे जाना। यह तो उनमें रहनेवाली आसक्तिको छोड़नेसे ही हो सकता है। आँखका प्रमाण मानें तो पृथ्वी समतल ही सिद्ध होगी न? सूरज सोनेकी थाली के सिवा क्या है? मेरी आँखें जिस प्रेमाको देखती हैं, अगर वही सच्ची प्रेमा हो, तो मेरी मुसीबत हो जाये न? कानोंसे मेरे बारेमें जो कुछ तू सुने, यदि वह सब तू सच मान बैठे तो!

अब तो बहुत हुआ। मीराबहनका अलार्म बज गया। अब प्रार्थनाकी घंटी बजेगी। इतनेसे मेरी मनःस्थितिका जो चित्र खींचा जा सके, वह खींचना। १५ तारीखके बाद दिल्ली जानेका इरादा है। वहाँ थोड़े समय हरिजन-आश्रममें रहनेका विचार है।

अन्तमें तो अभी जेल ही नजर आता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६३) से। सी० डब्ल्यू० ६८०२ से भी, सौजन्य : प्रेमाबहन कटक

1. देखिए खण्ड २२, पृ० ४३८-४४ तथा ४४६-५०।

४९६ पत्र हीरालाल शर्माको

४ दिसम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा पत्र कल मिला। सम्भव है उससे सामानका पता मिल जाये। उसमे तुमने जो सब लिखा है वह शोध करनेके लिए काफी है। तुमको यहा इस कामके लिए कैसे बुलाऊँ? तुमारे वहा जानेका एक बडा सबब द्रौपदी और बच्चोके पास रहकर उनकी सेवा करना है। यही तुमारी शिक्षाका आरम्भ हे इसीसे नेचरोपेथी शुरू होती है फिर तुम लिखते हो डा० अनसारी कबूल करे तो उनके घरके एक कमरेमे रहोगे। यह भी द्रौपदीको छोडकर कृष्णाको हाडपिजरकी हालतमे रखे हुए? नही, तुमारी शिक्षा तुमारा कर्तव्य आज तो द्रौपदी और बच्चोके पास रहते हुए जो कुछ हो सकता है सो करनेका है।

द्रौपदी और बच्चोको लेकर खुर्जेके नजदीकके गावमे कही रहो। ऐसा नही तो किसी देहातमे। दिल्लीके नजदीक नरेला है वहा कृष्णन नेयर रहता है। सज्जन है। उसके पास भी रह सकते हो। मतलब वह जगह बतायेगा अथवा अपने साथ रखेगा। खुर्जेमे भाइयोके साथ तो रहनेका नही है।[1] जो भाई खच देते है वह तो जहा होगे वहा खच देता ही रहेगा। बताओ उनकी आमद कितनी है?

अमतुलकी इच्छा तुमारे साथ रहकर कुछ करनेकी है। यदि किसी देहातमे रह सकते हो तो यह इच्छा भी फलित हो सकती है। वह द्रौपदी और बच्चोकी सेवा करना चाहती है लेकिन इस बातका तुमारे देहातमे जाकर रहनेसे कोई सम्ब ध नही है।

ऐसा तो मुझे नही कहोगे कि ऐनेटमीके पुस्तक नही मिले है इस कारण तुमारा अभ्यास रुक गया है। पुस्तक कभी भी मिले तुमारा अभ्यास तो व्यवस्थित जीवन व्यतीत करनेसे हो ही रहा है, वहम मात्र निकालनेसे भी होता है। देखो ज्ञानोबाको मेरे पास नही लानेमे मेरी रक्षा ही कारण था, अगर लोई मिल जाये तो मुझे उसे (ज्ञानोबा) मिलनेका कोई कारण नही था। किशोरीलाल (मशरूवाले) को मैने ही नीचे भेजे थे। ऐसे ही कमलनयन, मोघेजीकी बात है, जब बाते हुई तब अमतुल वहा खडी थी। उसने सब बाते सुनी। वह कहती है कमलनयन और मोघेजी सिफ मजाक करते थे उसमे तुमारे जानेमे खुशीकी कोई बात नही थी।[2] सम्भव हे तुमारे जानेका उनको न रज था न खुशी। नेचरोपैथ बनना चाहता है वह आदमी किसी पर वहम नही करेगा, जल्दबाजी नही करेगा, किसीके दोषका ध्यान नही धरेगा। तुलसीदासके इस दोहेका नित्य मनन करेगा।

१ यह घर हवा और धूपकी दृष्टिसे ठीक नही था।

२ देखिए पृ० ४३२ की पाद टिप्पणी १।

जड चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार॥

तब तो दूसरोकी दवाई करेगा। दूसरोके रोगका निदान सच्चा करेगा।

रामदास यदि आयेगा तो मेरे साथ ही चलेगा। देखता हूँ क्या होता है।

आजकल समय कैसे व्यतीत करते हो? क्या पढते हो? तुम्हारे पास किताब तो काफी है ही।

दिल्लीसे मनाई हुक्म तो आया है अब पत्र-व्यवहार चल रहा है। देखें क्या होता है।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १२७-९

४९७ पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूजको

५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा अंतिम पत्र मुझे अभी मिला है। तुम्हारा स्वागत करनेके सिवा मुझे और कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। किसी अत्यावश्यक कार्यसे तुम्हारी वहां जरूरत हो जाये तो अलग बात है, वैसे मैं ७ तारीखको तुम्हारे यहां पहुँचनेकी आशा करता हूँ।

वाइसरायका पत्र[1] मुझे मिल गया है। इसमें मुझसे कहा गया है कि मैं सीमा-प्रान्त न जाऊँ। हॉयलैंड बिहार जाते हुए १७ तारीखको यहां आयेंगे। मैं १८ तारीखको हरिजन आश्रममें कुछ दिन बितानेके लिए दिल्ली जाना चाहूँगा और उसके बाद ।[2]

अमत कौर यहाँ ११ तारीखको आयेगी और वह आशा कर रही है कि तुम यहां होगे।

बाकी बातें तुम्हें मथुरादास लिखेंगे।

हम सबकी ओरसे सप्रेम,

मोहन

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९६८५) से, सौजन्य विश्वभारती पुस्तकालय, शांतिनिकेतन

१ देखिए पृ० ३७३ की पाद टिप्पणी १।
२ साधन सूत्रमें यहाँ स्थान रिक्त छोड़ दिया गया है।

४९८ पत्र पट्टाभि सीतारमय्याको

५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० पट्टाभि,

आपका पत्र मिला। मै जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त है। मै जो चाहता हूँ वह यह है

(१) आपके कायमे हस्तक्षेप किये बिना म चाहता हूँ कि आप मुझे यह बताये कि मैंने आपको जिस दिशाकी ओर इगित किया है उस दिशामे आपके यहा पुनरुत्थान की क्या सम्भावनाएँ है?

(२) आपकी रायमे विभिन्न जिलोका बीडा कौन उठा सकते है? उन्हे लगभग अपना सारा समय इस कायको देना होगा और फिर भी यदि सम्भव हो तो अपना राह खच खुद देना होगा तथा इस तरह सस्थाको स्वावलम्बी बनाना होगा। इस सस्थाको घाटेमे नही चलाया जाना चाहिए।

(३) क्या आप अपने जिलेमे यह काम शुरू करना चाहते है?

(४) गावोमे बने अतिरिक्त मालको बेचनेके लिए खादी भण्डार अथवा खादी-केन्द्र आपसमे तय की गई शर्तोपर उधार ले ले, इसके बारेमे आपकी क्या राय है? यदि उत्तर हा मे है तो उसकी शर्ते क्या होनी चाहिए?

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

डा० पट्टाभि सीतारमय्या
मसूलीपट्टम

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

४९९ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको

५ दिसम्बर, १९३४

जेल जानेकी तैयारी कर रहा हूँ। अब इसे टालना मुश्किल दिखाई देता है। "आजका लाभ उठाओ, कल किसने देखा है?"

मैंने नेटालमे जो 'सक्षिप्त बालकाड' छपाया था वह, और गटुलालजीकी 'सुभाषित लहरी' यदि तुम्हारे पास हो तो एन्ड्रयूजके हाथ भेजना। उसमे गटुलालजीकी समश्लोकी 'गीता' है, वह चाहिए।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, पृ० १५४

५०० पत्र एन० आर० मलकानीको

५ दिसम्बर १९३४

दुबारा नहीं पढ़ा

प्रिय मलकानी,

गाधी सेवा सघ अपना एक नया सविधान बना रहा है। इसने कोई नया दायित्व न लेनेका निश्चय किया है। यह ऐसे कायकर्त्ता भर्ती करेगा जिनके उद्देश्य तो समान होगे, लेकिन किसी एक ही कोषपर इ्हे आश्रित रहनेकी आवश्यकता नही होगी। जमनालालजी ही एकमात्र धन सकलनकर्ता है, और उन्होने अपने ऊपर ऐसे भार ले रखे है जि्हे वे हमेशा निभाते रह सकनेकी आशा नही कर सकते। ऐसे भारके नीचे दबकर तो सघ टुकडे-टुकडे हो जायेगा। इसलिए जबतक तुम हरिजन-सघमे हो तबतक अपना खच उसके कोषसे ही लो। जब तुम अपना सारा समय हरिजन सघको दे रहे हो तो उसमे कोई हज भी नही है। अपने आश्रितोको भी उसीमे खीच लो और तुम जो कुछ धन लोगे वह कभी बहुत भारी नही पडेगा। अगर हम मिले तो शेष बाते मिलनेपर होगी। यह 'अगर' तो इस कारण लगा है क्योकि १५ तारीखके बादभी घनश्यामदासके वहा आनेका कुछ निश्चय नही है। और यदि वह वहा नही होगे तो मै भी नही आऊँगा।

सप्रेम,

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९०३) से।

५०१ पत्र शकरलाल बैंकरको

६ दिसम्बर, १९३४

प्रिय शकरलाल,

यदि तुम्हारे पास मगनलाल-स्मारक अपील[१] और घोषित किये गये न्यासियोके नामोकी एक प्रति है तो मुझे भेज दो। हमारा विचार एक स्मारककी स्थापना करनेका है और शायद तुम्हे याद होगा कि यह सुझाव जमनालालजीने दिया था। एक बहुत बडा हाल होगा जिसमे रुई चुननेसे लेकर ओटाईतक की सारी प्रक्रिया देखी जा सकेगी, यह मुख्य आकषण होगा और इसके आसपास ग्रामोद्योगकी वस्तुएँ

१ देखिए खण्ड ३६, पृ० ३४२ ३।

भी होगी। वहां ग्रामोद्योग संघका कार्यालय खोलनेका भी विचार है, और यदि सम्भव हुआ तो वहींपर अ० भा० च० सं० का कार्यालय भी होगा। तुम्हें यह सारी योजना कैसी लगती है?

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

५०२. पत्र : चित्रवशास्त्रीको

६ दिसम्बर, १९३४

प्रिय चित्रवशास्त्री,

आपका तार मिला। नाथूरामकी हत्याके समर्थनमें सिंधके मुसलमानों द्वारा निकाले गये जुलूसके बारेमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। किसी हत्याकी बात सुनकर मुझे कितनी परेशानी होती है यह सर्वविदित है। निःसन्देह नाथूरामकी हत्या एक बुरी बात थी और जिस ढंगसे हत्या की गई है वह तो और भी बुरी है। लेकिन मेरे, और आपके भी, अच्छा न लगनेका कोई महत्त्व नहीं है। असली महत्त्व तो मुसलमानोंके अच्छा न लगनेका है।

हृदयसे आपका,

श्री चित्रवशास्त्री
अध्यक्ष, महाराष्ट्र हिन्दू महासभा
पूना शहर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

५०३. पत्र : नोरा मोरेलको

६ दिसम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला, धन्यवाद। यह पत्र मुझे कुछ समय पहले मिल गया था, लेकिन अत्यधिक कार्य होनेके कारण मैं जल्दी उत्तर नहीं दे पाया।

जर्मनीमें रहते हुए भारतकी सेवा करनेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जर्मनीमें रहनेवाले भारतीयोंके साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करें, और दूसरे, आप जिन सिद्धान्तोंको आदर्श मानती हैं, उनके अनुरूप कार्य करें।

हृदयसे आपका,

मदाम नोरा मोरेल
बर्लिन-विलमर्सडॉर्फ
रुडशमर प्लाज ६

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

५०४ पत्र जयरामदास दौलतरामको

६ दिसम्बर, १९३४

अब मेरे जमन मित्रका पत्र हाथ लगा है। मैंने उसे पत्र लिखा है।[1] यह रही उसकी एक प्रति जिससे कि यदि तुम चाहो तो तुम भी उसे लिख सकते हो। उत्तर देनेमे देर तो जरूर हो गई है, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद।

सलग्न १

श्री जयरामदास दौलतराम
मार्केट स्ट्रीट
हैदराबाद (सिन्ध)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

५०५ पत्र अप्टन सिक्लेयरको

६ दिसम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

एक लम्बे अर्सेके बाद आपका पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने अपनी पुस्तके अहमदाबादके पतेपर भेजी है। मेरा सदर मुकाम आजकल आश्रम, वर्धा है। इसलिए लगता है कि किताबे अभी कही रास्तेमे हैं। मै दोनो पुस्तको 'द क्राइ फार जस्टिस' और 'एपिक कैम्पेन', की उत्कटताके साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यदि आप बुरा न माने तो मै चाहूँगा कि आप मुझे एक नया पासल भेज दे जिससे कि पहलेसे भेजा गया पासल अगर कही खो जाता है तो मै पुस्तकोके लाभसे वचित तो नही होऊँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत अप्टन सिक्लेयर
स्टेशन ए० पासाडेना
कैलिफोर्निया

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए पिछला शीषक।

५०६ तार वाइसरायके निजी सचिवको

७ दिसम्बर, १९३४

सीमा प्रान्तकी अपनी प्रस्तावित यात्राके बारेमे अपने कर्त्तव्यपर मैं प्रार्थना-पूर्ण मनसे विचार कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच यह देखते हुए कि हमारे पत्र व्यवहारकी विकृत रिपोर्टें अखबारोमे छप रही हैं, मैं चाहूँगा कि यदि वाइसराय महोदयको आपत्ति न हो तो उसे प्रकाशित कर दूं।[१]

गाधी

[अग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल न० ४/८/३५, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार।
बाम्बे क्रानिकल, १२ १२ १९३४ भी।

५०७ पत्र मार्गरेट स्पीगलको

७ दिसम्बर, १९३४

चि० अमला,

मुझे तुम्हारे पत्र मिल गये हैं। यदि तुम्हे शान्तिनिकेतनमे कुछ मिल सके तो मुझे खुशी होगी। अपनी शर्तें बतानेमे बहुत लोभसे काम मत लेना। शेष महादेव लिखेगा।

सप्रेम,

बापू

[अग्रेजीसे]

स्पीगल पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१ वाइसरायके निजी सचिवने १० दिसम्बरको उत्तर दिया "वाइसराय महोदयको पत्र-व्यवहार प्रकाशित करनेपर कोई आपत्ति नही है।

५०८ पत्र भगवानजी पु० पण्डचाको

७ दिसम्बर, १९३४

चि० भगवानजी

तुम्हारा पत्र मिला। भाई धूलजीको नकद रुपया कहा से दू? किस तरह दिया जाये? मेरा तो एक पाव जेलमे है और एक जेलसे बाहर। उन्हे बीजापुर छोडना ही नही चाहिए था। और अब यदि छोडा ही है, तो उन्हे कही कामपर लग जाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

तुम्हे हठपूर्वक दूध तथा फलपर नही रहना चाहिए। कच्चा दूध और जो कच्ची खाई जा सके, ऐसी सब्जियो और कद-मूलपर रहनेका प्रयोग करना चाहिए।

गुजरातीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ३७३) से, सौजन्य भगवानजी पुरुषोत्तम पण्डचा

५०९ पत्र मनुबहन गाधीको

७ दिसम्बर, १९३४

चि० मनुडी,

तू बीमार कैसे पड गई? क्या 'भाई' से सेवा करवानेके खयालसे? लेकिन ज्यादा सेवा लिये बिना जल्द ही ठीक हो जाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १५३६) से, सौजन्य मनुबहन एस० मशरूवाला

५१० बातचीत अब्दुल गफ्फार खाके साथ[1]

७ दिसम्बर, १९३४

[गाधीजी] खान साहब यह ऐसा मोका नही है जब हमे बचाव पेश नही करना चाहिए। हमे अपना वकील करके बचाव पेश करना चाहिए।

खान साहबने कहा, "हो सकता है, लेकिन अदालतमे अपना बचाव पेश करना मुझे पसन्द नही है। १९१९ से आपने हम लोगोको सिखाया है कि हम कानूनी अदालतोको मान्यता न दे और इस मौकेपर म इसके विपरीत कुछ नहीं करना चाहूँगा।"

[गाधीजी] मै समझता हूँ, लेकिन अगर हमारा बस चले तो हम अभी जेल नही जाना चाहते, और इसलिए मै आपसे आग्रह करूँगा कि आप एक वकील कर ले।

"आप जसा चाहे", खान साहबने कहा, और अधिकारियोके साथ जानेके लिए तयार हो गये।

[अग्रेजीसे]

बाम्बे क्रानिकल, ९ १२ १९३४

१ अब्दुल गफ्फार खाँ गिरफ्तार किये जानेके बाद जिस समय ले जाये जा रहे थे उस समय यह बातचीत हुई थी। **बाम्बे क्रॉनिकल** ने लिखा है आज शाम सवा पाँच बजेके करीब जिस समय वर्धाका डिप्टी पुलिस सुपरिटेडेंट बम्बईके एक पुलिस अधिकारीके साथ खान अब्दुल गफ्फार खाँको पूछता हुआ सत्याग्रह आश्रम पहुँचा उस समय वह ऊपरकी मजिलपर महात्मा गाधीके साथ बैठे हुए थे। पुलिसके आनेकी सूचना उन्हे मीराबहनने दी। गाधीजीने मीराबहनसे कहा कि वह पुलिसवालोको ऊपर ले आये।

डी० एस० पी० ऊपर आया और उसने गाधीजीको बताया कि उसके पास खान अब्दुल गफ्फार खाँकी गिरफ्तारीके लिए बम्बईके प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया एक वारट है। गांधीजीने वारट ले लिया और खान साहबको पढ़कर सुनाया। वारट धारा १२४ ए के अधीन लगाये अभियोगके आधारपर था और उसमे किसी भाषण अथवा लेखका उल्लेख नही था। डी० एस० पी० ने खान साहबसे पूछा कि वह कबतक तैयार हो जायेंगे। उन्होने कहा कि मैं तैयार हूँ। लेकिन गाधीजीने डी० एस० पी० से कहा कि यदि आपको आपत्ति न हो तो खान साहब जमनालालजीके घरपर अपने भाई और बच्चोंसे मिल लें।'

५११ पत्र अब्दुल गनीको

७ दिसम्बर, १९३४

प्रिय गनी,

मैं तुम्हारे पिताकी लिखी चिटठी एक अलग लिफाफेमे भेज रहा हू। पत्र लिखनेके बाद उन्हे मेरी उपस्थितिमे गिरफ्तार कर लिया गया था और बम्बई ले जाया गया था। वहा उनपर दफा १२४ ए के अन्तगत मुकदमा चलाया जायेगा। तुम इससे परेशान न होना। जेल तो हमारा दूसरा अथवा सच्चा घर है।

मैं तुमसे एक लम्बे पत्रकी आशा रखता हूँ जिसमे तुम यह भी लिखो कि वहा तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। लखनऊके पतेपर मैंने तुम्हे जो पत्र लिखा था क्या वह मिल गया?

सप्रेम,

बापू

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

५१२ पत्र चोइथराम गिडवानीको

८ दिसम्बर, १९३४

प्रिय चोइथराम,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला। मैं कह नही सकता कि किसी प्रकारके प्रचारसे तुम्हारा कोई लाभ होगा। किसी भी सूरतमे तुम अब खान साहबको नही पा सकते। वह गिरफ्तार हो गये हैं। याद रखो कि हम लोग इस समय अपनेको गिरफ्तार नही कराना चाहते। हमे गावोमे काम करनेवाले मूक श्रमिक बनना है। भाषण करनेका काम उन थोडे से लोगोके लिए छोड देना होगा जो विधान सभाओमे हैं और इसीलिए उसे केवल थोडे-से लोगोतक ही सीमित रहना चाहिए। आशा है, तुम चुस्त और ठीक-ठाक हो।

तुम्हारा,

बापू

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० ८५) से।

५१३ पत्र प्रभावतीको

८ दिसम्बर, १९३४

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र मिला। आज ही आया है। इसपर ६ तारीख दी हुई है, इसलिए कल मिलना चाहिए था। मैंने मम्मी[1]को जो पत्र[2] लिखा है वह कदाचित तुझे पढनेको मिलेगा ही। मैंने लिखा है कि उन्हे तेरे साथ बात करके मामलेको अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिए। चाहे जो हो, चाज देनेके लिए उन्हे कुछ दिनोके लिए तुझे भेजना ही चाहिए।

शेष सब मिलनेपर। उम्मीद है, जयप्रकाशकी तबीयत अच्छी होगी।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

एन्ड्रयूज आज ही आये है। खुर्शेदबहन सोमवारको आयेगी। तेरे लिए गोपीका पत्र आया है जिसमे उसने लिखा है कि वह ठीक है। खान साहबके पकडे जानेकी खबर तूने सुनी ही होगी।

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ३४४५) से।

५१४ सन्देश प्रभाशकर पट्टणीको[3]

८ दिसम्बर, १९३४

मुझे आपकी कठिनाइयोका ध्यान आता है। यदि आप नगरपालिकाको धमकायेगे तो यह निस्सन्देह एक अच्छी बात होगी और यदि केवल गाल बजानेवाली नगरपालिकाको आप बन्द कर देते है तो उसे कोई 'फासिज्म' नही कहेगा।

× × ×[4]

आप चिन्ताका सारा बोझ स्वय न उठाकर यदि थोडा यहा भी भेज दे तो कितना अच्छा हो।

गुजरातीकी फोटो नकल (जी० एन० ५९४०) से, सी० डबल्यू० ३२५७ से भी, सौजन्य महेश पी० पट्टणी

१ स्वरूपरानी नेहरू।

२ पत्र उपलब्ध नही है।

३ यह सन्देश महादेव देसाईने सर प्रभाशकर पट्टणीको ८ दिसम्बर १९३४को लिखे अपने पत्रमें दिया था।

४ मूलमें यहाँ छूटा हुआ है।

५१५ पत्र नरहरि द्वा० परीखको

८ दिसम्बर, १९३४

चि० नरहरि,

तुम्हारा पत्र मिला।

गोशालाके लिए भाई मावलकर और रणछोडभाईने रुपया दिया सो ठीक किया। मुझे अम्बालाल भाईका पत्र मिला था जिसमे उन्होंने लिखा है कि वे ३१ दिसम्बर तकका घाटा तो अवश्य पूरा करना चाहते हैं। इसलिए तुम मावलकर और रणछोडभाईका दिया पैसा अभी खर्च करो, लेकिन जमा आगामी वर्षके हिसाबमे करना। और इसी तरह जब तुम्हे अम्बालालसे रुपये मिल जाये तब मैंने तुम्हे जो १,००० रुपये भेजे है वह तुम्हे वापस करने होगे। इससे हिसाब ठीक हो जायेगा। दिसम्बरके अन्त तक [घाटेका] जो आकडा बने वह मुझे भेजनेके बाद अम्बालालको भेजना। यदि तबतक मै ठिकाने [जेल] पहुँच गया होऊँ तो इस पत्रमे मैंने जैसा बताया है वैसा करना। गोशालाके घाटेको पूरा करके किन्ही दूसरी जगहोसे जो पसे आये हो उनके बारेमे मुझे बताना। इन्हे हमे उस रकममे नही जोडना चाहिए जो अम्बालाल हमे देना चाहते हैं। उदाहरणके लिए, गोसेवा-सघके लिए आया हुआ वह पैसा जिसकी सूचना तुमने ही दी थी। मैंने नारणदासको भी सक्षेपमे यह सब लिख दिया है। तुम्हारे आखिरी पत्रके बारेमे उसे अभी कोई जानकारी नही है।

रतिलाल तो सचमुच बहुत बचा। अब चोर हाथ आ जाये तो अच्छा हो। तुम प्रभाशकरको बँगलेकी चौकसी थोडी और बढा देनेकी सलाह देना। पुलिससे जो मदद मागी जा सके सो प्रभाशकरको मागनी चाहिए, और यदि रतिलालको वहाँ रहनेमे डर लगे तो हमे आश्रममे उसके लिए कमरेकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। यह कमरा उसे किरायेपर दिया जाये। यदि कोई जोखिमकी चीज बँगलेमे हो तो उसे वहासे हटा देनेकी भी मैंने सलाह दी है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो नकल (एस० एन० ९०६६) से।

५१६ वक्तव्य समाचारपत्रोको

९ दिसम्बर, १९३४

मुझे खेद है कि सीमा प्रातकी मेरी प्रस्तावित यात्राके बारेमे सरकार और मेरे बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है, अखबारोके सवाददाताओने उसके सम्बन्धमे अनधिकृत रिपोर्ट प्रचारित की है। मै जनताको सावधान करता हूँ कि वह इन रिपोर्टोपर विश्वास न करे। मै शीघ्र ही एक वक्तव्य देनेकी आशा करता हूँ।[1]

[अग्रेजीसे]

बाम्बे क्रानिकल, १०-१२ १९३४

५१७ पत्र किर्लोस्कर-बन्धुओको

१० दिसम्बर, १९३४

महोदय,

कल एक महत्त्वपूण मुलाकातके दौरान मुझे आपका पत्र मिला। मै उसे आज सवेरे तीन बजे ही पढ सका। मैने आपके आविष्कारमे अत्यत गहरी दिलचस्पी ली है। एक मिस्तरी और एक व्यक्तिके रूपमे मेरे मनमे श्री कालेके प्रति बहुत आदर-भाव है। वे जब आश्रममे थे तब मै उनकी ओर आकर्षित हुआ था। काफी व्यस्त होनेके कारण मै मशीनकी जाचमे ज्यादा समय नही दे पाया, लेकिन जो लोग[2] इस मशीनकी जाँच कर रहे है उनसे मै बराबर सम्पक स्थापित किये हुए हूँ। जब आपने इस मशीनको भेजनेकी पेशकश की थी तब मैने आपको अपनी कठिनाईके बारेमे बताया था। लेकिन मेरे एक मित्रने मुझपर दबाव डाला कि मै स्वय इसकी जाँच करके देखू। इसलिए मैने आपको यह अनुरोध करते हुए फिर पत्र लिखा[3] कि आप श्री काले ओर एक ऐसे व्यक्ति सहित यह मशीन भेजे जिसे औजारोकी सामान्य जानकारी हो। मेरा विचार कुछ समयके लिए यहा मशीन रखनेका था जिससे आश्रमके निदेशक श्री विनोबा भी इसकी जाच कर ले। जिसकी मशीन सबसे अच्छी होगी उसे १,००,००० रुपयेका पुरस्कार मिलेगा। और यदि मेरी कल्पनाकी मशीन मुझे मिल सके तो मै स्वय यह पुरस्कार देना चाहूँगा। सामान्य चरखेकी सबसे ज्यादा रफ्तार ७०० गज सूत प्रति घण्टा है। आपकी मशीनके अलावा दो और भी अच्छी मशीने है। उनपर भी सुधार किया जा रहा है।

१ देखिए ' वक्तव्य समाचारपत्रोको ', ११ १२ १९३४।

२ सतीशचन्द्र दासगुप्त, लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम आसर और च० राजगोपालाचारी।

३ देखिए 'पत्र किर्लोस्कर बन्धुओको', २४ ११ १९३४।

मै १८ तारीखको अथवा उसके आसपास दिल्लीके लिए रवाना होनेवाला हूँ। इसके बाद मेरा कायक्रम कुछ अनिश्चित सा हो जायेगा। यदि म वधा लोटनेके अपने प्रयत्नमे सफल रहता हूँ, और यदि आप मरे अनुरोधपर अपनी मशीन भजनेका तैयार हो जाते है ता मै स्वय सहष उस मशीनकी जाच कर डालूगा। मेरा इरादा ग्रामोद्योग-योजनाके प्रति आपके मनमे दिलचस्पी पदा करना है। ओर मै चाहूँगा कि आप अपने सुझावो द्वारा अथवा गावके ओजारामे विशेष रूपसे आटा पीसनेकी चक्की, चावल कूटनेकी मशीन, कोल्हू और गन्नेका रस निकालनेवाली मशीनमे सुधार करके ग्रामोद्योग सगठनकी सहायता करे।

और यदि आप मेरे अनुरोधको स्वीकार करते है तो मै चाहूँगा कि आप उसे लोकोपकारी कायमे लगे एक कामरेडके रूपमे स्वीकार करे, एक व्यापारीके रूपमे नही जिन्हे हमेशा सावजनिक कायकर्त्ताओके उद्देश्याके बारेमे सन्देह रहता ह ऐसे कायकत्ताओके प्रति जो आप जसे उद्योगपतियाको ऐसी मशीनाका आविष्कार करनेके लिए प्रेरित करनेको प्रयत्नशील रहते ह जिनसे लाखा ग्रामवासियाका भला होता हो।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

५१८ पत्र जे० एन० साहनीको

१० दिसम्बर, १९३४

प्रिय साहनी,

मै नही जानता कि अधिकारियोके साथ मै जो पत्र व्यवहार कर रहा हूँ उसके बारेमे तुमने अपूण और अनधिकृत तथा विकृत विवरण छापकर राष्ट्रकी मागको किस हदतक पूरा किया है और निजी मैत्रीका किस हदतक आदर किया है। यदि तुम्हे लगता है कि तुमने ऐसा करके राष्ट्रीय उद्देश्यको लाभ पहुँचाया है तो मुझे कुछ नही कहना है। ज्यादा बुद्धिमानीकी बात इसमे थी कि तुमने इस बारेमे मुझसे पूछ ताछ कर ली होती, जैसाकि कभी-कभी सवथा अपरिचित लोग भी कर लेते है।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री जे० एन० साहनी
'नेशनल काल'
दिल्ली

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

५१९ पत्र एम० विश्वेश्वरैयाको[1]

१० दिसम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। धन्यवाद। सौभाग्यसे आपकी भेजी किताब भी मुझे मिल गई है। इसके लिए भी कृपया मेरा धन्यवाद स्वीकार करें।

आपके पत्रसे मुझे बहुत हर्ष हुआ, क्योंकि उसमें गाँववालोंके लिए किये जाने वाले मेरे विनम्र प्रयासको आपने अपना समर्थन देनेका वायदा किया है। भारी उद्योगोंके बारेमें आपके कथनका समर्थन करनेमें मुझे तनिक भी कठिनाई नहीं मालूम होती। मैं जानता हूँ कि बिना शक्ति-चालित यन्त्रोंके भारी उद्योगोंका संगठन नहीं किया जा सकता। मैं मशीनोंके ऐसे उपयोगके खिलाफ नहीं हूँ। मुझे तो आपत्ति तब है जब ऐसी मशीनें मानव श्रमको हटाकर उनका स्थान ले लें, लेकिन बदलेमें ऐसी कोई व्यवस्था न करें कि विस्थापित श्रमिकोंको कम से-कम उनके उपयुक्त कोई दूसरा काम मिल सके।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो नकल (सी० डब्ल्यू० ९७२७) से, सौजन्य मैसूर सरकार

५२० पत्र कार्ल हीथको

१० दिसम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका १९ नवम्बरका पत्र मिला। चार्ली एन्ड्रयूजकी मदद लेनेके बावजूद मैं उसे समझ नहीं सका हूँ।

मैं आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि वर्तमान गतिरोधका जो भी हल हो वह न्याय-संगत और रचनात्मक होना चाहिए। इसे न ऊपरसे थोपा जाना चाहिए और न यह विवशतापर आधारित होना चाहिए। दूसरे शब्दोंमें, इसका हल दोनों देशोंको आपसी सहमतिसे निकालना चाहिए और वह दोनोंके लिए सम्मानजनक होना

१ यह पत्र नई दिल्लीमें १९६९-७० में आयोजित गांधी दर्शन प्रदर्शनीके मैसूर कक्षमें प्रदर्शित किया गया था।

चाहिए। मै भारतकी तकलीफोको जानता हूँ और लकाशायरकी तकलीफोको भी जानता हूँ। किन्तु यदि इन दोनोके सन्निधान यह अथ निकाला जाता हो कि दोनोकी तकलीफोके कारण भी एक समान है तो म इस विचारसे असहमत हू। भारतकी तकलीफ उसके ऊपर थोपी गई तकलीफ है। लकाशायरकी तकलीफका कारण कुछ तो विश्वकी परिस्थितिया है और कुछ उसकी खुदकी अदूरदर्शिता तथा उसका स्वार्थीपन है। लकाशायरकी तकलीफको भारतकी मददसे यथासम्भव हल्का करनेके विचारसे मने १९३१ मे, जब मै इग्लैडमे था, एक निश्चित प्रस्ताव भी रखा था।[1] मेरा प्रस्ताव यह था कि यदि भारत और इग्लैडके बीच स्वेच्छासे कोई समझौता हो जाता है तो हाथसे बने कपडे अथवा मिलमे बने कपडेके सिवाय जितना अतिरिक्त कपडा जरूरी होगा, उसकी पूर्तिके लिए भारत इग्लडके बने कपडेको तरजीह दे सकता है। मै नही जानता कि आज इग्लडको इस प्रकारकी तरजीह दे सकना किस हदतक सम्भव है, क्योकि गोलमेज सम्मेलनके बादसे अभीतक बहुत थोडा-सा ही समय गुजरा है लेकिन इसी अवधिमे वह अपनी आवश्यकताका सारा कपडा खुद तयार कर सकनेकी और भी ज्यादा अच्छी स्थितिमे पहुँच गया है, और सो भी इस तथ्यके बावजूद कि वह महीन कपडा इग्लैड और जापान, इन देशासे मगा रहा है। तथापि, मुख्य मुद्दा यह नही है कि लकाशायर किस प्रकार अपना कपडा भारतको भेज सकता है, बल्कि यह है कि भारत यदि राजनीतिक और आर्थिक दष्टिसे पूण स्वतन्त्रता प्राप्त कर ले तो उससे भारतको जो लाभ होगे उन लाभोसे सारे इग्लैडको हर प्रकारसे लाभ किस तरह मिल सकता है। म भारतके गावोका जितना भी अध्ययन करता हूँ, उतनी ही तीव्रताके साथ मै यह अनुभव करता हूँ कि जिन बन्धनोके कारण आज उसका स्वाभाविक विकास रुका हुआ है, यदि उन बन्धनोसे मुक्त होकर उसे विकसित होनेका मौका मिले तो कोई कारण नही है कि भारत एक कगाल देश रहे।

आपके पत्रके अन्तिम अनुच्छेदसे ऐसी ध्वनि निकलने लगती है जैसे भारतमे अब कही दमन नही है। मै आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि दमन है और कोई चाहे तो इसे साफ देख सकता है। मै ऐसा एक भी दमनात्मक कानून नही जानता जिसे रद किया गया हो। समाचारपत्रोकी स्वतन्त्रतापर प्रभावकारी बन्धन लगे हुए ह। बगालमे और सीमा-प्रान्तमे भी लोगोकी आनेजानेकी स्वतन्त्रता नामकी कोई चीज है ही नही। यदि आपको गिरफ्तारियो और लाठी चार्जोकी खबरे नही सुनाई पडती तो इसका कारण यह है कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है और काग्रेसने अहिसाकी भावनाको प्रोत्साहन देनेके खयालसे यह निश्चय किया है कि मनुष्यके लिए जिस हदतक सम्भव है उस हदतक वह दमनकारी कानूनोकी अधीनता स्वीकार करेगी। इस सबके भी ऊपर अब ससदीय-समितिके नये सविधान-सम्बन्धी प्रस्ताव आये है। मेरी व्याख्याके अनुसार यह रिपोट स्वतन्त्रताका स्पष्ट अस्वीकार है। मै इसमे विकासकी कोई गुजाइश नही देखता। भारतको

१ देखिए खण्ड ४८, पृ० ७५६ और ८५।

एक जबदस्त बोझके नीचे दबाने और उसपर ब्रिटेनकी पकडको और मजबूत बनानेकी इस योजनाके मुकाबले तो मै मौजूदा स्थितिको ही पसन्द करूगा। मेरी सहन-शक्तिकी जैसी कडी परीक्षा हो रही है वह मेरी क्षमतासे परे है। सीमा प्रात जानेका मेरा रास्ता बन्द है। क्षितिजपर अन्धकारके सिवा कुछ नही है, लेकिन फिर भी मै निराशाका अनुभव नही करता। मै विश्वास करता हूँ कि एक ऐसी कल्याणकारी शक्ति है जो मनुष्यकी सारी योजनाओको रद और अस्तव्यस्त कर देती है। वह शक्ति सदव अव्यवस्थामे से व्यवस्था कायम करती है और अत्याचारियोके अत्याचारोके बावजूद अन्यायका अन्त करती है।

भारतको एक दिन अपने सच्चे स्वरूपको प्राप्त करना है। लेकिन मुख्य रूपसे ऐसा वह तभी कर सकेगा जब भारतके बेटे और बेटिया अपना आचरण ठीक रखेगे ओर भारतकी स्वतन्त्रताके योग्य सिद्ध होगे। हमे अपनी योग्यता सिद्ध करनेके लिए पूरी शक्ति लगानी पडेगी और मै जानता हूँ कि कसिलिएशन ग्रुप (समझौता दल) के मित्रगण अपनी बुद्धिके अनुसार एक न्याय सगत हल निकालनेके लिए भरसक प्रयत्न करेगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

काल हीथ
इडियन कसिलिएशन ग्रुप
फ्रेडस हाउस,
यूस्टन रोड, लन्दन, एन० डब्ल्यू० १

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० १०२७) से।

५२१ पत्र स्टोनको

१० दिसम्बर, १९३४

प्रिय कर्नल स्टोन,

आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। मैने हरिजन यात्राके दौरान सचमुच अच्छा धन इकट्ठा किया। उपर्युक्त धन इस समय हरिजन सेवक-सघ, दिल्लीके हाथमे है। अनुदान देने सम्बन्धी सभी आवेदन पत्रोपर बोर्ड ही विचार करता है। मेरे द्वारा इकट्ठे किये गये धनका उपयोग अधिकाशत उन्ही जिलो अथवा स्थानोमे किया जायेगा, जहासे यह इकट्ठा किया गया था। आपको यह जानकर खुशी होगी कि बोर्डके तत्त्वावधानमे अथवा अशत अथवा पूर्णत बोर्डकी सहायतासे समस्त भारतमे कई हजार स्कूलो और छात्रावासोका सचालन किया जा रहा है।

कहनेकी जरूरत नही कि मै आपकी सस्था और उसके कार्योको कई वर्षोसे जानता आया हूँ। श्री शिदेने कृपा करके उसके प्रति मेरी रुचि जाग्रत की थी। निश्चय ही आपकी यह सस्था एस० एस० सघसे बहुत ज्यादा पुरानी है।

शुभकामनाओ सहित,

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल

५२२ पत्र मणिलाल और सुशीला गाधीको

१० दिसम्बर, १९३४

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्र मिले। मेरे लेखकी फिलहाल कोई उम्मीद न रखो। क्या लिखा जाये, यह मुझे सूझता भी नही। वहाकी स्थितिके बारेमे मै जानता नही। मेरी यह मान्यता अवश्य है कि एजेट तो रहना चाहिए। अच्छा-बुरा जो आये सो हमारा नसीब। लेकिन यदि एजेट न हो तो फिर कुछ भी नही हो सकता। और यदि तुम सबको एजेटका उपयोग करनेकी कला न आती हो तो इसका क्या उपाय है? अथवा अनुभव ही तुम्हे यह कला सिखायेगा। तू स्वय यदि झगडोसे दूर रहेगा तो इतना ही पर्याप्त है। तू रामदासका परमिट नही भेजेगा, यह तो अब पक्का है न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२८) से।

५२३ पत्र रावजीभाई ना० पटेलको

१० दिसम्बर, १९३४

चि० रावजीभाई,

अभी मुझसे सन्देश भेजनेके लिए मत कहो। मुझे काम करने दो और काममे से तुम जो सन्देश ले सको, ले लो, वही अच्छा है। कथनीसे करनी भली है। ग्रामोद्योगका पुनरुद्धार पाटीदार युवक और युवतिया नही करेगे तो और कौन करेगा? इससे बेहतर और क्या शिक्षा हो सकती है? जो मनुष्य ईमानदारीसे एकके दो पैसे बनाता हे और अपनी पहनी खादीकी अपेक्षा देशकी ज्यादा कीमती सेवा करता हे उसे ही शिक्षित कहा जा सकता है। सम्मेलन[1] सफल हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९५९२) से, सौजन्य रावजीभाई नाथा-भाई पटेल

५२४ पत्र वल्लभभाई पटेलको

१० दिसम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

साथका पत्र[2] खान साहबको भेज देना। बाकी महादेव लिखेगे। राजेन्द्रबाबूका पत्र मिलनेके बाद मेरे पास और कोई उपाय नही था। दिल्लीसे अभीतक तार नही आया है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४३

१ पाटीदार सम्मेलन।

२ यह उपलब्ध नही है।

५२५ पत्र मथुरादास त्रिकमजीको

१० दिसम्बर, १९३४

मेरा 'सक्षिप्त बालकाण्ड' मिल सकनेकी तो कोई सम्भावना नही है। सम्भव है, गटुलालका मिल जाये। मिले तो भेजना। कदाचित् मुन्शीके यहा हो। 'बालकाण्ड' तो किसी ऐसे भारतीयके पास होगा जो दक्षिण आफ्रिका हो आया हो। खोज करना।

खान साहबको किस लिए पकडा गया है, इसका अनुमान लगानेमे हम अपना समय व्यर्थ क्यो बरबाद करे? सीधा कारण तो हमारे पास है ही। उनसे उनका तेज सहन नही होता।

मेरे जेल जानेमे अभी समय लगेगा। लेकिन लगता है अन्तत तो जाना ही पडेगा।

मै १८ अथवा १९ तारीखको वर्धा छोडनेका इरादा रखता हूँ।

वे मुझे चाहे जहा भी ले जाय, लेकिन म समझता हूँ कि उन्हे मुझे हरिजन-काय करनेकी सुविधा देनी ही चाहिए।

[1]अभी तो स्वतन्त्र रूपसे विचार कर रहा है। मेरा खयाल है कि खूब ठोकरे खानेके बाद वह ठिकानेपर आ जायेगा। उसका मन बहुत अस्थिर हो गया हे। भगवान ही मालिक हे। वह ज्यादा जानता है। और यह ज्ञान ही मुझे चिन्ता मुक्त कर देता हे।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, प० १५४-५

५२६ पत्र रामेश्वरदास नेवटियाको

१० दिसम्बर, १९३४

चि० रामेश्वर,

मुझे गनीके बारेमे सब खबर दे दो। उसको रू० ३० तो दे ही देना। कल ज्यादा लिखा जायगा। गनीके खानेका क्या प्रबध है? कोई स्वच्छ मुसलमान नही मिल सकता है? ख्रीस्ती पकानेवाला मिले तो भी चलेगा। यदि कोई बडा रेलवे स्टेशन नजदीकमे है तो वहा जाकर एक वखत का खाना खा सकता है। वहाकी आबोहवा कैसी है? आबादी कितनी है?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० ३०४०) से।

1 साधन सूत्रमें नाम नही दिया गया है।

५२७ पत्र राजेन्द्रप्रसादको

१० दिसम्बर, १९३४

भाई राजेद्रप्रसाद,

तुमारा खत मिला, लक्ष्मीदाससे भी सब सुन लिया, मैंने मोलाना साहबको खत भेजा हे उसकी प्रतिलिपि इसके साथ है।[1] इसी मासके आखर हफ्तेमे मे दिल्ली पहुचूगा ऐसी उमीद हे। वहा कमिटीकी मीटिंग तो होगी ही, वहा तक निणय मोकूफ किया जाय। मेरी आशा है कि उस वखत सब फेसला हो जायगा। डरके मारे नीति विरुद्ध निणय तो नही कर सकते ह। जो किया जाय वह गूणदोष देख कर ही हो सकता हे।

मेरा प्रोग्राम अबतक तो दिल्ली तक का है। वाईसरायसे और भी खत व किताबत हागे। जहातक सभव है जेल जानेका टालना चाहता हूँ। भविष्य तो ईश्वरके हाथमे हे।

तुमारा शरीर अच्छा बना रहे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९७३३) से, सौजन्य डा० राजेन्द्रप्रसाद

५२८ पत्र हीरालाल शर्माको

१० दिसम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला। दु ख है तुमारे दो खत एकसे नही होते हैं। सब मूडसे भरे हूए रहते हैं। मेरे लिये वहमकी कोई बात नही है। मेरे नजदीक प्रधान काय तुमको व्यवस्थित बनाना है। वहमका भाजन तो तुम्ही हो। मैंने ऐसा कया लिखा है जिसमे से तुमने मेरा वहमको पहचाना। मै तो हर तरफसे तुमारी [तालीमका] प्रबध करता हू। दा० अनसारीको तो लिखा ही है। कहो और क्या करु? सच्ची तालीम तो हो रही है। देहातमे भी रहनेका मकान न मिल सके उसका अथ कया हो सकता है? कृष्णाका पिघलते रहना, तुमारा बीमार हो जाना कया बताता है? कहा गई तुमारी शोधक शक्ति? कहा गया तुमारा सयम? तुमने लिखा था तुमारे जानेसे शायद कृष्णा ठीक हो जायेगी। अब कया कर रहे हो? मैंने मान लिया था

१ यह पत्र उपलब्ध नही है।

वहा जाकर स्वस्थ हो जाओगे। इस बारका खत मुझे दु ख देता है। बडे सकटमे दिन काट रहे हो ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लडकोकी तालीमका कुछ ठिकाना हूआ है कया?

मुझे स्पष्टतया लिखो क्या हो रहा हे। सब कोई तुमारी केदमे रहनेसे न मुझे भाईओके खत मिल सकते है न द्रौपदीके।

रामदासका कुछ अच्छा नही चलता है। बहूत चिंतित रहता है, अव्यवस्थित भी हो गया है। अनेक प्रकार तरग आते जाते है। ईश्वरेच्छा बलवती हे। हम कया कर सकते है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

शायद मै २० तारीखके नजदीक दिल्ली पहोचुगा।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वष, पृ० १३० ३१के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

५२९ पत्र टी० रामचन्द्रको

[११ दिसम्बर, १९३४ से पूव][1]

महात्मा गाधीने ब्रह्मचारी टी० रामचद्रको[2] पत्र लिखकर उनसे मसूर राज्यके विभिन्न जिलोमे से प्रत्येकके लिए एजेंटोके नाम सुझानेको कहा है जो अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघकी प्रवत्तियोको आगे बढ़ानेका काम करेगे। गाधीजीने यह सकेत किया है कि इस कामके लिए वे ही व्यक्ति चुने जाने चाहिए जो अपना पूरा समय और पूरी शक्ति इसमें लगानेको तयार हो।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, १२-१२ १९३४

५३० पत्र एस० श्रीनिवास अय्यगारको

११ दिसम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पिछले पत्रका उत्तर मैंने जान बूझकर नही दिया, क्योकि उसमे जवाब देनेवाली कोई चीज नही थी। दो दिन पहले आपका जो पत्र मिला, उसका जवाब देनेकी जरूरत अवश्य थी। लेकिन मै आपकी नेक पत्नीके आनेका इतजार कर रहा था। उनसे यहा मिलकर मैंने अपना सौभाग्य माना। अम्बुजमका आना मेरे लिए

१ यह रिपोट दिनाक बगलौर, ११ दिसम्बर १९३४' के अन्तगत प्रकाशित हुई थी।

२ राज्य विधान परिषदके सदस्य और मैसूर राज्य हरिजन सेवक सघके मत्री।

वरदान जैसा सिद्ध हुआ। उससे मिलकर पुरानी मधुर स्मृतिया जाग उठी है और परिवारके एक सदस्यके रूपमे आपके साथ मै और करीब आ गया हूँ। मेरी उसकी लम्बी बातचीत नही हुई है। आशा करता हूँ कि किसी दिन करूँगा। मेरे सामने एक भारी बैठक चल रही है, और अगले दो दिन भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। अम्बुजम अच्छी और प्रसन्न है।

हृदयसे आपका
मो० क० गाधी

मूल अग्रेजीकी फोटो-नकलसे, सौजन्य एस० डोराइस्वामी अय्यर तथा नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

५३१ वक्तव्य समाचारपत्रोको

११ दिसम्बर, १९३४

यह खेदजनक है कि सीमा-प्रातकी मेरी प्रस्तावित यात्राके सम्बधमे वाइसराय महोदय और मेरे बीच जो पत्र व्यवहार चल रहा है उसके बारेमे दोनो पक्षोमे से किसीसे पूछे बिना अखबारी सवाददाताओने भ्रष्ट और विकृत रिपोर्टे प्रकाशित करना मुनासिब समझा है।

कई पत्रोके सम्पादकोने मुझपर दबाव डाला कि मै इन रिपोर्टोका खण्डन करूँ या उनकी पुष्टि करूँ।

मेरे सामने सबसे अच्छा रास्ता यह था कि मै वाइसराय महोदयसे अभीतक हुए पत्र व्यवहारको प्रकाशित करनेकी अनुमति माग। अभी-अभी मुझे यह अनुमति प्राप्त हुई है,[1] और मै पत्र व्यवहारको समाचारपत्रोमे प्रकाशनार्थ दे रहा हूँ।

लेकिन जनताको मै सावधान करता हूँ कि वह ऐसा न समझे कि पत्र-व्यवहार समाप्त हो गया है, और अब मै वाइसराय महोदयकी सलाहके विरुद्ध सीमा प्रातके लिए रवाना होने और अपनेको गिरफ्तार करानेके लिए मौकेका इतजार कर रहा हूँ।

फिलहाल इस समय मेरी इच्छा सविनय अवज्ञा करनेकी कदापि नही है। ईश्वरके एक विनम्र सेवकके रूपमे मेरा उद्देश्य सीमा प्रातके उन लोगोसे मिलना और उनको जानना है जो अपनेको खुदाई खिदमतगार कहते है। अब चूकि उनके वीर नेताको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए यह इच्छा और भी बलवती हो गई है। लेकिन शासनकी अवहेलना करनेसे मेरा तात्कालिक उद्देश्य सिद्ध नही हो सकता। इसलिए मेरा विचार आवश्यक अनुमति प्राप्त करनेके लिए हर सम्भव सवैधानिक तरीका आजमानेका है।

१ देखिए तार वाइसरायके निजी सचिवको' ७-१२ १९३४ की पाद टिप्पणी।

यदि अनुमति न देनेका कारण यह होगा कि सरकारको मेरी मशामे सन्देह है, तो मै उस सन्देहको दूर करनेकी कोशिश करूँगा। जिस हदतक मानवके लिए सम्भव है, उस हदतक मै सत्ताकी सविनय अवज्ञा करनेके हर अवसरको टालूगा।

इसलिए मै जनतासे, और विशेष रूपसे सीमा प्रान्तके मित्रोसे कहूँगा कि वे धीरजसे काम ले। समय आनेपर वे जान जायेगे कि अन्तत क्या होनेवाला है। और मै समाचारपत्रोके सम्पादकोसे अपनी इस इच्छाका आदर करनेको कहूँगा कि वे सीमा-प्रान्तकी मेरी प्रस्तावित यात्राके बारेमे कोई अनधिकृत रिपोर्ट न छापे।

पत्र-व्यवहार यह रहा[1]

[अग्रेजीसे]

बाम्बे क्रानिकल, १२ १२ १९३४

५३२ पत्र प्रभावतीको

११ दिसम्बर, १९३४

चि० प्रभावती,

तेरे दो पत्र एक साथ मिले है। मै सम्भवत १९ तारीखको जाऊँगा। मैने तो सोचा था कि तू रविवारको यहा पहुँच जायेगी। मेरी बातमे इतना बल कहाँ? तेरा वहा रहना कितना जरूरी है और कितना नही है, यह तो तू ही जान सकती है। और मम्मीको प्रसन्न करनेका काम भी तेरा है या कि दूर बैठे हुए मेरा? तुझे भेजनेका काम जितना आसान था उतना तुझे वापस बुलानेका नही है। बाकी, म तो तेरी राह देख ही रहा हूँ और यहा तेरा काम भी ऐसे ही पडा हुआ है। मै तो आज भी मम्मीको लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४३६) से।

५३३ पत्र घनश्यामदास बिडलाको

११ दिसम्बर, १९३४

भाई घनश्यामदास,

मै देखता हू हर हालतमे २० तारीखके पहले दिल्ली पहुचनेकी कोशिश कर रहे हो। यदि यह सब प्रयत्न मेरे खातिर है तो ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नही है। शरीरको हानि पहोचाकर आनेका प्रयत्न न किया जाय। मेरे आनेके बारेमे एक दूसरा प्रश्न भी पदा होता है। वाइसरायके साथ जो पत्र व्यवहार हूआ है और जिसका सच्चा झूठ उल्लेख अखबारोमे आ चुका है उससे मेरा तुमारे निकटमे रहना

१ पत्र-व्यवहार यहाँ दिया नही गया है, देखिए 'पत्र वाइसरायके निजी सचिवको १५ ११ १९३४ और २८ ११ १९३४ तथा तार वाइसरायके निजी सचिवको" ७ १२ १९३४।

आपत्तिदायक तो नही होगा? तीसरी बात यह है। तुमारे दिल्ली पहोचते ही धदाका काम कुछ ज्यादा रहेगा न? यदि चाहते है कि मुझे दिल्ली जाना ही है तो भी मै चार पाच दिनके बाद आ सकता हू। जहा तक मुझे अब तक ज्ञात है मै तो यहासे १९ ता० को निकल सकता हूँ और २० को वहा पहूँच सकता हूँ। बाकी तो सब महादेव लिख रहा है।

गोपीका खत आया है। इसके साथ रखता हूँ। क्या इसके यूरप जानेसे कुछ लाभ हो सकता है?

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००३ से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला

५३४ पत्र वल्लभभाई पटेलको

१२ दिसम्बर १९३४

भाई वल्लभभाई

तुम्हारा पत्र मिला। खानसाहबके लिए नया ही बयान[1] भेज रहा हूँ। मेरे खयालमे यही किया जा सकता हे और करना भी चाहिए। उनको पत्र लिख रहा हूँ। उसे देख जाना। इसलिए इस पत्रमे अधिक लिखनेकी जरूरत नही रह जाती। उसमे जो खेद प्रकट किया गया है, उसकी मै तो बडी जरूरत मानता हूँ। परन्तु इस मामलेमे, और सारे बयानके बारेमे, अन्तिम निणय तुम्ह ही करना है। दूर बैठा हुआ मै निश्चयपूवक कुछ नही कह सकता। मेरा यह भी खयाल है कि वकील किया जाये। वह बयान पढ कर सुना दे। वह दोष स्वीकार भी न करे और उसमे इनकार भी न करे। वकील कम सजाकी माग भी न करे, परन्तु भाषणका विश्लेषण करना हो तो करे, या केवल 'वाच करे। गवाहोसे जिरह करनेकी तो बात ही नही रह जाती। परन्तु ये सब तो मेरे विचार ह। सब बातोमे निणय तुम्हे करना है।

मेरा हाल तो तुम देख ही रहे हो। एन्ड्रयूज आज दिल्ली इसी कामसे गये है। कहते थे, तबतक आगे कुछ न किया जाये। अधिक तो मथुरादास समझायेगा। राजेन्द्रबाबूके बारेमे अभी तो और कुछ करनेकी बात रह नही जाती। घनश्यामदासका तार है कि उन्हे ३० तारीखतक डॉक्टर नही जाने देगे। इसलिए मेरा २० तारीखको दिल्ली पहुँचना जरूरी नही, एन्डयज और कुछ लिखे तो दूसरी बात है। काग्रेस काय-समितिकी बैठक तो अब जनवरीमे ही रखी जा सकती है।

बलवतरायकी परिषदमे जाना ठीक समझो तो जाना। इस मामलेमे मेरी समझमे कुछ नही आता।

१ अदालतमें पेश करनेके लिए।

अभ्यंकरको मेरी तरफसे भी कहना कि वे भले चंगे हो जायें।

प्यारेलाल पहुंच गये होंगे। और मदद चाहिए तो मांगना। स्वरूपरानीके लिए प्रभावतीको रवाना किया जा सके तो करना। प्यारेलाल वहां हो आयें।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४३ ४

५३५ पत्र वल्लभभाई पटेलको

१३ दिसम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई

तुम्हारा पत्र मिला। मणिलाल[1] तथा का[2] मामला ठीक निपट गया। कर्नाटक खटकता है। परन्तु जहां गंगाधरराव जैसे नेता हों, वहां क्या कहा जाये? जो हो सके, करना।

मैं तो ग्रामोद्योग-संघमें फँस गया हूँ। राजाजी यहां आ गये हैं। आज जाना चाहते हैं। परसों रातको आये थे। जमनालाल थोड़े दिनमें वहां पहुँचेंगे।

और सब कुछ महादेवसे जान लोगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४५

५३६ असममें हरिजन-कार्य

असमके हरिजन सेवक संघके मंत्रीने मुझे संघके इस वर्षके कार्यकी रिपोर्टकी एक प्रति भेजी है। इस रिपोर्टमें से मैं निम्नलिखित दिलचस्प अंश उद्धृत करता हूँ:

> **संघ लड़के और लड़कियोंके ७२ स्कूल चलाता है जिसमें २,३६५ छात्र छात्राएँ पढ़नेके लिए आते हैं। इनमें से २१ स्कूलोंमें सहशिक्षा है और ४ स्कूल केवल लड़कियोंके लिए हैं।**
>
> **वर्षके दौरान स्कूलोंपर कुल मिलाकर रु० ४,४९५–१४–० खर्च किये गये। संघने सामान्य स्कूलोंके लिए ३२८ लड़के और लड़कियां भर्ती किये। माध्यमिक अंग्रेजी और उच्चतर अंग्रेजी स्कूलोंके लिए हरिजन छात्रोंको रु० ८६९–९–० की छात्रवृत्तियाँ दी गईं।**

१ मणिलाल गांधी।

२ साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिया गया है।

जो किताबें, स्लेटें, साबुन तथा कपडे दिये गये, उनकी कुल रकम रु० २०६–२–६ थी।

२३ नामघर (प्रार्थना भवन) हरिजनोंके लिए खोल दिये गये।

जोरहाट समितिने रु० १,१९६–९–३ की लागतका एक सार्वजनिक प्रार्थना-भवन बनवाया।

संघने ११ हरिजन अध्यापक रखे जिनमें से दो स्त्रियाँ हैं।

डिब्रूगढमें भंगियोंके लिए एक सहकारिता समिति बनाई गई। इसमें ८१ भंगियोंने शेयर खरीदे हैं। अब तक ९२० रुपये वसूल किये जा चुके हैं।

संघने ९ जिला कमेटियोंका गठन किया है और इन समितियोंमें हरिजनोंकी २२ उप समितियाँ बनाई हैं।

रु० १६–७–० की मुफ्त चिकित्सा सहायता दी गई। ४० चरखे और कातनेके लिए दस मन रुई गरीब हरिजनोंमें बाँटे गये।

अफीम-विरोधी प्रचार तथा शराब विरोधी प्रचारके लिए ३२ गाँवोंका दौरा किया गया जिसके फलस्वरूप १५४ लोगोंने शराब छोड देनेकी प्रतिज्ञा की और १५ ने गाँजा न पीनेकी।

प्रदेशकी नगरपालिकाओंसे अनुरोध किया गया कि वे अपने कर्मचारियोंके लिए, विशेषकर भंगियोंके लिए, आवासकी, जल निकासकी और जल वितरणकी अच्छी सुविधाएँ प्रदान करें। लेकिन हमने खेदके साथ यह देखा कि किसी भी नगरपालिकाने कार्यको हाथमें नहीं लिया। इनमें भी गोहाटी और डिब्रूगढकी नगरपालिकाएँ सबसे ज्यादा अपराधी हैं।

इसके विपरीत हमने इस बातपर गौर किया और हमें यह देखकर खुशी हुई कि भ्रमणशील कार्यकर्त्ताओंके कहनेपर कुछ गाँवोंमें लोगोंने अपनी सडकें बनाईं और अपने पानीके तालाबोंकी सफाई की।

वर्ष भरमें २४६ गाँवोंका सर्वेक्षण किया गया और हरिजन परिवारोंकी दशा, धन्धे, निर्योग्यताएँ और शराब तथा अफीमकी आदतें और अन्य बातोंसे सम्बन्धित आँकडे इकट्ठे किये गये।

संघके अध्यक्ष गरमुरके परम पूजनीय सत्राधिकार गोस्वामीने अधिकांश महत्त्वपूर्ण स्थानोंका दौरा किया जिनमें भूतपूर्व चाय बागानके कुली केन्द्र भी शामिल हैं।

असममें अफीमकी समस्या बहुत गम्भीर है। इसका सेवन करनेवाला व्यक्ति शारीरिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टिसे तबाह हो जाता है। यह पाया गया है कि ८ जिलोंमें ६४,४५९ अफीमची हैं और औसतन प्रति व्यक्ति प्रति माह डेढ तोला अफीम खाता है। नवगाँवमें, मिकिर पहाडियोंको छोडकर, प्रति १०,००० लोगोंमें करीब १८ सेर अफीमकी खपत होती है, लखीमपुरमें यह प्रति १०,००० पर ६२ सेर है और मिकिर पहाडियोंमें तो यह प्रति १०,००० लोगोंमें ६२ सेरसे भी अधिक है। लखीमपुर, शिवसागर और नवगाँवमें इसके सबसे ज्यादा शिकार हरिजन लोग हैं।

स्थानीय हरिजनोका मुख्य धन्धा मछली पकडना, मिटटीके बर्तन बनाना और स्वर्णकारीका काम करना है। पुनरुद्धार आन्दोलनसे इन कारीगरोको मदद मिलनी चाहिए।

यह एक उत्साहजनक विवरण है लेकिन यह जानकर कि एक चोथाई पैसा प्रशासनिक और प्रचार उद्देश्योपर खर्च किया गया, यह उत्साह फीका पड जाता है। कुल मिलाकर ११ ९६६ रुपये खर्च हुए। इसमे से ३,६६४ रुपये प्रशासन और प्रचार कार्यपर, तथा ८ ३०२ रुपये कल्याण कार्यपर खर्च किये गये। प्रशासनिक कर्मचारियोपर १,१४९ रुपये तथा प्रचार कार्य करनेवाले कार्यकर्त्ताओपर १,०२० रुपये खर्च किये जाते ह। इसमे मैने आना और पाईको छोड दिया है। अब कल्याण-कार्यपर यह जो ८ ३०२ रुपये खर्च किये जाते है, वे मेरे विचारसे बहुत ज्यादा है। जैसाकि मैने बार बार कहा है रचनात्मक कार्य अपने आपमे एक प्रचार है और यह सबमे अच्छा प्रचार हे। प्रशासनिक कर्मचारियोकी संख्या भी कमसे कम कर दी जानी चाहिए। मै जानता हूँ कि असम प्रान्तमे कार्य करना बहुत कठिन ह। फिर भी हम लोगोको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हरिजन सेवक संघ पश्चात्ताप करनेवालोका अथवा कर्जदारोका संगठन है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १४ १२-१९३४

५३७ टिप्पणी

एक महत्त्वाकांक्षी प्राकृतिक चिकित्सक

मै स्वयं एक अधकचरा प्राकृतिक-चिकित्सक हू और इस कारण मेरी ओर मुझ-जैसे सनकी आकृष्ट होते हैं। इनमे से खुर्जा निवासी श्री शर्मा[1] एक है। उन्होने एक 'सन ऐण्ड लाइट हास्पिटल' (सूर्य और प्रकाश अस्पताल) खोल रखा था और कुछ सुविज्ञापित पुस्तके भी लिखी थी। इस अस्पतालके खत्म होनेमे मेरा हाथ था। उसके बादकी घटनाएँ उन्हीके शब्दोमे नीचे बताई गई ह [2]

इसलिए जो लोग प्राकृतिक चिकित्साके तरीकोमे दिलचस्पी रखते ह उन्हे म बताना चाहूँगा कि प्रकृतिके अर्थात सत्यके स्वभावको और अच्छी तरहसे जाननेपर मने पाया है कि धूप और रगके बारेमे लिखी हुई मेरी तमाम पुस्तके असंदिग्ध रूपसे भरोसेके काबिल नहीं ह। अत म चाहूँगा कि जिन लोगोके पास मेरी किताबें ह या जिन्होने उनके बारेमें सुन रखा है वे फिलहाल उनपर ध्यान न दें और उनमे मने जो कुछ लिखा है, अथवा उनमे

१ डॉ० हीरालाल शर्मा।
२ यहाँ केवल कुछ अंश दिये गये है।

मने जिस आविष्कारका विज्ञापन किया है, उनपर भरोसा न करे। म आशा करता हूँ कि किसी दिन म सत्यापनीय प्रयोगोके आधारपर इन पुस्तकोको फिरसे लिखूगा और विश्वासके साथ उन्हे जनताके सामने रखूगा।

मेरी कामना है कि अन्य प्राकृतिक-चिकित्सक भी श्री शर्माके उदाहरणसे सबक लेगे। मैंने रोगोकी चिकित्साके आधुनिक तरीकोके खिलाफ बहुत कुछ कहा है और लिखा है। लेकिन मैंने देखा है कि एलोपैथिक-चिकित्सकोमे औरोकी अपेक्षा ज्यादा समझदारी है और इसलिए उनके प्रति मनमे छिपा हुआ आदरभाव भी है। वे मिथ्याभिमान नही करते। अच्छेसे-अच्छा एलोपैथिक चिकित्सक भी दूसरोसे कुछ सीखनेको तैयार रहता है और अपने मरीजोके सामने भले स्वीकार न करे, लेकिन आपसमे अपनी गलती स्वीकार कर लेनेकी विनम्रता उनके अन्दर होती है। वे मानव-शरीरके बारेमे सब-कुछ, और जिन दवाओका वे प्रयोग करते हैं उन दवाओके बारेमे ज्यादा से ज्यादा जाननेकी कोशिश करते है। प्राकृतिक चिकित्सक दवाओका प्रयोग नही करते। लेकिन शरीरमे होनेवाले रोगोको ठीक करनेके बहाने शरीरके साथ छेडछाड करनेवालोको शरीरका यथातथ्य ज्ञान होना तो निश्चय ही नितान्त आवश्यक है। श्री शर्माके मनमे एक सच्चा प्राकृतिक चिकित्सक बननेकी सच्ची लगन है। इसलिए एलोपथी होम्योपैथी या प्राकृतिक-चिकित्साके नामपर रोगोका उपचार करनेवालोको शरीर रचना विज्ञान शारीरिक क्रिया विज्ञान और अन्य जिन चीजोका ज्ञान होना आवश्यक है उनका कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त करनेके लिए श्री शर्मा कृत सकल्प है। उन्होने जो सूचना प्रकाशित की है वह आत्म-स्वीकृति भी है और चेतावनी भी है। सभी सम्बन्धित लोग उसे ध्यानमे ले।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १४ १२-१९३४

५३८ एक हरिजन-सेवक गया

मै श्री वी० पी० माधवराव, जिनका कुछ दिन पहले ८५ वषकी परिपक्व आयुमे बगलौरमे निधन[1] हो गया है, के परिवारके साथ सादर अपनी सवेदना प्रकट करता हूँ। वह त्रावणकोर, बडौदा और मसूरके दीवान थे। अवकाश ग्रहण करनेके बाद वह अपना समय समाजसेवामे लगाते रहे। इतने वृद्ध होते हुए भी उन्होने स्थानीय हरिजन सेवक सघके अध्यक्ष पदको ग्रहण करना स्वीकार कर लिया था। उन्होने अपने प्रभावका सदा हरिजनोके हितमे प्रयोग किया।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१२ १९३४

१ १ दिसम्बर, १९३४ को।

५३९ आविष्कारकी जननी

इडियन मर्चेंटस चैम्बर, बम्बई, के मत्री श्री जे० के० मेहता लिखते है[1]

१९१७ मे भारत सरकारने युद्धके सिलसिलेमें मेरी सेवाएँ प्राप्त कर ली थी। म डेढ वषतक शिमलामें युद्ध सामग्री-बोडके साथ काम करता रहा। हमने देखा कि घोडेकी नाले इग्लडसे नही प्राप्त की जा सकती। यह एक बहुत विकट और जटिल समस्या सिद्ध हुई, क्योकि भारतमें नाल बनानेवाली कोई फक्टरी नही थी। अ तमें सकडो गावोसे नाल प्राप्त करके इस समस्याको हल किया गया। गावोके लोहारोने भारत सरकारकी समस्याको हल किया। भारत सरकार विभिन्न गावोसे नाले प्राप्त करके सेनाकी आवश्यकता पूर्तिके लिए भेजती रही।

सच है कि आवश्यकता आविष्कारकी जननी है। महायुद्धके समय जो कुछ कर सकना सम्भव हो सका था, वही चीज सुस्ती और बेरोजगारीके खिलाफ हमारी इस लडाईमे कर सकना हमारे लिए क्यो नही सम्भव है? श्री जे० के० मेहताने जो दृष्टान्त दिया है, ऐसे हजारो दृष्टान्त दिये जा सकते है। महायुद्धके दिनोमे, जब लोग एक दूसरेका सहार कर रहे थे, यूरोप महाद्वीपका सारा स्वरूप ही बदल गया था, और स्त्रिया और पुरुषोको, लडका और लडकियोको, तन और प्राण एक रखनेके लिए अपने हाथोसे काम करना पडता था।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १४-१२ १९३४

५४० अ० भा० ग्रामोद्योग-सघ — उद्देश्य और सविधान[2]

[१४ दिसम्बर, १९३४][3]

चूकि यह विचार था कि अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघकी नीति और कायक्रमका सचालन करनेके लिए ऐसे आदमियोका एक बोड बनाया जाये, जो इसकी नीति और कायक्रमकी व्यावहारिकतापर पूरी तरह विश्वास रखते हो, और जो इसमे अपना सारा समय लगा सके, इसलिए श्री कुमारप्पा और मैंने उस बोडकी स्थापनाके सम्बन्धमे बहुत समयतक विचार किया है।

१ यहाँ केवल कुछ अश दिये गये है।

२ और ३ इस सघकी स्थापना १४ दिसम्बरक हुई थी, देखिए खण्ड ६० 'नया बच्चा' २१ १२ १९३४। इसके सविधानको एक वक्तव्यके साथ १५ दिसम्बरको जारी किया गया था।

इस विषयका काग्रेसका प्रस्ताव ऐसे स्त्री पुरुषोकी स्वय काम करनेवाली स्वतत्र और अराजनीतिक सस्था बनानेके लिए है, जिनके जीवनका प्रधान उद्देश्य ग्रामवासियासे अपना तादात्म्य स्थापित करना और उनकी भलाई करना हो।

नीचे लिखे सज्जन अपनी जिम्मेदारीको समझते हुए उस सघको बनानेके लिए राजी हुए है जिसके वे सस्थापक-सदस्य भी होगे और साथ ही प्रथम प्रबधक-बोर्डके मेम्बर भी

श्री श्रीकृष्णदास जाजूजी	(अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष)
श्री जे० सी० कुमारप्पा	(सगठनकर्त्ता और मत्री)
श्रीमती गोसीबहन कप्टेन	
डाक्टर खान साहब	
श्री शूरजी वल्लभदास	
डाक्टर प्रफुल्ल घोष	
श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम आसर	
श्री शकरलाल बैकर	

इन लोगोको बोर्डके सदस्योकी सख्या बढानेका अधिकार होगा।

इस बोर्डका यह काम होगा कि समय समय पर ग्रामोके पुनर्गठनके कार्यक्रमकी व्याख्या करे, विभिन्न केन्द्रोमे बरती जानेवाली नीतिमे एकसूत्रता लाये, कार्यकर्त्ता या एजेटो द्वारा बढते हुए और क्षय होनेवाले ग्रामोद्योगोकी असली वर्तमान स्थिति तथा गाववालोकी आर्थिक नैतिक और उनके शारीरिक स्वास्थ्यके सम्बधमे सूचनाएँ एकत्र करके उनकी समीक्षा और प्रचार करे विशेषज्ञो और दक्षोकी सहायतासे शोधका काम करे और गावोमे बनी हुई चीजे जो वहा खपनेसे बच जाये उनको खपानेके लिए मडिया ढूढे तथा तैयार करे।

बोर्ड अपने कामको चलानेके लिए धन-सग्रह करेगा। चूकि इस सघकी सफलता इसीमे होगी कि वह ग्रामीणोको आत्म-निर्भर और स्वावलम्बी बनाये, इसलिए कार्यक्रम खर्चीला नही होना चाहिए। इसलिए विचार यह है कि जहातक हो सके, थोडी पूजीसे ही काम शुरू किया जाये।

इसलिए बोर्डकी मुख्य नीति विकेन्द्रीकरणकी होगी। जितने क्षेत्रोमे कार्यकर्त्ता या एजेट मिल सकेगे, भारतको उतने ही क्षेत्रोमे बाटकर बोर्डकी शाखाएँ स्थापित की जायेंगी। प्रत्येक क्षेत्रके कार्यकर्त्ता कार्य करके शाखा सगठित करेगे और अपने-अपने क्षेत्रमे बोर्डके कार्यक्रमके अनुसार कार्य करनेके लिए जवाबदेह होगे।

कार्यकर्त्ता या एजेट ऐसे ही लोग चुने जायेगे जो अपनी जीविकाके निर्वाहके लिए कार्य करते हुए अपना सारा समय इस सघके काममे लगा सके। एजेट जहातक बनेगा अवैतनिक होगे। अपने क्षेत्रमे सगठनके लिए आवश्यक धन वे चन्देसे इकट्ठा करेगे। हो सकता है कि बोर्डको ज्यादा अवैतनिक एजेट न मिले। शुरूमे अगर कुछ

१ देखिए भाषण अ० भा० का० क० की विषय समितिमें २४ १० १९३४।

जिलोमे अच्छी तरह सगठन हो जाये और आर्थिक दष्टिसे तथा अन्य प्रकारसे हमे कामयाबी मिले तो बोडको सतोष ही होगा। एजेटोके नाम समय-समयपर प्रकाशित होते रहेगे।

विशेषज्ञोकी सहायताके बिना बोड अनुसधानका कोई काम नही कर सकता। विशेषज्ञोसे ऐसी आशा नही की जा सकती कि वे अपना सारा समय और दिमाग सघके ही काममे लगा दे इसलिए मैने अपने कितने ही मित्रोको लिखकर पूछा था कि आप अपना नाम सलाहकारी बोडके सदस्योकी सूचीमे रखने देगे या नही? अबतक नीचे लिखे मित्रोने कृपा कर बोडमे रहना स्वीकार कर लिया है

डाक्टर रवीद्रनाथ ठाकुर
सर जगदीशचद्र बसु
सर प्रफुल्लचद्र राय
सर चद्रशेखर वेकटरमण
श्री रामदास पतलु
श्री जमाल मुहम्मद साहब
श्री घनश्यामदास बिडला
सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास
सर एस० पोचखानावाला
प्रोफेसर सैम हिगिनबाटम
डाक्टर जीवराज मेहता
डाक्टर मुरतार अहमद असारी
मेजर जनरल सर राबट मैकैरिसन
डॉक्टर राजबली
श्री० वी० पटेल
डाक्टर एस० सुब्बाराव
डाक्टर विधानचद्र राय
डाक्टर पुरुषोत्तम पटेल

सघका प्रधान कार्यालय वर्धामे रहेगा। यह स्थान इसलिए पसद किया गया है कि यह देशके केद्रमे पडता है रेलवेका जक्शन है और नगरकी अपेक्षा एक गौरवान्वित सुदर गाव है।

अनेक सज्जनोने मुझे पत्र लिखे है कि वे सघके एजेन्ट बननेको तैयार है। जिन लोगोने पत्र भेजे है उन्हे अब सगठन-मत्री श्री जे० सी० कुमारप्पासे वर्धाके पतेपर पत्र व्यवहार करना चाहिए। मैने सब नाम और कागजात उन्हीको दे दिये है।

सघकी नियमावली

बम्बई-काग्रेसमे २७ अक्टूबर, १९३४ को ग्रामोद्योग-सघ स्थापित करनेके उद्देश्यसे जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसके अनुसार "अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघ" सगठित किया जाता है।

उद्देश्य

सघका उद्देश्य होगा ग्रामोका पुनर्गठन और नवरचना जिसमे ग्रामोद्योगोको पुनरुज्जीवित करने उन्हे प्रोत्साहन देने और उनकी उन्नति करनेका तथा ग्राम वासियोकी नैतिक और भौतिक दशा सुधारनेका काम भी शामिल होगा।

साधन

अपने इस उद्देश्यकी ठीक-ठीक पूर्तिके लिए सघ अनुसधान-कार्य करेगा साहित्य प्रकाशित करेगा, प्रचार-कार्य करनेका प्रबन्ध करेगा, एजेन्सिया स्थापित करेगा, गावोमें जो औजार काममे लाये जाते है उनमे सुधार लानेका प्रयत्न करेगा और अपनी उद्देश्य-सिद्धिके लिए जो आवश्यक होगा वह सब कार्य करेगा। इन सब कार्योंके लिए वह धन सग्रह करेगा।

सघ गाधीजीके नेतृत्वमे और उनके परामर्शसे काम करेगा।

सघके ये अग होगे (क) प्रबन्ध-बोर्ड (ख) सदस्य, (ग) एजेंट (घ) अवैतनिक कार्यकर्त्ता, (ड) वैतनिक कार्यकर्त्ता और (च) सहायक तथा सलाहकार बोर्ड।

जो व्यक्ति नीचे लिखे प्रतिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर करेगा और जिसके लिए कोई सदस्य या एजेंट सिफारिश करेगा और जिसका भरती होना प्रबन्ध-बोर्ड मजूर कर लेगा वही व्यक्ति इस सघका सदस्य हो सकेगा।

जो सघके उद्देश्यसे सहानुभूति रखेगा और कमसे कम १०० रुपये वार्षिक चन्दा देगा वह सहायक बन सकेगा। और जो व्यक्ति १००० रुपये एकमुश्त देगा वह 'आजीवन सहायक' बन सकेगा।

सलाहकार वे ही लोग हो सकेगे जो अपना काम करते हुए भी जब कभी उनसे सलाह मागी जायेगी, मुफ्तमे सघको अपनी विशेषज्ञतासे लाभ पहुँचायेगे।

प्रबन्ध-बोर्ड

पहला प्रबन्ध-बोर्ड तीन सालतक बना रहेगा। और इसके सस्थापक-सदस्य निम्नलिखित होगे

श्री श्रीकृष्णदास जाजू
श्री जे० सी० कुमारप्पा
श्रीमती गोसीबहन कैप्टेन
डा० खान साहब
श्री शूरजी वल्लभदास
डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष
श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम आसर
श्री शकरलाल बैंकर

इसके बाद प्रबन्ध-बोर्डके सदस्य प्रबन्ध-बोर्डका नया चुनाव करेंगे, जो फिर तीन सालतक बना रहेगा।

सघका सारा प्रब ध प्रब-ध-बोडके अधीन रहेगा। सघका रुपया पैसा और अ-य सम्पत्ति सब प्रब-ध बोडके जिम्मे रहेगा। बोडको अपने सदस्योकी सख्या भी बीस तक बढानेका अधिकार होगा।

प्रब-ध बोड जमा-खचके बाकायदा वहीखाते रखेगा, जिसकी जाँच लेखा-परीक्षको द्वारा हुआ करेगी और जि-हे देखने जाँचनेका अधिकार सामा-य लोगोको भी होगा।

प्रब ध बोडको सघकी उद्देश्य सिद्धिके लिए उपनियम इत्यादि बनानेका अधिकार होगा।

प्रब-ध बोडको यह भी अधिकार होगा कि बोडके तीन-चौथाई सदस्योकी सम्मति से वह सघके उद्देश्य-सम्ब-धी नियमको छोडकर और चाहे जिस नियममे परिवतन, सशोधन या परिवधन करे।

प्रब-ध बोडको यह भी अधिकार होगा कि वह सघकी धन सम्पत्तिके लिए ट्रस्टी नियुक्त करे।

सदस्योके लिए प्रतिज्ञा पत्र

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघकी नियमावलीको म पढ चुका हूँ। मै सघका सदस्य होना चाहता हूँ और ईश्वर पर भरोसा करके यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मै अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिसे सघकी उद्देश्य-सिद्धिका प्रयत्न करूँगा, और यह उद्देश्य भारतके ग्रामवासियोकी सब प्रकारकी उन्नति करना है।

जबतक मै इस सघका सदस्य रहूँगा, तबतक किसी भी प्रकारकी सविनय-अवज्ञामे भाग नही लूगा।

अपने कत्तव्यके पालनमे मै उन सब लोगोसे सहायता और सहयोग प्राप्त करनेकी कोशिश करूँगा जो इसके लिए तैयार हो और इस सम्ब-धमे राजनीतिक मतभेदका कोई विचार नही करूँगा।

जहातक बनेगा, म यह कोशिश करूँगा कि सघके आदशके अनुसार चलू और गावोमे बनी हुई वस्तुओका ही यथासम्भव व्यवहार करूँ।

ग्रामवासियोके प्रति अपने कत्तव्य का पालन करते समय मै मनुष्य मनुष्यमे किसी प्रकारका भेद भाव नही बरतूगा।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २१ १२ १९३४

५४१ पत्र जे० एन० साहनीको

१४ दिसम्बर, १९३४

प्रिय साहनी,

आपका पत्र मिला। मै 'हिन्दुस्तान टाइम्स' नही पढता। आपने जो कतरन भेजी है उसे मैने पहली बार देखा है। इस समय सुबहके तीन बजे है। देवदास यही है, पर उससे बहुत कम भेट होती है। मै अपनी नापसन्दगी व्यक्त करते हुए एक पत्रके साथ यह कतरन भेज रहा हूँ। हालाकि यह एक समाचार एजेसीकी रिपोर्ट है फिर भी उसे मुझे दिखाय बगैर छापनेका उसको कोई अधिकार नही था। आप या वह अथवा कोई भी व्यक्ति कोई खबर अन्य रूपसे छापना चाहे तो ऐसा करना बिलकुल ठीक होगा बशर्ते कि उस खबरसे प्रभावित पक्षने उसे अधिकृत कर दिया हो। आज भारतमे अग्रेजीके ऐसे पत्रकार है, जो मुझसे खुश नही है, लेकिन जहातक मेरा सम्बन्ध है इस नियमका पालन करते है। वे ऐसा मेरी खातिर नही बल्कि पत्रकारिताकी अपनी ख्यातिके कारण करते है। मै जानता हूँ कि आपने जानते हुए गलती नही की है लेकिन अब मै कह सकता हूँ कि आपने एक सैनिक और पत्रकार, दोनो ही रूपमे गलती की है।[1] इस गलतीकी शुरुआत पटनासे भेजे गये यूनाइटेड प्रेसके तारसे हुई। लेकिन मुझे अब और कुछ नही कहना है। मै उन लोगोका ध्यान अपनी ओर खीचता हू जिनके बारेमे मै जानता हूँ कि उनके ऊपर मेरा प्रभाव पडता है। आप इस सबको भूल जाइए, लेकिन इससे यह सबक लीजिए कि मेरे बारेमे ऐसी किसी चीजको मुझसे पूछे बिना मत छापिए जिसका सम्बन्ध सार्वजनिक हितसे हो।

जब मै दिल्ली आऊँगा तो आप मुझसे अवश्य मिलेगे और तब आप देखेगे कि अकेले आपने ही नही औरोने भी समयसे पहले जो एक-आधी सच्ची खबर छापी, उससे कितना जबर्दस्त नुकसान पहुँचा है। लेकिन औरोने भी गलती की, इससे आपकी गलती माफ नही हो जाती।

हृदयसे आपका,

बापू

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए "पत्र जे० एन० साहनीको" १०-१२-१९३४ भी।

५४२ पत्र, साहबजी महाराजको

१५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय साहबजी महाराज[1],

मैने आपका ६ सितम्बरका पहलेवाला पत्र अपने पास रख छोडा है। मैने आपका "गाये गायोकी सहायता करती है" अभी पिछले हफ्ते ही पढा है। यह बहुत सुन्दर ढगसे लिखा गया है। लेकिन मै गायोके विनम्र प्रतिनिधिके नाते एक शिकायत करना चाहता हू। कुछ विशेषज्ञोने मुझे बताया है कि जिस प्रकारके मिश्रणो का आपने प्रस्ताव किया है, वे पूर्णतया सफल नही है। मै देखता हूँ कि आवश्यकता ऐसे प्रयोगोकी है जिनसे गाववालोको अपने ही गाँवोमे मदद मिल सके। यदि हम उस दिशामे कुछ नही कर सकते तो अधिकाश गायोको मरना पडेगा, सो भी इसलिए कि थोडी सी गाये दयालबाग-जसे अलग थलग स्थानोमे जीवित रह सके।

मै ग्रामोद्योग-सम्बन्धी कायमे आपकी मदद चाहूँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

अग्रेजीकी फोटो नकल (जी० एन० २१६१) से।

५४३ पत्र वेरियर एल्विनको

१५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय वेरियर,

मुझे लगता है कि तुमने जो वादा[2] किया है, उसके तहत मुझे वहा आना होगा। तुम्हे अनुमति लेनी होगी। तुम्हे इसका शब्दोमे और भावनामे पूरा-पूरा पालन करना होगा। जब सन्देह हो तब अन्त करण अपेक्षा करता है कि सम्बन्धित व्यक्तिसे पूछताछ कर ली जाये। यदि वे लोग स्पष्ट उत्तर नही देते तो मुझे वहा

१ दयालबाग आगरामें राधास्वामी सम्प्रदायके प्रधान।

२ भारतके लिए अपना पासपोर्ट नया करनेके लिए वेरियर एल्विनने निम्नलिखित वादा किया था मैं अपनेको केवल गोडोंके बीच काम करते रहनेतक ही सीमित रखूँगा, मैं सविनय अवज्ञा अथवा अन्य किसी प्रकारके राजनीतिक आन्दोलनमें भाग नहीं लूँगा, 'जहाँतक हो सकेगा मैं राजनीतिक आन्दोलनमें भाग लेनेवाले किसी व्यक्तिका साथ नहीं दूँगा, 'मैं सरकारकी आलोचना करनेवाले लेख नहीं लिखूँगा और इस वादेका शब्दोंमें और भावनामें पूरा-पूरा पालन करूँगा'

नही आना चाहिए। वादेकी अवधि जबतक है तबतक सबसे सम्मानजनक तरीका यही है कि जिन मामलोमे हमे सन्देह हो, उन सबके बारेमे हमे अधिकारियोको सूचित करना चाहिए। यदि वादा करना एक अच्छी बात थी तो जिनसे वादा किया है अपने-आपको उनके हाथमे छोडना और भी अच्छी बात है।

कुछ दिन पहले एन्ड्रयूज यहाँ आये थे। आजकल वे दिल्लीमे है। मै उनसे फिर मिलूगा। वे ५ जनवरी (डी० वी०)को इग्लैंडके लिए रवाना होगे।

सबको सप्रेम,

बापू

श्री वेरियर एल्विन
गोड सेवा-मडल
करजिया (सी० पी०)

अग्रेजी प्रतिसे, प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

५४४ पत्र एच० पी० मोदीको

१५ दिसम्बर १९३४

प्रिय श्री मोदी,

असम सहायता-समितिने लिखा है कि उसे आपकी ओरसे कोई कम्बल नही मिले है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री एच० पी० मोदी
मिल मालिक सघ
बम्बई फोर्ट

मूल अग्रेजीसे एच० पी० मोदी पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

परिशिष्ट

मेरी चेजलेके साथ बातचीत[१]

[१५ दिसम्बर, १९३४ या उससे पूव][२]

मेरी चेजले आपकी अवचेतन बुद्धि आपका मागदशन करती है अथवा परमात्मा करता है? इस बारेमे आप क्या मानते है?

गाधीजी मुझे माग-निर्देश परमात्मासे प्राप्त होता है। किन्तु अवचेतन बुद्धि परमात्माकी आवाज हो सकती है। अक्सर माग देख लेनेके बाद मै बुद्धिपूवक यह समझनेकी कोशिश करता हूँ कि वही सबसे अच्छा रास्ता क्यो है। मुहम्मद ऐसे ही थे, उन्हे पूरा विश्वास था कि उनको सुनाई पडनेवाली आवाज परमात्माकी थी, और वह कोई ढोगी व्यक्ति नही थे।

मेरी चेजले क्या अन्तरात्माकी आवाजपर चलनेसे कुछ गूढ अनुभव होते है?

गाधीजी हो भी सकते है और नही भी हो सकते। लेकिन एक चीज निश्चित है और वह यह कि गूढ अनुभवोके लिए मनुष्यमे ऐसी विनम्रताका होना आवश्यक है कि वह परमात्माके सामने अपनेको बिल्कुल तुच्छ समझे, ऐसी विनम्रता, जैसी सन्त फ्रासिस और सन्त आगस्टीनमे थी। इसके विपरीत ब्रैडला और मारकस आरीलियस जैसे लोग थे, जो अपनी अन्तरात्माका कहा मानते थे, लेकिन वे ऐसा मानते थे कि वे जो-कुछ है अपने प्रयत्नोसे है और परमात्माके ऊपर निभर नही है और इसीलिए उन्हे किसी प्रकारका गूढ अनुभव या आनन्द नही मिल सका। मेरी दष्टिमे अन्तरात्माकी आवाजपर चलनेका मतलब किसी आचारसहिताका नही बल्कि एक जीवन्त शक्तिका अनुसरण करना है।

मेरी चेजले जब सवाल दो अच्छी चीजोमे से किसी एकको चुननेका हो, उस समय आप यह कैसे जानते है कि परमात्माका आपके लिए निर्देश क्या है?

गाधीजी मै इस विषयपर अपनी बुद्धिका इस्तेमाल करता हूँ, और जब मै यह तय नही कर पाता कि मुझे दोनोमे से किसे चुनना चाहिए, तब मै मामलेको वही छोड देता हूँ। शीघ्र ही एक सुबह मै पूरे आश्वस्त भावसे यह सोचकर उठता हूँ कि मुझे 'क' के बजाय 'ख' को चुनना चाहिए। लेकिन यह सदा जरूरी है कि

१ देखिए पृ० ४९४।

२ साधन सूत्रके अनुसार यह बातचीत अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघके अधिवेशनके दौरान बैठक समाप्त होनेके बाद किसी समय हुई थी। अधिवेशन वर्धामें १४ और १५ दिसम्बर १९३४ को हुआ था।

मनुष्यमे पूरी विनम्रता होनी चाहिए और निणयके फलस्वरूप चाहे जिस ओर जाना पडे जाना चाहिए, फिर भले ही वह रास्ता कठिनाइयो और कष्टोकी ओर ही क्यो न ले जाता हो।

मेरी चेजले क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए इसके बारेमे इस प्रकारके आश्वासन प्राप्त करनेके लिए क्या अनुशासित जीवन व्यतीत करना जरूरी नही है?

गाधीजी बेशक मनुष्यके मनका तालमेल प्रेम सत्य, पवित्रता, अपरिग्रह और निर्भीकता, इन पाच नियमोसे सदा बना रहना चाहिए।

मेरी चेजले क्या आप इसमे शारीरिक अनुशासन, जैसे उपवास भी शामिल करते ह?

गाधीजी अगर आप ऊपर बताये गये पाच नियमोका पालन करे तो आप देखेगी कि शारीरिक अनुशासन स्वत आ जायेगा। आपका इस विषयपर स्वामी विवेकानन्दका 'राजयोग' पढना चाहिए।

इसी समय यह सूचना मिली कि अमुक धनाढय व्यक्तिने एक बडी रकम अ० भा० ग्रामोद्योग-सघको दानमे दी है। इसपर वहा एकत्र छोटे से समूहने बहुत हष व्यक्त किया। गाधीजीने शान्त भावसे कहा कि प्रेमसे की गई सेवाको अब उसका पुरस्कार मिल रहा है। मै कहता रहा हूँ कि हममे से जो लोग अहिसामे विश्वास रखते है, उन्हे अपनी लगनपूवक सेवाके जरिये और जितनी हम माग सकते ह उससे भी कम पैसे और प्रतिष्ठाकी स्थितिमे भी अपना सन्तोष और हष प्रकट करके हम अमीरोको गरीबोकी सेवाके लिए प्रेरित कर सकते है। इसकी चर्चा अब उन्होने फिरसे की।

गाधीजी यदि अमीर लोग देख सके कि हम अपेक्षतया गरीब लोग धनकी लालसा रखनेके बजाय सचमुच सन्तुष्ट है तो धनका त्याग करना एक फशनकी चीज बन जायेगा। भूरी डबल रोटीका फैशन इसलिए बढा, क्योकि कुछ उत्साही लोगोने यह दिखा दिया कि उन्हे वास्तवमे उसमे विश्वास है और वे उसे पसन्द करते ह। दुर्भाग्यसे ऊँची जातिके लोगोने अपनेसे नीची जातिवालोके साथ तादात्म्य स्थापित नही किया है। हिन्दू-धमके लिए यह सबसे ज्यादा सकटका समय है। मेरे पास उसके बचावमे कुछ भी करनेको नही है।

मेरी चेजले आप क्या उपाय सुझायेगे?

गाधीजी हर चीज जो म कर रहा हूँ, ग्रामोद्योग खद्दर, हरिजन-काय आदि।[१]

मेरी चेजले किन स्रोतोसे आपको परमात्माकी अपनी कल्पना मिलती है?

गाधीजी अपने बचपनसे, जब मुझे याद है कि मेरी मा बराबर मन्दिर जाया करती थी। कभी-कभी वह दिनमे चार या पाँच बार जाती थी लेकिन दो बारसे कम कभी नही। मेरी आया भी मुझसे कहती थी कि अगर डर लगे तो राम नाम रटते रहना चाहिए।

१ इस जगह मेरी चेजलेने बात रोक दी, क्योंकि गांधीजीको भोजन करना था। शामको टहलनेके समय बातचीत फिर शुरू हुई।

मेरी चेजले क्या स्वय आपके अनुभव भी आपकी कल्पनाके स्रोत नही है?

गाधीजी हा, लेकिन वे अनुभव बादमे, दक्षिण आफ्रिकामे शुरू हुए। इससे पूव कुछ समयतक मेरे मनमे शकाएँ थी और यही समय था जब मैंने इस्लाम और ईसाई-धमका अध्ययन आरम्भ किया।

मेरी चेजले इन दोनोने परमात्माकी आपकी कल्पनाको किस हदतक प्रभावित किया है?

गाधीजी आरम्भमे मेरे मनमे ईसाई धमके विरुद्ध पूवग्रह थे क्योकि मेरी किशोरावस्थामे मेरे लिए इस धमका अथ शराब पीना मास खाना और पाश्चात्य ढगके कपडे पहनना था। इस्लामके विरुद्ध मेरे मनमे इस प्रकारका कोई पूवग्रह नही था। बादमे जब मैं कुछ भले ईसाई सज्जनोसे मिला तो मेरा पूवग्रह खत्म हो गया, और एक वषतक मैंने ईसाई धमकी बहुत सारी पुस्तकोको जमकर पढा केसविक कन्वेशनमे शामिल हुआ प्रसिद्ध धम-तत्त्वज्ञोसे मिला और ईसाई धमको आत्मसात किया। म ईमानदारीसे जानना चाहता था कि क्या मै, जैसाकि मेरे कुछ मित्र मुझसे हमेशा करनेको कहते थे वैसा करूँ अथात ईसाई हो जाऊ। लेकिन अन्तमे मुझे ईमानदारीके साथ ऐसा लगा कि मैं वैसा नही कर सकता था। मुझे ऐतिहासिक ईसा मसीहमे विश्वास है क्योकि ईसाई धमके चार सिद्धान्तोमे भक्तोकी वास्तविक अनुभूतिकी छाप है।

मेरी चेजले परमात्माकी पिताके रूपमे जो कल्पना है वह क्या केवल ईसाई धममे ही है?

गाधीजी नही, यह हिन्दू धममे भी मिलती है। 'गीता का दूसरा अध्याय पढिये जिसमे परमात्माकी कल्पना न केवल पिता बल्कि माताके रूपमे मौजूद है। इस्लाममे ऐसी बात नही है, क्योकि उसमे परमात्माके लिए निन्यानवे नाम है लेकिन उसे पिता कही नही कहा गया है। ईसाकी तरह मुहम्मदमे भी परमात्माके साथ तादात्म्यकी प्रामाणिक झलक मिलती है। यदि अनुयायियोके परिवर्तित जीवनपरसे आप किसी धमके बारेमे कोई राय बनाये तो इस्लामने भी मनुष्यके जीवनको उतना ही प्रभावित किया है जितना ईसाई धमने। तथापि किसी धमके गुणावगुणका निश्चय करनेकी दष्टिसे दो हजार वषका समय बहुत कम है।

मेरी चेजले मै कुछ लोगोको जानती हूँ जो परमात्मासे यह प्राथना कर रहे है कि आप ईसाई बन जाये।

गाधीजी (हँसते हुए) बहुत-से लोग कर रहे ह ——

मेरी चेजले लेकिन ठहरिए, कारण तो सुनिए —— वे ऐसा इसलिए चाहते है क्योकि उनको लगता है कि आप ईसाई धमकी जसी सच्ची व्याख्या कर सकते है वैसी आजतक ससारके समक्ष किसीने नही की है।

गाधीजी अन्य लोग भी है जो ऐसा ही मानते है। लेकिन यदि वे चाहते हो कि मै कहूँ कि ईसाई धम ही एकमात्र सच्चा धम है तो वैसा मै नही कर सकता। मै सचाईके साथ यह अवश्य कह सकता हूँ कि ईसाई-धम एक सच्चा धम है।

मेरी चेजले आपकी रायमे ईसाई-धम इस्लाम और हिन्दू धमका विश्वको विशेष योगदान क्या है?

गांधीजी मैं समझता हूँ कि ईसाई-धर्मका विशेष योगदान सक्रिय प्रेमका उसका सन्देश है। अन्य कोई धर्म इतनी दृढतापूर्वक यह नहीं कहता कि ईश्वर प्रेम है। 'न्यू टेस्टामेंट' तो इस शब्दसे भरा पड़ा है, तथापि ईसाइयोंने कुल मिलाकर अपने युद्धोंके जरिये इस सिद्धान्तको नकारा ही है। हिन्दू धर्मकी अहिंसा ईसाई धर्मके सक्रिय प्रेमके मुकाबले कहीं ज्यादा निष्क्रिय चीज है।

हिन्दू धर्मका सबसे महान योगदान यह है कि उसने सभी जीवोंकी एकताको पहचाना है। ईसाई धर्मकी ही भांति हिन्दू धर्म माननेवाले लोग भी असली शिक्षाओंका पालन नहीं कर सके हैं। यदि इन दोनों धर्मोंके लोगोंने उन शिक्षाओंका पालन किया होता तो इस्लाम धर्मकी जरूरत ही न हुई होती, क्योंकि किसी भी धर्ममें अगर कुछ बुनियादी अच्छाई है और वह दुनियाके उस हिस्सेके लिए कल्याणकारी है जिसमें उस धर्मका जन्म हुआ है तो वह संसारके शेष भागोंके लिए भी कल्याणकारी है।

इस्लामका योगदान उसका यह सिद्धान्त है कि सभी मनुष्य भाई-भाई हैं। बादमें यह सिद्धान्त केवल इस्लामी भ्रातृत्वतक ही सीमित हो गया। इस तरह मुसलमान लोग भी अपने धर्मकी शिक्षापर अमल नहीं कर सके हैं। खान साहब सारी मानव-जातिकी सेवाकी अपनी शिक्षाके जरिये मुसलमानोंको वापस मूल शिक्षाकी ओर आकृष्ट कर रहे हैं।

मेरी चेजले आपने एक बार कहा था कि ईसा ईश्वरके पुत्र हैं, यह बात एक गूढ कल्पना है। क्या आप कृपया अपने इस विचारको विस्तारसे समझायेंगे?

गांधीजी मेरा विश्वास है कि ईसा मसीहका जन्म एक मनुष्यकी तरह प्राकृतिक रूपसे हुआ था। उन्होंने जो सुन्दर काम किये, उनको देखकर लोगोंने उनमें देवत्वका आरोपण किया, और गूढ रूपसे इसे बतानेके लिए उन्होंने कहा कि वह ईश्वरके पुत्र हैं।

मेरी चेजले क्या आपका विचार है कि ऐसा लिखनेवाले लोग ढोंगी या धोखेबाज थे?

गांधीजी नहीं। वे सिर्फ अपनी कल्पनाको रहस्यात्मक ढंगसे व्यक्त कर रहे थे। सारी की-सारी 'बुक आफ रिवीलेशन' रहस्यमय अनुभवोंके वर्णनसे भरी हुई है। उदाहरणके लिए इसके शब्दशः यह अर्थ नहीं हैं कि सड़कोंपर सोना बिछा हो। अनेक गूढ अभिव्यक्तियां ऐसी हैं जिनके यदि शब्दार्थ लिये जायें तो वे अत्यन्त अश्लील लगेंगी।

मेरी चेजले क्या आपको कभी रहस्यात्मक अनुभव हुए हैं?

गांधीजी यदि रहस्यात्मक अनुभवसे आपका तात्पर्य भगवद्-दर्शनसे है तो नहीं। यदि मैं ऐसे दिव्य-दर्शन का दावा करूँ तो धोखेबाजी होगी। लेकिन मेरा मार्ग दर्शन करनेवाली वाणीका मुझे पूरा विश्वास है। हां कुछ सिरफिरे लोगोंने भी आवाजें सुननेका दावा किया है लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि किसीने मुझे सिरफिरा कहा हो।[1]

1. यह बात इतने मजाकिया ढंगसे कही गई थी कि सभी लोग हँस पड़े।

मेरी चेजले आपने उस बेचैनीका जिक्र किया है जो पिछले वष आपके इक्कीस दिवसीय उपवास[1] का आरम्भ करनेसे पहले आपको महसूस होती थी और आपने यह भी कहा है कि सामान्यत जब आप अपने अन्तरकी आवाजके कहे अनुसार काय करते है, तब आपको अपने कायके लिए बादमे कारण मिलता है। क्या आपको अपने इक्कीस दिवसीय उपवासका कारण मिला?

गाधीजी यह सच है कि एक बेचैनीने मुझे वह उपवास करनेपर मजबूर किया। सामान्यतया, जबदस्त तनावके बीच भी म काफी प्रसन्न रह सकता हूँ। लेकिन जब मेरी यह प्रसन्नता खत्म हो गई और मैंने देखा कि मै सो भी नही पाता हूँ तब मने उपवास करनेका निश्चय किया और मुझे फौरन ही शान्ति मिल गई। हा मुझे उपवासका कारण भी मिला ऐसा कारण जो स्वय उपवासके फलस्वरूप प्रकाशमे आया, क्योकि कइ लोगोने उस दौरान और बादमे मुझे पत्र लिखकर उन पापोको स्वीकार किया जो उन्होने किये थे और जिसे सुधारनेके लिए उन्होने अपनी भरसक कोशिश नही की थी। उन्होने कहा कि उपवाससे उन्हे अपने बारेमे सचाईका पता चला था ओर भविष्यमे वैसी गलतिया फिर नही करगे।

मेरी चेजले आपने कभी-कभी कहा है कि पापका अहसास परमात्मास अलग होनेकी भावना भी पैदा कर देता है। क्या आपने अपने उपवाससे पहले परमात्मासे अलग होनेकी ऐसी कोई भावना अपने अन्दर पाई थी?

गाधीजी नही मुझे केवल जबदस्त उलझन ओर बेचैनी महसूस होती थी। म अपने सहज ढगसे विनोद भी नही कर पाता था।

ग्रामोद्योग सघके सगठनके ऊपर चर्चाके दौरान गाधीजीने स्पष्ट कर दिया कि 'देहाती ढगसे सोचने-समझने' की बात उनके लिए महज तफसीलकी चीज नही है बल्कि एक अनिवाय चीज है। जब एक अमुक महिलाका नाम सघके मण्डलकी सदस्यता के लिए सुझाया गया तो उन्होने कहा कि "मुझे याद आता है कि उस महिलाने एक बार पूरी गम्भीरतास कहा था कि शहरमे दातुन इस्तेमाल करना अस्म्भव है क्योकि शहरमे ऐसी कोई जगह नही है जहा उसे फेका जा सके।

गाधीजीने कहा कि इस प्रकारकी मनोवत्तिवाले किसी भी व्यक्तिको मण्डलका सदस्य नही बनाया जा सकता। पहली चीज तो यही हे कि हम अपने ग्रामोद्योगोको पश्चिमी देशोके साथ दातोका मजन आदि बनानेमे होड लगानेकी कोशिश नही करने दे सकत।

[अग्रेजीसे]
बापू, प० ११४२२

१ ८ मई से २८ मई १९३३ तक, देखिए खण्ड ५५।

सामग्रीके साधन-सूत्र

गाधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्ली गाधी साहित्य और तत्सम्बन्धी कागजातका केन्द्रीय सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

जामिया मिलिया पुस्तकालय जामिया नगर, नई दिल्ली।

नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय नई दिल्ली।

राष्टीय सग्रहालय, नई दिल्ली।

विश्वभारती पुस्तकालय, कलकत्ता।

साबरमती सग्रहालय अहमदाबाद पुस्तकालय तथा आलेख सग्रहालय, जिसमे गाधोजीसे सम्बन्धित कागजात रखे है।

'गुजराती' बम्बईसे प्रकाशित गुजराता साप्ताहिक।

'बाम्बे क्रानिकल' बम्बईसे प्रकाशित अग्रेजी दनिक।

'हरिजन' रामचन्द्र वैद्यनाथ शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा हरिजन सेवक-सघके तत्वावधानमे प्रकाशित अग्रेजी साप्ताहिक, जो गाधीजीकी देखरेखमे ११ फरवरी, १९३३ को पूनासे प्रकाशित हुआ था।

'हरिजनबन्धु' चन्द्रशकर शुक्ल द्वारा सम्पादित तथा १२ माच, १९३३ को पूनासे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'हितवाद' नागपुरसे प्रकाशित अग्रेजी दनिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' नई दिल्लीसे प्रकाशित अग्रेजी दनिक।

'हिन्दू' मद्राससे प्रकाशित अग्रेजी दनिक।

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी फाइले जिनमे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके रेकाड सुरक्षित है।

प्यारेलाल पेपस, सौजन्य प्यारेलाल, नई दिल्ली।

'बाम्बे सीक्रेट ऐब्स्टक्टस' इनमे बम्बई सरकारके रेकाड सुरक्षित है।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी जो स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमे सुरक्षित है।

'इसिडेटस आफ गाधीजीज लाइफ' (अग्रेजी) सम्पादक चन्द्रशकर पी० शुक्ल, वोरा ऐड कम्पनी पब्लिशस, लि०, बम्बई, १९४७।

'(ए) बच ऑफ ओल्ड लेटस' (अग्रेजी) जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिग हाउस १९५८।

'दिल्लीका राजनैतिक इतिहास' राजेन्द्रप्रसाद, अर्जुन इलक्ट्रिक प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली, १९३५।

पाचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद' सम्पादक द० बा० कालेलकर, जमनालाल बजाज ट्रस्ट, वर्धा १९५३।

'बापुना पत्रो–६ ग० स्व० गगाबहेनने' (गुजराती) सम्पादक काकासाहब कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद १९६०।

'बापुना पत्रो–९ श्री नारणदास गाधीने' (गुजराती) सम्पादक नारणदास गाधी नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद, १९५४।

'बापुना पत्रो–२ सरदार वल्लभभाईने' (गुजराती) सम्पादिका मणिबहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद, १९५७।

'बापुना बाने पत्रो (गुजराती) इटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स नेटाल, १९४८।

'बापुनी प्रसादी' (गुजराती) मथुरादास त्रिकमजी नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद १९४८।

बापू कन्वर्सेशन ऐड करेस्पाडेस विद महात्मा गाधी' (अग्रेजी) एफ० मेरी बार, इटरनेशनल बुक हाउस, लिमिटेड, बम्बई, १९४९।

'बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वष हीरालाल शर्मा ईश्वरशरण आश्रम मुद्रणालय, प्रयाग १९५९।

'माई डियर चाइल्ड' (अग्रेजी) सम्पादक एलिस एम० बार्न्स, नवजीवन पब्लिशिग हाउस, अहमदाबाद, १९५६।

'रिपोट आफ द फार्टी एटथ सेशन आफ द इडियन नेशनल काग्रेस, १९३४'।

'रेमिनिसेसेज़ आफ गाधीजी' (अग्रेजी) सम्पादक चन्द्रशकर पी० शुक्ल वोरा ऐंड कम्पनी पब्लिशस, लि०, बम्बई १९५१।

'लेटस आफ श्रीनिवास शास्त्री' (अग्रेजी) एशिया पब्लिशिग हाउस, १९६३।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१६ सितम्बर, १९३४ से १५ दिसम्बर, १९३४ तक)

१६ सितम्बर गाधीजी वर्धामे।

१७ सितम्बर काग्रेससे त्यागपत्र देनेके अपने निणयका स्पष्टीकरण देते हुए समाचार पत्रोको वक्तव्य दिया।

२० सितम्बर गाधीजी तथा एम० एस० अणेने समाचारपत्रोको एक सयुक्त वक्तव्य दिया।

२३ सितम्बर गाधीजीने 'वण व्यवस्था' की प्रस्तावना लिखी।

२५-२८ सितम्बर सी० एफ० एड्रचूज, राजेद्रप्रसाद तथा वल्लभभाई पटेलके साथ चर्चा की।

५ अक्टबर गुजराती पचागके अनुसार गाधीजीका ६६वा जन्मदिन मनाया गया।

६ अक्टूबर समाचारपत्रोको वक्तव्य देते हुए गाधीजीने अपने जन्मदिवस पर प्राप्त सदेशोकी प्राप्ति स्वीकार की।

१० अक्टूबर से पूव मद्रासके मतदाताओको काग्रेस प्रतिनिधि चुननेका आग्रह करते हुए एक सदेश भेजा।

१२ अक्टूबर 'हरिजन' द्वारा कालाकाकरके राजाके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की।

१५ अक्टूबर आगामी काग्रेस-अधिवेशनमे अपने द्वारा रखे जानेवाले काग्रेस सविधानके प्रस्तावित सशोधनो तथा अन्य प्रस्तावोके सम्बधमे गाधीजीने समाचारपत्रोको वक्तव्य दिया।

२० अक्टूबर प्रात काल बम्बई पहुँचे।

२२ अक्टूबर विट्ठलभाई पटेलके निधनकी पुण्यतिथि पर सावजनिक सभामे उनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की।

२३ अक्टूबर काग्रेसकी विषय-समितिकी बैठकमे भाषण दिया।

२४ अक्टूबर विषय समितिकी बैठकमे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघ सम्बधी अपना प्रस्ताव रखा।

२६ अक्टूबर विषय-समितिके सदस्योके सम्मुख भाषण देते हुए उनसे आग्रह किया कि वे सशोधित सविधानको स्वीकार करे।

२७ अक्टूबर विषय समितिकी बैठकमे सशोधनोके सम्बन्धमें अपना भाषण जारी रखा। सशोधनोके अध्ययनके लिए उप-समितिकी नियुक्ति।

२८ अक्टूबर प्रात काल शूरजी वल्लभदास स्वदेशी बाजारके वार्षिकोत्सवकी अध्यक्षता का। विषय-समितिकी बठकमें उपसमितिकी सशोधन सम्बन्धी रिपोट तथा देशी राज्योके सम्बन्धमे प्रस्तावका मसविदा पेश किया। खुले अधिवेशनमें काग्रेस सविधानके सशोधनका गाधीजीका प्रस्ताव पारित हो गया। काग्रेस-अधिवेशनकी समाप्ति।

एसोसिएटेड प्रेसको दी भेंट-वार्तामें गाधीजीने राष्ट्रके नाम सन्देश दिया।

२९ अक्टूबर समाचारपत्रोको वक्तव्य दिया जिसमे जनतासे काग्रेसी उम्मीदवारोको ही वोट देनेका आग्रह किया।

रेशमी धागेके बारेमे वक्तव्य दिया।

शामको वर्धाके लिए रवाना हो गये।

३० अक्टूबर वर्धा पहुँचे।

समाचारपत्रोको दिये गये वक्तव्यमे काग्रेस-सविधानमे किये गये परिवतनो और काग्रेससे अपने अवकाश ग्रहण करनेपर स्पष्टीकरण किया।

काग्रेससे त्यागपत्र दे दिया।

८ नवम्बर अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघके सम्बन्धमें समाचारपत्रोको वक्तव्य दिया।

९ नवम्बर निमलकुमार बोससे भेंट की।

१० नवम्बर निमलकुमार बोसके साथ भेंट वार्ता जारी।

११ नवम्बर गाधीजीने बी० शिवराव तथा जे० सी० कुमारप्पाके साथ वार्ता की।

१५ नवम्बर पश्चिमोत्तर सामाप्रान्त जानेके अपने विचारके सम्बन्धमे वाइसरायको पत्र लिखा। 'द मन्चेस्टर गार्जियन' के प्रतिनिधिके साथ भेंट की।

२२ नवम्बर सयुक्त ससदीय समितिकी रिपोट प्रकाशित हुई। एसोसिएटेड प्रेसके साथ भेंट वार्ताके दौरान गाधीजीने उसपर मत प्रकट करनेसे इन्कार कर दिया।

२५ नवम्बर वाइसरायके निजी सचिवने गाधीजीको पत्र भेजा कि इस समय उनका सीमाप्रान्त जाना वाछनीय नही है।

२६ नवम्बर गाधीजीने नमक-सम्बन्धी छूटपर सर जॉज शुस्टरके साथ हुए अपने पत्र-व्यवहारको प्रकाशनाथ समाचारपत्रोको सौप दिया।

२८ नवम्बर गाधीजीको सीमाप्रान्त न जाने देनेके लिए सरकारने जो रुख अख्तियार किया, उसके उत्तरमे गाधीजीने वाइसरायको पत्र भेजा।

३० नवम्बर या उससे पूव गाधी सेवा-सघके वार्षिक अधिवेशनमे भाषण दिया।

१ दिसम्बर वी० पी० माधवरावकी मृत्यु हो गई।

७ दिसम्बर गाधीजीने पत्र-व्यवहारका प्रकाशन करनेकी अनुमति मागते हुए वाइस-रायको तार भेजा।

अब्दुल गफ्फार खां गिरफ्तार हो गये।

९ दिसम्बर गाधीजीने जनताको चेतावनी दी कि वह वाइसरायके साथ हुए उनके पत्र-व्यवहारकी अप्रामाणिक खबरोका विश्वास न करे।

११ दिसम्बर सरकारके साथ हुए अपने पत्र व्यवहारको प्रकाशनार्थ भेज दिया।

१४ दिसम्बर 'हरिजन' मे वी० पी० माधवरावके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की।

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघकी स्थापना हुई।

१५ दिसम्बर या उससे पूर्व मेरी चेजलेने गाधीजीसे भेंट की।[१]

१५ दिसम्बर गाधीजीने समाचारपत्रोको दिये गये वक्तव्यमे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघका सविधान पेश किया।

१ मेरी चेजलेके साथ हुई बातचीतके लिए देखिए परिशिष्ट।

शीषक-साकेतिका

विविध

साकेतिका

आ

इ

ई

ख

य

र

ल

व

ह